[2008] 4 एस. सी. आर 1

अशोक कुमार ठाकुर

बनाम

भारत संघ और अन्य।

(2006 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 265)

10 अप्रैल, 2008

(न्यायमूर्तिगण के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. और डॉ. अरिजीत पासायत, सी. के. ठाकर, आर. वी. रवींद्रन और दलवीर भंडारी)

संविधान (नब्बेवां संशोधन) अधिनियम, 2005 / केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम 5):

क्या यह "मूल संरचना" का उल्लंघन है संविधान जहाँ तक यह बनाए रखे गए राज्य से संबंधित है संस्थान और सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान आयोजित नहीं किए गए उल्लंघनकारी-हालाँकि, जहाँ तक "निजी गैर-सहायता प्राप्त" शैक्षिक संस्थानों का संबंध है, इस प्रश्न पर निर्णय लिया जाना बाकी हैचित मामले में।

"पिछड़े" की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक वैधता वर्ग "-क्या" जाति "के आधार पर ऐसे" पिछड़े वर्ग "की पहचान संवैधानिक रूप से मान्य है-आयोजित: वैध है।

जब से संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता है इसके संचालन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और कोई आवधिक समीक्षा पर विचार नहीं किया गया है-आयोजित, वैध, लेकिन हर 5 साल के अंत में एक आवधिक समीक्षा की जा सकती है। क्या अधिनियम में दिए गए आरक्षण की मात्रा वैध है और क्या एस. ई. बी. सी. के लिए 27 प्रतिशत सीटों की आवश्यकता थी बनाया जाना चाहिए-वैध आयोजित-संसद को होना चाहिए 27 प्रतिशत आरक्षण तय करते समय सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया।

अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5)-पारस्परिक रूप से विरोधाभासी नहीं है। अनुच्छेद 14 और 15 (5)-अल्पसंख्यक शिक्षा का बहिष्करण अनुच्छेद 15 (5) से संस्थान-अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करते हैं। अनुच्छेद 15 और एस। 2 (छ) 2007 के अधिनियम 5 का-क्रीमी परत

मलाईदार परत को एस. ई. बी. एस.-मापदंडों से बाहर रखा जाना है

"मलाईदार परत" समूह के निर्धारण के लिए-क्यू. एम. दिनांकित 8.9.1993 की प्रयोज्यता-"मलाईदार परत सिद्धांत" की प्रयोज्यता एससी/एसटी के लिए-लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 15 (5)-आरक्षण के सिद्धांत या अन्य

सकारात्मक कार्रवाई-अमेरिका द्वारा निर्धारित सिद्धांतों की प्रयोज्यता। उच्चतम न्यायालय-लागू नहीं हुआ। अन्य पिछड़े वर्ग-प्रतिनिधिमण्डल का निर्धारण केंद्र सरकार को शक्ति-आयोजित, संवैधानिक रूप से वैध। शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग-निर्धारित मानदंड मैट्रिक या 10 + 2 अस्वीकृत। अनुच्छेद 162 और 368-संविधान का 93 वां संशोधन

राज्य की कार्यकारी शक्ति को प्रभावित नहीं करता है-इसलिए अनुच्छेद 368 (2) के प्रावधान के तहत निर्धारित प्रक्रिया नहीं पालन करने की आवश्यकता है।शब्द और वाक्यांश: " संविधान की बुनियादी संरचना "", पिछड़े वर्ग ",

" जाति "," मलाईदार परत "," संदिग्ध कानून "," सख्त जांच "," बाध्यकारी राज्य आवश्यकता "-का अर्थ।

संविधान की वैधता (93) संशोधन अधिनियम, 2005 को रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई थी द्वारा संदर्भित किए जाने पर संविधान पीठ के समक्ष डिवीजन बेंच, विभिन्न आधारों पर। उठाए गए विभिन्न विवादों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए गए थे:

1. क्या नब्बे-तीसरा संशोधन संविधान के "बुनियादी ढांचे" के खिलाफ है संविधान?

2. क्या अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) परस्पर विरोधाभासी, इसलिए अनुच्छेद 15 (5) को अधिकार से बाहर माना जाना चाहिए?

3. क्या अल्पसंख्यक शिक्षा का बहिष्कार अनुच्छेद 15 (5) की संस्थाएं संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं।

संविधान?

4. क्या संविधान संशोधन का पालन किया गया अनुच्छेद 368 के तहत निर्धारित प्रक्रिया

संविधान?

5. क्या 2007 का अधिनियम 5 संवैधानिक रूप से अमान्य है "पिछड़े वर्ग" की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए और क्या

के आधार पर ऐसे "पिछड़े वर्ग" की पहचान " क्या "जाति" संवैधानिक रूप से मान्य है?

6. क्या "क्रीमी लेयर" को बाहर रखा जाना है एस. ई. बी. सी.?

7. निर्धारित करने के लिए पैरा-मीटर क्या होना चाहिए "मलाईदार परत" समूह?

8. क्या "मलाईदार परत" सिद्धांत लागू होता है अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों को?

9. क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सिद्धांत सकारात्मक कार्रवाई के लिए राज्य सर्वोच्च न्यायालय जैसे कि " संदिग्ध कानून "," सख्त जांच "और" सम्मोहक " राज्य की आवश्यकता आरक्षण के सिद्धांतों पर लागू होती है। या संविधान के अनुच्छेद 15 (5) के तहत विचार की गई अन्य सकारात्मक कार्रवाई?

10. क्या संघ को सत्ता का प्रत्यायोजन सरकार द्वारा यह निर्धारित करना कि कौन पिछड़ा वर्ग होगा, संवैधानिक रूप से मान्य है?

11. क्या अधिनियम अमान्य है क्योंकि कोई समय सीमा नहीं है इसके संचालन के लिए निर्धारित और कोई आवधिक समीक्षा नहीं है विचार किया?

12. शिक्षा का स्तर क्या होगा? यह पता लगाने के लिए निर्धारित किया गया है कि क्या कोई वर्ग शैक्षिक रूप से पिछड़ा है?

13. क्या आरक्षण की मात्रा के लिए प्रावधान किया गया है अधिनियम में वैध है और क्या एस. ई. बी. सी. के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता थी? याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने पकड़ना: अदालत द्वारा: 1.1 संविधान 93 वां संशोधन अधिनियम, 2005 वैध है और इसका उल्लंघन नहीं करता है " संविधान की मूल संरचना "जहाँ तक इसका संबंध है

राज्य ने संस्थानों और सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को बनाए रखा संस्थाएं। सवाल करें कि क्या संविधान (नब्बे)तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2005 संवैधानिक रूप से होगा।

"निजी गैर-सहायता प्राप्त" शैक्षिक के रूप में वैध या नहीं संस्थान संबंधित हैं, उन पर विचार नहीं किया जाता है और उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है एक उपयुक्त मामले में निर्णय लिया जाना। [पैरा 1] [469-डी-ई]

1.2 तथापि, भंडारी, जे. ने अपनी राय में कहा है, इस मुद्दे पर विचार किया और माना कि संविधान (नब्बेवां संशोधन) अधिनियम, 2005 संवैधानिक रूप से नहीं है।जहाँ तक निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों का संबंध है, वे वैध हैं। [पैरा 1] [469-ई-एफ]

2.1 2007 का अधिनियम 5 संवैधानिक रूप से मान्य है बशर्ते - धारा 2 (छ) में 'अन्य पिछड़े वर्गों' की परिभाषा केंद्र द्वारा 'अन्य पिछड़े वर्गों' का निर्धारण सरकार एक जाति के संदर्भ में है, इसे बाहर रखा जाएगा ऐसी जाति के बीच 'मलाईदार परत'। [पैरा 2] [469-एफ-एच;

470 - ए]

2.2 अन्य के लिए 27 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की मात्रा

अधिनियम में प्रदान किए गए शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग अवैध नहीं हैं। [पैरा 2] [470-ए]

2.3 2007 का अधिनियम 5 इस कारण से अमान्य नहीं है कि

इसके संचालन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन अधिकांश न्यायाधीशों का मानना है कि समीक्षा

5 वर्ष के अंत में आरक्षण जारी रखने की आवश्यकता के बारे में बताया जाना चाहिए। [पैरा 2] [470-बी]

के. जी. बालकृष्णन, सीजे के अनुसार:

1.1 यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई विशेष विशेषता है संविधान मूल संरचना का हिस्सा है या नहीं, यह है

संविधान की योजना, उसके उद्देश्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में जांच की जानी चाहिए। और एक मौलिक के रूप में संविधान की अखंडता देश के शासन के लिए साधन। यह देखा जा सकता है कि यह सामान्य कानूनों को चुनौती देने के लिए खुला नहीं है

मूल संरचना सिद्धांत के आधार पर। राज्य कानून को इस सवाल पर चुनौती दी जा सकती है कि क्या यहयह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। लेकिन के रूप में संवैधानिक संशोधनों के संबंध में, यदि कोई चुनौती है बुनियादी संरचना के आधार पर बनाया गया है, यह होना चाहिएसंविधान की बुनियादी विशेषताओं के आधार पर जांच की गई। यह देखा जा सकता है कि केशवानंद भारती में बहुमत मामले में यह नहीं माना गया कि अनुच्छेद 14 के सभी पहलू या इनमें से कोई भी मौलिक अधिकार मूल संरचना का हिस्सा होंगे।

संविधान से। बहुमत ने अनुच्छेद 30 (1) (सी) के पहले भाग की वैधता को बरकरार रखा जो दिखाएगा कि संवैधानिक संशोधन जो हटा देता है या कम कर देता है

किसी मनमाने कानून की वैधता को चुनौती देने या उस अनुच्छेद के तहत किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं होगा।

मूल संरचना को नष्ट या क्षतिग्रस्त करें। समानता एक बहु है रंगीन अवधारणा एकल परिभाषा में असमर्थ है क्योंकि यह अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत मौलिक अधिकार भी है। सिद्धांत

समानता हमारे समाज के लिए एक नाजुक, कमजोर और सर्वोच्च मूल्यवान अवधारणा है। यह सच है कि एक महत्वपूर्ण और आवश्यक घटक को अपनाया

संवैधानिक पहचान। समानता के बड़े सिद्धांत अनुच्छेद 14,15 और 16 में वर्णित को एक के रूप में समझा जा सकता है संविधान की "मूल संरचना" का तत्व और संशोधन के अधीन नहीं हो सकता है, हालांकि, ये इन अधिकारों को एक विशेष तरीके से व्यवस्थित करने के उद्देश्य से प्रावधानों को व्यापक सिद्धांत की बाधाओं के भीतर बदला जा सकता है। परिवर्तन की परिवर्तनशीलता शर्तों में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है इन अधिकारों की संरचना और डिजाइन, लेकिन क्षणिक

औपचारिक व्यवस्था के वर्णों को बड़े 6 को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

उद्देश्य और सिद्धांत जो संवैधानिक पहचान का निरंतर और अपरिवर्तनीय धागा हैं। ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण और दूरगामी परिवर्तन की शुरूआत जो आपत्तिजनक है, बल्कि यह इस परिवर्तन की सामग्री है जहाँ तक यह संवैधानिक प्रश्न को निहित करता है पहचान। [पैरा 93] [120-ई-एच; 121-ए-ई]

1.2 यदि कोई संविधान संशोधन किया जाता है जो समानता के सिद्धांत को मध्यम रूप से कम या बदल देता है या अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है। अगर ऐसा है सिद्धांत स्वीकार किया जाता है, हमारा संविधान सक्षम नहीं होगा एक गतिशील की बदलती स्थितियों के अनुकूल होने के लिएमानव समाज। इसलिए, याचिका में कहा गया है कि वर्तमान संविधान का नब्बेवां संशोधन अधिनियम, 2005 बदला गया संविधान की मूल संरचना का कोई बल नहीं है। इसके अलावा, संविधान की व्याख्या नहीं होगी एक संकीर्ण पांडित्यपूर्ण तरीके से रहें। [पैरा 95] [122-डी, ई, एफ]

1.3 यह कई निर्णयों में माना गया है कि जब संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या की जाती है, मुख्य नियम है संविधान की प्रस्तावना को मार्गदर्शक के रूप में देखना स्टार और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत ' व्याख्या की पुस्तक '। प्रस्तावना लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं और निर्देश का प्रतीक हैसिद्धांतों में निकटवर्ती आधार निर्धारित किए गए हैं इस देश का शासन। [पैरा 96] [123-बी, सी]

1.4 संविधान का नब्बेवां संशोधन जहां तक यह सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित है, संविधान के "मूल ढांचे" का उल्लंघन नहीं करता है। सवाल यह है कि क्या निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी या एसईबीसी के लिए आरक्षण दिया जा सकता है नब्बे-तीसरे संविधान संशोधन का आधार; या क्या ऐसे में आरक्षण दिया जा सकता है

संस्थाएं; या क्या ऐसा कोई कानून होगा संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) या अनुच्छेद 14 का उल्लंघन; या क्या नब्बे-तीसरा संवैधानिक संशोधन 7 घ। जो राज्य विधानमंडलों या संसद को सक्षम बनाता हैइस तरह का कानून बनाएँ-क्या सभी प्रश्नों में निर्णय लिया जाना है प्रभावित पक्षों के बीच एक उचित रूप से गठित सूची और अन्य जो इस तरह के कानून का समर्थन करते हैं। [पैरा 97] [123-सी-एफ]

परम पूज्य केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम। बेरूबरी संघ और एन्क्लेव का आदान-प्रदान, संदर्भ भारत के संविधान (1960) के अनुच्छेद 143 (1) के तहत 3 एससीआर 250 और श्रीमती। इंद्र गांधी बनाम राज नारायण (1976) 2 एससीआर 347: ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 2299-पर निर्भर था।

आई. सी. गोलक नाथ और अन्य। बनाम पंजाब और आनर्स राज्य (1967) 2 एस. सी. आर. 762-संदर्भित। 2.1 अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) दोनों सक्षम कर रहे हैं।

प्रावधान। अनुच्छेद 15 (4) पेश किया गया था जब " मद्रास राज्य में सांप्रदायिक जी. ओ. को समाप्त कर दिया गया था। चम्पकम दोराईराजन के मामले में इस अदालत द्वारा। उन्नी में कृष्णन, इस न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 19 (1) (जी) नहीं है शिक्षा की स्थापना और संचालन के लिए आकर्षित संस्थाएं। हालांकि, टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले में, यह था

अभिनिर्धारित किया कि शैक्षिक स्थापना और संचालन का अधिकार संस्थान अनुच्छेद 19 (1) (जी) के अर्थ के भीतर एक व्यवसाय है। टी. एम. ए. पाई में निर्णय का दायरा फाउंडेशन के मामले को बाद में पी. ए. इनामदार के लेख में समझाया गया था। मामला। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों के संबंध में, राज्य का कोई नियंत्रण नहीं है और ऐसे संस्थान स्वतंत्र हैं। अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश देना। उक्त निर्णय के कारण संविधान 93 वां संशोधन अधिनियम, 2005 को लागू करना आवश्यक हो गया। [पैरा 100] [124-जी, एच;

125 - ए, बी]

2.2 अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) दोनों अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं।

क्षेत्रों। "इस अनुच्छेद में कुछ भी नहीं" [में उल्लिखित है

अनुच्छेद 15 (5)] की शुरुआत का मतलब केवल यह होगा कि

इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं है जो केवल अनुच्छेद 15 (1) में उल्लिखित आधारों पर राज्य को प्रतिबंधित करता है।

महत्व। अनुच्छेद 15 (5) सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के 15 (4) को बाहर नहीं करता है।

संविधान। यह एक अच्छी तरह से स्थापित संवैधानिक सिद्धांत है।

व्याख्या करते हुए कि प्रावधानों की व्याख्या करते हुए

संविधान, के सभी प्रावधानों को प्रभाव दिया जाएगा

में कोई अन्य प्रावधान करने का तरीका संविधान निष्क्रिय या अप्रभावी। अगर इरादे

संसद को अनुच्छेद 15 (4) को बाहर करना था, वे कर सकते थे

संविधान के अनुच्छेद 15 (4) को बहुत अच्छी तरह से हटा दिया गया। अल्पसंख्यक

संस्थान भी मौलिक के प्रयोग के हकदार हैं

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत अधिकार, चाहे

वे सहायता प्राप्त हों या सहायता प्राप्त न हों। लेकिन अनुच्छेद 15 (5) के मामले में,

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, चाहे सहायता प्राप्त हों या

बिना सहायता प्राप्त, संविधान के अनुच्छेद 15 (5) के दायरे से बाहर हैं। दोनों, प्रावधानों को सक्षम करने के कारण,

अपने स्वयं के क्षेत्र में कार्य करना और किसी भी कानून की वैधता

अनुच्छेद 15 (4) या 15 (5) के आधार पर बनाया जाना चाहिए

इस प्रकार के प्रावधानों के आधार पर जांच की गई

कानून या विशेष प्रावधान जो इसके तहत बनाया जा सकता है

अनुच्छेद 15 (4) या 15 (5)। यह भी देखा जा सकता है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान या किसी भी पीड़ित पक्ष ने ऐसा नहीं किया है।

संवैधानिकता को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष आएं

इन आधारों पर संशोधन। यह चुनौती याचिकाकर्ताओं द्वारा अधिनियम के तहत दिए गए आरक्षण पर आपत्ति जताते हुए दी गई है

5 2007 से। इसलिए, यह दलील कि अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) परस्पर विरोधाभासी हैं और इसलिए, अनुच्छेद 15 (5) है जो संवैधानिक रूप से मान्य नहीं है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हो चुका है।

एन. एम. थॉमस मामले और इंद्र साहनी के मामले में आयोजित, अनुच्छेद

15 (4) और 16 (4) अनुच्छेद 15 (1) के अपवाद नहीं हैं और

अनुच्छेद 16 (1) लेकिन स्वतंत्र रूप से सक्षम करने वाला प्रावधान। लेख

15 (5) कुछ संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिए एक सक्षम प्रावधान के रूप में भी लिया जाना चाहिए और इस प्रकार यह है संवैधानिक रूप से वैध और उन पर उठाए गए विवाद

इन आधारों को अस्वीकार कर दिया जाता है। [पैरा 100] [124-जी; 125-ए-एच; 126-ए-बी]

इंद्र साहनी बनाम भारत संघ और अन्य। 1992 सप. (3) एस. सी. सी. 215 और केरल और अन्र राज्य। बनाम एन. एम. थॉमस और अन्य।

1976 (2) एस. सी. सी. 310-पर निर्भर।

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

9

उन्नी कृष्णन, जे. पी. और अन्य। बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

& ओआरएस। 1993 (1) एससीसी 645; टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य। बनाम।

कर्नाटक राज्य और अन्य। 2002 (8) एस. सी. सी. 481; राज्य

मद्रास बनाम श्रीमती चंपकम दोराईराजन 1951 एससीआर 525

और पी. ए. इनामदार और अन्य। बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

(2005) 6 एस. सी. सी. 537-संदर्भित।

3. यह माना गया है कि अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4)

अनुच्छेद 15 (1) और अनुच्छेद 16 (1) के अपवाद नहीं हैं।

क्रमशः। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यदि कोई है

अनुच्छेद 14 या किसी अन्य समानता सिद्धांत का उल्लंघन,

प्रभावित शैक्षणिक संस्थान से संपर्क करना चाहिए था

यह न्यायालय उनके अधिकारों को सही साबित करने के लिए है। ऐसी कोई याचिका नहीं है।

अनुच्छेद से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार 15 (5) संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, स्वयं, हैं

एक अलग वर्ग और उनके अधिकार अन्य लोगों द्वारा संरक्षित हैं।

संवैधानिक प्रावधान। [पैरा 102] [126-जी; 127-ए-बी]

4. संसद और राज्य की शक्तियाँ

विधायिकाओं को अनुच्छेद 245 के तहत कानून बनाने का प्रावधान है।

255 संविधान से। अनुच्छेद 162 के प्रावधान के तहत,

कोई भी मामला जिसके संबंध में राज्य के विधानमंडल और संसद को कानून बनाने की शक्ति है, राज्य की कार्यकारी शक्ति इसके अधीन और सीमित होगी।

द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त कार्यकारी शक्ति द्वारा

संविधान या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा

उसके संघ प्राधिकरण। नब्बे-तीसरा संविधान संशोधन स्पष्ट रूप से या निहित रूप से दूर नहीं करता है

सूची I में संख्या 11 को हटा दिया गया और सूची Ill में प्रविष्टि के रूप में डाला गया नं. 25 सूची III में विधान के क्षेत्र के रूप में। अनुच्छेद 245

अनुच्छेद 162 के परंतुक के कारणों से,

राज्य की कार्यकारी शक्ति 10 द्वारा सीमित होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त कार्यकारी शक्ति या संघ पर संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा

उनके अधिकारी। इसके तहत लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन

संविधान अस्तित्व में रहा है। ऐसी शक्ति राज्य नब्बे-तीसरे तक सीमित या सीमित नहीं है।

अनुच्छेद 162 के तहत राज्य की शक्ति। नब्बे-तीसरा संविधान संशोधन इस दायरे में नहीं आता है अनुच्छेद 368 का परंतुक। अत: निवेदन है कि

अनुच्छेद 368 की निर्धारित प्रक्रिया सही नहीं है और याचिका को केवल अस्वीकार किया जाना है। [पैरा 104] [127-ई-जी; 128-ए-सी]

5.1 " जाति "का उपयोग अक्सर एक दूसरे के साथ किया जाता है।

स्तरीकरण। जाति के बारे में सबसे विशिष्ट बात जाति संबंधी मामलों में समूह इसकी स्वायत्तता है। इनमें से एक

सभी जातियों द्वारा लागू सार्वभौमिक संहिताओं की आवश्यकता है एंडोगैमी। अन्य नियम धार्मिक शुद्धता या स्वच्छता से संबंधित नियमों से संबंधित हैं। कभी-कभी ऐसा

व्यावसायिक विकल्पों को भी प्रतिबंधित करता है। यह आवश्यक नहीं है।

कि इन नियमों को विशेष वर्गों में भी लागू किया जाए,

और इस तरह एक "वर्ग" से अलग किया जा सकता है

अक्सर एक शुद्धता पैमाने पर मूल्यांकन किया जाता है, न कि सामाजिक पैमाने पर। [पैरा 124] [139-ई-एफ]

5.2 एक वर्ग को हमेशा कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं या कम से कम

समाज में दूसरों पर कुछ लाभ। जब यह अधिक है

या कम सख्ती से बंद, या वंशानुगत विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं,

इसे "जाति" कहा जाता है। [पैरा 130] [142-बी]

5.3 यह मानने का हर कारण है कि एक के भीतर

एकल जाति समूह के कुछ वर्ग या समूह हैं वे लोग जिनके लिए सौभाग्य या दृढ़ता है

अधिक गरिमा, सामाजिक प्रभाव और सामाजिक सम्मान लाया

दूसरों की तुलना में। [पैरा 135] [143-डी-ई]

5.4 भारत में, जाति, सामाजिक-संगठनात्मक तरीके से अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 11 इसका मतलब यह होगा कि यह केवल व्यक्तियों की शारीरिक या व्यावसायिक विशेषताओं द्वारा विशेषता नहीं है

जो इसे बनाते हैं; बल्कि, इसकी विशेषता इसके कोड हैं।

और इसके घनिष्ठ सामाजिक नियंत्रण। हालाँकि, वर्गों के मामले में, ऐसी निकट-बुनी इकाई सामाजिक नहीं हो सकती है। नियंत्रण, और व्यावसायिक विशेषताओं में बहुत असमानता हो सकती है। एक सामाजिक वर्ग इसलिए एक है

स्थिति के दृष्टिकोण से सजातीय इकाई और

संस्कार और सख्त संगठनात्मक नियंत्रण। इस प्रकार जिसमें संगठन दोनों में जाति बंद है

और जैविक बोध इसे सामाजिक वर्ग से अलग बनाता है।

इसके अलावा, अनुष्ठान और नियमों पर इसका जोर स्वच्छता और शुद्धता से संबंधित मौलिक रूप से भिन्न है

सामाजिक वर्ग नियमों की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति और अनौपचारिकता। में।

एक सामाजिक वर्ग, विशिष्टता मुख्य रूप से स्थिति पर आधारित होगी। सामाजिक वर्ग सजातीय विभाजन करते हैं प्रतिष्ठा और सम्मान की परतों में आबादी, और प्रत्येक परत के सदस्य इसके साथ स्वतंत्र रूप से प्रसारित करने में सक्षम हैं।

जाति में, हालांकि, सदस्यों के बीच सामाजिक दूरी

इसका कारण यह है कि वे पूरी तरह से अलग-अलग संगठनों से संबंधित हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि एक जाति है

एक क्षैतिज विभाजन और एक वर्ग, एक ऊर्ध्वाधर विभाजन।

[पारस 136,137,138] [143-ई-एच; 144-ए-बी]

5.5 यह बताया गया कि राष्ट्रीय आयोग

पिछड़े वर्गों के लिए और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसके आधार पर एक सूची तैयार की है -

विस्तृत दिशा-निर्देश और ये दिशा-निर्देश हैं

मंडल आयोग और आयोगों द्वारा बनाए गए मानदंडों/संकेतकों का अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अतीत। विभिन्न आयोगों ने विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक सुनवाई की और राष्ट्रीय आयोग ने इससे पहले 236 सार्वजनिक सुनवाई की थी

इसने सूची को अंतिम रूप दिया। यह भी बताया गया है कि इस दौरान अपने कार्यकरण की अवधि में, राष्ट्रीय आयोग ने समावेशन के लिए 297 अनुरोधों की सिफारिश की थी और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट भी।

समय ने मुख्य जातियों को शामिल करने के लिए 288 अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया। यह भी बताया गया है कि आयोग ने सामाजिक मुद्दों के संबंध में विस्तृत आंकड़ों पर विचार किया है।

शैक्षिक और आर्थिक मानदंड। आयोग ने इस बात पर भी गौर किया है कि क्या कोई सुधार हुआ है।

या जाति या समुदाय की स्थिति में गिरावट

पिछले बीस वर्षों के दौरान समावेश के लिए विचार किया जा रहा है

वर्षों से। यह बताया गया है कि एक विस्तृत प्रश्नावली थी

आयोग द्वारा तैयार किए गए जवाब और इसमें दिए गए जवाब

प्रश्नावली को शामिल करने के लिए विस्तार से विचार किया गया।

सूची में अस्वीकृति। यह स्पष्ट है कि सामाजिक और

नागरिकों के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को किया जा रहा है

न केवल जाति और यदि जाति के आधार पर तैयार किया गया

और अन्य विचारों को ध्यान में रखा जाता है

पिछड़ेपन का निर्धारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह होगा

संविधान के अनुच्छेद 15 (1) का उल्लंघन करना। इस प्रकार,

और इसलिए, एस. ई. बी. सी. की पहचान का उल्लंघन नहीं है संविधान का अनुच्छेद 15 (1)। [पैरा 140,141,142]

[144 - डी-एच; 145-ए, बी]

इंद्र साहनी बनाम भारत संघ और अन्य। 1992 सप. (3)

एस. सी. सी. 215-पर निर्भर।

मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम

दोराईराजन 1951 एस. सी. आर. 525; आर. चित्रलेखा और अन्र। बनाम राज्य

मैसूर राज्य (1963) सप. 1 एस. सी. आर. 439 = ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 649; केरल राज्य और अन्र। बनाम एन. एम. थॉमस और अन्य। 1976 (2) एससीसी

310 ; के. सी. वसंत कुमार और अन्र. बनाम कर्नाटक राज्य (1985) पूरक एस. सी. सी. 714; माइनर ए. पीरियाकरुप्पन और अन्र। बनाम राज्य

तमिलनाडु और ओआरएस। (1971) 1 एस. सी. सी. 38; माइनर पी. राजेंद्रन बनाम।

बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (I) (1967) 2 एससीआर 265; उत्तर प्रदेश राज्य & ओआरएस। बनाम प्रदीप टंडन और अन्य। (1975) 1 एस. सी. सी. 267; राज्य

आंध्र प्रदेश और अन्र. बनाम पी. सागर (1968) 3 एससीआर 595 और टी.

देवदासन बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. (1964) 4 एससीआर 680 -

संदर्भित किया गया।

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 13

1901 की मैसूर जनगणना जी. एस. घुर्ये, जाति और नस्ल

भारत में (बॉम्बे, 1979) पी। 6 , मैसूर जनगणना, 1901 से उद्धृत करते हुए, पी। 400 - संदर्भित किया गया।

डब्ल्यू. एच. आर. रिवर्स, सोशल ऑर्गनाइजेशन (न्यूयॉर्क, 1924)

पी। 143 ; लोवी रॉबर्ट एच. लोवी, द ओरिजिन ऑफ द स्टेट (न्यूयॉर्क, 1927) पी। 21 ; लोवी, सांस्कृतिक परिचय

नृविज्ञान (न्यूयॉर्क, 1940) पी। 268 ; किमबॉल यंग, एक परिचयात्मक समाजशास्त्र (न्यूयॉर्क, 1924); सेसिल क्लेयर नॉर्थ

सेसिल क्लेयर नॉर्थ, सामाजिक भेदभाव (चैपल हिल, 1926)

पी। 254 ; मैकल्वर आर. एन. मैकल्वर, सोसायटी: समाजशास्त्र की एक पाठ्यपुस्तक (न्यूयॉर्क 1937) पी। 171. 9 और चार्ल्स हॉर्टन

कूली चार्ल्स हॉर्टन कूली, सामाजिक संगठन (न्यूयॉर्क, 1909) पी। 215- संदर्भित किया गया।

6.1 पिछड़े वर्ग का निर्धारण नहीं किया जा सकता है

विशेष रूप से जाति पर आधारित। गरीबी, सामाजिक

पिछड़ेपन, आर्थिक पिछड़ेपन, ये सभी मानदंड हैं।

पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए। इंद्र साहनी के मामले में यह देखा गया है कि पिछड़े वर्ग के बीच पिछड़े वर्ग का वर्ग समाज के समृद्ध वर्ग का सदस्य है। वे किसी भी तरह के लायक नहीं हैं।

जीवन में आगे की प्रगति के लिए आरक्षण। वे सामाजिक रूप से

और शैक्षिक रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त उन्नत

अन्य उम्मीदवारों के साथ सामान्य सीटें। [पैरा 147]

[147 - डी, ई, एफ]

6.2 यह समझना चाहिए कि "मलाईदार परत" सिद्धांत

जाति इस आधार पर कि वे आर्थिक रूप से उन्नत या शैक्षिक रूप से आगे हैं। उन्हें बाहर रखा गया है क्योंकि जब तक जाति के इस वर्ग को उस जाति समूह से बाहर नहीं रखा जाता है, तब तक जाति की उचित पहचान नहीं हो सकती है।

पिछड़े वर्ग। यदि "क्रीमी परत" सिद्धांत नहीं है

लागू किया, यह आसानी से कहा जा सकता है कि सभी जातियों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से शामिल किया गया है

पिछड़े वर्गों को विशेष रूप से जाति के आधार पर शामिल किया गया है। उद्देश्य के लिए एस. ई. बी. सी. की पहचान

या तो अनुच्छेद 15 (4), 15 (5) या 16 (4) केवल के आधार पर

एल

इसके विभिन्न निर्णयों द्वारा जाति स्पष्ट रूप से निषिद्ध है। न्यायालय और यह अनुच्छेद 15 (1) और अनुच्छेद 16 (1) के खिलाफ भी है।

संविधान से। शर्तों को पूरा करने और पता लगाने के लिए

वास्तव में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग क्या है, "मलाईदार परत" का बहिष्करण आवश्यक है। [पैरा 149]

[148 - बी-ई]

6.3 "मलाईदार परत" सिद्धांत को एक के रूप में लागू नहीं किया जाता है

आरक्षण का सामान्य सिद्धांत। इसके लिए आवेदन किया जाता है

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पहचान करने का उद्देश्य पिछड़े वर्ग। निर्धारित करने के लिए मुख्य मानदंडों में से एक

एस. ई. बी. सी. गरीबी है। यदि ऐसा है, तो बहिष्करण का सिद्धांत

इंद्र साहनी के मामले ने "मलाईदार" के बहिष्कार को बरकरार रखा। अनुच्छेद 16 (4) में आरक्षण के उद्देश्य से "परत"।

इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि "मलाईदार परत"

एस. ई. बी. सी. की पहचान के लिए सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा, अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) को प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है

शिक्षा में अवसर जिससे पिछड़े लोगों के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर में वृद्धि हो रही है

इस धारा के पीछे और एक बार इस प्रगति को प्राप्त करने के बाद, इसके तहत पारित किसी भी कानून को निम्नलिखित माना जाना चाहिए: अपना उद्देश्य पूरा किया है। उन लोगों को छोड़कर जिनके पास है

पहले से ही प्राप्त आर्थिक कल्याण या शैक्षिक

प्रगति, इनके तहत प्रदान किए जाने वाले विशेष लाभ खंडों को उनके लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और, यदि किया जाता है

तो, यह अनुचित, भेदभावपूर्ण या मनमाना होगा,

जिसके परिणामस्वरूप विपरीत भेदभाव होता है। [पैरा 150] [148-ई, एफ, जी,

एच; 151-ए, बी]

6.4 यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि 'मलाईदार परत' को बाहर रखा गया है,

व्यावहारिक रूप से किसी विशेष के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है

शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़ा वर्ग क्योंकि शेष सदस्य, अर्थात् गैर-मलाईदार परत, अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्तर या मानक तक नहीं बढ़े होंगे।

आरक्षित कोटे के भीतर भी प्रवेश पाने के लिए। यदि मलाईदार परत को बाहर नहीं रखा गया है, तो एसईबीसी की पहचान पूर्ण नहीं होगा और बिना बहिष्करण के कोई भी एस. ई. बी. सी. अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ. 15

'मलाईदार परत' का लेख के अनुसार नहीं हो सकता है

15 (1) संविधान से। [पैरा 152] [149-जी; 150-ए]

इंद्र साहनी बनाम भारत संघ और अन्य। 1992 सप. (3)

एस. सी. सी. 215-पर निर्भर।

7.1 यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारण का वही सिद्धांत

के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए मलाईदार परत

नियुक्ति के लिए पिछड़े वर्गों को सख्ती से काम करने की आवश्यकता नहीं है।

अनुच्छेद के तहत परिकल्पित आरक्षण के मामले में पालन किया गया

15 (5) संविधान से। अगर एक सख्त आय प्रतिबंध है "मलाईदार परत" की पहचान करने के लिए बनाया गया है, जो हैं

विशेष जाति में छोड़ दिया जा करने में सक्षम नहीं हो सकता है

प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार

2007 के अधिनियम 5 के अनुसार केंद्रीय संस्थान। सरकार

कुछ हद तक छूट दे सकते हैं ताकि इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध हो सकें।

27 प्रतिशत आरक्षण को भरने के लिए। यह संघ के लिए है

जारी करने के लिए सरकार और राज्य सरकारें

"मलाईदार परत" की पहचान करने के लिए उचित दिशानिर्देश

कि एस. ई. बी. सी. ठीक से निर्धारित किए जाते हैं

इस न्यायालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देश। अगर, आवेदन करके भी

यह सिद्धांत, अभी भी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं,

प्रभावी बनाने के लिए राज्य उचित दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।

उद्देश्यपूर्ण ढंग से आरक्षण का कार्यान्वयन। [पैरा 154] [160-डी; 161-ए]

7.2 " धारा 2 (जी) में परिभाषित "पिछड़ा वर्ग"

"मलाईदार परत" को बाहर न करें। इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि

उस पिछड़े वर्ग को जैसा कि अधिनियम 5 की धारा 2 (जी) में परिभाषित किया गया है

2007 "मलाईदार परत" के अपवर्जन के सिद्धांत को लागू करके ऐसा पिछड़ा वर्ग माना जाना चाहिए।

[पैरा 155] [161-ए-बी]

इंद्र साहनी बनाम भारत संघ और अन्य। 1992 सप. (3)

एस. सी. सी. 215-संदर्भित।

8.1 इंद्र साहनी के मामले में, यह विशेष रूप से कहा गया है कि

"क्रीमी लेयर" सिद्धांत एसटी और एससी पर लागू नहीं होगा।

नागराज के मामले में, पैराग्राफ 110 और 120 में और अंत में

पैराग्राफ 121,122 और 123 में केवल यह कहा गया है कि जब

सकारात्मक कार्रवाई के प्रश्नों पर विचार करते हुए, बड़ा

समानता का सिद्धांत जैसे कि 50 प्रतिशत की सीमा (मात्रात्मक सीमा) और "मलाईदार परत" (मात्रात्मक बहिष्करण) ध्यान में रखें। नागराज के मामले में यह चर्चा या निर्णय नहीं लिया गया है कि मलाईदार परत सिद्धांत

यह एससीएस/एसटी पर लागू होगा। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि नागराज के मामले में की गई टिप्पणियाँ

इंद्र साहनी के मामले में निर्णय के विपरीत हैं। [पैरा 159] [162 - ई-जी; 163-ए]

8.2 इसके अलावा, "मलाईदार परत" सिद्धांत अभी तक नहीं है।

समानता के सिद्धांत या सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू किया गया

सभी सकारात्मक कार्यों के लिए आवेदन करना। [पैरा 160] [163-बी]

8.3 अब तक, इस न्यायालय ने "क्रीमी" लागू नहीं किया है।

आरक्षण के उद्देश्य के लिए समानता के सामान्य सिद्धांत की परत सिद्धांत। "मलाईदार परत" अब तक है

केवल पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए लागू किया गया था, क्योंकि इसके लिए पिछड़े वर्ग को निर्धारित करने के लिए कुछ मापदंडों की आवश्यकता थी।

कक्षाएँ "। क्रीमी लेयर "सिद्धांत मापदंडों में से एक है।

पिछड़े वर्गों की पहचान करना। इसलिए, मुख्य रूप से, "मलाईदार परत" सिद्धांत एसटी पर लागू नहीं किया जा सकता है और

" अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक जाति नहीं हैं जाति के सामान्य अर्थ के भीतर "। और वे ऐसे हैं।

द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर पहचाना गया

संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति

संविधान। राष्ट्रपति, उनसे परामर्श करने के बाद,

राज्यपाल, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, जातियों को निर्दिष्ट करता है,

जातियाँ या जनजातियाँ या जातियों, जातियों या जनजातियों के भीतर के भाग या समूह जो संविधान के उद्देश्य से

अनुसूचित जनजातियों की अनुसूचित जाति मानी जाएगी।

एक बार अधिसूचना जारी होने के बाद, उन्हें माना जाता है

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य,

जो भी लागू हो। [पैरा 161] [163-जी; 164-ए-सी] अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 17

8.4 शुरू से ही अनुसूचित जातियाँ

और अनुसूचित जनजातियों को एक अलग श्रेणी के रूप में माना जाता था और किसी ने भी ऐसे वर्गों की पहचान पर कभी विवाद नहीं किया। जब तक "मलाईदार परत" को समानता के सिद्धांतों में से एक के रूप में लागू नहीं किया जाता है, तब तक इसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं किया जा सकता है। अब तक, यह केवल लागू होता है

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना।

यह स्पष्ट किया जाता है कि आरक्षण के उद्देश्य से,

"मलाईदार परत" के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। [पैरा 163] [165 - सी-डी]

इंद्र साहनी बनाम भारत संघ और अन्य। 1992 सप. (3)

सिंह और ओआरएस। (II) बनाम पंजाब राज्य और अन्य। (1999) 7 एस. सी. सी. 209 और भारत संघ और अन्य। बनाम विरपाल सिंह चौहान और अन्य। (1995) 6 एस. सी. सी. 684-संदर्भित।

9.1 संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

भारतीय संदर्भ में लागू नहीं किया गया था क्योंकि यह महसूस किया गया था कि

दोनों संविधानों के तहत प्रावधानों की संरचना और सामाजिक स्थितियों के साथ-साथ अन्य कारक हैं -

दोनों देशों में काफी अंतर है। [पैरा 165] [165-एच;

166 - ए]

9.2 संविधान में संरचनात्मक अंतर हैं।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। जबकि भारत में, अनुच्छेद 14 और 18 अलग-अलग रूप से संरचित हैं और इसमें विशेष प्रावधानों के लिए स्पष्ट प्रावधान हैं।

एस. ई. बी. सी., एस. टी. एस. और एस. सी. की उन्नति के लिए प्रावधान। इसके अलावा, हमारे संविधान के भाग IV में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के तहत एक विशिष्ट प्रावधान है।

संविधान में राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए प्रयास करने और 18 को कम करने की आवश्यकता है।

आय की असमानताएँ और उन्हें दूर करने का प्रयास स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताएँ (अनुच्छेद

38) . इससे पहले, एक दृष्टिकोण था कि अनुच्छेद 16 (4) और 15 (5)

ये क्रमशः अनुच्छेद 16 (1) और 15 (1) के अपवाद हैं। [पारस 167,168] [167-बी, ई, एफ]

9.3 भारत के संवैधानिक इतिहास से, यह हो सकता है

अधिकारों के समूह, अर्थात् मौलिक अधिकार जो हैं न्यायसंगत बनाए गए और निर्देशात्मक सिद्धांत जो हैं

गैर-न्यायोचित बना दिया गया। राज्य के निदेशक सिद्धांत

नीति को इस कारण से गैर-न्यायसंगत बनाया गया है कि

इनमें से कई अधिकारों का कार्यान्वयन इस पर निर्भर करेगा -

राज्य की वित्तीय क्षमता। गैर-न्यायोचित खंड का प्रावधान इस कारण से किया गया था कि एक शिशु राज्य नहीं करेगा

इन्हें पूरा न करने के लिए तुरंत जवाबदेह बनाया जाए दायित्व। केवल इसलिए कि निर्देशक सिद्धांत हैं

न्यायिक प्रक्रिया द्वारा न्यायोचित नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि

वे अधीनस्थ महत्व के हैं। [पैरा 173] [170-ए-सी]

9.4 संविधान का 14 वाँ संशोधन

संयुक्त राज्य अमेरिका और 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम का शीर्षक VI, विश्वविद्यालयों को भेदभाव करने से रोकता है

नस्ल, रंग, राष्ट्रीय जैसे वर्गीकरणों का आधार

संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले दशकों के न्यायशास्त्र, एक भारी बोझ रहा है

उन संस्थानों पर रखा गया जिनकी सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों को संयुक्त राज्य अमेरिका के समक्ष चुनौती दी जाती है

उच्चतम न्यायालय उन आधारों पर जिन्हें संदिग्ध या असंवैधानिक के रूप में मान्यता दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार

स्वाभाविक रूप से संदिग्ध क्योंकि वे संदिग्ध रूपों पर भरोसा करते हैं वर्गीकरण (जैसे नस्ल)। इसलिए, क्योंकि

वर्गीकरण के रूप स्वाभाविक रूप से संदिग्ध हैं, अदालतों ने सभी सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों पर भरोसा किया है

उन पर जांच के एक बहुत ही उच्च मानक के लिए, जिसमें अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

जो इन सकारात्मक कार्य कार्यक्रमों का अभ्यास कर रहे हैं

प्रमाण के एक बहुत ही उच्च मानक का पालन करना पड़ता है, जिसे हम "सख्त जांच" परीक्षण के रूप में जानते हैं। [पैरा 176] [172-जी;

173 - ए-डी]

9.5 अतीत के अन्यायों को दूर करने के उद्देश्य से सभी प्रयास

लोगों के कुछ चिन्हित समूहों के खिलाफ, जो थे

अतीत में अवैध रूप से भेदभाव किया गया, पर्याप्त औचित्य और सभी सकारात्मक कार्रवाई के रूप में कार्य करता है

इस उद्देश्य के साथ लागू किए जाने वाले कार्यक्रम सेवा प्रदान करते हैं।

सभी को हटाने में बाध्यकारी संस्थागत हित

अतीत में हुए भेदभाव के अवशेष।

[पैरा 177] [173-एफ-जी]

9.6 "सख्त जांच" परीक्षण का दूसरा भाग है

" संकीर्ण सिलाई "परीक्षण। विश्वविद्यालय, जिसका सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, को यह साबित करने की आवश्यकता है कि यह सकारात्मक है।

कार्य कार्यक्रम को सबसे कम संभव तरीके से तैयार किया गया है, ताकि केवल विशिष्ट लोगों को ही लाभ हो।

जिन लोगों को लाभान्वित किया जाना है, इस प्रकार सकारात्मक कार्रवाई के "सम्मोहक उद्देश्यों" को पूरा करते हुए

कार्यक्रम। कार्यक्रम को व्यापक रूप से नहीं बनाया जा सकता है।

लोगों के एक बड़े समूह को शामिल करने का तरीका, और यह है

न्यूनतम संभव आवश्यकता को पूरा करने के लिए, ताकि

अपने लक्षय को प्राप्त करें। अन्यथा, यह संभव है कि

अन्य लोगों के अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है, जो सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम को असंवैधानिक बना देगा। [पैरा 178] [175-ए-सी]

9.7 सख्त जांच परीक्षण का पहला अंग कि

यह स्पष्ट करता है कि "सम्मोहक संस्थागत हित" उन उद्देश्यों पर केंद्रित है जिन्हें प्राप्त करने के लिए सकारात्मक कार्य कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। दूसरा अंग,

"संकीर्ण सिलाई", के विवरण पर केंद्रित है

विशिष्ट सकारात्मक कार्य कार्यक्रम और विशिष्ट लोगों को लाभान्वित करना इसका उद्देश्य है। [पैरा179] [175-डी-ई]

9.8 इसके अलावा, भारत में अदालतों के साथ-साथ [2008] 4 एस. सी. आर.

संयुक्त राज्य अमेरिका में, चरम के साथ देखा है किसी भी कानून पर सावधानी और देखभाल जिसका उद्देश्य है

अमेरिका में नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव करना

भारत। इसलिए यह इस प्रकार है कि सरकार इलाज कर सकती है

लोग अपनी जाति के कारण अलग होते हैं लेकिन केवल उनके लिए

ऐसे कारण जो "बाध्यकारी सरकारी हित" के रूप में जाने जाते हैं। [पारस 181,182] [175-जी; 176-बी-सी]

9.9 किसी भी सकारात्मक कार्य कार्यक्रम के जीवित रहने के लिए

न्यायिक जांच के सख्त मानक, अदालतें चाहती हैं

" सम्मोहक साक्षय ", जो बिना किसी संदेह के साबित होता है

कि सकारात्मक कार्य कार्यक्रम संकीर्ण रूप से तैयार किया गया है और

केवल सबसे सम्मोहक हितों की सेवा करता है। इस प्रकार,

प्रभावी ढंग से उठाया गया। इसलिए ऐसे मामलों में जहां ए आकर्षक रुचि पाई जाती है, जाति-आधारित तरीके हो सकते हैं

अन्य सभी विधियों पर विचार करने के बाद ही उपयोग किया जाता है

और कमी पाई, और वह भी केवल उस सीमित सीमा तक

जो एक भेदभाव को दूर करने के लिए आवश्यक है

पहचान की गई है, और केवल तभी जब यह दिखाया गया है कि पहचान किए गए लाभार्थियों को पहले में नुकसान उठाना पड़ा है अतीत में और अंत में, केवल तभी जब अन्य गैर-लाभार्थियों के अधिकारों पर पड़ने वाले सभी अनुचित बोझों से बचा जाए।

[पैरा 183] [176-सी-ई]

9.10 संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किए गए सिद्धांतों को सीधे लागू नहीं किया जा सकता है

संवैधानिक प्रावधानों द्वारा समर्थित और नहीं है "संदिग्ध विधान" के सिद्धांतों को लागू किया और इस सिद्धांत का पालन कर रहे हैं कि प्रत्येक विधान पारित होता है।

संसद द्वारा संवैधानिक रूप से मान्य माना जाता है

जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए। अमेरिकी निर्णय भारत पर सख्ती से लागू नहीं होते हैं। इस प्रकार, अधिनियम 5 को चुनौती

2007 इस आधार पर कि यह "सख्त" नहीं है

जांच "परीक्षण और इस कानून को लागू करने के लिए कोई" बाध्यकारी राज्य आवश्यकता "स्वीकार नहीं की जा सकती है।

21

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। [पारस 184,185] [176-एफ-एच; 177-ए, ई]

मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम

दोराईराजन 1951 एससीआर 525; मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य। बनाम संघ

भारत और ओआरएस। ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 1789 = (1980) 3 एस. सी. सी. 625; परम पूज्य केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम राज्य

केरल (1973) सप. एससीआर 1 = (1973) 4 एससीसी 225; एम. आर. बालाजी

& अन्य बनाम मैसूर राज्य (1963) पूरक। 1 एस. सी. आर. 439 = आकाशवाणी

1963 एससी 649; केरल राज्य बनाम। एन. एम. थॉमस 1976 (2) एससीसी

एस. सी. आर. 721; भीकाजी नारायण धक्रस और अन्य। बनाम। राज्य का मध्य प्रदेश और अन्र. (1955) 2 एससीआर 589; ए. एस. कृष्णा बनाम।

मद्रास राज्य (1957) एस. सी. आर. 399; परमेश्वर प्रसाद और

अन्य बनाम बिहार राज्य और एक अन्य 1962 पूरक। (3) एससीआर

369 रे में। केरल शिक्षा विधेयक, 1957,1959 एस. सी. आर. 995;

मिनर्वा मिल्स ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 1789, सौरभ चौधरी बनाम।

भारत संघ 2003 (11) एस. सी. सी. 146-संदर्भित।

सिटी ऑफ रिचमंड बनाम जे. ए. क्रॉसन कं. 488 यू. एस. 469

(1989) ; ड्रेड स्कॉट बनाम सॉन्डर्स, 60 यू. एस. 393 (1856); प्लासी

बनाम फर्ग्यूसन 163 यू. एस. 537 (1896); ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ

शिक्षा 347 यू. एस. 483; रीजेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बनाम बक्के 438 यू. एस. 265 (1978); स्वीज़ी बनाम न्यू हैम्पशायर (1957) 354 यूएस 234; कीशियन बनाम बोर्ड ऑफ रीजेंट्स (1967) 385 यूएस 589 और अदारंड कंस्ट्रक्टर्स इंक। बनाम पेना (1995)

515 यू. एस. 200-संदर्भित।

10. " पिछड़ा वर्ग कोई नया शब्द नहीं है। गुज़र रहा है।

संविधान, पर्याप्त संवैधानिक हैं

"पिछड़ा वर्ग" क्या है, इस बारे में एक विचार रखने का प्रावधान। संविधान का अनुच्छेद 340 विशेष रूप से सशक्त बनाता है।

एक आयोग नियुक्त करने के लिए भारत के राष्ट्रपति

सामाजिक स्थिति की जाँच करें और

क्षेत्र के भीतर शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग

भारत। संविधान के अनुच्छेद 15 (4) में नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का उल्लेख किया गया है।

जिसने संविधान में पहला संशोधन किया।

संविधान के अनुच्छेद 16 (4) में भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों का उल्लेख किया गया है। यह केवल अधिनियम 5 के उद्देश्य के लिए है।

2007 कि भारत संघ को सौंपा गया है

पिछड़े वर्ग का निर्धारण करने का कार्य। पहले से ही है

इस देश में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के मामलों से निपटने वाले आयोग। के उद्देश्य के लिए अनुच्छेद 16 (4) के तहत पारित कानून का प्रवर्तन,

नागरिकों के पिछड़े वर्ग की पहचान पहले ही की जा चुकी है

और यह पिछले 14 वर्षों से प्रचलन में है। इसमें है।

पिछड़े वर्गों को निर्धारित करने का कार्य। द. पिछड़े वर्गों का निर्धारण स्वयं एक श्रमसाध्य कार्य है

कार्य और संसद इसे अपने दम पर नहीं कर सकती। यह गलत है। यह कहने के लिए कि निर्धारित करने के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश नहीं हैं

जाति या व्यक्तियों का समूह पिछड़े वर्ग में शामिल है। वर्ग, यह किसी भी व्यक्ति को चुनौती देने के लिए खुला है

न्यायिक समीक्षा के माध्यम से इसलिए, यह कहना गलत है कि भारत संघ को व्यापक शक्तियां दी गई हैं -

पिछड़े वर्गों का निर्धारण करें। अधिनियम 5 को चुनौती

उस आधार पर 2007 विफल हो जाता है। [पैरा 186] [178-बी-जी]

11. यह तर्क दिया गया था कि जब तक अवधि निर्धारित नहीं की जाती है, तब तक यह सकारात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।

अनिश्चितकालीन अवधि और अंततः इसके विपरीत परिणाम होगा

भेदभाव। यह सच है कि इसमें कुछ बल है

विवाद लेकिन यह भविष्य में हो सकता है यदि अधिनियम के तहत विचार की गई आरक्षण नीति सफलतापूर्वक लागू हो जाए।

लागू किया गया। लेकिन शुरुआत में, यह संभव नहीं हो सकता है

एक समय सीमा या समय की अवधि तय करें। के आधार पर

नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति और शैक्षिक उन्नति में किए गए उपायों और सुधारों का परिणाम,

भविष्य में संसद द्वारा इस मामले की जांच की जा सकती है। समय लेकिन यह एक अशोक कुमार ठाकुर बनाम को मारने का आधार नहीं हो सकता है।

भारत और ओआरएस का संघ। 23

कानून। कुछ समय के बाद, यदि ऐसा होता है कि कोई

समुदाय के वर्ग को सकारात्मक कार्रवाई का अनुचित लाभ मिलता है, तो ऐसे समुदाय को इस तरह के सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम से बाहर रखा जा सकता है। द.

संसद निश्चित रूप से स्थिति की समीक्षा कर सकती है और यहां तक कि

हालांकि नागरिकों का एक विशिष्ट वर्ग कानून में है, यह

क्या इस तरह की समीक्षा करना संसद का संवैधानिक कर्तव्य है

सकारात्मक कार्रवाई जब और जब सामाजिक स्थितियां होती हैं आवश्यकता है। न्यायिक समीक्षा की सुरक्षा भी है।

और न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। और कहें कि सकारात्मक कार्रवाई ने अपने मिशन को पूरा कर लिया है और इस प्रकार अब इसकी आवश्यकता नहीं है। के मामले में

पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण, हो सकता है

10 वर्ष की अवधि के बाद एक आवधिक समीक्षा और

संसद इस बात की जांच कर सकती है कि क्या आरक्षण ने देश की भलाई के लिए काम किया है। इसलिए,

उस आधार पर विधान को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है लेकिन 10 साल की अवधि के बाद समीक्षा की जा सकती है।

[पैरा 187] [17-डी-एच; 180-ए]

12. हालांकि स्वतंत्रता प्राप्त करने के समय,

मूल विचार प्राथमिक और माध्यमिक स्तर में सुधार करना था। शिक्षा, लेकिन अब, 50 से अधिक वर्षों की अवधि के बाद,

यह तर्क देना व्यर्थ है कि पिछड़े वर्गों का निर्धारण केवल उनकी शिक्षा प्राप्त करने के आधार पर किया जाएगा

10 + 2 के स्तर तक। भारत में बड़ी संख्या में

कला, विज्ञान और व्यावसायिक महाविद्यालयों और शिक्षा के क्षेत्र में यह तर्क देना कालातीत है कि प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा नागरिकों के पिछड़े वर्ग को निर्धारित करने का सूचकांक होगा। [पैरा 189] [181-एफ-जी]

13.1 किसी कानून को केवल इस पर चुनौती नहीं दी जा सकती है -

अनुचितता का आधार क्योंकि यह अपने आप में एक आधार नहीं है। एक संवैधानिक की वैधता

संशोधन और पूर्ण विधान की वैधता का निर्णय विशुद्ध रूप से संवैधानिक कानून के प्रश्नों के रूप में किया जाना चाहिए।

इसलिए, यह दलील कि कानून स्वयं ही अभिप्रेत था

वोट के हिस्से के रूप में समुदाय के एक वर्ग को खुश करने के लिए 24

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

पकड़ने का तंत्र कानूनी रूप से स्वीकार्य याचिका नहीं है और इसे केवल अस्वीकार किया जाना है। [पैरा 191,192] [182-एफ-जी; 183-बी]

13.2 के तहत प्रदान किए गए आरक्षण की मात्रा

2007 का अधिनियम 5 उपलब्ध विस्तृत तथ्यों पर आधारित है। संसद। विभिन्न आयोगों ने

एस. ई. बी. सी. का गठन कौन करेगा, यह निर्धारित करने का कार्य। हालाँकि जाति-वार जनगणना उपलब्ध नहीं है, लेकिन कई अन्य

आँकड़े और आँकड़े उपलब्ध हैं। इंद्र के मामले में

साहनी, मंडल आयोग को स्वीकार किया गया था

सिद्धांत हालांकि विवरण और निष्कर्ष

इस न्यायालय द्वारा आयोगों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था। 27 % रोजगार के मामले में आरक्षण स्वीकार कर लिया गया था

इस न्यायालय द्वारा। याचिकाकर्ताओं ने कोई प्रस्तुति नहीं दी है।

यह दिखाने के लिए दस्तावेज कि पिछड़े वर्ग के नागरिक हैं

इसकी कुल जनसंख्या 27 प्रतिशत से कम है।

देश या कि 27 प्रतिशत की कोई आवश्यकता नहीं थी

उनके लिए आरक्षण। संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है और यह माना जाना चाहिए कि उसने इस प्रकार का कोई विधान पारित करते समय सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। विरोध करना व्यर्थ है।

क्या संसद सांख्यिकीय विवरण से अवगत नहीं थी

यह नहीं सोचता है कि अधिनियम में प्रदान किया गया 27 प्रतिशत आरक्षण अवैध है या उस कारण से, अधिनियम स्वयं ही निरस्त होने योग्य है। नीचे। [पैरा 193] [183-सी-एफ]

इंद्र साहनी बनाम भारत संघ और अन्य। 1992 सप. (3)

एस. सी. सी. 215 और राजस्थान राज्य और अन्य। बनाम भारत संघ और अन्य (1977) 3 एस. सी. सी. 592-संदर्भित।

डॉ. अरिजीत पसायत के अनुसार, जे.

(अपने लिए और सी. के. ठक्कर, जे.)

1.1 यह कानून में एक तय स्थिति है कि संसदीय बहस का केवल सीमित उपयोग हो सकता है। अदालतों को करना चाहिए

आम तौर पर कार्यवाहियों का आलोचनात्मक विश्लेषण नहीं करता है

संसद। यह एक बहुत ही मौलिक पहलू से प्रवाहित होता है अर्थात।

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

25

संसद और न्यायपालिका का पारस्परिक सम्मान

एक-दूसरे। लोकतंत्र में इन महान संस्थानों में से प्रत्येक वे विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। यह उम्मीद नहीं की जाती है कि एक विंग

लोकतंत्र के काम करने के तरीके की आलोचना करेंगे

एक और पंख। यह बुनियादी के खिलाफ होगा पारस्परिक सम्मान की इच्छा। कोई राय या टिप्पणी हो।

या किसी के काम करने के तरीके के बारे में आलोचना

दूसरा न केवल अवांछनीय होगा बल्कि अनिवार्य भी होगा।

टालने योग्य। इस देश के नागरिकों को बहुत उम्मीद है

संसद और न्यायपालिका से। यह स्वाभाविक है कि इस देश के लोग निराश और निराश होंगे

दिल से और उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी अगर इसके बजाय

एक-दूसरे के प्रति सम्मान दिखाते हुए, कीचड़ उछल रहा है,

अवांछित आलोचना या अस्वीकार्य आलोचना

कार्य करने का तरीका या किसी निर्णय या लिए गए दृष्टिकोण का तर्क। [पैरा 10] [191-जी-एच; 192-ए-सी]

बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ और Ors.1995 सप (1) एस. सी. सी. 41; के. नागराज और अन्य। वी. की स्थिति

आंध्र प्रदेश और अन्र। 1985 (1) एससीसी 523; मैसूर राज्य

वी. आर. वी. बिदप 1974 (3) एस. सी. सी. 337-पर निर्भर था।

1.2 यदि भारत के विभिन्न कानूनों को देखा जाए,

संविधान का अनुच्छेद 14 अमेरिकी संविधान के 14 वें संशोधन से वैचारिक रूप से अलग है। [पैरा 14] [196 - बी]

सौरभ चौधरी और ओआरएस। वी. भारत संघ और ओआरएस।

(2003) 11 एस. सी. सी. 146; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। अनवर अली सरकार

1952 एस. सी. आर. 284; बॉम्बे राज्य और ए. एन. आर. वी. एफ. एन. बलसारा 1952

एस. सी. आर. 682-संदर्भित।

सांविधिक संविधान पृष्ठ 388 पर क्रॉफर्ड-निर्दिष्ट

को।

1.3 इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि औपचारिक समानता

अपनी स्थापना के लगभग 10 वर्षों के बाद यू. एस. ए. में अवधारणा को मान्यता मिली। अमेरिका के पहले चरण में।

संवैधानिक कानून केवल सकारात्मक कार्रवाई थी लेकिन [2008] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26

भारतीय संविधान में शुरू से ही सकारात्मक कार्रवाई प्रदान की गई है, उदाहरण के लिए,

अनुसूचित जातियों और अनुसूचियों के लिए किए गए प्रावधान

46 संविधान की स्थिति स्पष्ट करती है कि राज्य के हितों की रक्षा करने का कर्तव्य राज्य पर है।

लोगों के कमजोर वर्गों और कम से कम

अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। [पैरा 15] [197-जी-एच; 198-ए-बी]

इंद्र साहनी बनाम। भारत संघ और ओआरएस। 1992 सप. (3)

एस. सी. सी. 215; मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य। वी. भारत संघ और

ओआरएस। (1980) 3 एस. सी. सी. 625; परम पूज्य केशवानंद भारती

श्रीपदगलवरु बनाम। केरल और अन्र राज्य। (1973) 4 एससीसी 225;

महाराष्ट्र शुगर मिल्स लिमिटेड. ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 845; किहोटो

होलोहन बनाम। ज़चिल्लू और ओआरएस। 1992 पूरक (2) एस. सी. सी. 651; श्री

सरवन सिंह और अन्र। वी. श्री कस्तूरी लाल (1977) 1 एस. सी. सी. 750;

जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड बनाम यू. पी. राज्य और

एन. आर. (1961) 3 एससीआर 185; आर. एम. डी. चमरबागवाला बनाम यूओआई 1957

एससीआर 930; एम्स छात्र संघ बनाम। एम्स (2002) 1 एस. सी. सी. 428

संदर्भित किया गया।

प्लेसी वी। फर्ग्यूसन 163 यू. एस. 537 (1986)-संदर्भित।

1.4 ' सख्त जांच तीन मानकों में से एक है

विधायी और प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा

संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित, दूसरा "तर्कसंगत" है

"आधार" और "मध्यवर्ती जांच"। [पैरा 30] [212-सी]

संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। कैरोलीन उत्पाद 304 U.S.144 (1938);

स्किनर वी. ओकलाहोमा 316 यू. एस. 535 (1942)-संदर्भित।

1.5 यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अमेरिकी समाज में प्रचलित अलगाव का सिद्धांत बहुत अधिक नहीं है।

भारतीय परिदृश्य में परिणाम। इसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

कि 'सख्त जांच' अभिव्यक्ति का भी उपयोग किया गया है

भारतीय न्यायालयों द्वारा, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उपयोग अशोक कुमार ठाकुर बनाम में किया गया था।

भारत और ओआरएस का संघ। 27 अलग संदर्भ। वास्तव में इरादा क्या प्रतीत होता है

अभिव्यक्ति के उपयोग के लिए "सावधान और गहरा" है

जांच "और सख्त जांच के अर्थ में नहीं

अमेरिकी न्यायशास्त्र में प्रचलित प्रावधान।

इसका उपयोग अलग-अलग अर्थों में किया जाता है। आवेदन प्रतीत होता है कि

अमेरिकी न्यायालयों में तकनीकी अर्थों में हो। [पैरा 35]

[214 - जी-एच; 215-ए]

नरेंद्र कुमार और अन्य। V. भारत संघ और अन्य।

(1960) 2 एस. सी. आर. 375-संदर्भित।

रीजेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बनाम। एलन बक्के 438

यू. एस. 265; ग्रुटर बनाम। बोलिंगर 539 यू. एस. 303-को संदर्भित किया गया।

1.6 हालांकि 1919 और 1935 के तहत भी

भारत सरकार कुछ वर्गों के अधिकारों को लागू करती है - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे लोग और

वंचित वर्गों को मान्यता दी गई है, अमेरिका में, व्यक्तियों को अधिकार प्रदान किए गए हैं और बहुत कुछ

समूहों में। भारतीय द्वारा विचार की गई स्वतंत्रताएँ संविधान मूल रूप से सात श्रेणियों से संबंधित है जो

संपत्ति के अधिकार हटाए जाने के बाद वर्तमान में यह छहवें स्थान पर है। [पैरा 40] [218-सी-डी]

केरल राज्य बनाम। एन. एम. थॉमस और अन्य। (1976) 2 एससीसी

310 ; ए. के. रॉय बनाम भारत संघ (1982) 1 एस. सी. सी. 271-संदर्भित।

1.7 अंतिम उद्देश्य उन लोगों को लाना है जो

एक स्तर तक वंचित जहाँ वे अब जारी नहीं रहते हैं

लाभहीन होना। इस पर कोई जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति

हटा दिया गया। फिर भी तथ्य यह है कि कोई बहिष्कार नहीं किया गया है असमानता को दूर करने के लिए वास्तविक चिंता के बारे में संदेह पैदा करता है।

अंतिम उद्देश्य लोगों को एक विशेष स्थान पर लाना है।

स्तर ताकि अवसर की समानता हो सके। उस में

संदर्भ में, न्याय और निवारण सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। कानून में केवल समानता नहीं होनी चाहिए, बल्कि

वास्तव में समानता। [पैरा 44 और 45] [220-सी-ई] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

28

[2008] 4 एस सी आर।

1.8 यह सच है कि सरकार का एक बड़ा क्षेत्र है

अपनी प्राथमिकताओं को चुनने में विवेक। लेकिन एक कारक ऐसा नहीं कर सकता।

दृष्टि खो दें। बुनियादी जोर प्राथमिक शिक्षा पर होना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप

अधिक खर्च करने की आवश्यकता में कमी आएगी।

उच्च शिक्षा के लिए धन। प्राथमिक और प्राथमिक पर जोर

प्राथमिक शिक्षा इस दिशा में एक छलांग होगी।

उच्च शिक्षा। काफी संख्या में हुआ है उच्च कक्षाओं में ड्रॉपआउट। यह एक वास्तविकता है, हालांकि

सरकार द्वारा अपनाए गए सभी कदमों के बारे में

यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक विशेष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को

संविधान के अनुसार शिक्षा

मौलिक अधिकार। [पैरा 50] [226-सी-ई]

एम्स छात्र संघ बनाम। एम्स (2002) 1 एस. सी. सी. 428; उन्नी

कृष्णन जे. पी. और अन्य। वी. ए. पी. और अन्य का राज्य। (1993) 1 एससीसी

645 ; एन. एम. थॉमस और अन्य। (1976) 2 एस. सी. सी. 310; इंद्र साहनी

वी. भारत संघ और ओआरएस। 1992 मान लीजिए (3) एस. सी. सी. 215; इंद्र

साहनी वी। भारत संघ (1996) 6 एस. सी. सी. 506; के. नागराज और
ओआरएस। वी. ए. पी. और ए. एन. आर. (1985) 1 एस. सी. सी. 523-संदर्भित।

2.1 यह इंदिरा साहनी में उचित रूप से देखा गया है।

नंबर 2 क्या मलाईदार परत को बाहर नहीं किया गया है या क्या

पिछड़े वर्गों को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है।

कक्षाएँ, स्थिति समान होगी और वहाँ होगी

न केवल अनुच्छेद 14 का बल्कि संविधान की मूल संरचना का भी उल्लंघन

संविधान। जैसा कि उक्त मामले में सही देखा गया था,

मलाईदार परत का गैर-अपवर्जन या आगे का समावेश

पिछड़े वर्गों की सूचियों में जातियां पूरी तरह से अवैध होंगी।

अवैधता जड़ों और नींव को आहत करती है

संविधान और इसे कायम रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

यहां तक कि इस उद्देश्य के लिए मलाईदार परत का गैर-बहिष्कार भी

शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश नहीं हो सकता है

मुखरता से। यह अकल्पनीय है कि एक व्यक्ति जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से मलाईदार परत से संबंधित है

पीछे की ओर। पिछड़ेपन की स्थिति गायब हो जाती है जब

कोई क्रीमी परत का हिस्सा बन जाता है। [पैरा 61

और 63] [257-डी-एच; 258-ए] अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

29

इंद्र साहनी बनाम। भारत संघ और ओआरएस। 1992 सप. (3)

एस. सी. सी. 215; नायर सर्विस सोसाइटी बनाम। केरल राज्य (2007) 4

1985 (एस. सी. सी. 714; एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर वायु राज्य 1963 एससी 649-संदर्भित।

2.2 केंद्र द्वारा सूचियों का आवधिक संशोधन

सरकार एक वैधानिक अधिदेश है। याचिकाकर्ताओं ने

इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई बहिष्करण नहीं है और दूसरी ओर

हाथ वहाँ समावेश किया गया है। जातियों के सवाल पर गणना में इस बात पर जोर दिया गया है कि 1931 की जनगणना नहीं हुई थी

अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान का आधार। में।

तथ्य यह है कि केंद्रीय ओ. बी. सी. सूची के आधार पर तैयार नहीं की गई है

1931 जनगणना। प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग तरीके हैं

पहचान। केवल मात्रा के उद्देश्य के लिए

जनसंख्या एक आधार प्रदान करती है। [पैरा 75] [273-डी-ई]

2.3 इस पर कोई जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि यदि अंततः और

निर्विवाद रूप से संवैधानिक लक्षय जातिविहीन और

वर्गहीन समाज में पिछड़े वर्ग अधिनियम का अधिक प्रभावी कार्यान्वयन होना चाहिए। द.

धारा 11 के तहत किया जाना आवश्यक अभ्यास

उक्त अधिनियम का उद्देश्य एक नियमित अभ्यास होना नहीं है और

निरर्थकता में एक अभ्यास भी नहीं। यह न केवल प्रभावी होना चाहिए बल्कि परिणाम उन्मुख भी होना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने प्रकाश डाला है

इसे लागू करने में सरकार की गंभीरता की कमी

व्यायाम। भारी मात्रा में डेटा लाया गया है

इस संबंध में रिकॉर्ड करें। रिपोर्टों के संदर्भ में

आयोग, उत्तरदाताओं ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि आयोग पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा है और पिछड़े वर्ग को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से

वर्ग अधिनियम। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है। देश में पिछड़े वर्गों की संख्या के बारे में ठोस आंकड़े

उपलब्ध नहीं प्रतीत होता है। सर्वेक्षण किया गया

प्रतिशत 52 प्रतिशत नहीं है जैसा कि द्वारा उजागर किया गया है उत्तरदाताओं। [पैरा 76] [273-एफ-एच; 274-ए-बी] 30

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

2.4 इस मोड़ पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछड़े वर्ग अधिनियम को पूरी तरह से कार्यात्मक अधिदेश बनाने के लिए

केंद्र सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों का निर्धारण, जिनके लिए क़ानून अभिप्रेत है। निर्विवाद रूप से, ऐसा संकल्प नहीं किया गया है। दलील यह है कि

आधी सदी से अधिक समय से पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है अन्य पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए दिया गया

उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का मामला।

यह जल्दबाजी में काम करने का आधार नहीं हो सकता। निर्धारित आंकड़े। यह हो सकता है कि प्रतिशत कर सकते हैं

निश्चित रूप से 27 प्रतिशत से कम नहीं होगा। लेकिन यह पहचान परीक्षण के रूप में महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं है। में

सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि पिछड़े वर्ग के नागरिक। गरीबी कोई जाति नहीं जानती। गरीब।

कोई जाति नहीं है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण वर्ग है। यह आम जानकारी की बात है कि जाति की संस्था एक भारतीय संस्थान की विशिष्टता जब विद्वानों के बीच इस बात को लेकर काफी विवाद है कि जाति कैसे है

इस प्रणाली की उत्पत्ति इसी देश में हुई थी। मूल रूप से, वहाँ थे

चार मुख्य जातियाँ जिन्हें वर्ण के नाम से जाना जाता है। लेकिन धीरे-धीरे जातियाँ

और सामाजिक ताने-बाने के विस्तार के साथ उप-जातियाँ कई गुना बढ़ गईं

लोगों के विभिन्न समूहों के अवशोषण के साथ जो

आस्थाएँ। जाति व्यवस्था अपने शुरुआती चरण में काफी अच्छी थी। लोचदार लेकिन समय के साथ यह धीरे-धीरे आनुवंशिकता पर आधारित एक कठोर ढांचे में कठोर हो गया। अपरिहार्य परिणाम

सामाजिक असमानता थी। किसी समय व्यवसाय में

जातियों के निर्धारण की पृष्ठभूमि थी। हो सकता है, किसी समय यह आय पर निर्भर करता हो व्यक्तिगत। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसने विभिन्न जातियों की स्थिति के अंतर के साथ विनाशकारी मोड़ ले लिया है। लेकिन पारगमन

समय से पता चलता है कि व्यावसायिक लेबल ने बहुत कुछ खो दिया है

इसका महत्व। लेकिन साथ ही, गरीब और

दलित जो अपनी ही जाति से ताल्लुक रखते हैं, वे गरीबों के संस्थापक थे। [पैरा 78] [274-सी-एच; 275-ए-बी]

इंद्र साहनी बनाम। भारत संघ और ओआरएस। 1992 सप. (3)

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 31

एस. सी. सी. 215-संदर्भित।

2.5 जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, उनका सह-अस्तित्व होना चाहिए। यदि मलाईदार परत को आर्थिक रूप से बाहर रखना है

पिछड़े वर्गों को शामिल करना होगा। यह होगा कि सामाजिक संतुलन और वह सही अर्थ देगा।

संविधान के उद्देश्य। सामाजिक सशक्तिकरण

यह निश्चित रूप से केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक उपाय नहीं हो सकता है और न ही हो सकता है। इसके लिए भी होना चाहिए

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। जब तक कि

यह संतुलन, जो बहुत नाजुक है, बनाए रखा जाता है

प्रणाली अनिवार्य रूप से एक दरार विकसित करेगी और यह दरार हो सकती है

एक निश्चित समय के बाद जुड़ना मुश्किल हो जाता है। समाज को जातियों या वर्गों से अलग करने के बजाय यह होगा

अत्यधिक बोझ और एक समय आ सकता है जब हम आगे बोझ सहन नहीं कर पाएंगे। समयोचित इस संबंध में उठाए गए कदम भारतीय समाज को बचाएंगे और

के कारण पतन की आपदा से लोकतंत्र

कुछ ऐसा जिसे संविधान मिटाना चाहता है।

[पैरा 85] [276-बी-ई]

मोटर जनरल ट्रेडर्स और ए. एन. आर. वी. आंध्र राज्य

वी. एन. एम. थॉमस और अन्य। (1976) 2 एस. सी. सी. 310-संदर्भित। 2.6 ' समानता 'और' उत्कृष्टता 'दो परस्पर विरोधी दावे हैं जिनका मिलान करना मुश्किल है। संविधान, क्रम में

जो स्पष्ट रूप से सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए वांछनीय है, हालांकि योग्यता की कीमत पर। हालांकि, संविधान करता है

'संस्थागत आरक्षण' के लिए बिल्कुल भी प्रावधान नहीं है। इसलिए, इसकी संवैधानिकता को अनुच्छेद 14 के आधार पर आंका जाना चाहिए। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मामले सामने आए

में प्रवेश के लिए संस्थागत वरीयता के बारे में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और सुपर स्पेशलिटी।

न्यायपालिका आगे आई और विस्तृत रूप से निर्धारित किया इस तरह की वरीयता की आवश्यकता को शामिल करने वाले सिद्धांत और [2008] 4 एस. सी. आर.

इस तरह के आरक्षण की सीमा को सीमित करने के लिए

राष्ट्रीय हित के संदर्भ में योग्यता का महत्व और

सुपर में सार्वभौमिक उत्कृष्टता का अंतर्राष्ट्रीय महत्व

विशिष्टताएँ। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि फिक्सिंग के लिए नींव

27 % ऐसा प्रतीत होता है कि 52 प्रतिशत आबादी

ओ. बी. सी. से संबंधित हैं। इसके लिए कोई समर्थन योग्य डेटा नहीं है।

प्रस्ताव। वास्तव में, विभिन्न आयोगों में

समय के बिंदुओं के अलग-अलग आंकड़े होते हैं। यह उत्तरदाताओं का रुख है कि किसी भी आयोग ने तय नहीं किया है

प्रतिशत 52 प्रतिशत से कम है और इसलिए 27 प्रतिशत पर प्रतिशत निर्धारित करने में कुछ भी गलत नहीं है। यह बात नहीं है

सही दृष्टिकोण। यह हो सकता है कि किसी भी मामले में ओ. बी. सी. से संबंधित व्यक्तियों का प्रतिशत 27 प्रतिशत से कम न हो लेकिन

किसी मामले में इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वास्तविक प्रतिशत 40 प्रतिशत है जो 27 प्रतिशत से कम होना चाहिए।

ठीक कर दिए गए हैं। आयोग ने इसके अनुसार निर्धारित किया

ऐसा लगता है कि इस न्यायालय के निर्देशों ने कुछ हद तक काम किया है

बहिष्करण का दावा करने वाले लोगों द्वारा दायर याचिकाओं पर या

समावेशन। यह इस न्यायालय का वास्तविक उद्देश्य नहीं था।

आयोग की सीधी नियुक्ति का निर्णय। इसका उद्देश्य ही वर्गों की पहचान करना था। यह थी कवायद

जिस पर विचार करने के अलावा किया जाना था

यथास्थिति समावेशन या बहिष्करण के लिए आवेदन

बनो। जैसा कि मामले की शुरुआत में स्वीकार किया गया है

यह ध्यान में रखा जाए कि यह उल्लंघन नहीं करता है समानता के सिद्धांत जिनका यह एक हिस्सा है और/या अनुचित रूप से अन्य बुनियादी बातों को रोकता या प्रतिबंधित करता है

स्वतंत्रता और यह कि यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता है। [पैरा 90 और 91] [282-जी-एच; 283-ए-एच]

3.1 इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि अनुच्छेद 15 (4), 15 (5) और

16 (4) अनुच्छेद 14 की आवश्यकताओं का पालन करना होगा

और कई अन्य प्रावधानों में लगाया गया अनुशासन जैसे

अनुच्छेद 15 (4) (ए) और 15 (4) (बी), हालांकि, वे अशोक कुमार ठाकुर बनाम का एक हिस्सा हैं।

भारत और ओआरएस का संघ। 33

समानता की अवधारणा, जिनमें से प्रत्येक हमारे में पाया जाता है

संविधान। यह कानून में एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय किसी वैधानिक प्रावधान में कुछ भी नहीं पढ़ सकता है।

जो स्पष्ट और असंदिग्ध है। एक कानून एक आदेश है

विधायिका। कानून में प्रयुक्त भाषा है -

संदर्भ। किसी कानून की व्याख्या करने का उद्देश्य इसे लागू करने वाले विधानमंडल के इरादे का पता लगाना है। [पैरा 92,93 और 94] [284-ए-सी]

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान बनाम मेसर्स कीमत

वाटरहाउस और एन. आर. ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 74-पर निर्भर था।

गुजरात राज्य और अन्य। वी. दिलीपभाई नाथजीभाई पटेल

और एन. आर. जे. टी. 1998 (2) एस. सी. 253; जामा मस्जिद मरकारा बनाम। कोडिमानियांद्र देवैया और अन्य। ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 847; डी.

वेंकटचलम और ओआरएस। आदि वी। डी. परिवहन आयुक्त

और ओआरएस। आदि। AIR 1977 SC 842; बिक्री कर आयुक्त, एम. पी. बनाम. लोकप्रिय व्यापार कंपनी, उज्जैन (2000) 5. एस. सी. सी. 511

और, भारत संघ और अन्य। वी. फिलिप टियागो डी गेम ऑफ वेडेम

वास्को डी गामा एयर 1990 एससी 981-संदर्भित।

क्रॉफर्ड बनाम। स्पूनर 1846 (6) मूर पी. सी. 1, स्टॉक बनाम। फ्रैंक

जोन्स (टिप्टन) लिमिटेड 1978 (1) ऑल ई. आर. 948; (एच. एल.), लेनिघ वैली

कोयला कं. वी. येनसावेज 218 एफआर 547-संदर्भित।

3.2 निर्माण के दो सिद्धांत-एक संबंधित

केसस ओमिसस और दूसरा पढ़ने के संबंध में

समग्र रूप से कानून-अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होता है। पहले सिद्धांत के तहत एक केसस ओमिसस की आपूर्ति नहीं की जा सकती है

स्पष्ट आवश्यकता के मामले को छोड़कर और जब

इसका कारण क़ानून के चार कोनों में पाया जाता है। स्वयं लेकिन एक ही समय में एक कैसस ओमिसस नहीं होना चाहिए

आसानी से अनुमान लगाया गया और उस उद्देश्य के लिए एक के सभी भागों

कानून या धारा का एक साथ अर्थ लगाया जाना चाहिए और प्रत्येक

किसी धारा के खंड का अर्थ संदर्भ के साथ लगाया जाना चाहिए।

संदर्भ और उसके अन्य खंडों के लिए ताकि

एक विशेष प्रावधान पर निर्माण करने के लिए एक [2008] 4 एस. सी. आर. बनाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

34

पूरे कानून का सुसंगत अधिनियमन। यह होगा

यदि किसी विशेष खंड का शाब्दिक निर्माण स्पष्ट रूप से बेतुका या विसंगत परिणामों की ओर ले जाता है जो

विधानमंडल द्वारा अभिप्रेत नहीं किया गया है। [पैरा 98]

[285 - एफ-एच; 286-ए]

आर्टेमिउ वी। प्रोकोपियो (1966 1 क्यू. बी. 878); ल्यूक बनाम। आईआरसी

(1963 ए. सी. 557); फेंटन बनाम। हैम्पटन (1858) XI मूर, पी. सी. 347; जोन्स वी। स्मार्ट (1 टी. आर. 52)-संदर्भित।

3.3 वसीयतों, विधियों के अर्थ में सुनहरा नियम और,

वास्तव में, सभी लिखित उपकरणों को इस प्रकार कहा गया है: द.

बाकी के साथ कुछ अस्वीकृति या असंगति उपकरण, जिस मामले में व्याकरणिक और साधारण

शब्दों के अर्थ को संशोधित किया जा सकता है, ताकि इससे बचा जा सके

बेतुकी और असंगतता, लेकिन आगे नहीं "। बाद वाला

हालाँकि, इस "सुनहरे नियम" के हिस्से को इसके साथ लागू किया जाना चाहिए

बहुत सावधानी बरतें। " यदि "", उपयोग किए गए सटीक शब्द सादे हैं और

हमारे निर्णय में असंदिग्ध, हम अर्थ लगाने के लिए बाध्य हैं

उन्हें उनके सामान्य अर्थों में, भले ही यह नेतृत्व करता है, एक बेतुका या प्रकट अन्याय। शब्दों को बदला जा सकता है

या भिन्न जहाँ उनका आयात संदिग्ध या अस्पष्ट है। लेकिन

जब हम प्रस्थान करते हैं तो हम विधायकों के कार्य ग्रहण करते हैं।

प्रयुक्त सटीक शब्दों के सामान्य अर्थ से,

केवल इसलिए कि हम देखते हैं, या कल्पना करते हैं, एक बेतुकी बात या उनके शाब्दिक पालन से प्रकट अन्याय

जिसका अर्थ है "। [पैरा 100] [286-एच; 287-ए-सी]

ग्रे वी। पियर्सन 1857 (6) एच. एल. Cas.61; एबले वी। डेल 11,

सी. बी. 378-संदर्भित।

4.1 जाति के आधार पर वर्गीकरण

दौड़ने में स्वाभाविक रूप से हानिकारक होने की प्रवृत्ति होती है।

इसलिए, तर्कसंगतता का परीक्षण लागू करना पड़ता है। कब

इसका उद्देश्य जातियों का उन्मूलन है, न कि जातिविहीन समाज और मुक्त समाज के लक्षय को प्राप्त करने के लिए निरंतरता। आशा कुमार ठाकुर बनाम के भीतर जाति न्यायिक समीक्षा के भेदभाव से।

भारत और ओआरएस का संघ। 35

अनुमेय सीमा से इंकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन साथ ही बाध्यकारी राज्य हित पर विचार किया जा सकता है जब तक कि

पिछड़ेपन का आकलन करना। गरीबी का प्रभाव

पिछड़ेपन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आर्थिक

मुक्ति और स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण हैं। [पैरा 101]

[287 - डी-एफ]

के. नागराज और अन्य। वी. ए. पी. और ए. एन. आर. का राज्य (1985) 1

एस. सी. सी. 523; मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1980) 3 एससीसी

625 ; टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य। वी. कर्नाटक राज्य

और ओआरएस। (2002) 8 एस. सी. सी. 481 संदर्भित है। 4.2 संविधान के प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जाना चाहिए और किसी भी भाग को अनावश्यक नहीं माना जा सकता है।

दोनों प्रावधान। अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) में कार्य करता है विभिन्न क्षेत्र हालांकि कुछ मात्रा में हो सकते हैं

अतिव्यापी लेकिन यह किसी भी तरह से नहीं होता है निष्कर्ष यह है कि अनुच्छेद 15 (5) अनुच्छेद 15 (4) में जो प्रावधान किया गया है उसे हटा देता है। [पैरा 106] [295-एफ]

4.3 एक निर्माण जो क़ानून को एक तक कम कर देता है

निरर्थकता से बचना चाहिए। किसी कानून या उसमें किसी अधिनियमन प्रावधान का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि वह

में व्यक्त सिद्धांत पर प्रभावी और कार्यात्मक

यदि संभव हो तो उन्हें बनाए रखने और लागू करने के लिए दलों का इरादा। [पैरा 107] [295-जी-एच; 295-ए]

ब्रूम 'ज़ लीगल मैक्सिम्स (10 वीं संस्करण), पी। 361 ; क्रेज ऑन।

क़ानून (7 वीं संस्करण)। पी. 95 और क़ानून पर मैक्सवेल (11 वीं संस्करण)

- संदर्भित किया गया।

4.4 एक क़ानून व्यवहार्य होने के लिए बनाया गया है और

न्यायालय द्वारा इसकी व्याख्या यह सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए कि

जब तक महत्वपूर्ण चूक या स्पष्ट दिशा उस लक्षय को अप्राप्य नहीं बना देती है। अदालतों को इसे खारिज करना होगा।

निर्माण जो के सादे इरादे को विफल कर देगा विधायिका भले ही कुछ अक्षमता हो सकती है 36

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

उपयोग की गई भाषा में। [पैरा 108 और 109] [295-बी-सी]

सी. आई. टी वी. एस. तेजा सिंह ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 352-निर्दिष्ट।

व्हिटनी वी। आई. आर. सी. (1926 एसी 37) पी। 52 ; गुरसाहई सहगल बनाम।

सी. आई. टी. एयर 1963 एस. सी. 1062; सैल्मन बनाम। डनकॉम्ब (1886) 11 एसी 627 पी। 634 ; कर्टिस वी। स्टोविन (1889) 22 क्यू. बी. डी. 513-संदर्भित।

4.5 यदि चुनाव दो व्याख्याओं के बीच है, तो

जिनमें से संकीर्ण प्रकट को प्राप्त करने में विफल रहेगा कानून का उद्देश्य, हमें एक निर्माण से बचना चाहिए

जो कानून को निरर्थकता में कम कर देगा, और चाहिए

बल्कि साहसिक निर्माण को स्वीकार करें, इस दृष्टिकोण के आधार पर कि संसद केवल इस उद्देश्य के लिए कानून बनाएगी

एक प्रभावी परिणाम लाना। [पैरा 110] [295-डी-ई]

मोहन कुमार सिंघानिया बनाम। भारत संघ 1992 सप्लीमेंट

(1) एस. सी. सी. 594-संदर्भित।

नोक्स वी। डोनकास्टर अमालगामेटेड कोलियरीज 1940 (3) सभी

ई. आर. 549; पाई वी. एनएसडब्ल्यू 1954 के लिए भूमि मंत्री 3 सभी ईआर 514

- संदर्भित किया गया।

4.6 कानून को समग्र और एक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

अधिनियम के प्रावधान का अर्थ संदर्भ के साथ लगाया जाना चाहिए

उसी अधिनियम के अन्य प्रावधानों के लिए ताकि

पूरे कानून का सुसंगत अधिनियमन। अदालत को करना चाहिए

विधायिका को निर्देश देकर उसके इरादे का पता लगाएं।

केवल उन खंडों पर ध्यान न दें जिनका अर्थ लगाया जाना है, बल्कि

पूरा क़ानून; यह अन्य के साथ खंड की तुलना करनी चाहिए

कानून के भाग और वह व्यवस्था जिसमें खंड होना चाहिए

व्याख्या की जाती है। इस तरह के निर्माण की योग्यता है किसी भी विसंगति या प्रतिकूलता से बचना

एक धारा या दो अलग-अलग धाराओं या प्रावधानों के बीच

एक ही कानून से। यह अदालत का कर्तव्य है कि वह एक एक ही अधिनियम की दो धाराओं के बीच टकराव।

[पैरा 111,112] [295-जी-एच; 296-ए-बी]

आर. एस. रघुनाथ बनाम कर्नाटक राज्य (1992) 1 एससीसी 335;

सुल्ताना बेगम बनाम। प्रेम चंद जैन (1997) 1 एससीसी 373 37

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

संदर्भित किया गया।

4.7 जब भी ऐसा करना संभव हो, यह किया जाना चाहिए।

उन प्रावधानों का अर्थ लगाने के लिए जो विरोधाभासी प्रतीत होते हैं कि वे सामंजस्य बनाते हैं। यह हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए कि

संसद ने एक हाथ से वह दिया था जो वह ले गई थी

दूसरे के साथ। कानून की एक धारा के प्रावधान

इसका उपयोग दूसरे को हराने के लिए नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह उनके बीच सुलह करना असंभव है। इस प्रकार ए

निर्माण जो प्रावधानों में से एक को एक तक कम कर देता है

" बेकार लकड़ी "या" मृत अक्षर "एक सामंजस्यपूर्ण नहीं है। निर्माण। सामंजस्य स्थापित करने का अर्थ विनाश करना नहीं है। [पैरा 113

और 114] [296-बी-डी]

5.1 भारत के संविधान का उद्देश्य यह नहीं है कि

स्थैतिक। यह अपने स्वभाव से गतिशील है। यह एक जीवन है और

जैविक वस्तु। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका सबसे अधिक मूल्य है।

समझा जाए "। उट रेस वालेत पोटियस क्वाम पेरेत "(द

निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो मशीनरी को काम करने योग्य बनाता है)। हमारा संविधान मान्यताओं को दर्शाता है और उन लोगों की राजनीतिक आकांक्षाएँ जिन्होंने इसे तैयार किया था। यह है।

इसलिए वांछनीय है कि प्रश्न पर विचार करते समय

क्या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत तय किया गया है

उन लोगों के अधिकारों को निश्चित डेटा के बिना बनाए रखा जाना है

जो अन्य की दुर्भाग्यपूर्ण श्रेणियों से संबंधित हैं

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को चिंता करने की आवश्यकता है,

अन्यथा संख्या का कोई निश्चित निर्धारण नहीं होगा

अन्य पिछड़े वर्ग। के लिए उपाय तय करते समय

मलाईदार स्तर पर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मानदंड तय करना भी मुश्किल नहीं होगा

बल्कि बाद वाला अभ्यास करना आसान होगा।

[पैरा 115] [296-ई-जी]

5.2 यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 4 (बी) में,

अनुसंधान संस्थान, उत्कृष्टता संस्थान, राष्ट्रीय और सामरिक महत्व के संस्थानों ने

अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। प्रावधान केंद्र सरकार को अनुमति देता है जब भी 38

अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, एक

उपयुक्त मामला प्रस्तुत किया जा रहा है और पहले स्थापित किया जा रहा है

केंद्र सरकार ने कहा कि संस्थान उत्कृष्टता का है

और/या एक शोध संस्थान और/या एक राष्ट्रीय संस्थान और रणनीतिक महत्व, केंद्र सरकार कर सकती है

अनुसूची में संशोधन करें और ऐसी संस्था को इसमें शामिल करें अनुसूची. दूसरे शब्दों में, इसकी अनुमति है

याचिकाकर्ताओं और किसी और को उजागर करने के लिए

किसी संस्थान को अधिनियम की अनुसूची में शामिल करने की वांछनीयता के बारे में सरकार। [पैरा 123] [304-एफ-एच; 305-ए]

5.3 यह तर्क देना सही नहीं है कि ठीक करने में

प्राथमिकताएँ सरकार सबसे अच्छा न्यायाधीश है जैसा कि तर्क दिया गया है

उत्तरदाताओं द्वारा। संबंधित मामलों में यह सही हो सकता है।

सरल नीतिगत निर्णयों के लिए लेकिन जब संवैधानिक जनादेश विचाराधीन होता है तो अंतर्निहित उद्देश्य होता है

इसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 46 का उल्लेख किया गया है। उस पृष्ठभूमि में

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि क्या खोया नहीं जा सकता है

की दृष्टि वह तथ्य है जो बुनियादी की नींव है,

प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा। शिक्षाविद् पिछड़ेपन को तब मिटाया जा सकता है जब कम से कम आधा

एक विशेष जाति के व्यक्ति एक तक आते हैं

मैट्रिक स्तर। [पैरा 124] [305-डी-एफ]

5.4 यह केवल योजनाओं का अस्तित्व नहीं है, बल्कि

महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वित्तीय बाधा एक बाधा नहीं हो सकती है मौलिक अधिकारों को अस्वीकार करने का आधार और योजनाओं के लिए प्रावधान और धन का उपयोग भी है

प्रासंगिक कारक। ऐसा प्रतीत होता है कि निधि प्रदाता और उपयोगकर्ता के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।

यह सुझाव दिया जाता है कि द्वारा कट ऑफ सीमा पर जोर देना मैट्रिक से बारहवीं कक्षा स्तर की शिक्षा में बदलाव

शैक्षिक पिछड़ेपन को मापने का एक मानक होगा

सही दिशा में एक कदम उठाएँ। हालांकि कई में

निर्णय, माध्यमिक शिक्षा को लिया गया था

बेंचमार्क, जमीनी हकीकत को आशा कुमार ठाकुर बनाम के साथ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

भारत और ओआरएस का संघ। 39

नौकरियों की सीमित उपलब्धता और बढ़ती वृद्धि जनसंख्या में, माध्यमिक या मैट्रिक परीक्षा कर सकते हैं

अब एक उपयुक्त बेंचमार्क नहीं माना जाता है। यह अधिकतम स्नातक स्तर का होना चाहिए। लेकिन सवाल उठ रहा है

क्या शैक्षिक पिछड़ेपन पर विचार करते हुए तकनीकी शिक्षा को शामिल किया जा सकता है। एक नाजुक

शैक्षिक पिछड़ेपन का आकलन करें। [पैरा 125] [305-जी-एच; 306 - ए-डी]

इंद्र साहनी बनाम। भारत संघ 1992 सप. (3) एस. सी. सी. 215; वसंत कुमार और अन्र। वी. कर्नाटक राज्य (1985)

सप. एससीसी 714; ए. पी. और ए. एन. आर. का राज्य वी. पी. सागर 1968 (3)

एससीआर 595; कुमारी के. एस. जयश्री और अन्र। वी. केरल राज्य

और एन. आर. (1976) 3 एस. सी. सी. 730; माइनर ए. पीरियाकरुप्पन, शोभा जोसेफ बनाम। तमिलनाडु राज्य और अन्य। (1971) 1 एससीसी 38 -

संदर्भित किया गया।

6.1 यह इंगित किया जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं का रुख

यह है कि उम्मीदवारों के चयन में प्राथमिक विचार

उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आवश्यक

गुणवान बनें। किसी भी नियम का उद्देश्य, जो ऐसे संस्थानों में प्रवेश को विनियमित करने के लिए बनाया जा सकता है, सर्वश्रेष्ठ और सबसे मेधावी छात्रों को सुरक्षित करना। द.

राष्ट्रीय हित और सार्वभौमिक उत्कृष्टता की मांग

कमजोर वर्गों के हितों पर भी हावी हो सकते हैं। [पैरा 135] [330-डी-ई]

6.2 किसी भी व्यक्ति, वर्ग या क्षेत्र का हित नहीं हो सकता है

राष्ट्र की तुलना में अधिक। दर्शन और

शिक्षा और प्रगति के लिए अवसर की समानता के माध्यम से सार्वभौमिक उत्कृष्टता का व्यावहारिकता

राष्ट्र संवैधानिक पंथ का हिस्सा है। अतः यह है कि

तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे मेधावी छात्रों का चयन किया जाना चाहिए और 40

राष्ट्र की 'एकता और अखंडता' को नुकसान। द. उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि जहाँ तक प्रवेश की बात है

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जैसे एम. एस., एम. डी. और इस तरह के हैं

संबंधित, यह प्रदान नहीं करने के लिए आसन्न रूप से वांछनीय होगा

निवास या संस्थागत आधार पर किसी भी आरक्षण के लिए

वरीयता। हालांकि, सीटों का एक निश्चित प्रतिशत है

संस्थागत आधार पर आरक्षित किए जाने की अनुमति

वरीयता। लेकिन इस संबंध में भी, अब तक सुपर

न्यूरोसर्जरी और कार्डियोलॉजी जैसी विशेषताएँ हैं -

इस बात से चिंतित हैं कि यहां तक कि कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए

संस्थागत वरीयता और प्रवेश का आधार

यह विशुद्ध रूप से अखिल भारतीय आधार पर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, अति-विशिष्टताओं के आधार पर किया गया वर्गीकरण हो सकता है

राष्ट्र के हितों की बेहतर सेवा करना, भले ही वे हित हों

अलग-अलग राज्य कुछ हद तक प्रभावित हो सकते हैं। [पैरा 136] [330-जी-एच; 331-ए-सी]

6.3 किसी क्षेत्र या संस्थान की आवश्यकता प्रबल नहीं हो सकती है।

प्रतिभा को उनके अनुसार चुनकर हाथ से चुना जाना चाहिए। क्षमता के लिए। पी. एच. डी., एम. डी. या उच्चतर स्तर पर

दक्षता जहाँ प्रतिभा का अंतर्राष्ट्रीय माप किया जाता है,

जहाँ एक महान वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् को खो दिया गया

निष्कर्ष यह है कि विवादित क़ानून प्रभावी हो सकता है क्रीमी परत को पहचानने योग्य से अलग करने के बाद ही

ओ. बी. सी. उन कक्षाओं की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए जो

क़ानून द्वारा कवर किया जा सकता है। आवधिकता होनी चाहिए

पाँच साल। संवैधानिक संतुलन बनाने की आवश्यकता है

सामाजिक रूप से उपयुक्त प्रतिशत का प्रावधान करने के लिए

और 27 प्रतिशत में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग तय किए गए हैं।

[पैरा 137 और 138] [331-डी-एफ]

इंद्र साहनी बनाम। भारत संघ 1992 सप. (3) एससीसी

215 ; एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य, 1963 पूरक (1) एस. सी. आर. 439; 41

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

आर. चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1823; माइनर

पी. राजेंद्रन बनाम मद्रास राज्य (1968) 2 एससीआर 787;

ए. पी. वी. यू. एस. वी. बलराम (1972) 1 एस. सी. सी. 660 जानकी प्रसाद परिमू वी। जम्मू और कश्मीर राज्य (1973) 1 एस. सी. सी. 420; केरल राज्य बनाम

एन. एम. थॉमस (1976) 2 एससीसी 310; यू. पी. राज्य बनाम प्रदीप

टंडन (1975) 1 एससीसी 267; के. एस. जयश्री (कुमारी) बनाम। की स्थिति

केरल (1976) 3 एस. सी. सी. 730; अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी

संघ (रेलवे) v. भारत संघ और ओआरएस। (1981) 1 एससीसी 246;

चिंतामन राव बनाम। मध्य प्रदेश राज्य 1950 एससीआर

759 ; मद्रास राज्य बनाम। वी. जी. रो ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 196-निर्दिष्ट

को।

प्रति दलवीर भंडारी, जे.

1.1 संविधान के प्रावधान और

प्रस्तावना इस अटूट निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि राष्ट्र

हमेशा एक जातिहीन और वर्गहीन हासिल करना चाहता था

समाज। यदि विवादित कानून को अनुमति दी जाती है

लागू किए जाने पर, एक जातिविहीन और वर्गहीन भारत के बजाय, हम एक जाति-ग्रस्त समाज के साथ रह जाएंगे। [पैरा 8]

[337 - बी-सी]

1.2 मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अब एक

अनुच्छेद 21 ए के तहत मौलिक अधिकार। राज्य का कर्तव्य है

इसके कार्यान्वयन में गंभीर ढिलाई बरती गई है। यह लापरवाही यह जीवन के लगभग हर क्षेत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है।

भारत संघ के लिए इसे लागू करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है

आलोचनात्मक लेख। यह निर्देश दिया जाता है कि भारत संघ एक समय सीमा निर्धारित करे जिसके भीतर यह अनुच्छेद पूरी तरह से लागू होगा।

लागू किया गया। यह समय सीमा छह के भीतर निर्धारित की जानी चाहिए। महीनों तक। यदि भारत संघ समय सीमा तय करने में विफल रहता है,

तब शायद यह काम भी करना ही पड़ेगा

अदालत। [पैरा 9 और 10] [337-डी-एफ]

1.3 . भारत संघ को उचित 42 में सराहना करनी चाहिए

संभावित है कि सामाजिक और शैक्षिक का मूल कारण

पिछड़ेपन गरीबी है। इसके लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

इस मूलभूत समस्या को समाप्त करें। जब तक मलाईदार न हो परत को हटा दिया जाता है, लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा जिन्हें इसकी आवश्यकता है। आरक्षण गलत संदेश देता है।

हर कोई पिछड़े वर्ग का लाभ प्राप्त करने के लिए उत्सुक है

स्थिति. अगर हम वास्तव में सामाजिक, शैक्षिक रूप से मदद करना चाहते हैं

और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, हमें ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है

अनुच्छेद 21 ए को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करें। हमें देना चाहिए।

पहले दिन से ही शिक्षा का अवसर। तभी होगा

जातिविहीन/वर्गविहीन समाज हमारी पकड़ में रहे। एक बार

बच्चे कॉलेज जाने की उम्र के हैं, बहुत देर हो चुकी है

आरक्षण का बहुत प्रभाव पड़ेगा। के साथ समस्या

आरक्षण अधिनियम यह है कि अधिकांश लाभार्थी मलाईदार परत से संबंधित होंगे, एक ऐसा समूह जिसके लिए कोई लाभ नहीं है

आवश्यक हैं। केवल गैर-मलाईदार परत वाले ओ. बी. सी. इसका लाभ उठा सकते हैं।

महाविद्यालय प्रवेश में आरक्षण, और एक बार जब वे

कॉलेज से स्नातक वे अब पात्र नहीं होने चाहिए

स्नातकोत्तर आरक्षण के लिए। 27 % के लिए ऊपरी सीमा है

प्रभाव पड़ता है। खाली सीटें जनरल को वापस कर दी जानी चाहिए। श्रेणी। [पैरा 11] [337-जी-एच; 338-ए-सी]

1.4 ठोस सामाजिक और आर्थिक असमानता को समाप्त करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की जाती है।

उन लोगों के लिए अवसर जो अन्यथा लाभ नहीं उठा सकते हैं

प्रवेश या रोजगार। अनुच्छेद 14,15 और 16 सकारात्मक कार्रवाई की अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 14 समतावादी को बढ़ावा देना।

समानता, राज्य नागरिकों को समूहों में वर्गीकृत कर सकता है,

वर्गीकृत करता है, राज्य को उन लोगों को बाहर रखना चाहिए जो असमान हैं समानतावादी समाज के संवैधानिक लक्षय को प्राप्त करने के लिए एक ही समूह का। [पैरा 13] [338-जी-एच; 339-ए]

1.5 क्रीमी लेयर समावेशन समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। अर्थात्, मलाईदार परत का गैर-अपवर्जन और अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

43

अनुच्छेद 14,15 और 16 के साथ-साथ संविधान की मूल संरचना में समानता का अधिकार। [पैरा 30] [345-जी] केरल और अन्र राज्य। वी. एन. एम. थॉमस और अन्य। (1976) 2 एस. सी. सी. 310; इंद्र साहनी और अन्य। वी. भारत संघ और

और ओआरएस। (2000) 1 SCC.168; एम. नागराज और अन्य। वी. संघ का भारत और ओआरएस। (2006) 8 एस. सी. सी. 212-संदर्भित।

2.1 एक बार जब कोई सामाजिक रूप से उन्नत हो जाता है, तो वह नहीं हो सकता है

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े। जो सामाजिक रूप से आगे है, उसके शैक्षिक रूप से भी आगे बढ़ने की संभावना है। यदि कोई भी स्थिति (सामाजिक या शैक्षिक) समाप्त हो जाती है, तो एक

एस. ई. बी. सी. के रूप में आरक्षण के लाभ के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सकते।

सामाजिक रूप से उन्नत होने के कारण, मलाईदार परत सामाजिक रूप से उन्नत नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) के अनुसार

संविधान। यहाँ तक कि अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) का पाठ भी

मलाईदार परत बहिष्करण प्रदान करता है। इस अर्थ में, यह कहा जा सकता है कि "मलाईदार परत" शब्द "गैर-एस. ई. बी. सी". का पर्याय है। [पैरा 32 और 33] [346-सी-डी]

2.2 साहनी प्रथम में, पूरी चर्चा केवल अन्य पिछड़े वर्गों तक ही सीमित थी। इसी तरह, पल में

इस मामले में, पूरी चर्चा केवल अन्य पिछड़े वर्गों तक ही सीमित थी। इसलिए, कोई राय व्यक्त नहीं की जाती है।

मलाई के अपवर्जन की प्रयोज्यता के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए परत।

[पैरा 34] [347-बी-सी]

इंद्र साहनी और ओआरएस। वी. भारत संघ और ओआरएस। 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217-संदर्भित।

2.3 सामाजिक पिछड़ेपन के अलावा, का पाठ

अनुच्छेद 15 (5) माँग करता है कि प्राप्तकर्ता भी शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। भले ही मलाईदार परत

सामाजिक रूप से उन्नत के रूप में स्थिति उन्हें तरजीही उपचार के लिए अयोग्य घोषित करने के लिए पर्याप्त है, किसी भी स्तर से मलाईदार परत

समुदाय आमतौर पर शिक्षित होता है और वही चाहेगा। अपने बच्चों के लिए। वे जानते हैं कि शिक्षा [2008] 4 एस. सी. आर. की कुंजी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

44

सफलता मिलती है। अधिकांश के लिए, यह उन्हें बना दिया। इससे जुड़े लोग समूह को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 35] [347-डी-ई]

2.4 जब तक मलाईदार परत को नहीं हटाया जाता, तब तक ओ. बी. सी. नहीं हटा सकते।

अपने समूह अधिकारों का प्रयोग करें। भारत संघ और अन्य उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि मलाईदार परत का बहिष्कार गलत है क्योंकि 93 वें संशोधन का पाठ एक लाभ प्रदान करता है

"वर्गों" पर, व्यक्तियों पर नहीं। जबकि यह एक समूह अधिकार है,

समूह में केवल वे व्यक्ति होने चाहिए जो

समूह को। सबसे पहले पूरी मलाईदार और बिना मलाई वाली चीज़ें ले लें।

मलाईदार परत ओ. बी. सी., फिर एक पर मलाईदार परत हटा दें

उनकी आय, संपत्ति स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत आधार,

व्यवसाय आदि। जो बचा है वह एक समूह है जो मिलता है

संवैधानिक मस्टर। यह एक समूह अधिकार है जिसे भी होना चाहिए।

व्यक्ति के हैं, यदि अधिकार का कोई अर्थ है।

यदि एक ओ. बी. सी. उम्मीदवार को विशेष प्रावधानों के लाभ से वंचित कर दिया जाता है जो उसे कानून द्वारा प्राप्त होना चाहिए था, तो दावा करना समूह की जिम्मेदारी नहीं है। वह होगा। जिसे ऐसा करना है। उसे चुनौती देने का अधिकार है

फैसला जिसने उसे विशेष प्रावधानों से बाहर रखा

ओ. बी. सी. को दिया गया। इस मायने में, उसका एक व्यक्तिगत अधिकार है।

समूह और व्यक्तिगत अधिकार परस्पर होने की आवश्यकता नहीं है। अनन्य। इस मामले में, यह एक या दूसरा नहीं बल्कि दोनों है

जो विवादित विधान पर लागू होता है। [पैरा 46] [350-एच; 351 - ए-डी]

2.5 जब तक सरकार अनुदान देती है

कुछ समूहों में, उनमें क्रीमी परत उन्हें "लैप" करेगी। एक ऐसी योजना जिसमें गरीबों को कोई लाभ नहीं मिलता है

मलाईदार परत को हटाकर ठीक किया जाता है। [पैरा 49] [352-बी]

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। बिहार राज्य और अन्य। (1995) 5 एस. सी. सी. 403; नायर सर्विस सोसाइटी बनाम। केरल राज्य, (2007) 4

एस. सी. सी. 1; अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ (रेलवे) वी. भारत संघ और ओआरएस। (1981) 1 एस. सी. सी. 246-संदर्भित।

3.1 पृथकता के लिए परीक्षण एक व्यक्तिपरक पूछता है

प्रश्न: यदि संसद को पता होता कि इसका प्रावधान होगा

अगर यह अभी भी आशोक कुमार ठाकुर बनाम के बाकी हिस्सों को पार कर लेता।

भारत और ओआरएस का संघ।

45

कानून? यह कहना कभी आसान नहीं होता कि संसद,

संशोधन को निरस्त कर दिया जाएगा। फिर भी, यह कठिन है यह कल्पना करने के लिए कि संसद ने कहा होगा, "यदि मलाई को बाहर रखा जाता है, तो बाकी ओ. बी. सी. को होना चाहिए

शिक्षा में आरक्षण से इनकार किया गया। यह असंभव लगता है कि

के लिए एक सभी-या-कुछ भी प्रस्ताव नहीं होता

संसद, जब विवादित कानून का बहुत ही लक्षय

ओ. बी. सी. शैक्षिक उन्नति को बढ़ावा देना नहीं है। यह मलाईदार परत के समावेश पर निर्भर करता है। इन कारणों से,

मलाईदार परत के निहित समावेश को काट दिया जाता है या बहिष्कृत। [पैरा 53] [353-सी-एफ]

3.2 ओ. एम. दिनांकित की मलाईदार परत अनुसूची

8.9.93 , व्यापक नहीं है। इसे संशोधित किया जाना चाहिए।

समय-समय पर-अधिमानतः हर 5 साल में एक बार, ताकि

यह सुनिश्चित करें कि मलाईदार परत मानदंड बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हैं। [पैरा 56] [365-ए]

3.3 उन लोगों के अलावा जिन्हें बाहर कर दिया गया है

कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सरकार से इसे और अधिक व्यापक बनाने का आग्रह किया जाता है। सरकार को सोचना चाहिए

वर्तमान और पूर्व संसद सदस्यों (एम. पी.) और विधानसभाओं के सदस्यों के बच्चों को छोड़कर

(विधायक) विशेष लाभों से। यदि संवैधानिक अधिकारियों को उनके कारण लाभों से बाहर रखा गया है

दर्जा या संसाधन, वही पूर्व और मौजूदा सांसदों और विधायकों के बच्चों पर लागू होना चाहिए। यह आशा की जाती है कि

न्यायपालिका को इस मामले में खुद को शामिल नहीं करना होगा।

[पैरा 57] [365-बी-सी]

इंद्र साहनी और ओआरएस। वी. भारत संघ और ओआरएस। (1992)

पूरक (3) एस. सी. सी. 217; अशोक कुमार ठाकुर बनाम। बिहार राज्य और अन्य। (1995) 5 एससीसी 403; आर. एम. डी. चमरबागवाला और

एन. आर. वी. भारत संघ और एएनआर। ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 628-निर्दिष्ट।

4.1 अंततः, सबसे महत्वपूर्ण पहलू

अनुच्छेद 21 ए को लागू करना यह है कि प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए

माता-पिता को प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें 46 भेजने के लिए राजी किया जाए

उनके बच्चे स्कूल जाते हैं। सजा से ज्यादा, रचनात्मक

प्रोत्साहन कार्यक्रम एक लंबा रास्ता तय करेंगे के तहत निहित मौलिक अधिकार का कार्यान्वयन

अनुच्छेद 21 ए। [पैरा 79] [373-बी]

4.2 यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि अनिवार्य शिक्षा

एक या दूसरे रूप में पेश किया गया है

देशों। इन राष्ट्रों के ऐतिहासिक अनुभव से,

हम सीखते हैं कि अनिवार्य से संबंधित कानून

शिक्षा ने सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है

शैक्षिक परिणाम। [पैरा 100] [380-डी]

4.3 राज्यों के कानून दो कारणों से विफल हो जाते हैं। सबसे पहले वे

कानून पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया जाता है, आंशिक रूप से, क्योंकि यह यह काम करने के लिए पुलिस अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है। अगर एक

विभिन्न राज्यों द्वारा पारित कानूनों का विश्लेषण करता है, एक और निष्कर्ष स्पष्ट हो जाता है: कोई राज्य नहीं है

एक पर्याप्त सजा का प्रावधान किया गया जिसका प्रभाव नागरिकों को उल्लंघन करने से रोकना होगा। [पैरा 112] [384 - डी-ई]

4.4 इन राज्य कानूनों के विश्लेषण से पता चलता है कि वे हैं

चरित्र में कमजोर और शायद कभी नहीं रहा है

लागू किया गया। अगर इन कानूनों की तुलना उनकी बहन से की जाए

संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून, किसी को पता चलता है कि अमेरिकी कानून

वे अधिक मजबूत हैं। [पैरा 116] [385-सी]

4.5 सरकार के शिक्षा कार्यक्रम और

खर्च, कई मायनों में अभाव, एक हैं

पिछले प्रदर्शन में सुधार। वे संवैधानिक निशान से लगभग कम हैं। प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में खराब प्रदर्शन आंशिक रूप से इसलिए होता है क्योंकि सरकार कॉलेज के छात्रों को ऊंचे स्थान पर रखती है। पैसा हमारी सभी शिक्षा समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, लेकिन

प्राथमिकताओं में सुधार से लक्षय प्राप्त करने में काफी मदद मिलेगी।

संवैधानिक आदेश। [पैरा 122] [387-बी-सी]

4.6 यह देखते हुए कि इतने सारे बच्चे चौदह वर्ष की आयु से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं या अनुपस्थित रहते हैं, "मुक्त आशा कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 47 अकेले शिक्षा से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। वर्तमान में

अनिवार्य शिक्षा पर कानूनों का पैचवर्क है

अपर्याप्त। मौद्रिक जुर्माना यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अनुच्छेद 21 ए को बरकरार रखा जाए। एक गाजर-और-छड़ी दृष्टिकोण अनुच्छेद 21 ए को लागू करने का सबसे अच्छा तरीका प्रतीत होता है।

वित्तीय प्रोत्साहन कार्यक्रमों ने अच्छा काम किया है।

अन्य देश। हमें उनके नेतृत्व का पालन करना चाहिए। एक बार ऐसा

अनिवार्य शिक्षा कानून। ऐसी नीति बाध्य है - भुगतान करें। केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए

वह:

(क) कम आय वाले माता-पिता/अभिभावकों को प्रदान करता है

वित्तीय प्रोत्साहन जैसे कि वे वहन कर सकते हैं

अपने बच्चों को स्कूल भेजना;

(ख) वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों को आपराधिक दंड देता है।

प्रोत्साहन और इस तरह के भुगतान के बावजूद उन्हें भेजें बच्चे काम करने के लिए;

(ग) उन नियोक्ताओं को दंडित करता है जो बच्चों को रोकते हैं

स्कूल जाने या पूरा करने से

गृहकार्य;

((घ) दण्ड में कारावास शामिल होना चाहिए;

उपरोक्त विधेयक एक उदाहरण के रूप में काम करेगा।

राज्य अनुच्छेद 21 ए के तहत बाध्य है -

में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू करें

कुल मिलाकर;

(ई) जब तक हम स्वतंत्र के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं और

अनिवार्य शिक्षा, सरकार को चाहिए
शिक्षा बजट को बढ़ाना जारी रखें;

संसद को एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसके द्वारा

(च)

समय मुक्त और अनिवार्य शिक्षा होगी।
हर बच्चे तक पहुँचता है। यह भीतर किया जाना चाहिए

छह महीने।

[पैरा 126 और 127] [388-डी-एच; 389-ए-सी]

[2008] 4 एस. सी. आर.

48

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उन्नी कृष्णन, जे. पी. और अन्य। वी. आंध्र प्रदेश राज्य

वी. गृह सचिव, बिहार राज्य, पटना (1980) 1 एससीसी 98; बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम। भारत संघ और ओआरएस। (1997) 10

एससीसी 549; एम. सी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य। (बच्चा।

(1996) 6 एस. सी. सी. 756; एम. सी मेहता बनाम संघ का

भारत (वाहन प्रदूषण) (1998) 6 एस. सी. सी. 63-संदर्भित।

कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1364-1966-संदर्भित।

5.1 "एब्रिज" और "निरस्त" शब्द दिए गए हैं।

इस न्यायालय द्वारा स्वीकार्य के बीच अंतर करने के लिए नियोजित

और अस्वीकार्य कानून। क्या कानून कम करना या रद्द करना डिग्री का सवाल है। इनका करें उपयोग

शर्तें यह पूछने का एक और तरीका है कि क्या कानून था

ऐसा प्रभाव कि इसने मूल संरचना को बदल दिया संविधान। यदि कानून केवल बुनियादी बातों को कम करता है

संरचना, संरचना की पहचान बनी हुई है। यह कानून

संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को नष्ट करना, बशर्ते कि मूल संरचना में बदलाव न किया गया हो।

[पैरा 138] [394-ए-बी]

5.2 यदि यह मूल संरचना को निरस्त कर देता है, तो संरचना

और इस प्रकार संविधान अपनी पहचान खो देता है। द. कानून को निरस्त किया जाना चाहिए। यह एक पर निर्धारित किया जाता है

प्रभाव परीक्षण लागू करके मामले-दर-मामले के आधार पर (प्रभाव/प्रभाव)

अधिकार परीक्षण)। मौलिक अधिकारों का पूरी तरह से हनन,

यहां तक कि एक सीमित क्षेत्र में भी, मूल संरचना को निरस्त करने के बराबर हो सकता है। [पैरा 139] [394-सी-डी]

एम. नागराज और अन्य। वी. भारत संघ और ओआरएस। 2006 (8)

एस. सी. सी. 212; मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य। वी. भारत संघ और

ओआरएस। 1980 (3) एससीसी 625; और आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) 2 एस. सी. सी. 1; परम पूज्य केशवानंद भारती

श्रीपदगलवरु बनाम। केरल राज्य (1973) सप. एससीआर-संदर्भित

को।

6.1 हमारे संविधान की संरचना आशा कुमार ठाकुर बनाम को अनुमति देती है।

भारत और ओआरएस का संघ। 49

मौलिक अधिकार, और यहाँ तक कि स्वर्ण त्रिकोण

अनुच्छेद 14,19 और 21 को सीमित रूप से संक्षिप्त किया जाएगा।

परिस्थितियाँ। यह कहना कि अनुच्छेद 19 (1) (छ) के अधीन

15 (5) मूल संरचना का उल्लंघन करता है प्रति स्वयं को अनदेखा करना है

उदाहरण जिनमें अधिकारों की सबसे बुनियादी बात है -

सीमित। अनुच्छेद 16 (4) स्पष्ट रूप से औपचारिक अधिकार को सीमित करता है।

16 (1) में समानता, अनुच्छेद 14 का एक विशिष्ट पहलू। इस प्रकाश में,

अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद 14 में औपचारिक समानता के सामान्य अधिकार को निहित रूप से सीमित करता है। समानता का अधिकार व्यक्त किया गया है

15 (1) में ऋणात्मक: राज्य धर्म, नस्ल, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में, राज्य

विभिन्न धर्मों, नस्लों और जातियों के नागरिकों के साथ व्यवहार करें

समान रूप से। अनुच्छेद 16 (4) की तरह, अनुच्छेद 15 (4) 15 (1) को सीमित करता है।

अनुच्छेद 14 का एक अन्य पहलू औपचारिक समानता-जैसे कि

समतावादी समानता को आगे बढ़ाया जा सकता है। आम तौर पर,

अनुच्छेद 15 (3) और (4) और 16 (4) राज्य को लागू करने की अनुमति देते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र पर सकारात्मक कार्य कार्यक्रम। इस तरह

प्रावधान अनिवार्य रूप से औपचारिक समानता के अधिकार को सीमित करते हैं। यदि समानता का अधिकार, जिसे कुछ लोग बुनियादी मानते हैं

संविधान का अभिधारणा, सीमित किया गया है, एक दुर्भाग्यपूर्ण अनुच्छेद 19 (1) (जी) भी हो सकता है। [पैरा 164] [407-ई-एच; 408-ए]

6.2 जैसा कि मिनर्वा मिल्स में समझाया गया है, न्यायालय ने

पहले अनुच्छेद 31 ए को टकटकी लगाने की चिंता के कारण बरकरार रखा गया था

निर्णय लेना। न्यायालय ने कभी भी बहिष्करण को मंजूरी नहीं दी अनुच्छेद 14 और 19 सैद्धांतिक आधार पर। न ही इसने एक

इस बारे में निर्णय लेना कि क्या बहिष्कार ने मूल संरचना का उल्लंघन किया है। [पैरा 165] [408-बी-सी]

6.3 एक बुनियादी संरचना चुनौती एक मुद्दा बन जाता है

संस्थागत योग्यता। क्या यह विधायिका को तय करना है

19 (1) (जी) के तहत एक उचित प्रतिबंध क्या है

19 (6) ? या यह न्यायपालिका के लिए है? यह अच्छी तरह से स्थापित है कि संसद, लोगों की इच्छा व्यक्त करते हुए,

इस न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने के लिए संशोधन करना। [पैरा 166] [408-डी]

6.4 अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता व्यक्ति [2008] 4 एस. सी. आर. से संबंधित है।

नागरिक। अनुच्छेद 19 (1) (जी) में प्रावधान है कि "सभी नागरिकों को किसी भी पेशे का अभ्यास करने, या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को जारी रखने का अधिकार होगा।" "सभी" का संदर्भ

नागरिकों का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक

अनुच्छेद 19 के पास अधिकार हैं। विवादित कानून के लिए

गिरने के लिए, इसे समाज के हर क्षेत्र को छूने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा भी हो

एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया है, यह न्यायालय है उसके दावे को स्वीकार करने के लिए कर्तव्य बाध्य। यह वह या वह है

जिसके पास अनुच्छेद 19 (1) (जी) को जारी रखने का अधिकार है

पेशा। [पैरा 169] [409-एफ-एच]

6.5 संसद इसके बिना आगे बढ़ती।

गैर-सहायता प्राप्त संस्थान। जबकि संसद के कुछ सदस्य

संसद के पाई और इनामदार को रद्द करने की मांग की

क्रियाएं अपने शब्दों से अधिक जोर से बोलती हैं। एक बार यह बीत गया था

अनुच्छेद 15 (5), यह खुद को अधिक लागू करने तक सीमित रखता है।

सहायता प्राप्त संस्थानों पर आरक्षण। बिना किसी सहायता के

संस्थाएं संसद की प्राथमिकता रही हैं, यह हो सकता था

इन्हें आरक्षण अधिनियम में शामिल किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि

संसद का इरादा जितना हो सके उतना आरक्षण पारित करने का है

संभव है। यह बताएगा कि यह आगे क्यों बढ़ा है

27 % कम से कम इसकी पुष्टि किए बिना ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण

27 % आबादी का एक हिस्सा ओ. बी. सी. है। इन कारणों से यह

यह निष्कर्ष निकाला कि क्या संसद को पता था कि बिना सहायता के

संस्थाएं टूटने वाली थीं,

फिर भी सहायता प्राप्त लोगों के लिए अपनी आरक्षण योजना को लागू किया संस्थाएं। [पैरा 182] [414-एफ-एच; 415-ए]

इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण और अन्र। (1975) सप्लीमेंट

एस. सी. सी. 1; पी. संबमूर्ति बनाम। ए. पी. राज्य (1987) 1 एस. सी. सी. 362; एल.

चंद्र कुमार बनाम। भारत संघ (1997) 3 एस. सी. सी. 261; किहोतो होल्लोहन बनाम। ज़चिल्लू और ओआरएस। 1992 पूरक (2) एस. सी. सी. 651; पी. ए. इनामदार और अन्य। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (2005) 6 एससीसी 537; टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य। वी. कर्नाटक राज्य

और ओआरएस। (2002) 8 एस. सी. सी. 481; सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम। विश्वविद्यालय

दिल्ली (1992) 1 एस. सी. सी. 558; द स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड अन्र। वी.

एफ. एन. बलसारा (1951) एस. सी. आर. 682; द स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड अन्र। वी. यूनाइटेड मोटर्स (इंडिया) लिमिटेड और अन्य (1953) एससीआर 1069-अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

51

संदर्भित किया गया।

7.1 जब भी कानून को चुनौती दी जाती है

असंवैधानिक, अदालतों को खुद से पूछना चाहिए कि कितना

वे विधायिका को सम्मान देंगे। इसका जवाब है -

कि यह विवादित विधान की प्रकृति पर निर्भर करता है।

संयुक्त राज्य सर्वोच्च न्यायालय ने तीन विकसित किए हैं सरकारी कार्रवाई के लिए समीक्षा के मानक जो व्यवहार करते हैं

अलग-अलग लोग। पहला तर्कसंगत आधार है।

मानक। जब वर्गीकरण तर्कसंगत रूप से किसी वैध सरकारी उद्देश्य से संबंधित है, तो अदालत ने

राज्य और वर्गीकरण को बनाए रखता है। यह सबसे अधिक है

तीन मानकों का अवमूल्यन। दूसरा मानक

मध्यवर्ती जांच है, जो कम अव्यावहारिक है

वर्गीकरण काफी हद तक किसी भी महत्वपूर्ण से संबंधित है। सरकारी उद्देश्य। समीक्षा का तीसरा और उच्चतम स्तर

इसे सख्त जांच के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत न्यायालय को आवश्यकता होती है कि वर्गीकरण को संकीर्ण रूप से बाध्यकारी के अनुरूप बनाया जाए।

राज्य हित। सख्त जांच परीक्षण सरकार के लिए सबसे कम अव्यावहारिक है। [पैरा 191] [417-ई-एच; 418-ए]

7.2 जिन वर्गीकरणों पर मामला कानून है,

जो जाति से सबसे अधिक मिलता-जुलता है वह नस्ल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों अपरिवर्तनीय लक्षण हैं। इनका उपयोग किया जाता है

दमन को उचित ठहराने के लिए शक्तिशाली, या जो सत्ता चाहते हैं।

नस्लवाद और जातिवाद दोनों देशों को लंबे समय से परेशान कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, दौड़ लाल झंडे उठाती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है

हमेशा नहीं, सख्त जांच के तहत समीक्षा की गई: " लोगों को नस्ल के आधार पर विभाजित करने की सरकारी कार्रवाई स्वाभाविक रूप से संदिग्ध है

क्योंकि इस तरह के वर्गीकरण नस्लीय धारणाओं को बढ़ावा देते हैं। हीनता और नस्लीय शत्रुता की राजनीति की ओर ले जाना, 'और' नस्लीय वर्गीकरण अनुमति देने के लिए बहुत हानिकारक हैं

औचित्य और वर्गीकरण के बीच कोई भी लेकिन सबसे सटीक संबंध। [पैरा 192] [418-ए-सी]

7.3 अमेरिकी अदालतें नस्लीय भेदभाव की सावधानीपूर्वक समीक्षा करती हैं

वर्गीकरण। यह देखते हुए कि इसके चेहरे पर 93 वां संशोधन 52

[2008] 4 एस सी आर।

इसे सावधानीपूर्वक जांचना चाहिए। अनुच्छेद 14 औपचारिक अधिकार समानता उतनी ही योग्य है। यदि 49.5% जाति-आधारित है

साहनी प्रथम में सरकार के लिए आरक्षण बरकरार रखा गया था

रोजगार, यह इस प्रकार है कि 49.5% जाति-आधारित

सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की अनुमति है। हालांकि विवादित कानून सावधानीपूर्वक जांच करता है

सहायता प्राप्त संस्थानों में आरक्षण के संबंध में, इसके

कार्यान्वयन दिए गए निर्देशों पर निर्भर है

इस राय में। [पैरा 194] [419-बी-सी]

इंद्र साहनी और ओआरएस। वी. भारत संघ और ओआरएस। (1992)

पूरक (3) एस. सी. सी. 217-संदर्भित।

सामुदायिक विद्यालयों में शामिल माता-पिता बनाम सिएटल

स्कूल जिला संख्या 1 और अन्य; ग्रैट्ज़ बनाम। बोलिंगर, 539 यू. एस. 244

270 ; फुलिलव वी। क्लुट्ज़निक 448 U.S.448,537; हर्नांडेज़ बनाम। न्यूयॉर्क 500 यू. एस. 352 (1991); आर्लिंगटन हाइट्स बनाम। महानगर

वाशिंगटन बनाम। डेविस 426 यू. एस. 229,239 (1976); यीक वो बनाम। हॉपकिंस 118 यू. एस. 356 (1886)-संदर्भित।

8.1 तत्काल मामले में, भारत संघ ने तर्क दिया कि

अनुच्छेद 15 (4), संविधान का पहला संशोधन,

मूल फ्रेमर्स के इरादे को दर्शाता है क्योंकि यह था

उन्हीं सदस्यों द्वारा पारित किया गया जिन्होंने मूल मसौदा तैयार किया था

संविधान। 1951 में संसदीय बहसों में प्रधानमंत्री नेहरू ने संशोधन के पक्ष में तर्क दिया।

संविधान। वह और अन्य फ्रेमर्स, जैसा कि उनसे अलग है

मूल निर्माता जिन्होंने मूल का मसौदा तैयार किया था

संविधान ने चंपकम दोराईराजन के प्रति अपनी अस्वीकृति को नहीं छिपाया। अनुच्छेद 15 (4) उस फैसले को पलटने के लिए था। को।

अनुच्छेद 15 (4), जो अनुच्छेद 15 (2), (3) में परिकल्पित समानता से नाटकीय विचलन का प्रतिनिधित्व करता है, को उचित ठहराता है।

और 29 (2), पंडित नेहरू ने कहा कि अनुच्छेद 15 (4) "वास्तव में क्या इरादा था या क्या होना चाहिए" को प्रभावी बनाएगा।

इरादा "। फिर भी, मूल फ्रेमर्स का कोई इरादा नहीं था

शिक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान (और आशा कुमार ठाकुर बनाम.

भारत और ओआरएस का संघ।

53

अगर उनके लिए नहीं, और न ही एस. ई. बी. सी. के लिए)। क्या होना चाहिए?

उन्होंने जो विशेष रूप से अधिनियमित किया और विशेष रूप से अस्वीकार किया, उसका इरादा उससे बहुत अलग है। यह निम्नलिखित है कि अनुच्छेद 15 (4)

मूल फ्रेमर्स के मूल इरादे से विचलित।

[पैरा 215] [425-डी-एच]

8.2 भेदभाव ही एकमात्र समस्या नहीं है

आरक्षण से बढ़ जाता है। यह देखते हुए कि आरक्षित श्रेणी

छात्रों को कम अंकों के साथ प्रवेश मिलता है, यह भी खड़ा है

यह तर्क देने के लिए कि वे अपने में कम विश्वास प्रदर्शित करेंगे अध्ययन जब सामान्य श्रेणी के खिलाफ खड़ा किया जाता है।

प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को मजबूत करने पर स्तर। तभी हम जातिविहीन/वर्गविहीन को प्राप्त कर पाएंगे।

मूल निर्माताओं ने समाज की परिकल्पना की। और तभी आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त करने का कारण होगा।

[पैरा 220] [428-ई-एफ]

8.4 सुरंग की दृष्टि को प्रदर्शित करते हुए, हमारी पहली संसद जाति से परे देखने में विफल रही। एक और विकल्प उपलब्ध था,

डॉ. अम्बेडकर के दृष्टिकोण के विपरीत, बिना भेदभाव के पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करना संभव था जाति के आधार पर। आर्थिक मानदंड सबसे गरीब लोगों को लक्षित करते हैं।

गरीब, चाहे वह किसी भी जाति का हो। जैसा कि उल्लेख किया गया है, ये मानदंड भी

साथ ही मलाईदार परत को हटा दें। [पैरा 226] [431-जी-एच; 432-ए]

मद्रास राज्य बनाम। चंपकम दोराईराजन ए. आई. आर 1951 एस. सी.

226 ; इंद्र साहनी और ओआरएस। वी. भारत संघ और ओआरएस। (1992) पूरक (3) एस. सी. सी. 217-संदर्भित।

9.1 आर्थिक मानदंडों में व्यवसाय शामिल होना चाहिए और

भूमि स्वामित्व क्योंकि केवल आय ही अपर्याप्त है। संभावना को कम करने के लिए, कि अयोग्य बचने के लिए

पहचान, एक से अधिक मानदंडों को नियोजित करना बुद्धिमानी है। [पैरा 234] [436-डी] [2008] 4 एस. सी. आर.

9.2 यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई "वर्ग" को कैसे परिभाषित करता है। ” एक बार

आर्थिक मानदंड अपेक्षाकृत धनी परिवारों को हटा देते हैं।

(सभी जातियों और समुदायों से), एक "वर्ग" बना रहेगा।

इस "वर्ग" को "गरीब" कहा जाता है। वर्ग होगा जाति की परवाह किए बिना, एक ही विशेषता साझा करें। उन सभी के पास पैसे की कमी होगी। [पैरा 235] [437-बी]

9.3 बहुत सारे लोग पात्र होंगे

लाभ होता है। यह केवल एक समस्या है यदि आप समूह के अनुपात के आधार पर आरक्षण देते हैं

कुल जनसंख्या। इस तरह का आरक्षण अत्यधिक होगा।

अनुचित और संभवतः बालाजी टोपी का उल्लंघन करेगा

50 % . [पैरा 242] [439-बी-सी]

9.4 आज एनआरआई बढ़ई के बच्चों के होने की संभावना है

सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों, ट्यूशन और कोचिंग कक्षाओं में भाग लिया

प्रावधान। यही कारण है कि मलाईदार परत होनी चाहिए जाति आधारित आरक्षण पर एक समय सीमा के साथ हटा दिया गया और

सरकार से विशेष रूप से आर्थिक उपयोग करने का आग्रह किया जाता है

ओ. बी. सी. की पहचान करने के लिए मानदंड जो विशेष का लाभ उठा सकते हैं

प्रावधान। [पैरा 245] [440-सी-डी]

9.5 प्रथम संसद, अनुच्छेद 15 (5) को अधिनियमित करके,

मूल फ्रेमर्स के इरादे से विचलित। वे गुजर गए।

एक संशोधन जो कमजोर होने के बजाय मजबूत करता है जातिवाद। अगर शिक्षा में जाति आधारित आरक्षण बने रहना है,

उन्हें धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत का पालन करना चाहिए: वे

जाति को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। इसके बजाय, विशेष रूप से आर्थिक मानदंडों का उपयोग किया जाना चाहिए। दस की अवधि के लिए

वर्ष, अन्य कारक जैसे आय, व्यवसाय और

जाति सहित संपत्ति आदि को इसमें लिया जा सकता है। विचार और उसके बाद केवल आर्थिक मानदंड

प्रबल होना चाहिए। लेकिन जाति आधारित भेदभाव

रह जाता है। जातियों के बीच हिंसा होती है। जाति की राजनीति गुस्सा आता है। जहाँ जातिवाद मौजूद है, वहाँ प्राप्त करने का लक्षय

जातिविहीन समाज को कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। कोई भी।

इसके विपरीत कानून को रद्द कर दिया जाना चाहिए। [पैरा 251]

[442 - एफ-एच; 443-ए] 55

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

केरल और अन्र राज्य। वी. एन. एम. थॉमस और ओआरएस। (1976)

2 एस. सी. सी. 310; इंदर साहनी और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (1992) पूरक (3) एस. सी. सी. 217; श्री वी. वी. गिरि बनाम दिप्पाला सूरी डोरा

और ओआरएस। (1960) 1 442 पर एस. सी. आर. 426; एम. आर. बालाजी और अन्य। वी. मैसूर राज्य (1963) पूरक (1) एस. सी. आर. 439; वसंत कुमार

और एन. आर. वी. कर्नाटक राज्य (1985) पूरक एस. सी. सी. 714

संदर्भित किया गया।

10.1 अनुच्छेद 15 (4) को एक्सप्रेस के साथ पारित नहीं किया गया था।

अनिर्णायक है और इस प्रकार अन्य की ओर मुड़ता है। द. दूसरा परीक्षण पूछता है कि कौन सा प्रावधान लागू हुआ

बाद की तारीख (यानी, "बाद में समय?")) ? जो बाद में है

प्रबल होंगे। यहाँ, 15 (5) को बाद में अधिनियमित किया गया था। द.

तीसरा परीक्षण प्रदान करता है कि विशिष्ट खंड को आगे बढ़ना चाहिए जनरल। अनुच्छेद 15 (5) विशिष्ट है कि यह विशेष को संदर्भित करता है

शिक्षा में प्रवेश से संबंधित प्रावधान संस्थान, जबकि 15 (4) का ऐसा कोई संदर्भ नहीं है -

इकाई का प्रकार जिस पर विशेष प्रावधान किए जाने हैं

आनंद लिया। [पैरा 255] [444-ए-डी]

10.2 क्योंकि 15 (5) समय में बाद में और विशिष्ट है

प्रस्तुत प्रश्न के संबंध में, इसे 15 (4) को बेअसर करना चाहिए

शिक्षा में आरक्षण। संवैधानिक अनुच्छेदों को होना चाहिए

सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ें, अलगाव में नहीं। यह व्याख्या सामंजस्यपूर्ण है क्योंकि अनुच्छेद 15 (4) अभी भी अन्य पर लागू होता है। जिन क्षेत्रों में आरक्षण पारित किया जा सकता है। [पैरा 256]

[444 - ई]

जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम राज्य

फाउंडेशन और ओआरएस। V. कर्नाटक राज्य और अन्य। (2002) 8 एस. सी. सी. 481-संदर्भित।

11. अल्पसंख्यकों के पास एक अधिकार या विशेषाधिकार है जो गैर-56 है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

अल्पसंख्यक नहीं करते हैं: स्थापना और प्रशासन अपने समुदाय के लिए संस्थान। आपको स्वीकार करने का अधिकार

सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में अपने छात्र विषय थे

उचित संख्या में बाहरी लोगों को स्वीकार करना। में

तत्काल मामले, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों को लाभ होगा

आरक्षण अधिनियम से: उचित संख्या में बाहरी लोगों को स्वीकार करने के बजाय उन्हें छूट दी जाएगी। आरक्षण से। हालांकि, उनके गैर-अल्पसंख्यक

समकक्ष नहीं करेंगे। क्या इससे उनकी हैसियत बढ़ती है? हालांकि यह कुछ हद तक करता है, लेकिन किसी को यह भी करना चाहिए

अपने संवैधानिक लक्षय और दर्शन को ध्यान में रखें।

वर्गहीन/जातिविहीन को आगे बढ़ाने के अंतिम लक्षय को देखते हुए समाज में, एक अंग पर बाहर जाने और उन्हें संशोधन में फिर से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है: इस तरह के फैसले के अधीन होगा

जाति को आगे बढ़ाना राष्ट्र के लिए एक कदम पीछे होगा विभाजित करें, और उस दिशा में जाने के लिए सहमत नहीं हैं। [पैरा 269]

[449 - एफ-एच; 450-ए]

12. अमेरिकी कानून, निश्चित रूप से, बाध्यकारी नहीं है लेकिन है

महान प्रेरक मूल्य। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी समस्या

नस्ल हमारी जाति की समस्या के समान है। जहाँ अन्य हैं।

इसी तरह के मुद्दों की बहुत विस्तार से समीक्षा की गई, यह हमें शोभा देता है उनकी गलतियों के साथ-साथ उपलब्धियों से भी सीखें।

[पैरा 270] [450-सी]

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य। V. कर्नाटक राज्य और अन्य। (2002) 8 एस. सी. सी. 481; केरल शिक्षा विधेयक; सेंट.

स्टीफंस कॉलेज वी। दिल्ली विश्वविद्यालय (1992) 1 एससीसी 558;

इस्मालिक अकादमी, सेंट जेवियर्स कॉलेज (1975) 1 एससीआर 173 -

संदर्भित किया गया।

13. बाजार में, एक उम्मीदवार जिसने उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी कर ली है, वह नहीं हो सकता है "आगे" माना जाता है। उच्च माध्यमिक डिग्री का वास्तविक मूल्य यह है कि यह कॉलेज के लिए एक पूर्व शर्त है।

प्रवेश। दी जाने वाली शिक्षा की सामान्य गुणवत्ता

प्लस 2 तक की गुणवत्ता अत्यंत उदासीन है और इसके अलावा, आज कुछ प्रवेश स्तर के सरकारी पद हैं-आशा कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

57

केवल कॉलेज स्नातकों को स्वीकार करें। एक है शैक्षिक रूप से

जब तक उम्मीदवार एक से स्नातक नहीं हो जाता है तब तक पीछे

विश्वविद्यालय। एक बार उसके पास होने के बाद, वह अब आनंद नहीं लेगा

आरक्षण के लाभ। फिर उन्हें शैक्षिक रूप से आगे माना जाता है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए, जैसे

जैसे, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ लॉ, मास्टर ऑफ आर्ट्स

आदि, कोई भी विशेष लाभ के लिए पात्र नहीं होगा स्नातकोत्तर या किसी भी आगे की पढ़ाई में प्रवेश

इसके बाद। [पैरा 273] [451-एफ-एच; 452-ए]

14. उत्कृष्टता के मानक हालांकि नहीं होने चाहिए

सर्वोत्तम सहायता प्राप्त संस्थानों तक सीमित। राष्ट्र की आवश्यकता है

ताकि इसके नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। समाज

तर्कसंगत आरक्षण से समग्र रूप से लाभ होगा

योजना। [पैरा 275] [453-बी]

15. बालाजी एक उदाहरण के रूप में कार्य करता है जिसमें यह न्यायालय

यह सुनिश्चित करने की मांग की कि आरक्षण बना रहेगा

उचित है। ऐसा कोई मामला नहीं होना चाहिए जिसमें ओ. बी. सी. और सामान्य श्रेणी के बीच कट ऑफ अंकों का अंतर हो।

विद्यार्थी बहुत बड़े हैं। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए, काट दें।

ओ. बी. सी. के लिए अंक 10 अंकों से कम नहीं होने चाहिए।

सामान्य श्रेणी से नीचे। इसके लिए सरकार

के प्रश्न पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन करेगा नीचे 10 अंकों से अधिक नहीं पर ओ. बी. सी. कट ऑफ निर्धारित करना

सामान्य श्रेणी का। ऐसी योजना के तहत, जब भी गैर-मलाईदार परत वाले ओ. बी. सी. 27 प्रतिशत को भरने में विफल रहते हैं

आरक्षण, शेष सीटें सामान्य के लिए वापस आ जाएंगी

श्रेणी छात्र। [पैरा 277 और 278] [453-ई-एच]

एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य (1963) सप. (1) एससीआर 439

- संदर्भित किया गया।

प्रति रवींद्रन जे।

1.1 माननीय मुख्य न्यायाधीश से सहमति व्यक्त की और

पसायत, जे. यह सहमति है कि अनुच्छेद 15 का खंड (5) वैध है।

राज्य द्वारा बनाए गए शैक्षणिक संस्थानों और सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में; और सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

58

सवाल यह है कि क्या अनुच्छेद 15 (5) असंवैधानिक होगा

इस आधार पर कि यह मूल संरचना का उल्लंघन करता है

संविधान, निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में आरक्षण लागू करके खुला छोड़ दिया गया है।

[पैरा ए] [459-डी-ई]

1.2 अनुच्छेद 15 का खंड (4) न तो अपवाद है और न ही

में अंतर्निहित वर्गीकरण का एक उदाहरण माना जाता है खंड (1) और सिद्धांत का एक जोरदार पुनर्कथन

अनुच्छेद 15 के खंड (1) में निहित। [पैरा 3] [461-ए)

केरल राज्य बनाम। एन. एम. थॉमस-(1976) 2 एस. सी. सी 310,

के. सी. वसंत कुमार बनाम कर्नाटक राज्य-1985 सप. एससीसी

714 और इंद्र साहनी बनाम। भारत संघ-1992 सप. (3)

एस. सी. सी. 217-पर निर्भर।

1.3 अनुच्छेद 15 के खंड (3) से (5) राज्य को सक्षम बनाते हैं -

निर्दिष्ट क्षेत्रों में विशेष प्रावधान करना। जबकि खंड

(3) मूल रूप से बनाए गए अनुच्छेद का एक हिस्सा है, खंड (4) को संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा जोड़ा गया था। इन तीन सक्षम प्रावधानों में से प्रत्येक कार्य करता है।

एक-दूसरे से स्वतंत्र। शुरुआती शब्द 'कुछ नहीं' इन खंडों में से प्रत्येक में आने वाले इस लेख में (3), (4)

और (5) स्पष्ट रूप से कला के खंड (1) और (2) का उल्लेख करते हैं। 15 और

अन्य सक्षम खंडों के लिए नहीं। खंड (3), (4) और (5)

अनुच्छेद 15 के साथ टकराव के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए

एक-दूसरे पर, या एक-दूसरे पर हावी हैं, लेकिन होना है सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ें। [पैरा 3] [461-डी-एफ]

2.1 इस बात पर सहमति है कि (i) अन्य पिछड़े लोगों की पहचान

केवल जाति के आधार पर वर्ग असंवैधानिक होंगे; (ii) 'मलाईदार परत' को बाहर करने में विफलता।

आरक्षण के लाभों से

2007 के अधिनियम 5 के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण असंवैधानिक; और (iii) 2007 का अधिनियम 5 हालांकि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण होगा

यदि 'अन्य पिछड़े वर्गों' की परिभाषा स्पष्ट की गई है तो यह वैध है।

इस प्रभाव से कि यदि अन्य पिछड़े अशोक कुमार ठाकुर की पहचान v.

भारत और ओआरएस का संघ।

59

वर्ग किसी भी जाति के संदर्भ में माना जाता है

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े, की 'मलाईदार परत' ऐसी जाति को बाहर रखा जाना चाहिए। [पैरा बी] [459-जी-एच;

460 - ए]

2.2 इस न्यायालय ने निर्णयों की एक श्रृंखला में समझाया है

सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन क्या है? ये सब

निर्णयों ने यह सिद्धांत निर्धारित किया है कि जाति ऐसा नहीं कर सकती।

निर्धारित करने के लिए एकमात्र या प्रमुख परीक्षण किया जाए पिछड़ेपन, और किसी भी वर्गीकरण का निर्धारण

केवल जाति के संदर्भ में पिछड़ेपन अमान्य होगा।

इन निर्णयों ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि जाति नहीं है

शिक्षा, अंततः और मुख्य रूप से गरीबी के कारण है या आर्थिक स्थितियाँ। हालांकि, माइनर पी. राजेंद्रन में, यह

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि एक जाति, समग्र रूप से, सामाजिक और

शैक्षिक रूप से पिछड़े तब आरक्षण किया जा सकता है

इस आधार पर ऐसी जाति का पक्ष लेना कि यह सामाजिक रूप से एक और अनुच्छेद 15 (4) के अर्थ के भीतर शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। निर्णय बालाजी के बाद आया और इसलिए इस आधार पर आगे बढ़ा कि जहां सामाजिक सीमा की सीमा

लगभग सामाजिक और शैक्षिक के समान है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का पिछड़ेपन

जनजाति, आरक्षण जाति के आधार पर ही किया जा सकता है।

उस मामले में, यह तथ्य के प्रश्न के रूप में पाया गया कि समग्र रूप से कुछ जातियों के सदस्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े, और इसलिए यह माना गया कि जाति के आधार के रूप में आरक्षण की अनुमति थी

उन जातियों का सम्मान करें। [पैरा 7,8] [463-जी; 464-ए-एफ]

2.3 न तो राजेंद्रन और न ही पेरियाकरुप्पन और न ही वसंत कुमार ने वास्तव में निर्धारित सिद्धांत से दूरी बनाई और न ही इसे कमजोर किया। नीचे बालाजी में। दूसरी ओर, बालाजी में निर्धारित सिद्धांत को दोहराया गया। केवल राजेंद्रन और पेरियाकरुप्पन

यह दर्शाता है कि चरम मामलों में जहां यह पाया जाता है कि विचाराधीन जाति, समग्र रूप से, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े, और इसलिए अनुसूचित 60 के समान

जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है

अकेले। [पैरा 9] [465-बी-सी]

2.4 वसंत कुमार का मानना था कि केवल एक तुलनीय जाति है

में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को

पिछड़ेपन का मामला, माना जा सकता है

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के पक्ष में

जाति से। इसलिए वसंत कुमार ने बालाजी को दोहराया। [पैरा 8] [464-एच; 465-ए]

2.5 इंदिरा साहनी निश्चित रूप से एक कदम आगे बढ़ गईं।

बालाजी और अन्य मामलों में यह माना गया कि एक जाति हो सकती है

पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए प्रारंभिक बिंदु। लेकिन यह

इस निर्णय से स्पष्ट है कि जाति ही अंतिम नहीं है

लक्षय, अर्थात अपने आप में एक जाति नहीं हो सकती। सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का निर्धारक। ए.

जाति की पहचान सामाजिक और आर्थिक रूप से की जा सकती है पीछे की ओर, केवल तभी जब मलाईदार परत को हटा दिया जाता है

जाति और एक कॉम्पैक्ट वर्ग उभरता है जो हो सकता है

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में पहचाना जाता है। इस प्रकार निर्णय पहले किसी जाति की पहचान करके नहीं किया जाता है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में और,

इसके बाद, ऐसे वर्ग को मिलने वाले लाभों को प्रदान करने के उद्देश्य से मलाईदार परत को हटा दें या हटा दें।

दूसरी ओर, जब तक और जब तक, मलाईदार परत है

एक जाति से हटा दिया, कोई कॉम्पैक्ट वर्ग नहीं है जो

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े कहा जा सकता है किसी भी वर्ग में। इस प्रकार, जबकि सामाजिक रूप से पहचान करने की प्रक्रिया

और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग आसानी से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जाति से शुरुआत कर सकते हैं, हटा सकते हैं वहाँ से मलाईदार परत के उद्भव में परिणाम

सघन वर्ग जिसे सामाजिक और सामाजिक वर्ग कहा जा सकता है

शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। इस अर्थ में यह कहा जा सकता है कि इंद्र साहनी केवल सिद्धांतों का विकास है।

बालाजी, R.Chitralekha और वसंत कुमार, जो

इंगित किया कि एक पिछड़े के उन्नत खंड

मलाईदार परत का गठन करने वाली जाति वस्तुतः वही आशा कुमार ठाकुर बनाम है।

भारत और ओआरएस का संघ।

61

अग्र वर्ग के रूप में। यदि मलाईदार परत को बाहर नहीं रखा जाता है तो आरक्षण का लाभ ऐसे लोगों द्वारा विनियोजित किया जाएगा।

उन्नत अनुभाग। [पैरा 12] [467-बी-जी]

2.6 जब इंद्र साहनी ने उस मलाईदार परत को पकड़ रखा था

अनुच्छेद 16 (4) के प्रयोजनों के लिए बाहर रखा जाना चाहिए। 'पिछड़े वर्ग' के साथ जो 'सामाजिक रूप से' की तुलना में बहुत व्यापक है

और अनुच्छेद में आने वाला शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग

15 (4) और (5), यह बिना कहे चला जाता है कि इसके बिना

मलाईदार परत को हटाना सामाजिक और सामाजिक नहीं हो सकता है। शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। इसलिए जब किसी जाति की पहचान सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जाति के रूप में की जाती है,

यह एक 'सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग' तभी बन जाता है जब यह अपनी मलाईदार परत को छोड़ देता है। [पैरा 12] [468-बी-डी]

इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 सप्ली। (3) एससीसी

217 ; एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1963 सप. (1) एससीआर 439; R.Chitralekha v. मैसूर राज्य (1964) 6 एससीआर 368; आंध्र प्रदेश राज्य बनाम। पी. सागर (1968) 3 एससीआर 595; जानकी प्रसाद परिमू बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य (1973) 1 एस. सी. सी. 420;

केरल राज्य बनाम। एन. एम. थॉमस (1976) 2 एससीसी 310;

K.C.Vasanth कुमार बनाम। कर्नाटक राज्य 1985 सप. एससीसी

714 ; ए. पीरियाकरुप्पन बनाम शोभा जोसेफ (1971) 1 एससीसी

38 ; अशोक कुमार ठाकुर बनाम। बिहार राज्य-(1995) 5 एससीसी 403 ; इंद्र साहनी बनाम। भारत संघ (II)-(1996) 6 एस. सी. सी. 506

और M.Nagaraj v। भारत संघ-(2006) 8 एस. सी. सी. 212-आश्रित पर।

2.7 जाति ने सदियों से इस देश को विभाजित किया है। इसमें है।

इसके विकास में बाधा डाली। एक जातिविहीन समाज होगा

एक महान सपने की प्राप्ति। शुरू में, आरक्षण का प्रभाव जाति को कायम रखने के लिए प्रतीत हो सकता है। द.

पिछड़ेपन से छुटकारा पाना चाहते थे-या तो सामाजिक या आर्थिक। लेकिन आरक्षण के बाद भी एक प्रवृत्ति है उन लोगों में से जिन्हें 'फॉरवर्ड' माना जाता है, 'बैकवर्ड' टैग पाने के लिए, [2008] 4 एस. सी. आर. के लाभों का आनंद लेने की उम्मीद में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आरक्षण। जब अधिक से अधिक लोग चाहते हैं ' देश में ही 'प्रगति' के बजाय 'पिछड़ेपन'

रुक जाता है। जो भी हो सकता है। सकारात्मक के रूप में आरक्षण

आगे लाने के लिए केवल एक सीमित अवधि के लिए कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को एक सौम्य समर्थन देते हुए। लेकिन अगर कोई समीक्षा नहीं है

एक उचित अवधि के बाद और यदि आरक्षण जारी रहता है,

देश एक जाति विभाजित समाज बन जाएगा।

स्थायी रूप से। एक संयुक्त समाज का विकास करने के बजाय विविधता, हम हमेशा के लिए एक खंडित समाज के रूप में समाप्त हो जाएंगे

एक-दूसरे पर संदेह करते हैं। जबकि सकारात्मक भेदभाव

समानता का मार्ग है तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह मार्ग ऐसा न बन जाए जिसमें प्रगति का वाहन हो।

फंसा हुआ और अटक जाता है। आरक्षण के लिए कोई प्रावधान यह एक अस्थायी बैसाखी है। अनावश्यक रूप से ऐसी बैसाखी

लंबे समय तक उपयोग, एक स्थायी दायित्व नहीं बनना चाहिए।

यह महत्वपूर्ण है कि संविधान विशेष रूप से ऐसा नहीं करता है

एक जातिविहीन समाज निर्धारित करें और न ही जाति को समाप्त करने का प्रयास करें।

लेकिन जाति के नाम पर भेदभाव को रोककर और सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान करके संविधान

जाति के आधार पर स्थिति में अंतर को हटा दें।

जब जातियों के बीच स्थिति में अंतर है

हटा दिए जाने पर सभी जातियां समान हो जाएंगी। यह होगा

एक जातिविहीन समतावादी समाज की शुरुआत। [पैरा 13]

[468 - ई-एच; 469-ए-सी]

3. माननीय मुख्य न्यायाधीश से सहमति व्यक्त की। द सेंट्रल

शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम,

2006 केवल इसलिए अमान्य नहीं है कि जाति आधारित आरक्षण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन अधिमानतः

दस साल बाद एक समीक्षा होनी चाहिए जिस पर ध्यान दिया जाए परिस्थितियों में परिवर्तन। आरक्षण का एक वास्तविक उपाय किए जाने पर चुनौती के लिए खुला नहीं हो सकता है।

लेकिन एक समय अवधि के दौरान, यदि आरक्षण जारी रहता है

आरक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के बावजूद, कानून

जो बनाए जाने पर वैध था, अमान्य हो सकता है। [पैरा बी]

[460 - बी-सी] अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

63

4.1 माननीय मुख्य न्यायाधीश से सहमत हैं कि

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत का आरक्षण नहीं है। अवैध है। [पैरा डी] [460-ई]

4.2 लेकिन सवाल यह है कि क्या सदस्य

अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित जो चुने जाते हैं

अपनी योग्यता के आधार पर खुला प्रतियोगिता क्षेत्र

के लिए आरक्षित 27 प्रतिशत कोटा के खिलाफ गिना जाना चाहिए

सक्षम अधिनियम के तहत अन्य पिछड़े वर्ग

संविधान के अनुच्छेद 15 (5) द्वारा इसे खुला छोड़ दिया जाएगा।

[पैरा डी] [460-एफ-जी]

राइट अपीलीय न्यायनिर्णय: लेखन याचिका (सिविल)

2006 का सं. 265।

के साथ

डब्ल्यू. पी. (ग) संख्या। 269 & 598 2006 का आई. ए. सं. 5, डब्ल्यू. पी. (ग) संख्या।

29 , 35 , 53 , 336 , 313 , 335 , 231 , 425 & 428 2007 और अवमानना

डब्ल्यू. पी. में याचिका (सी) सं. 112/07 (ग) 2006 की सं. 265।

जी. ई. वाहनवती, सोल। भारत के जनरल गोपाल सुब्रमण्यम,

एएसजी। , शैल कुमार द्विवेदी, जयश्री आनंद, मंजीत सिंह, जे. एस.

अत्री और अरुणेश्वर गुप्ता, ए. ए. जी. , आर. विदुथलाई और सोनम

पी. वांगदी, एजी। , एफ. एस. नरीमन, डॉ. राजीव धवन, पी. पी. राव, के. परासरन, इंद्र जय सिंह, टी. आर. अंधारुजुना, राकेश

द्विवेदी, रविवर्मा कुमार, राम जेठमलानी और रंजीत कुमार, विकास मेहता, गोपाल शंकरनारायणन, अर्जुन सुरेश,

एम. एल. लाहोटी, पबन के. शर्मा, पूनम लाहोटी, हिमांशु

शेखर, अनुराग शर्मा, प्रशांत कुमार, सुशील कुमार जैन, उत्तरा, किरण सूरी, अनिरुद्ध शर्मा, शशि भूषण,

पुरुषोत्तम एस. टी., अभिषेक गुप्ता, अंशुमन अशोक, एच. एस.

उप्पल, रुचिता उप्पल, मोहन पांडे, सुब्रमण्यम प्रसाद,

मेहता, आर. गोपाल कृष्णन, जय किशोर सिंह, प्रतिभा जैन, पुनीत जैन, क्रिस्टी जैन, एच. डी. थानवी, अपराजित सिंह, अमीश

झा, विवेकानंद, कमल दीप, पवन कुमार, देवदत्त कामत, ऋषिकेश बरुआ, चिनमॉय प्रदीप शर्मा, टी. एस. मूर्ति,

अरुणाभ पटनायक, रोहित शर्मा, स्पर्श भार्गव, सुषमा सूरी, 64

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

गर्वेश काबरा, श्रीश कुमार मिश्रा, वंदना मिश्रा, एस.

वसीम ए. कादरी, मनोज कुमार द्विवेदी, वी. जी. प्रगसम, एस.

जोसेफ अरस्तू, एस. प्रभु रामसुब्रमण्यम, मजोज सक्सेना, रजनीश के. सिंह, राहुल शुक्ला (टी. वी. जॉर्ज के लिए), जी. प्रकाश,

बीना प्रकाश, के. एन. मधुसूदनन, आर. सतीश, रंजन

राव, विश्वजीत मेइतेई, अतुल झा, डी. के. सिन्हा, एस. एस. शिंदे, आशा जी. नायर, अशोक भान, सुनील रॉय, अलका शर्मा, अमन सिन्हा, किरण

भारद्वाज, अनीता साहनी (डी. एस. माहरा के लिए), नवीन कुमार सिंह,

शाश्वत गुप्ता, ए. मारियारपुथम, अरुणा माथुर (मेसर्स. अर्पुथम

अरुणा एंड कंपनी), डॉ. कैलाश चंद, प्रशांत भूषण, बी. बी.

सिन्हा, अनिल श्रीवास्तव, ए. सुब्बा राव, डी. एल. चिदानंद, निखिल नय्यर, अंकित सिंघल, रामेश्वर प्रसाद गोयल, सी. जी. सोलशे,

जनार्दन दास, श्वेतकेतु मिश्रा, टी. वी. जॉर्ज, संजय आर.

हेगड़े, अमित के. चावला, विक्रांत यादव, ऋतुराज विश्वास, मोहित

कुमार शाह, गौरव लिब्रहान, शांतनु कृष्णा, अमित सिंह,

चौधरी, यू. हजारिका, सत्य मित्रा, सुमिता हजारिका, वी. के. बीजू, डी. के. गर्ग, अभिषेक गर्ग, विकास उपाध्याय, बी. एस. बंथिया, एस.

चंद्रशेखर, शिव पूजन सिंह, प्रभाश कुमार यादव,

श्रीनिवासन, रितु राज सिंह, विवेक बी. ओ., रणबीर यादव, मधुष्मिता बोरा, एस. बालाजी, एस. आर. शर्मा और कमल गुप्ता,

उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई. 1. के लिए आरक्षण

शैक्षणिक संस्थानों में या सार्वजनिक रोजगार के लिए प्रवेश

इस न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों में विभिन्न मुकदमों में चुनौती का विषय रहा है। अलग-अलग राय हैं आरक्षण की आवश्यकता के संबंध में व्यक्त किया गया। हालांकि कई

किसी भी प्रकार के आरक्षण का विरोध करने के लिए आधार बनाए गए हैं,

स्वतंत्र भारत में कुछ लोगों ने आशा कुमार ठाकुर बनाम के साथ असहमति जताई है।

भारत और ओआरएस का संघ।

65

[के. जी. बालाकृष्णन ", सी. जे. आई.]

प्रस्ताव है कि जनसंख्या के वंचित वर्ग योग्य हैं और उन्हें "विशेष सहायता" की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा हुआ है।

किस श्रेणी के बारे में काफी असहमति वंचित वर्ग इस तरह की मदद के हकदार हैं।

किस चीज की प्रभावकारिता और औचित्य के बारे में मदद लेनी चाहिए

सरकार ने इस संबंध में कार्रवाई की है।

2. पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अध्यक्षता की

कांग्रेस विशेषज्ञ समिति ने संविधान के समक्ष जोर दिया

सर्वोच्च प्राथमिकता। उनका मानना था कि केवल यही भारत का निर्माण कर सकता है एक जातिहीन और वर्गहीन समाज, जिसके बिना संविधान बेकार और उद्देश्यहीन हो जाएगा। संस्थापक पिता

इस प्रकार संविधान के लोग असमानता की लहरों से अवगत थे

समाज में मौजूद, जाति की धारणा की निंदा की और यह सुनिश्चित किया कि संवैधानिक ढांचे में पर्याप्त सुरक्षा उपाय हों

जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से उत्थान सुनिश्चित करेगा।

नागरिकों के पिछड़े वर्ग, इस प्रकार समान समाज का निर्माण करते हैं।

"सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े" शब्द और इसके घटक वर्गों की व्याख्या आने वाली पीढ़ियों को तय करने के लिए छोड़ दी गई थी।

3. समानता के बारे में डॉ. अम्बेडकर ने कहा

संविधान सभा 2:

$ 6 हमें इस तथ्य को स्वीकार करते हुए शुरुआत करनी चाहिए कि भारतीय समाज में दो चीजों का पूर्ण अभाव है। इनमें से एक

ये समानताएँ हैं। सामाजिक स्तर पर, हमारे पास भारत में एक है

श्रेणीबद्ध असमानता के सिद्धांत पर आधारित समाज जो

इसका अर्थ है कुछ के लिए उन्नयन और दूसरों के लिए क्षरण। उस पर

आर्थिक स्तर पर, हमारे पास एक ऐसा समाज है जिसमें कुछ ऐसे हैं जिनके पास अपार धन है जबकि कई ऐसे हैं जिनके पास अपार धन है।

घोर गरीबी में रहते हैं।

4. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश लॉटरपैक्ट ने 1945 में लिखते हुए, के सिद्धांत के महत्व का वर्णन किया

1। संविधान सभा की बहस 317 (बुधवार, 22 जनवरी, 1947)

2 11 वीं संविधान सभा की बहस 979 (शुक्रवार, 25 नवंबर, 1949)

निम्नलिखित शब्दों में समानताएँ:

" कानून के समक्ष समानता का दावा महत्वपूर्ण अर्थों में मनुष्य के अधिकारों में सबसे मौलिक है। यह कब्जा कर लेता है

अधिकांश लिखित संविधानों में प्रथम स्थान। यह शुरुआत है।

अन्य सभी स्वतंत्रताओं का बिंदु।" 3

5. विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समानता को सुनिश्चित किया गया है।

उपकरण, जैसे 1948 की मानव की सार्वभौमिक घोषणा

अधिकार। इसकी प्रस्तावना "समान और अपरिहार्य अधिकारों" की बात करती है।

मानव परिवार के सभी सदस्यों के लिए, और पुरुषों और महिलाओं के समान अधिकारों के लिए। 4

6. आरक्षण उन कई उपकरणों में से एक है जिसका उपयोग किया जाता है

समानता के सार को संरक्षित और बढ़ावा देना, ताकि वंचित समूहों को नागरिक मामलों में सबसे आगे लाया जा सके जीवन। सकारात्मक उपायों को बढ़ावा देना भी राज्य का कर्तव्य है

असमानता की बाधाओं को दूर करना और विविध समुदायों को सक्षम बनाना।

स्वतंत्रता का आनंद लेने और गारंटीकृत लाभों को साझा करने के लिए

संविधान। शिक्षा के संदर्भ में, कोई भी उपाय जो ज्ञान, सूचना और विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है, और

भारत की विशाल विविधता के बीच सीखने को प्रोत्साहित और बेहतर बनाता है।

वर्ग प्रोत्साहन के पात्र हैं। आधुनिक का सामना करने के लिए

दुनिया और इसकी जटिलताओं और अशांत समस्याओं, शिक्षा है

एक जरूरी है और यह एक के लाभ के लिए बंद नहीं रह सकता है

कुछ विशेषाधिकार प्राप्त। आरक्षण उस अतिरिक्त लाभ को प्रदान करता है

वे व्यक्ति जो इस तरह के समर्थन के बिना हमेशा के लिए केवल सपने देख सकते हैं

लाभ आवश्यक है। राष्ट्रपति लिंडन के शब्दों में जॉनसन,

" आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं लेते हैं, जो वर्षों से जंजीरों से घिरा हुआ है और उसे मुक्त कर देता है।

शुरू करने वाली पंक्ति और फिर कहें, 'आप प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्वतंत्र हैं

लॉटरपैक्ट, एन इंटरनेशनल बिल ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन (न्यूयॉर्क,

कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, 1945)

4 मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, पी. एम. बी. एल. , जी. ए. रेस 217 ए, यू. एन. जी. ए. ओ. आर., तीसरा उपकर।, पं. 1 , 71, यू. एन. डॉक ए/810 (1948)

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

67

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

बाकी सब। "

7. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद समापन भाषण में

संविधान सभा ने निम्नलिखित शब्दों में कहा:

" ..... हम सभी को आश्वासन देते हैं कि यह हमारा प्रयास होगा।

गरीबी और गंदगी और उसके साथियों, भूख को समाप्त करने के लिए

और रोग; भेद और शोषण को समाप्त करना और
जीवन की सभ्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित करें। हम आगे बढ़ रहे हैं

एक महान कार्य। हम आशा करते हैं कि इसमें हमारे पास होगा

हमारे सभी लोगों की निरंतर सेवा और सहयोग और

सभी समुदायों की सहानुभूति और समर्थन। "

8. यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कई अन्य

लोकतंत्रों को इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वे इन मुद्दों से जूझते हैं -

भेदभाव, उनके अपने सामाजिक संदर्भ में। हालांकि उनके सामाजिक

संरचना हमारी तुलना में स्पष्ट रूप से अलग हो सकती है, बड़े संदर्भ में असमानता की समस्या और इससे निपटने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण।

आम हो सकता है। जैसा कि न्यायमूर्ति रूथ बेडर गिन्सबर्ग ने 1999 में 51 वें कार्डोजो मेमोरियल व्याख्यान में कहा था:

" मेरे विचार में, तुलनात्मक विश्लेषण जोरदार रूप से प्रासंगिक है।

संविधानों की व्याख्या करने और उन्हें लागू करने का कार्य

मानवाधिकार। हम हारे हुए हैं अगर हम दूसरों की उपेक्षा करते हैं जो हम कर सकते हैं

महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह को खत्म करने के प्रयासों के बारे में हमें बताएं,

अल्पसंख्यक और अन्य वंचित समूह। अविवेकी के लिए
पूर्वाग्रह और श्रेणी भेदभाव हमारे देश में संक्रामक हैं।

संसार। इसमें, वास्तविकता के साथ-साथ मुकाबला करने का दृढ़ संकल्प

हम सब इसे साझा करते हैं।

9. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि कोई भी आरक्षण या

वरीयता विपरीत भेदभाव का कारण नहीं बनेगी। द. संविधान (नब्बे-तीसरा) संशोधन अधिनियम, 2005 और

अन्य पिछड़े वर्गों (ओ. बी. सी.), अनुसूचित जातियों (एस. सी. एस.) और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने के लिए 2007 का अधिनियम 5 लागू करना। 5 राष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन, हावर्ड विश्वविद्यालय की शुरुआत

पता, "इन अधिकारों को पूरा करने के लिए", 4 जून, 1965

6 5 संविधान सभा की बहस 2 (गुरुवार, 14 अगस्त 1947)

[2008] 4 एस सी आर।

वर्ग/सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग दृढ़ता से हैं। इन मामलों में विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा विरोध किया गया। प्ररख्यात वकील

याचिकाकर्ताओं और उत्तरदाताओं दोनों की ओर से पेश हुए। विद्वान। सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हुए और

उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। हमने संबोधित करने की पूरी कोशिश की है

देखभाल और ध्यान, द्वारा दिए गए विभिन्न तर्क विद्वान सलाह और हम उन सभी के लिए बहुत आभारी हैं

जिस तरह से उन्होंने मामले का विश्लेषण और प्रस्तुत किया है

जो हमारे सामने बहुत महत्वपूर्ण है, समुदाय के बड़े वर्गों को प्रभावित करता है।

10. संविधान (नब्बे-तीसरा संशोधन) अधिनियम द्वारा,

2005 , संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड (5) जोड़ा गया था।

जो नीचे लिखा है:

अनुच्छेद 19 राज्य को कोई विशेष कार्य करने से रोकेगा।
कानून द्वारा, किसी भी सामाजिक और सामाजिक उन्नति के लिए प्रावधान

नागरिकों के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए या

जहाँ तक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

ऐसे विशेष प्रावधान उनके प्रवेश से संबंधित हैं

निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थान

संस्थान, चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या बिना सहायता प्राप्त, अन्य

में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की तुलना में

अनुच्छेद 30 का खंड (1)।

11. उन्नी कृष्णन में, जे. पी. और अन्य। बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और Ors.7, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि शैक्षिक स्थापना का अधिकार

संस्थान न तो व्यापार या व्यवसाय हो सकते हैं और न ही यह अनुच्छेद 19 (1) (जी) के अर्थ के भीतर एक पेशा हो सकता है। यह था।

कर्नाटक और Ors.[3], जिसमें यह माना गया था कि सभी नागरिकों के पास है 7 1993 (1) एस. सी. सी. 645 2002 (8) एस. सी. सी. 481 अशोक कुमार ठाकुर बनाम

भारत और ओआरएस का संघ।

69

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

शिक्षा की स्थापना और प्रशासन का मौलिक अधिकार

अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत संस्थान और "व्यवसाय" शब्द अनुच्छेद 19 (1) (जी) की स्थापना और संचालन को समझता है

शैक्षणिक संस्थान और राज्य में प्रवेश का विनियमन

ऐसे संस्थानों को व्यापार करने के उस मौलिक अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध के रूप में नहीं माना जाएगा

संविधान का अनुच्छेद 19 (6)। शिक्षा मुख्य रूप से

राज्य सरकारों की जिम्मेदारी। संघ सरकार

समाज के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा के अवसर। संसद ने संविधान (नब्बे-तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा अनुच्छेद 15 (5) पेश किया ताकि राज्य को ऐसा करने में सक्षम बनाया जा सके -

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक रूप से उन्नति के लिए ऐसा प्रावधान

नागरिकों के संबंध में शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (एस. ई. बी. सी.)

एक विशिष्ट विषय, अर्थात्, शिक्षा में प्रवेश

निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित संस्थान

अनुच्छेद 19 (1) (छ)। संविधान के उद्देश्यों और कारणों के विवरण (नब्बे-तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2005 में यह कहा गया है - बयान में कहा गया है:

" वर्तमान में, सहायता प्राप्त या उपलब्ध सीटों की संख्या

राज्य द्वारा बनाए गए संस्थान, विशेष रूप से

पेशेवर शिक्षा, उनकी तुलना में सीमित है

निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में।
सामाजिक रूप से शैक्षिक प्रगति को बढ़ावा देना

इनसे संबंधित छात्रों के प्रवेश के मामले
इसके अलावा गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में श्रेणियां

खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान

संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत इसे बढ़ाने का प्रस्ताव है।

अनुच्छेद 15. नया खंड (5) संसद को सक्षम बनाएगा।

साथ ही राज्य विधानमंडलों को उचित बनाने के लिए
ऊपर वर्णित उद्देश्यों के लिए कानून। "

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

12. उपरोक्त संविधान के बाद (नब्बे-तीसरा संशोधन)

संसद ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 (2007 का सं. 5) पारित किया। (इसके बाद "2007 का अधिनियम 5" के रूप में संदर्भित)।

13. 2007 के अधिनियम 5 की धारा 3 में आरक्षण का प्रावधान है -

15 % अनुसूचित जातियों के लिए सीटें, अनुसूचित जातियों के लिए 7 2 प्रतिशत सीटें

केंद्र में जनजातियाँ और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत

शैक्षणिक संस्थान। उक्त खंड नीचे निकाला गया है:

" 3. प्रवेश में सीटों का आरक्षण और इसकी सीमा

में एक केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रदान किया जाएगा

निम्नलिखित तरीके से, अर्थात्:

((i)

प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुमत संख्या से बाहर
अध्ययन या संकाय की पंद्रह प्रतिशत सीटें होंगी

अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित;

((ii) प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुमत संख्या में से

अध्ययन या संकाय की साढ़े सात प्रतिशत सीटें

अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जाएगा;

((iii) प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुमत संख्या में से

अध्ययन या संकाय की बीस-सात प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए
आरक्षित की जाएंगी।

14. " केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान को परिभाषित किया गया है।

अधिनियम की धारा 2 (डी) के तहत निम्नानुसार:

2 (घ) "केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान" का अर्थ है -

द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय

((i)

एक केंद्रीय अधिनियम;

((ii) किसी अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व की संस्था।

संसद का;

(iii) एक संस्थान, जिसके तहत एक मानद विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया है

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3,

1956 , द्वारा अनुरक्षित या सहायता प्राप्त करना

केंद्र सरकार; अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 71

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

((iv) द्वारा अनुरक्षित या सहायता प्राप्त करने वाली संस्था

और खंड (i) में निर्दिष्ट संस्था से संबद्ध
या खंड (ii), या किसी संस्था की घटक इकाई,

खंड (iii) में निर्दिष्ट;

(v) केंद्र द्वारा स्थापित एक शैक्षणिक संस्थान

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सरकार,

1860 .

15. विभिन्न समूहों के लिए आरक्षण का प्रतिशत

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में

कक्षाएं वार्षिक अनुमत शक्ति के संदर्भ में हैं

केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान और वार्षिक अनुमति प्राप्त संस्थान

अधिनियम की धारा 2 (बी) के तहत शक्ति को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

2 (ख) "वार्षिक अनुमत शक्ति" का अर्थ है -

शिक्षण या निर्देश के लिए किसी पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में सीटें

द्वारा प्राधिकृत अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में

केंद्र में छात्रों के प्रवेश के लिए उपयुक्त प्राधिकरण

शैक्षणिक संस्थान 16.

अधिनियम की धारा 4 विशेष रूप से कहती है कि प्रावधान

धारा 3 की धारा कुछ संस्थानों पर लागू होगी। खंड 4 में लिखा है - निम्नानुसार:

4 .

इस अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

से -

(क) में स्थापित एक केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान

छठी अनुसूची में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्र

संविधान;

(ख) उत्कृष्टता के संस्थान, अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय और रणनीतिक महत्व के संस्थान।

इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट;

बशर्ते कि केंद्र सरकार, जब भी हो

आधिकारिक में अधिसूचना द्वारा आवश्यक माना जाता है

राजपत्र, अनुसूची में संशोधन; सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

72 .

[2008] 4 एस सी आर।

(ग) इस में परिभाषित एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान

अधिनियम;

(घ) उच्च स्तर पर एक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम

विशेषज्ञता, पोस्ट-डॉक्टरेट स्तर सहित,

किसी शाखा या अध्ययन या संकाय के भीतर, जो केंद्रीय

सरकार, उपयुक्त के साथ परामर्श कर सकती है

प्राधिकरण, निर्दिष्ट करें "।

17. " "अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान" को खंड में परिभाषित किया गया है।

2 (च) अधिनियम की धारा इस प्रकार है:

" अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान "का अर्थ है एक संस्थान।
अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित

संविधान के अनुच्छेद 30 का खंड (1) और इस प्रकार घोषित

संसद के किसी अधिनियम द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा या

के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में घोषित

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का आयोग

अधिनियम, 2004 "

18. धारा 2 (जी) "अन्य पिछड़े वर्गों" को इस प्रकार परिभाषित करती है -

इसके अंतर्गत:

" अन्य पिछड़े वर्गों का अर्थ है -

नागरिक जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, और
केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं "

19. खंड 2 (एच) "अनुसूचित जातियों" और खंड को परिभाषित करता है।

2 (i) "अनुसूचित जनजातियों" को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

" अनुसूचित जातियों का अर्थ है अधिसूचित अनुसूचित जातियाँ।

संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत;
" अनुसूचित जनजाति का अर्थ है अधिसूचित अनुसूचित जनजाति।

संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत।

20. अधिनियम की धारा 5 में सीटों की वृद्धि को अनिवार्य किया गया है

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े लोगों को आरक्षण प्रदान करके केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान

कक्षाएँ। धारा 5 इस प्रकार है:

" 5. (1) आशा कुमार ठाकुर v के खंड (iii) में कुछ भी निहित होने के बावजूद।

भारत और ओआरएस का संघ।

73

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

धारा 3 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में, प्रत्येक केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान, पूर्ववर्ती प्रावधानों के साथ,

उपयुक्त प्राधिकारी की मंजूरी, संख्या बढ़ाएँ

अध्ययन या संकाय की एक शाखा में इसके ऊपर और ऊपर की सीटों का

संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित लोगों को छोड़कर
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य

इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से तुरंत पहले के शैक्षणिक सत्र के लिए उपलब्ध सीटें। (2) जहाँ, किसी भी केंद्रीय शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रतिनिधित्व पर

संस्थान, केंद्र सरकार, उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से, संतुष्ट है कि कारणों से वित्तीय, शारीरिक या शैक्षणिक सीमाएँ या

शिक्षा के मानकों को बनाए रखना, वार्षिक अनुमति

अध्ययन की किसी भी शाखा या ऐसे संस्थान के संकाय में संख्या
निम्नलिखित शैक्षणिक सत्र के लिए वृद्धि नहीं की जा सकती है।

इस अधिनियम के प्रारंभ में, यह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी संस्था को वृद्धि करने की अनुमति दे सकता है

अधिकतम तीन की अवधि में वार्षिक अनुमत शक्ति

बाद के शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाले वर्ष

इस अधिनियम का प्रारंभ; और फिर,

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान के अनुसार आरक्षण

धारा 3 के खंड (iii) में उस शिक्षा के लिए सीमित होगा।

सत्र इस तरह से हो कि उपलब्ध सीटों की संख्या

प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अनुमत वृद्धि के अनुरूप हैं

प्रत्येक वर्ष के लिए शक्ति "।

21. अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) (iv) के तहत "केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों" की परिभाषा के आधार पर, सभी

एक केंद्रीय अधिनियम के तहत निगमित, राष्ट्रीय संस्थान संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित महत्व, मानित विश्वविद्यालय [2008] 4 एस. सी. आर.

केंद्र सरकार से सहायता बनाए रखना या प्राप्त करना और

केंद्र सरकार द्वारा समितियों के साथ स्थापित संस्थान

पंजीकरण अधिनियम, 1960 को निम्नलिखित के दायरे में लाया गया है:

अधिनियम की धारा 3 के तहत आरक्षण। अधिनियम का उद्देश्य है -

केवल ऐसे संस्थानों में आरक्षण लागू करना जो -

"केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान" के रूप में परिभाषित किया गया है न कि किसी अन्य निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान के रूप में।

22. अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण

अधिनियम का उद्देश्य इस प्रकार है:

" पेशेवर सहित उच्च शिक्षा तक अधिक पहुंच

शिक्षा, नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित बड़ी संख्या में छात्रों के लिए या

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए,

प्रवेश में नागरिकों के पिछड़े वर्ग (ओ. बी. सी.)
शैक्षणिक संस्थान इन प्रावधानों से उत्पन्न होते हैं -

सहायता प्राप्त या राज्य द्वारा अनुरक्षित संस्थानों में उपलब्ध,
विशेष रूप से व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में, सीमित है

निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों की तुलना में।

2. यह अनुच्छेद 46 में एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में निर्धारित किया गया है -

राज्य की नीति, जिसे राज्य विशेष सावधानी के साथ बढ़ावा देगा

कमजोर लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हित

लोगों के वर्गों और उन्हें सामाजिक से बचाएँ

अन्याय। शिक्षा तक पहुँच महत्वपूर्ण है ताकि

संबंधित व्यक्तियों की उन्नति सुनिश्चित करना

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक रूप से
और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी संदर्भित किया जाता है

ओ बी सी। 3. अनुच्छेद 30 का खंड (1) सभी अल्पसंख्यकों को अपने क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है।

चयन करें। यह आवश्यक है कि स्थापित संस्थानों के संबंध में अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध अधिकारों की रक्षा की जाए और

उनके द्वारा प्रशासित। तदनुसार, संस्थानों ने अशोक कुमार ठाकुर बनाम घोषित किया।

भारत और ओआरएस का संघ। 75

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

राज्य द्वारा खंड (1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थान होने के लिए

अनुच्छेद 30 को प्रस्ताव के संचालन से हटा दिया गया है।

4. सामाजिक रूप से शैक्षिक प्रगति को बढ़ावा देना

और नागरिकों के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग अर्थात

ओ. बी. सी. या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

इन श्रेणियों से संबंधित छात्रों के गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामलों में,

खंड में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान

(1) संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत इसे बढ़ाने का प्रस्ताव है।

ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों के लिए कानून।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

23. संविधान (नब्बेवां संशोधन) अधिनियम, 2005,

जिसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15 (5) जोड़ा गया था,

इन याचिकाओं में विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई। अधिनियम के पारित होने के बाद दायर की गई कुछ रिट याचिकाओं में

2007 के अधिनियम 5 के प्रावधान। प्रारंभ में, ये रिट याचिकाएँ थीं दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुना गया। संवैधानिक पर विचार करें

इन प्रश्नों के महत्व के कारण, इन सभी रिट याचिकाओं को एक संविधान पीठ को भेजा गया था।

24. हमने विद्वान वकील को उनकी ओर से पेश होते हुए सुना है

विभिन्न याचिकाकर्ता। विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री हरीश

साल्वे, श्री एफ. एस. नरीमन, श्री के. के. वेणुगोपाल, श्री पी. पी. राव

और डॉ. राजीव धवन और विद्वान वकील श्री सुशील कुमार जैन ने याचिकाकर्ताओं की ओर से मुख्य दलीलों को संबोधित किया। श्री अशोक कुमार ठाकुर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। समर्थन करते हुए संविधान (नब्बेवां संशोधन) अधिनियम, 2005 और

उक्त अधिनियम के प्रावधान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के.

परासरन, भारत संघ की ओर से पेश हुए, विद्वान सॉलिसिटर

जनरल श्री जी. ई. वाहनवती और विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने दलीलें प्रस्तुत कीं। हम. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम जेठमलानी को भी सुना है,

श्री T.R.Andhyarujina, सुश्री इंद्रा जयसिंह, श्री राकेश द्विवेदी सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और श्री रविवर्मा कुमार। हमे भी फायदा हुआ

इन वकीलों द्वारा लिखित प्रस्तुतियाँ।

25. संविधान के खिलाफ तर्क दिए गए

(नब्बे-तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2005 और 2007 का अधिनियम 5

संक्षेप में इस प्रकार है।

26. यह विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हरीश साल्वे द्वारा तर्क दिया गया था, जिन्होंने अपनी दलीलों को संविधान की संवैधानिकता तक सीमित रखा।

अधिनियम के प्रावधान, विशेष रूप से धारा 3 के उपखंड (3)

सामाजिक और शैक्षिक रूप से सीटों की कुल संख्या के 27 प्रतिशत तक के आरक्षण से संबंधित अधिनियम नागरिकों के पिछड़े वर्ग "। उनके अनुसार, प्रवेश

शैक्षणिक संस्थानों को विशुद्ध रूप से योग्यता पर आधारित होना चाहिए और

राज्य को उन छात्रों की तुलना में कम योग्यता वाले छात्र को वरीयता देने की अनुमति देना, जिन्हें अन्यथा प्रवेश मिलता।

भेदभावपूर्ण। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सभी स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण हैं

कानून समानता के शासन का उल्लंघन करते हैं और यह राज्य के लिए है

समानता के सिद्धांतों को बनाए रखना और आवश्यकता को स्थापित करना

ऐसे कानून और उनकी वैधता। यह आगे तर्क दिया गया कि अनुच्छेद

15 (5) अधिनियम की वैधता की रक्षा नहीं करता है और यह प्रावधान

केवल जाति के आधार पर अधिमान्य प्रवेश के लिए अधिनियम में

संविधान के अनुच्छेद 29 (2) का उल्लंघन करेगा, जैसा कि निर्धारित किया गया है।

मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम

दोराईराजन। यह भी तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 15 (5) हो सकता है

अनुच्छेद 15 (1) और सकारात्मक कार्रवाई के अपवाद के रूप में समझा गया,

यदि अत्यधिक है, तो इसके परिणामस्वरूप विपरीत भेदभाव होना तय है जो

इसकी अनुमति नहीं है। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार,

यह एक वास्तविक सोशल इंजीनियरिंग उपाय नहीं है, बल्कि वोट बैंक है

राजनीति करें और समाज में स्थायी दरारें पैदा करें। यह तर्क दिया गया था कि अधिनियम के प्रावधान अनुच्छेद का उल्लंघन करते हैं

14 और इसे केवल बाध्यकारी राज्य के आधार पर ही उचित ठहराया जा सकता है।

आवश्यकता है। एक बाध्यकारी राज्य आवश्यकता स्थापित करने के लिए आर्थिक विधान के मामले में सामान्य रूप से दिखाई जाने वाली अनिवार्यता की तुलना में अधिक मात्रा में मजबूरी आवश्यक है। द.

विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस तर्क पर विस्तार से चर्चा की कि

9 1951 एस. सी. आर. 525 अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 77

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह का कानून, यानी विवादित अधिनियम, सकारात्मक कार्रवाई के प्रयास को "संदिग्ध" माना जाना चाहिए।

कानून "और इसे" सख्त जांच "के परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। और "बाध्यकारी राज्य आवश्यकता"। अंत में, विद्वान वकील

तर्क दिया कि मलाईदार परत का गैर-बहिष्कार अपने आप में अवैध है और

इंद्र साहनी बनाम भारत संघ और Ors.10 में इस न्यायालय द्वारा जो निर्धारित किया गया है, उसके विपरीत

27. संविधान की वैधता (नब्बे-तीसरा संशोधन)

अधिनियम, 2005 को यह तर्क देकर गंभीर रूप से चुनौती दी गई थी कि

संशोधन संविधान की मूल संरचना के लिए विनाशकारी है। विद्वान वकील का विचार था कि दोनों अधिनियम भी

संविधान (नब्बे-तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2005 के अनुसार

संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित किया जाना।

28. डॉ. राजीव धवन, विद्वान वरिष्ठ वकील उपस्थित हुए

रिट याचिका संख्या 53/2007 में याचिकाकर्ताओं के लिए तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 15 (4), 15 (5) के तहत सकारात्मक कार्रवाई योजना और

16 (4) संविधान के अनुच्छेद 14,15 (1) और 16 (1) के अधिदेश का पालन करना होगा। यह तर्क दिया गया था कि ये केवल हैं

प्रावधानों को सक्षम करना और मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं।

" "के बावजूद, जैसा कि अनुच्छेद 15 (3), 15 (4) और 15 (5) में उपयोग किया गया है।

की घोषणा के बावजूद इसका अर्थ नहीं लगाया जा सकता है

समानता सिद्धांत "। इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए

और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (एस. ई. बी. सी.)। क्रीमी लेयर की अवधारणा अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 पर लागू होती है और अधिनियम में क्रीमी लेयर का गैर-बहिष्कार अवैध है।

इसके अलावा यह तर्क दिया गया कि आरक्षण के लिए सजा नहीं होनी चाहिए।

10 1992 सप.

अनारक्षित श्रेणियां और कोई रिवर्स नहीं होना चाहिए

भेदभाव। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे चुनौती दी

संविधान की संवैधानिक वैधता (नब्बे-तिहाई

संशोधन) अधिनियम, 2005 और तर्क दिया कि यह मूल के खिलाफ है संविधान की संरचना। इसके तहत निर्धारित प्रक्रिया

अनुच्छेद 368 का पालन नहीं किया गया है। यह तर्क दिया गया कि

संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधान के लिए अनुसमर्थन की आवश्यकता है -

संविधान (नब्बे-तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2005

राज्यों का आधा। संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीयकरण करना है

निजी शैक्षणिक संस्थान जो अनुचित हैं और इस संबंध में अनुमेय और संदर्भ टी. एम. ए. को दिया गया था।

पाई फाउंडेशन (ऊपर)। यह तर्क दिया गया था कि 2007 का अधिनियम 5 है

अनुचित, मनमाना, मनमौजी और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के विपरीत। उन्होंने अपने तर्कों को विस्तार से बताया कि

एम. नागराज और अन्य में निर्धारित परीक्षणों का आधार। बनाम। एल. आर. एस. द्वारा भारत संघ और Ors.[11] 11 और आई. आर. कोएल्हो (मृत)। बनाम राज्य

T.N.12 मामलों में और अंत में, प्रस्तुत किया कि 2007 का अधिनियम 5 दोनों

और संविधान (नब्बेवां संशोधन) अधिनियम, 2005 हैं जिसे संविधान के अधिकार से बाहर घोषित किया जा सकता है।

29. डॉ. राजीव धवन ने विस्तार से तर्क दिया कि 1880 से 2007 तक ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण के इतिहास का अवलोकन और

एस. ई. बी. सी. ने दिखाया कि समुदायों पर कोई जोर नहीं था

ब्रिटिश शासन और समुदाय आधारित मानदंडों द्वारा आयोजित किया गया था

चंपकम दोराईराजन (ऊपर) में अवैध होना। 1950 से

1970 , ओ. बी. सी. का पता लगाने के लिए कोई उचित जांच नहीं थी या

एस. ई. बी. सी. विद्वान वकील ने इस बात पर जोर दिया कि इंद्र साहनी के मामले (ऊपर) में, जाति को एक मानदंड के रूप में बाहर रखा गया था और

जाति के आधार पर एस. ई. बी. सी. या ओ. बी. सी. की पहचान नहीं हो सकी

यह अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) दोनों के लिए काम करता है। इसके अनुसार विद्वान वरिष्ठ वकील, एस. ई. बी. सी. की पहचान करने के लिए मानदंड

उस वर्ग पर किए गए अत्याचारों पर आधारित होना चाहिए, उस वर्ग के खिलाफ भेदभावपूर्ण पैटर्न का पालन किया जाना चाहिए,

उस वर्ग को नुकसान और शक्तिहीनता

11 (2006) 8 एस. सी. सी. 212 12 (2007) 2 एस. सी. सी. 1 अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 79

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

राज्य की शक्ति और राजनीतिक गैर का सम्मान

प्रतिनिधित्व। वर्ग भी प्रकृति में अपेक्षाकृत सजातीय होना चाहिए।

30. विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, एक है

एस. ई. बी. सी. या ओ. बी. सी. तय करने के लिए मानदंडों की कमी और इस मामले को उठाया जा रहा है।

वोट-बैंकों को उत्तेजित करने के लिए लिया गया। यह तर्क दिया गया था कि 27 प्रतिशत

2007 के अधिनियम के तहत आरक्षण मानदंडों पर आधारित था जो

अस्तित्व में नहीं था। यह तर्क दिया गया था कि मलाईदार परत सिद्धांत है

ओ. बी. सी. और एस. सी. और एस. टी. पर भी लागू होता है। यह तर्क दिया गया था

कि ऐतिहासिक भेदभाव सकारात्मक कार्रवाई और सही दृष्टिकोण के लाभार्थियों को निर्धारित करने के लिए एक वैध मानदंड नहीं है

निरंतर गलत और पिछले भेदभाव को नहीं देखना है और यह कि आरक्षण गैर-आरक्षित श्रेणी के लिए दंड नहीं होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप विपरीत भेदभाव होना चाहिए। द.

विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि नब्बे-तीसरे

संशोधन संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। यह. यह तर्क दिया गया था कि संघ को एक व्यापक और अनियंत्रित सक्षम शक्ति देने से समानता का सिद्धांत प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है

विधानमंडल जो गैर-ओ. बी. सी., एस. सी. के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है और

एसटीएस। यह तर्क दिया गया था कि जो संदर्भित किया गया था उसके बीच संतुलन

मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य में "गोल्डन ट्राइएंगल" के रूप में। बनाम भारत संघ और Ors.13 को नब्बे द्वारा पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है।

तीसरा संशोधन। यह तर्क दिया गया था कि विधायी घोषणाएँ तथ्यों की संख्या न्यायिक जांच से परे नहीं है और अदालत फाड़ सकती है

कानून की वास्तविक प्रकृति तय करने और तय करने के लिए पर्दा

संवैधानिक वैधता। यह तर्क दिया गया था कि 2007 का अधिनियम 5 है

इस आधार पर न्यायिक समीक्षा के अधीन कि यह अनुचित है

और ओ. बी. सी. की पहचान करने के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं और

राजनीतिक संरक्षण के अलावा कोई बाध्यकारी आवश्यकता नहीं थी।

31. श्री के. के. वेणुगोपाल, विद्वान वरिष्ठ वकील

गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश। अनुच्छेद 15 (5) का स्पष्ट रूप से उपयोग किया गया है 13 AIR 1980 SC 1789 = (1980) 3 SCC 625 80

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

वाक्यांश "चाहे सहायता प्राप्त हो या बिना सहायता प्राप्त", यह स्पष्ट करता है कि यह है

न कि केवल गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों तक ही सीमित। इसलिए यह यह तर्क दिया जाता है कि संविधान की शुरुआत से ही अनुच्छेद 15 (4) एक प्रावधान था और विधायी शक्ति का स्रोत था

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ सामाजिक और शैक्षिक रूप से आरक्षण देने के उद्देश्य से

सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षा में नागरिकों के पिछड़े वर्ग

संस्थाएं। दूसरी ओर, अनुच्छेद 15 (5), जो प्रदान करता है

सहायता प्राप्त क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ एस. ई. बी. सी. के लिए सीटों का आरक्षण

शैक्षणिक संस्थान इस तरह के आरक्षण को स्पष्ट रूप से बाहर करते हैं। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में बिल्कुल भी शामिल किया जा रहा है

संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के अनुसार। उनके अनुसार,

द्वारा दिए गए ओ. बी. सी., एस. सी. और एस. टी. के मूल्यवान अधिकारों को छीन लेना।

संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के तहत राज्य और यह

के संस्थापक पिताओं के प्रयास को रद्द करने में परिणाम संविधान और इसके परिणामस्वरूप एससी और एसटी को इससे बाहर रखा जाएगा

समाज की मुख्यधारा और उनके विकास को रोकने के लिए

आने वाली शताब्दियाँ। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, भारत संघ का तर्क है कि अनुच्छेद 15 (4)

और 15 (5) दोनों सक्षम प्रावधान हैं और दोनों खड़े होंगे।

एक साथ और दोनों का पालन किया जा सकता है, यह गलत है। यह था।

तर्क दिया कि अनुच्छेद 15 (4) एक योग्यता के साथ काम करता है कि कुछ भी नहीं

संविधान के अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 29 (2) में

राज्य द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करने से जबकि अनुच्छेद 15 (5) एक योग्यता के साथ काम करता है कि "अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 19 (1) (जी) में कुछ भी नहीं"

राज्य द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए इस तरह के विशेष प्रावधान करने से

साथ ही एस. ई. बी. सी. अनुच्छेद 15 (4) में योग्य शब्दों का कोई वास्तविक अर्थ या प्रभाव नहीं है क्योंकि दोनों अनुच्छेद 15 (1)

साथ ही अनुच्छेद 29 (2) केवल धर्म और/या जाति के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अतः यह तर्क दिया जाता है कि अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) के बीच सीधा संघर्ष। दोनों लेखों की तरह

के संचालन को छोड़कर एक बहिष्करण खंड शामिल है

अनुच्छेद 15 का शेष। यह तर्क दिया गया था कि संविधान (नब्बे)

तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2005 मूल संरचना का उल्लंघन है।

क्योंकि यह संविधान के केंद्रीय चरित्र का उल्लंघन करता है

आशा कुमार ठाकुर बनाम पर धर्म पर आधारित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान।

भारत और ओआरएस का संघ।

81

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

विशेष आधार और इसे सामान्य धारण करने से छूट देना एससी, एसटीएस और एसईबीसी के लिए आरक्षण का बोझ। यह तर्क दिया गया था

कि अल्पसंख्यक संस्थान का ऐसा बहिष्कार अलग नहीं किया जा सकता है

अनुच्छेद 15 (5)। जहां तक 2007 के अधिनियम 5 की वैधता का संबंध है, यह विफल रहा।

"मलाईदार परत" को जाति से बाहर करने के लिए जो प्रस्तुत करेगा

"जाति" की "पिछड़े वर्ग" के रूप में पहचान जो है

असंवैधानिक और अमान्य। उनके समावेशन के परिणामस्वरूप असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप उन्हें लाभ मिलेगा उस जाति के उन्नत वर्गों को आरक्षण। परिणाम यह होगा कि जाति को शामिल करने के लिए

आरक्षण का लाभ विशुद्ध रूप से केवल जाति के आधार पर होगा और इस प्रकार यह संविधान के अनुच्छेद 15 (1) और अनुच्छेद 29 (2) का उल्लंघन होगा।

संविधान। पृथकता का सिद्धांत लागू नहीं होता है और

अत: 2007 का अधिनियम 5 असंवैधानिक है और इसके लिए अमान्य है -

इस हद तक कि यह 'मलाईदार परत' का बहिष्कार प्रदान नहीं करता है

एस. ई. बी. सी.। इसलिए यह प्रार्थना की गई कि दोनों संविधान

(नब्बेवां संशोधन) संशोधन अधिनियम, 2005 के साथ-साथ

2007 का अधिनियम 5 असंवैधानिक के रूप में निरस्त किया जाए।

32. श्री एफ. एस. नरीमन, विद्वान वरिष्ठ वकील

डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ताओं के लिए 2007 की (सिविल) संख्या 35 ने तर्क दिया कि सामाजिक रूप से जाति को निर्धारित करने के लिए जाति एकमात्र मानदंड नहीं हो सकती है।

और अनुच्छेद 15 (4) के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग और 15 (5) संविधान और अनुच्छेद 15 (5) के लिए परीक्षण होना चाहिए

" व्यवसाय सह आय "जहाँ जाति अस्पष्ट महत्व रखने वाले कई विचारों में से एक हो या न हो, और

वैकल्पिक रूप से स्वीकार किए बिना यदि जाति को एक के रूप में लिया जाता है

इतने सारे विचार केवल वही जातियाँ हो सकती हैं जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जातियों के साथ समानता की कसौटी को पूरा करती हैं।

जनजातियाँ। यह तर्क दिया गया था कि आर. चित्रलेखा और अन्र में इस न्यायालय का निर्णय। बनाम मैसूर राज्य और अन्य। 14 फिर भी

अनुच्छेद 15 के उद्देश्य के लिए क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और आर. चित्रलेखा के मामले (ऊपर) में निर्णय की पीठ द्वारा पुष्टि की गई थी

इंद्र साहनी का मामला (ऊपर)। यह तर्क दिया गया था कि ओ. बी. सी. पहले से ही शैक्षिक रूप से आगे और उच्च में कोई आरक्षण नहीं

14 (1964) 6 एससीआर 368 82

शिक्षा उचित है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस पर भरोसा किया

सच्चर समिति में उद्धृत आयु समूहों के अनुसार साक्षरता दर रिपोर्ट करें। यह तर्क दिया गया था कि निर्णय में दिए गए आंकड़ों में

इंद्र साहनी का मामला (ऊपर), ओ. बी. सी. को नहीं लिया गया

7. शैक्षिक रूप से पिछड़े। विद्वान वरिष्ठ के अनुसार याचिकाकर्ताओं के लिए वकील, केवल अनुमान लगाया जा सकता है

ओ. बी. सी. की प्रगति और वे पिछड़े नहीं हैं। बोझ।

सरकार पर यह प्रावधान करने का दायित्व है कि इच्छित लाभार्थी

वे वास्तव में पिछड़े नागरिक हैं। ओ. बी. सी. ने सामाजिक असमानताओं या उत्पीड़न का सामना नहीं किया है जो अनुसूचित जाति पर किया गया था।

समाज द्वारा जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ और, के अनुसार

विद्वान वरिष्ठ वकील, जाति-व्यवसाय का संबंध मुश्किल से

आज जीवित है और एक भ्रामक मार्गदर्शक है। जाति आधारित

व्यवसाय संघ तेजी से गायब हो रहा है

भारतीय समाज। अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) के लिए, आर्थिक

विचार प्रमुख मानदंड होना चाहिए। गैर

"मलाईदार परत" का बहिष्कार अवैध है और इसका उद्देश्य था

वास्तव में वंचित और पिछड़े लोगों की रक्षा करें

तथाकथित ओ. बी. सी. यह तर्क दिया गया कि सरकार ने अनुच्छेद 15 (5) और संघ के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची प्रकाशित नहीं की है।

भारत इसके लिए सूची या मानदंड तैयार करने में सक्षम नहीं रहा है एस. ई. बी. सी. का निर्धारण। इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।

आरक्षण। इसलिए 2007 का अधिनियम 5 अनुच्छेद का उल्लंघन करता है।

14 भारत के संविधान का उल्लंघन और इस प्रकार असंवैधानिक है।

33. डब्ल्यू. पी. में रिट याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित होना। (सिविल) नं.

231/2007 समानता के लिए नागरिकों द्वारा दायर, विद्वान वरिष्ठ

वकील श्री पी. पी. राव ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 45 का आदेश सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए है जब तक कि

14 वर्ष की आयु पूरी करने वालों का अनुपालन नहीं किया गया है

सरकार द्वारा और इसलिए, इसका स्पष्ट उल्लंघन है संविधान का अनुच्छेद 20। हालाँकि सर्व शिक्षा

अभियान (एसएसए) परियोजना कुछ उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी, इन उद्देश्यों को पूरा नहीं किया गया था। संविधान चाहता है कि

एक जातिविहीन और वर्गविहीन समाज का निर्माण करना। इसलिए,

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान

यह ऐसे मानदंडों पर आधारित होना चाहिए जो आशा कुमार ठाकुर बनाम के उन्मूलन की सुविधा प्रदान करते हैं।

भारत और ओआरएस का संघ। 83 [के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

जाति व्यवस्था। शैक्षिक पिछड़ेपन पिछड़े वर्गों और एस. ई. बी. सी. को हटा दिया जाना चाहिए और एक बार

इस शैक्षिक पिछड़ेपन को हटा दिया जाता है, अनुच्छेद 15 का खंड 4 और 5 अनावश्यक और अनावश्यक हो जाएगा। यह था।

10 + 2 उच्च शिक्षा में दिया जाने वाला कोई भी आरक्षण पिछड़े वर्ग के सदस्यों के बीच भेदभावपूर्ण है। वर्ग स्वयं और अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करते हैं

संविधान। माध्यमिक विद्यालय स्तर तक शिक्षा होनी चाहिए

शैक्षिक पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए उपाय। द.

अनुच्छेद 15 (4) में निर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन

एस. ई. बी. सी. की अलग पहचान की आवश्यकता होती है। कृषि मजदूर, रिक्शा चलाने वाले/चालक, सड़क पर फेरी वाले आदि अच्छी तरह से काम कर सकते हैं।

"पिछड़े वर्गों" के रूप में नामित होने के लिए अर्हता प्राप्त करें याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील के लिए, एक तर्कसंगत आधार होगा

पारंपरिक रूप से निम्नतर माने जाने वाले व्यवसायों के माध्यम से पिछड़े वर्गों की पहचान करना, जिससे कम आय होती है। यह तर्क दिया गया था

कि किसी भी स्थिति में, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बीच "क्रीमी लेयर" को बाहर रखा जा सकता है।

34. श्री सुशील कुमार जैन, विद्वान वकील

डब्ल्यू. पी. 2006 की (सिविल) संख्या 598 ने इस मामले में शामिल मुद्दों पर विस्तार से तर्क दिया। याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क

वकील का कहना है कि सरकार की "सकारात्मक कार्रवाई" नीति

प्रक्रिया द्वारा समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग सकारात्मक भेदभाव। यह तर्क दिया गया था कि नब्बे-तीसरे

संवैधानिक संशोधन मूल संरचना के लिए विनाशकारी है।

यह देश के नागरिकों को प्राप्त विभिन्न मौलिक अधिकारों के नाजुक संतुलन को नष्ट कर देता है।

अनुच्छेद 15 (5) के प्रावधान को अनुच्छेद के प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था।

19 (6) जिसे अनुचित और खिलाफ माना गया है

संवैधानिक योजना। अनुच्छेद 15 (5) अनुच्छेद 30 के तहत आने वाले अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए एक अपवाद बनाता है और इसलिए इसका इलाज करता है।

वे अन्य निजी संस्थानों से अलग हैं।

द

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

84 शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2007, जिसे उक्त शक्तियों के कथित प्रयोग में अधिनियमित किया गया है,

उक्त शक्तियों से अधिक। चूंकि अनुच्छेद 15 (5) के लक्षित लाभार्थियों की पहचान आवश्यक डिग्री के साथ नहीं की गई है। विशिष्टता के लिए, 2007 का अधिनियम 5 अवैध है। एक होना चाहिए

प्रदान किए गए लाभों और के बीच मात्रात्मक संबंध

"उचित" होना और "आनुपातिक" नहीं होना। 2007 का अधिनियम 5 वह तरीका या सिद्धांत प्रदान नहीं करता है जिस पर

ओ. बी. सी. की पहचान की जानी है। इसलिए इसकी कमी है।

अंतिम उद्देश्यों के साथ आवश्यक संबंध प्राप्त करने की मांग की गई। कई वर्षों तक "लाभार्थियों" के लिए सीटों का आरक्षण

समीक्षा के लिए किसी भी प्रावधान के बिना आना ऐसे उपायों को कठोरता और स्थायित्व देता है। इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक होगा

आरक्षण और इस तरह विपरीत भेदभाव का कारण बनता है। द.

100 % में बनाई जाने वाली अतिरिक्त सीटों में कोटा

शैक्षणिक संस्थान मुखर रूप से भेदभावपूर्ण हैं। पहचान

जाति के आधार पर एस. ई. बी. सी. में निहित स्वार्थ पैदा होता है

पिछड़ेपन। इसलिए, चुने गए उपाय और साधन सरकार द्वारा इसलिए संवैधानिक के लिए अनैतिक हैं

लक्षय। "मलाईदार परत" को बाहर करने में विफलता प्रदान करने की अनुमति देती है

माप। सही सामाजिक अस्वस्थता को ठीक करने की मांग की गई है स्पष्ट नहीं है।

35. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील आगे

तर्क दिया कि नब्बे-तीसरे संविधान संशोधन

यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है। इस अदालत ने स्पष्ट किया

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन मामले (ऊपर) में संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के संदर्भ में निजी शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार, जैसा कि पी. ए. इनामदार और अन्य में समझाया गया है। बनाम राज्य

महाराष्ट्र & Ors.15 उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

निजी शिक्षा में आरक्षण और सीटों का आरक्षण

संस्थान "शिक्षा के राष्ट्रीयकरण" के बराबर हैं। द.

15 (2005) 6 एस. सी. सी. 537 अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

85

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

इस प्रकार नब्बे-तीसरा संविधान संशोधन अनुचित है। विधायिका की कार्रवाई। यह तर्क दिया गया था कि विवादित

संशोधन संविधान की सर्वोच्चता को बदल देता है और वहाँ था

अनुच्छेद 368 में संशोधन करने के लिए केवल सीमित घटक शक्ति। अनुच्छेद 15 (5)

राज्य को आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाने में सक्षम बनाएगा

निजी शैक्षणिक संस्थान के लिए जिसे एक माना गया है

मौलिक अधिकारों पर अनुचित अतिक्रमण और यह

संशोधन के भाग III और IV के बीच संतुलन को बदल देगा

संविधान। रिलायंस को विभिन्न निर्णयों पर रखा गया था याचिकाकर्ता के विद्वान वकील। विवादित संशोधन

विशेष रूप से अनुच्छेद 19 (1) (जी) के अनुप्रयोग को बाहर करता है, जबकि

अनुच्छेद 26 द्वारा शासित संस्थान और अल्पसंख्यक संस्थान

अनुच्छेद 30 (1) द्वारा शासित को छोड़ दिया गया है। इसके अनुसार

याचिकाकर्ता का वकील भेदभावपूर्ण और अवैध है और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का कोई औचित्य नहीं था। द.

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने भी मात्रा को चुनौती दी 2007 के अधिनियम 5 के तहत प्रदान किए गए आरक्षण। विचार किए बिना आरक्षण की सीमा का कोई निर्धारण

आरक्षण का भविष्य में प्रभाव अन्यायपूर्ण, मनमाना होगा

और अनुचित। जाति आधारित आरक्षण राष्ट्रीय एकता और अखंडता के व्यापक हित में नहीं होगा। इसके फायदे

केवल उन समुदायों को दिया जा सकता है जो नहीं हैं पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किया गया है और उन लोगों के लिए नहीं जो सामाजिक रूप से और

शैक्षिक रूप से उन्नत। आरक्षण के रूप में आरक्षण अवैध है और यदि कुछ वर्गों को कुछ लाभ दिया जाना है और

सामान्य श्रेणी के बराबर होने पर उन्हें कुछ अतिरिक्त अंक दिए जा सकते हैं जैसे कि महिलाओं को दिए जा रहे हैं।

महाविद्यालयों में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार। कई जातियाँ

एस. ई. बी. सी. में शामिल वास्तव में पिछड़े वर्ग नहीं हैं और कुछ

उनमें से कई वर्षों तक पूर्ववर्ती राज्यों के शासक भी रहे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को दिए जाने वाले लाभ और विशेषाधिकार

अवसंरचना में इसी प्रकार की वृद्धि, और यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए बुनियादी ढांचे में वृद्धि के लिए वित्तपोषण किया जाएगा।

कर संग्रह के माध्यम से और इसलिए, जनता के प्रत्येक सदस्य 86

[2008] 4 एस सी आर।

(सामान्य श्रेणी सहित) के लिए विचार किए जाने का हकदार है

"जाति" को एक साधन के रूप में लिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई एस. ई. बी. सी. और ओ. बी. सी. का वर्गीकरण और पहचान। यह है।

तर्क दिया कि यह प्रावधानों का पूरी तरह से अपमान है

अनुच्छेद 15 (1) और, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार,

एस. ई. बी. सी. में शामिल की गई कई जातियाँ हैं

वास्तव में एस. ई. बी. सी. नहीं है और इस प्रकार पिछले ऐतिहासिक भेदभाव है

वर्तमान समय में लाभ प्रदान करने के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है।

यह भी तर्क दिया गया कि कोई पारंपरिक व्यवसाय नहीं हैं

अब। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जातियों की पहचान "वर्ग" के रूप में की जाती है।

एक धारणा पर व्यवसाय होने के रूप में समान रूप से उचित ठहराने के लिए कि एक विशेष जाति से संबंधित व्यक्ति एक का पालन करना जारी रखते हैं

विशेष रूप से वर्तमान संवैधानिक योजना में विशेष व्यवसाय जो किसी भी व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता देता है, पेशा या पेशा पूरी तरह से गलत है। विद्वान।

याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी तर्क दिया कि गैर-बहिष्करण मलाईदार परत अवैध है और इंद्र साहनी के मामले पर निर्भर है

(उपर्युक्त) और इंद्र साहनी (द्वितीय) बनाम भारत संघ और अन्य 1 6।

36. श्री अशोक कुमार ठाकुर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।

विभिन्न विद्वान वकीलों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों का समर्थन किया।

और आग्रह किया कि नब्बे-तीसरे संविधान संशोधन भी चूंकि 2007 का अधिनियम 5 असंवैधानिक है और वे उत्तरदायी हैं -

गिरा दिया जाए।

37. उत्तरदाताओं की ओर से, कई वरिष्ठ वकील

पेश हुए और तर्क दिया कि नब्बे-तीसरे संविधान संशोधन को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की दलीलें और

2007 का अधिनियम 5 बिना किसी योग्यता के है और इसके लिए उत्तरदायी है -

बर्खास्त कर दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उठाई गई दलीलें

उत्तरदाताओं के वकील द्वारा यह याचिका दायर करके खंडन किया गया था कि शैक्षिक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।

समाज के कमजोर वर्ग का आर्थिक हित। श्री के.

परासरन, संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील

16 (2000) 1 एस. सी. सी. 168 पी.

190 अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। . 87

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

अभिन्न, तार्किक समग्र, और एक भाग का अर्थ लगाते हुए, ध्यान दें इसे अन्य भागों के प्रावधानों के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जिससे कोई भी हिस्सा अनावश्यक या अनावश्यक न हो। यह तर्क दिया गया था कि जब

संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या की जाती है, इसे वहन करना पड़ता है ध्यान रखें कि व्याख्या इस तरह से उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए है

उनके निगमन और उनकी व्याख्या एक तरह से नहीं की जा सकती है

जो एक अन्य प्रावधान को अनावश्यक बना देता है।

38. यह तर्क दिया गया था कि संवैधानिक प्रावधान नहीं होना चाहिए

एक संकीर्ण और संकुचित अर्थ में लेकिन एक व्यापक रूप में समझा जाए

और उदार तरीके से ताकि अनुमान लगाया जा सके और ध्यान में रखा जा सके परिस्थितियों और उद्देश्यों को बदलना ताकि संवैधानिक

प्रावधान जीवाश्म नहीं होता है लेकिन पर्याप्त लचीला रहता है

इस युग की नई उभरती समस्याओं और चुनौतियों का सामना करें। इस न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों का संदर्भ दिया गया था।

संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्याओं के संबंध में। यह था। इंगित किया कि जब समाज कल्याण उपायों को लागू करने की मांग की जाती है और संविधान की व्याख्या इस प्रकार की जाती है

संदर्भ में, यह ध्यान में रखना होगा कि प्रस्तावना पाठ है

जो उस लक्षय को निर्धारित करता है जिसे प्राप्त किया जाना है; और वह भाग III वह बनावट है जिसमें अधिकारों का एक पैटर्न बुना गया है।

39. मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत दोनों हैं।

एक-दूसरे के पूरक और पूरक। प्रस्तावना है

संविधान का एक हिस्सा और हमारे संविधान की इमारत प्रस्तावना में स्पष्ट अवधारणाओं पर बनी है। संदर्भ

मुख्य न्यायाधीश सीकरी द्वारा उनकी पवित्रता केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम में की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया गया था।

केरल राज्य 1 7, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि संविधान

भव्य और महान के प्रकाश में पढ़ा और व्याख्या की जानी चाहिए

प्रस्तावना में व्यक्त दृष्टि। प्रस्तावना सुरक्षित करती है और

सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आश्वासन देता है और यह स्थिति और अवसर की समानता का आश्वासन देता है। शिक्षा

और किसी व्यक्ति की आर्थिक भलाई में एक दर्जा देता है

समाज। जब बड़ी संख्या में ओ. बी. सी., एस. सी. और एस. टी. बेहतर होते हैं

" 7 [1973] सप. एससीआर 1 = (1973) 4 एससीसी 225 88। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

शिक्षित हों और संसद, विधानसभाओं, जनता में प्रवेश करें

रोजगार, व्यवसाय और सार्वजनिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में, यह रवैया कि वे हीन हैं, गायब हो जाएगा। इससे बढ़ावा मिलेगा।

व्यक्ति की गरिमा और एकता का आश्वासन देने वाली बंधुत्व और

राष्ट्र की अखंडता। के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण ऐसे विविध समुदायों का उत्थान और प्रगति

शिक्षा.

40. भाग III में मौलिक अधिकारों को नहीं पढ़ा जाना चाहिए।

अलगाव। संविधान के भाग III में प्रदत्त सभी अधिकार हैं -

उक्त भाग III के कम से कम अन्य प्रावधानों के अधीन। द.

संविधान के भाग IV में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत

मौलिक अधिकार उतने ही महत्वपूर्ण हैं। भाग IV बनाया गया है

वित्तीय कारणों के साथ-साथ न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं

प्रभाव और प्राथमिकताएँ। भाग IV के सिद्धांतों को धीरे-धीरे मौलिक अधिकारों में बदलना होगा

राज्य की आर्थिक क्षमता। संविधान के 86 वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 को मौलिक अधिकार में बदला जा रहा है।

संविधान में अनुच्छेद 21 ए. अनुच्छेद 38 का खंड 2 सम्मिलित करके कहा गया है

कि, "राज्य, विशेष रूप से, कम करने का प्रयास करेगा

स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में, न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि रहने वाले लोगों के समूहों के बीच भी विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए "। अनुच्छेद के तहत

46 , “ राज्य विशेष सावधानी के साथ शिक्षा को बढ़ावा देगा

और लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक हित

जनजातियाँ, और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी से बचाएँगी

शोषण के रूप "। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नब्बे-तीसरे

गरीबी, अज्ञानता और सामाजिक पिछड़ेपन में डूबे लाखों लोगों के आर्थिक और सामाजिक पुनरुत्थान के लिए संवैधानिक संशोधन लागू किया गया था।

विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. परासरन ने तर्क दिया कि बुनियादी संरचना की अवधारणा एक अस्पष्ट अवधारणा नहीं है और यह थी

केशवानंद भारती के मामले में फैसले में दर्शाया गया है (ऊपर)। यह बताया गया कि संविधान की सर्वोच्चता,

गणराज्य और सरकार और संप्रभुता का लोकतांत्रिक रूप आशा कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

89

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

देश का, संविधान का धर्मनिरपेक्ष और संघीय चरित्र,

विधायिका, कार्यपालिका के बीच शक्ति का सीमांकन

और न्यायपालिका, व्यक्ति की गरिमा (द्वारा सुरक्षित)

भाग III में विभिन्न स्वतंत्रताएँ और बुनियादी अधिकार और

भाग IV में निहित एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण), राष्ट्र की एकता और अखंडता बुनियादी संरचना के कुछ सिद्धांत हैं।

संविधान से। यह तर्क दिया गया था कि जब किसी क़ानून की संवैधानिक वैधता पर विचार किया जाता है, तो कार्डिनल नियम का पालन किया जाना चाहिए

संविधान की प्रस्तावना को मार्गदर्शक के रूप में देखना है

प्रकाश और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत एक पुस्तक के रूप में

व्याख्या। प्रस्तावना के सामंजस्यपूर्ण पठन पर, भाग

III और भाग IV, यह स्पष्ट है कि एक संवैधानिक वादा है

कमजोर वर्गों/एस. ई. बी. सी. के लिए और यह गंभीर कर्तव्य होना चाहिए

पूरा हुआ।

41. यह बताया गया था कि टिप्पणियों में

चंपकम दोराईराजन (ऊपर) कि निर्देशक सिद्धांत

केशवानंद भारती (ऊपर) मामले के फैसले के बाद मौलिक अधिकारों के अधीन होना अब अच्छा कानून नहीं है और इस न्यायालय के अन्य निर्णय। यह बताया गया कि डी

समाज में मौजूद वास्तविक असमानताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए और उन्हें प्राथमिकता देकर सकारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति

अधिक लाभप्रद स्थानों पर बाधाएं पैदा की जानी चाहिए। वास्तविक समानता लाने के लिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विशेष

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े किसी भी नागरिक की उन्नति के लिए प्रावधान सामाजिक रूप से निर्धारित करके किया जा सकता है

और जाति के आधार पर शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग।

अनुच्छेद 15 (4) ने चंपकम दोराईराजन के मामले (सुरपा) में निर्णय को बेअसर कर दिया। यह अनंतिम द्वारा अधिनियमित किया गया था

संसद जिसमें वही सदस्य शामिल थे जो

जाति नेत्रहीन और संविधान आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करता है ' केवल 'जाति' पर और 'जाति और कुछ और' पर नहीं।

42. उन्नी कृष्णन के मामले (ऊपर) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद

19 (1) (छ) शिक्षा की स्थापना और संचालन के लिए आकर्षित नहीं है

संस्थाएं। लेकिन इस निर्णय को टी. एम. ए. पाई सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में खारिज कर दिया गया था।

फाउंडेशन (सुप्रा) और यह माना गया था कि स्थापना और

एक शैक्षणिक संस्थान चलाना एक "व्यवसाय" है

अनुच्छेद 19 (1) (छ) का अर्थ। पी. ए. इनामदार के मामले (ऊपर) में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि निजी शैक्षणिक संस्थान, जिनमें शामिल हैं -

अल्पसंख्यक संस्थान अपने स्वयं के छात्रों को प्रवेश देने के लिए स्वतंत्र हैं चयन और राज्य नियामक उपायों द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते हैं

प्रवेश। यह माना गया था कि राज्य आरक्षण लागू नहीं कर सकता है

गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए नीति। उपरोक्त निर्णय ने राज्य को अक्षम कर दिया

संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के तहत अपनी सक्षम करने की शक्ति का सहारा लेना।

संविधान। श्री परासरन ने तर्क दिया कि उपरोक्त

फैसलों के कारण संविधान के अधिनियमन की आवश्यकता पड़ी (नब्बे

तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2005 में अनुच्छेद 15 (5) को शामिल किया गया जिसके माध्यम से संसद और संसद को सक्षम करने की शक्ति प्रदान की गई थी।

राज्य विधानमंडल, ताकि उनके पास आरक्षण प्रदान करने वाला कानून पारित करने की विधायी क्षमता हो।

ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो अनुच्छेद 19 (1) (जी) से प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों को अनुच्छेद द्वारा नहीं छुआ जाता है।

15 (5) .

43. केशवानंद भारती (ऊपर) में यह माना गया था कि

मौलिक अधिकारों को निरस्त नहीं किया जा सकता है लेकिन उन्हें संक्षिप्त किया जा सकता है। संविधान के 24 वें संशोधन की वैधता न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त करने को बरकरार रखा गया था। द.

अनुच्छेद 19 (1) (च) के तहत अधिकार को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है

संविधान का 44 वाँ संशोधन जिसके लिए अनुमेय है

विशेष रूप से संविधान की प्रस्तावना के लक्षय तक पहुँचने के लिए मौलिक अधिकारों को कम करने की घटक शक्ति

संविधान। यह सिद्धांतों को बदलने का एक उदाहरण है

भाग III में भाग IV जिसके द्वारा यह प्रवर्तनीय हो जाता है। सभी अधिकार संविधान के भाग Ill में प्रदत्त अन्य के अधीन हैं

उसी भाग में प्रावधान। प्रथम द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेद 15 (4)

संविधान में संशोधन संक्षिप्त करने का एक समान उदाहरण है

नागरिकों की सामान्य श्रेणी के मौलिक अधिकारों का

ओ. बी. सी., एस. सी. और एस. टी. के मौलिक अधिकार सुनिश्चित करना। लेख

15 (5) एक समान प्रावधान है और संविधान के भीतर है

संशोधन की शक्ति। अनुच्छेद 15 (5) एक सक्षम प्रावधान है और संसद और राज्य विधानसभाओं में शक्ति निहित है।

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

91

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

44. एक शक्ति के निहित होने के बीच महत्वपूर्ण अंतर है

और शक्ति का प्रयोग और उसके प्रयोग का तरीका। यह केवल संसद और राज्य विधानसभाओं को सक्षम बनाएगा

और नागरिकों के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित के लिए जाति और अनुसूचित जनजाति उनके प्रवेश से संबंधित

निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थान।

45. अल्पसंख्यक शिक्षा की छूट के संबंध में

अनुच्छेद 15 (5) में संस्थानों ने यह तर्क दिया था कि यह किया गया था

अतिरिक्त के संवैधानिक जनादेश के अनुरूप

अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण। यह तर्क दिया गया था कि

अनुच्छेद 15 (5) अनुच्छेद 15 (4) पर हावी नहीं होता है। उन्हें होना चाहिए।

एक दूसरे के पूरक के रूप में एक साथ पढ़ें और अनुच्छेद 15 (5)

एक अतिरिक्त प्रावधान होने के कारण, अनुच्छेद के बीच कोई टकराव नहीं है

15 (4) और अनुच्छेद 15 (5)। अनुच्छेद 15 (4), 15 (5), 29 (2), 30 (1) और 30 (2) सभी मिलकर प्रवेश के संबंध में एक संहिता का गठन करते हैं

शैक्षणिक संस्थान। उन्हें सामंजस्यपूर्ण तरीके से समझना होगा।

संविधान की प्रस्तावना और भाग IV के आलोक में। यह.

यह भी तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद 15 (5) इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है

राज्य की कार्यकारी शक्ति और अनुच्छेद 368 के परंतुक का कोई उल्लंघन नहीं है।

46. नब्बे-तीसरे संविधान संशोधन में ऐसा नहीं है

अनुच्छेद 162 में विशेष रूप से या निहित रूप से कोई परिवर्तन करें। लेख

15 (5) अनुच्छेद 162 में भी कोई बदलाव नहीं करना चाहता है।

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। "शिक्षा" के रूप में कानून का क्षेत्र सूची II की प्रविष्टि 11 में था। 42 वें संशोधन के आधार पर

संविधान, "शिक्षा", जो सूची II में प्रविष्टि 11 में थी, को हटा दिया गया और सूची III में प्रविष्टि 25 के रूप में डाला गया। कार्यकारी शक्ति

राज्य के वर्तमान संविधान से प्रभावित नहीं है

संशोधन।

47. अनुच्छेद 15 (5) मौलिक अधिकार को निरस्त नहीं करता है।

अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत निहित। अगर कोई संक्षिप्तता है मौलिक अधिकार का, यह प्रवेश के एक सीमित क्षेत्र में है

शैक्षणिक संस्थान और इस तरह का संक्षिप्तकरण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। किसी भी तरह से, संवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य के निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने वाले संशोधन

नीति संविधान के मूल ढांचे को आहत नहीं करेगी।

` 48. हमारे संविधान में निहित समानता का अधिकार है

न केवल एक औपचारिक अधिकार या एक शून्य घोषणा। सकारात्मक

और समुदाय के कमजोर वर्गों को एक पायदान पर रखना मजबूत और अधिक शक्तिशाली वर्गों के साथ समानता का ताकि

समुदाय का प्रत्येक सदस्य चाहे उसका जन्म, व्यवसाय कुछ भी हो

या सामाजिक स्थिति हो सकती है, उपयोग करने का समान अवसर प्राप्त करती है

पूर्ण, उनके शरीर के प्राकृतिक दान, चरित्र और

बुद्धिमत्ता।

49. श्री परासरन, विद्वान वरिष्ठ वकील, आगे

उन्होंने तर्क दिया कि 2007 का अधिनियम 5 संवैधानिक रूप से वैध है। कानून। 2007 के अधिनियम 5 की धारा 2 (जी) के तहत, कोई नहीं है

अत्यधिक प्रतिनिधिमण्डल। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि

टिकने योग्य नहीं है। नागरिकों के पिछड़े वर्गों को होना चाहिए सामग्री और साक्षय पर पहचाना गया और इसलिए

संसद को अनिवार्य रूप से इसे कार्यपालिका पर छोड़ना होगा। द.

ओ. बी. सी. का निर्धारण एक लंबी प्रक्रिया है जो

भारी देरी का कारण बनता है। इसलिए, छोड़ना उचित था

कार्यपालक के लिए पहचान। प्रत्येक का ऐसा संकल्प

पिछड़ा वर्ग न्यायिक समीक्षा के लिए खुला रहेगा। और न्यायिक समीक्षा का दायरा व्यापक होगा यदि ऐसा ही किया जाए।

संसद के बजाय कार्यपालिका द्वारा।

50. यह भी तर्क दिया जाता है कि केवल इसलिए कि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, 2007 के अधिनियम 5 को अमान्य नहीं किया जा सकता है। संसद को समय-समय पर समीक्षा करने की शक्ति मिली है और या तो

सामाजिक रूप से कुछ विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं और नागरिकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग

संविधान लागू होने के 56 वर्षों के बाद केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण के लिए।

अपने ही अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 93

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

आई.

शुरुआत में, एक समय सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और तय नहीं किया जा सकता है।

समय के साथ उपायों के परिणाम पर निर्भर करता है

लिया गया और स्थिति और शिक्षा में सुधार

एससी, एसटीएस और एसईबीसी की प्रगति, मामला हो सकता है हमेशा समीक्षा की जाती है। इस अधिनियम को निरस्त नहीं किया जा सकता है

जमीनी स्तर पर इसके संचालन के लिए कोई समय सीमा नहीं

ठीक कर दिया गया है।

51. यह भी प्रस्तुत किया गया कि आरक्षण की मात्रा

अधिनियम के तहत प्रदान किया गया प्रावधान वैध है। जनसंख्या का अनुपात एक है

आरक्षण की मात्रा तय करने में प्रासंगिक विचार।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रतिशत, कुल मात्रा आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है। यह निर्विवाद है कि

विधायिका द्वारा विचार किए गए तथ्यों के आधार पर संसद द्वारा निर्धारित किया गया था और वे निर्णायक हैं और न्यायालय नहीं करते हैं उन तथ्यों की जांच करके न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करना।

52. विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी तर्क दिया कि

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि विशेष प्रावधान केवल

10 + 2 तक का चरण असमर्थनीय है। यदि इस याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा का विशेषाधिकार बन जाएगी।

केवल वर्ग और यह दलितों की सामाजिक उन्नति की अवधारणा का विरूपण और लक्षय का निषेध होगा। प्रस्तावना द्वारा परिकल्पित। यह भी तर्क दिया गया कि

विपरीत भेदभाव का सिद्धांत लागू नहीं होता है। सख्त जांच और संकीर्ण सिलाई का सिद्धांत लागू नहीं होता है।

भारत में क्योंकि वे अमेरिकी सिद्धांत हैं जो इसके तहत काम करते हैं

विभिन्न तथ्य और परिस्थितियाँ। यह अदालत पहले के अवसर पर

इन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जब डाक में प्रवेश के बारे में बात की गई थी

स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम, जब 75 प्रतिशत सीटें संस्थागत वरीयता के आधार पर आरक्षित की जा रही थीं।

53. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि

क्रीमी लेयर के बहिष्कार का एससी और एसटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

रोजगार और शिक्षा के बारे में। अनुच्छेद 341,342,366 (24)

और संविधान का 366 (25) इस तरह के खिलाफ विद्रोह करेगा

54. यह ई. वी. चिन्नैया बनाम में आयोजित किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य और Ors.18, कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक ही वर्ग बनाते हैं। नागराज के मामले (ऊपर) में टिप्पणियाँ नहीं हो सकतीं

अनुसूचित जातियों में मलाईदार परत के बहिष्करण की आवश्यकता के रूप में माना जाता है और एसटीएस। क्रीमी परत सिद्धांत की पहचान के लिए लागू किया गया था

नागरिकों के पिछड़े वर्ग। और यह विशेष रूप से इंद्र में आयोजित किया गया था साहनी का मामला, (ऊपर) कि उपरोक्त चर्चा थी

अन्य पिछड़े वर्गों तक सीमित और इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है

अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों का मामला। नागराज के मामले में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियां (ऊपर)

साहनी का मामला (ऊपर)। नागराज के मामले में टिप्पणियाँ (ऊपर) एससी और एसटीएस के संबंध में आज्ञाकारी हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में, मलाईदार परत की कोई अवधारणा नहीं हो सकती है।

55. एक बार जब भारत के राष्ट्रपति ने सूची निर्धारित कर ली है

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यह केवल एक कानून द्वारा है संसद द्वारा किया गया कि सूची से बहिष्कृत किया जा सकता है

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति। जहाँ तक ओ. बी. सी. की बात है

संबंधित, मलाईदार वकील के बहिष्कार का सिद्धांत है केवल अनुच्छेद 16 (4) के लिए लागू होता है। इसका अनुच्छेद पर कोई अनुप्रयोग नहीं है।

15 (4) या 15 (5) क्योंकि शिक्षा एक अलग आधार पर खड़ी है।

56. शिक्षा के अवसरों की समानता हर किसी के लिए आवश्यक है

शिक्षा के लिए अवसर देने के संदर्भ में नागरिक और "मलाईदार परत" का सिद्धांत लागू नहीं होता है और अनुचित है। शिक्षा के मामले में मलाईदार परत के आधार पर कोई बहिष्कार नहीं किया जा सकता है। इस तरह का बहिष्कार केवल विपरीत होगा।

उत्पादक और समूहों और समुदायों के विकास और प्रगति और उनके साथ उनके अंतिम एकीकरण को बाधित करेगा

समाज के बाकी।

57. यह आगे तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) कर्तव्य के साथ शक्ति के प्रावधान हैं। यह संवैधानिक कर्तव्य है

18 (2005) 1 एस. सी. सी. 394 अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 95

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

इन सिद्धांतों को देश के शासन में लागू करना और

इस कारण से कानून बनाना कि यह एक संवैधानिक वादा है सामाजिक न्याय जिसे भुनाया जाना है।

58. विद्वान वरिष्ठ द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया था

विशुद्ध रूप से संवैधानिक कानून के आधार पर निर्णय लिया गया। और यह प्रस्तुत करना, जैसा कि यह तर्क दिया गया था कि संशोधन में एक है

वोट पकड़ने का तंत्र अनुचित है। यह तर्क कि

नब्बे-तीसरा संविधान संशोधन इसके खिलाफ है

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा भी मान्य नहीं है। सही है।

अवसर की समानता हर स्तर पर काम करती है और यह किया जा रहा है

एक विशेष स्तर के लिए या तो एक विधायी या एक द्वारा प्रदान किया गया

कार्यकारी कार्रवाई। योग्यता की व्याख्या संदर्भ में की जानी चाहिए।

समतावादी समानता और औपचारिक समानता नहीं।

59. यह भी प्रस्तुत किया गया था कि भाषणों में

संसद, संवैधानिक बहस, लेखकों की पाठ्य पुस्तकें और

लेखों में व्यक्त किए गए विचार आम तौर पर न्यायालय की संवैधानिक वैधता निर्धारित करने के लिए न्यायालय के समक्ष साक्ष्य नहीं होते हैं।

कानून।

60. श्री जी. ई. वाहनवती, भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल

श्री हरीश साल्वे, विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि "सख्त जांच" के अमेरिकी सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए अनुच्छेद 15 (5) के तहत परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई सही नहीं है। यह.

यह तर्क दिया गया था कि विवादित कानून प्रत्यक्ष रूप से भेदभावपूर्ण नहीं है और इसलिए, इसे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है

" संदिग्ध कानून "। यह तर्क दिया गया था कि दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक बनाम के मामले में सही है।

रंगाचारी, 19 1 9 अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद 16 (1) का अपवाद है और

इस तर्क का पालन एम. आर. बालाजी और अन्य बनाम में किया गया था। पाँच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा मैसूर राज्य 20। इसके बाद, वही दृश्य

19 1962 (2) एस. सी. आर. 586 पी. 607 20 (1963) सप. 1 455 पर एससीआर 439 = एआईआर 1963 एससी 649 [2008] 4 एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

96

टी. देवदासन बनाम में विजय प्राप्त की। भारत संघ & Anr.21

लेकिन सुब्बा राव। जे. (जैसा कि वे तब थे) ने कहा कि "अभिव्यक्ति ' इस अनुच्छेद में कुछ भी अपनी बात को व्यक्त करने के लिए एक विधायी उपकरण नहीं है।

के तहत किसी भी तरह से मुख्य प्रावधान द्वारा सीमित नहीं है लेकिन गिरता है इसके बाहर "। यह विचार कि अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) अपवाद हैं

त्रिलोकी नाथ बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य में क्रमशः अनुच्छेद 15 (1) और 16 (1) को फिर से दोहराया गया। (II) 2 2

और आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में। बनाम। यू. एस. वी. बलराम, आदि। विद्वान महान्यायवादी ने आगे बताया केरल और अन्र राज्य में। बनाम एन. एम. थॉमस और Ors.24

बहुमत की राय थी कि अनुच्छेद 14,15 और 16 के भाग हैं समानता की योजना और कि अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) नहीं हैं

एन. एम. थॉमस के मामले (उपरोक्त) में बदलाव को न्यायमूर्ति चिन्नाप्पा रेड्डी ने के. सी. वसंत कुमार और ए. एन. आर. में देखा था। बनाम कर्नाटक राज्य 25 और इसी दृष्टिकोण को इंद्र में बरकरार रखा गया था। साहनी का मामला (ऊपर)। विद्वान महान्यायवादी ने आगे कहा

तर्क दिया कि एक बार यह स्वीकार कर लिया जाता है कि अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) क्रमशः अनुच्छेद 15 (1) और 16 (1) के अपवाद नहीं हैं, तो

समाज कल्याण के उपाय को 'प्रत्यक्ष रूप से भेदभावपूर्ण' या 'प्रत्यक्ष रूप से' के नियम का उल्लंघन करने वाला मानने का कोई सवाल ही नहीं है।

समानता। यह तर्क दिया गया था कि यह केवल कानूनी मामला नहीं है समानता। न्यायिक समानता को अंततः अपना कारण ढूंढना होगा।

वास्तविक समानता। इसलिए राज्य को इसका सहारा लेना चाहिए -

लोगों के उत्थान के उद्देश्य से प्रतिपूरक राज्य कार्रवाई

जो वास्तव में अपनी संपत्ति, शिक्षा या सामाजिक स्थिति में असमान हैं।

पर्यावरण। टी. देवदासन के मामले (ऊपर) में जे. सुब्बा राव की टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया था कि सदियों से

परिकलित उत्पीड़न और आदतन अधीनता में कमी आई है

21 1964 (4) एससीआर 680 22 1969 (1) एससीआर 103 23 1972 (1) एससीसी 660

24 1976 (2) एस. सी. सी 310

25 (1985) मान लीजिए एस. सी. सी. 714 अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

97

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

दासता के जीवन के लिए हमारे समुदाय का काफी हिस्सा और उनके मानकों को बढ़ाना लगभग असंभव होगा यदि

समान अवसर के सिद्धांत को उनके मामले में सख्ती से लागू किया गया था।

और उनमें कोई बदलाव नहीं होगा यदि उन्हें साहसिक सहायता के बिना प्रतियोगिता के खुले मैदान में प्रवेश करने के लिए कहा जाए

वह समय जब वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते थे। निर्भरता बिछाना

एन. एम. थॉमस के मामले (ऊपर) और इंद्र साहनी के मामले (ऊपर) में की गई टिप्पणियों पर, विद्वान सॉलिसिटर

जनरल ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के तहत राज्य है

समाज से असमानताओं और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बाध्य।

तर्क दिया कि पहचान के पहलू से निपटने के दौरान सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए पिछड़ेपन,

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस देश में पिछड़ेपन है।

कि देश का बड़ा हिस्सा सामाजिक और शैक्षिक रूप से है

जाति व्यवस्था जो इस धारणा पर आगे बढ़ी कि जाति के सदस्यों के व्यवसाय का चुनाव पूर्व निर्धारित था

कई जातियों में; और विशेष जातियों के सदस्य थे

इसके अलावा अन्य व्यवसायों में खुद को संलग्न करने से प्रतिबंधित

वे कुछ व्यवसाय जिन्हें माना जाता था

अपमानजनक और अशुद्ध और केवल उन जातियों के लिए उपयुक्त माना जाता है।

यह बताया गया कि सी. ए. राजेंद्रन बनाम में मुख्य न्यायाधीश वांचू। भारत संघ और Ors.27 ने माना कि मुख्य मानदंड

सूची में शामिल करना सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन है

उन जातियों द्वारा अपनाए गए व्यवसाय के आधार पर जातियाँ। इस न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों का संदर्भ दिया गया था।

इस मुद्दे पर, विशेष रूप से माइनर ए. पीरियाकरुप्पन और अन्र। बनाम तमिलनाडु राज्य & Ors.28; यू. एस. वी. बलराम (ऊपर); के. सी. 26 (2003) 11 एस. सी. सी. 146

27 (1968) 1 एससीआर 721

28 1971 (1) एससीसी 38 [2008] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

98 वसंत कुमार (ऊपर), जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। विद्वान।

सॉलिसिटर जनरल ने यह भी बताया कि बी. वेंकटरमण बनाम। मद्रास राज्य और Anr.29, पिछड़े वर्गों की सूची

जैसा कि मद्रास प्रांतीय और अधीनस्थ सेवा नियम, 1942 की अनुसूची 3 में उल्लेख किया गया था और जिसे मंजूरी दी गई थी

इंद्र साहनी के मामले (ऊपर) में भी देखा गया। संदर्भ था

कहते हैं कि इंद्र साहनी के मामले (ऊपर) में बहुमत नहीं था मंडल आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार या अनुमोदन करें। वह रिपोर्ट

उस निर्णय और मानदंड में कई स्थानों पर संदर्भित किया गया था

पिछड़े वर्ग को वर्गीकृत करने के लिए मंडल आयोग द्वारा अपनाया गया

राज्य सूचियाँ दोषपूर्ण हैं और उन्हें नहीं होना चाहिए था केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत। यह बताया गया है कि केंद्रीय सूची इन उद्देश्यों के लिए 14 वर्षों से काम कर रही है।

पदों के आरक्षण को और किसी एक व्यक्ति ने चुनौती नहीं दी है

केंद्रीय सूची में किसी भी समावेश को अमान्य या अवैध होने के रूप में; कि राज्य सूची भी दोनों उद्देश्यों के लिए काम कर रही है -

अनुच्छेद 16 (4) और 15 (4) को कोई चुनौती नहीं दी गई है।

के संबंध में किसी भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में

राज्य सूची और कि एक भी शिकायत नहीं की गई है

राज्य सरकार या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष

किसी भी जाति या समुदाय के अति-समावेशन के संबंध में। विद्वान।

सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि राष्ट्रीय पिछड़े आयोग के कामकाज के संबंध में आरोप

समावेशन के अनुरोध पर विचार के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश और अन्य के लिए केंद्रीय सूची में शामिल न करने की शिकायतें

पिछड़े वर्ग। मंडल द्वारा बनाए गए मानदंडों/संकेतकों का अध्ययन करने के बाद दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं

आयोग और विभिन्न आयोगों द्वारा अतीत में स्थापित आयोग

राज्य सरकारें। राष्ट्रीय आयोग ने 236 सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए

29 ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 229 = 1951 1 एम. एल. जे. 625 अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 99

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

आयोग ने राज्य सूचियों में शामिल करने के लिए कक्षाओं पर विचार करने के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली भी तैयार की थी। विस्तृत जानकारी दी। सामाजिक के संबंध में डेटा प्रस्तुत करना आवश्यक था,

उन समुदायों के शैक्षिक और आर्थिक मानदंड जो थे

विचार किया। यह बताया गया है कि इस अवधि के दौरान

राष्ट्रीय आयोग ने 297 की सिफारिश की

समावेशन के लिए अनुरोध और साथ ही 288 को अस्वीकार कर दिया गया

मुख्य जातियों को शामिल करने का अनुरोध। यह आगे बताया गया था

कि राष्ट्रीय आयोग ने यंत्रवत रूप से सभी की अनुमति नहीं दी है

आयोग ने आवेदनों की जांच करते हुए इस पर ध्यान दिया था संबंधित जातियों/उप-समूहों के नृजातीय इतिहास का

समुदाय और इसने सिफारिशों पर भी ध्यान दिया है

विभिन्न राज्य आयोगों से। यह भी कहा गया कि

यह तर्क कि जाति को ओ. बी. सी. में शामिल किया गया था

राजनीतिक विचारों से प्रेरित होना गलत है और राष्ट्रीय आयोग ने राजनीतिक रूप से जोरदार तरीके से खारिज कर दिया था

मराठों जैसी प्रमुख जातियों को शामिल करने से

इस प्रकार केंद्रीय सूची और कई अन्य जातियों को बाहर रखा गया। ओ. बी. सी. सूची से। विद्वान महान्यायवादी ने भी तर्क दिया

कि याचिका कि अनुच्छेद 15 (5) के तहत संदर्भ के साथ आरक्षण अनुच्छेद 29 (2) 15 (5) को संवैधानिक रूप से उल्लंघनकारी बना देगा

गलत है। अनुच्छेद 29 (2) संविधान द्वारा दिया गया संरक्षण है।

शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से इनकार करने के खिलाफ

धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी भी आधार पर। करता है।

लागू नहीं होता है यदि प्रावधान पिछड़े वर्गों के लिए किया जाता है जब

वर्गीकरण का आधार केवल इन आधारों पर नहीं है। यह था।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि अमेरिकी सिद्धांतों और परीक्षणों से संबंधित

" सख्त जांच "", राज्य की अनिवार्य आवश्यकता "और" संकीर्ण सिलाई "ऐसे परीक्षण हैं जो भारत में बिल्कुल भी लागू नहीं होते हैं। वहाँ

पारित विधानों की संवैधानिकता का अनुमान है

संसद द्वारा। भारतीय संविधान विशेष रूप से प्रदान करता है

अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) जैसे प्रावधान जो विशेष अनुमति देते हैं

पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान। यह भी कहा गया कि यह कहना गलत है कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर कोई प्रयास नहीं किया गया है

[2008] 4 एस सी आर।

प्राथमिक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्रमिक सरकारों का हिस्सा सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की दिशा में शिक्षा "। सर्व

शिक्षा अभियान (एसएसए) सरकार द्वारा शुरू किया गया था।

2001-2002 में। विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने भी बताया

कि यह कहना गलत है कि कोई उचित नहीं हुआ है

संसद में विधेयक पर विचार, विशेष रूप से वित्तीय ज्ञापन। यह इंगित किया गया है कि संसद में बहस

के प्रावधानों के निर्माण के लिए आम तौर पर प्रासंगिक नहीं हैं

एक्ट करें। विद्वान महान्यायवादी ने यह भी प्रस्तुत किया कि यह नहीं हो सकता है

गंभीर रूप से विवादित है कि आबादी का बड़ा हिस्सा है

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े और यह किसी का मामला नहीं है।

कि इस देश में ओ. बी. सी. की कुल जनसंख्या 27 प्रतिशत से कम है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा भरोसा किए गए तथ्यों के आधार पर भी,

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन. एस. एस. ओ.), कुल

भारत में ओ. बी. सी. की आबादी लगभग 36 प्रतिशत है। एन. एस. एस. ओ. ने अपने 61 वें दौर की तैयारी के लिए यह सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण जो अक्टूबर 2006 में प्रकाशित हुआ था। यह सर्वेक्षण

संकेत दिया कि भारत में ओ. बी. सी. की कुल संख्या लगभग 41 प्रतिशत है।

27 % प्रवेश के संबंध में आरक्षण को बरकरार रखा गया था इंद्र साहनी का मामला (ऊपर) और संसद ने लिया है

यह देखने के लिए विशेष ध्यान रखें कि यह आरक्षण सीटों को प्रभावित न करे

सामान्य श्रेणी। विद्वान महान्यायवादी ने भी इंगित किया

56 साल के बाद पहली बार लागू किया गया संविधान से। विद्वान महान्यायवादी ने भी इंगित किया

कि कुछ को शामिल करने के लिए सावधानीपूर्वक ध्यान रखा गया है

ओ. बी. सी. सूची में जातियों का उल्लेख राजस्थान, कर्नाटक और केरल के मामलों के लिए किया गया था।

61. श्री गोपाल सुब्रमण्यम, विद्वान अतिरिक्त

सॉलिसिटर जनरल ने संविधान (नब्बे-तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2005 और 2007 के अधिनियम 5 के प्रावधानों का भी समर्थन किया।

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि

अमेरिकी सिद्धांत भारत पर लागू नहीं होते हैं।

इस संबंध में, अशोक कुमार ठाकुर बनाम. भारत और ओआरएस का संघ। 101

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

ए. के. रॉय बनाम मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ। भारत संघ & Ors.30, कि "हम प्रत्यारोपण नहीं कर सकते, भारतीय संदर्भ में और

परिस्थितियाँ, सिद्धांत जो अन्य मिट्टी में पैदा हुए, बिना

व्याख्या के लिए उनकी प्रासंगिकता की सावधानीपूर्वक परीक्षा

हमारे संविधान का उल्लेख किया गया था। यह विद्वान द्वारा इंगित किया गया है

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जो पूर्वसर्ग में निहित है

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बनाम बक्के 3 1, ग्रुटर बनाम रीजेंट्स में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय।

बोलिंगर 3 2 और ग्रैट्ज़ बनाम बोलिंगर 3 3, और सामुदायिक विद्यालय बनाम सिएटल स्कूल डिस्ट्रिक्ट 34 में शामिल माता-पिता, कि

न्यायालय संदिग्ध वर्गीकरण से जुड़े विधान की समीक्षा करते समय सख्त जांच के मानक को लागू करेगा।

यदि दो शर्तों को पूरा किया जाता है तो कानून लागू होगा, अर्थात्: ((i) ऐसा करने में सरकार की रुचि है कि

वर्गीकरण, और (ii) कानून को संकीर्ण रूप से तैयार किया गया है।

उस वर्गीकरण को पूरा करने के लिए; कि नस्ल के आधार पर वर्गीकरण

एक संदिग्ध वर्गीकरण है और तदनुसार जबकि दौड़ कर सकते हैं

शैक्षणिक संस्थानों की प्रवेश नीतियों में एक कारक होने के नाते, यह एकमात्र कारक नहीं हो सकता है और यह लागू करने का कारण नहीं बन सकता है

जाँच "। आरक्षण की संवैधानिकता बार-बार रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका पर याचिकाकर्ताओं द्वारा पुष्टि और निर्भरता

" सकारात्मक कार्रवाई के निर्णय पूरी तरह से गलत हैं। द.

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने विशेष संदर्भ दिया है

सकारात्मक के सिद्धांत पर विभिन्न अमेरिकी निर्णयों के लिए

कार्रवाई "। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने एन. एम. थॉमस के मामले (ऊपर) और के. सी. वसंत कुमार के मामले (ऊपर) और अन्य मामलों में इस न्यायालय के फैसलों का भी उल्लेख किया है।

30 1982 (1) एससीसी 271 31 438 यूएस 265 (1978)

32 539 यूएस 306 (2003)

33 539 यूएस 244 (2003)

34 127 एस. सी. 2738 (2007)

[2008] 4 एस सी आर।

यह तर्क देने के लिए निर्णय कि अनुच्छेद 16 (4) और 15 (4) नहीं हैं क्रमशः अनुच्छेद 16 (1) और 15 (1) के अपवाद और ये

प्रावधानों को सिद्धांतों के साथ पढ़ा जाना चाहिए

संविधान के भाग IV में निर्धारित शासन और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंतर्निहित संवैधानिक दायित्व इस दिशा में हैं

उनके उन्मूलन के लिए कदम उठाने के लिए राज्य पर सकारात्मक दायित्व पिछड़ेपन। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी

श्री पी. पी. राव द्वारा दिए गए तर्कों का खंडन किया

वरिष्ठ अधिवक्ता, और तर्क दिया कि सरकार द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में सुधार के लिए सभी प्रयास किए गए हैं

भारत में शिक्षा। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी उन्होंने तर्क दिया कि डॉ. राजीव धवन द्वारा प्रस्तुत तर्क सही नहीं है। उन्होंने अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट 3 5 पर भरोसा किया।

जहाँ यह कहा गया है:

" ..... शिक्षा एक मुक्तिदायी क्षमता हो सकती है लेकिन पहुंच इस तरह के विरासत द्वारा, यदि असंभव नहीं है, तो इसे मुश्किल बना दिया जाता है

निम्न सामाजिक स्थिति, ग्रामीण मूल, अनौपचारिक के रूप में विशेषताएं

कार्य की स्थिति और लिंग या इनका एक संयोजन।

62. श्री राम जेठमलानी, विद्वान वरिष्ठ वकील

इंद्र साहनी के मामले में नौ न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय (ऊपर)। यह बताया गया है कि नागरिकों की समानता बुनियादी है

भारतीय संविधान की विशेषता लेकिन "समानता" का अर्थ नहीं है " औपचारिक या तकनीकी समानता "लेकिन" वास्तविक और पर्याप्त समानता "।

अनुच्छेद 15 (1) और 16 (2) में प्रयुक्त "केवल" शब्द निर्णायक है।

अगर जातियों के लिए भी आरक्षण दिया जाता है, तो भी वर्गीकरण होगा अमान्य हो जाता है यदि यह केवल जाति के आधार पर है और यदि कुछ अन्य अतिरिक्त आवश्यकता लागू की जाती है, तो वह मामला होगा

इसे अनुच्छेद 15 (1) के निषेध से बाहर माना जाता है। बी. वेंकटरमण के मामले (ऊपर) का संदर्भ दिया गया है। यह. 35 अर्जुन सेन गुप्ता ने "कार्य की शर्तें और पदोन्नति" पर रिपोर्ट दी

असंगठित क्षेत्र में आजीविका (जुलाई 2007)

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 103

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

यह तर्क दिया गया था कि एक क़ानून को अधिकार से बाहर घोषित नहीं किया जा सकता है

केवल इसलिए कि पिछड़ेपन एक जटिल अवधारणा है और नहीं सटीक परिभाषा संभव है। न्यायालय यह मानने के लिए बाध्य है कि

कि अधिनियम के अधिनियमन के समय तथ्यों की स्थिति मौजूद थी कानून जो उस कानून को मान्य करेगा और जब

संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लागू हुआ यह नहीं था

इसमें समानता का संवैधानिक अधिकार शामिल है। यहाँ तक कि Vth भी।

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 1971 का संशोधन

अमेरिका ने इस अवधारणा को पेश नहीं किया। चौदहवाँ संशोधन

1868 का प्रावधान था कि "राज्य किसी भी व्यक्ति को इस बात से इनकार नहीं करेगा कि

कानूनों का समान संरक्षण "। इस निषेधाज्ञा के बाद भी, संयुक्त

राज्यों के सर्वोच्च न्यायालय ने प्लेसी बनाम फर्ग्यूसन 3 6 36 में निर्णय दिया, जिसमें "समान लेकिन समान" के सिद्धांत को निर्धारित किया गया था।

अलग "। यह सिद्धांत तब तक लागू था जब तक कि 1954 में इसे उलट नहीं दिया गया।

विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी तर्क दिया कि नीति

आरक्षण योग्यता के लिए विनाशकारी नहीं है और यह कि सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय क़ानून के दायरे में नहीं आता है।

63. श्री टी. आर. अंधारुजिना, विद्वान वरिष्ठ वकील

डब्ल्यू. पी. 265/2006 में उत्तरदाताओं की ओर से पेश होते हुए, तर्क दिया गया

कि अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं और अनुच्छेद 15 (4) राज्य सरकार को विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो कानून या कार्यकारी आदेश दोनों द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 (4) में विशेष प्रावधान

एस. ई. बी. सी., एस. सी. और एस. टी. की उन्नति तक ही सीमित नहीं है

केवल शैक्षणिक संस्थान और राज्य को सक्षम बनाता है

इसके अलावा कई प्रकार के सकारात्मक कार्य कार्यक्रम

आरक्षण। सहायता देने के लिए एक शर्त के रूप में, राज्य कर सकता है शैक्षणिक संस्थानों में एस. ई. बी. सी. एस., एस. सी. और एस. टी. के लिए आरक्षण

जो राज्य के स्वामित्व वाले या राज्य सहायता प्राप्त हैं। हालाँकि, राज्य निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह का आरक्षण नहीं दे सकता है, जैसा कि इस न्यायालय ने टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में कहा था।

(ऊपर) और पी. ए. इनामदार (ऊपर)। यह अक्षमता इसलिए थी क्योंकि

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर) जो प्रदान करता है कि

गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को मौलिक अधिकार था -

36 (1896) 41 एल. एड. 256 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

" अनुच्छेद 19 (1) (छ) के तहत शिक्षा को आगे बढ़ाने का व्यवसाय। इसलिए, संसद ने अनुच्छेद 15 (5) को पेश किया

राज्य को सक्षम बनाने के लिए संविधान (नब्बे-तीसरा संशोधन) अधिनियम

एक विशिष्ट विषय, अर्थात् प्रवेश के संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एस. ई. बी. सी. की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करना।

निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में संस्थान चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या बिना सहायता प्राप्त

अनुच्छेद 19 (1) (छ) के प्रावधानों के बावजूद। हालांकि,

अनुच्छेद 15 (5) निजी शैक्षणिक संस्थानों को बाहर करता है, जो हैं -

अनुच्छेद के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान

30. अनुच्छेद 15 (5) में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए बचत क्या वास्तव में अल्पसंख्यक शिक्षा के रूप में बहुतायत है

संस्थानों को हर समय संवैधानिक रूप से संरक्षित किया गया था।

अन्य निजी शैक्षणिक संस्थानों से अलग माना जाता है।

अनुच्छेद 15 (5) संविधान की "मूल संरचना" को नहीं छीनता है।

संविधान। संविधान की "बुनियादी संरचना" नहीं होनी चाहिए। संविधान की अन्य विशेषताओं को महत्वहीन समझा जाए।

खन्ना, जे द्वारा की गई टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया था। केशवानंद भारती के मामले में (ऊपर)। यह भी प्रस्तुत किया गया था

कि अनुच्छेद 15 (5) प्रविष्टि 25 सूची III में इस हद तक संशोधन नहीं करता है कि

कि राज्य अब सीटों के आरक्षण के लिए कानून नहीं बना सकता है

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान और इसलिए, यह गलत है

कहते हैं कि अनुच्छेद 15 (5) में संशोधन के लिए अनुसमर्थन की आवश्यकता थी

अनुच्छेद 368 (2) के तहत। अनुच्छेद के तहत कानून बनाने की राज्य की शक्ति

245 हमेशा संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन है,

मौलिक अधिकारों सहित। अनुच्छेद 15 (4) अपने संस्थानों में आरक्षण देने की राज्य की शक्ति को नहीं छीनता है।

अनुच्छेद 162 के तहत एक कार्यकारी कार्रवाई द्वारा। जारी रखने का अधिकार

व्यवसाय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है।

64. प्रत्यर्थी/बिहार राज्य की ओर से लिखित में

याचिका (सिविल) सं. 269/2007, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री

राकेश द्विवेदी ने प्रस्तुत किया कि गैर-बाध्यकारी खंडों का उपयोग

अनुच्छेद 15 (3), (4) और (5) बनाम अनुच्छेद 15 (1) से पता चलता है कि आधार के रूप में केवल जाति के उपयोग के खिलाफ निषेध

जहाँ तक किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने की बात है निर्धारित श्रेणियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान आशा कुमार ठाकुर बनाम है।

भारत और ओआरएस का संघ। 105

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

चिंतित हैं। 15 (4) और 15 (5) के बीच कोई विरोध नहीं है।

यह तर्क दिया गया था कि केशवानंद भारती के मामले (उपरोक्त) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "संविधान के भाग III में संशोधन किया जा सकता है।

बुनियादी संरचना सिद्धांत के अधीन "। वह दृश्य जो आयोजित किया गया था

आई. सी. गोलक नाथ और अन्य। बनाम पंजाब राज्य और अनर्स, 3 अनुच्छेद 368 को अधिक प्रतिबंधात्मक बनाते हुए, में खारिज कर दिया गया था

केशवानंद भारती का मामला (ऊपर)। मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं और उचित रूप से पीड़ित होने के लिए बनाए गए हैं।

प्रतिबंध और वर्गीकरण। द्वारा किसी भी प्रकार का संक्षिप्तकरण संवैधानिक संशोधन की स्पष्ट रूप से अनुमति है जब तक कि

आक्रमण पूर्ण उन्मूलन या नपुंसकता के बराबर नहीं है।

समानता के क्षेत्र में औपचारिक के बीच अंतर है।

समानता और वास्तविक समानता या समानता वास्तव में और दोनों हैं

अनुच्छेद 14 में समझा गया है और दोनों मूल का हिस्सा हैं

संरचना।

65. विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी तर्क दिया कि

"संदिग्ध वर्गीकरण", "सख्त जांच", "राज्य हित को मजबूर करने" और "संकीर्ण सिलाई" के न्यायिक समीक्षा विचार उपाय हैं।

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय प्रावधानों की अलग-अलग संरचना के कारण सुरक्षित मार्गदर्शन प्रदान नहीं करते हैं। इन दोनों संविधानों और इन दोनों में सामाजिक स्थितियाँ

देश अलग हैं।

66. इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का संदर्भ दिया गया था और यह तर्क दिया गया था कि 14 वीं की तुलना

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का संशोधन नागरिक अधिकारों के साथ पढ़ा गया

एक ओर 1964 का अधिनियम और दूसरी ओर समानता के सिद्धांत

दूसरी ओर, भारत के संविधान के प्रावधानों, अर्थात अनुच्छेद 14 से 18, से पता चलता है कि हमारे संविधान में समानता के प्रावधान हैं।

संविधान न केवल अलग तरह से संरचित है, बल्कि इसमें उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने के प्रावधान भी हैं।

एस. ई. बी. सी और एस. सी./एस. टी. यह बताया गया है कि हमारे संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को भी शामिल किया गया है।

37 (1967) 2 एससीआर 762 106

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

संविधान के भाग-IV में राज्य को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और कम से कम

आय में असमानताएँ और आय में असमानताओं को दूर करने का प्रयास

स्थिति, सुविधाएं और अवसर (अनुच्छेद 38)।

67. श्री रविवर्मा कुमार, विद्वान वरिष्ठ वकील

पट्टाली मक्कल काची की ओर से पेश हुए, उन्होंने तर्क दिया कि मलाईदार

अनुच्छेद के उद्देश्य के लिए परत सिद्धांत का उपयोग नहीं किया जाएगा।

15 (5) . वकील के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण न तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है और न ही यह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है।

बेरोजगारी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम। इसके तहत आरक्षण

अनुच्छेद 15 (5) सभी को शिक्षित करने का कार्यक्रम भी नहीं है।

पिछड़े वर्ग। वकील के अनुसार एक और केवल

संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 4 और 5 के तहत आरक्षण नीति का लक्षय संविधान विभिन्न जातियों के बीच समानता लाने के लिए है और जब तक कि सभी जातियों को एक स्तर के खेल के मैदान में नहीं लाया जाता है,

जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता है। यह हटाने के लिए अभिप्रेत है

जातियों के बीच असमानता ताकि जातियाँ आएँ

एक साथ। इन प्रावधानों को प्रत्येक जाति और समुदाय के नेताओं को एक साथ लाने के लिए बनाया गया है।

यह तभी हासिल किया जा सकता है जब सबसे अच्छे शिक्षक, सबसे अच्छे शिक्षक

प्रशासक, सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर, सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर और सर्वश्रेष्ठ वकीलों को एक साथ लाया जाता है। और जब तक अंतर है

जातियों के बीच शिक्षा बनी रहती है, जातियाँ नहीं आएंगी एक साथ। यह केवल तभी होता है जब प्रत्येक पिछड़ी जाति को अनुमति दी जाती है

उच्च शिक्षा के स्तर को पूरा करने के लिए शैक्षिक रूप से आगे बढ़ना जातियाँ, क्या एक वास्तविक समतावादी समाज हो सकता है। इसके अनुसार

अधिवक्ता, यह ठीक इसी कारण से है कि अनुच्छेद का खंड (2)

अवसर, न केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि समूहों के बीच भी लोगों से। इसलिए, यह स्थिति में ऐसी समानता का प्रावधान करना है,

सुविधाएँ और अवसर, जिनके लिए आरक्षण पर विचार किया गया है वे जातियाँ जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से अन्य जातियों से नीचे हैं। अगर निचली जाति के सर्वश्रेष्ठ लोग इनसे वंचित हैं

"मलाईदार परत" के नाम पर सुविधाएं और अवसर, यह होगा

प्रतिउत्पादक बनें और आरक्षण के उद्देश्य को ही विफल करें, अर्थात् स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में समानता प्राप्त करना।

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 107

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

68. वकील ने यह भी तर्क दिया कि विवादित के तहत आरक्षण के लिए पूर्व समय सीमा निर्धारित करने का सवाल

अधिनियम अपरिपक्व है और इस स्तर पर इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

69. "जाति" और उसके व्यवसाय के बीच एक कड़ी है

अटूट बंधन जिसके साथ जाति व्यवस्था का संबंध है

पिछड़े वर्गों की निंदा की। चाहे पिछड़ी जाति हो

आदमी अपना पारंपरिक व्यवसाय करता है या नहीं, वह जारी रखता है उक्त व्यवसाय के साथ सामाजिक रूप से पहचाना जाए। इस कड़ी के बीच

जाति और व्यवसाय हजारों वर्षों से अलग नहीं हुए हैं

वर्षों तक और इसे तर्कों और सिद्धांतों से नहीं तोड़ा जा सकता है।

जमीनी हकीकत यह है कि हर गांव में हर जाति की पहचान की जाती है

अपने पारंपरिक व्यवसाय से। और सभी सेवा समुदाय

अपने पारंपरिक व्यवसाय का निर्वहन जारी रखें। यह इंगित किया गया है पता चलता है कि पूरे देश में साढ़े छह लाख गाँवों में, यह नाई है

अकेले समुदाय और नाई समुदाय, जो आगे बढ़ते हैं बाल काटने के पारंपरिक व्यवसाय और किसी अन्य समुदाय ने उक्त व्यवसाय को नहीं अपनाया है। और वे काम करना जारी रखते हैं।

बिना किसी सामाजिक सुरक्षा या किसी भी चीज़ के।

70. वकील ने बताया कि पिछले छह दशक

जनगणना ने जाति विवरणों की रिकॉर्डिंग को छोड़ दिया है,

तीन राष्ट्रीय आयोग और कई राज्य आयोग

इन जनगणना आंकड़ों को पहचान में बेकार पाया है

पिछड़े वर्ग।

71. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि कोई नहीं है

जाति पहचान का विवरण एकत्र नहीं करने का औचित्य

दशकीय जनगणना संचालन। वकील के अनुसार ए

पिछड़े वर्गों की पहचान के सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर अभ्यास बेकार हो जाता है।

72. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि की पूरी पहचान

पिछड़े वर्गों को 1931 के आधार पर नहीं बनाया गया है।

जनगणना के आंकड़े। प्रत्येक राज्य में पिछड़े लोगों की पहचान

सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक मामलों पर राज्य आयोग मापदंड। प्रत्येक राज्य ने अपनी कार्यप्रणाली अपनाई है। पिछड़े वर्गों की पहचान अनिवार्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में की जाती है

राज्य स्तर पर एक बहुत ही वस्तुनिष्ठ मानदंड और एक वैज्ञानिक कार्यप्रणाली। वकील के अनुसार, "नागरिकों के वर्ग" शब्द की उत्पत्ति का पता 19 वीं के बाद के भाग में लगाया जा सकता है।

शताब्दी। अक्सर वर्गों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है।

जाति, जनजाति और समुदायों के साथ। इससे पहले के कुछ

समिति की रिपोर्टों में दलित वर्गों का उल्लेख किया गया है। इसके तहत

1919 अधिनियम, प्रांतों के राज्यपाल लेने का निर्देश देते हैं

लोगों के सामाजिक और औद्योगिक कल्याण के लिए उपाय और

आबादी के सभी वर्गों के लिए उपयुक्त होना। और प्रांतीय

पिछड़े समुदाय। डॉ. अम्बेडकर ने अलग करने की मांग की गोल मेज पर दलित वर्गों के लिए मतदाता

सम्मेलन।

73. वकील ने यह भी बताया कि एक की इमारत

जाति व्यवस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहाँ सैकड़ों हैं सांप्रदायिक छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान जो कुछ समुदायों के स्वामित्व और प्रबंधन में हैं। कुछ जातियाँ और

समुदायों में सांप्रदायिक क्लब, संघ, सहकारी समितियाँ होती हैं, बैंक आदि। उनकी सदस्यता और प्रवेश एक तक सीमित हैं

विशेष जाति या समुदाय। यहाँ तक कि जाति के नाम भी लिए जाते हैं

यह प्रत्येक नागरिक का गारंटीकृत अधिकार है। उसमें कुछ भी नहीं है

संविधान किसी व्यक्ति को भेदभाव करने से प्रतिबंधित करता है विवाह, राजनीतिक पद के लिए उम्मीदवारों का चुनाव आदि से संबंधित मामलों में केवल जाति या समुदाय का आधार। अधिकाँश

मेडिकल, डेंटल और इंजीनियरिंग जैसे पेशेवर कॉलेज महाविद्यालय विशेष रूप से किसी वर्ग या समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के एक निकाय द्वारा स्थापित और प्रशासित किए जाते हैं। हालांकि

डॉ. अम्बेडकर का इरादा जाति व्यवस्था को समाप्त करने का था

इस याचिका का श्री के. एम. मुंशी ने विरोध किया और अनुच्छेद 3 (4) का मसौदा तैयार किया।

कहा गया:

" स्पर्शहीनता को समाप्त कर दिया गया है और इसकी प्रथा अशोक कुमार ठाकुर बनाम है।

संघ के कानून द्वारा दंडनीय "।

74. संविधान कभी भी जाति प्रथा को प्रतिबंधित नहीं करता है

केवल अपनी जाति के आधार पर चलाया जाता है। मरने के बाद भी, श्मशान में किसी हिंदू का अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं है।

अन्य जाति के अनन्य उपयोग के लिए बनाए रखा जाता है या

समुदाय। दलितों को कब्रों में दफनाने की अनुमति नहीं है या

उनके मृतकों का दाह संस्कार करें। ईसाइयों के अपने कब्रिस्तान हैं। मुसलमानों को हिंदू श्मशानों में दफनाने की अनुमति नहीं है।

और इसके विपरीत। इस प्रकार, जाति हिंदू के जीवन पर राज करती है।

और उनकी मृत्यु के बाद भी। ऐसी परिस्थितियों में, यह पूरी तरह से है

इस आधार पर इस तर्क को आगे बढ़ाना गलत है कि

संविधान ने जाति के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह तर्क दिया गया कि क्या

संविधान का उद्देश्य दोनों के बीच समानता प्राप्त करना है।

जातियाँ और जातियों का उन्मूलन नहीं।

75. विद्वान वरिष्ठ वकील बताते हैं कि यह होगा

आदर्शवादी यह उम्मीद करते हैं कि जाति की अनदेखी करने से जातियाँ नष्ट हो जाएंगी। और वकील ने तर्क दिया कि संविधान को समाप्त नहीं किया गया है

जाति व्यवस्था ने इसके उपयोग पर बहुत कम प्रतिबंध लगाया है। वकील ने बताया कि संविधान संशोधन के तहत

पिछड़े वर्गों के पक्ष में विवादित अधिनियम

अगड़ी जातियों को एक भी सीट से वंचित किए बिना देश में उच्च शिक्षा को आगे ले जाने वाली अभूतपूर्व छलांग।

और 20 प्रतिशत से कम आबादी वाली उन्नत जातियां अभी भी योग्यता के नाम पर 50 प्रतिशत सीटें प्राप्त कर सकेंगी।

उनके ज्ञात अनुपात से असमान। जनसंख्या। यह तर्क दिया जाता है कि एससीएस, एसटीएस की प्रगति के बिना और

80 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले ओ. बी. सी. मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में रहते हैं।

क्षेत्रों में, राष्ट्र को आगे ले जाना संभव नहीं होगा। और यह जिन छात्रों को आरक्षित कोटे के तहत प्रवेश दिया जाता है

योग्यता के आधार पर भर्ती किए गए छात्रों की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। विद्वान वकील ने मोइली रिपोर्ट-चार राज्यों के केस स्टडी पर भी भरोसा जताया।

76. इन रिट याचिकाओं में मुख्य चुनौती 110 है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

2007 के अधिनियम 5 की संवैधानिक वैधता। यह कानून था

संविधान के परिणामस्वरूप संसद द्वारा पारित

(नब्बेवां संशोधन) अधिनियम, 2005, जिसके द्वारा उप-अनुच्छेद (5)

इसे संविधान के अनुच्छेद 15 में जोड़ा गया था। संवैधानिकता

इस संशोधन को विभिन्न रिटों में भी चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाएँ। चूंकि यह अधिनियम स्वयं संविधान (नब्बे-तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2005 पर आधारित है, इसलिए इसकी वैधता

अधिनियम का इस तथ्य पर निर्भर करता है कि क्या संविधान (नब्बे) तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2005 अपने आप में वैध है या नहीं। अनुच्छेद 15

संविधान के बाद (नब्बे-तीसरा संशोधन)

अधिनियम, 2005 इस प्रकार है:

" 15. के आधार पर भेदभाव का निषेध

धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान।

(1) राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर।

(2) कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर नहीं होगा।

लिंग, जन्म स्थान या उनमें से कोई भी, किसी भी विकलांगता के अधीन हो, के संबंध में दायित्व, प्रतिबंध या शर्त,

(a) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और स्थानों तक पहुंच
सार्वजनिक मनोरंजन का; या

(ख) कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों का उपयोग और

सार्वजनिक रिसॉर्ट के स्थान पूरी तरह से या आंशिक रूप से राज्य निधि से बनाए रखे जाते हैं या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित होते हैं।

(3) इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।
(4) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 29 के खंड (2) में कुछ भी नहीं होगा

राज्य को कोई विशेष प्रावधान करने से रोकें

किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से प्रगति

नागरिकों के पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों के लिए

और अनुसूचित जनजातियाँ
(5) इस अनुच्छेद या के खंड (1) के उपखंड (छ) में कुछ भी नहीं

अनुच्छेद 19 राज्य को कोई प्रावधान करने से रोकेगा।

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

आई।

कानून द्वारा किसी भी सामाजिक और विकास के लिए

नागरिकों के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या

जहाँ तक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

ऐसा विशेष प्रावधान उनके प्रवेश से संबंधित है

के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान
अनुच्छेद 30 "।

77. टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर) ने माना कि एक निजी

गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान का मौलिक अधिकार है

संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (जी)

शैक्षणिक संस्थान को एक "व्यवसाय" के रूप में माना जाता था और आगे

कि ऐसे संस्थानों में राज्य का विनियमन नहीं होगा

उस मौलिक अधिकार पर एक उचित प्रतिबंध माना जाता है

अनुच्छेद 19 (6) के तहत व्यवसाय करना। यह निर्णय

संविधान में नब्बे-तीसरे संशोधन की आवश्यकता थी

चूंकि टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर) के परिणामस्वरूप राज्य

निजी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को नियंत्रित या विनियमित करने की स्थिति में नहीं होगा। शुरुआत में, यह करना पड़ सकता है

संविधान (नब्बे-तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2005 को चुनौती दें। संविधान की संवैधानिकता को लेकर चुनौती

(नब्बे-तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2005 याचिकाकर्ताओं द्वारा आगे बढ़ाया गया है, जो समानता पर अपनी दलीलों को आधारित करते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 में प्रतिपादित सिद्धांत संविधान।

78. संविधान (नब्बेवां संशोधन) अधिनियम, 2005

कई आधारों पर चुनौती दी जाती है। हमले का पहला आधार यह है कि यदि संविधान (नब्बे-तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2005 है

इसे खड़ा करने की अनुमति देना संविधान के "मूल ढांचे" के खिलाफ होगा और यह संशोधन गंभीर रूप से कम करता है

अनुच्छेद 15 और अन्य के तहत गारंटीकृत समानता के सिद्धांत

संविधान के प्रावधान। याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उठाया गया एक अन्य तर्क यह है कि अनुच्छेद 14 का स्वर्ण त्रिकोण,

19 और 21 को बदला नहीं जाना है और संतुलन और संरचना

इन संवैधानिक प्रावधानों को 112 द्वारा हटा दिया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

संविधान (नब्बेवां संशोधन) अधिनियम, 2005। एक और।

विद्वान वरिष्ठ श्री के. के. वेणुगोपाल द्वारा आग्रह किया गया तर्क

और अनुच्छेद 15 (5) के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान हैं - बहिष्कृत। उनके अनुसार, यह स्पष्ट रूप से उल्लंघन है

धर्मनिरपेक्ष और समानता के सिद्धांत। विद्वान वरिष्ठ वकील भी

इंगित किया कि अल्पसंख्यक संस्थान अलग करने योग्य नहीं हैं

अनुच्छेद 15 (5) और इसलिए, पूरे संविधान की परिधि

(नब्बे-तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2005 को अवैध घोषित किया जाना है।

कि अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 15 (5) के बीच विसंगति है और संविधान (नब्बे-तीसरा संशोधन) अधिनियम के आधार पर, 2005 , अनुच्छेद के तहत राज्य अपनी व्यापक शक्तियों से वंचित हैं।

15 (5) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देना

जो राज्यों से सहायता प्राप्त कर रहे हैं और इस प्रकार यह उल्लंघनकारी है समानता का सार। उन्होंने आगे तर्क दिया कि

संविधान (नब्बे-तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2005 नियंत्रित कर सकता है

राज्य की विधायी और कार्यपालिका शक्ति और, इसलिए,

यह संवैधानिक रूप से मान्य नहीं है। विद्वान वकील ने आगे कहा था

2007 के अधिनियम 5 की वैधता को चुनौती दी, जिसके साथ हम निपटेंगे

अलग से।

1. क्या नब्बे-तीसरा संशोधन

संविधान?

79. संविधान (नब्बेवां संशोधन) अधिनियम, 2005,

जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड (5) जोड़ा गया था,

एक सक्षम प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 15 में कुछ भी नहीं है या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (छ) में राज्य को कानून द्वारा कोई विशेष प्रावधान करने से रोका जाएगा।

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों की उन्नति

जहाँ तक इस तरह के विशेष प्रावधानों में जनजातियाँ उनसे संबंधित हैं निजी सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश

शैक्षणिक संस्थान, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या बिना सहायता प्राप्त। बेशक, खंड में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान

(1) अनुच्छेद 30 को बाहर रखा गया है। अतः नया जोड़ा गया खंड (5)

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

अनुच्छेद 15 को शैक्षणिक संस्थानों पर लागू करने की मांग की गई है।

चाहे सहायता प्राप्त हो या बिना सहायता प्राप्त। दूसरे शब्दों में, यह नया जोड़ा गया है

संवैधानिक प्रावधान राज्य को कुछ भी करने में सक्षम बनाएगा

निजी शिक्षा में प्रवेश के लिए कानून द्वारा विशेष प्रावधान

संस्थान चाहे सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त। हमारे समक्ष दायर की गई सभी याचिकाओं में मुख्य चुनौती अधिनियम 5 के खिलाफ है।

2007. 2007 का अधिनियम 5 आरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एस. ई. बी. सी के लिए सीटें

केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में नागरिक। द "सेंट्रल

शैक्षणिक संस्थान को धारा 2 (डी) के तहत परिभाषित किया गया है।

अधिनियम। वे या उनके द्वारा स्थापित या निगमित संस्थान हैं।

केन्द्रीय अधिनियम के अधीन या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या

केंद्र सरकार या उनके द्वारा बनाए गए या प्राप्त करने वाले संस्थानों द्वारा बनाए गए या उनसे सहायता प्राप्त करने वाले मानित विश्वविद्यालय केंद्र सरकार या शैक्षणिक संस्थानों से सहायता

समितियों के पंजीकरण के तहत केंद्र सरकार द्वारा

अधिनियम, 1860। 2007 के अधिनियम 5 का उद्देश्य आरक्षण प्रदान करना नहीं है।

"निजी गैर-सहायता प्राप्त" शैक्षणिक संस्थानों में। किसी भी निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान ने हमारे समक्ष याचिका दायर नहीं की है

नब्बे-तीसरे संविधान संशोधन को चुनौती देना। यद्यपि याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने

नब्बे-तीसरे संविधान संशोधन को चुनौती दी

विभिन्न आधारों पर, वे अधिनियम 5 को चुनौती देने के लिए थे 2007. विद्वान सॉलिसिटर द्वारा चुनौती का जवाब

जनरल के साथ-साथ विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. परासरन भी इस संदर्भ में थे। हम इस बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहते हैं क्या नब्बे-तीसरा संविधान संशोधन जहां तक इसका संबंध है, संविधान की "मूल संरचना" का उल्लंघन करता है

" निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान। की अनुपस्थिति में निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा चुनौती, की संवैधानिक वैधता पर उच्चारण करना उचित नहीं होगा

संविधान संशोधन का वह भाग। इन विभिन्न याचिकाओं में मुख्य चुनौती केवल के प्रावधानों के बारे में थी

नब्बे-तीसरे संविधान संशोधन को अब तक चुनौती जैसा कि यह निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित है,

इन कार्यवाहियों में सख्ती से उत्पन्न नहीं होता है। 114 की अनुपस्थिति में

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा चुनौती, इस न्यायालय के लिए यह तय करना उचित नहीं हो सकता है कि नब्बे-तीसरे संवैधानिक संशोधन "मूल संरचना" का उल्लंघन है

संविधान जहाँ तक निजी गैर-सहायता प्राप्त शिक्षा से संबंधित है संस्थाएं केवल इसलिए कि हम इसकी वैधता पर विचार कर रहे हैं

2007 के अधिनियम 5 का संदर्भ।

हम महसूस करते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को मुख्य रूप से तय किया जा सकता है

इन याचिकाओं में शामिल प्रश्न विशिष्ट हैं।

2007 के अधिनियम 5 के संबंध में, हम इस प्रश्न को खुला छोड़ते हैं कि

क्या संविधान के नब्बे-तीसरे संशोधन द्वारा कौन सा उपखंड (5) अंत:स्थापित किया गया था जो मूल का उल्लंघन करता है

जैसा कि यह राज्य द्वारा बनाए गए संस्थानों और सहायता प्राप्त संस्थानों से संबंधित है। शैक्षणिक संस्थान।

80. कई तर्कों को आगे बढ़ाया गया है

याचिकाकर्ताओं के वकील ने संवैधानिक वैधता को चुनौती दी

संविधान (नब्बेवां संशोधन) अधिनियम, 2005। मुख्य बात तर्क इस आधार पर था कि यह संशोधन इसके खिलाफ है

" संविधान की मूल संरचना। याचिकाकर्ताओं के वकील के तर्क की सराहना करने के लिए, यह आवश्यक है कि

अदालत। हालांकि न्यायाधीश इस बारे में एकमत नहीं थे कि क्या " तथापि, संविधान की मूल संरचना न्यायाधीश शेलत (पृष्ठ 280 पर) ने अपने निर्णय में निम्नलिखित बुनियादी बातों का संकेत दिया था:

संविधान की विशेषताएँ:

अवधारणा और उत्तरदाताओं की ओर से व्यक्त की गई आशंकाएँ कि न तो नागरिक और न ही संसद यह समझने में सक्षम होंगे कि यह निराधार है। अगर

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रस्तावना, पूरी योजना ओके कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 115

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

संविधान के प्रासंगिक प्रावधानों में शामिल हैं - अनुच्छेद 368 को इस प्रकार रखा गया है कि यह समझने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है कि निम्नलिखित को बुनियादी माना जा सकता है।

संवैधानिक संरचना के तत्व। (ये नहीं हो सकते

सूचीबद्ध लेकिन केवल सचित्र किया जा सकता है):

संविधान की सर्वोच्चता।

1 .

सरकार का प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक रूप और

2 .

देश की संप्रभुता।

3 .

संविधान का धर्मनिरपेक्ष और संघीय चरित्र।

विधायिका के बीच शक्ति का सीमांकन,

4 .

कार्यपालिका और न्यायपालिका।
विभिन्न द्वारा सुरक्षित व्यक्ति की गरिमा

5 .

भाग III में स्वतंत्रताएँ और बुनियादी अधिकार और जनादेश
भाग IV में निहित एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना।

राष्ट्र की एकता और अखंडता "।

6 .

81. सी. जे. सीकरी (पृष्ठ 165-166 पर) ने कहा कि:

" सही स्थिति यह है कि संविधान का हर प्रावधान

मूल आधार के परिणाम में संशोधन किया जा सकता है

और संविधान की संरचना वही बनी हुई है। द. कहा जा सकता है कि बुनियादी संरचना में निम्नलिखित शामिल हैं:

(3) संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। (4)

विधानमंडल के बीच शक्तियों का पृथक्करण,

कार्यपालिका और न्यायपालिका।

(5)

संविधान का संघीय चरित्र "।

82. संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति

इस पर विस्तार से विचार किया गया और अधिकांश न्यायाधीशों ने माना कि मौलिक अधिकारों को संशोधित, परिवर्तित या संक्षिप्त किया जा सकता है।

केशवानंद भारती के मामले में बहुमत का निर्णय (ऊपर)

आई. सी. गोलक नाथ बनाम में निर्णय को खारिज कर दिया। पंजाब राज्य,

(ऊपर)। केशवानंद भारती इंगित करता है कि किस हद तक संविधान का संशोधन किया जा सकता है और रखा जा सकता है

कि एक संशोधन की वैधता अब हमले के लिए खुली नहीं है

स्वयं संविधान की तुलना में। यह माना गया था कि एक की वैधता

साधारण कानून पर सवाल उठाया जा सकता है और जब उस पर सवाल उठाया जाता है

एक उच्च कानून के संदर्भ में उचित ठहराया जाना चाहिए। मामले में संविधान की वैधता अंतर्निहित है और अपने आप में निहित है। द.

संविधान अपनी वैधता उत्पन्न करता है। की वैधता

संविधान द्वारा इसकी स्वीकृति के सामाजिक तथ्य में निहित है

समुदाय। एक साधारण के बीच एक स्पष्ट सीमांकन है

संविधान में संशोधन करने की शक्ति से अलग है सामान्य कानून में संशोधन करें। विधायी के बीच अंतर

संविधान क्योंकि यह वह भेद है जो इसमें लाता है यह सिद्धांत कि एक कानून संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, अमान्य है। जब

संसद संशोधन प्रक्रिया में लगी हुई है यह नहीं है

कानून बनाते हुए, यह संविधान में संशोधन खंड द्वारा इसे दी गई एक विशेष शक्ति का प्रयोग कर रहा है। सीकरी, सी. जे. ने अभिनिर्धारित किया कि अभिव्यक्ति "इस संविधान का संशोधन"

संसद को निरस्त करने या हटाने में सक्षम नहीं बनाता है मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से बदलना

संविधान की विशेषताएं ताकि इसकी पहचान को नष्ट किया जा सके। भीतर

ये सीमाएँ संसद प्रत्येक अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है। शेलट और ग्रोवर

जे जे। (पी 291 पर) ने निष्कर्ष निकाला कि:

" यद्यपि संशोधन की शक्ति को संकीर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता है।

और सभी अनुच्छेदों तक विस्तारित यह असीमित नहीं है ताकि पहचान को निरस्त करने या बदलने की शक्ति शामिल की जा सके

संविधान या इसकी बुनियादी विशेषताएं।

83. हेगड़े और मुखर्जी, जे. जे. अंत में निष्कर्ष निकाला गया (पृष्ठ 355 पर)

वह:

" अनुच्छेद 368 आई. ओ. के. ए. कुमार ठाकुर बनाम के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति।

भारत और ओआरएस का संघ। 117

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

जैसा कि यह अपने संशोधन से पहले खड़ा था, संसद को निर्धारित रूप और तरीके का पालन करके सशक्त किया गया था

वह अनुच्छेद, प्रत्येक अनुच्छेद और प्रत्येक में संशोधन करने के लिए

" ..... संविधान सर्वोच्च कानून है। तीसरा, एक संविधान का संशोधन एक अभ्यास है

घटक शक्ति। गोलक नाथ मामले में बहुमत की राय

सम्मान के साथ गलत है। चौथा, कोई एक्सप्रेस नहीं है संशोधन की शक्ति की सीमाएँ। पाँचवाँ, वहाँ नहीं हैं

संशोधन। न तो प्रस्तावना और न ही अनुच्छेद 13 (2) संशोधन की शक्ति पर सभी सीमाएँ। छठा, शक्ति

इसका अर्थ है संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने की शक्ति। के बीच कोई अंतर हो सकता है या नहीं है कथित आवश्यक संशोधन में किसी भी बाधा को उठाने के लिए संविधान की आवश्यक और अनिवार्य विशेषताएं

विशेषताएँ "।

85. पालेकर, जे. (पृ. 632) ने निष्कर्ष निकाला कि: " संविधान के संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया असंशोधित अनुच्छेद 368 में निहित थी।

के अनुसार संविधान का संशोधन

उस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया एक 'कानून' नहीं है

अनुच्छेद 13 (2) के प्रावधान। के तहत संशोधन शक्ति पर कोई निहित या अंतर्निहित सीमाएँ नहीं थीं अनुच्छेद 368 अपने संचालन में

मौलिक अधिकार। इसकी सर्वोच्च अदालत की रिपोर्ट के बाद कोई नहीं हो सकता है।

[2008] 4

एस सी आर।

" अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति नहीं है। इसमें संविधान को निरस्त करने की शक्ति शामिल है और न ही यह

बुनियादी संरचना या ढांचे को बदलने की शक्ति शामिल करें।

संविधान से। संविधान की मूल संरचना या ढांचे के प्रतिधारण के अधीन, संशोधन पूर्ण है और इसमें अपने आप में शक्ति शामिल है।

संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में संशोधन करना, जिनमें शामिल हैं

मौलिक अधिकारों के साथ-साथ उन अधिकारों से संबंधित जो

कहा जा सकता है कि यह आवश्यक विशेषताओं से संबंधित है। मौलिक अधिकार का कोई भी हिस्सा संशोधन से प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता है।

प्रक्रिया को उस अधिकार के सार या मूल के रूप में वर्णित किया जाता है। संशोधन की शक्ति में शामिल होंगे -

अपने भीतर विभिन्न को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने की शक्ति

लेख "।

87. मैथ्यू, जे. (पृ. 857) ने कहा कि:

" एकमात्र सीमा यह है कि संविधान नहीं हो सकता है

की शक्ति के प्रयोग में निरस्त या निरस्त किया गया

एक तंत्र को प्रतिस्थापित किए बिना संशोधन जिसके द्वारा

राज्य का गठन और आयोजन किया जाता है। वह सीमा बहती है

लेख की भाषा से ही "।

88. बेग, जे. (पृ. 886) ने कहा कि:

" गोलक नाथ के मामले में बहुमत का विचार (ऊपर), यह मानते हुए कि अनुच्छेद 13 की शक्तियों पर एक सीमा के रूप में कार्य करता है

अनुच्छेद 368 में पाया गया संवैधानिक संशोधन था

गलत "।

उन्होंने 24 वें संशोधन और 25 वें संशोधन को बरकरार रखा।

अनुच्छेद 31 सी को जोड़ना भी शामिल है।

89. द्विवेदी, जे अंततः निष्कर्ष निकालते हैं कि:

" अनुच्छेद 368 में "संशोधन" शब्द इतना व्यापक है कि प्रत्येक प्रावधान को बदलने या संक्षिप्त करने के लिए अधिकृत करता है।

भारत और ओआरएस का संघ। 119

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

भाग III सहित संविधान का। कोई अंतर्निहित नहीं है

और अनुच्छेद में संशोधन शक्ति की निहित सीमाएँ

368 "

90. अंत में, चंद्रचूड़, जे. (पृ. 1000) ने कहा कि:

" संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई

तब तक अनुच्छेद 368 व्यापक और निरंकुश था। वह पहुँच गया।

संविधान का हर भाग और प्रावधान।

91. विद्वानों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों का एक सर्वेक्षण

केशवानंद भारती के मामले (ऊपर) में न्यायाधीश स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं

कि संशोधन की शक्ति बहुत व्यापक थी और यहाँ तक कि

मौलिक अधिकारों में संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है। यह भी है

और परिक्षेत्रों का आदान-प्रदान, अनुच्छेद 143 (1) के तहत संदर्भ भारत के संविधान की 3 8, उस प्रभाव के लिए जो प्रस्तावना करता है

संविधान संविधान का हिस्सा नहीं था जिसे अस्वीकार कर दिया गया था

केशवानंद भारती के मामले में (ऊपर) और यह माना गया कि यह संविधान और संविधान की प्रस्तावना का एक हिस्सा है इसका अत्यधिक महत्व है और संविधान को पढ़ा जाना चाहिए

और भव्य और महान दर्शन के प्रकाश में व्याख्या की गई

प्रस्तावना में परिकल्पित। निर्णयों का गहन विश्लेषण

केशवानंद भारती के मामले (ऊपर) से पता चलता है कि सभी

मौलिक अधिकारों सहित संविधान के प्रावधान, संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है और एकमात्र सीमा रखी गई है

कि संविधान की मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

केशवानंद भारती के मामले में फैसला (ऊपर) स्पष्ट रूप से यह इंगित करता है कि संविधान की मूल संरचना क्या है। यह नहीं है।

सिद्धांत जो भिन्नता के अधीन हैं, लेकिन के सिद्धांत समानता को पूरी तरह से नहीं खोया जा सकता है ताकि इस देश के नागरिकों को अराजकता की स्थिति में छोड़ दिया जा सके। लेकिन पहलू

समानता के सिद्धांत को हमेशा विशेष रूप से बदला जा सकता है

परिकल्पित राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का पालन करना संविधान के भाग IV में। संविधान (नब्बे-तिहाई)

38 (1960) 3 एस. सी. आर. 250 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

120

[2008] 4 एस सी आर।

संशोधन) अधिनियम, 2005 की जांच उपरोक्त के आलोक में की जानी है।

स्थिति.

92. संविधान की मूल संरचना को लिया जाना है।

एक बड़े सिद्धांत के रूप में जिस पर संविधान स्वयं तैयार किया गया है

और कुछ चित्र दिए गए हैं कि क्या गठन करता है

संविधान की बुनियादी संरचना से पता चलता है कि वे नहीं हैं इनमें से किसी के परिवर्तन या संशोधन तक सीमित

केवल मौलिक अधिकार या इसके किसी भी प्रावधान

संविधान। बेशक, अगर किसी भी बुनियादी अधिकार में निहित है

संविधान को पूरी तरह से हटा दिया गया है, यह तर्क दिया जा सकता है कि

यह संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन के बराबर है।

उदाहरण के लिए, संविधान का संघीय चरित्र है -

इसे संविधान की मूल संरचना माना जाता है। वहाँ

संविधान में बड़ी संख्या में प्रावधान हैं जो संविधान के संघीय चरित्र से संबंधित हैं। अगर किसी

प्रावधानों को बदला या संशोधित किया जाता है, जो इसके बराबर नहीं है संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन। विभिन्न प्रकार के

संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं -

मानव जीवन के विभिन्न पहलू। संविधान स्वयं निर्धारित करता है कि

एक विस्तारित भविष्य के लिए सिद्धांत और इसके लिए सहन करने के लिए बाध्य है

आने वाले युग और इसके परिणामस्वरूप इसे अनुकूलित करना होगा विभिन्न परिवर्तन जो मानव मामलों में हो सकते हैं।

93. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई विशेष विशेषता है

संविधान मूल संरचना का हिस्सा है या नहीं, यह होना चाहिए

योजना को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में जांच की गई संविधान, इसके उद्देश्य और उद्देश्य और इसकी अखंडता

देश के शासन के लिए एक मौलिक साधन के रूप में संविधान। यह देखा जा सकता है कि यह बुनियादी संरचना के आधार पर सामान्य कानूनों को चुनौती देने के लिए खुला नहीं है।

सिद्धांत। इस सवाल पर राज्य के कानून को चुनौती दी जा सकती है।

क्या यह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। लेकिन

संवैधानिक संशोधनों के संबंध में, यदि कोई चुनौती दी जाती है

बुनियादी संरचना के आधार पर, इसकी जांच की जानी चाहिए

संविधान की मूल विशेषताएँ। यह ध्यान दिया जा सकता है कि

केशवानंद भारती के मामले (ऊपर) में बहुमत नहीं था।

कि अनुच्छेद 14 के सभी पहलू या मौलिक अधिकारों में से कोई भी आशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

121

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

1

यह संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। बहुमत ने अनुच्छेद 30 (1) (सी) के पहले भाग की वैधता को बरकरार रखा जो

यह दर्शाता है कि संवैधानिक संशोधन जो किसी मनमाने कानून की वैधता को चुनौती देने के अधिकार को छीनता है या कम करता है या

उस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करना नष्ट नहीं करेगा।

या मूल संरचना को नुकसान पहुँचाते हैं। समानता एक बहु-रंगीन चीज है एकल परिभाषा में असमर्थ अवधारणा जैसा कि यह भी है

अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत मौलिक अधिकार। समानता का सिद्धांत

के लिए एक नाजुक, कमजोर और सर्वोच्च मूल्यवान अवधारणा है

हमारा समाज। यह सच है कि इसने एक आलोचनात्मक और आवश्यक को अपनाया है।

संवैधानिक पहचान का घटक। के बड़े सिद्धांत

संशोधन के अधीन नहीं हो सकता है, हालांकि, इन प्रावधानों का उद्देश्य इन अधिकारों को एक विशेष तरीके से कॉन्फ़िगर करना है; व्यापक सिद्धांत की सीमाओं के भीतर बदल गया। द.

बदलती स्थितियों की परिवर्तनशीलता की आवश्यकता हो सकती है

इन अधिकारों की संरचना और डिजाइन में संशोधन, लेकिन

औपचारिक व्यवस्थाओं के क्षणिक पात्रों को बड़े उद्देश्य और सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करना चाहिए जो निरंतर और निरंतर हैं।

आपत्तिजनक, बल्कि यह इस परिवर्तन की सामग्री है जहाँ तक यह संवैधानिक पहचान के सवाल को निहित करता है।

94. मैथ्यू, जे द्वारा श्रीमती में की गई टिप्पणियाँ। इंदिरा

गांधी बनाम राज नारायण 39 इस संबंध में महत्वपूर्ण हैं:

" एक बुनियादी संरचना होने के लिए यह एक स्थलीय अवधारणा होनी चाहिए। संविधान के चारों कोनों के भीतर अपना निवास स्थान होना।

जो बुनियादी संरचना का गठन करता है वह "एक टिमटिमा" जैसा नहीं है।

संविधान के ऊपर खड़े हो जाओ "। इसमें शामिल नहीं है

के प्रावधानों के बाहर पाए जाने वाले अमूर्त आदर्श

संविधान। इसमें कोई शक नहीं कि प्रस्तावना महान है।

की वैचारिक आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने वाली अवधारणाएँ

लोग लेकिन ये अवधारणाएँ विशिष्ट हैं और उनकी

39 (1976) 2 एससीआर 347: (ए. आई. आर 1975 एस. सी. 2299)

के विभिन्न प्रावधानों में वर्णित आवश्यक विशेषताएं

संविधान। यह शरीर में ये विशिष्ट प्रावधान हैं।

संविधान जो लोकतंत्र के प्रकार को निर्धारित करता है

जिसे उस उपकरण के संस्थापकों ने स्थापित किया;

न्याय की गुणवत्ता और प्रकृति, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक

जिसे उन्होंने महसूस करने का लक्षय रखा, विचार की स्वतंत्रता की सामग्री

और अभिव्यक्ति जो उन्होंने उस दस्तावेज़ में निहित की थी
और स्थिति और अवसर की समानता का दायरा जो

उन्होंने इसमें प्रतिष्ठापित किया। में अधिनियमित ये विशिष्ट प्रावधान

केवल संविधान ही मूल संरचना निर्धारित कर सकता है

प्रस्तावना में महान अवधारणाएँ दी गई हैं। यह असंभव है कि
प्रस्तावना में निर्धारित गॉसमर अवधारणाओं से मूल संरचना की किसी भी ठोस अवधारणा को बाहर निकालें। विशिष्ट

संविधान के प्रावधान वे हैं जिनसे

बुनियादी संरचना को बुना जाना चाहिए।

95. यदि कोई संविधान संशोधन किया जाता है जो

समानता के सिद्धांत को मध्यम रूप से कम या बदल देता है या

अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत सिद्धांत, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह उल्लंघन करता है

संविधान की मूल संरचना। यदि ऐसा सिद्धांत है

स्वीकार किया, हमारा संविधान खुद को अनुकूलित करने में सक्षम नहीं होगा

एक गतिशील मानव समाज की बदलती परिस्थितियाँ। इसलिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई याचिका कि वर्तमान संवैधानिक

नब्बे-तीसरा संशोधन अधिनियम, 2005 ने मूल संरचना को बदल दिया

संविधान का कोई बल नहीं है। इसके अलावा, संविधान की व्याख्या संकीर्ण पांडित्यपूर्ण तरीके से नहीं होगी। द.

नागराज के मामले में संविधान पीठ द्वारा पृष्ठ 240 पर की गई टिप्पणियां प्रासंगिक हैं:

" संविधान एक अल्पकालिक कानूनी दस्तावेज नहीं है।
गुजरने वाले घंटे के लिए कानूनी नियमों का एक सेट शामिल करना। यह एक विस्तारित भविष्य के लिए सिद्धांत निर्धारित करता है और इसका उद्देश्य है -

आने वाले युगों के लिए सहन करें और परिणामस्वरूप अनुकूलित किया जाए

मानव मामलों के विभिन्न संकटों के लिए। इसलिए, एक सख्त शाब्दिक दृष्टिकोण के बजाय एक उद्देश्यपूर्ण

व्याख्या को अपनाया जाना चाहिए। एक संवैधानिक प्रावधान अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

123

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

इसका अर्थ संकीर्ण और संकुचित अर्थों में नहीं लगाया जाना चाहिए
लेकिन व्यापक और उदार तरीके से ताकि अनुमान लगाया जा सके और

बदलती स्थितियों और उद्देश्यों को ध्यान में रखें ताकि

संवैधानिक प्रावधान जीवाश्म नहीं होते हैं लेकिन बने रहते हैं

नई उभरती समस्याओं का सामना करने के लिए पर्याप्त लचीला और

चुनौति "।

96. यह कई निर्णयों में माना गया है कि जब

संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या की जाती है, मुख्य नियम देखने के लिए है

मार्गदर्शक सितारे के रूप में संविधान की प्रस्तावना और

'व्याख्या की पुस्तक' के रूप में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। प्रस्तावना आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है

लोग और निर्देशक सिद्धांत निकटवर्ती आधार निर्धारित करते हैं

इस देश के शासन में।

97. इसलिए, हम मानते हैं कि नब्बे-तीसरा संशोधन

संविधान की "मूल संरचना" का उल्लंघन नहीं करता है

संविधान जहाँ तक सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित है।

सवाल यह है कि क्या एससी, एसटी के लिए आरक्षण दिया जा सकता है या

निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में एस. ई. बी. सी. आधार पर

नब्बे-तीसरे संविधान संशोधन का; या क्या ऐसी संस्थाओं में आरक्षण दिया जा सकता है; या क्या कोई

ऐसा विधान संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) या अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा; या क्या नब्बे-तीसरा संवैधानिक संशोधन जो राज्य विधानमंडलों या संसद को सक्षम बनाता है।

इस तरह का कानून बनाने के लिए-क्या सभी प्रश्नों पर निर्णय लिया जाना है

प्रभावित पक्षों और अन्य लोगों के बीच उचित रूप से गठित संबंध

जो इस तरह के कानून का समर्थन करते हैं।

अधिकार?

98. याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाया गया अगला तर्क

यह है कि अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) परस्पर अनन्य हैं और

विरोधाभासी। याचिकाकर्ता के वकील, विशेष रूप से

2006 की रिट याचिका (सी) संख्या 598 में याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 15 (4) एक प्रावधान और विधायी शक्ति का स्रोत था

अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण बनाने के उद्देश्य से [2008] 4 एस. सी. आर.

(अनुसूचित जाति) और अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित जनजाति) के साथ-साथ सामाजिक और

सहायता प्राप्त क्षेत्रों में नागरिकों के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (एस. ई. बी. सी.)

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान। और चंपकम दोराईराजन में इस अदालत के फैसले के बाद अनुच्छेद 15 (4) जोड़ा गया था।

(ऊपर) और अनुच्छेद 15 (5) के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है

संस्थान लेकिन स्पष्ट रूप से ऐसे सभी आरक्षण को शामिल नहीं करते हैं अनुच्छेद 30 (1) द्वारा कवर किए गए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में बनाया गया

संविधान से। यह, याचिकाकर्ता के ज्ञान के अनुसार वकील, एक ऐसी स्थिति की ओर ले जाएगा जहाँ राज्य नहीं होगा

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एस. ई. बी. सी. को आरक्षण देने की स्थिति सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान जिन्हें अनुच्छेद के तहत संरक्षण मिला है

आरक्षण देने में सक्षम हो और इसके अनुसार याचिकाकर्ता के वकील के परिणामस्वरूप प्रयास को रद्द कर दिया जाएगा

संस्थापक पिता और बेअसर करने के लिए विभिन्न प्रावधान

सदियों से समाज और विकास की मुख्यधारा से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का बहिष्कार।

99. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि अनुच्छेद

15 (4) और 15 (5) दोनों अनुच्छेद 15 के शेष भाग के संचालन को छोड़कर एक अपवर्जन खंड के साथ शुरू होते हैं, और इसलिए इसके परिणामस्वरूप असंगति की सीमा तक संघर्ष होगा। के अनुसार

याचिकाकर्ताओं के लिए, अनुच्छेद 15 (5) एक विशेष प्रावधान है जो

शैक्षणिक संस्थान और बाद में संशोधन होने के कारण, यह

अनुच्छेद 15 (4) पर प्रबल है, इस प्रकार सार और प्रभाव के परिणामस्वरूप

संविधान के अनुच्छेद 15 (4) में संशोधन। याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार, अनुच्छेद में "इस अनुच्छेद में कुछ भी नहीं है"

15 (5) इसमें अनुच्छेद 15 (4) भी शामिल होगा और इसे ध्यान में रखते हुए

असंगत प्रावधान, अनुच्छेद 15 (5) को 15 (4) के साथ असंगत माना जाना चाहिए और इस प्रकार गैर-प्रभावी माना जाना चाहिए।

100. अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) दोनों ही प्रावधानों को सक्षम कर रहे हैं। अनुच्छेद 15 (4) को तब पेश किया गया था जब में "सांप्रदायिक जी. ओ".

मद्रास राज्य को इस न्यायालय द्वारा चंपकम डोरालराजन के मामले (ऊपर) में रद्द कर दिया गया था। उन्नी कृष्णन (ऊपर) में, यह न्यायालय

अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 19 (1) (छ) स्थापना के लिए आकर्षित नहीं है और अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 125

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

शैक्षणिक संस्थानों को चलाना। हालांकि, टी. एम. ए. पाई में

फाउंडेशन मामला, (ऊपर), यह माना गया था कि स्थापित करने का अधिकार

और शैक्षणिक संस्थानों को चलाना अनुच्छेद 19 (1) (जी) के अर्थ के भीतर एक व्यवसाय है। टी. एम. ए. में निर्णय का दायरा।

पाई फाउंडेशन के मामले को बाद में पी. ए. इनामदार के लेख में समझाया गया था।

मामला, (ऊपर)। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों के संबंध में,

राज्य का कोई नियंत्रण नहीं है और ऐसे संस्थान प्रवेश लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

अपनी पसंद के छात्र। उक्त निर्णय आवश्यक था

संविधान के नब्बेवें संशोधन अधिनियम का अधिनियमन,

2005. इस प्रकार, अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) दोनों अलग-अलग रूप में कार्य करते हैं।

क्षेत्रों। "इस लेख में कुछ भी नहीं" [शुरुआत में उल्लिखित] अनुच्छेद 15 (5)] का केवल यह अर्थ होगा कि इस अनुच्छेद में कुछ भी नहीं है।

जो राज्य को उन आधारों पर प्रतिबंधित करता है जिनका उल्लेख किया गया है

अनुच्छेद 15 (1) को ही महत्व दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 15 (5) में ऐसा नहीं है

संविधान के 15 (4) को हटा दें। यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है

संवैधानिक व्याख्या कि प्रावधानों की व्याख्या करते समय

संविधान के सभी प्रावधानों को प्रभावी बनाया जाएगा और किसी भी प्रावधान की व्याख्या इस तरह से नहीं की जाएगी।

संविधान में किसी अन्य प्रावधान को निष्क्रिय करने के लिए या ओटियोस। यदि संसद का इरादा अनुच्छेद को बाहर करना था

15 (4) , वे बहुत अच्छी तरह से अनुच्छेद 15 (4) को हटा सकते थे

संविधान। अल्पसंख्यक संस्थान भी इस कवायद के हकदार हैं संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत मौलिक अधिकारों का,

चाहे वे सहायता प्राप्त हों या बिना सहायता प्राप्त। लेकिन अनुच्छेद के मामले में

15 (5) , अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, चाहे सहायता प्राप्त हों या

बिना सहायता प्राप्त, संविधान के अनुच्छेद 15 (5) के दायरे से बाहर हैं। दोनों, सक्षम प्रावधान होने के कारण, अपने स्वयं के क्षेत्र में काम करेंगे और इस पर बनाए गए किसी भी कानून की वैधता होगी

अनुच्छेद 15 (4) या 15 (5) के आधार पर जांच की जानी चाहिए ऐसे विधान या विशेष प्रावधान में निहित प्रावधानों का

जो अनुच्छेद 15 (4) या 15 (5) के तहत किया जा सकता है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान या कोई पीड़ित पक्ष नहीं है

संवैधानिक संशोधन को चुनौती देते हुए हमारे सामने आए हैं

इन आधारों पर। याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती दी जाती है

2007 के अधिनियम 5 के तहत किए गए आरक्षण पर आपत्ति। इसलिए, यह दलील कि अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) पारस्परिक रूप से हैं

विरोधाभासी और इसलिए, अनुच्छेद 15 (5) संवैधानिक रूप से 126 नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वैध स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि एन. एम. थॉमस मामले (ऊपर) और इंद्र साहनी के मामले (ऊपर) में माना गया है, अनुच्छेद 15 (4)

और 16 (4) अनुच्छेद 15 (1) और अनुच्छेद 16 (1) के अपवाद नहीं हैं।

कुछ संवैधानिक कार्यों को पूरा करने के लिए एक सक्षम प्रावधान के रूप में अधिदेश और इस प्रकार यह संवैधानिक रूप से मान्य है और इन आधारों पर उठाए गए तर्कों को खारिज कर दिया जाता है।

अनुच्छेद 15 (5) की संस्थाएं अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं। संविधान का?

101. याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाया गया एक और तर्क

यह है कि अनुच्छेद 15 (5) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों का बहिष्कार

यह अपने आप में संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यह दावा किया गया था

कि अपवर्जन अपने आप में शेष से अलग नहीं है

प्रावधान। यह याचिका भी मान्य नहीं है क्योंकि अल्पमत

संस्थानों को एक अलग उपचार दिया गया है

संविधान का अनुच्छेद 30। इस तरह का वर्गीकरण किया गया है

संविधान के प्रावधानों के अनुसार हो। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छूट दी गई है।

संविधान के अनुच्छेद 30 के अधिदेश के साथ अनुच्छेद 15 (5) के अनुरूप होना।

संविधान। इसके अलावा, अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 15 (5) दोनों हैं -

कार्यात्मक और गैर-पृथक्करण की याचिका लागू नहीं होती है।

102. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. राजीव धवन और

श्री सुशील कुमार जैन, विद्वान वकील, की ओर से पेश हुए

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि नब्बे-तीसरे संवैधानिक

संशोधन में निहित समानता सिद्धांतों का उल्लंघन होगा

अनुच्छेद 14,19 और 21 और इस प्रकार इन तीन अनुच्छेदों के "स्वर्ण त्रिकोण" का गंभीर रूप से उल्लंघन किया जा सकता है। विद्वान सलाहकार

यह भी तर्क दिया कि अनुच्छेद 15 (5) के संचालन से अल्पसंख्यकों का बहिष्कार भी संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। हम इस विवाद में ज्यादा ताकत नहीं पाते हैं। यह आयोजित किया गया है

कि अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) क्रमशः अनुच्छेद 15 (1) और अनुच्छेद 16 (1) के अपवाद नहीं हैं। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यदि अनुच्छेद 14 या किसी अन्य समानता सिद्धांत का कोई भी उल्लंघन होता है, प्रभावित शैक्षणिक संस्थान को आशा कुमार ठाकुर बनाम होना चाहिए।

भारत और ओआरएस का संघ। 127

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

अपने अधिकारों को सही साबित करने के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया। ऐसी कोई याचिका नहीं है। इस अदालत के समक्ष दायर किया गया है। इसलिए हम मानते हैं कि

अनुच्छेद 15 (5) से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार

शैक्षणिक संस्थान अपने आप में एक अलग वर्ग हैं। और उनके अधिकार अन्य संवैधानिक प्रावधानों द्वारा संरक्षित हैं।

4. क्या संविधान संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया

संविधान?

103. याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाया गया एक और तर्क

यह है कि नब्बे-तीसरा संवैधानिक संशोधन अमान्य है

यह संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधान का उल्लंघन करता है। के अनुसार

याचिकाकर्ता के वकील के लिए, के तहत निर्धारित प्रक्रिया

नब्बे के मामले में अनुच्छेद 368 के प्रावधान का पालन नहीं किया गया था। तीसरा संशोधन। याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार, संविधान का अनुच्छेद 15 (5) की कार्यकारी शक्ति में हस्तक्षेप करता है

राज्य जैसा कि यह निहित रूप से राज्य की शक्ति को छीन लेते हैं

संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत सरकार।

104. याचिकाकर्ता के वकील के इस तर्क में कोई तर्क नहीं है

बल देते हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं की कानून बनाने की शक्तियां अनुच्छेद 245-255 के तहत प्रदान की गई हैं।

संविधान। अनुच्छेद 162 के प्रावधान के तहत, कोई भी मामला जिसके संबंध में राज्य का विधानमंडल और संसद

कानून बनाने की शक्ति है, राज्य की कार्यकारी शक्ति होगी

स्पष्ट रूप से कार्यकारी शक्ति के अधीन और उसके द्वारा सीमित होना संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा प्रदत्त

अनुच्छेद 162 द्वारा प्रदत्त ऐसी किसी भी शक्ति को समाप्त करना। यह भी हो सकता है ध्यान दिया कि संविधान के 42 वें संशोधन के आधार पर,

" शिक्षा "जो पहले सूची II में प्रवेश संख्या 11 में थी

सूची III में विधान। अनुच्छेद 245 कार्य करेगा और इसके कारणों से अनुच्छेद 162 के प्रावधान के अनुसार, राज्य की कार्यकारी शक्ति अधीन होगी।

द्वारा सीमित, 128 द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त कार्यकारी शक्ति

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

संघ पर संविधान या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा

उनके अधिकारी। के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन

संविधान अस्तित्व में रहा है। राज्य की ऐसी शक्ति नब्बे-तीसरे संविधान द्वारा सीमित या कम नहीं किया गया है

संशोधन क्योंकि यह राज्य की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करता है अनुच्छेद 162 के तहत। नब्बे-तीसरा संविधान संशोधन

यह अनुच्छेद 368 के प्रावधान के दायरे में नहीं आता है। इसलिए,

याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाई गई याचिका कि नब्बे-तीसरे

संवैधानिक संशोधन ने निर्धारित का पालन नहीं किया अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया सही नहीं है और याचिका को केवल खारिज किया जाना है।

5. क्या 2007 का अधिनियम 5 संवैधानिक रूप से अमान्य है

"पिछड़े वर्ग" की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए और

क्या ऐसे "पिछड़े वर्ग" की पहचान

"जाति" के आधार पर संवैधानिक रूप से मान्य है?

105. याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई अगली महत्वपूर्ण याचिका

वकील 2007 के अधिनियम 5 की वैधता के बारे में है। इनमें से कई

2007 के अधिनियम 5 की वैधता के बारे में विवाद उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया पहला तर्क

वकील ने कहा कि यह अधिनियम पूर्व-दृष्टि से असंवैधानिक है और एक संदिग्ध है

कानून और संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 19 (1) (जी) का उल्लंघन

नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग थे ठीक से पहचाना नहीं गया और पहचान करने के लिए शक्ति का प्रत्यायोजन

नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को केंद्र सरकार स्वयं अवैध है और

बिना कोई दिशा-निर्देश निर्धारित किए स्वयं ऐसी शक्तियाँ हैं -

मनमाने ढंग से अवैध। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा विस्तृत तर्क दिए गए और पहला और सबसे महत्वपूर्ण तर्क था

कि "जाति" एकमात्र आधार है जिसके आधार पर नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण किया गया था।

और याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार, यह अवैध है।

इस न्यायालय के कई निर्णयों का संदर्भ दिया गया था

यह मुद्दा।

106. इस बारे में एक लंबा न्यायशास्त्रीय इतिहास है कि क्या अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 129

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

जाति सामाजिक रूप से निर्धारित करने में कोई भी भूमिका निभा सकती है और

नागरिकों के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। इंद्र साहनी में मामला (ऊपर), जो नौ न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है, यह था

यह माना गया कि "जाति" एक प्रारंभिक बिंदु हो सकती है और

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पहचान करने में निर्धारक कारक

नागरिकों के पिछड़े वर्ग। लेकिन फिर भी, एक संक्षिप्त सर्वेक्षण इस प्रश्न पर विभिन्न निर्णयों का इतिहास होगा

इस विषय पर न्यायशास्त्र का विकास।

107. पहले के निर्णयों का संदर्भ आवश्यक है।

पहले के फैसलों में कहा गया है कि जाति एक आधार नहीं होनी चाहिए पिछड़ेपन को पहचानने के लिए और धीरे-धीरे विचारों में बदलाव आया और अंत में, इंद्र साहनी के मामले में (ऊपर), यह

यह माना गया था कि जाति निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक बिंदु हो सकती है

नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग।

108. चंपकम दोराईराजन (ऊपर) में, इस अदालत ने हमला किया

तत्कालीन सांप्रदायिक जी. ओ. में किए गए वर्गीकरण को नीचे करें

मद्रास राज्य। जी. ओ. की स्थापना धर्म के आधार पर की गई थी

और जातियाँ और इस आधार पर मारा गया कि इसका विरोध किया जाता है

संविधान का उल्लंघन है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है

नागरिकों को गारंटी। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 46 अनुच्छेद 29 (2) के प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकता है क्योंकि निर्देश

राज्य नीति के सिद्धांत जिन्हें तब सहायक बनाया गया था

मौलिक अधिकार। इस निर्णय ने पहला संवैधानिक निर्णय लिया

संशोधन जिसके द्वारा अनुच्छेद 15 (4) को जोड़ा गया था

संविधान।

1 109. अगला महत्वपूर्ण मामला एम. आर. बालाजी एंड ओआरएस है। बनाम।

मैसूर राज्य (ऊपर)। इस मामले में, मैसूर राज्य ने जारी किया एक आदेश कि ब्राह्मण समुदाय को छोड़कर सभी समुदाय

सामाजिक और शैक्षिक रूप से की परिभाषा के भीतर आता है

पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और शैक्षणिक संस्थानों में 75 प्रतिशत सीटें आरक्षित थीं।

उनके लिए। यह देखा गया कि हालाँकि हिंदुओं के संबंध में जाति सामाजिक सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट निर्धारित करते समय विचार करने के लिए एक प्रासंगिक कारक हो सकती है

[2008] 4 एस सी आर।

130 समूहों या नागरिकों के वर्गों का पिछड़ेपन, यह नहीं हो सकता है

एकमात्र या प्रमुख परीक्षण किया। यह माना गया था कि वर्गों के

जो नागरिक दयनीय रूप से गरीब हैं, वे अपने आप सामाजिक रूप से गरीब हो जाते हैं। पीछे की ओर। इसके अलावा, नागरिकों का व्यवसाय और स्थान

उनके निवास के परिणामस्वरूप सामाजिक पिछड़ेपन भी होता है। द. यह निर्धारित करने की समस्या है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग कौन हैं

निस्संदेह बहुत जटिल, लेकिन सामाजिक रूप से वर्गीकरण

पिछड़े नागरिक केवल अपनी जाति के आधार पर नहीं हैं।

अनुच्छेद 15 (4) के तहत अनुज्ञेय। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री

हरीश साल्वे ने विभिन्न परिच्छेदों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया

निर्णय। गजेंद्रगडकर, जे. बहुमत के लिए बोल रहे हैं

न्यायाधीशों ने कहा:

" यह निर्धारित करने की समस्या कि सामाजिक रूप से कौन पिछड़े हैं

कक्षाएं निस्संदेह बहुत जटिल हैं। समाजशास्त्रीय, सामाजिक और आर्थिक विचार हल करने में भूमिका निभाते हैं

यह निर्धारित करने के लिए कि कौन से वर्ग सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, समस्या और उचित मानदंड विकसित करना स्पष्ट रूप से बहुत महत्वपूर्ण है।

और वैज्ञानिक तरीके से। यही राज्य का कार्य है जो अनुच्छेद 15 (4) के तहत कार्य करना अभिप्रेत है। ”

110. अदालत ने 'जाति' के बीच स्पष्ट अंतर किया

सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का पता लगाना जाति और इस निर्णय में अधिकांश न्यायाधीशों ने माना कि व्यापक रूप से आरक्षण का एक विशेष प्रावधान कम होना चाहिए।

50 प्रतिशत से कितना कम, यह इस बात पर निर्भर करता है कि

प्रत्येक मामले में प्रासंगिक और प्रचलित परिस्थितियाँ।

111. आर. चित्रलेखा के मामले (उपरोक्त) में, मैसूर सरकार ने पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने वाले एक आदेश द्वारा निर्देश दिया कि

30 % व्यावसायिक और तकनीकी महाविद्यालयों और संस्थानों में सीटें उनके लिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 18 प्रतिशत आरक्षित की जाएंगी। एसटीएस। यह निर्धारित किया गया था कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाना चाहिए -

आर्थिक स्थिति और व्यवसाय।

सुबा राव, जे. (जैसा कि वे अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 131

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

तब था), बहुमत के लिए बोलते हुए, यह माना गया कि एक वर्गीकरण

आर्थिक स्थितियों और व्यवसायों पर आधारित पिछड़े वर्ग कानून में खराब नहीं हैं और अनुच्छेद 15 (4) का उल्लंघन नहीं करते हैं।

नागरिकों के समूह की जाति एक प्रासंगिक परिस्थिति हो सकती है।

उनके सामाजिक पिछड़ेपन का पता लगाने में और हालांकि यह एक है किसी वर्ग के सामाजिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक कारक,

इस संबंध में यह एकमात्र या प्रमुख परीक्षा नहीं हो सकती है। अगर, किसी दिए गए में

स्थिति, जाति के भीतर एक वर्ग का पता लगाने में बाहर रखा गया है अनुच्छेद 15 (4) का अर्थ है, यह वर्गीकरण को दूषित नहीं करता है यदि

यह अन्य परीक्षणों को संतुष्ट करता है। न्यायालय ने कहा कि विभिन्न

संविधान के प्रावधान जो तथ्यात्मक को मान्यता देते हैं

देश में पिछड़ेपन का अस्तित्व और जो एक

कमजोर वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देने का ईमानदार प्रयास

इसका अर्थ उस नीति को प्रभावी बनाने के लिए किया जाना चाहिए न कि समाज के प्रगतिशील वर्गों को महत्व देने के लिए

जाति का झूठा रंग जिससे वे संबंधित हैं। अदालत ने

अभिनिर्धारित किया कि किसी भी परिस्थिति में एक 'वर्ग' को एक के बराबर नहीं किया जा सकता है

' जाति 'यद्यपि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की जाति

उसे किसी विशेष वर्ग में रखने में एक प्रासंगिक कारक हो सकता है।

112. माइनर पी. राजेंद्रन बनाम मद्रास राज्य और Ors.4º

एक अन्य संविधान पीठ का निर्णय है जिसमें

राज्य सरकार विभिन्न के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान कर रही है

उम्मीदवारों की श्रेणियाँ अर्थात् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित

जाति और एस. ई. बी. सी. को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई थी। द. मुख्य चुनौती यह थी कि आरक्षण पूरी तरह से किस पर आधारित था

जाति पर विचार और इसलिए यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है। न्याय वांचू ने कहा कि:

" अब अगर विचाराधीन आरक्षण केवल आधारित होता

जाति पर और विचाराधीन जातियों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को ध्यान में नहीं रखा था, यह

यह अनुच्छेद 15 (1) का उल्लंघन होगा। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि एक जाति भी नागरिकों का एक वर्ग है और यदि

समग्र रूप से जाति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई है। ऐसी जाति के पक्ष में आरक्षण दिया जा सकता है।

इस आधार पर कि यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है
अनुच्छेद 15 (4) के अर्थ के भीतर नागरिकों का वर्ग।

इस संबंध में संदर्भ दिया जा सकता है

एम. आर. बालाजी बनाम में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ। मैसूर राज्य
इस प्रभाव से कि जाति पर विचार करना अप्रासंगिक नहीं था

नागरिकों के एक वर्ग का उनके सामाजिक और
शैक्षिक पिछड़ेपन। यह भी देखा गया कि

यद्यपि नागरिकों के एक वर्ग की जाति प्रासंगिक हो सकती है

महत्व को अतिरंजित नहीं किया जाना चाहिए; और यदि

नागरिकों के पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण आधारित था

केवल नागरिक की जाति पर, यह खुला हो सकता है

आपत्ति की।

(जोर दिया गया)

113. यह ध्यान दिया जा सकता है कि राज्य द्वारा तैयार की गई सूची

कुछ जातियों को दिखाया, और उन जातियों के सदस्यों के अनुसार

राज्य के लिए वास्तव में सामाजिक और शैक्षिक रूप से वर्ग थे

पिछड़े नागरिक। उस मामले में यह देखा गया था कि

याचिकाकर्ताओं ने यह दिखाने का कोई प्रयास नहीं किया कि कोई

शैक्षिक और सामाजिक सूची में उल्लिखित जाति

नागरिकों के पिछड़े वर्ग शैक्षिक और सामाजिक रूप से नहीं थे। पिछड़े और जाति के आधार पर सूची को बरकरार रखा गया

संविधान पीठ ने कहा कि यह अनुच्छेद 15 (1) का उल्लंघन नहीं करता है।

114. त्रिलोकी नाथ टिकू बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य (1) 41 में 50 प्रतिशत

राजपत्रित पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाना था

जम्मू और कश्मीर के मुसलमान। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होगा

किसी खंड के पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए निर्णायक। न्यायालय ने तदनुसार आगे की सामग्री एकत्र करने के निर्देश दिए विषय के लिए प्रासंगिक। और एक बाद के निर्णय, त्रिलोकी नाथ (द्वितीय) (ऊपर) में, अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति

" पिछड़े वर्ग का उपयोग पिछड़े वर्ग के पर्याय के रूप में नहीं किया जाता है।

जाति "।

115. माइनर ए. पीरिकरुप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य

41 (1967) 2 एस. सी. आर. 265 अशोक कुमार ठाकुर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. 133

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

& ओआरएस। (ऊपर), इस न्यायालय ने पहले का संदर्भ दिया विशेष रूप से एम. आर. बालाजी मामले (ऊपर) और आर.

चित्रलेखा मामला (ऊपर)। हेगड़े, जे., पैराग्राफ 29 पर, देखा गया:

" इस तथ्य का कोई खंडन नहीं है कि कई हैं

इस देश में ऐसी जातियाँ जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पीछे की ओर। उनके अस्तित्व को नजरअंदाज करना तथ्यों को नजरअंदाज करना है।

जीवन से। इसलिए हम इस तर्क को बरकरार रखने में असमर्थ हैं कि विवादित आरक्षण अनुच्छेद के अनुसार नहीं है।

15 (4) . लेकिन फिर भी सरकार को आगे नहीं बढ़ना चाहिए।

इस आधार पर कि एक बार एक वर्ग के रूप में माना जाता है
पिछड़े वर्ग को पिछड़ा वर्ग बना रहना चाहिए

हर समय के लिए। इस तरह का दृष्टिकोण बहुत को हरा देगा

आरक्षण का उद्देश्य क्योंकि एक बार जब कोई वर्ग पहुँच जाता है

प्रगति का एक चरण जिसे कुछ आधुनिक लेखक कहते हैं

मंच से उतरें तो उनके भविष्य के लिए प्रतिस्पर्धा आवश्यक है

प्रगति। सरकार को हमेशा नीचे रहना चाहिए।
सीटों के आरक्षण के सवाल की समीक्षा करें और केवल

ऐसे वर्ग जो वास्तव में सामाजिक और शैक्षिक रूप से हैं

पिछड़े को लाभ होने दिया जाना चाहिए

आरक्षण "। 116.
याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने भी

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य का संदर्भ। बनाम प्रदीप टंडन और Ors.42 जिसमें मुख्य न्यायाधीश रे ने टिप्पणी की अनुच्छेद 14:

" नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग

अनुच्छेद 15 (4) में जातियों की बराबरी नहीं की जा सकती। एम. आर. में

बालाजी बनाम. मैसूर राज्य और एपी राज्य बनाम सागर यह

जातियों का आधार अनुच्छेद 15 (1) और 15 दोनों का उल्लंघन करेगा।
(4) . ”

117. एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय केरल और अन्र राज्य का है। बनाम एन. एम. थॉमस और अन्य। (ऊपर), जिसमें

42 (1975) 1 एससीसी 267 [2008] 4 एस. सी. आर.

134

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केरल राज्य के नियम 13-एए की संवैधानिक वैधता और

अधीनस्थ सेवा नियम चुनौती के दायरे में थे। नियम.

विभागीय परीक्षण। केरल उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया नियम और राज्य की अपील में आरक्षण का प्रश्न

विस्तृत रूप से विचार किया गया। मैथ्यू, जे. अपनी सहमति में

निर्णय, ने अभिनिर्धारित किया कि अवसर की समानता देने के लिए

अनुसूचित जातियों के सदस्यों को रोजगार और

अनुसूचित जनजातियों को उनके सामाजिक कार्यों पर ध्यान देना आवश्यक है,

शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन। केवल इतना ही नहीं

विधि पर बाध्यकारी अनुच्छेद 46 में सन्निहित निदेशक सिद्धांत

निर्माता जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है, लेकिन इसे अदालत के दृष्टिकोण को समान रूप से सूचित और प्रकाशित करना चाहिए जब वह एक निर्णय, क्योंकि न्यायालय भी अर्थ के भीतर एक "राज्य" है

अनुच्छेद 12 और अंतरालीय रूप से भी कानून बनाता है। का अस्तित्व

समानता केवल अक्षमताओं की अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि अक्षमताओं की उपस्थिति पर। इसे प्राप्त करने के लिए, अंतर

असमान व्यक्तियों के साथ व्यवहार की अनुमति है। यह है।

जिसे प्रतिपूरक भेदभाव या सकारात्मक कार्रवाई के रूप में शैलीबद्ध किया जाता है।

118. के. सी. वसंत कुमार बनाम। कर्नाटक राज्य

(ऊपर) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पहचान करने का प्रश्न

पिछड़े वर्ग पर विचार किया गया। देसाई, जे.

पैराग्राफ 20 में इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया गया है और

यह देखा गया:

" हजारों वर्षों में अपने अस्तित्व से, कमोबेश यह

यह माना जाता था कि जाति के लिए मानदंड होना चाहिए

सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का निर्धारण करना। अन्य में

यह कहा जाता था कि जाति, इसके पारंपरिक कार्यों, उच्च जातियों के संबंध में इसकी स्थिति को मानकों के अनुसार देखें।

शुद्धता और प्रदूषण, शुद्ध और इतना शुद्ध व्यवसाय नहीं, एक बार

इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया जाता है।

कुछ भी अधिक, जो उस जाति से संबंधित हैं उन्हें होना चाहिए
सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए। इस पर

सरलीकृत दृष्टिकोण ने एक बहुत ही यथार्थवादी स्थिति को नजरअंदाज कर दिया जोका कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 135

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

प्रत्येक जाति में मौजूद है कि प्रत्येक ऐसी जाति में जिसका सदस्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े होने का दावा करते हैं,

उनके पास आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति वाले वर्ग थे। 119. चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. ने भी इस सवाल का जवाब दिया।

मौखिक और अवलोकित:

" हालाँकि हम 'पिछड़ेपन' के सवाल को देखते हैं,

चाहे वर्ग, स्थिति या शक्ति के कोण से, हम पाते हैं

आर्थिक कारक इन सब के सबसे नीचे है और हम पाते हैं

गरीबी, अपराधी-कारण और प्रमुख विशेषता।

गरीबी, आर्थिक कारक सभी पिछड़ेपन को दर्शाता है

जिस तरह सीधी मुद्रा होमोसेपियन्स को ब्रांड करती है और

उसे अन्य सभी जानवरों से अलग करता है, की नज़र में

मंगल ग्रह से देखने वाले। लेकिन, क्या उसका नस्लीय स्टॉक है

कोकेशियान, मंगोलॉइड, नेग्रॉइड, आदि, आगे की जांच करना होगा। तो भी सामाजिक का अगला सवाल

और शैक्षिक पिछड़ेपन की और अधिक जांच की आवश्यकता है।

भारत में यह मामला और अधिक जटिल और जटिल हो गया है।

निर्दयता से। सर्वव्यापी जाति व्यवस्था द्वारा अत्याचारित, ए

श्रेणीकरण की अद्वितीय और विनाशकारी प्रणाली और

क्षरण जिसने पूरे भारतीय को विभाजित कर दिया है और

विशेष रूप से हिंदू समाज क्षैतिज रूप से इस तरह के विशिष्ट रूप में

गतिशीलता के विनाशकारी होने के रूप में परतें, एक प्रणाली जो है

प्रत्येक भारतीय के मन और आत्मा में घुसकर भ्रष्ट किया

नागरिक। यह एक कुख्यात तथ्य है कि एक ऊपरी परत है

आम तौर पर उच्च जातियों से मिलकर बना ग्रामीण समाज,

पुरोहित, जमींदार और व्यापारी जातियाँ, वहाँ है

भारतीय 'बाहरी जातियों' से मिलकर बना एक निचला स्तर ग्रामीण समाज, अर्थात् अनुसूचित जातियाँ, और

उच्चतम और निम्नतम के बीच, बड़े हैं

जनसंख्या के ऐसे वर्ग जो निम्न श्रेणीकरण के कारण

जिस जाति के वे ग्रामीण समाज से संबंधित हैं

पदानुक्रम, विनम्र व्यवसाय के कारण जो वे

पीछा करते हैं, क्योंकि उनकी गरीबी और अज्ञानता भी है

पिछड़ेपन, सामाजिक और शैक्षिक, पिछड़ेपन की निंदा की गई जो उन्हें 136 पर प्रतिस्पर्धा करने से रोकता है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

ऊपरी परत को पकड़ने के लिए समान शब्द।

120. अन्य निर्णयों, अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य और अन्र का भी उल्लेख किया गया। बनाम पी: सागर 4 3 और टी।

देवदासन बनाम। भारत संघ & Anr.44। इससे पहले

निर्णयों ने यह विचार रखा कि जाति एक आधार नहीं होगी

नागरिक। लेकिन बाद के फैसलों से हम थोड़ा बदलाव पाते हैं। न्यायालय का दृष्टिकोण। यदि एस. ई. बी. सी. का वर्गीकरण किया जाए

विशेष रूप से जाति के आधार पर, यह संविधान के अनुच्छेद 15 (1) के सामने उड़ान भरेगा क्योंकि यह स्पष्ट रूप से किसी भी जाति को प्रतिबंधित करता है।

धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव जन्म या उनमें से कोई भी। विभिन्न की सावधानीपूर्वक जाँच के बाद

इस न्यायालय के पिछले निर्णय, इंदर साहनी (ऊपर) में,

'पिछड़ा वर्ग सूची' की वैधता की जांच करते हुए

मंडल आयुक्त, जीवन रेड्डी द्वारा तैयार किया गया। जे., बहुमत के लिए बोलना, निम्नानुसार आयोजित किया गया:

मद्रास और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा बनाया गया। पी.
राजेंद्रन बनाम। मद्रास राज्य 3 13 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के विनिर्देश से संबंधित

जातियों का संदर्भ। सवाल यह था कि क्या

पहचान अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करती है। वांचू, सी. जे., बोल रहे हैं

संविधान पीठ ने विवाद पर विचार किया

निम्नलिखित शब्द: (एस. सी. आर पी. 790-91)

" विवाद यह है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से

नियम 5 कुछ और नहीं बल्कि कुछ जातियों की सूची है। इसलिए,
केवल जाति के आधार पर कुछ जातियों के पक्ष में आरक्षण अनुच्छेद 15 (1) का उल्लंघन करता है, जो केवल जाति के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अब अगर

विचाराधीन आरक्षण केवल जाति पर आधारित था और

43 (1968) 3 एससीआर 595

44 (1964) 4 एससीआर 680 अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 137

[के. बालकृष्णन, सी. जे. आई.]

विचाराधीन जाति का पिछड़ेपन, यह उल्लंघन होगा
अनुच्छेद 15 (1)। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि एक जाति है

नागरिकों का एक वर्ग भी और यदि समग्र रूप से जाति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े आरक्षण हो सकता है

इस आधार पर ऐसी जाति के पक्ष में बनाया गया है जो नागरिकों का सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है अनुच्छेद
15 (4) का अर्थ। यह सच है कि वर्तमान में

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों की सूची
वर्ग जाति द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जाति ही एकमात्र विचार था।

और कि इन जातियों से संबंधित व्यक्ति भी नहीं हैं
सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों का एक वर्ग।

जैसा कि यह पाया गया कि इन जातियों के सदस्य

सभी शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े थे, सूची
जो 1906 से चल रहा था

अंततः अनुच्छेद 15 (4) के प्रयोजनों के लिए अपनाया गया।

तथापि, मद्रास राज्य द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, जिसका किसी भी प्रत्युत्तर द्वारा विरोध नहीं किया गया है,

यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि हालांकि सूची कुछ निश्चित दिखाती है
जातियाँ, उन जातियों के सदस्य वास्तव में वर्ग हैं

शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े नागरिक। याचिकाकर्ताओं/अपीलार्थी की ओर से यह दिखाने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि इस सूची में उल्लिखित कोई भी जाति शैक्षिक रूप से नहीं थी।

इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि हालांकि सूची तैयार की गई है
जाति-वार, इसमें शामिल जातियाँ समग्र रूप से शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं और इसलिए सूची

यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं करता है। नियम 5 को चुनौती दी जानी चाहिए

इसलिए असफल "।

121. उस निर्णय में यह आगे कहा गया था कि "पिछड़े

अनुच्छेद 16 (4) में "वर्ग" को "पिछड़ी जाति" के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत, राष्ट्रपति द्वारा

एक आयोग नियुक्त करने का आदेश जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हों जो

सामाजिक और शैक्षिक रूप से स्थितियों की जांच करने के लिए उचित समझता है

भारत के क्षेत्र के भीतर नागरिकों के पिछड़े वर्ग और 138

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

जिन कठिनाइयों के तहत वे काम करते हैं और करते हैं

द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सिफारिशें

संघ या कोई भी राज्य कठिनाइयों को दूर करने और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए। इस प्रावधान का उद्देश्य सशक्त बनाना है

राष्ट्रपति कठिनाइयों का पता लगाने के लिए एक आयोग नियुक्त करेंगे

और नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की समस्याएं। और इंद्र साहनी के मामले में (ऊपर), बहुमत

माना जाता है कि आदर्श और बुद्धिमान तरीका होगा कि विभिन्न को चिह्नित किया जाए ऐसे व्यवसाय जो कई मामलों में निचले स्तर पर हैं

हिंदू ही उनकी जाति होगी और उनकी सामाजिक स्थिति का पता लगाएंगे।

स्वीकार्यता और शैक्षिक मानक, उन्हें तौलें

आर्थिक स्थितियों का संतुलन और इसका परिणाम यह होगा कि पिछड़े वर्ग के नागरिकों को वास्तविक सुरक्षा की आवश्यकता होगी

छतरी। और व्यवसाय को शुरुआत के रूप में अपनाने के बाद अगला बिंदु उनकी सामाजिक स्वीकार्यता का पता लगाना होना चाहिए। मैला साफ करने वाला व्यक्ति बन जाता है

अछूत जबकि अन्य जो सामाजिक स्तर पर कानून के रूप में थे

जैसे-जैसे अछूत उदास होते गए। अदालत ने चेताया है

कि पिछड़ेपन पारंपरिक होना चाहिए। केवल शैक्षिक

या सामाजिक पिछड़ेपन पर्याप्त नहीं होता क्योंकि यह क्षेत्र का विस्तार करता और इस प्रकार संवैधानिक लक्षय के उद्देश्य को ही विफल कर देता। यह बताया गया कि इन्हें लागू करने के बाद परीक्षण, आर्थिक मानदंड या साधन-परीक्षण लागू किया जाना चाहिए।

क्योंकि गरीबी सभी पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है

यह सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को जन्म देता है।

122. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि

एस. ई. बी. सी. की पहचान करने के मानदंडों में से एक के रूप में भी जाति का उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि कई व्यक्तियों ने अपनी परंपरा को बदल दिया है।

पेशे और डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बन गए हैं।

लेकिन ये कुछ ही मामले हैं और ऐसे व्यक्तियों को भी जाति के आधार पर सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ता है। प्रदीप में

टंडन का मामला (ऊपर) पैरा 17 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि:

" अभिव्यक्ति 'नागरिकों के वर्ग' एक को इंगित करता है

लोगों का समरूप वर्ग जो समूहीकृत हैं

कुछ समानताओं और सामान्य लक्षणों के कारण एक साथ

और जिन्हें कुछ सामान्य विशेषताओं द्वारा पहचाना जा सकता है।

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 139

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

नागरिकों के वर्ग की एकरूपता सामाजिक और

शैक्षिक पिछड़ेपन। न जाति, न धर्म और न ही
जन्म स्थान सामान्य का समान तत्व होगा।

उन्हें नागरिकों का एक वर्ग बनाने के लिए विशेषताएँ।

123. उपरोक्त कथन पूरी तरह से सही नहीं है। जाति पिछड़ेपन को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है

व्यक्तिगत। समाज में सामाजिक स्थिति और स्थिति इस पर निर्भर करती है -

व्यवसाय की प्रकृति का पालन किया गया। इंद्र साहनी के मामले के पैराग्राफ 779 में कहा गया है:

श्रेणीबद्ध पदानुक्रम में वर्ग। ग्रामीण भारत में, व्यवसाय
जाति सांठगांठ आज भी सच है। कुछ सदस्य हो सकते हैं

शहरों या विदेशों में भी गए लेकिन जब वे लौटते हैं-वे

करो, कुछ अपवादों को छोड़कर-वे एक ही तह में जाते हैं

एक बार फिर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने पैसा कमाया है या नहीं। वह हो सकता है

उस विशेष व्यवसाय का पालन न करें। फिर भी, लेबल बना हुआ है।

शादी के उद्देश्य से उसकी पहचान नहीं बदली जाती है।

मृत्यु और अन्य सभी सामाजिक कार्य, यह उनका सामाजिक वर्ग है -

जाति-वह प्रासंगिक है।"

124. " जाति का उपयोग अक्सर "वर्ग" के साथ किया जाता है और

सामाजिक स्तरीकरण में इसे मूल इकाई कहा जा सकता है। सबसे ज्यादा

जाति समूह की विशेषता जाति में इसकी स्वायत्तता है।

संबंधित मामले। सभी द्वारा लागू सार्वभौमिक संहिताओं में से एक

जाति अंतर्विवाह की आवश्यकता है। अन्य नियमों का करना होगा पालन

धार्मिक शुद्धता या स्वच्छता से संबंधित नियमों के साथ।

कभी-कभी यह व्यावसायिक विकल्पों को भी प्रतिबंधित करता है। यह नहीं है। आवश्यक है कि इन नियमों को विशेष वर्गों में लागू किया जाए

ठीक है, और इस तरह एक "वर्ग" से अलग किया जा सकता है

इन आधारों पर "जाति" का व्यापक क्षेत्र। जातियाँ अक्सर होती थीं

शुद्धता पैमाने पर मूल्यांकन किया गया, न कि सामाजिक पैमाने पर।

125. के. सी. वसंत कुमार मामले में जे. वेंकटरमैया द्वारा की गई टिप्पणियां इस संबंध में प्रासंगिक हैं:

" हम भारत में जाति, नस्ल या जनजाति या धार्मिक अल्पसंख्यकों के अर्थों से अवगत हैं।

एक जाति एक

[2008] 4 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रथा का पालन करने वाले परिवारों का संगठन

अंतर्विवाह अर्थात जो विवाह की अनुमति देता है

केवल ऐसे परिवारों के सदस्य। जाति के नियम

इसके सदस्यों को उनकी जाति के बाहर शादी करने से रोकें।

व्यक्ति की जाति परिवार में उसके जन्म से नियंत्रित होती है। अनुष्ठानिक शुद्धता के कुछ विचार प्रत्येक के लिए विशिष्ट हैं।

जाति। कभी-कभी जाति प्रथाओं के कारण अलगाव भी हो जाता था। गाँवों में एक ही जाति के। यहाँ तक कि चुनाव भी

जातियों के सदस्यों का व्यवसाय पूर्व निर्धारित था

स्वयं को अन्य प्रकार में संलग्न करने से प्रतिबंधित किया गया कॉल, व्यवसाय या व्यवसाय। कुछ व्यवसाय

इन्हें अपमानजनक या अशुद्ध माना जाता था। एक निश्चित

कई मामलों में कठोरता की मात्रा विकसित हुई और कई

जो सामाजिक क्रम में निचली जातियों से संबंधित थे

उन्हें कई प्रतिबंधों, विशेषाधिकारों और अपमानों का सामना करना पड़ा। अस्पृश्यता के खिलाफ अभ्यास किया गया था

कुछ जातियों के सदस्य। अंतर-भोजन था

कुछ मामलों में प्रतिबंधित। शासन करने वाले इन नियमों में से कोई भी नहीं एक जाति का किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता या उसकी क्षमता से कुछ भी लेना-देना था। उसके स्वामित्व वाली संपत्ति

उसे कई सामाजिक भेदभावों से नहीं बचा पाएगा।

उच्च जातियों के सदस्यों द्वारा अभ्यास किया जाता है। बच्चे।

जो इस जाति-ग्रस्त वातावरण में पले-बढ़े, उन्हें स्वाभाविक रूप से नुकसान उठाना पड़ा के इनकार के अलावा कई सामाजिक नुकसानों से

उसी तरह के वातावरण में रहने का अवसर जिसमें उच्च जाति के लोग रहते थे। कई समाज सुधारकों ने

की कलंक को दूर करने के लिए पिछली दो शताब्दियों में प्रयास किया

जिस जाति से निम्न जातियों में पैदा हुए लोग थे

पीड़ा होती है। कुछ अमानवीय जाति प्रथाओं को प्रतिबंधित करने वाले कई कानून भी पारित किए गए। (पी। 110)

126. प्रमुख मानवविज्ञानी, नदियाँ, आशा कुमार ठाकुर बनाम के उपयोग की आलोचना करती हैं।

भारत और ओआरएस का संघ। 141

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

"जाति" और "वर्ग" शब्दों को 45 के पर्याय के रूप में। हालांकि, कई लोवी46 और किमबॉल यंग 47 जैसे अन्य लोग इनका उपयोग करते हैं।

शब्द जैसे कि वे समान थे।

127. वंशानुगत स्थिति को इंगित करने के लिए जाति शब्द का उपयोग बहुत आम है। सेसिल क्लेयर नॉर्थ 48, प्रसिद्ध समाजशास्त्री, इस दृष्टिकोण को स्वीकार करता है कि कठोरता की डिग्री को चिह्नित करता है

वर्ग और जाति प्रणालियों के बीच अंतर। उनकी परिभाषा पढ़ता है:

" एक समूह जिसमें स्थिति, व्यवसाय और संस्कृति है

वंशानुगत होना जाति के रूप में जाना जाता है। एक बात के रूप में

तथ्य, हालांकि, एक समाज आधारित के बीच अंतर

जाति और एक जिसमें खुले वर्ग प्रबल हैं, बस है
एक डिग्री "।

128. उत्तर ने यह कहते हुए समापन किया कि "जाति" शब्द

उन वर्गों पर लागू होता है जो तय हो गए हैं, और ऐसे सभी

वर्ग जातियाँ बन जाते हैं।

129. मैक्लवर 49, के क्षेत्र में एक और प्रमुख प्राधिकरण

सामाजिक वर्ग सिद्धांत वंशानुगत स्थिति के साथ जाति की पहचान भी करता है।

वह अपनी व्याख्या को भारत की स्थिति से जोड़ने का प्रयास करता है,

प्रक्रिया का अक्सर अन्य समाजशास्त्रियों द्वारा पालन नहीं किया जाता है। वे इस प्रकार लिखते हैं,

" अपरिवर्तनीय स्थिति के रूप में जाति: सामंती आदेश

एक जाति प्रणाली के लिए अनुमानित। जब स्थिति पूरी तरह से
पूर्वनिर्धारित, ताकि पुरुष जीवन में अपने भाग्य के लिए पैदा हों

इसे बदलने की उम्मीद के बिना, तब वर्ग जाति का चरम रूप ले लेता है। हिंदू समाज में यही स्थिति है। प्रत्येक

48 सेसिल क्लेयर नॉर्थ, सोशल डिफरेंशिएशन (चैपल हिल, 1926) पी। 254 49 आर. एन. मैकल्वर, सोसायटी: समाजशास्त्र की एक पाठ्यपुस्तक (न्यूयॉर्क 1937)

पी। 171.9 142

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

हिंदू अनिवार्य रूप से अपने माता-पिता की जाति से संबंधित है, और

उस जाति में वह अनिवार्य रूप से बना रहता है। कोई संचय नहीं

धन और प्रतिभा का कोई भी प्रयोग उसकी जाति की स्थिति को नहीं बदल सकता है।

हतोत्साहित किया। ' जाति गतिशीलता में पूरी तरह से बाधा है
वर्ग का "।

130. इसलिए, एक वर्ग को हमेशा कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं।

कम या ज्यादा सख्ती से बंद, या वंशानुगत विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं, इसे "जाति" कहा जाता है।

131. हालाँकि, ऐसे अन्य समाजशास्त्री भी हैं जो

राय है कि जाति व्यवस्था का एक वंशानुगत कार्य भी है। चार्ल्स हॉर्टन कूली 50 का मानना है कि:

" यदि पिता से पुत्र में कार्य का संचरण है

स्थापित, एक जाति की भावना, इस तरह के संचरण के पक्ष में एक भावना और से मार्ग का विरोध करना एक वर्ग से दूसरे
वर्ग में, उत्पन्न हो सकता है और इसके द्वारा भी साझा किया जा सकता है

वंचित वर्ग। व्यक्ति तब सोचता है कि

स्वयं और उनके परिवार को उनकी जाति के रूप में पहचाना जाता है।

132. इसलिए, प्रारंभिक समाजशास्त्रीय के अनुसार

सिद्धांतों के अनुसार, "जाति" शब्द का उपयोग "वर्ग" के अर्थ में किया गया है।

वंशानुगत या कठोर स्थिति, और वंशानुगत व्यवसाय।

133. 190-151 की मैसूर जनगणना इस में उद्धृत की गई है।

संबंध इस प्रकार है:

लेकिन व्यक्ति के बीच सामाजिक वरीयता का क्रम
किसी भी वर्ग की जातियों को निश्चित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि न केवल इस तरह के पद की कोई असंतुष्ट स्वीकृति है, बल्कि

50 चार्ल्स हॉर्टन कूली, सामाजिक संगठन (न्यूयॉर्क, 1909) पी। 215 51 जी. एस. घुर्ये, कास्ट एंड रेस इन इंडिया (बॉम्बे, 1979) पी। 6 , उद्धृत करते हुए

मैसूर जनगणना, 1901 से, पी।

400 अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 143

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

साथ ही इस मुद्दे पर लोगों के विचार बहुत अस्पष्ट हैं।
और अनिश्चित। निम्नलिखित टिप्पणियाँ स्पष्ट रूप से सामने लाती हैं

यह स्थिति "।

एक छोर पर ब्राह्मण को छोड़कर और स्वीकार्य रूप से

दूसरी ओर होलिया जैसी अपमानित जातियाँ,
तत्काल जातियों के एक बड़े अनुपात के सदस्य

सोचिए या मान लीजिए कि उनकी जाति उनसे बेहतर है

पड़ोसी, और उसी के अनुसार क्रमबद्ध किया जाना चाहिए।

134. दूसरी ओर, यह संभव है कि एक जाति के भीतर

स्थायी-जो तब उस विशेष के भीतर "वर्ग" को परिभाषित करता है " जाति "प्रणाली। उदाहरण के लिए, सभी ब्राह्मणों की सगाई नहीं होती है।

अत्यधिक सम्मानजनक नौकरी में, और न ही सभी बहुत अमीर हैं। यह हो सकता है

यहाँ तक कि कुछ ब्राह्मण एक के सदस्यों के सेवक हो सकते हैं

निम्न जाति, या यह भी हो सकता है कि एक के व्यक्तिगत सेवक

अमीर ब्राह्मण एक गरीब ब्राह्मण हो सकता है।

135. इसलिए, यह मानने का हर कारण है कि एक

एकल जाति समूह कुछ वर्ग या लोगों के समूह हैं

जिनके लिए सौभाग्य या दृढ़ता अधिक गरिमा लेकर आई है,

दूसरों की तुलना में सामाजिक प्रभाव और सामाजिक सम्मान।

136. भारत में जाति, सामाजिक-संगठनात्मक तरीके से

इसका मतलब है कि यह केवल भौतिक या

इसे बनाने वाले व्यक्तियों की व्यावसायिक विशेषताएँ; बल्कि, इसकी विशेषता इसके कोड और इसके करीबी सामाजिक नियंत्रण हैं। हालाँकि, वर्गों के मामले में, वहाँ मौजूद नहीं हो सकता है

इस तरह के निकट-बुना हुआ इकाई सामाजिक नियंत्रण, और वहाँ महान मौजूद हो सकता है

व्यावसायिक विशेषताओं में असमानता।

137. एक सामाजिक वर्ग इसलिए एक सजातीय इकाई है,

स्थिति और पारस्परिक मान्यता का दृष्टिकोण; जबकि जाति समान वंशावली, धार्मिक संस्कारों और सख्त संगठनात्मक नियंत्रण के दृष्टिकोण से एक सजातीय इकाई है। इस प्रकार जिस तरह से जाति को संगठनात्मक दोनों में बंद किया जाता है

और जैविक बोध इसे सामाजिक वर्ग से अलग बनाता है। इसके अलावा, 144 से संबंधित अनुष्ठानों और विनियमों पर इसका जोर है।

[2008] 4 एस सी आर।

स्वच्छता और शुद्धता धर्मनिरपेक्ष प्रकृति से मौलिक रूप से भिन्न है।

और सामाजिक वर्ग नियमों की अनौपचारिकता। एक सामाजिक वर्ग में,

विशिष्टता मुख्य रूप से स्थिति पर आधारित होगी। सामाजिक

वर्ग सजातीय आबादी को प्रतिष्ठा की परतों में विभाजित करते हैं

और सम्मान, और प्रत्येक परत के सदस्य इसके साथ स्वतंत्र रूप से प्रसारित करने में सक्षम हैं।

138. हालाँकि, एक जाति में, दोनों के बीच सामाजिक दूरी

सदस्य इस तथ्य के कारण हैं कि वे पूरी तरह से अलग हैं संगठन। इसलिए यह कहा जा सकता है कि एक जाति एक है

क्षैतिज विभाजन और एक वर्ग, एक ऊर्ध्वाधर विभाजन।

139. सॉलिसिटर जनरल श्री जी. ई. वाहनवती ने बताया कि

कि अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण के उद्देश्य के लिए

संविधान, केंद्रीय सूची अतीत से चल रही है 14 वर्षों से और किसी भी व्यक्ति ने केंद्रीय सूची में किसी भी समावेश को अमान्य या अवैध के रूप में चुनौती नहीं दी है।

140. यह बताया गया कि राष्ट्रीय आयोग ने

पिछड़े वर्ग और राज्य पिछड़ा आयोग

कक्षाओं ने विस्तृत दिशा-निर्देशों के आधार पर एक सूची तैयार की है

और इन दिशानिर्देशों का अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया है

मंडल आयोग द्वारा बनाए गए मानदंड/संकेतक और

अतीत में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्थापित आयोग।

विभिन्न आयोगों ने विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक सुनवाई की

और राष्ट्रीय आयोग ने इससे पहले 236 सार्वजनिक सुनवाई की थी

इसने सूची को अंतिम रूप दिया। यह भी बताया गया है कि इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय आयोग ने अपनी कार्यप्रणाली के लिए 297 की सिफारिश की थी

समावेशन के लिए अनुरोध और साथ ही 288 को अस्वीकार कर दिया गया

मुख्य जातियों को शामिल करने का अनुरोध। यह भी बताया गया है कि आयोग ने विस्तृत आंकड़ों पर विचार किया

सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक मानदंडों का ध्यान रखना। द.

आयोग ने यह भी देखा है कि जाति की स्थिति में कोई सुधार या गिरावट आई है या नहीं।

पिछले बीस वर्षों के दौरान समावेश के लिए समुदाय पर विचार किया जा रहा है

वर्षों से।

141. यह बताया गया है कि एक विस्तृत प्रश्नावली थी

आयोग द्वारा तैयार किए गए और इस अशोक कुमार ठाकुर बनाम में दिए गए उत्तर।

भारत और ओआरएस का संघ।

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

समावेशन/अस्वीकृति के लिए प्रश्नावली पर विस्तार से विचार किया गया

सूची में। यह स्पष्ट है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से

नागरिकों के पिछड़े वर्गों को न केवल तैयार किया जा रहा है

जाति का आधार और यदि जाति और अन्य विचार हैं

पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए ध्यान में रखा जाता है, यह नहीं हो सकता है

उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 15 (1) का उल्लंघन होगा।

142. हमारा मानना है कि एसईबीसी का निर्धारण किया जाता है

न केवल जाति के आधार पर और इसलिए, एस. ई. बी. सी. की पहचान

यह संविधान के अनुच्छेद 15 (1) का उल्लंघन नहीं करता है।

6. क्या क्रीमी लेयर को बाहर रखा जाना है

एस. ई. बी. सी.?

143. एस. ई. बी. सी. की पहचान विभिन्न अनुप्रयोगों द्वारा की गई है।

मानदंड। हालांकि सुविधा के उद्देश्य से, सूची आधारित है

केवल जाति के आधार पर पहचाना जाता है। सभी जातियाँ जो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा है

सूची में शामिल। इसलिए, यह अनुच्छेद 15 (1) का उल्लंघन नहीं है। एकमात्र संभावित आपत्ति जो कि उत्तेजित की जा सकती है, वह यह है कि इस सूची में शामिल कई जातियों में एक समृद्ध जाति हो सकती है।

खंड (मलाईदार परत) जिसे सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है

एस. ई. बी. सी.

144. जब सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग

जाति को महत्व देकर निर्धारित किया जाता है, यह नहीं होगा

यह भूल गए कि उस जाति का एक वर्ग आर्थिक रूप से उन्नत है और उन्हें आरक्षण के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। यह था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि 'क्रीमी' का सिद्धांत

सकारात्मक कार्रवाई करते हुए एस. ई. बी. सी. पर 'लेयर' को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और 'क्रीमी' के बहिष्कार के सिद्धांत दिए जाने चाहिए।

इंद्र साहनी के मामले में लागू 'परत' समान रूप से होनी चाहिए उन विधानों में से किसी पर लागू होता है जो इसके अनुसार पारित किए जा सकते हैं

संविधान का अनुच्छेद 15 (5)। याचिकाकर्ताओं के लिए वकील प्रस्तुत किया कि एस. ई. बी. सी. को धारा 2 (जी) के तहत परिभाषित किया गया है

अधिनियम और केंद्र सरकार को सौंप दिया गया है

अन्य पिछड़े वर्गों को निर्धारित करने की शक्ति। वकील

याचिकाकर्ताओं ने इंगित किया है कि 146 में दी गई परिभाषा

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

अधिनियम की धारा 2 (जी) की न्यायिक रूप से व्याख्या की जानी चाहिए। कि

इस प्रकार उल्लिखित पिछड़े वर्ग का अर्थ बहिष्कृत करना होना चाहिए -

' मलाईदार परत '। के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील

पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) ने कहा कि 'क्रीमी' का बहिष्कार

शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए 'लेयर' लागू नहीं होगी।

उन्होंने बताया कि यदि 'मलाईदार परत' को बाहर रखा जाता है, तो

पिछड़े वर्ग समुदाय के अन्य सदस्य नहीं होंगे

आरक्षण और शुल्क का लाभ उठाने की स्थिति में

अत्यधिक उच्च और आम नागरिक एक में नहीं होगा शुल्क का भुगतान करने की स्थिति और इस प्रकार बहुत उद्देश्य

आरक्षण से निराशा होगी।

145. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील के अनुसार,

मलाईदार परत का उन्मूलन केवल जाति को कायम रखेगा

असमानताएँ। यह उन्नत जातियों को समाप्त करने में सक्षम बनाएगा।

व्यवसायों और सेवाओं को समाप्त करने से उन्हें लाभ होगा। क्रीमी के नाम पर आरक्षण के सभी संभावित लाभार्थी

विशेष रूप से उच्च शिक्षा संस्थानों में। यह तर्क दिया गया था

कि क्रीमी लेयर का सादृश्य नौकरियों के आरक्षण में लागू होता है

शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है

उच्च शिक्षा। प्रवेश पाने वाले छात्र की स्थिति उच्च शिक्षा का संस्थान पूरी तरह से अलग है और कभी नहीं कर सकता है।

नौकरी पाने के लिए पिछड़े वर्ग के व्यक्ति से तुलना की जाए आरक्षण का गुण। किसी भी शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन

उच्च शिक्षा बहुत महंगी है और गैर-मलाईदार परत

पिछड़े वर्ग के माता-पिता अपने बेटे या बेटी का इतना बड़ा खर्च वहन नहीं कर सकते। उन्हें हटाना मलाईदार परत प्रदान करने के उद्देश्य को ही निराश कर देगी

आरक्षण। इसलिए, यह पूरी तरह से अव्यवहारिक और अत्यधिक है।

इन संस्थानों में आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की नीति का आयात करना प्रतिकूल है। और विद्वानों के अनुसार

परामर्श सेवा और शिक्षा में अंतर है

और 2007 के अधिनियम 5 के दायरे में लगभग 3 लाख सीटें हैं।

इसे हर साल भरा जाएगा। जबकि नौकरियां सीमित हैं और वे हर साल खाली नहीं होंगे।

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 147

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

146. विद्वान वकील ने बताया कि सभी जातियों का एक साथ समूह बनाने से सभी जातियों के बीच कम पिछड़ी जाति हो सकती है। पिछड़े वर्ग अपने हक से अधिक सीटों पर कब्जा करें। यह भी संभव है कि अधिक पिछड़े वर्ग इसका खर्च वहन नहीं कर सकते

कम पिछड़े वर्गों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। उक्त समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण करना है और

उन्हें उपवर्गीकृत करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक श्रेणी के तहत

केवल इसी तरह की परिस्थितियों वाली जातियों को एक साथ समूहीकृत किया जाता है। द.

पिछड़े वर्ग के वर्गीकरण ने सफलतापूर्वक काम किया है तमिलनाडु राज्य जहाँ सबसे पिछड़े वर्ग उपलब्ध हैं

20 % आरक्षण और सबसे पिछड़ी जातियाँ और अधिसूचित

जनजातियों को एक साथ समूहीकृत किया जाता है और पिछड़े वर्ग हैं

30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया। कर्नाटक राज्य में, पिछड़े

कक्षाओं को 5 श्रेणियों और अलग-अलग आरक्षणों में विभाजित किया गया है प्रदान किया गया है। और आंध्र प्रदेश राज्य में,

पिछड़े वर्गों को 4 प्रभागों में विभाजित किया गया है और

147. जैसा कि पहले देखा गया है, पिछड़े वर्ग का निर्धारण केवल जाति के आधार पर नहीं किया जा सकता है। गरीबी, सामाजिक पिछड़ेपन, आर्थिक पिछड़ेपन, ये सभी मानदंड हैं

पिछड़ेपन का निर्धारण। यह इंद्र में देखा गया है।

साहनी का मामला कि पिछड़े वर्ग के बीच, का एक वर्ग

पिछड़ा वर्ग समाज के समृद्ध वर्ग का सदस्य है। वे आगे की प्रगति के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण के हकदार नहीं हैं। जीवन में। वे सामाजिक और शैक्षिक रूप से इतने उन्नत हैं कि अन्य उम्मीदवारों के साथ सामान्य सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

148. इंद्र साहनी के मामले में (ऊपर) जीवन रेड्डी, जे।

उन्होंने देखा है:

" हमारी राय में, यह अनुमति का सवाल नहीं है या

इस तरह के परीक्षण की वांछनीयता लेकिन एक उचित और अधिक

एक वर्ग की उचित पहचान-एक पिछड़ा वर्ग।

एक वर्ग की अवधारणा कुछ सामान्य लक्षणों वाले कई व्यक्तियों को दर्शाती है जो उन्हें एक वर्ग से अलग करते हैं।

अन्य लोग। अनुच्छेद के खंड (4) के तहत पिछड़े वर्ग में

16 , अगर जोड़ने वाली कड़ी सामाजिक पिछड़ेपन है, तो यह 148 है।

किसी दिए गए वर्ग में मोटे तौर पर समान होना चाहिए। यदि कुछ सदस्य सामाजिक रूप से बहुत अधिक उन्नत हैं (जो

संदर्भ, आवश्यक रूप से आर्थिक रूप से मतलब है और, भी हो सकता है

मतलब शैक्षिक रूप से) उनके बीच जोड़ने वाला धागा

और शेष वर्ग स्नैप करता है। वे गलत होंगे

वर्ग को। उन्हें अकेले बाहर करने के बाद, क्या कक्षा होगी

एक कॉम्पैक्ट वर्ग। वास्तव में, इस तरह के बहिष्कार से वास्तव में लाभ होता है

पीछे की ओर "। (पी। 724)

149. यह समझना चाहिए कि "मलाईदार परत" सिद्धांत है

केवल एक विशेष जाति के एक वर्ग को बाहर करने के लिए पेश किया गया

इस आधार पर कि वे आर्थिक रूप से उन्नत या शैक्षिक रूप से आगे हैं। उन्हें बाहर रखा गया है क्योंकि जब तक कि इस खंड का

जाति को उस जाति समूह से बाहर रखा गया है, उचित नहीं हो सकता है

पिछड़े वर्ग की पहचान। यदि "मलाईदार परत"

सिद्धांत लागू नहीं किया जाता है, यह आसानी से कहा जा सकता है कि सभी जातियाँ

जिन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से शामिल किया गया है

पिछड़े वर्गों को विशेष रूप से आधार पर शामिल किया गया है

जाति से। किसी भी अनुच्छेद के उद्देश्य के लिए एस. ई. बी. सी. की पहचान

15 (4) , 15 (5) या 16 (4) केवल जाति के आधार पर स्पष्ट रूप से है

यह इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा निषिद्ध है और इसके विरुद्ध भी है।

संविधान का अनुच्छेद 15 (1) और अनुच्छेद 16 (1)। इसे पूरा करने के लिए

स्थितियों और यह पता लगाने के लिए कि वास्तव में सामाजिक और शैक्षिक रूप से क्या है पिछड़े वर्ग के लिए "मलाईदार परत" का बहिष्कार आवश्यक है।

150. यह ध्यान दिया जा सकता है कि "मलाईदार परत" सिद्धांत है

आरक्षण के सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू नहीं किया गया। इसे लागू किया जाता है।

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पहचान करने के उद्देश्य से

पिछड़े वर्ग। निर्धारित करने के लिए मुख्य मानदंडों में से एक

एस. ई. बी. सी. गरीबी है। यदि ऐसा है, तो "मलाईदार परत" के बहिष्करण का सिद्धांत आवश्यक है। इसके अलावा, इंद्र में बहुमत

अनुच्छेद 16 (4) में आरक्षण का उद्देश्य। इसलिए हम इंद्र साहनी के मामले में इस अदालत के वृहद पीठ के फैसले से बंधे हैं। और यह नहीं कहा जा सकता है कि "मलाईदार परत" सिद्धांत को एस. ई. बी. सी. की पहचान के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, लेख

15 (4) और 15 (5) में अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं

इस प्रकार शिक्षा से शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास होता है-आशा कुमार ठाकुर v.

भारत और ओआरएस का संघ। 149

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

उन लोगों का स्तर जो पीछे रह रहे हैं और एक बार इस प्रगति के बाद इस धारा द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसके तहत पारित कोई भी कानून

यह माना जाना चाहिए कि उसने अपना उद्देश्य पूरा किया है। बहिष्कृत करके

जो पहले से ही आर्थिक कल्याण प्राप्त कर चुके हैं या

शैक्षिक उन्नति, इसके तहत प्रदान किए जाने वाले विशेष लाभ

इन खंडों को आगे उनके लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है और, यदि किया जाता है

इसलिए, यह अनुचित, भेदभावपूर्ण या मनमाना होगा, जिसके परिणामस्वरूप विपरीत भेदभाव होगा।

151. सावंत, जे. ने भी इंद्र में अवलोकन किया।

'मलाईदार परत' को हटाना सुनिश्चित करने के लिए साहनी का मामला। वह. यह देखा गया:

उनके विकास के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने वाले वर्ग
प्रत्येक क्षेत्र में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता। कानूनी तौर पर,

इसलिए, वे अब किसी के रूप में बुलाए जाने के हकदार नहीं हैं

पिछड़े वर्गों का हिस्सा चाहे उनका मूल जन्म कुछ भी हो

चिह्न-पिछड़े वर्गों के ऐसे उन्नत वर्गों को विशेष लाभ प्रदान करना जारी रखना,

समानता का असमान रूप से उल्लंघन करने वालों के साथ समान व्यवहार करने की राशि

संविधान के प्रावधान। दूसरा, उन्हें बाकी पिछड़े वर्गों के साथ श्रेणीबद्ध करना समान रूप से उल्लंघन होगा

यह असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करने के बराबर है। यह नेतृत्व करेगा
विशेष संविधान के उद्देश्यों को विकृत करना

पिछड़े वर्गों के बीच अग्रगामी प्रावधान

इस प्रकार उन वर्गों में बहिष्करण और बाकी की लागत के लिए सभी विशेष लाभों का दोहन करने में सक्षम होगा,
इस प्रकार शेष को निरंतर पिछड़ेपन में रखना।

152. ये सभी तर्क समान रूप से लागू होते हैं

अनुच्छेद 15 (5) के तहत अनुध्यात आरक्षण या कोई विशेष कार्रवाई। इसलिए, हम प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क से सहमत होने में असमर्थ हैं कि यदि 'मलाईदार परत' है।

बाहर रखा गया है, व्यावहारिक रूप से कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है

शैक्षणिक संस्थानों में विशेष रूप से पिछड़े वर्ग क्योंकि शेष सदस्य, अर्थात् गैर-मलाईदार परत, [2008] 4 एस. सी. आर. नहीं हो सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

150

आरक्षित कोटे के भीतर भी प्रवेश। यदि मलाईदार परत है एस. ई. बी. सी. की पहचान पूरी नहीं होगी

और 'मलाईदार परत' के बहिष्कार के बिना कोई भी एस. ई. बी. सी. नहीं हो सकता है

संविधान के अनुच्छेद 15 (1) के अनुसार होना चाहिए।

7. निर्धारित करने के लिए पैरा-मीटर क्या होना चाहिए

"मलाईदार परत" समूह?

153. इंद्र साहनी के मामले में निर्णय के बाद (ऊपर),

भारत सरकार, कार्मिक, सार्वजनिक मंत्रालय

शिकायत और पेंशन (कार्मिक और पेंशन विभाग)

प्रशिक्षण) ने एक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.09.1993 जारी किया

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान। द. ज्ञापन इस प्रकार है:

" कार्यालय स्मारक

विषय: सिविल में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

भारत सरकार के अधीन पद और सेवाएँ-संबंधित

अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति को इस विभाग का उल्लेख करने का निर्देश दिया जाता है।

ओ. एम. सं. 36012/31/90-अनुमान। (एससीटी), दिनांक 13 अगस्त, 1990

और 25 सितंबर, 1991 को सामाजिक आरक्षण के संबंध में

और सिविल पदों में शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग और

भारत सरकार के अधीन सेवाएँ और यह कहना कि निम्नलिखित

इंदिरा साहनी बनाम संघ मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

भारत सरकार (1990 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 930)

भारत ने मानदंडों की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की

सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों के बहिष्कार के लिए

सिविल में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लाभ

भारत सरकार के अधीन पद और सेवाएँ।

2. विशेषज्ञ के विचार के परिणामस्वरूप

समिति की सिफारिशें इस विभाग का कार्यालय

ज्ञापन संख्या 36012/31/90-प्राक्कलन। (एससीटी), दिनांक 13.8.1990
उपरोक्त पैरा (1) में निर्दिष्ट को एतद्द्वारा इस प्रकार प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया है -

निम्नलिखित है:

(क) सिविल अशोक कुमार ठाकुर बनाम में रिक्तियों का 27 प्रतिशत (सत्ताईस प्रतिशत)।

भारत और ओआरएस का संघ। 151

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

भारत सरकार के अधीन पद और सेवाएँ

सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा, इसके लिए आरक्षित होगा

अन्य पिछड़े वर्ग। संबंधित विस्तृत निर्देश

आरक्षण लागू करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

अलग से जारी किया जाए।

☆☆☆

(ख)

(ग) (i) उपरोक्त आरक्षण व्यक्तियों/व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
इस अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित खंड

कार्यालय ज्ञापन।

((ii) बहिष्करण का नियम काम करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
कारीगरों के रूप में या वंशानुगत व्यवसायों, कॉलिंग में लगे हुए।

ऐसे व्यवसायों, नियुक्तियों की सूची अलग से जारी की जाएगी।

कल्याण मंत्रालय द्वारा।

((घ)-(ङ)

*

*

*

3. अनुसूची

जिनके लिए बहिष्करण का नियम

श्रेणी का विवरण

लागू होगा।

3

संवैधानिक

के पुत्र और पुत्री

आई.

((क) भारत के राष्ट्रपति;

पोस्ट्स

((ख) भारत के उपराष्ट्रपति;

((c) सर्वोच्च न्यायालय के

न्यायाधीश

न्यायालय और उच्च न्यायालय;

((घ) के अध्यक्ष और सदस्य

यूपीएससी और राज्य की जनता

सेवा आयोग; प्रमुख

चुनाव आयुक्त;

नियंत्रक और लेखा परीक्षक

(ई) धारण करने वाले व्यक्ति

इस तरह के संवैधानिक पद

प्रकृति।

II. सेवा श्रेणी

के पुत्र और पुत्री

ए. समूह ए/प्रथम श्रेणी के अधिकारी

((a) माता-पिता दोनों

वर्ग। अधिकारी;

अखिल भारतीय केंद्रीय

(ख) माता-पिता, जिनमें से कोई भी

और राज्य सेवाएँ

प्रथम श्रेणी का अधिकारी है;

(प्रत्यक्ष भर्ती)

((c) माता-पिता दोनों

वर्ग अधिकारी, लेकिन एक

वे मर जाते हैं या पीड़ित होते हैं

स्थायी अक्षमता;

((घ) माता-पिता, जिनमें से कोई

एक

एक प्रथम श्रेणी का अधिकारी और ऐसा

माता-पिता की मृत्यु हो जाती है या

वे पीड़ित होते हैं

स्थायी अक्षमता और

ऐसी या ऐसी मृत्यु से पहले

असमर्थता हुई है

किसी भी क्षेत्र में रोजगार का लाभ

संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ, विश्व

बैंक आदि के लिए

5 से कम की अवधि नहीं

वर्षों से;

(ई) माता-पिता, जो दोनों हैं

प्रथम श्रेणी के अधिकारी मर जाते

हैं या पीड़ित होते हैं

स्थायी अक्षमता और

ऐसी या ऐसी मृत्यु से पहले

दोनों की अक्षमता,

दोनों में से किसी ने भी

किसी भी क्षेत्र में रोजगार का लाभ

अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे

संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ, विश्व

बैंक आदि के लिए

5 से कम की अवधि नहीं

वर्षों से।

इयोका कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 153

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

बशर्ते कि नियम

में अपवर्जन लागू नहीं होगा

निम्नलिखित मामले:

(क) उनके पुत्र और पुत्री

माता-पिता जिनमें से कोई या दोनों

जिनमें से प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं

और ऐसे माता-पिता मर जाते हैं या

स्थायी

पीड़ा होती है।

अक्षमता;

(ख) ओ. बी. सी. से संबंधित एक महिला

श्रेणी ने एक से शादी कर ली है

प्रथम श्रेणी के अधिकारी, और स्वयं भी

नौकरी के लिए आवेदन करना पसंद करते हैं।

समूह बी/वर्ग II के अधिकारी

के पुत्र और पुत्री

केंद्र और राज्य का

((a) माता-पिता दोनों

द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हैं;

सेवाएँ (सीधी भर्ती)

(ख) जिनके माता-पिता केवल

पति द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हैं।

और वह पहली कक्षा में जाता है

((c) माता-पिता दोनों

प्रथम श्रेणी के अधिकारी और उनमें से एक

वे मर जाते हैं या पीड़ित होते हैं

स्थायी अक्षमता और

उनमें से किसी एक ने

किसी भी क्षेत्र में रोजगार का लाभ

अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे

संयुक्त राष्ट्र, आई. एम. एफ., विश्व बैंक

आदि

अवधि 5 वर्ष से कम नहीं

ऐसी मृत्यु से पहले या

((घ) जिनके माता-पिता

पति प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं।

(प्रत्यक्ष भर्ती या पूर्व-चालीस सर्वोच्च

न्यायालय रिपोर्ट

द्वितीय श्रेणी के अधिकारी और

उनकी पत्नी
मर जाता है; या स्थायी रूप से पीड़ित होता है

अक्षमता; और

(ई) माता-पिता, जिनकी पत्नी

प्रथम श्रेणी का अधिकारी है

(सीधी भर्ती या पूर्व-चालीस पदोन्नत)
और पति एक वर्ग है।।

अधिकारी और पति की मृत्यु हो

जाती है।

या स्थायी रूप से पीड़ित है

अक्षमता:

बशर्ते कि अपवर्जन का नियम लागू नहीं होगा

निम्नलिखित मामले:

के पुत्र और पुत्री

(क) माता-पिता दोनों प्रथम

श्रेणी के अधिकारी हैं और इनमें से एक

वे मर जाते हैं या पीड़ित होते हैं

स्थायी अक्षमता;

((ख) माता-पिता दोनों

प्रथम श्रेणी के अधिकारी और वे

दोनों मर जाते हैं या स्थायी रूप से पीड़ित होते हैं

असमर्थता, भले ही

उनमें से किसी को भी रोजगार का लाभ मिला है।

अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे

5 वर्ष से कम की अवधि के लिए

संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि
उनकी मृत्यु से पहले या

स्थायी अक्षमता।

C. सार्वजनिक रूप से कार्यरत कर्मचारी

क्षेत्र उपक्रम आदि। द.

ए और जोका कुमार ठाकुर बनाम में

गिने गए मानदंड।

भारत और ओआरएस का संघ।

155

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

बी इस श्रेणी में ऊपर होगा

उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन लागू करें

समतुल्य अधिकारी या

सार्वजनिक उपक्रमों में तुलनीय पद,

बीमा

बैंक, संगठन, विश्वविद्यालय,

आदि और समतुल्य या

तुलनीय पद और

निजी के तहत पद

नौकरी, लंबित है

पदों का मूल्यांकन

समकक्ष या तुलनीय

इन संस्थानों में आधार,

श्रेणी में निर्दिष्ट मानदंड

VI नीचे के लिए लागू होगा

इन संस्थानों में अधिकारी।

सशस्त्र बल

माता-पिता में से किसी एक या दोनों के पुत्र

और पुत्री

सम्मिलित करें पैरामिलिटरी

कर्नल के पद पर हैं या हैं

बल (व्यक्ति)

और उससे ऊपर सेना में और

सिविल पदों को धारण करना शामिल नहीं है)

नौसेना में समकक्ष पदों के लिए

बशर्ते कि:

((i) यदि किसी सशस्त्र व्यक्ति की पत्नी

सेना अधिकारी स्वयं सशस्त्र बलों में हैं

(अर्थात

विचाराधीन श्रेणी) बहिष्करण का नियम लागू

होगा

केवल तभी जब वह स्वयं कर्नल के पद तक

पहुँच गई हो;

((ii) सेवा की श्रेणी नीचे दी गई है।

पति और पत्नी के कर्नल

एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा; सर्वोच्च

न्यायालय की रिपोर्ट

सशस्त्र बल नागरिक में है

रोजगार, यह नहीं होगा

आवेदन करने के लिए विचार करें

बहिष्करण का नियम जब तक कि वह

सेवा श्रेणी में आता है

मद सं। आईएल किस मामले में

मानदंड और शर्तें

उसमें गणना लागू होगी।

उसे स्वतंत्र रूप से।

IV. पेशेवर

वर्ग और वे

व्यापार में संलग्न

उद्योग और

((i) कार्य में लगे व्यक्ति

पेशे से डॉक्टर,

वकील, चार्टर्ड

लेखाकार, आयकर

सलाहकार, वित्तीय या
प्रबंधन

दाँतों का

सलाहकार,
सर्जन, इंजीनियर,

वास्तुकार, कंप्यूटर

विशेषज्ञ, फिल्म कलाकार

और अन्य

फिल्म

पेशेवर, लेखक,

नाटककार, खेल

खेलकूद

व्यक्तियों,

पेशेवर, मीडिया

पेशेवर या कोई भी

इस तरह के अन्य व्यवसाय

स्थिति.

इसके विरुद्ध निर्दिष्ट मानदंड

((ii) कार्य में लगे हुए व्यक्ति

छठी श्रेणी लागू होगी।

व्यापार, व्यवसाय और:

बोका कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 157

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

उद्योग.

इसके विरुद्ध निर्दिष्ट मानदंड

छठी श्रेणी लागू होगी।

व्याख्या:

((i) जहाँ पति है।

एक ही पेशा और पत्नी

दूसरी कक्षा या उससे निचली कक्षा में है

रोजगार, आय /

धन परीक्षण केवल इन पर लागू होगा

पति का आधार

आय;

पेशा और पति है

द्वितीय श्रेणी में रोजगार में या

निचला पद, फिर

आय/धन मानदंड

केवल आधार पर लागू करें

पत्नी की आय और

पति की आय नहीं होगी

उसके साथ मिला।

संपत्ति के मालिक

कृषि क्षेत्र

के पुत्र और पुत्री

एक परिवार के लोग

(पिता, माता और नाबालिग

बच्चे) जो केवल मालिक हैं

सिंचित भूमि जो बराबर है

85 प्रतिशत से अधिक

वैधानिक क्षेत्र; या

((a) सिंचित और

असिंचित भूमि, निम्नानुसार है:

(i) अपवर्जन का नियम होगा

जहां पूर्व शर्त लागू हो

मौजूद है कि सिंचित क्षेत्र

(ए में लाया गया

एक आम के तहत एकल प्रकार

भाजक) 40 प्रतिशत या अधिक

वैधानिक अधिकतम सीमा

असिंचित भाग को छोड़कर गणना

की जाती है)। अगर यह
से कम नहीं की पूर्व शर्त

40 % मौजूद है, तभी असिंचित

भूमि का क्षेत्र होगा

ध्यान में रखा गया। यह होगा

असिंचित भूमि को आधार पर

परिवर्तित करके किया गया
रूपांतरण सूत्र

सिंचित क्षेत्र तो

असिंचित से गणना की गई

भूमि को जोड़ा जाएगा

सिंचित भूमि का वास्तविक क्षेत्र

और अगर इस तरह के संयोजन के

बाद कुल क्षेत्र के संदर्भ में

सिंचित भूमि का 80 प्रतिशत या

वैधानिक सीमा से अधिक

((ii) बहिष्करण का नियम नहीं

होगा।
लागू करें यदि एक की भूमि धारण

परिवार विशेष है

सिंचित नहीं।

आय/धन के मानदंड

श्रेणी VI में निर्दिष्ट

नीचे लागू होगा

होका कुमार ठाकुर बनाम में कृषि

जोत के रूप में माना गया और इसलिए मानदंड।

भारत और ओआरएस का संघ। 159

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

इस श्रेणी के तहत उपरोक्त

लागू होगा।

श्रेणी में निर्दिष्ट मानदंड

नीचे दिया गया VI लागू होगा।

व्याख्या: इमारत हो सकती है

आवासीय, औद्योगिक उपयोग के लिए

या वाणिज्यिक उद्देश्य और

इस तरह के दो या अधिक

उद्देश्य।

बागानों

(i) कॉफी, चाय, रबड़ आदि।

((ii) आम, साइट्रस, सेब वृक्षारोपण आदि।

खाली भूमि और/या

शहरी क्षेत्रों में इमारतें या शहरी समूह

आय /

के पुत्र और पुत्री

वेल्थ टेस्ट

((a) सकल आय वाले व्यक्ति

वार्षिक आय रु। 1 लाख या

धन से ऊपर या उसके पास होना

छूट सीमा से ऊपर

धन कर में निर्धारित

तीन की अवधि के लिए अधिनियम

लगातार वर्ष;

(ख) श्रेणी I, II में व्यक्ति,

III और V-A जो नहीं हैं

लाभ से वंचित

आरक्षण है लेकिन आय है

धन के अन्य स्रोतों से

जो उन्हें अंदर लाएगा

आय/धन मानदंड [2008] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

160

ऊपर (क) में उल्लिखित है।

स्पष्टीकरण।

क्लब किया गया;

((ii) आय मानदंड

रुपये की शर्तों में बदलाव किया

जाएगा।
परिवर्तन को ध्यान में रखें

हर तीन साल में इसके मूल्य में;

लेकिन अगर स्थिति ऐसी है

माँगें, मध्यावधि

कम भी हो सकता है।

व्याख्या: जहाँ भी 'स्थायी' अभिव्यक्ति हो

'अक्षमता' इस अनुसूची में होती है, इसका अर्थ होगा

असमर्थता जिसके परिणामस्वरूप एक अधिकारी को बाहर कर दिया जाता है

सेवा "।

154. हम यह स्पष्ट करते हैं कि निर्धारण का वही सिद्धांत

पिछड़े लोगों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए मलाईदार परत

संविधान के अनुच्छेद 15 (5) के तहत परिकल्पित आरक्षण के मामले में नियुक्ति के लिए वर्गों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता नहीं है।

जैसा कि विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रविवर्मा कुमार ने बताया,

यदि "मलाईदार" की पहचान करने के लिए आय पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाता है

परत ", जो लोग विशेष जाति में रह गए हैं वे सक्षम नहीं हो सकते हैं

प्रवेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार होना

कुछ हद तक छूट दें ताकि पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार भरने के उद्देश्य से उपलब्ध हो सकते हैं

27 % आरक्षण। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर है कि वे "मलाईदार परत" की पहचान करने के लिए उचित दिशानिर्देश जारी करें ताकि एस. ई. बी. सी. को ठीक से निर्धारित किया जा सके।

इस न्यायालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार। यदि इस सिद्धांत को लागू करने के बावजूद भी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो

राज्य आशा कुमार ठाकुर बनाम को प्रभावी बनाने के लिए उचित दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।

भारत और ओआरएस का संघ। 161

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

उद्देश्यपूर्ण ढंग से आरक्षण का कार्यान्वयन।

155. जैसा कि पहले देखा गया है, "पिछड़े वर्ग" को परिभाषित किया गया है

धारा 2 (जी) "मलाईदार परत" को बाहर नहीं करती है। इसलिए हम

यह स्पष्ट करें कि पिछड़े वर्ग को धारा 2 (जी) में परिभाषित किया गया है

2007 का अधिनियम 5 इतना पिछड़ा हुआ माना जाना चाहिए।

"मलाईदार परत" के बहिष्करण के सिद्धांत को लागू करके वर्ग।

8. क्या "मलाईदार परत" सिद्धांत लागू होता है

अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों को?

156. विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. राजीव धवन

प्रस्तुत किया कि "मलाईदार परत" सिद्धांत अनुसूचित जातियों पर लागू किया जाना है

और एसटीएस। उन्होंने की गई टिप्पणियों से प्रेरणा ली

नागराज के मामले में की गई टिप्पणियों और संदर्भ से नागराज के अनुच्छेद 80,110 और 120 से 123 में बनाया गया था।

मामला (ऊपर)।

157. एन. एम. थॉमस के मामले (ऊपर) में यह नहीं कहा गया है कि "क्रीमी लेयर" सिद्धांत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर लागू होना चाहिए। के. सी. वसंत कुमार के मामले (उपरोक्त) में "मलाईदार परत" का उपयोग किया गया था।

पिछड़ी जाति या वर्ग के मामले में। के. सी. वसंत कुमार 52 (ऊपर) में, जे. देसाई ने एन. एम. थॉमस (ऊपर) से उद्धृत किया है। इस प्रकार है:

" अनुभव के आलोक में, यहाँ और कहीं और, खतरा

मुझे लगता है कि 'आरक्षण' तीन गुना है। इसके लाभ, मोटे तौर पर, शीर्ष मलाईदार परत द्वारा छीन लिए जाते हैं।

;

'पिछड़ी' जाति या वर्ग का, इस प्रकार सबसे कमजोर रखना

कमजोरों में हमेशा कमजोर होते हैं और भाग्यशाली को छोड़ देते हैं।

पूरी केक को खाने के लिए परतें। "

(एन. एम. थॉमस (ऊपर) पी. 363 , पैरा 124)

158. नागराज के मामले में (ऊपर) पैराग्राफ 80 में कहा गया है।

यदि रोस्टर-पॉइंट पदोन्नतियों को परिणामी वरिष्ठता दी जाती है, तो यह 52 (ऊपर) पी। 733 162

समानता सिद्धांत का उल्लंघन करेगा जो मूल का हिस्सा है संविधान की संरचना और जिसमें अनुच्छेद 16 (4-ए) भी है

यह आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कोई मददगार नहीं हो सकता है।

यह इंदर में की गई टिप्पणियों के संदर्भ में था।

साहनी का मामला (ऊपर) और इससे पहले एम. जी. बडप्पनवर और अन्र में। बनाम कर्नाटक राज्य & Ors.53; अजीत सिंह & अन्य। (II)

बनाम पंजाब राज्य और Ors.54 और भारत संघ और अन्य। बनाम।

विरपाल सिंह चौहान & Ors.55। विरपाल सिंह चौहान

मामला (उपरोक्त) रेलवे कर्मचारियों के आरक्षण से संबंधित है जिसमें यह माना जाता है कि एक बार भरे जाने के लिए आरक्षित पदों की संख्या

किसी संवर्ग, श्रेणी या श्रेणी में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा

(आरक्षण के नियम के आवेदन के लिए इकाई) द्वारा भरी जाती है

रोस्टर के संचालन, आरक्षण के नियम के उद्देश्य को प्राप्त किया गया माना जाना चाहिए। अजीत सिंह इल का मामला (ऊपर)

स्तर 1 पर निर्धारित रोस्टर अंक किसी भी निर्धारित करने के लिए अभिप्रेत नहीं हैं। सामान्य उम्मीदवारों और उम्मीदवारों के बीच स्तर 1 पर वरिष्ठता

आरक्षित उम्मीदवार और रोस्टर बिंदु केवल बन जाता है जब भी स्तर 2 पर आरक्षित कोई रिक्ति हो जाती है तो यह कार्यशील हो जाता है।

उपलब्ध है। इसके द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि यदि पदोन्नति किसी तरह से प्राप्त की जाती है

आरक्षण के परिणामस्वरूप वरिष्ठता की गणना नहीं की जाएगी।

एम. जी. बडप्पनवर का मामला (ऊपर) अजीत के मामलों का अनुसरण करता है। सिंह द्वितीय (ऊपर) और विरपाल सिंह (ऊपर)।

159. इनमें से किसी भी निर्णय में यह नहीं कहा गया है कि "क्रीमी लेयर" सिद्धांत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर लागू होगा। इंद्र में

साहनी का मामला (ऊपर), यह विशेष रूप से कहा गया है कि

" क्रीमी लेयर "सिद्धांत एसटीएस और एससी पर लागू नहीं होगा। में।

नागराज का मामला (ऊपर), पैराग्राफ 110 और 120 में और अंत में पैराग्राफ 121,122 और 123 में, यह केवल यह कहा गया है कि जब

सकारात्मक कार्रवाई के प्रश्नों पर विचार करते हुए, बड़ा सिद्धांत 50 प्रतिशत सीमा (मात्रात्मक सीमा) और "मलाईदार परत" (मात्रात्मक बहिष्करण) जैसी समानता को ध्यान में रखा जा सकता है। में।

53 (2001) 2 एस. सी. सी. 666

54 (1999) 7 एससीसी 209

55 (1995) 6 एस. सी. सी. 684 अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 163

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

नागराज का मामला (ऊपर) इस पर चर्चा या निर्णय नहीं किया गया है।

कि क्रीमी लेयर सिद्धांत एससी/एसटी पर लागू होगा।

इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि टिप्पणियों में नागराज का मामला इंद्र साहनी के फैसले के विपरीत है।

मामला (ऊपर)।

160. इसके अलावा, "मलाईदार परत" सिद्धांत अभी तक नहीं है।

समानता के सिद्धांत के रूप में या सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू किया गया

सभी सकारात्मक कार्यों के लिए आवेदन करें। के. सी. वसंत कुमार मामले में जे. चिन्नाप्पा रेड्डी की टिप्पणियाँ प्रासंगिक हैं। इस संबंध में। विद्वान न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

" इस कथन से कोई विवाद नहीं कर सकता कि सामाजिक विज्ञान

न्यायिक प्रभाववाद के बजाय अनुसंधान को गठन करना चाहिए

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। हम पहले उल्लेख कर चुके हैं
कैसे यह धारणा कि दक्षता खराब हो जाएगी यदि

आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक है, यदि आरक्षण को बढ़ाया जाता है

पदोन्नति पद या यदि कैरी फॉरवर्ड नियम अपनाया जाता है,
यह किसी भी वैज्ञानिक डेटा पर आधारित नहीं है। हालाँकि, इस आलोचना के लिए एक चेतावनी दर्ज करनी चाहिए कि इसके लाभ

आरक्षण अक्सर शीर्ष मलाईदार द्वारा छीन लिया जाता है

पिछड़े वर्ग या जाति की परत। कि कुछ सीटें

और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों को छीन लिया जाता है
उनमें से अधिक भाग्यशाली लोगों से दूर रहने का मतलब यह नहीं है कि आरक्षण आवश्यक नहीं है। ऐसा होना तय है

हमारे जैसे प्रतिस्पर्धी समाज। क्या अनारक्षित सीटें और पद उसी तरह समाज के शीर्ष स्तर द्वारा छीन नहीं लिए जाते हैं? के लिए आरक्षित सीटें

पिछड़े वर्गों को शीर्ष परतों द्वारा दूर ले जाया जाता है
उनके बीच योग्यता के उसी सिद्धांत पर जिसके आधार पर

अनारक्षित सीटों को शीर्ष परतों द्वारा हटा दिया जाता है
समाज "। (पी। 763)

161. अब तक इस न्यायालय ने "क्रीमी लेयर" को लागू नहीं किया है

आरक्षण। "मलाईदार परत" अब तक केवल लागू किया गया है पिछड़े वर्ग की पहचान करें, क्योंकि इसके लिए कुछ मापदंडों [2008] 4 एस. सी. आर. की आवश्यकता थी।

164

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने के लिए "। क्रीमी लेयर "सिद्धांत है

पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए मापदंडों में से एक। इसलिए, मुख्य रूप से, "मलाईदार परत" सिद्धांत एसटीएस पर लागू नहीं किया जा सकता है।

और एससी, एससी और एसटी के रूप में अपने आप में अलग वर्ग हैं।

रे, सीजे।, इससे पहले के एक फैसले में कहा गया था कि "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सामान्य वर्ग के भीतर एक जाति नहीं हैं।

जाति का अर्थ "। और उनकी पहचान अनुच्छेद 341 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर की जाती है।

और संविधान की धारा 342। राष्ट्रपति, इसके बाद

राज्यपाल के साथ परामर्श, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करें

जातियाँ, जातियाँ या जनजातियाँ या जातियों, जातियों के भीतर के भाग या समूह या जनजातियाँ जो संविधान के उद्देश्य के लिए होंगी

अनुसूचित जनजातियों की अनुसूचित जातियाँ मानी जाती हैं। एक बार

अधिसूचना जारी की जाती है, उन्हें सदस्य माना जाता है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जो भी हो

लागू होता है। ई. वी. चिन्नैया (ऊपर) में, बहुमत के फैसले से सहमत होते हुए, एस. बी. सिन्हा, जे. ने कहा:

" अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक पर कब्जा करते हैं
हमारे संविधान में विशेष स्थान। भारत के राष्ट्रपति हैं

जातियों को निर्दिष्ट करने की शक्ति का एकमात्र भंडार,

जातियाँ या जनजातियाँ या जातियों, जातियों के भीतर के भाग या समूह

या जनजातियाँ जो संविधान के प्रयोजनों के लिए होंगी

अनुसूचित जाति मानी जाए। संविधान

(अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 अनुच्छेद के संदर्भ में बनाया गया
341 (1) पूर्ण है। अनुच्छेद 341 और 342 का उद्देश्य

पिछड़े वर्ग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है

नागरिक जो अनुसूचित जातियों में निर्दिष्ट हैं
के संबंध में आदेश और अनुसूचित जनजाति आदेश

आर्थिक और शिक्षा पिछड़ेपन जहाँ से वे

पीड़ा होती है। कोई भी कानून जो उन्हें बाहर लाएगा

उसके द्वारा जारी आदेश के साथ उसका कार्यक्षेत्र या छेड़छाड़

भारत के राष्ट्रपति असंवैधानिक होंगे। (पारस 52,

111 और 84)

(जोर दिया गया)

162. प्रत्यर्थी द्वारा एक याचिका दायर की गई थी-यह बताना कि अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 165

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

"मलाईदार परत" परीक्षण को लागू करना जैसा कि इंद्र साहनी में उपयोग किया जाता है मामला (ऊपर) जिसे अनुच्छेद 96 में विशेष रूप से खारिज कर दिया गया था

ई. वी. चिन्नैया का मामला (ऊपर)। यह देखा जाता है:

लेकिन हमें यह कहना होगा कि जब भी अनुसूचित जाति के संबंध में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, तो यह केवल संसद ही करेगी।

खंड (2) के संदर्भ में आवश्यक विधायी कदम उठाना।

संविधान का अनुच्छेद 341। राज्यों ने स्वीकार किया

उनके पास इसके लिए विधायी क्षमता नहीं है।" (पी। 430)

163. इसके अलावा, शुरू से ही, अनुसूचित

जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अलग माना जाता था

श्रेणी और किसी ने भी इस तरह की पहचान पर कभी विवाद नहीं किया

कक्षाएँ। जब तक "मलाईदार परत" को एक के रूप में लागू नहीं किया जाता है

समानता के सिद्धांत, इसे अनुसूचित जातियों पर लागू नहीं किया जा सकता है

और अनुसूचित जनजातियाँ। अब तक, यह केवल पहचान करने के लिए लागू किया जाता है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। हम स्पष्ट करते हैं कि

कि आरक्षण के उद्देश्य से, "क्रीमी लेयर" के सिद्धांत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए लागू नहीं होते हैं

जनजातियाँ।

9. क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सिद्धांत
सकारात्मक कार्रवाई के लिए राज्य सर्वोच्च न्यायालय जैसे कि

" संदिग्ध कानून "", सख्त जांच "और

" बाध्यकारी राज्य आवश्यकताएँ लागू होती हैं -
आरक्षण के सिद्धांत या अन्य सकारात्मक कार्रवाई

संविधान के अनुच्छेद 15 (5) के तहत विचार किया गया

भारत का?

164. नब्बे-तीसरे संवैधानिक संशोधन अधिनियम के आधार पर 2007 का अधिनियम 5 अधिनियमित किया गया है। इसके अनुसार

याचिकाकर्ता के वकील, यह एक "संदिग्ध कानून" है और इसलिए,

इसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्धारित "सख्त जांच" के अधीन किया जाना है

सर्वोच्च न्यायालय और केवल "सख्त जांच" की इस परीक्षा को पारित करके,

इस तरह के कानून को लागू किया जा सकता है।

165. शुरुआत में, यह कहा जाना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में लागू नहीं हुए थे

संदर्भ के रूप में यह महसूस किया गया था कि प्रावधानों की संरचना

दोनों संविधानों और सामाजिक स्थितियों के साथ-साथ अन्य

दोनों देशों में कारक व्यापक रूप से भिन्न हैं। संदर्भ हो सकता है

भीकाजी नारायण धाकड़ों और अन्य लोगों को बनाया जाए। बनाम। मध्य प्रदेश राज्य और ए. एस. कृष्णा बनाम मध्य प्रदेश राज्य मद्रास 57 जिसमें इस न्यायालय ने विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया कि देय

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में प्रक्रिया खंड अमेरिका भारत पर लागू नहीं होता है। दायरे पर विचार करते हुए

और कामेश्वर प्रसाद में अनुच्छेद 19 (1) (जी) की प्रयोज्यता और

अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य 58, यह मनाया गया "

" जहां तक अमेरिकी न्यायालयों के इन निर्णयों का संबंध है, यह

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में पहला संशोधन "कांग्रेस" पढ़ रहा है।
कोई कानून नहीं बनाएगा. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करेगा। "ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है।

गारंटीकृत अधिकार के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध, फिर भी

यह हमेशा से समझा गया है कि स्वतंत्रता की गारंटी पुलिस शक्ति के अधीन है- जिसका दायरा हालांकि है।

" सटीक या समान रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। (पी। 378)

166. केशवानंद भारती 59 मामले में भी, जबकि

संशोधन की शक्ति की सीमा और दायरे पर विचार करना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत,

संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया था और जे. रे ने कहा:

हमसे पहले, इतिहास के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए थे
अमेरिकी लोगों के उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष,

कई राज्यों की संप्रभुता जो एक संघ बनाने के लिए एक साथ आए, तनाव और दबाव जिन्होंने प्रेरित किया

वे एक संघीय सरकार के लिए एक संविधान तैयार करने के लिए

56 [1955] 2 एससीआर 589 57 [1957] एससीआर 399

58 1962 सप. (3) एससीआर 369

59 [1973] 4 एस. सी. सी. 225 अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत और ओआरएस का संघ। 167

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

और कानून और न्यायिक दृष्टिकोण की अंतर्निहित अवधारणाएँ

लगभग 200 वर्षों की अवधि में, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है

इस न्यायालय को हमारे संविधान के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों को निर्धारित करने में अपने दृष्टिकोण को लागू करने के लिए राजी करें। (पी। 615)

167. यह भी देखा जा सकता है कि संरचनात्मक हैं

भारतीय संविधान और भारत के संविधान में अंतर

संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिकी संविधान के 14 वें संशोधन का संदर्भ दिया जा सकता है। कुछ प्रासंगिक

इसके भाग इस प्रकार हैं:

" संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए या प्राकृतिककृत सभी व्यक्ति, और इसके अधिकार क्षेत्र के अधीन, संयुक्त राज्य के नागरिक हैं

और संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों की प्रतिरक्षाएँ; और न ही कोई भी राज्य किसी व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित करता है।

कानून की उचित प्रक्रिया के बिना और न ही किसी व्यक्ति को इसके भीतर से इनकार करना।

इसकी अधिकारिता कानूनों का समान संरक्षण है।

168. जबकि भारत में अनुच्छेद 14 और 18 अलग हैं।

एस. ई. बी. सी., एस. टी. एस. और एस. सी. की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान के लिए संरचित और स्पष्ट प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, हमारे

संविधान में निर्देश के तहत एक विशिष्ट प्रावधान है

संविधान के भाग IV में राज्य नीति के सिद्धांत

राज्य न्याय के लिए प्रयास करे-सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक

आय की असमानताओं को कम करना और

स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को दूर करना। (अनुच्छेद 38)। इससे पहले, एक दृष्टिकोण था कि अनुच्छेद 16 (4) और

15 (5) ये क्रमशः अनुच्छेद 16 (1) और 15 (1) के अपवाद हैं। यह

यह विचार दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक बनाम रंगाचारी 60 और एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य 61.

169. टी. देवदासन 62 (ऊपर) में, जे. सुब्बा राव ने एक

असहमत राय जिसमें उन्होंने माना कि अनुच्छेद 16 (4) एक नहीं था 60 (ऊपर) पी पर। 607

61 (ऊपर) 455 पर

62 (ऊपर) 700 168 पर

अनुच्छेद 16 (1) का अपवाद। उन्होंने कहा:

अल।

" ..... 'इस अनुच्छेद में कुछ भी नहीं' अभिव्यक्ति एक विधायी है।

अपने इरादे को सबसे जोरदार तरीके से व्यक्त करने के लिए उपकरण

कि इसके तहत प्रदत्त शक्ति किसी में सीमित नहीं है

मुख्य प्रावधान के अनुसार लेकिन इसके बाहर आता है। ऐसा नहीं है।

वास्तव में एक अपवाद बनाया गया है, लेकिन एक शक्ति को संरक्षित किया है

अनुच्छेद के अन्य प्रावधानों से अप्रभावित "।

170. बाद के दो अन्य निर्णयों में, यानी त्रिलोकी नाथ में

क्रमशः अनुच्छेद 15 (1) और 16 (1) के अपवाद। फजल अली जे., उन्होंने कहा:

" वर्गीकरण का यह रूप जिसे संदर्भित किया जाता है

आरक्षण, मेरी राय में, स्पष्ट रूप से अनुच्छेद द्वारा कवर किया गया है
16 (4) संविधान जो पूरी तरह से संपूर्ण है

अनुच्छेद 14 का एक अपवाद इस अर्थ में कि जो कुछ भी हो
वर्गीकरण किया जा सकता है, केवल इसके माध्यम से किया जा सकता है

अनुच्छेद 16 का खंड (4)। तथापि, अनुच्छेद 16 का खंड (4),

एक विस्तृत और अनन्य व्याख्या है

आरक्षण के संबंध में प्रावधान जो एक रूप है

वर्गीकरण ",

171. इससे इस दृष्टिकोण में भारी बदलाव आया।

अदालत। के. सी. वसंत कुमार बनाम। कर्नाटक राज्य 64

(ऊपर), जे. वेंकटरमैया ने कहा:

" संविधान के अनुच्छेद 14 के दो भाग हैं। पूछती है।

राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा। यह.

यह भी राज्य को समान संरक्षण से इनकार नहीं करने के लिए कहता है

कानून। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है किसी की अनुपस्थिति।

63 (ऊपर) 104 पर

64 (ऊपर) 800 अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 169

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

राज्य को अलग व्यवहार करने की आवश्यकता थी
एक स्थापित करने के लिए विभिन्न स्थितियों में व्यक्ति

सबके बीच संतुलन। यह इस नियम का आधार है कि
समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

असमान रूप से व्यवहार किया जाता है यदि समानता का सिद्धांत जो एक है
हमारे संविधान की आधारशिला विधिवत होनी चाहिए।

लागू किया गया। असमान लोगों के बीच न्याय करने के लिए,
राज्य को क्षतिपूर्ति या सुरक्षा का सहारा लेना पड़ता है

भेदभाव। संविधान का अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4)

संविधान को क्षतिपूर्ति के उपायों के रूप में अधिनियमित किया गया था
या व्यक्तियों को राहत देने के लिए सुरक्षात्मक भेदभाव

सामाजिक रूप से उत्पीड़ित जातियों और अल्पसंख्यकों से संबंधित "। .

172. अनुच्छेद 15 (5) को शामिल करके अनुच्छेद 15 में संशोधन

और नए अधिनियम (2007 का अधिनियम 5) में देखा जाना है इन संवैधानिक
प्रावधानों की पृष्ठभूमि। यह भी हो सकता है

याद दिलाया कि संविधान की प्रस्तावना और निर्देश

राज्य नीति के सिद्धांत राज्य को सकारात्मक जनादेश देते हैं और राज्य असमानताओं को दूर करने के लिए बाध्य है और

मौलिक अधिनियम बनाकर उन्हें कैसे सुरक्षित करने की कोशिश की जाती है संविधान के भाग III में अधिकार और भाग IV में राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत। मौलिक अधिकार प्रतिनिधित्व करते हैं -

नागरिक और राजनीतिक अधिकार और निदेशक सिद्धांत शामिल हैं -

सामाजिक और आर्थिक अधिकार। एक साथ वे ले जाने के लिए अभिप्रेत हैं संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को स्पष्ट करें।

"

ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक 65 में कहा है:

मांग, राष्ट्रीय और सामाजिक क्रांतियों के उत्पाद,
उनके लगभग अविभाज्य जुड़ाव का, और

65 ग्रैनविल ऑस्टिन: भारतीय संविधान: कोना-एक राष्ट्र का पत्थर,

पी।

भारतीय राजनीति का चरित्र "।

173. भारत के संवैधानिक इतिहास से यह देखा जा सकता है

कि महत्व और महत्व की दृष्टि से, नहीं

अधिकारों के दो समूहों के बीच अंतर किया जा सकता है, अर्थात्,

मौलिक अधिकार जिन्हें न्यायसंगत बनाया गया है और

निर्देशात्मक सिद्धांत जिन्हें गैर-न्यायोचित बनाया जाता है। द.

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को गैर-न्यायसंगत बनाया गया है।

इस कारण से कि इनमें से कई अधिकारों का कार्यान्वयन

यह राज्य की वित्तीय क्षमता पर निर्भर करेगा। नहीं।

न्यायोचित खंड इस कारण से प्रदान किया गया था कि एक शिशु राज्य

इन्हें पूरा न करने के लिए तुरंत जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा।

दायित्व। केवल इसलिए कि निदेशक सिद्धांत गैर हैं

न्यायिक प्रक्रिया द्वारा न्यायसंगत होने का मतलब यह नहीं है कि वे अधीनस्थ महत्व के हैं। चंपकम दोराईराजन के मामले में

(ऊपर), यह देखा गया था कि "निर्देशक सिद्धांतों को करना होगा

मौलिक के अध्याय के अनुरूप और सहायक का संचालन करें

अधिकार "। लेकिन यह विचार लंबे समय तक कायम नहीं रहा और बाद में

बाद के निर्णयों की एक श्रृंखला में बदल गया। (रे में देखें। केरल शिक्षा विधेयक, 195766; मिनरावा मिल्स (ऊपर))

174. मिनर्वा मिल्स 67 7 (ऊपर) भगवती में, जे ने कहा:

" इसमें कोई संदेह नहीं है कि मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं और

लोकतंत्र में मूल्यवान, लेकिन कोई वास्तविक नहीं हो सकता है

सामाजिक और आर्थिक न्याय के बिना लोकतंत्र
आम आदमी और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का निर्माण करना

जो हर किसी के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय हो सकता है

एक, निर्देशक सिद्धांतों का विषय है। यह वह है

निर्देशक सिद्धांत जो हमारी जड़ों को पोषित करते हैं

लोकतंत्र, इसे शक्ति और शक्ति प्रदान करें और प्रयास करें

इसे एक वास्तविक सहभागी लोकतंत्र बनाना जो केवल मौलिक राजनीतिक लोकतंत्र ही न रहे।

उनकी शक्ति, पद या धन की परवाह किए बिना सभी के लिए उपलब्ध अधिकार। निर्देश के गतिशील प्रावधान

66 1959 एससीआर 995

67 ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 1789, पी.

1847 ओके कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 171

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

सिद्धांत मौलिक के स्थिर प्रावधानों को निषेचित करते हैं।

अधिकार। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य उनकी रक्षा करना है

व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर विचार किया जा सकता है

जिस सामाजिक-आर्थिक संरचना में इसे संचालित किया जाना है, उससे अलग। व्यक्ति के बीच एक वास्तविक संबंध है

स्वतंत्रता और सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का आकार और रूप

समाज की संरचना। क्या कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो सकती है?

उन बड़ी संख्या में लोगों के लिए जो पीड़ित हैं

अभाव और अभाव से और जिनके साथ धोखा किया जाता है

शोषणकारी आर्थिक प्रणाली द्वारा व्यक्तिगत अधिकार?

क्या उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ टकराव नहीं होगा

सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक शक्तिशाली वर्ग की स्वतंत्रता

और इस प्रक्रिया में, विकृत हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं? यह है।

अनुमान लगाएँ कि वर्तमान समय में वास्तविक विवाद

समाज शक्ति और स्वतंत्रता के बीच नहीं है, बल्कि दोनों के बीच है।

एक प्रकार की स्वतंत्रता और दूसरा। वर्तमान सामाजिक

आर्थिक प्रणाली, यह कुछ लोगों की स्वतंत्रता है जो कई लोगों की स्वतंत्रता के साथ संघर्ष में है। निर्देशक सिद्धांत

इसलिए, राज्य पर लेने का दायित्व अधिरोपित करें

सामाजिक-आर्थिक स्थिति बनाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई

जो सामाजिक व्यवस्था के साथ एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था होगी

और सभी के लिए आर्थिक न्याय, ताकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता

एक पोषित मूल्य और व्यक्ति की गरिमा बन जाता है

एक जीवित वास्तविकता, न केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के लिए बल्कि

पूरे देश की जनता। यह देखा जाएगा कि

निर्देशात्मक सिद्धांतों को बहुत उच्च स्थान प्राप्त है

संवैधानिक योजना और यह केवल के ढांचे में है

निर्देश में परिकल्पित सामाजिक-आर्थिक संरचना

मूल सिद्धांत जिनका उद्देश्य मौलिक अधिकार हैं -

काम करें, क्योंकि तभी वे हमारे उन लाखों गरीबों और वंचित लोगों के लिए सार्थक और महत्वपूर्ण बन सकते हैं जो जीवन की एकमात्र आवश्यकता नहीं रहे हैं

और जो गरीबी स्तर से नीचे रह रहे हैं।

175. अनुच्छेद 46 राज्य को बढ़ावा देने का आदेश देता है

शैक्षणिक और आर्थिक हितों की देखभाल करना

लोगों के कुछ वर्गों को सामाजिक सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों से बचाना

अन्याय और शोषण के सभी रूप जबकि के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, हम पूरी तरह से प्राप्त करते हैं

अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की पुष्टि, गुलामी बेरोकटोक जारी रही और इसे कुछ हद तक कानूनी रूप से मान्यता दी गई। ड्रेड स्कॉट बनाम सॉन्डर्स 68 में जिसमें चीफ

न्यायमूर्ति टैनी ने अभिनिर्धारित किया कि [अफ्रीकी-अमेरिकी] इसके हकदार नहीं थे नागरिकता प्राप्त करें। उनका विचार था कि 'एक बार गुलाम हमेशा एक

गुलाम ', और एक गुलाम कभी भी नागरिक नहीं बनेगा

अमेरिका। मुख्य न्यायाधीश टैनी का यह विचार लंबे समय तक जारी रहा और गृहयुद्ध के बाद, 14 वां संशोधन था

1868 में अधिनियमित किया गया और इस संशोधन ने (सभी व्यक्तियों को कानूनों का समान संरक्षण) दिया। प्लासी बनाम फर्ग्यूसन 69 में जिसमें शामिल थे लुइसियाना कानून के लिए एक चुनौती जिसमें काले और सफेद यात्रियों के लिए समान लेकिन अलग आवास प्रदान किया गया था

हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का विचार था कि

नस्लीय अलगाव राज्य पुलिस का एक उचित अभ्यास था

लोक कल्याण के संवर्धन के लिए शक्ति और कानून को बरकरार रखा।

कई सकारात्मक कार्यों को चुनौती दी गई और ब्राउन बनाम शिक्षा बोर्ड 70 के ऐतिहासिक निर्णय को लागू किया गया।

1954 में। कई मामलों में, सख्त जांच सिद्धांत का पालन किया जा रहा था

नस्लीय वर्गीकरण के सभी कानूनों पर लागू होता है। विद्वान सलाहकार

याचिकाकर्ता के लिए ग्रैट्ज़ बनाम बोलिंगर (ऊपर) का संदर्भ दिया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के पहले के कुछ निर्णय

अदालत। पिछले दो दशकों के दौरान, न्यायालय बन गया है

नस्ल-आधारित सकारात्मक कार्रवाई के प्रति संदेह या आदेश

राज्य द्वारा। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का विचार है कि

अतीत के भेदभाव की भविष्यवाणी जो इससे परे होनी चाहिए सामाजिक भेदभाव के प्रभाव।

176. संयुक्त राष्ट्र के संविधान में 14 वां संशोधन

अमेरिका के राज्य और 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम का शीर्षक VI,

68 60 यूएस 393 (1856) 69 163 यूएस 537 (1896) 70 347 यूएस 483 अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

173

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

विश्वविद्यालयों को वर्गीकरण के आधार पर भेदभाव करने से रोकें

जैसे नस्ल, रंग, राष्ट्रीय मूल और उनके सभी क्षेत्रों में

संचालन। संयुक्त राज्य अमेरिका के कई निर्णयों में दशकों के न्यायशास्त्र में फैला सर्वोच्च न्यायालय, एक भारी

उन संस्थानों पर बोझ डाला गया है जिनके सकारात्मक कार्य कार्यक्रमों को संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। न्यायालय उन आधारों पर जिन्हें संदिग्ध के रूप में मान्यता दी गई है या

असंवैधानिक है। यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट के अनुसार,

ऐसे सभी कार्यक्रम स्वाभाविक रूप से संदिग्ध हैं क्योंकि वे इस पर निर्भर हैं

वर्गीकरण के संदिग्ध रूप (जैसे नस्ल)। इसलिए,

उन पर जांच के एक बहुत ही उच्च मानक के लिए, जिसमें वे इन सकारात्मक कार्य कार्यक्रमों का पालन करना होगा

प्रमाण के एक बहुत ही उच्च मानक के लिए, जिसे हम "सख्त" के रूप में जानते हैं

जांच "परीक्षण।

177. कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के राजप्रतिनिधियों का मामला

बनाम बक्के71 ने एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान किया और इस मामले से

इसके बाद, सकारात्मक कार्य कार्यक्रमों को ही उचित ठहराया जा सकता है

जांच परीक्षण, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित किया गया है। दोनों आधार इस प्रकार हैं:

1. उपचारात्मक औचित्य: सुधार के उद्देश्य से सभी प्रयास

लोगों के कुछ चिन्हित समूहों के खिलाफ पिछले अन्याय, जो

अतीत में अवैध रूप से भेदभाव किया गया था, के रूप में सेवा

पर्याप्त औचित्य और सभी सकारात्मक कार्य कार्यक्रम

जो इस उद्देश्य के साथ लागू किए जाते हैं वे सम्मोहक की सेवा करते हैं

अतीत में हुए भेदभाव के सभी अवशेषों को हटाने में संस्थागत हित।

रिचमंड शहर बनाम जे. ए. क्रॉसन Co.7[2] के मामले में,

संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि कोई विश्वविद्यालय सक्षम है

71 438 यूएस 265 (1978)

72 488 अमेरिका 469 (1989)

इसके मौजूदा रूप में "पूर्व भेदभाव का कुछ प्रदर्शन" दिखाने के लिए

विश्वविद्यालय ऐसी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सकारात्मक कदम उठा सकता है। सिस्टम "। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

इस तरह के कार्यक्रमों की जांच करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय इस तरह के औचित्य में न्यायिक जांच की खोज करना

जाति-आधारित उपाय. [और] उस भेदभाव की पहचान करना।

जाति-सचेत राहत का उपयोग करने से पहले कुछ विशिष्टता के साथ। (क्रॉसन का मामला 7 3)

2. विविधता-सभी सकारात्मक कार्य कार्यक्रम जिनका उद्देश्य

छात्रवृत्ति के बीच नस्लीय विविधता लाना संस्थान (ओं) को सम्मोहक को आगे बढ़ाने के लिए कहा जा सकता है

संस्थागत हित। इस आधार के लिए प्रारंभिक बिंदु न्याय है।

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बनाम बक्के 74 के रीजेंट के मामले में विविधता के मुद्दे के बारे में पॉवेल की विस्तृत राय।

(ऊपर)। इस मामले में, न्यायमूर्ति पॉवेल के अनुसार, "[टी] वह एक विविध छात्र निकाय की प्राप्ति स्पष्ट रूप से संवैधानिक है

उच्च शिक्षा संस्थान के लिए अनुमेय लक्षय "। हेल

अकादमिक स्वतंत्रता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों से उद्धृत [स्वीज़ी बनाम न्यू हैम्पशायर 75 और

कीशलन बनाम बोर्ड ऑफ रीजेंट्स 76] और कहा:

" [यह प्रदान करना विश्वविद्यालय का कार्य है कि

ऐसा वातावरण जो अटकलों के लिए सबसे अधिक अनुकूल हो,

प्रयोग और सृजन। माहौल का

अनुमान, प्रयोग और सृजन-इतना आवश्यक है कि

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को व्यापक रूप से माना जाता है

एक विविध छात्र निकाय द्वारा प्रचारित। ..... [आई] टी बहुत ज्यादा नहीं है

यह कहना कि राष्ट्र का भविष्य छात्रों के विचारों और रूढ़ियों के व्यापक प्रदर्शन के माध्यम से प्रशिक्षित नेताओं पर निर्भर करता है

73 (ऊपर), पी। 492-93

75 (1957) 354 263 पर यू. एस. 234 76 (1967) 385 603 में यू. एस. 589 अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 175

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

कई लोगों के इस राष्ट्र के रूप में विविध "।

178. "सख्त जांच" परीक्षण का दूसरा भाग "संकीर्ण सिलाई" परीक्षण है। विश्वविद्यालय, जिसकी सकारात्मक कार्रवाई

कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है न्यायालय को यह साबित करने की आवश्यकता है कि उसका सकारात्मक कार्य कार्यक्रम

सबसे संकीर्ण संभव तरीके से डिज़ाइन किया गया है, क्रम में

इस प्रकार सकारात्मक कार्य कार्यक्रम के "सम्मोहक उद्देश्यों" को पूरा करना। कार्यक्रम को व्यापक तरीके से नहीं बनाया जा सकता है। लोगों के एक बड़े समूह को शामिल करने के लिए, और इसे सेवा करनी होगी

अपने लक्षय को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम संभव आवश्यकता। अन्यथा, यह संभव हो सकता है कि अन्य लोगों के अधिकारों का उल्लंघन किया जाए, जो सकारात्मक कार्रवाई करेगा।

कार्यक्रम असंवैधानिक है।

179. इस प्रकार, सख्त जांच का पहला अंग परीक्षण करता है कि

यह स्पष्ट करता है कि "सम्मोहक संस्थागत हित" उन उद्देश्यों पर केंद्रित है जो सकारात्मक कार्य कार्यक्रमों को तैयार किए जाते हैं

हासिल करने के लिए। दूसरा अंग, "संकीर्ण सिलाई", विशिष्ट सकारात्मक कार्य कार्यक्रमों के विवरण पर केंद्रित है और

विशिष्ट लोगों को लाभान्वित करना इसका उद्देश्य है।

180. संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने उस दौड़ को माना है

सकारात्मक कार्य कार्यक्रम की संरचना करते समय यह उन कई कारकों में से एक हो सकता है जिन्हें ध्यान में रखा जा सकता है। इस स्तर पर,

भारतीय स्थिति के साथ एक समानता खींची जा सकती है जिसमें

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में यह निर्णय दिया है कि जाति सामाजिक और शैक्षिक रूप से आरक्षण प्रदान करते समय यह उन कारकों में से एक हो सकता है जिन्हें ध्यान में रखा जा सकता है।

पिछड़े वर्ग। हालाँकि, जाति "एकमात्र" कारक नहीं हो सकती है।

जिस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में आरक्षण या सकारात्मक कार्य कार्यक्रमों की संरचना करते समय केवल नस्ल ही एकमात्र कारक नहीं हो सकती है।

181. इसके अलावा, भारत के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में भी अदालतों ने अत्यधिक सावधानी बरती है

और किसी भी कानून की परवाह करें जिसका उद्देश्य आधार पर भेदभाव करना है

अमेरिका में नस्ल और भारत में जाति। जैसा कि यू. एस. सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुटर बनाम बोलिंगर (ऊपर), 176 के मामले में स्पष्ट किया।

" क्योंकि चौदहवाँ संशोधन "व्यक्तियों की रक्षा करता है, नहीं

समूह ", नस्ल के आधार पर सभी सरकारी कार्रवाई होनी चाहिए

जाँच ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समान सुरक्षा का व्यक्तिगत अधिकार कानूनों का उल्लंघन नहीं किया गया है। (देखिए: अदारंद कंस्ट्रक्टर्स इंक. बनाम। पेना) 77,

182. इसलिए यह इस प्रकार है कि सरकार इलाज कर सकती है

लोग अपनी जाति के कारण अलग होते हैं लेकिन केवल उनके लिए

ऐसे कारण जो "बाध्यकारी सरकार" के रूप में जाने जाते हैं

ब्याज "।

183. इसके अलावा, किसी भी सकारात्मक कार्य कार्यक्रम के लिए

न्यायिक जांच के सख्त मानक से बचने के लिए, अदालतें चाहती हैं

" सम्मोहक साक्षय ", जो बिना किसी संदेह के साबित करता है कि

सकारात्मक कार्य कार्यक्रम संकीर्ण रूप से तैयार किया गया है और केवल कार्य करता है

सबसे सम्मोहक रुचियाँ। इस प्रकार, राज्य के लिए प्रतिबंध या

संस्था जो सकारात्मक कार्य कार्यक्रमों का अभ्यास करती है

संदिग्ध वर्गीकरणों को प्रभावी ढंग से उठाया गया है।

अन्य सभी विधियों के होने के बाद ही आधारित विधियों का उपयोग किया जा सकता है। माना गया और कमी पाई गई, और वह भी केवल उसी के लिए

सीमित सीमा तक जो एक भेदभाव को दूर करने के लिए आवश्यक है

पहचान की गई है, और केवल जब यह दिखाया गया है कि

चिन्हित लाभार्थियों को पहले भी नुकसान उठाना पड़ा है, और अंत में, केवल तभी जब सभी अनुचित बोझ जो अधिकारों को बाधित कर सकते हैं

अन्य गैर-लाभार्थियों से बचा जाता है।

184. सर्वोच्च द्वारा लागू किए गए उपरोक्त सिद्धांत

संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायालय को सीधे लागू नहीं किया जा सकता है

भारत में सकारात्मक कार्रवाई के रूप में भारत को पूरी तरह से

संवैधानिक प्रावधानों द्वारा समर्थित और हमने आवेदन नहीं किया है

"संदिग्ध विधान" के सिद्धांत और हम उनका पालन कर रहे हैं यह सिद्धांत कि संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून है

जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए, तब तक इसे संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है।

हमने बार-बार माना है कि अमेरिकी निर्णय नहीं हैं 77 (1995) 515 यू. एस. 200 227 अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 177

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

हमारे लिए सख्ती से लागू और सख्त के समान सिद्धांत जांच और संदिग्ध कानून लागू करने की मांग की गई और

इस न्यायालय ने सौरभ चौधरी बनाम भारत संघ 78 के मामले में इसे खारिज कर दिया। पीठ की ओर से बोलते हुए सीजेआई वी. एन. खरे ने कहा:

" सख्त जांच परीक्षण या मध्यवर्ती जांच परीक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू जैसा कि तर्क दिया गया है

श्री साल्वे को इस मामले में आवेदन नहीं किया जा सकता है। ऐसी होती है परीक्षा

भारतीय न्यायालयों में लागू नहीं। किसी भी स्थिति में, ऐसा परीक्षण हो सकता है

ऐसे मामले में लागू किया जाए जहां एक कानून प्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है

अनुचित होना। इस तरह के एक परीक्षण में भी लागू किया जा सकता है

मामला जहाँ एक क़ानून के कारण एक का जीवन और स्वतंत्रता

नागरिक को खतरे में डाला जाता है। यह न्यायालय अपनी स्थापना के समय से

कुछ मामलों के अलावा जहां कानून पाया गया था सिद्धांत पर पूरी तरह से अनुचित कार्रवाई की जाए

कि किसी कानून की संवैधानिकता का अनुमान लगाया जाना है और

विरोधाभासी साबित करने का भार उस पर है जो ऐसा ही दावा करता है।

185. विद्वान वकील श्री सुशील कुमार जैन ने तर्क दिया

कि ओ. बी. सी. का वर्गीकरण ठीक से नहीं किया गया था और यह है

यह स्पष्ट नहीं है कि यह कानून किसके लाभ के लिए बनाया गया है

इसलिए, यह एक संदिग्ध कानून है। यह विवाद नहीं हो सकता है

स्वीकार कर लिया। हमारा विचार है कि 2007 के अधिनियम 5 को चुनौती

इस आधार पर कि यह "सख्त जांच" परीक्षण में खड़ा नहीं है और

इस कानून को लागू करने के लिए कोई "बाध्यकारी राज्य आवश्यकता" स्वीकार नहीं की जा सकती थी।

10. क्या संघ को सत्ता का प्रत्यायोजन

सरकार तय करेगी कि कौन होगा

क्या पिछड़ा वर्ग संवैधानिक रूप से वैध है?

186. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया

कि यद्यपि "पिछड़ा वर्ग" को धारा 2 (छ) के तहत परिभाषित किया गया है

2007 का अधिनियम 5, अधिनियम में यह नहीं कहा गया है कि "पिछड़े वर्ग" की पहचान कैसे की जाएगी और इस तरह की शक्ति का प्रत्यायोजन

भारत संघ का यह निर्धारित करना कि उनके उचित दिशानिर्देशों के बिना "पिछड़ा वर्ग" कौन होगा, अवैध है क्योंकि यह

एम.

78 2003 (11) एस. सी. सी. 146 178

दिशा-निर्देश निर्धारित किए और तय किया कि किसे शामिल किया जाएगा 2007 के अधिनियम 5 की धारा 2 (जी) के तहत परिभाषित पिछड़े वर्ग में। पिछड़ा वर्ग कोई नया शब्द नहीं है। से गुज़रते हुए

संविधान में पर्याप्त संवैधानिक प्रावधान हैं

की शर्तों की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त करें क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग

भारत से। नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग

संविधान के अनुच्छेद 15 (4) में उल्लेख किया गया है, जो

संविधान का पहला संशोधन। पिछड़े वर्ग के नागरिक संविधान के अनुच्छेद 16 (4) में भी इनका उल्लेख किया गया है। यह केवल 2007 के अधिनियम 5 के उद्देश्य के लिए है कि भारत संघ

पिछड़े वर्ग को निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया। पहले से ही एक राष्ट्रीय आयोग है और विभिन्न राज्य भी हैं।

नागरिकों की पहचान पहले ही की जा चुकी है और वे व्यवहार में हैं। पिछले 14 वर्षों से। यह इस पृष्ठभूमि में है कि

भारत को पिछड़े वर्ग का निर्धारण करने का काम दिया गया है।

कक्षाएँ। पिछड़े वर्गों का निर्धारण स्वयं एक

श्रमसाध्य कार्य और संसद इसे अपने दम पर नहीं कर सकती। यह है।

यह कहना गलत है कि पर्याप्त दिशानिर्देश नहीं हैं

पिछड़े वर्गों का निर्धारण करें। विभिन्न मापदंड हैं

उपयोग किया गया है और यह भी देखा जा सकता है कि यदि किसी भी अयोग्य जाति या व्यक्तियों के समूह को पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाता है, तो यह किसी भी व्यक्ति के लिए न्यायिक माध्यम से चुनौती देने के लिए खुला है।

समीक्षा करें। इसलिए, यह कहना गलत है कि भारत संघ को पिछड़े वर्गों को निर्धारित करने के लिए व्यापक शक्तियां दी गई हैं।

उस आधार पर 2007 के अधिनियम 5 को चुनौती विफल हो जाती है।

11. क्या अधिनियम अमान्य है क्योंकि कोई समय सीमा नहीं है

इसके संचालन के लिए निर्धारित और कोई आवधिक समीक्षा नहीं
विचार किया जाता है?

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 179

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

187. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि 27 प्रतिशत का आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए प्रदान किया गया है

अधिनियम के तहत विचार किए गए शैक्षणिक संस्थानों में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और यह समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार,

यह सकारात्मक कार्रवाई जो समानता लाने के लिए है, की गणना की जाती है वास्तविक रूप को समाप्त करके व्यापक आधार पर समानता का उत्पादन करना।

असमानताएँ और समुदाय के कमजोर वर्गों को स्थान देना मजबूत और अधिक शक्ति वाले अनुभाग के साथ समानता के आधार पर

ताकि समुदाय का प्रत्येक सदस्य, चाहे उसका जन्म कुछ भी हो,

व्यवसाय या सामाजिक स्थिति के लिए समान अवसर हो सकते हैं -

पूर्ण रूप से उपयोग करते हुए, उनके शरीर के प्राकृतिक दान, चरित्र का

और बुद्धिमत्ता। यह प्रतिपूरक राज्य कार्रवाई हो सकती है

यह केवल एक अवधि के लिए जारी रहा जब तक कि उस असमानता का सफाया नहीं हो जाता।

इसलिए, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि जब तक कि अवधि यदि निर्धारित किया जाता है, तो यह सकारात्मक कार्रवाई अनिश्चित काल तक जारी रहेगी और अंततः इसके परिणामस्वरूप विपरीत भेदभाव होगा। यह है।

यह सच है कि याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा दिए गए विवाद में कुछ बल है लेकिन यह भविष्य में हो सकता है

यदि अधिनियम के तहत विचार की गई आरक्षण नीति है

सफलतापूर्वक लागू किया गया। लेकिन शुरुआत में, समय सीमा या समय की अवधि तय करना संभव नहीं हो सकता है। के आधार पर

उठाए गए उपायों और सुधारों का परिणाम

सामाजिक रूप से स्थिति और शैक्षिक उन्नति में स्थान

भविष्य में संसद द्वारा जांच की जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है किसी कानून को निरस्त करने का आधार बनें। कुछ समय बाद, यदि

ऐसा होता है कि समुदाय के किसी भी वर्ग को अनुचित लाभ मिलता है।

सकारात्मक कार्रवाई का लाभ, तो ऐसे समुदाय को ऐसे सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम से बहुत अच्छी तरह से बाहर रखा जा सकता है।

संसद निश्चित रूप से स्थिति की समीक्षा कर सकती है और भले ही

नागरिकों का एक विशिष्ट वर्ग कानून में है, यह है

इस तरह की सकारात्मक समीक्षा करने का संसद का संवैधानिक कर्तव्य

सामाजिक स्थितियों की आवश्यकता होने पर कार्रवाई करें। वहाँ है। न्यायिक समीक्षा की सुरक्षा भी और न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और कह सकता है कि सकारात्मक कार्रवाई

अपने मिशन को पूरा किया है और इस प्रकार अब इसकी आवश्यकता नहीं है। 180 में

10 साल की अवधि के बाद एक आवधिक समीक्षा हो और संसद इस बात की जांच कर सकती है कि क्या आरक्षण ने काम किया है

देश की भलाई के लिए। इसलिए, कानून नहीं हो सकता है उस आधार पर अमान्य माना जाता है लेकिन 10 साल की अवधि के बाद समीक्षा की जा सकती है।

12. शिक्षा का स्तर क्या होगा?

यह पता लगाने के लिए निर्धारित किया गया है कि क्या कोई वर्ग है

शैक्षिक रूप से पिछड़े?

188. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. पी. राव ने तर्क दिया

कि संविधान के अनुच्छेद 15 (5) के तहत आरक्षण या

प्रगति के लिए कोई अन्य सकारात्मक कार्रवाई की जा सकती है। केवल सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिक

या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और शैक्षिक मूल्यांकन किया जाने वाला मानक मैट्रिक या 10 + 2 होगा और नहीं

उससे भी ज्यादा। यह तर्क दिया गया था कि कई जातियों में शामिल थे

पिछड़े वर्ग की सूची में सदस्यों की संख्या काफी अच्छी है

जो 10 + 2 उत्तीर्ण हुए हैं और इस प्रकार ऐसी जातियों को शैक्षिक रूप से आगे माना जाना चाहिए और वर्तमान विधान, अर्थात्:

2007 के अधिनियम 5 का उद्देश्य छात्रों को आरक्षण देना है।

उच्च शिक्षण संस्थान और उनकी अनुमति नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 15 (5) के तहत। उन्होंने तर्क दिया कि संसद को आरक्षण के लिए यह कानून नहीं बनाना चाहिए था।

शिक्षा के उच्च संस्थानों में क्योंकि यह कर्तव्य का हिस्सा नहीं है

संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत राज्य। इसके अनुसार

विद्वान वकील, अनुच्छेद 46 के तहत शिक्षा पर विचार किया गया है

केवल 10 + 2 तक की शिक्षा देना। विद्वान।

वकील ने तर्क दिया कि यह संस्थापक पिताओं की इच्छा थी

संविधान से। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि

राज्य प्राथमिक सुधार के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है

शिक्षा.

189. श्री पी. पी. राव की दलीलों के जवाब में, विद्वान सॉलिसिटर

जनरल श्री जी. ई. वाहनवती ने विभिन्न कदमों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया

केंद्र सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय में सुधार के लिए लिया गया कदम

शिक्षा और उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षा भी।

यह अशोक कुमार ठाकुर बनाम है। भारत और ओआरएस का संघ। 181

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

यह कहना गलत है कि इस ओर से कोई प्रयास नहीं किए गए हैं

शिक्षा के स्तर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्रमिक सरकारों का गठन

सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की दिशा में "। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) सरकार द्वारा 2001 में शुरू किया गया था।

विद्यालय, शिक्षण उपकरणों का वितरण, विद्यालय अनुदान विद्यालयों के लिए शिक्षक और रखरखाव, सामुदायिक भागीदारी

& प्रशिक्षण, विद्यालय भवनों में सिविल कार्य करना, अतिरिक्त

कक्षा कक्ष, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मुफ्त पाठ्य पुस्तकों का वितरण और लड़कियाँ। यह बताया गया कि वर्ष 2006-2007 में, लगभग रु। 15,000 इस तरह की शिक्षा पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए थे। द.

एकीकृत बाल विकास सेवा (आई. सी. डी. एस.) योजना थी

इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि प्रगति हुई है

शिक्षा के क्षेत्र में बनाया गया। यह बताया गया है कि प्राथमिक

स्कूल कवरेज 86.96% (2002) से बढ़कर 96% हो गया है। और उच्च प्राथमिक विद्यालय की संख्या 78.11% से बढ़ गई है।

1. 34 लाख प्राथमिक विद्यालय खोलने के साथ 85.3% तक

1.01 लाख उच्च प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक के साथ-साथ उच्च प्राथमिक चरण में भी सकल नामांकन में वृद्धि हुई है। ड्रॉप करें।

आउट रेट में 11.3% की गिरावट आई है। यह भी बताया गया है कि लड़कियों का नामांकन 43.7% (2001) से बढ़कर 46.7% (2004) हो गया है। प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर 40.9% से 44 प्रतिशत तक। द.

भारत संघ ने इस उद्देश्य के लिए विभिन्न राज्यों को धन दिया है।

शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करना। पूरा विवरण अदालत को प्रस्तुत किया गया था और हमें नहीं लगता कि यह जाना आवश्यक है

इन विवरणों में। हालाँकि स्वतंत्रता प्राप्त करने के समय,

मूल विचार प्राथमिक और माध्यमिक स्तर में सुधार करना था।

शिक्षा, लेकिन अब, 50 से अधिक वर्षों की अवधि के बाद, यह है

बेकार यह तर्क देने के लिए कि पिछड़े वर्गों को निर्धारित किया जाएगा

केवल 10 + 2 स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने के आधार पर। भारत में बड़ी संख्या में कला, विज्ञान और

व्यावसायिक महाविद्यालयों और शिक्षा के क्षेत्र में, यह तर्क देना कालातीत है कि प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा

शिक्षा नागरिकों के पिछड़े वर्ग को ठीक करने का सूचकांक होगी।

हम याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा दिए गए विवाद में कोई बल नहीं पाते हैं और इसे केवल खारिज किया जाना है।

13. क्या आरक्षण की मात्रा प्रदान की गई है

क्योंकि अधिनियम में वैध है और क्या 27 प्रतिशत सीटों के लिए

एस. ई. बी. सी. को आरक्षित करने की आवश्यकता थी?

190. याचिकाकर्ता के वकील का मुख्य तर्क

विशेष रूप से श्री सुशील कुमार जैन का कहना है कि पूरे अधिनियम को दरकिनार किया जाना चाहिए क्योंकि इसके लिए कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं थी।

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और

उनके अनुसार सूची में शामिल अधिकांश जातियाँ जो हैं - मंडल आयोग के अनुसार तैयार किए गए हैं

जनगणना और पूरा कानून एक खुश करने का प्रयास है वोट पकड़ने के तंत्र के हिस्से के रूप में समाज का वर्ग।

191. संसद द्वारा पारित एक कानून हो सकता है

केवल संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त आधारों पर चुनौती दी गई।

आम तौर पर, किसी कानून के हमले का आधार यह है कि क्या

विधायिका के पास विधायी क्षमता है या क्या कानून है

कानून के प्रावधान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या किसी भी संविधान के अन्य प्रावधान, यह निश्चित रूप से एक वैध हो सकता है

की शक्ति का आह्वान करके कानून को अलग करने का आधार

न्यायिक समीक्षा। एक कानून को इस रूप में भी चुनौती दी जा सकती है

अनुचित है अगर यह समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है

हमारे संविधान में या यह अनुचित रूप से मौलिक को प्रतिबंधित करता है

संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार। किसी कानून को केवल अनुचितता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्योंकि यह अपने आप में एक आधार नहीं है। वैधता

संवैधानिक संशोधन और पूर्ण अधिवेशन की वैधता विधान का निर्णय विशुद्ध रूप से प्रश्नों के रूप में किया जाना चाहिए

संवैधानिक कानून। राजस्थान राज्य में यह न्यायालय और अन्य। बनाम भारत संघ और अन्य 79 ने कहा:

" ..... यदि न्यायालय के समक्ष लाया गया प्रश्न विशुद्ध रूप से एक है

79 (1977) 3 एस. सी. सी. 592 पी.

660 अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 183

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

राजनीतिक प्रश्न जिसमें किसी भी कानूनी निर्धारण शामिल नहीं है
या संवैधानिक अधिकार या दायित्व, न्यायालय नहीं करेगा

इसका मनोरंजन करें, क्योंकि न्यायालय केवल इसके साथ संबंधित है

कानूनी अधिकारों और देनदारियों का निर्णय।

192. इसलिए, याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि कानून

स्वयं इसका उद्देश्य समुदाय के एक वर्ग को खुश करना था।

वोट पकड़ने का तंत्र कानूनी रूप से स्वीकार्य याचिका नहीं है और इसे केवल अस्वीकार किया जाना है।

193. अधिनियम 5 के तहत प्रदान किए गए आरक्षण की मात्रा

2007 का वर्ष उपलब्ध विस्तृत तथ्यों पर आधारित है

संसद। विभिन्न आयोग चल रहे हैं। यह निर्धारित करना कि एस. ई. बी. सी. कौन बनाएगा। हालांकि एक जाति

बुद्धिमान जनगणना उपलब्ध नहीं है, कई अन्य आंकड़े और आंकड़े उपलब्ध हैं।

उपलब्ध हैं। इंद्र साहनी (ऊपर) के मामले में, मंडल आयोग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया था, हालांकि विवरण और

आयोगों के निष्कर्षों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था

अदालत। 27 % रोजगार के मामले में आरक्षण का था

इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। याचिकाकर्ताओं ने कोई प्रस्तुति नहीं दी है।

यह दिखाने के लिए दस्तावेज कि पिछड़े वर्ग के नागरिक कम हैं

इस देश की कुल जनसंख्या की तुलना में 27 प्रतिशत से अधिक

उनके लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी। संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है और उसे ऐसा करना चाहिए।

यह तर्क देना व्यर्थ है कि क्या संसद को इसकी जानकारी नहीं थी इस देश की जनसंख्या का सांख्यिकीय विवरण और इसलिए,

हमें नहीं लगता कि अधिनियम में दिया गया 27 प्रतिशत आरक्षण अवैध है।

या उस कारण से, अधिनियम स्वयं ही निरस्त होने योग्य है।

सवाल-जवाब

1. क्या नब्बे-तीसरा संशोधन

संविधान "मूल संरचना" के खिलाफ है।

संविधान?

संविधान (नब्बे-तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2005

संविधान की "मूल संरचना" का उल्लंघन नहीं करता है जहाँ तक कि यह 184 है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

राज्य द्वारा अनुरक्षित संस्थानों और सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं से संबंधित है। संस्थाएं। सवाल यह है कि क्या संविधान (नब्बे-तिहाई)

संशोधन) अधिनियम, 2005 संवैधानिक रूप से मान्य होगा या नहीं।

जहाँ तक "निजी गैर-सहायता प्राप्त" शैक्षणिक संस्थानों का संबंध है,

एक उपयुक्त मामले में निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। (अनुच्छेद

79)

2. क्या अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) परस्पर हैं

विरोधाभासी, इसलिए अनुच्छेद 15 (5) माना जाना है
अल्ट्रा वायर्स?

अनुच्छेद 15 (5) संवैधानिक रूप से वैध है और अनुच्छेद 15 (4) और
15 (5) परस्पर विरोधी नहीं हैं। (अनुच्छेद 100)

3. क्या अल्पसंख्यक शिक्षा का बहिष्कार

अनुच्छेद 15 (5) की संस्थाएं उल्लंघन करती हैं -

संविधान का अनुच्छेद 14?

अनुच्छेद से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्करण
15 (5) संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि
अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अपने आप में एक अलग संस्थान हैं।
वर्ग और उनके अधिकार अन्य संवैधानिक द्वारा संरक्षित हैं।
प्रावधान। (अनुच्छेद 102)

4. क्या संविधान संशोधन

अनुच्छेद के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया

368 संविधान का?

संविधान के नब्बे-तीसरे संशोधन में नहीं है
अनुच्छेद 162 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति को प्रभावित करना
संविधान और इसलिए, प्रावधान के तहत निर्धारित प्रक्रिया
अनुच्छेद 368 (2) का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। (अनुच्छेद
103)

क्या 2007 का अधिनियम 5 संवैधानिक है

5 .

" "जाति" पर आधारित पिछड़ा वर्ग है

संवैधानिक रूप से वैध?

"पिछड़े वर्ग" की पहचान केवल आशा कुमार ठाकुर बनाम के आधार पर नहीं की जाती है।

भारत और ओआरएस का संघ। 185

[के. जी. बालाकृष्णन, सी. जे. आई.]

जाति पर। पहचान करने में अन्य मापदंडों का पालन किया जाता है पिछड़े वर्ग। अतः 2007 का अधिनियम 5 इसके लिए अमान्य नहीं है।

कारण। (परिच्छेद 142)

6. क्या "क्रीमी लेयर" को बाहर रखा जाना है

एस. ई. बी. सी. एस.?

" "क्रीमी लेयर" को एस. ई. बी. सी. से बाहर रखा जाना है। द.

एस. ई. बी. सी. की पहचान पूरी नहीं होगी और "मलाईदार परत" के बहिष्कार के बिना ऐसी पहचान मान्य नहीं हो सकती है।

संविधान के अनुच्छेद 15 (1) के तहत। (परिच्छेद 152)

निर्धारित करने के लिए पैरा-मीटर क्या होना चाहिए

7 .

"मलाईदार परत" समूह?

कार्यालय ज्ञापन में निहित मापदंड

भारत सरकार, कार्मिक, सार्वजनिक मंत्रालय द्वारा जारी किया गया

शिकायत और पेंशन (कार्मिक और पेंशन विभाग)

प्रशिक्षण) 08.09.1993 पर लागू किया जा सकता है। और इसकी परिभाषा

" अधिनियम 5 की धारा 2 (जी) के तहत अन्य पिछड़े वर्ग 2007 नागरिकों के वर्ग या वर्गों को माना जाना चाहिए

जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, और इसलिए दृढ़ हैं

केंद्र सरकार द्वारा; और यदि संकल्प के साथ है जाति के संदर्भ में, तब पिछड़े वर्ग के बाद होगा

मलाईदार परत को छोड़कर। (पैराग्राफ 153 और 155)

8. क्या "मलाईदार परत" सिद्धांत है

अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू जातियाँ?

" क्रीमी लेयर सिद्धांत अनुसूचित पर लागू नहीं होता है।

जाति और अनुसूचित जनजाति। (अनुच्छेद 163)

9. क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सिद्धांत

"संदिग्ध कानून", "सख्त जांच" और "मजबूर करने वाली राज्य आवश्यकता" जैसी सकारात्मक कार्रवाई के लिए राज्य का सर्वोच्च न्यायालय आरक्षण के सिद्धांतों या अन्य सकारात्मक बातों पर लागू होता है।

संविधान के अनुच्छेद 15 (5) के तहत विचार की गई कार्रवाई

संविधान?

संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च द्वारा निर्धारित सिद्धांत

न्यायालय जैसे "संदिग्ध कानून", "सख्त जांच" और " बाध्यकारी राज्य आवश्यकताएँ चुनौती देने के लिए लागू नहीं होती हैं।

2007 के अधिनियम 5 की वैधता या आरक्षण या अन्य सकारात्मक

संविधान के अनुच्छेद 15 (5) के तहत विचार की गई कार्रवाई। (पैराग्राफ 184)

10. क्या संघ को सत्ता का प्रत्यायोजन

सरकार तय करेगी कि कौन होगा

क्या पिछड़ा वर्ग संवैधानिक रूप से वैध है?

केंद्र सरकार को शक्ति का प्रत्यायोजन

यह निर्धारित करना कि "अन्य पिछड़े वर्ग" कौन होंगे, अत्यधिक प्रतिनिधित्व नहीं है। इस तरह का प्रतिनिधिमंडल संवैधानिक रूप से है

वैध है। (अनुच्छेद 186)

11. क्या अधिनियम अमान्य है क्योंकि कोई समय नहीं है

इसके संचालन के लिए निर्धारित सीमा और नहीं

आवधिक समीक्षा पर विचार किया जाता है?

2007 का अधिनियम 5 इस कारण से अमान्य नहीं है कि

इसके संचालन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन 10 साल की अवधि के बाद समीक्षा की जा सकती है। (अनुच्छेद 187)

12. शिक्षा का स्तर क्या होगा?

यह पता लगाने के लिए निर्धारित किया गया है कि क्या कोई वर्ग है

शैक्षिक रूप से पिछड़े?

यह तर्क कि मैट्रिक का शैक्षिक मानक

या (10 + 2) यह पता लगाने के लिए बेंचमार्क होना चाहिए कि क्या कोई वर्ग है।

शैक्षणिक रूप से पिछड़े को अस्वीकार कर दिया जाता है। (अनुच्छेद 189)

13. क्या आरक्षण की मात्रा प्रदान की गई है

क्योंकि अधिनियम में वैध है और क्या एस. ई. बी. सी. के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता थी?

27 % अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटों की संख्या अवैध नहीं है और

यह माना जाना चाहिए कि संसद ने 27 प्रतिशत आरक्षण तय करते समय सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा है।

(अनुच्छेद 193)

अशोक कुमार ठाकुर। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

187

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

इन रिट याचिकाओं का निपटारा उपरोक्त निष्कर्षों और धारा में परिभाषित "अन्य पिछड़े वर्गों" के आलोक में किया जाता है।

2 (छ) 2007 के अधिनियम 5 को "सामाजिक और शैक्षिक रूप से" के रूप में पढ़ा जाना है।

अनुसूचित जातियों के अलावा पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जनजाति, 'अन्य पिछड़े वर्गों' के रूप में निर्धारित

केंद्र सरकार द्वारा और यदि ऐसा दृढ़ संकल्प के साथ है

जाति के संदर्भ में, यह ऐसी जाति में से "क्रीमी लेयर" को बाहर कर देगा। अवमानना याचिका (सिविल) सं. 112/2007 लिखित में

याचिका (सी) सं. 265/2006, किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। यह है।

बर्खास्त कर दिया।

डॉ. अरिजीत पासायत, जे. 1. में शामिल मुद्दे

वर्तमान रिट याचिकाओं के दूरगामी परिणाम हैं और सार मौलिक महत्व के कई प्रश्न प्रस्तुत करता है। में।

वास्तव में, वे ऐसे प्रश्न उठाते हैं जिनका कोई आसान उत्तर नहीं होता है। जटिलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ

याचिकाकर्ताओं ने प्रदान करने के तर्क पर सवाल उठाया है

लोगों के एक वर्ग के लिए आरक्षण/कोटा जिनका उन्होंने वर्णन किया था

उत्तरदाताओं के रूप में "अज्ञात" या "अनिर्धारित" जबकि

सामाजिक पिछड़ेपन के लिए सामाजिक अपमान और उपहास का सामना करने वाले अधिकांश लोगों के उत्थान के लिए उठाए गए उपायों के रूप में उन्हें लेबल करके उनकी कार्रवाई को उचित ठहराते हैं। कॉम्प्लेक्स

सवाल जैसे कि क्या अभिव्यक्ति 'वर्ग' और 'जातियाँ' हैं

पर्यायवाची शब्द, क्या आरक्षण ही एकमात्र समाधान प्रदान करता है

याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जब भारतीय लोकतंत्र में अंतिम उद्देश्य वर्गहीन और जातिविहीन है, तो कोई सवाल ही नहीं है निरंतर आरक्षण प्रदान करना और वह भी पिछड़ेपन के संबंध में किसी निश्चित आंकड़े के बिना। असल में, वे तर्क देते हैं

कि ये उपाय पिछड़ेपन को कायम रखें और उन्हें दूर न करें। चुनौती के केंद्र में केंद्रीय है

शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम 2006 (संक्षेप में 'अधिनियम') और संविधान का 93 वां संशोधन

भारत सरकार, 1950 (संक्षेप में 'संविधान')। दिलचस्प बात यह है कि दोनों याचिकाकर्ता और प्रतिवादी कुछ 188 पर दृढ़ता से भरोसा करते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

इंद्र साहनी बनाम में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ। संघ का

भारत 1992 (पूरक। 3) एस. सी. सी. 217 (आमतौर पर 'इंद्र' के नाम से जाना जाता है) साहनी नंबर 1 ')

2. जब रिट याचिकाओं को एक पीठ के समक्ष रखा गया था

दो न्यायाधीश, मामले के महत्व को देखते हुए वे थे

एक बड़ी पीठ और कुछ प्रश्नों द्वारा सुने जाने के लिए संदर्भित

जो विचार के लिए उत्पन्न होते हैं उन्हें तैयार किया गया था। इस तरह ये मामले इस पीठ के समक्ष हैं। 3. दोनों पक्षों द्वारा इस बारे में तर्क दिए गए हैं कि क्या संविधान जातिविहीन समाज का विचार करता है। जबकि

उत्तरदाताओं का कहना है कि संविधान वास्तव में ऐसा नहीं सोचता है एक जातिविहीन समाज, यह पृष्ठभूमि में अस्पृश्यता को प्रतिबंधित करता है

अनुच्छेद 17। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 15 और 16 दोनों में

जाति के आधार पर गैर-भेदभाव पर जोर दिया जाता है। संविधान की प्रस्तावना भी इस पहलू पर प्रकाश डालती है।

अंततः अगर किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसकी शिक्षा के कारण उच्च दिशा में जाती है, तो स्थिति में अंतर हो जाता है। मिटा दिया। शिक्षा एक महान स्तर है। इस मायने में,

अंतिम उद्देश्य यह है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक के पास सामाजिक अधिकार होने चाहिए

ऐसी स्थिति जो दूसरे से कम न हो और वह होगी

स्थिति में अंतर का उन्मूलन। अंतिम उद्देश्य है

यह देखने के लिए कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के कारण भेदभाव न हो।

यदि ऐसा है, तो यह कहना सही नहीं होगा कि अंतिम उद्देश्य यह जातिविहीन समाज नहीं है।

4. भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेद और

प्रस्तावना इस विशाल दस्तावेज के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

भारत का संविधान। अनुच्छेद 14 समानता की गारंटी देता है।

कानून के समान संरक्षण के अलावा कानून। अनुच्छेद 15 (1)

यह आदेश देता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जन्म। अनुच्छेद 16 (1) नौकरी के अवसरों से संबंधित समानता के मौलिक अधिकार को विशिष्ट बनाता है। अनुच्छेद 16 (2) महत्वपूर्ण रूप से सरकारी रोजगार की बात करता है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी नागरिक नहीं है

केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर या भेदभाव के आधार पर अयोग्य होगा।

भारत और ओआरएस का संघ। 189

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

राज्य के अधीन किसी भी रोजगार या कार्यालय के संबंध में।

अनुच्छेद 16 (4) एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो राज्य को नियुक्तियों के आरक्षण के प्रावधान की अनुमति देने का अधिकार देता है और

नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में पद जो

सेवाओं में राज्य की राय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

राज्य से। नागरिकों के पिछड़ेपन और राज्य के तहत सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर जोर दिया जा रहा है।

5. यदि कोई आरक्षण या आरक्षण के मामले में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से संबंधित मार्ग पर चलता है

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कई आते हैं

मील के पत्थर। उनमें से कुछ का इंदर साहनी नंबर 1 में व्यापक रूप से उल्लेख किया गया था। वे इस प्रकार हैं: मद्रास राज्य बनाम। श्रीमती.

चंपकम दोराईराजन और अन्र। (ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 226), माइनर ए

पीरियाकरुप्पन बनाम। शोभा जोसेफ (1971 (1) एस. सी. सी. 38), द स्टेट

आंध्र प्रदेश और अन्य। वी. यू. एस. वी. बलराम, आदि (1972 (1)

एस. सी. सी. 660), श्री जानकी प्रसाद परिमू और अन्य। वी. की स्थिति

जम्मू और कश्मीर और अन्य। (1973 (1) एस. सी. सी. 420), उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। वी. प्रदीप टंडन और ओआरएस। (1975 (1)

एस. सी. सी. 267), केरल राज्य और अन्र। वी. एन. एम. थॉमस और अन्य। (1976 (2) एस. सी. सी. 310), कुमारी के. एस. जयश्री और अन्र। वी. द. केरल और अन्र राज्य। (1976 (3) एस. सी. सी. 730), के. सी. वसंत कुमार और अन्र। वी. कर्नाटक राज्य (1985) एस. सी. सी. 714)

और इंद्र साहनी बनाम। भारत संघ और ओआरएस। (2000 (1) एससीसी

168) (जिसे इंद्र साहनी नंबर 2 के नाम से जाना जाता है।

6. हाल के दो फैसलों पर भी प्रकाश डाला गया है

पार्टियाँ। वे एम. नागराज और ओआरएस हैं। वी. भारत संघ और ओआरएस। (2006 (8) एस. सी. सी. 212) और नायर सर्विस सोसाइटी बनाम। की स्थिति

केरल (2007 (4) एससीसी 1)। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उठाए गए कुछ तर्क व्यापक सिद्धांतों से संबंधित हैं - कानून और न्यायशास्त्र दृष्टिकोण। वे प्रयोज्यता हैं

विदेशी निर्णयों का, विशेष रूप से, अमेरिकी न्यायालयों के निर्णयों का। वे सख्त जांच के सिद्धांतों से संबंधित हैं।

और संकीर्ण सिलाई।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने इन फैसलों पर जोर दिया है ताकि यह दिखाया जा सके कि 190 में क्या दृष्टिकोण होना चाहिए।

सामाजिक सशक्तिकरण से संबंधित मामले। उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील ने हालांकि प्रस्तुत किया है कि दृष्टिकोण है अलग होना क्योंकि अमेरिकी के सामने की समस्याएं

न्यायालय अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित हैं जबकि भारतीय न्यायालय समूह अधिकारों अर्थात वर्ग के अधिकारों के बारे में अधिक चिंतित हैं।

नागरिकों से। हम इस पर कुछ समय बाद चर्चा करेंगे।

8. दूसरा मुद्दा जो मलाईदार परत के बहिष्कार से संबंधित था, गर्मजोशी से लड़ा गया था।

9. याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई प्रमुख चुनौतियों में से एक है -

इस आरोप के आधार पर कि फिक्सिंग के लिए कोई स्वीकार्य डेटा नहीं है

अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिशत। यह हुआ है

यह दिखाने के लिए हाइलाइट किया गया कि ठीक करने के लिए कोई तर्कसंगत आधार नहीं है अन्य पिछड़े लोगों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण

सटीक होने के लिए वापस यानी 1931। इसके बाद, ऐसा लगता है कि कोई वास्तविक प्रतिशत जानने के लिए निश्चित डेटा। यह बताया गया है

कि इंदर साहनी सं. 1 (ऊपर) में इस न्यायालय ने कहा था कि

सामाजिक और सामाजिक मानदंडों को निर्धारित करने के लिए मानदंडों की पहचान करने और निर्धारित करने के लिए एक आयोग होने पर काफी जोर दिया जाता है।

शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। ऐसा लगता है कि बहुत कम

किया। यह आश्चर्य की बात है, यह तर्क दिया गया था कि नहीं किया गया है

यहाँ तक कि बहिष्करण का एक भी मामला लेकिन दूसरी ओर उससे अधिक

250 नई जातियाँ/उप-जातियाँ जोड़ी गई हैं। इससे पता चलता है कि

दूसरे पिछड़े की पहचान करने का वास्तव में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है।

शायद ही कोई चर्चा हुई थी और हर राजनीतिक दल क़ानून को पारित कराने के लिए अपनी चिंता का प्रदर्शन कर रहा था। के पिछड़ेपन के लिए होंठ सहानुभूति दिखाने के लिए मगरमच्छ के आँसू बहाए गए थे लोग। वास्तव में इसका उद्देश्य लोगों को गलत धारणा देना था कि वे पिछड़ेपन के बारे में चिंतित हैं

लोगों में से और वे गरीबों के 'मसीहा' थे और अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 191

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

नीचे गिर जाते हैं। वास्तव में, उनके दिलों में अंतिम उद्देश्य अधिक वोट हासिल करना था। बहस की गंभीरता का अभाव

भयावह, राजनीतिक रूप से प्रेरित नकाबपोश डिजाइन का ध्यान चैंपियन के रूप में नकाबपोश लोगों के "रोते हुए" चेहरों से

गरीब और कुचले हुए। यह बताया गया है कि चर्चा के दौरान पक्षों द्वारा जो पेश किया जा रहा था, उसके विपरीत

चल रहे थे, स्वर्गीय राजीव के एक भावपूर्ण भाषण में

गाँधी, जो पहले विपक्ष के नेता थे

समय, मंडल रिपोर्ट को अपनाने में गलतियाँ थीं

हाइलाइट किया गया। यह आश्चर्य की बात है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वही लोग

जो आरक्षण विरोधी और आरक्षण विरोधी थे

विपक्ष के सदस्यों ने ग्रीष्मकालीन आक्रमण किया है और वे इसके ठीक विपरीत कह रहे थे। यह बताया गया है कि जब एक सदस्य

श्री पी. सी. अलेक्जेंडर ने वास्तविक साहस का प्रदर्शन किया और

लिए गए रुख में भ्रांतियाँ, उनका दृष्टिकोण हल्का प्रतीत होता है

एक तरफ कर दिया गया और क़ानून के माध्यम से हलचल हुई। यह भी है

प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत रिपोर्ट की वस्तुनिष्ठता और पवित्रता

संसद में आमतौर पर "निगरानी समिति की रिपोर्ट" के रूप में जानी जाने वाली रिपोर्ट को हल्के में दरकिनार कर दिया गया है। यह केवल इंगित करता है कि परिणामों के बारे में कोई गंभीर बहस नहीं हुई थी। द.

स्वर्गीय राजीव गांधी की दूरदर्शिता यह कहते हुए कि देश होगा

जाति के आधार पर विभाजित किया गया है और इससे आपदा आएगी

भविष्यसूचक रूप से सही साबित हुआ और यह एक वास्तविकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम ने दोनों के बीच एक तीव्र विभाजन पैदा किया है

देश के नागरिक और इसके थोड़े भी अच्छे परिणाम नहीं हैं

उससे बहती है। इसके विपरीत देश तेजी से विभाजित हो जाएगा

सामाजिक अशांति और जाति-युद्धों की ओर ले जाता है। यह बताया गया है कि

हाल के दिनों में इस तरह के जातिगत युद्धों के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है और सार्वजनिक संपत्तियों का विनाश हुआ है।

10. संसदीय बहस की प्रासंगिकता या

मंत्री के भाषण को इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में उजागर किया गया है। यह कानून में एक तय स्थिति है कि केवल हो सकता है

संसदीय बहस का सीमित उपयोग। न्यायालयों को आम तौर पर संसद की कार्यवाही का आलोचनात्मक विश्लेषण नहीं करना चाहिए। यह

एक बहुत ही मौलिक पहलू से प्रवाहित होता है अर्थात सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट का आपसी सम्मान।

 संसद और न्यायपालिका एक दूसरे के लिए। इन महान लोगों में से प्रत्येक

लोकतंत्र में संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। यह नहीं है।

उम्मीद थी कि लोकतंत्र की एक शाखा तरीके की आलोचना करेगी

एक अन्य शाखा के कार्यकरण का। यह बुनियादी के खिलाफ होगा

पारस्परिक सम्मान की इच्छा। कोई भी विचार या टिप्पणी

एक-दूसरे के काम करने के तरीके के बारे में आलोचना

यह न केवल अवांछनीय होगा बल्कि अनिवार्य रूप से टालने योग्य भी होगा। द.

इस देश के नागरिक संसद से बहुत कुछ उम्मीद करते हैं और न्यायपालिका। यह स्वाभाविक है कि इस देश के लोग

निराश और निराश होंगे और उनकी आशाएँ

टूट जाएँ अगर एक दूसरे के लिए सम्मान दिखाने के बजाय, वहाँ कीचड़ उछालने वाली, अवांछित आलोचना या अस्वीकार्य आलोचना है

कार्य करने के तरीके या किसी निर्णय के तर्क के बारे में या

एक दृश्य लिया गया। इस संदर्भ में, इस पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा

इस न्यायालय ने बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम में क्या कहा। संघ

भारत और ओआरएस। (1995 सप (1) एस. सी. सी. 41), और के. नागराज और

ओआरएस। वी. आंध्र प्रदेश और अन्र राज्य। (1985 (1) एससीसी 523)।

मैसूर राज्य में v. आर. वी. बिदप (1974 (3) एस. सी. सी. 337) निम्नलिखित रूप में देखा गया:

" 5. एंग्लो-अमेरिकी न्यायशास्त्र, अन्य प्रणालियों के विपरीत,

आम तौर पर संसद के उपयोग पर नाराज़ है

बहस और प्रेस चर्चा पर प्रकाश डालने के रूप में
वैधानिक प्रावधानों का अर्थ। मिलर बनाम में विल्स, जे। टेलर, [1769] 4 बुरी, 2303,2332. ने कहा कि अर्थ और

संसद के किसी अधिनियम का अर्थ यहाँ से एकत्र किया जाना चाहिए

कानून में पारित होने पर यह क्या कहता है, न कि इतिहास से

संप्रभु। असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी
लिमिटेड वी. आई. आर. सी., [1935] ए. सी. 445 पी. 458 , प्रभु में लिखें

प्रिवी काउंसिल ने कहा:

" यह स्पष्ट है कि क्राउन के एक मंत्री की भाषा

संसद में एक उपाय प्रस्तावित करने में जो
अंततः कानून बन जाता है जो अस्वीकार्य है और

आयुक्तों की रिपोर्ट से और भी अधिक हटा दिया जाता है

इरादे के प्रमाण के रूप में मूल्य, क्योंकि यह ठीक नहीं है कुमार ठाकुर v।

भारत और ओआरएस का संघ। 193

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

इस बात का पालन करें कि उनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया।

व्याकरणिक संरचना के नियम को स्वीकार कर लिया गया है।

भारत में स्वतंत्रता से पहले और बाद में। राज्य में त्रावणकोर-कोच्चि और अन्य। वी. बॉम्बे कंपनी लिमिटेड,

अलेप्पी, (ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 366), मुख्य न्यायाधीश पतंजलि

शास्त्री ने अदालत का फैसला सुनाते हुए कहा:

" यह केवल यह इंगित करना बाकी है कि द्वारा किया गया उपयोग

अनुचित। कि कानूनों की व्याख्या के लिए बाहरी सहायता का यह रूप स्वीकार्य नहीं है आम तौर पर इंग्लैंड में स्वीकार किया जाता है, और वही नियम

भारतीय निर्माण में देखा गया है

क़ानून-प्रशासक-बंगाल के जनरल बनाम देखें।

प्रेम लाल मलिक, 22 भारतीय। एपल। 107 (पी. सी.) पी. 118 . नियम के पीछे का कारण एक द्वारा समझाया गया था
गोपालन बनाम। मद्रास राज्य (1950) एस. सी. आर. 88

इस प्रकार: किसी विधेयक
पर बहस के दौरान दिया गया भाषण सबसे अच्छा व्यक्तिपरक इरादे का संकेत हो सकता है

वक्ता, लेकिन यह निष्क्रिय को प्रतिबिंबित नहीं कर सका
बहुमत के वोट के पीछे मानसिक प्रक्रिया होती है जो बिल को ले जाती है। न ही यह मान लेना उचित है कि उन सभी विधायकों के मन सहमत थे।

या, जैसा कि इसे एक अमेरिकी मामले में अधिक संक्षिप्त रूप से रखा गया है

" जिन लोगों ने बात नहीं की वे शायद सहमत नहीं थे

जिन्होंने किया; और जो बोले वे अलग हो सकते हैं

एक-दूसरे से-संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। ट्रांस-मिसौरी

फ्रेट एसोसिएशन, (1897) 169 यू. एस. 290 पी. 318

(sic)। बहिष्करण के इस
नियम का हमेशा पालन नहीं किया गया है।

अमेरिका में, और कभी-कभी उद्देश्य [2008] 4 एस. सी. आर. का पता लगाने के लिए ऐसी सामग्री का उपयोग करने के बीच अंतर किया जाता है।

किसी कानून का निर्माण और उसका उपयोग उसका अर्थ निर्धारित करने के लिए करना।
ऐसा प्रतीत होता है कि यह नियम कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में अपनाया गया है-क़ानून पर क्रेज़, 5 वीं संस्करण देखें। पी। 122

(पीपी। 368-9) ” .

11. अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में, कभी-कभी एक अधिक प्राकृतिक नोट मारा गया है। श्री न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर का विचार था

कि

" यदि निर्माण का उद्देश्य निर्धारण है

अर्थ की, कुछ भी नहीं जो तार्किक रूप से प्रासंगिक है

बहिष्कृत किया जाए, और फिर भी, बहिष्करण का नियम, जो है
आम तौर पर इंग्लैंड में पालन किया जाता है, जोर देकर कहते हैं कि,

विधियों की व्याख्या, में कार्यवाहियां
विधायिकाएँ, भाषणों सहित जब

कानून पर चर्चा की गई और अपनाया गया, जिसका उल्लेख नहीं किया जा सकता है

अदालतों में।

12. पृष्ठ 388 टिप्पणियों पर सांविधिक निर्माण पर क्रॉफर्ड

कि

" इस मुद्दे पर न्यायिक राय निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है।

वर्दी और वहाँ अमेरिकी निर्णय हैं

प्रभाव कि एक क़ानून का सामान्य इतिहास और
एक अधिनियम तक ले जाने वाले विभिन्न कदम जिनमें शामिल हैं

मूल विधेयक और विधायी समितियों की रिपोर्टों में संशोधन या संशोधनों पर विचार किया जा सकता है।

विधायिका के इरादे का पता लगाने के लिए जहाँ

यह संदेह में है; लेकिन वे निश्चित रूप से मानते हैं कि विधायी
इतिहास अस्वीकार्य है जब इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है।

कानून का अर्थ "।

बहिष्करण के नियम की न्यायविदों द्वारा आलोचना की गई है

कृत्रिम। अकादमिक राय की प्रवृत्ति और यूरोपीय प्रणाली में अभ्यास से पता चलता है कि एक क़ानून की व्याख्या

अर्थ के निर्धारण में एक अभ्यास, सब कुछ जो

तार्किक रूप से प्रासंगिक है स्वीकार्य होना चाहिए। हाल ही में, एक प्रतिष्ठित

भारतीय न्यायविद ने कानूनी स्थिति की समीक्षा की है और जूलियस स्टोन और न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर के साथ अपनी सहमति व्यक्त की है।

बेशक, अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 195

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

कोई भी सुझाव नहीं देता है कि ऐसी बाहरी सामग्री होनी चाहिए

निर्णायक लेकिन वे स्वीकार्य होने चाहिए। लेखकत्व और व्याख्या को परस्पर प्रकाश और अंत:क्रिया करनी चाहिए। वहाँ है।

इस प्रस्ताव के लिए प्राधिकरण कि इनका सहारा लेना पड़ सकता है

बहुत सावधानी के साथ स्रोत और केवल जब विसंगतियाँ और

अस्पष्टताओं को दूर किया जाना चाहिए। ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य

कानून के शब्दों के अर्थ को पढ़ने के लिए सामग्री। कहाँ? यह सादा है, भाषा प्रचलित है, लेकिन जहां अस्पष्टता है या

अन्य प्रावधानों और अन्य विशेष प्रावधानों के साथ सामंजस्य की कमी

परिस्थितियों में, बाहरी सहायता लेना वैध हो सकता है

जैसे कि प्रावधानों का उद्देश्य, शरारत की मांग की गई

सुधार, सामाजिक संदर्भ, लेखकों के शब्द और अन्य संबद्ध मामले। वैधानिक निर्माण का कानून एक रणनीतिक है।

न्यायशास्त्र की शाखा जिसे महसूस किया जा सकता है, का जवाब देना चाहिए

यहाँ उत्पन्न होने वाले विशेष बिंदु को हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वैकल्पिक व्याख्याओं के बीच कुछ भी निर्णायक नहीं है जो संविधान सभा की कार्यवाही पर निर्भरता से प्रवाहित होता है या

वैधानिक योजना के व्यापक उद्देश्य।

13. हालाँकि यहाँ एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि केवल थोड़ी देर की बहस एक आधार नहीं बन सकती है और न ही बन सकती है।

निर्णय की अयोग्यता के लिए और उल्टा भी सच नहीं है।

14. विदेशी निर्णयों की प्रयोज्यता के बारे में विस्तृत तर्क दिए गए हैं, विशेष रूप से,

अमेरिकी अदालतें। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं द्वारा जिन अमेरिकी मामलों पर प्रकाश डाला गया है, वे अनिवार्य रूप से संबंधित हैं -

सख्त वर्गीकरण, सख्त जांच और संकीर्ण सिलाई। यह मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है जब इतनी बहस हो रही है।

किसी देश की अदालतों द्वारा दूसरे देश के निर्णय के प्रति सम्मान दिखाने के बारे में। तथ्यात्मक परिदृश्य और मूल

मामलों में शामिल मुद्दे कभी-कभी प्रकाश डालते हैं विवाद। श्री वाहनवती ने ठीक ही तर्क दिया है और

श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि एक वैचारिक अंतर है-सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

196

[2008] 4 एस सी आर।

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों के बीच

और हाथ में मामले। सौरभ चौधरी और ओआरएस में। वी. संघ भारत और ओआरएस। (2003 (11) एस. सी. सी. 146) यह माना गया था कि तर्क

सख्त वर्गीकरण और सख्त जांच में बहुत कुछ नहीं है

प्रकृति के मामलों में प्रासंगिकता। अगर कोई देखता है

भारत में विभिन्न क़ानून, संविधान का अनुच्छेद 14 अमेरिकी संविधान के 14 वें संशोधन से वैचारिक रूप से अलग है।

संविधान जैसा कि पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर में उल्लेख किया गया था।

अली सरकार (1952 एस. सी. आर. 284) और बॉम्बे और अन्र राज्य। वी.

एफ. एन. बलसारा (1952 एस. सी. आर. 682)। अनवर अली के मामले में (ऊपर)

पृष्ठ 363 और 364 पर इस प्रकार लिखा गया है:

" मुझे इन भागों को पढ़ना असंभव लगता है

जिसकी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखे बिना संविधान
वे उठ खड़े हुए। मैं उनके इतिहास को मिटा नहीं सकता और उस समय की परेशान करने वाली भावना को ध्यान में नहीं रख सकता। वे हैं।

न केवल नीरस, निर्जीव शब्द स्थिर और छिपे हुए हैं।

कुछ ममीकृत पांडुलिपि, लेकिन, जीवित लपटों का इरादा

एक महान राष्ट्र को जीवन देने और उसके अस्तित्व, भाषाओं को व्यवस्थित करने के लिए

गतिशील आग, भविष्य को ढालने के साथ-साथ मार्गदर्शक के रूप में भी शक्तिशाली

वर्तमान। मेरे विचार से संविधान को छोड़ दिया जाना चाहिए।

अपने बदलते जोर के साथ समय-समय पर बदलती दुनिया की बदलती स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त लोचदार और
अलग-अलग आवश्यकताएँ। इसलिए मुझे लगता है कि हर मामले में

न्यायाधीशों को चीजों के दिल में सीधे देखना चाहिए और सम्मान करना चाहिए

प्रत्येक मामले के तथ्य ठोस रूप से उतने ही हैं जितना एक जूरी करेगी;

और फिर भी, एक जूरी के रूप में नहीं, क्योंकि हम यहाँ एक पर विचार कर रहे हैं

कानून का मामला और केवल एक तथ्य नहीं; इन "कानूनों" को करें

जिन पर सवाल उठाए गए हैं, वे और भी अधिक अपमानजनक हैं

किस कानून के सामने उन्हें भी झुकना होगा?

लोकतांत्रिक गणराज्य जैसा कि भारतीय आँखों से देखा जाता है। संविधान के सामूहिक दिमाग में उपस्थिति थी
सभा, भारत के लोगों की मनोदशा को दर्शाती है, जोका कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 197

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

जल्दबाजी में गठित न्यायाधिकरणों द्वारा गंभीर मुकदमों की स्मृति अध्यादेशों में निर्धारित प्रक्रिया के नए रूप

जल्दबाजी में घोषित किया गया क्योंकि तब क्या महसूस किया गया था

इस समय की तात्कालिक आवश्यकताएँ। कास्टिंग के बिना

मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। यह गलती नहीं थी। न्यायाधीशों के लेकिन अपूर्ण उपकरणों के जिनके साथ वे

उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया गया। पूरी कार्यवाही थी

इस देश के लोगों के लिए घृणित, और मेरे मन के लिए,

अनुच्छेद 14 इस मनोदशा का एक प्रतिबिंब है।

100. मुझे यह देखने की चिंता है कि क्या नहीं है

शब्द के किसी भी अकादमिक अर्थ में पूर्ण समानता लेकिन

क्या एक संप्रभु का सामूहिक विवेक

लोकतांत्रिक गणराज्य विवादित कानून का सम्मान कर सकता है,

देश के सामान्य कानून के विपरीत, काफी हद तक समान व्यवहार के रूप में जिसे दृढ़ दिमाग और निष्पक्ष विचारों वाले लोग एक मामले में सही और उचित मान सकते हैं। जिस तरह का लोकतंत्र हमने खुद को घोषित किया है। इस तरह के विचारों को व्यावहारिक रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए

सरकार की आवश्यकताएँ, कानूनों में परिवर्तन करने का अधिकार और कई अन्य तथ्य, लेकिन सबसे आगे रहना चाहिए

अन्यायपूर्ण और असमान से व्यक्ति की स्वतंत्रता

उपचार, व्यापक अर्थ में असमान जिसमें ए लोकतंत्र इसे देखेगा। मेरी राय में, अनुच्छेद 14 में उपयोग किए गए 'कानून' का अर्थ "कानूनी उपदेश" नहीं है जो हैं -

वास्तव में किसी दिए गए न्यायाधिकरणों में मान्यता प्राप्त और लागू किया गया

समय और स्थान "लेकिन" सिद्धांत और परंपरा का अधिक सामान्य निकाय जिससे वे उपदेश मुख्य रूप से तैयार किए जाते हैं,

और जिसके द्वारा हम उनकी आलोचना करते हैं।

15. इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि औपचारिक समानता की अवधारणा

ई को अपने गठन के लगभग 10 वर्षों के बाद यू. एस. ए. में मान्यता दी जाएगी। अमेरिका के संवैधानिक कानून के पहले चरण में

केवल सकारात्मक कार्रवाई लेकिन भारतीय संविधान के अधिकार 198 में

शुरू से ही सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है, क्योंकि

उदाहरण के लिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए प्रावधान। इंदर के पैरा 640 में एक अंतर नोट किया गया है।

साहनी नं. 1। के अनुच्छेद 46 के साथ पठित अनुच्छेद 38 (1) और 38 (2)

संविधान इस स्थिति को स्पष्ट करता है कि राज्य पर आरोप लगाया गया है

कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने के कर्तव्य के साथ

लोग और आय में असमानताओं को कम करें। संविधान

इसकी स्थापना से ही अनुच्छेद 17 शामिल था जो अस्पृश्यता को समाप्त करता है।

16. इस संदर्भ में निम्नलिखित पैरास पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

17. मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य में। वी. भारत संघ और

ओआरएस। (1980) 3 एस. सी. सी. 625) पैरा 63 में यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

" 63. विद्वान महान्यायवादी का तर्क है कि राज्य है

कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की बाध्यता के तहत

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा। वह कहता है कि अभाव
के उद्देश्य के लिए कुछ मौलिक अधिकारों में से

इस लक्षय को प्राप्त करना संभवत: विनाश नहीं हो सकता है।

संविधान की मूल संरचना। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। में प्रतिपादित सिद्धांत

सत्तावादी। प्रत्येक राज्य लक्षय-उन्मुख है और दावा करता है कि
अपने लोगों के कल्याण को सुरक्षित करने का प्रयास करें। यह अंतर

सरकार के विभिन्न रूपों के बीच यह शामिल है कि एक वास्तविक लोकतंत्र मौलिक स्वतंत्रताओं के अनुशासन के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

जैसे अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त। वे हैं।

अधिकांश प्राथमिक स्वतंत्रताएँ जिनके बिना एक स्वतंत्र लोकतंत्र

असंभव है और इसलिए जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए

सभी लागतें। इसके अलावा, जैसा कि ब्रांडीज, जे. द्वारा देखा गया है, स्वतंत्रता की रक्षा करने की आवश्यकता सबसे अधिक है जब सरकार

उद्देश्य लाभदायक होते हैं। यदि अनुच्छेद 14 का अनुशासन है

वापस ले लिया गया और यदि उस लेख के संचालन से प्रतिरक्षा IOKA KUMAR THAKUR v।

भारत और ओआरएस का संघ। 199

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

प्रदान किया जाता है, न केवल संसद द्वारा पारित कानूनों पर लेकिन राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों पर भी,

संख्यात्मक रूप से बड़े समूहों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला राजनीतिक दबाव देश को विधायिका पर छोड़ कर अलग-अलग कर सकता है

पसंदीदा क्षेत्रों और पसंदीदा कक्षाओं को चुनना और चुनना तरजीही उपचार के लिए "।

18. परम पावन केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु में

केरल और अन्र का राज्य। (1973 (4) एस. सी. सी. 225) के रूप में आयोजित किया गया थाएर:

" 531. श्री पालखीवाला के अनुसार, वास्तविक चौड़ाई का परीक्षण

किसी शक्ति की यह संभावना नहीं है कि उसका प्रयोग किया जा सकता है।

लेकिन इसके तहत संभवत: क्या किया जा सकता है; कि दुरुपयोग या सत्ता का दुरुपयोग पूरी तरह से अप्रासंगिक है; कि

शक्ति की सीमा के साथ मिश्रित नहीं किया जा सकता है

इसके अभ्यास का सवाल और वह जब असली सवाल है जहां तक शक्ति की चौड़ाई का सवाल है, यह उम्मीद करना कि इसका कभी उपयोग नहीं किया जाएगा, उतना ही अप्रासंगिक है जितना कि इसके उपयोग का आसन्न खतरा। अदालत यह तय नहीं करती कि सबसे अच्छा क्या है और

सबसे बुरा क्या है। यह केवल यह तय करता है कि संभवत: क्या हो सकता है

एक शक्ति के तहत किया जाता है यदि इसे प्रदान करने वाले शब्द इस प्रकार हैं

एक असीम और असीम चौड़ाई के रूप में माना जाता है, जैसा कि उत्तरदाताओं की ओर से दावा किया गया है।

532. उत्तरदाताओं की ओर से इस निवेदन को स्वीकार करना मुश्किल है कि परिणामों पर विचार करते हुए

संशोधन शक्ति की चौड़ाई के संदर्भ में

संविधान में इसके दुरुपयोग का कोई भी प्रश्न निहित है शामिल हैं। यह अदालतों के लिए नहीं है कि वे किसी संविधान या क़ानून में किसी विशेष प्रावधान के विवेक या नीति में प्रवेश करें। वह संविधान निर्माताओं के लिए या संसद के लिए या

विधायिका। लेकिन यह कि सत्ता की चौड़ाई का आकलन करते समय वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जा सकता है, अच्छी तरह से तय किया गया है। न्यायालय परिणामों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है जिस पर एक विशेष निर्माण ले जा सकता है जबकि

शक्ति प्रदान करने वाले प्रावधानों की सीमाओं का निर्धारण करना। विद्वान महान्यायवादी के अनुसार, घोषणा सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस सी आर।

के संकल्प के बारे में हमारे संविधान की प्रस्तावना में

भारत के लोग इसे संप्रभु बनाने के लिए,

लोकतांत्रिक गणराज्य केवल एक इरादे की घोषणा है जो 1947 में की गई थी और यह संशोधन के लिए खुला है।

संप्रभु को बदलने के लिए अब अनुच्छेद 368 के तहत निकाय

किसी अन्य प्रकार की राजनीति में लोकतांत्रिक गणराज्य। यह

स्वयं स्वीकार करने के परिणाम को दर्शाता है

निर्माण को उस में भौतिक शब्दों पर रखने की मांग की गई

शक्ति की सीमा और चौड़ाई का पता लगाने के लिए लेख

उसके द्वारा प्रदान किया गया "।

19. साजन सिंह बनाम। महाराष्ट्र शुगर मिल्स लिमिटेड (ए. आई. आर.)

5 एस. सी. 845) यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

" 6. यह स्पष्ट है कि मौलिक अधिकार में निहित हैं

भाग III परंतुक में शामिल नहीं है, और इसलिए, यदि संसद

अनुच्छेद 12 से 35 में निहित किसी भी प्रावधान में संशोधन करने का इरादा है जो भाग III में शामिल हैं, यह आवश्यक नहीं है

परंतुक का सहारा लेना और अतिरिक्त को संतुष्ट करना

उसके द्वारा निर्धारित आवश्यकताएँ। अब तक, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन कला के दायरे को ध्यान में रखते हुए। 368 , उस कला को याद रखना आवश्यक है। 226 , जो के अध्याय V में शामिल है

संविधान का भाग VI, संवैधानिक में से एक है

प्रावधान जो परंतुक के खंड (बी) के तहत आते हैं; और

इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि संसद संशोधन करने का इरादा रखती है

कला के प्रावधान। 226 , ऐसा बनाने का प्रस्ताव रखने वाला विधेयक

संशोधन को परंतुक की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। हमारे निर्णय के लिए सवाल यह है कि क्या होगा? ए में संशोधन करने के बारे में आवश्यकता हो

भाग III में निहित संवैधानिक प्रावधान, यदि इसके परिणामस्वरूप

उक्त संशोधन के तहत, अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को प्रदत्त शक्तियां। 226 प्रभावित होने की संभावना है? द.

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद द्वारा निर्धारित शक्तियाँ। 226 प्रभावित होने की संभावना है

भाग में निहित प्रावधानों का इच्छित संशोधन

III, इस तरह का संशोधन करने के उद्देश्य से पेश किए गए विधेयक को परंतुक को आकर्षित करना चाहिए, और जैसा कि आक्षेपित है

माना जा सकता है कि अधिनियम प्रक्रिया से नहीं गुजरा है

जोका कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 201

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

परंतुक द्वारा निर्धारित, यह अमान्य है; और यह बढ़ाता है

निहित प्रावधानों के निर्माण के बारे में प्रश्न

कला में। 368 और कला के मूल भाग के बीच संबंध। 368 अपने प्रावधान के साथ।

8. दूसरी ओर, यदि कला का मूल भाग है। 368 बहुत उदारता और उदारता से समझा जाता है और यह माना जाता है कि

यहां तक कि मौलिक अधिकारों का महत्वपूर्ण संशोधन भी

जो एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मार्ग बना सकता है

अनुच्छेद के अधीन उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ। 226 बनाया जा सकता है।

परंतुक को लागू किए बिना, यह खंड (बी) से वंचित कर सकता है

इसके सार का प्रावधान। दूसरे शब्दों में, रचना में

कला के दोनों भाग। 368 , सामंजस्य का नियम

मौलिक अधिकारों का संशोधन एक महत्वपूर्ण बनाने के लिए है कला के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियों के बारे में। 226 , यह होगा

इस पर विचार करना आवश्यक हो जाता है कि क्या परंतुक होगा

इस तरह के मामले को कवर करें या नहीं। यदि मौलिक अधिकारों में किए गए संशोधन का प्रभाव उच्च की शक्तियों पर पड़ता है।

कला द्वारा विहित न्यायालय। 226 , अप्रत्यक्ष, आनुषंगिक है, या है

अन्यथा एक महत्वहीन आदेश का, यह हो सकता है कि परंतुक

लागू नहीं होगा। परंतुक वहाँ लागू होगा जहाँ

विचाराधीन संशोधन किसी भी परिवर्तन को करने का प्रयास करता है, आलिया, कला में। 226 , और ऐसे मामले में सवाल यह होगा: क्या संशोधन में परिवर्तन करना चाहते हैं

कला के प्रावधान। 226 ? इस सवाल का जवाब होगा

में किए गए संशोधन के प्रभाव पर निर्भर

9. इस चरित्र के संवैधानिक प्रश्नों से निपटने में, अदालतें आम तौर पर एक परीक्षण को अपनाती हैं जिसे के रूप में वर्णित किया जाता है

पिथ और पदार्थ परीक्षण। अटॉर्नी में-ओंटारियो के लिए जनरल बनाम।

पारस्परिक बीमाकर्ता ([1924] ए. सी. 328), प्रिवी काउंसिल

पारस्परिक की वैधता पर विचार करने के लिए कहा गया था

बीमा अधिनियम, 1922 (12 और 13 जीईओ। 5 , ओनट। , सी। 62) और एस। 508 सी जिसे आपराधिक संहिता में जोड़ा गया था

कनाडा एस. एस. 7 & 8 जियो। 5 , सी। 29 डोम। श्री न्यायमूर्ति डफ, जिन्होंने प्रिवी काउंसिल की ओर से बात की, उन्होंने कहा कि एक जांच [2008] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिस तरह से प्रिवी काउंसिल का संबंध था

इस बोर्ड का, कि ऐसी जांच में न्यायालयों को अधिनियम की 'वास्तविक प्रकृति और चरित्र' का पता लगाएं: कनाडा की नागरिक बीमा कंपनी बनाम। पार्सन्स ([1881] 7

ए. सी. 96); इसका 'पिथ और पदार्थ': ब्रिटिश कोलंबिया लिमिटेड की यूनियन कोलियरी कंपनी बनाम ब्रायडन ([1899] ए. सी. 580); और यह

इस जाँच का परिणाम है, न कि केवल रूप, जो

राज्य ने ड्रा एंट्समैन के हाथ में ग्रहण किया होगा, जो यह निर्धारित करेगा कि किसके भीतर

एस. एस. में उल्लिखित विषयों की श्रेणियाँ। 91 और 92

कानून गिरता है; और इस उद्देश्य के लिए कानून

इसकी 'पूरी तरह से जांच' की जानी चाहिए: ग्रेट वेस्ट सैडलरी को. वी. राजा "([1921] 2 ए. सी. 91,117)। यह आवश्यक नहीं है।

इस प्रस्ताव के समर्थन में अधिकारियों को गुणा करने के लिए कि

विवादित अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर विचार करते हुए, यह पूछताछ करना प्रासंगिक होगा कि पिथ और पदार्थ क्या है

विवादित अधिनियम का है। यह कानूनी स्थिति ली जा सकती है।

इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा स्थापित किया जाएगा जो

न्याय द्वारा व्यक्त विचार को लगातार अपनाया है

डफ, जिसका हमने अभी उल्लेख किया है।

14. इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि उत्पत्ति

1951 में संसद द्वारा किए गए संशोधन संविधान के अनुच्छेद 31 ए और 31 बी स्पष्ट रूप से सहायता करने के लिए हैं।

इस देश में राज्य विधानमंडलों को उस आर्थिक नीति को प्रभावी बनाने के लिए जिसमें पार्टी उत्साहपूर्वक सत्ता में है

यह बहुत आवश्यक कृषि सुधार लाने में विश्वास करता है। यह.

उसी उद्देश्य के साथ है कि दूसरा संशोधन 1955 में संसद द्वारा किया गया था, और जैसा कि हमारे पास है

इंगित किया गया है कि विवादित अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन का अंतर्निहित उद्देश्य भी वही है। संसद की इच्छाएं

कि व्यापक और व्यापक अर्थों में कृषि सुधार

एक बहुत बड़े वर्ग के हित में पेश किया जाना चाहिए भारतीय नागरिक जो गाँवों में रहते हैं और जिनकी वित्तीय संभावनाएँ लक्षय की खोज के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हैं।

प्रगतिशील कृषि नीति। इस प्रकार, यदि पिथ और पदार्थ जोका कुमार ठाकुर v।

भारत और ओआरएस का संघ। 203

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

परीक्षण विवादित द्वारा किए गए संशोधन पर लागू होता है अधिनियम, यह स्पष्ट होगा कि संसद संशोधन करना चाहती है

केवल सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था की पूर्ति में किसी भी संभावित बाधा को दूर करने के उद्देश्य से मौलिक अधिकार

नीति जिसमें सत्ता में पार्टी विश्वास करती है। अगर ऐसा है तो

उस क्षेत्र पर संशोधन का प्रभाव जिस पर

आनुषंगिक और वर्तमान मामले में के रूप में वर्णित किया जा सकता है एक महत्वहीन आदेश। विवादित अधिनियम का उद्देश्य नहीं है

कला के प्रावधानों को बदलना। 226 और यह नहीं कहा जा सकता है

यहाँ तक कि उस प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से या किसी भी सराहनीय रूप में रखने के लिए

माप। यही कारण है कि हम सोचते हैं कि तर्क है कि

विवादित अधिनियम परंतुक के अंतर्गत आता है, जिसे कायम नहीं रखा जा सकता है। यह एक ऐसा अधिनियम है जिसका उद्देश्य संबंधित में संशोधन करना है।

भाग III के अनुच्छेद जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं

और इस प्रकार यह कला के मूल भाग के अंतर्गत आता है। 368

और परंतुक के खंड (ख) के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करता है। यदि किए गए संशोधन का प्रभाव

कला पर मौलिक अधिकार। 226 प्रत्यक्ष है और आकस्मिक नहीं है

और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रम का है, शायद अलग-अलग विचार उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान मामले में, कोई नहीं है उक्त विचारों का मनोरंजन करने या उन पर विचार करने का अवसर। इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुख्य तर्क

और विवादित की वैधता के खिलाफ हस्तक्षेप करने वाले

अधिनियम को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

20. किहोतो होल्लोहन बनाम। ज़चिल्लू और ओआरएस। (1992 सप.

एस. सी. सी. 651) यह निम्नानुसार देखा गया:

" 61. संकरी में विचार के लिए रखे गए प्रस्ताव

प्रसाद सिंह और सज्जन सिंह के मामले वास्तव में हैं।

अनुच्छेद 136 और 226 के तहत लेने की मांग नहीं की गई थी न ही उन प्रावधानों में कोई बदलाव किया गया था या तो "संदर्भ में या प्रभावी रूप से", क्योंकि वही अधिकार

जिसके तहत निर्णय लिया जा सकता है और इसके द्वारा लागू किया जा सकता है

न्यायालयों को स्वयं संविधान द्वारा छीन लिया गया था।

परिणाम यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के अधिकार क्षेत्र के लिए कोई क्षेत्र नहीं था

[2008] 4

एस सी आर।

जिन न्यायालयों पर कार्य किया जाना है। मामले पूरी तरह से अलग हैं।

अनुच्छेद 7 के संदर्भ में। वास्तव में उपरोक्त मामले,

आवश्यक निहितार्थ द्वारा आग्रह किए गए बिंदु का समर्थन करें

याचिकाकर्ता। परंतुक द्वारा परिकल्पित भाग 5 के अध्याय 4 और भाग 6 के अध्याय 5 में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

सीधे रहें। परिवर्तन या तो के संदर्भ में या में हो सकता है।

प्रभाव "। लेखों की भाषा बदलना आवश्यक नहीं है।

136 और संविधान की धारा 226 परंतुक को आकर्षित करने के लिए। अगर इसमें

जहाँ ये लेख अन्यथा लागू नहीं हो सकते थे लागू किया गया है या होगा, लेकिन पैराग्राफ 7 के लिए, संचालित किया गया है

प्रभावी रूप से उन प्रावधानों में एक बदलाव है जो आकर्षित करता है

प्रावधान। वास्तव में इस पद को सज्जन में मान्यता दी गई थी।

सिंह 'स्केस (ऊपर) जहाँ यह देखा गया था:

" यदि किए गए संशोधन का प्रभाव

अनुच्छेद 226 पर मौलिक अधिकार प्रत्यक्ष हैं और आकस्मिक नहीं हैं और बहुत महत्वपूर्ण क्रम के हैं, शायद अलग-अलग विचार उत्पन्न हो सकते हैं।

62. वर्तमान मामलों में, हालांकि संशोधन अनुच्छेद 136 की भाषा में सीधे कोई बदलाव नहीं लाता है, 226 और संविधान का 227, हालांकि, प्रभावी रूप से अनुच्छेद 7 उन अनुच्छेदों के संचालन को कम करता है।

दसवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले मामलों का सम्मान करना। वहाँ अनुच्छेद 136,226 और 227 के प्रभाव में परिवर्तन है

अनुच्छेद 368 (2) के परंतुक के खंड (ख) का अर्थ। इसलिए, अनुच्छेद 7 परंतुक और अनुसमर्थन को आकर्षित करता है।

आवश्यक था। तदनुसार, बिंदु बी पर, हम मानते हैं:

" संविधान में अंतर्निहित सिद्धांतों की पृष्ठभूमि और विकास को ध्यान में रखते हुए (52 वां)

संशोधन) अधिनियम, 1985, जहाँ तक वह चाहता है

भारत के संविधान में दसवीं अनुसूची, दसवीं के पैराग्राफ 7 के प्रावधानों को लागू करना।

संविधान की अनुसूची संदर्भ में और प्रभावी रूप से

संचालन और प्रभाव में परिवर्तन लाना '

भारत के संविधान के अनुच्छेद 136,226 और 227 ओके कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 205

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

उप-अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार पुष्टि की गई
(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 "।

21. श्री सरवन सिंह और अन्र में। वी. श्री कस्तूरी लाल (1977)

एस. सी. सी. 750) यह निम्नानुसार देखा गया:

" 20. आम तौर पर बोलते हुए, एक का उद्देश्य और उद्देश्य

कानून अधिक प्रासंगिकता ग्रहण करता है यदि भाषा

कानून अस्पष्ट और अस्पष्ट है। लेकिन, यह कहा जाना चाहिए

कि हमने प्रावधानों के उद्देश्य का उल्लेख किया है। नया

1975 में दिल्ली किराया अधिनियम में पेश किया गया, न कि मांग करने के लिए

अस्पष्टता में हल करने के लिए इससे प्रकाश, क्योंकि कोई नहीं है, लेकिन

एक अलग उद्देश्य के लिए। जब दो या दो से अधिक कानून

एक ही क्षेत्र में काम करते हैं और प्रत्येक में एक गैर-अवरोध होता है

खंड में कहा गया है कि इसके प्रावधान किसी के भी प्रावधानों पर हावी होंगे। अन्य कानून, उत्तेजक और तीखी समस्याएं

व्याख्या उत्पन्न होती है। चूँकि वैधानिक व्याख्या में कोई नहीं है

पारंपरिक प्रोटोकॉल, इस तरह के संघर्ष के मामलों को होना चाहिए

के उद्देश्य और उद्देश्य के संदर्भ में निर्णय लिया गया

विचाराधीन कानून। एक तीखी स्थिति, जैसे एक हमसे पहले, श्री राम नारायण बनाम में उत्पन्न हुआ। शिमला बैंकिंग एंड इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड बैंकिंग होने के कारण प्रतिस्पर्धा करने वाले कानून हैं।

1953 के अधिनियम 52 और विस्थापित व्यक्ति (ऋण समायोजन) अधिनियम, 1951 द्वारा संशोधित कंपनी अधिनियम, 1949।

बैंकिंग कंपनी अधिनियम की धारा 45 ए, जो

1953 के संशोधन अधिनियम और 1953 की धारा 3 द्वारा प्रस्तुत

विस्थापित व्यक्ति अधिनियम 1951 में ऐसा गैर-प्रावधान था

निषेधात्मक खंड, यह उपबंध करते हुए कि कुछ प्रावधान

प्रभाव पड़ता है "इसके साथ कुछ भी असंगत होने के बावजूद उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित "। इस न्यायालय ने उद्देश्य पर विचार करके संघर्ष का समाधान किया और

दोनों कानूनों का उद्देश्य और उन्हें प्राथमिकता देना

बैंकिंग कंपनी अधिनियम का अवलोकन करते हुए: इसलिए, एक या एक के प्रबल प्रभाव को निर्धारित करना वांछनीय है।

इन दोनों अधिनियमों में प्रासंगिक प्रावधानों में से एक

मामले को देखते हुए, बहुत व्यापक विचारों पर

दोनों अधिनियमों में अंतर्निहित उद्देश्य और नीति और स्पष्ट सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

एस सी आर।

उसमें प्रावधान "। (पी। 615) जैसा कि हमारे द्वारा संकेत दिया गया है, विशेष और विशिष्ट उद्देश्य जिसने अधिनियम को प्रेरित किया

दिल्ली किराया अधिनियम की धारा 14 ए और अध्याय IIIA

यदि स्लम क्लीयरेंस के प्रावधान पूरी तरह से निराश हैं सक्षम प्राधिकारी की अनुमति की आवश्यकता वाला अधिनियम था

उन पर हावी होने के लिए। इसलिए, नए प्रस्तुत किए गए

दिल्ली किराया अधिनियम के प्रावधानों को लागू होना चाहिए और होना चाहिए

इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद पूर्ण प्रभाव दिया गया स्लम क्लीयरेंस एक्ट में।

21. इस तरह के अंतर-संघर्षों को हल करने के लिए, एक और परीक्षण इस तरह के प्रेरक बल के बावजूद भी लागू किया जा सकता है

एक परीक्षण उन कारकों में से एक है जो एक देने के लिए गठबंधन करते हैं,

कानून की भाषा के लिए उचित अर्थ। वह परीक्षा यह है कि

बाद का अधिनियम पहले वाले पर प्रबल होना चाहिए।

धारा 14 ए और अध्याय IIIA के साथ अधिनियमित किया गया है

1 दिसंबर, 1975 से प्रभावी बाद में अधिनियम हैं

स्लम क्लीयरेंस एक्ट की धारा 19 के संदर्भ में, जिसे इसके वर्तमान रूप में, क़ानून की पुस्तक में रखा गया था

28 फरवरी, 1965 से प्रभावी और धारा के संदर्भ में

39 उसी अधिनियम का, जो 1956 में लागू हुआ जब अधिनियम स्वयं पारित किया गया था। विधायिका ने ओवरराइडिंग दी

ज्ञान के साथ धारा 14 ए और अध्याय IIIA का प्रभाव

कि स्लम क्लीयरेंस अधिनियम की धारा 19 और 39

समान प्रभावकारिता के गैर-अवरोधक खंड शामिल हैं। इसलिए

बाद के अधिनियम को पहले वाले पर हावी होना चाहिए। वैसा ही। श्री राम नारायण के मामले में इस न्यायालय द्वारा पृष्ठ 615 पर अनुमोदन के साथ परीक्षण का उल्लेख किया गया था।

23. निहित निरसन के तर्क में भी कोई सार नहीं है।

इसमें क्योंकि दिल्ली किराया अधिनियम के प्रावधानों को प्राथमिकता देने का हमारा कारण यह नहीं है कि झुग्गी बस्ती

मंजूरी अधिनियम को अप्रत्यक्ष रूप से निरस्त कर दिया गया है। दोनों कानूनों की भाषा को ध्यान में रखते हुए, उनका उद्देश्य और

उद्देश्य, और यह तथ्य कि उनमें से एक बाद में बिंदु में है

समय और गैर के ज्ञान के साथ अधिनियमित किया गया था

पहले के कानून में अड़चन वाले खंड, हम 'ओके कुमार ठाकुर बनाम' पर आए हैं।

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

यह निष्कर्ष निकालना कि धारा 14क और अध्याय के प्रावधान किराया नियंत्रण अधिनियम का आई. आई. ए. उन पर हावी होना चाहिए

स्लम क्लीयरेंस की धारा 19 और 39 में निहित

एक्ट करें।

22. जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। लिमिटेड वी. राज्य

पी. और एन. आर. (1961 (3) एस. सी. आर. 185) यह निम्नानुसार देखा गया:

" लेकिन अगर हम इसे बनाए रखते हैं तो पूर्ण सद्भाव होगा।

कि खंड 5 (क) प्रस्तावित के अन्य सभी मामलों में लागू होगा

बर्खास्तगी या आरोपमुक्त करना, सिवाय जहां जांच लंबित है।

खंड 23 के अर्थ के भीतर। हम एक ही परिणाम पर पहुँचते हैं

निर्माण के एक और प्रसिद्ध नियम को लागू करके कि सामान्य प्रावधान विशेष प्रावधानों को जन्म देते हैं। विद्वान।

महान्यायवादी ने सुझाव दिया कि जबकि इस नियम के

निर्माण के बीच संघर्ष को हल करने के लिए लागू होता है

एक अधिनियम में सामान्य प्रावधान और विशेष प्रावधान

प्रावधानों को विशिष्ट प्रावधानों के अनुरूप नहीं होना चाहिए वकीलों और न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया मनमाना सिद्धांत लेकिन उभरता है

पुरुषों और महिलाओं की आम समझ से कि

जब एक ही व्यक्ति दो दिशाएँ देता है एक आवरण

सामान्य रूप से बड़ी संख्या में मामले और दूसरा केवल

उनमें से कुछ में उनका इरादा यह है कि ये बाद के निर्देश

इनके संबंध में प्रबल होना चाहिए जबकि सभी के संबंध में

पी में कानून। 205 , 5 संस्करण) रोमिली, एम. आर. ने उल्लेख किया नियम इस प्रकार है:

" नियम यह है कि जब भी कोई विशेष
एक ही कानून में अधिनियम और एक सामान्य अधिनियम और बाद वाला, जो इसके सबसे व्यापक रूप में लिया गया है।

इस अर्थ में, पूर्व को निरस्त कर देगा, विशेष अधिनियम क्रियाशील होना चाहिए, और सामान्य सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

[2008] 4

एस सी आर।

केवल अन्य भागों को प्रभावित करने के लिए अधिनियम बनाया जाना चाहिए। उस कानून का जिसके लिए यह उचित रूप से लागू हो सकता है। नियम है।

के विभिन्न प्रावधानों के बीच लागू किया गया है

एक ही कानून कई मामलों में जिनमें से कुछ

केवल उल्लेख करने की आवश्यकता है: डी विंटन बनाम। ब्रेकॉन

[(1858) 28 एल. जे. सीएच. 598] , चर्चिल वी। बनाएँ [(1828) 5 बिंग। 177] , संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। चेस [(1889) 135

यू. एस. 255] और कैरोल बनाम। ग्रीनविच इंस। कं. [(1905)

199 यू. एस. 401] ”

23. आर. एम. डी. चमरबागवाला बनाम यूओआई (1957 एससीआर 930)

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया जाता है:

" सवाल यह है कि क्या एक क़ानून जो आंशिक रूप से शून्य है

कुल मिलाकर शून्य के रूप में माना जाए, या क्या यह सक्षम है उस भाग के रूप में प्रवर्तन जो वैध है वह है जो कर सकता है

केवल उन निकायों द्वारा अधिनियमित कानूनों के संदर्भ में उत्पन्न होता है जो

जिनके पास कानून बनाने की असीमित शक्तियाँ नहीं हैं, क्योंकि

उदाहरण के लिए, एक संघीय संघ में विधायिकाएँ। सीमा।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में सूचीबद्ध है, एसएस। 91 और कनाडा के संविधान के 92, और एस। 51 में से

ऑस्ट्रेलियाई संविधान; या यह संदर्भ में हो सकता है

उस विधान का स्वरूप जिसे वे लागू कर सकते थे

उन्हें सौंपे गए विषयों का सम्मान, उदाहरण के लिए, के भाग III में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के संबंध में

संविधान और इसी तरह के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार

अमेरिकी और अन्य संविधानों में। जब एक विधायिका

जिनका अधिकार उपर्युक्त अधिनियमों की सीमाओं के अधीन है

एक कानून जो पूरी तरह से अपनी शक्तियों से अधिक है, यह पूरी तरह से है

शून्य और पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाना चाहिए। लेकिन कहाँ?

कानून आंशिक रूप से इसे आवंटित क्षेत्र के भीतर आता है और

इसके बाहर का हिस्सा, यह निस्संदेह बाद वाले के रूप में शून्य है; लेकिन

क्या यह उस कारण से अनिवार्य रूप से शून्य हो जाता है

संपूर्ण? इस प्रश्न का उत्तर इस पर निर्भर करना चाहिए -

क्या जो वैध है उसे जोक्का कुमार ठाकुर बनाम से अलग किया जा सकता है।

भारत और ओआरएस का संघ। 209

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

अमान्य है, और यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे तय करना है

अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करने पर न्यायालय।

न्यायशास्त्र, कूली की संवैधानिक सीमाओं के अनुसार, खण्ड. आई, चैप। VII, सांविधिक निर्माण पर क्रॉफर्ड, अध्याय।

16 और सांविधिक निर्माण पर सदरलैंड, तीसरा संस्करण,

खण्ड. 2 , चैप। 24. इसे प्रिवी द्वारा भी लागू किया गया है।

द्वारा अधिनियमित कानूनों की वैधता पर निर्णय लेने में परिषद

ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल के लिए जनरल बनाम। औपनिवेशिक शुगर रिफाइनिंग कंपनी लिमिटेड [[1914] ए. सी. 237] और

अटॉर्नी-अल्बर्टा के लिए जनरल बनाम। के लिए महान्यायवादी

कनाडा [एल. आर. [1947] ए. सी. 503]। इसे संघीय न्यायालय द्वारा हिंदू महिलाओं के संपत्ति के अधिकार में अनुमोदित किया गया था।

अधिनियम [[1941] एफ. सी. आर. 12] और इस न्यायालय द्वारा

बॉम्बे राज्य और एक अन्य वी। एफ. एन. बलसारा [[1951] एस. सी. आर. 682] और द स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम। यूनाइटेड मोटर्स (भारत)

लिमिटेड, और अन्य [[1953] एस. सी. आर. 1069)। ये हैं फैसले

श्री सीरवई पर उनके पक्ष में निर्णायक होने के लिए भरोसा किया जाता है।

श्री पालखीवाला इस स्थिति पर विवाद करते हैं और कहते हैं कि

पंजाब प्रांत में प्रिवी काउंसिल के निर्णय पर v. दौलत सिंह और अन्य [[1946] एफ. सी. आर. 1] और

रोमेश थापर बनाम में इस न्यायालय के निर्णय। की स्थिति

मद्रास [[1950] एस. सी. आर. 594] और चिंतामन राव बनाम। राज्य

मध्य प्रदेश के [[1950] एस. सी. आर. 759], प्रश्न अवश्य

इस पक्ष में जवाब दिया जाए। अब हमें जाँच करनी चाहिए कि

इन निर्णयों का सटीक दायरा।

परिणामस्वरूप स्थिति इस प्रकार बताई जा सकती है: जब एक कानून

आंशिक रूप से शून्य है, इसे बाकी के संबंध में लागू किया जाएगा, यदि वह

जो अमान्य है उससे अलग किया जा सकता है। इस नियम के उद्देश्य के लिए यह मायने नहीं रखता है कि क्या क़ानून की अयोग्यता

विधायिका की क्षमता या उसके प्रावधानों के कारण संवैधानिक प्रतिबंधों का उल्लंघन करना।

कि कानून में स्थिति होने के कारण, अब यह आवश्यक है कि

इस बात पर विचार करें कि क्या विवादित प्रावधान अलग किए जा सकते हैं [2008] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह मानते हुए कि 'पुरस्कार प्रतियोगिता' की परिभाषा एस में। 2 (घ) प्रतियोगिताओं को भी शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक है

इसमें काफी हद तक कौशल शामिल है। इसके लिए उपयोगी होगा

कुछ नियमों को संदर्भित करने के लिए इस प्रश्न का निर्धारण

अमेरिकी न्यायालयों द्वारा निर्धारित निर्माण का, जहाँ

पृथकता का प्रश्न कई अधिकारियों में विचार का विषय रहा है। वे हो सकते हैं

संक्षेप में इस प्रकार है:

1. यह निर्धारित करने में कि क्या किसी क़ानून के वैध भाग हैं

इसके अवैध भागों से अलग करने योग्य, यह इरादा है

विधायिका का जो निर्धारण कारक है। परीक्षण के लिए लागू किया जाना यह है कि क्या विधायिका ने अधिनियमित किया होगा

वैध भाग यदि वह जानता था कि बाकी क़ानून अमान्य था। वीडिय कॉर्पस जुर्ल्स सेकंडम, वॉल्यूम। 82 , पी। 156 ;

सांविधिक निर्माण पर सदरलैंड, खंड। 2 , पीपी। 176-177 .

2. यदि वैध और अमान्य प्रावधान इतने अटूट हैं

मिलाया कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता,

तब एक हिस्से की अयोग्यता के परिणामस्वरूप अवैधता होनी चाहिए

अधिनियम की संपूर्णता में। दूसरी ओर, यदि वे हैं

अलग और अलग करें कि जो अमान्य है उसे बाहर निकालने के बाद, जो बचा है वह अपने आप में एक पूर्ण कोड है जो इससे स्वतंत्र है।

बाकी, तब यह बरकरार रखा जाएगा इसके बावजूद कि बाकी

अप्रभावी हो गया है। कूली के संविधान के माध्यम से

सीमाएँ, खंड। 1 पीपी में। 360-361 ; क्रॉफर्ड ऑन स्टैच्युटरी

निर्माण, पीपी। 217-218 .

3. यहां तक कि जब वैध प्रावधान अलग-अलग हों

और उन लोगों से अलग करें जो अमान्य हैं, यदि वे सभी रूप लेते हैं

एक एकल योजना का हिस्सा जिसका संचालन करने का इरादा है

समग्र रूप से, तब भी एक भाग की अयोग्यता के परिणामस्वरूप संपूर्ण विफलता होगी। वीडिय क्रॉफर्ड सांविधिक पर

निर्माण, पीपी। 218-219 .

4. इसी तरह, जब किसी कानून के वैध और अमान्य भाग स्वतंत्र होते हैं और किसी योजना का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन

अमान्य भाग को छोड़ने के बाद जो बचा है वह इतना पतला है और जोक्का कुमार ठाकुर v।

भारत और ओआरएस का संघ, 211

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

जब यह विधायिका से बाहर निकला था, तब जो था, उससे सार रूप में अलग होने के रूप में काटा गया था, तब भी यह होगा

पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया,

5. एक के वैध और अमान्य प्रावधानों की पृथकता कानून इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कानून में अधिनियमित किया गया है या नहीं

एक ही खंड या अलग-अलग खंड; (वीडियो कूली का

संवैधानिक सीमाएँ, खंड। 1 , पीपी। 361-362) ; यह नहीं है

रूप, लेकिन पदार्थ का पदार्थ जो भौतिक है,

और यह एक परीक्षा पर पता लगाया जाना है समग्र रूप से और सुसंगत प्रावधानों की स्थापना के लिए अधिनियम

उसमें।

6. यदि अमान्य भाग के बाद क़ानून से हटा दिया जाता है

जो कुछ बचा है उसे बिना बनाए लागू नहीं किया जा सकता है

उसमें परिवर्तन और संशोधन, फिर संपूर्ण

शून्य के रूप में रद्द किया जाना चाहिए, अन्यथा यह राशि होगी

न्यायिक कानून के लिए। वीडिय सदरलैंड सांविधिक पर

निर्माण, खंड। 2 , पी। 194 ,

7. के प्रश्न पर विधायी आशय निर्धारित करने में

पृथकता, इसे ध्यान में रखना वैध होगा

विधान का इतिहास, इसका उद्देश्य, शीर्षक और

इसकी प्रस्तावना करें। वैधानिक निर्माण पर सदरलैंड के माध्यम से,

खण्ड. 2 , पीपी। 177-178 , " 24. एम्स छात्र संघ बनाम। एम्स (2002 (1) एससीसी 428)

आरा 35 यह निम्नानुसार देखा गया था:

* 35 . द्वारा प्रस्तावित अध्ययन के उच्च स्तरों में प्रवेश की मांग करते हुए संस्थागत निरंतरता का सिद्धांत

हालाँकि अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने विस्तार से तर्क दिया

नवान्वेषी न्यायपालिका के लिए ज्यादा जगह उपलब्ध नहीं है खेलने का उत्साह, क्योंकि मैदान पहले से ही लगभग उदाहरणों के एक समूह द्वारा कब्जा कर लिया गया है, इसलिए जब हम इससे निपट रहे हैं

अध्ययन के व्यावसायिक या तकनीकी पाठ्यक्रम। यह काफी होगा।

कहीं भी विवरणों को ध्यान में रखते हुए उसका संक्षिप्त विवरण तैयार करना।

आवश्यक "। पैरा 44 में इसे फिर से इस प्रकार रेखांकित किया गया है:

" 44. जब पदोन्नति के लिए सुरक्षात्मक भेदभाव

बराबरी का अनुरोध किया जाता है, बोझ एक पक्ष है जो

समानता से प्रत्यक्ष विचलन को उचित ठहराना चाहता है। मूल नियम प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसर की समानता है

देश, जो एक संवैधानिक गारंटी है। एक उम्मीदवार

जो दूसरे से अधिक अंक प्राप्त करता है, वह प्रवेश के लिए वरीयता का हकदार है। चयन करते समय योग्यता की परीक्षा होनी चाहिए

सबसे अच्छा, समान अंकों के लिए समान अवसर के इस नियम के अनुसार।

जब हम पहुँचते हैं तो इस प्रस्ताव का अधिक महत्व होता है

उच्च स्तर और शिक्षा जैसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।

आरक्षण, एक अपवाद के रूप में, उचित हो सकता है बशर्ते कि

उस वर्ग के पक्ष में औचित्य साबित करने का बोझ उठाना जो शैक्षिक रूप से विकलांग होना चाहिए -

बाधा को दूर करने के लिए आरक्षण तैयार किया गया है। द.

चिकित्सा छात्रों के मामले में आरक्षण का औचित्य

क्षेत्रीय या वर्ग अपर्याप्तता को हटाना चाहिए या इस तरह

हानि। वहाँ भी आरक्षण की मात्रा
अत्यधिक या सामाजिक रूप से हानिकारक नहीं होना चाहिए। विशेषता का स्तर जितना अधिक होगा, उसकी भूमिका उतनी ही कम होगी।

आरक्षण "। 25.
प्रावधान के एक नंगे पढ़ने से पता चलता है कि

बोझ उस व्यक्ति पर है जो समानता से विचलन को उचित ठहराता है।

26. तब भी, इस सिद्धांत को सर्वोच्च ने बरकरार रखा था

प्लेसी बनाम में संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यायालय। फर्ग्युसन (163 यू. एस. 537 (1896)। इस मामले में लुइसियाना के एक क़ानून को चुनौती दी गई थी जिसमें अश्वेत और अश्वेत लोगों के लिए समान लेकिन अलग आवास का प्रावधान किया गया था।

रेलगाड़ियों में सफेद यात्री। अदालत ने इस चुनौती को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति ब्राउन ने प्रसिद्ध रूप से कहा:

यदि एक जाति सामाजिक रूप से दूसरी से हीन हो, तो संविधान

(163 यू. एस. 552)
27. उनका मानना था कि नस्लीय अलगाव उचित था।

जनता को बढ़ावा देने के लिए राज्य पुलिस की शक्ति का प्रयोग अच्छा किया और कानून का समर्थन किया।

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 213

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

28. इस प्रकार, इस दूसरे चरण में भी सकारात्मक कार्रवाई की गई।

वास्तव में कभी शुरू नहीं किया गया-देश अभी भी स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा था

यहाँ तक कि एक औपचारिक रूप से समान समाज भी।

29. साथ ही, एक और बहुत महत्वपूर्ण विकास

इसका संवैधानिक कानून बन रहा था, जिसका बाद में सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। यह था।

सख्त जांच के सिद्धांत का जन्म।

30. ' 'सख्त जांच' न्यायपालिका के तीन मानकों में से एक है।

में विकसित विधायी और प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा

संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा "तर्कसंगत आधार" और "मध्यवर्ती" है

जाँच "।

31. इस मानक की उत्पत्ति का पता इस निर्णय से लगाया जा सकता है

संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम कैरोलीन उत्पाद (304 यू. एस. 144 (1938)।

न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या भरा हुआ दूध अधिनियम,

1923 जिसने अंतरराज्यीय वाणिज्य में माल की ढुलाई को प्रतिबंधित कर दिया

कांग्रेस ने अंतर-राज्यीय वाणिज्य को विनियमित किया या पांचवें संशोधन का उल्लंघन किया। न्यायमूर्ति हार्लन स्टोन, के लिए राय लिखते हुए न्यायालय ने कानून को बरकरार रखते हुए कहा कि तथ्यों का अस्तित्व

विधायी निर्णय का समर्थन करने का अनुमान लगाया जाना था, क्योंकि

सामान्य वाणिज्यिक लेन-देन को प्रभावित करने वाला विनियामक कानून

जब तक के प्रकाश में असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाना था ज्ञात या आम तौर पर मान लिए गए तथ्य इस तरह के थे

चरित्र के रूप में इस धारणा को रोकने के लिए कि यह कुछ पर आधारित है

ज्ञान और अनुभव के भीतर तर्कसंगत आधार

विधायक। हालाँकि, उन्होंने वही जोड़ा जिसे वर्णित किया गया है " संवैधानिक कानून में सबसे प्रसिद्ध फुटनोट "।

संवैधानिकता की धारणा जब कानून अपने चेहरे पर एक विशिष्ट निषेध के भीतर दिखाई देता है संविधान, जैसे कि पहले दस संशोधनों में,

जिन्हें समान रूप से विशिष्ट माना जाता है जब माना जाता है

चौदहवें के भीतर अपनाया गया "। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

32. अदालत क्या कह रही थी कि आर्थिक

विधान को "तर्कसंगत आधार" के मानक द्वारा आंका जाएगा -

जब तक कानून एक वैध को आगे बढ़ाने का एक तर्कसंगत तरीका था

सरकारी उद्देश्य, यह वैध था। हालाँकि, जहाँ कानून "अपने चेहरे पर" किसी का भी उल्लंघन करता हुआ दिखाई दिया

मौलिक अधिकार, एक अधिक सटीक मानक लागू किया जाएगा।

33. सटीक शब्द "सख्त जांच" का उपयोग न्यायालय द्वारा पहली बार स्किनर बनाम में किया गया था। ओक्लाहोमा (316 यू. एस. 535 (1942),

ओकलाहोमा आदतन आपराधिक नसबंदी अधिनियम ने इसके लिए प्रावधान किया नैतिक अपराधों के लिए दो या अधिक बार दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति पर नसबंदी की जाएगी।

टर्पिटचूड ", न्यायमूर्ति डगलस ने न्यायालय की राय देते हुए क़ानून को संतान पैदा करने के अधिकार का उल्लंघन बताया-" ए

अधिकार जो एक जाति के स्थायी होने के लिए बुनियादी है। न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या इस कानून ने 14 वीं धारा का उल्लंघन किया है।

संशोधन। यह मानते हुए कि यह किया, न्यायमूर्ति डगलस ने कहा:

" राज्य द्वारा किए गए वर्गीकरण की कड़ी जांच एक नसबंदी कानून आवश्यक है, ऐसा न हो कि अनजाने में या अन्यथा समूहों के खिलाफ अपमानजनक भेदभाव किया जाए या

संविधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रकार

न्यायपूर्ण और समान कानूनों की गारंटी।

34. भारत में सामूहिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए

जिन लोगों को इसकी आवश्यकता थी उनका उत्थान। इस मायने में, सवाल फिर से मूल मुद्दे पर वापस आता है कि क्या कार्रवाई

सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को न्यायिक बनाने के बाद बरकरार रखा जा सकता है।

जाँच करें। याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत अधिक सहायता उपलब्ध नहीं है

अमेरिकी निर्णय।

35. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अलगाव का सिद्धांत जैसा है

भारतीय परिदृश्य में। यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि 'सख्त जांच' शब्द का उपयोग भारतीय न्यायालयों द्वारा भी किया गया है। नरेंद्र कुमार और अन्य। वी. भारत संघ और ओआरएस। (1960 (2)

एस. सी. आर. 375) लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उपयोग अलग संदर्भ में किया गया है। वास्तव में उपयोग के लिए क्या इरादा प्रतीत होता है

अभिव्यक्ति "सावधानीपूर्वक और गहरी जांच" है और आशोक कुमार ठाकुर बनाम के अर्थ में नहीं।

भारत और ओआरएस का संघ। 215

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

अमेरिकी में प्रचलित प्रावधानों की सख्त जांच

न्यायशास्त्र। इसका उपयोग अलग-अलग अर्थों में किया जाता है। आवेदन अमेरिकी न्यायालयों में तकनीकी अर्थों में प्रतीत होता है, क्योंकि

(438 यू. एस. 265) 36. विवाद पर प्रकाश डालते हुए अमेरिकी न्यायालयों के कुछ निर्णयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

37 , एलन बक्के के मामले (ऊपर) में यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

" इसलिए, कुछ समूहों की मदद करने का उद्देश्य जिन्हें डेविस मेडिकल स्कूल के संकाय को पीड़ित माना जाता है

"सामाजिक भेदभाव" का वर्गीकरण उचित नहीं है।

जो इस तरह के व्यक्तियों पर नुकसान लगाता है

उत्तरदाता, जो किसी भी नुकसान के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है

विशेष प्रवेश के लाभार्थी "।

द्वारा गारंटीकृत व्यक्तिगत अधिकारों की उपेक्षा चौदहवाँ संशोधन। शेली वी। क्रेमर, 334 यू. एस.

22 , 92 एल एड 1161,68 एस सीटी 836,3 एएलआरडी 441। इस तरह के अधिकार निरपेक्ष नहीं हैं। लेकिन जब किसी राज्य द्वारा लाभों का वितरण

या वंशावली या किसी व्यक्ति की त्वचा या वंशावली के रंग पर बोझ अधिरोपित करना, वह व्यक्ति हकदार है एक प्रदर्शन है कि चुनौती वर्गीकरण है

एक महत्वपूर्ण राज्य हित को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। याचिकाकर्ता इस बोझ को उठाने में विफल रहा है।

38. ग्रुटर वी. बोलिंगर (539 यू. एस. 307) के रूप में आयोजित किया गया था

निम्नलिखित है:

[21 , 22a] "हम स्वीकार करते हैं कि" गंभीर हैं

वरीयता के विचार से जुड़ी न्याय की समस्याएं

स्वयं "। बक्के, 438 यू. एस., 298,57 एल एड 2 डी 750,98 एस सी. टी.

2733 (पॉवेल, जे) की राय। इसलिए, संकीर्ण सिलाई के लिए आवश्यक है कि एक जाति-जागरूक प्रवेश कार्यक्रम

किसी भी जातीय समूह के सदस्यों को अनुचित रूप से नुकसान पहुंचाना। यहां तक कि उपचारात्मक भी जाति-आधारित
सरकारी कार्रवाई आम तौर पर "यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निरीक्षण के अधीन रहती है कि यह सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों को काम करेगा।

[2008] 4

एस सी आर।

अन्य निर्दोष व्यक्तियों को कम से कम संभावित नुकसान

लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा "। आईडी. , 308,57 एल एड 2 डी 750,98 एस सीटी 2733 पर। संकीर्ण रूप से तैयार होने के लिए, एक जाति-सचेत प्रवेश कार्यक्रम को व्यक्तियों पर अनावश्यक बोझ नहीं डालना चाहिए।

जो पसंदीदा नस्लीय और जातीय के सदस्य नहीं हैं

समूह "। मेट्रो ब्रॉडकास्टिंग, इंक. बनाम एफसीसी, 497 यूएस 547,630,111 एल एड 2 डी 445,110 एस सीटी 2997 (1990) (ओ 'कॉनर,

जे., असहमति)।

[22 ख, 23] हम संतुष्ट हैं कि लॉ स्कूल का

अल्प प्रतिनिधित्व वाले अल्पसंख्यक आवेदक। देखो बक्के, ऊपर, 317, 57 एल एड 2 डी 750,98 एस सीटी 2733 (पॉवेल, जे की राय)। जैसा कि न्यायमूर्ति पॉवेल ने बक्के में मान्यता दी, जब तक कि एक जाति-जागरूक प्रवेश कार्यक्रम दौड़ को "प्लस" के रूप में उपयोग करता है।

व्यक्तिगत रूप से विचार के संदर्भ में, एक अस्वीकृत आवेदक को सभी से अलग नहीं किया गया होगा।

उस सीट के लिए केवल इसलिए विचार किया गया क्योंकि वह नहीं थे

सही रंग या गलत उपनाम था। उसकी योग्यताएँ

उचित और प्रतिस्पर्धी रूप से तौला गया होगा, और वह असमान व्यवहार की शिकायत करने का कोई आधार नहीं होगा

चौदहवें संशोधन के तहत "। 438 अमेरिका, 318,57 एल पर एड 2 डी 750,98 एस सीटी 2733।

[13 च, 22 सी] हम सहमत हैं कि, इसके व्यक्तिगतकरण के संदर्भ में

सभी के संभावित विविधता योगदान की जांच

आवेदक, लॉ स्कूल की दौड़-सचेत प्रवेश

कार्यक्रम गैर-अल्पसंख्यक आवेदकों को अनुचित रूप से नुकसान नहीं पहुंचाता है।

[24 , 25a, 26] हालाँकि, हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि "[a] मुख्य उद्देश्य

चौदहवें संशोधन का उद्देश्य नस्ल के आधार पर सभी सरकारी भेदभाव को दूर करना था।

पालमोर बनाम सिदोती, [539 यू. एस. 342] 466 यू. एस. 429,432,80 एल एड

2 डी, 421,104 सी. टी. 1879 (1984)। तदनुसार, जाति के प्रति जागरूक प्रवेश नीतियां समय पर सीमित होनी चाहिए।

होका कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 217

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

यह आवश्यकता दर्शाती है कि नस्लीय वर्गीकरण,

हालाँकि, उनके लक्ष्यों को मजबूर करना संभावित रूप से ऐसा है खतरनाक है कि उन्हें व्यापक रूप से नियोजित नहीं किया जा सकता है

ब्याज की माँग से अधिक। एक स्थायी स्थापना

नस्लीय प्राथमिकताओं के लिए औचित्य इसे आहत करेगा

मौलिक समान संरक्षण सिद्धांत। हम कोई कारण नहीं देखते हैं। जाति-जागरूक प्रवेश कार्यक्रमों को छूट देने के लिए

आवश्यकता है कि नस्ल के सभी सरकारी उपयोग में होना चाहिए

एक तार्किक अंत बिंदु। लॉ स्कूल भी स्वीकार करता है कि

सभी नस्ल-जागरूक कार्यक्रमों में तर्कसंगत होना चाहिए

[25 ख) उच्च शिक्षा के संदर्भ में, अवधि दौड़ में सूर्यास्त के प्रावधानों द्वारा आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है

सचेत प्रवेश नीतियाँ और आवधिक समीक्षाएँ

यह निर्धारित करें कि क्या नस्लीय वरीयताएँ अभी भी आवश्यक हैं

छात्र शरीर विविधता प्राप्त करने के लिए। कैलिफोर्निया में विश्वविद्यालय,

फ्लोरिडा, और वाशिंगटन राज्य, जहाँ नस्लीय प्राथमिकताएँ हैं

प्रवेश में राज्य के कानून द्वारा निषिद्ध हैं, वर्तमान में हैं

विभिन्न प्रकार के विकल्पों के साथ प्रयोग करने में लगे हुए

इन नस्लों के सबसे आशाजनक पहलुओं पर ध्यान दें-जैसे-जैसे वे विकसित होते हैं तटस्थ विकल्प। सी. एफ. संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। लोपेज़, 514 यूएस 549,581,131 एल एड 2 डी 626,115 एस सीटी 1624 (1995)

(केनेडी, जे., सहमत हैं) ("[टी] वे राज्य अपना प्रदर्शन कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के लिए प्रयोगशालों के रूप में भूमिका

समाधान जहाँ सबसे अच्छा समाधान स्पष्ट नहीं है ")। द.

आवश्यकता है कि सभी जाति-जागरूक प्रवेश कार्यक्रम

एक समाप्ति बिंदु है जो सभी नागरिकों को आश्वस्त करता है कि

सभी नस्लीय और समान व्यवहार के मानदंड से विचलन

जातीय समूह एक अस्थायी मामला है, जो समानता के लक्षय की सेवा में उठाया गया एक उपाय है। रिचमंड बनाम। जे. ए.

क्रॉसन कं., 488 यूएस, 510,102 एल एड 2 डी 854,109 एस सीटी पर

706 (बहुलता राय); नाथनसन और बार्टनिक भी देखें। द.

अल्पसंख्यकों के लिए तरजीही व्यवहार की संवैधानिकता

पेशेवर स्कूलों के लिए आवेदक, [539 यू. एस. 343] 58

शिकागो बार रेक। 282 , 293 (मई-जून 1977) ("यह होगा वास्तव में एक दुखद दिन हो, क्या अमेरिका एक कोटा 218 बन गया था

अभिभूत समाज, प्रत्येक पहचान योग्य अल्पसंख्यक को सौंपा गया जीवन के प्रत्येक वांछनीय क्षेत्र में आनुपातिक प्रतिनिधित्व। लेकिन तरजीही कार्यक्रमों के लिए यह तर्क नहीं है।

उपचार; उनके औचित्य का एसिड परीक्षण उनका होगा किसी भी नस्लीय या जातीय प्राथमिकताओं की आवश्यकता को समाप्त करने में प्रभावकारिता "।

39. संयुक्त राज्य में अमेरिकी संविधान के प्रावधान

औपचारिक समानता की अवधारणा से संबंधित राज्यों के पास ऐसा प्रतीत नहीं होता है अमेरिकी संविधान की शुरुआत से संचालित।

40. हालांकि 1919 और 1935 की सरकार के तहत भी

भारत का अधिनियम अनुसूचित जैसे कुछ वर्ग के लोगों के अधिकारों को लागू करता है जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और वंचित वर्ग

मान्यता प्राप्त है कि अमेरिका में व्यक्तियों को और समूहों को बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं। स्वतंत्रताएँ

भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से संबंधित सात श्रेणियाँ जो वर्तमान में संपत्ति के बाद छह पर हैं

अधिकार समाप्त कर दिए गए। श्री वाहनवती और श्री गोपाल सुब्रमण्यम का रुख यह है कि सख्त जांच का तर्क, मजबूर करता है

जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, सरकार और संकीर्ण सिलाई की प्रासंगिकता नहीं है।

41. थॉमस के मामले में (ऊपर) यह स्पष्ट रूप से इस द्वारा देखा गया था

अदालत ने कहा कि अमेरिकी शर्तें इसके लिए पर्याप्त रूप से लागू नहीं होती हैं

भारतीय परिदृश्य। संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत, लक्षित लाभार्थी हैं

हमारे संविधान के लिए विदेशी। भारत में संज्ञान लिया गया है

संवैधानिक रूप से। अस्पृश्यता के पीड़ित, सामाजिक पहचान

और आर्थिक पिछड़ेपन को स्वीकार किया गया है

अलग से। उस अर्थ में तर्कसंगतता विशेष के लिए एक उपाय है प्रावधान। लेकिन जिस प्रश्न पर अभी भी ध्यान देने की आवश्यकता है वह है

क्या ये समूह वास्तव में पहचान योग्य हैं। नीति तैयार करते समय सभी कारकों को विशेष रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सामाजिक और शैक्षिक पहचान के लिए कुछ मानदंड होने चाहिए।

पिछड़ेपन।

42. ए. के. रॉय बनाम भारत संघ (1982 (1) एस. सी. सी. 271) यह अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

निम्नलिखित रूप में नोट किया गया था:

" 8. हम खतरे से अनजान नहीं हैं, जैसा कि हम नहीं हो सकते हैं।

लोगों की स्वतंत्रता जो किसी भी समुदाय में आती है

जिसे बहुमत का अत्याचार कहा जाता है। अनियंत्रित शक्ति

कार्यपालिका में स्वतंत्रता का एक बड़ा दुश्मन है और इसलिए, स्वतंत्रता के क्षेत्र में शाश्वत सतर्कता आवश्यक है। लेकिन

हम प्रत्यारोपण नहीं कर सकते, भारतीय संदर्भ और परिस्थितियों में,

बिना सावधानी के अन्य मिट्टी में जन्म लेने वाले सिद्धांत

हमारी व्याख्या के लिए उनकी प्रासंगिकता की जांच

संविधान। कोई भी दो संविधान एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है
केवल ऐसे शब्द जो संविधान बनाते हैं। यह लोगों का इतिहास है जो इसके संविधान को रंग और अर्थ देता है।

इसलिए हमें अनिवार्य रूप से इसकी ऐतिहासिक उत्पत्ति की ओर मुड़ना चाहिए।

हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त अध्यादेश बनाने की शक्ति

और उस शक्ति के दायरे पर विचार करें

प्रतिबंध जिनके द्वारा उस शक्ति की रक्षा की जाती है। न तो इंग्लैंड में और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका में

कार्यपालिका को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जैसी कोई भी चीज़ प्राप्त है।

भारत में, उस शक्ति का एक ऐतिहासिक मूल और कार्यपालिका है,
हर समय, स्वतंत्र रूप से इसका सहारा लिया है जब भी यह

ऐसा करना आवश्यक समझा। भारत के बड़े राज्यों में से एक ने उस शक्ति के प्रति अपनी लत को प्रकट किया है
इसका अत्यधिक उपयोग करना-वास्तव में इतना उदार,

जो अध्यादेश समय के प्रवाह से समाप्त हो गए थे

आत्मीय प्राणियों की एक श्रृंखला द्वारा क्रमिक रूप से नवीनीकृत,
एक के बाद एक। और, अध्यादेशों में सूरज के नीचे राजकुमार से लेकर भिखारी और अपराधों तक सब कुछ शामिल है।

अनुबंध। केंद्र सरकार को भी, इसलिए हमें सूचित किया जाता है
1960 और 1980 के बीच लगभग 200 अध्यादेश पारित किए गए,

जिनमें से 19 1980 में पारित किए गए थे।

43. याचिकाकर्ताओं और उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा केंद्रित धूसर क्षेत्रों में से एक हमेशा हैरान करने वाला है। सवाल "कब तक"। उत्तरदाताओं का कहना है कि जब तक

पिछड़ेपन की समस्याएं मौजूद हैं जिन्हें जारी रखा जा सकता है। द. याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि इंदिरा साहनी संख्या 1 में दिखाई गई चिंताओं के बावजूद और बड़ी संख्या में मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चिंता का एक मामला है। मान लीजिए, अन्य पिछड़े वर्गों की सूची से कोई विलोपन नहीं है। यह बढ़ता ही जा रहा है। सीखा है।

उत्तरदाताओं के वकील ने कहा है कि बड़ी संख्या में जिन मामलों में समावेशन के लिए आवेदन किए गए थे, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है। लेकिन यह इस सवाल का जवाब नहीं है कि

क्यों और कैसे कोई बहिष्कार नहीं किया गया है। क्या ऐसा है कि पिछड़ेपन में कमी आने के बजाय वृद्धि हुई है। अगर

उत्तर 'हाँ' है, जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा तर्क दिया गया है, तो एक है

आरक्षण या कोटा प्रदान करने की प्रभावशीलता के बारे में भौहें उठाने के लिए बाध्य।

44. अंतिम उद्देश्य उन लोगों को लाना है जो

एक स्तर तक वंचित जहाँ वे अब नहीं बने हुए हैं यह लाभप्रद है। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि व्यक्तिगत अधिकार हैं

सामाजिक अधिकारों से ऊपर। सभी मौलिक अधिकारों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए। लेकिन तथ्य यह है कि

यह कि कोई बहिष्कार नहीं किया गया है, असमानता को दूर करने के लिए वास्तविक चिंता के बारे में संदेह पैदा करता है।

45. अंतिम उद्देश्य लोगों को एक विशेष स्थान पर लाना है।

स्तर ताकि अवसर की समानता हो सके। इस संदर्भ में,

न्याय और निवारण के सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। वहाँ

केवल कानून में समानता नहीं होनी चाहिए बल्कि वास्तव में समानता होनी चाहिए।

46. अनिवार्य रूप से समानता के आवश्यक तत्व

असमानताओं का समानीकरण शामिल है। इस सवाल से जुड़ी याचिकाकर्ताओं की समस्या यह है कि क्या आरक्षण

असमानताओं को बराबर करने का एकमात्र तरीका? कई तरीके हैं और मोड। यदि आरक्षण वास्तव में काम नहीं करता है जैसा कि द्वारा तर्क दिया गया है

याचिकाकर्ताओं, फिर वैकल्पिक तरीकों को अपनाया जा सकता है। यह उत्तरदाताओं का रुख है कि न केवल आरक्षण बल्कि अन्य

मुफ्त ठहरने और रहने की सुविधा जैसे प्रोत्साहन दिए गए हैं।

कुछ राज्यों में उपलब्ध है।

47. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने कहा है कि चुनौती के तहत उपाय और कुछ नहीं बल्कि बहुत आवश्यक हैं।

उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ें। अगर यह सच है, तो छलांग

कहीं न कहीं इसका अंत होना चाहिए। यह हवा में नहीं लटक सकता क्योंकि इसमें अशोक कुमार ठाकुर बनाम है।

भारत और ओआरएस का संघ। 221 [डॉ. अरिजीत पासायत, जे।] इस दुनिया में कुछ भी अमर नहीं है; बहुत कम, एक प्रगतिशील उपाय।

कथित तौर पर इसका उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाना था। अगर

लगभग छह दशकों के बाद भी उद्देश्यों को हासिल नहीं किया जा सका है, जरूरी है कि इसके जारी रहने के लिए विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ प्रावधानों का उद्देश्य था -

एक दशक के बाद प्रतिस्थापित किया गया लेकिन जारी है। यह अप्रत्यक्ष रूप से दिखाता है

ऐसा प्रतीत होता है कि पिछड़ेपन में कथित रूप से वृद्धि हुई है और

कम नहीं हुआ। इसलिए इसे प्रतिबंधित करना तर्कसंगत और तार्किक होगा। 10 वर्ष की अवधि के लिए विवादित क़ानून का संचालन

इसकी शुरुआत।

48. इस मोड़ पर, निगरानी समिति की रिपोर्ट

यह विवाद पर काफी प्रकाश डालता है। के कुछ भाग

रिपोर्ट दर्ज करने की आवश्यकता है।

यह रिपोर्ट उच्चतर के प्रावधान का विस्तार करना चाहती है।

उच्च शिक्षा तक पहुँच से इसकी आबादी के महत्वपूर्ण हिस्से को समानता प्रदान करने वाला नहीं कहा जा सकता है मौका मिलता है। समान रूप से, यदि अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त होती है

विस्तार की प्रक्रिया में समझौता, यह उभरते ज्ञान समाज में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त खो देगा

- एक बढ़त जो भारत को वैश्विक स्थिति में ले जा सकती है

नेतृत्व। रिपोर्ट का पृष्ठ X और XI

आरक्षण को लागू करने का एक सरल तरीका था -

सामाजिक समानता के नाम पर, हमारे रास्ते पर आगे बढ़ें,
गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर इसके प्रभाव की परवाह किए बिना। हम.

जानबूझकर अधिक कठिन तरीका चुना है जो

इक्विटी को इस तरह से वितरित करता है जो उत्कृष्टता को बढ़ाता है अर्थात।

संकाय में सहवर्ती निवेश करके और

बुनियादी ढांचा और बहुत आवश्यक शासन लाकर

संस्थागत, वित्तीय और संबंधित सुधार
प्रशासनिक स्वायत्तता और प्रक्रिया में पुनः अभियांत्रिकी

हमारी उच्च शिक्षा शासन प्रणाली। यह आसान है

बिना सोचे समझे सभी को सबसे कम सर्वोच्च अदालत की रिपोर्ट के बराबर करके
बराबरी करें।

ऊपर की ओर समानीकरण प्रक्रिया-जहाँ अक्षमताएँ पूर्ववर्ती बहिष्कृत धाराओं द्वारा
दूर किए जाते हैं और

प्रणाली उनमें से सर्वश्रेष्ठ को सामने लाती है।

कई नए विचारों के अलावा

संकाय और बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों से संबंधित, I हमारी तीन सिफारिशों पर
विश्वास करें, जो

क्षैतिज रूप से पाँच समूहों में, महत्वपूर्ण हैं

"समावेशी समाज" के लक्षय की स्थापना उत्कृष्टता "। इन चार कार्यक्रमों पर विचार
किया जाता है।

निरीक्षण समिति द्वारा उपरोक्त का अभिन्न अंग होना

दृष्टि और इसका अविभाज्य हिस्सा माना जाना चाहिए हमारी मुख्य सिफारिशें। (पृष्ठ-x)

हमें यह स्वीकार करना होगा कि जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है

हम पूरे शिक्षा क्षेत्र में विशाल हैं और

तृतीयक शिक्षा क्षेत्र को केवल तभी पूरा किया जा सकता है जब दोनों

इस विशाल कार्य में अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है लेकिन बाजार की ताकतें स्वयं न्याय नहीं दे सकतीं। द.

सार्वजनिक बनाम निजी वित्त पोषण का सापेक्ष महत्व लाया जाता है

जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने बहुत दृढ़ता से कहा जब उन्होंने कहा कि "मैंने बाजारों और सरकारों दोनों की विफलताओं का अध्ययन किया था,

और यह सोचना इतना नादान नहीं था कि सरकार हर विफलता को दूर कर सकती है। न ही मैं इतना मूर्ख था कि विश्वास कर सकूं।

कि बाजार स्वयं हर सामाजिक समस्या का समाधान करते हैं।

असमानता, बेरोजगारी, प्रदूषण: ये सभी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनमें सरकार को महत्व देना होगा।

भूमिका "।

" विस्तार, समावेश और उत्कृष्टता "हमारा रहा है।

विश्वास करते हैं। वे सभी का मार्गदर्शन करने वाले स्थायी विषय बने हुए हैं। हमारे विचार-विमर्श। अगर निगरानी समिति प्रेरणा के स्रोत को स्वीकार नहीं करती है तो मैं अपने कर्तव्य में विफल रहूंगा।

हमारी चर्चाओं के लिए। यह प्रधानमंत्री का भाषण है जो "आईओकेए कुमार ठाकुर बनाम को बनाने की आवश्यकता" के प्रबल दृष्टिकोण को दर्शाता है।

भारत और ओआरएस का संघ। 223

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

हमारे विचार और विचार। मैं भी व्यक्त करना चाहूंगा मैं मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं।

उनका स्नेह और मार्गदर्शन। (पृष्ठ-xi)

मलाईदार परत का उपचार (अध्याय IV-रिपोर्ट)

निगरानी समिति खंड। - आई)

4.2 (ख) आरक्षण का वास्तविक लाभ प्राप्त होगा।

केवल तभी जब उच्च विद्यालय में ओ. बी. सी. का नामांकन, विशेष रूप से

ग्रामीण क्षेत्रों में, काफी वृद्धि हुई है। ध्यान देने की जरूरत है।

आने वाले वर्षों में इस मुद्दे का भुगतान किया जाएगा।

अध्याय VI-इसके लिए आवश्यक संसाधनों का अनुमान

6.1 कुल मिलाकर, कुल अनुमानित व्यय अब पाँच उप-समूहों द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट में विस्तार का आकलन Rs.18,197.83 करोड़ की तुलना में किया गया है।

Rs.16,563.34 करोड़ की राशि, जिसे निगरानी समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में शामिल किया था। अतिरिक्त छात्र संख्या, आवश्यक संकाय का सारांश विवरण

और आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय के अनुमान

6.1 और वर्षवार विभाजन तालिका 6.2 पर है। 6.3 समिति व्यक्ति के साथ अपनी चर्चा में

समूहों ने अतिरिक्त अनुमान लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया था

बुनियादी ढांचा और मानव शक्ति जिसकी बाद में आवश्यकता होगी

मौजूदा सुविधाओं में यदि कोई कमी है तो उसे ध्यान में रखते हुए

साथ ही संसाधन गुणक के रूप में आई. टी. का उपयोग करने की गुंजाइश भी।

जबकि ऐसा लगता है कि समूहों ने इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है।

उनके व्यय अनुमान, और वे मानदंड जिन पर वे

ऐसा लगता है कि वे पिछले रुझानों पर आधारित हैं

समिति के पास वैश्विक संबंध में कुछ जानकारी है

दुनिया के प्रमुख संस्थानों में रुझानों और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन किया जा रहा है। इसके आधार पर और इसके साथ परामर्श में

विशेषज्ञ, समिति ने एक "ज्ञान" के लिए एक योजना विकसित की है

वाहिनी परियोजना, जैसा कि पहले के अध्याय सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में समझाया गया है

इस रिपोर्ट में। इस घटक पर कुल व्यय

विस्तार और उन्नयन परियोजना Rs.1752 होगी।

5 साल में करोड़। उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के अलावा

शिक्षा और सीखने की गुणवत्ता, और इसे करीब लाना

दुनिया में सबसे अच्छा स्तर, यह निवेश निश्चित रूप से होगा

दक्षता में योगदान और पारंपरिक को कम करने के लिए
उच्च शिक्षा प्रणाली की लागत।

व्यय आवश्यकताओं का सारांश विवरण
(जैसा कि समूहों की अंतिम रिपोर्ट में दिया गया है)

नहीं। मौजूदा वार्षिक अतिरिक्त। गैर आवर्ती-कुल

सेक्टर

पुनरावृत्ति करें।

सुविधा

स्टूडेंट ऐड! .

एक्सप.

अंगूठी

इन्टेक छात्र को स्थापित करें

री।

अंगूठी

एक्सप.

में।

5 बरसों.

Ex.

(5 वर्ष)

सेवन करें।

पूछताछ की

5 825

कृषि

454

187

102.75

92.71

195.46

2702.11
2455.92 5158.03

केंद्रीय

17 92011

6609

49689

विश्वविद्यालय

प्रबंधन 7 1791 966

511.32
177.48 688.80

139

चिकित्सकीय

11 993

565

1783.98
1027.69 2811.67

एन. ए

38 29671 16440 4919

इंजीनियरिंग

5503.83
3840.04 9343.87

भव्य।

कुल

125291

68114 11854 10603.99 7593.84
18197.83

अध्याय VII-आगे का मार्ग

7.1 जैसा कि इस रिपोर्ट में पहले संकेत दिया गया है, इस अवसर के लिए
विस्तार, समावेश और उत्कृष्टता केवल होनी चाहिए

राष्ट्रों के समुदाय में इसका सही स्थान है। हमारा हाल ही में
आर्थिक विकास और ज्ञान के मूल्य और

एक अरब विविध लोगों द्वारा शिक्षा को आगे बढ़ाया गया, बिंदु

एक ज्ञान समाज के रूप में भारत के संभावित भविष्य के लिए। अन्य

समान भविष्य की कल्पना करने वाले देशों ने आशा कुमार ठाकुर बनाम की योजना
बनाई है।

भारत और ओआरएस का संघ। 225

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

दोनों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश

और उच्च शिक्षा और अनुसंधान की मात्रा। उदाहरण के लिए, चीन ने अपने आवंटन
में काफी वृद्धि की है। उच्च शिक्षा
के संसाधन। पहले चरण में, चीन ने 10 में से प्रत्येक को 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर का
अनुदान प्रदान किया है।

अग्रणी विश्वविद्यालय और बीजिंग को 225 मिलियन अमेरिकी डॉलर और

सिंघुआ विश्वविद्यालय। दूसरे चरण में चीन ने 30 विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त
अनुदान देने का प्रस्ताव रखा है।

21 वीं सदी में चीन में 100 उच्च गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालय होने के उद्देश्य से और
15 प्रतिशत नागरिकों के साथ
तृतीयक शिक्षा प्राप्त करने वाला आयु वर्ग 18-22।

7.2 भारत को अतीत में गंभीर चोटों के कारण नुकसान उठाना पड़ा है
उच्च शिक्षा में निवेश। इस वजह से हुआ

आंशिक रूप से उस सोच से जो प्राथमिक और उच्चतर को देखती है

किसी भी या तरीके से शिक्षा। लेकिन यह बहुत स्पष्ट है

कि दोनों क्षेत्रों में बड़े सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है। के रूप में

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इसका शुभारंभ करते हुए कहा,

ज्ञान आयोग, "सबसे नीचे

ज्ञान पिरामिड, चुनौती प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने की है। पिरामिड के शीर्ष पर

हमारे संस्थानों को उच्च शिक्षा का संस्थान बनाने की आवश्यकता है

और विश्व स्तरीय अनुसंधान। भारत के लिए समय आ गया है

राष्ट्र निर्माण की दूसरी लहर शुरू करें। इस निवेश से वंचित रहने पर युवा सामाजिक और आर्थिक बन जाएंगे। दायित्व।

49. इसके लिए विद्वान वकील द्वारा जोर दिया गया था

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भारी वित्तीय बोझ का सवाल नहीं है

संसदीय बहस में जगह। जवाब में, श्री वाहनवती ने संसदीय स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है कि

समिति, निरीक्षण समिति की रिपोर्ट उपलब्ध थी।

जब निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई,

कहने की जरूरत नहीं है कि वित्तीय पहलू पर भी विचार किया गया था।

50. श्री पी. पी. राव ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के कर्तव्य की परवाह किए बिना, बड़े पैमाने पर

226 के कार्यान्वयन के लिए धन राशि का उपयोग करने का इरादा है।

[2008] 4 एस सी आर।

क़ानून। दिखाने के लिए विभिन्न आंकड़ों और आंकड़ों पर प्रकाश डाला गया है।

कि वास्तव में प्राथमिक और प्राथमिक के लिए कोई चिंता नहीं है

शिक्षा. इन विवादों को दरकिनार करते हुए श्री वाहनवती ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर कोई ढिलाई नहीं है शिक्षा की बात आती है। उन्होंने विशाल विवरणों का उल्लेख किया है।

सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित। यह तर्क दिया जाता है कि वर्दी

प्राथमिक शिक्षा की नीति और अब तक की प्रगति

31.3.2007 अनुवाद करने के लिए सरकार की चिंता को दर्शाता है

वास्तव में पर्याप्त प्रदान करने का संवैधानिक उद्देश्य

सभी नागरिकों को शिक्षा। यह सच है कि वहाँ था

इस संबंध में काफी प्रयास किया गया है। लेकिन एक सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है। प्राथमिकताओं में संतुलन होना चाहिए। श्री.

वाहनवती ने कहा है कि यह संतुलन का विशेषाधिकार है

सरकार। यह सच है कि सरकार का एक बड़ा क्षेत्र है

शिक्षा. यदि ऐसा किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप उच्च राशि पर अधिक पैसा खर्च करने की आवश्यकता में कमी आएगी। शिक्षा. प्राथमिक और प्रारंभिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा।

उच्च शिक्षा की दिशा में एक छलांग लगाएं। हुआ है।

उच्च कक्षाओं में बड़ी संख्या में ड्रॉप आउट। यह है।

उन सभी कदमों के बावजूद एक वास्तविकता जिसका सरकार दावा करती है

यह सुनिश्चित करने के लिए गोद लिया है कि एक विशेष आयु वर्ग का प्रत्येक बच्चा

शिक्षा को मौलिक शिक्षा के रूप में संविधान द्वारा अनिवार्य किया गया है।

सही है।

51. उन्नी कृष्णन, जे. पी. और अन्य। वी. ए. पी. और अन्य का राज्य।

(1993 (1) एस. सी. सी. 645) ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया

निम्नलिखित शब्दों में:

" 166. बंधुआ मुक्ति मोर्चा में इस न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन का अधिकार लागू होता है।
" शैक्षणिक सुविधाएं "। (प्रासंगिक भाग यहाँ पहले उद्धृत किया गया है)। व्यक्ति के जीवन में शिक्षा के मौलिक महत्व को ध्यान में रखते हुए और

राष्ट्र, और अपनाए गए तर्क और तर्क को अपनाना

इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों में जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है
इससे पहले, हम मानते हैं, बंधुआ 227 के बयान से सहमत हैं।

इकुका कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

मुक्ति मोर्चा, शिक्षा का वह अधिकार निहित है और

यह अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन के अधिकार से बहती है। यह तो

शिक्षा के अधिकार को एक माना गया है एक व्यक्ति के जीवन में दिव्य महत्व है

वर्षों से, लेकिन पूरी दुनिया में। मोहिनी जैन में, शिक्षा की अधीरता पर विधिवत और उचित रूप से जोर दिया गया है।

पैरा 7 यहाँ पहले। विशेष रूप से, हम सहमत हैं कि यह अवलोकन कि शिक्षा प्रदान किए बिना

इस देश के नागरिक, में निर्धारित उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना को हासिल नहीं किया जा सकता है। द.

संविधान विफल हो जाएगा। हमें नहीं लगता कि शिक्षा के महत्व पर इससे बेहतर जोर दिया जा सकता था।

उपरोक्त शब्द। शिक्षा का महत्व था

भर्तृहरि (प्रथम) द्वारा "नीतिशकम" में जोर दिया गया है।

ईसा पूर्व शताब्दी निम्नलिखित शब्दों में:

अनुवाद:

शिक्षा मनुष्य की विशेष अभिव्यक्ति है; शिक्षा वह खजाना है जिसे संरक्षित किया जा सकता है।

हानि के भय के बिना; शिक्षा सामग्री को सुरक्षित करती है

सुख, सुख और प्रसिद्धि; शिक्षा ही जीवन है।

शिक्षक का शिक्षक; शिक्षा ईश्वर का अवतार है; शिक्षा राज्य के हाथों सम्मान प्राप्त करती है।

पैसे नहीं। शिक्षा के बिना एक आदमी बराबर है

जानवर।

168. ब्राउन वी। शिक्षा बोर्ड (347 यू. एस. 483 (1954)

अर्ल वारेन, सी. जे., यू. एस. सुप्रीम कोर्ट के लिए बोल रहे हैं

निम्नलिखित शब्दों में शिक्षा के अधिकार पर जोर दिया गया:

" आज शिक्षा शायद सबसे महत्वपूर्ण है।

राज्य और स्थानीय सरकारों का कार्य। यह है।

हमारी सबसे बुनियादी जिम्मेदारियों के प्रदर्शन में आवश्यक, यहां तक कि सशस्त्र बलों में सेवा भी। यह.

यह अच्छी नागरिकता की नींव है। आज यह है

बच्चे को 228 तक जागृत करने का प्रमुख साधन

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

सांस्कृतिक मूल्य, उन्हें बाद में पेशेवर के लिए तैयार करने में

प्रशिक्षण, और उसे अपने पर्यावरण के साथ सामान्य रूप से समायोजित करने में मदद करने में। इन दिनों किसी भी बच्चे पर संदेह है।

उचित रूप से जीवन में सफल होने की उम्मीद की जा सकती है यदि वह

शिक्षा के अवसर से वंचित किया जाता है।

52. ए/एम. एस. छात्र संघ में इस न्यायालय की टिप्पणियां

मामला (ऊपर) उच्च शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है और

उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके इस प्रकार हैं - निम्नलिखित शब्द:

" 58. भारत के संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार सुरक्षित है -

इसके उद्देश्यों में से एक, बिरादरी की गरिमा का आश्वासन

व्यक्तिगत और राष्ट्र की एकता और अखंडता 'हम वह

भारत के लोग '। आरक्षण जब तक कि द्वारा संरक्षित न हो

स्वयं संविधान, जैसा कि संस्थापक पिताओं द्वारा हमें दिया गया है

और जैसा कि भारत के लोगों द्वारा अपनाया गया है, इसका उप-संस्करण है बंधुत्व, एकता और अखंडता और व्यक्ति की गरिमा।

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों पर विचार करते हुए, अनुच्छेद 46 पर अक्सर अनुच्छेद 41 की अनदेखी करके ध्यान दिया जाता है।

और 47. अनुच्छेद 41 अन्य बातों के साथ-साथ राज्य को यह करने के लिए बाध्य करता है कि काम करने के अधिकार और अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान

शिक्षा के लिए। एक के पक्ष में कोई भी आरक्षण, हद तक

आरक्षण, दूसरों के काम करने और सीखने के अधिकार का एक मार्ग है। अनुच्छेद 47 में सुधार को मान्यता दी गई है

सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों में से एक है।

सबसे अच्छा होने से सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है

डॉक्टर, विशेषज्ञ और सुपर विशेषज्ञ। स्नातक

स्तर चिकित्सा में शिक्षा का प्राथमिक या बुनियादी स्तर है।

विज्ञान जिसमें आरक्षण को इस रूप में समझा जा सकता है

राज्य के प्रति सामाजिक दायित्व की पूर्ति
समाज के कमजोर वर्ग। इसके अलावा, एक आरक्षण

प्राथमिक के प्रदर्शन से एक उलटाव या मोड़ है

राज्य का कर्तव्य। न्यूनतम या प्राथमिक स्तर पर अनुज्ञेय आरक्षण को आत्मसात करने की दिशा में एक कदम है।

उन्हें लाकर समाज की मुख्यधारा में कम भाग्यशाली

दूसरों के स्तर तक जो वे तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि

रक्षात्मक रूप से धक्का दिया। एक बार ऐसा करने के बाद सुरक्षा के लिए कोका कुमार ठाकुर बनाम की आवश्यकता होती है।

भारत और ओआरएस का संघ। 229

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

संरक्षण प्राप्तकर्ताओं के अपने हित में वापस लिया जाना ताकि

वे ताकत विकसित करते हैं और बैसाखी उतारते हुए अपने पैरों पर ऊँचे पायदान पर कदम रखने का आत्मविश्वास महसूस करते हैं।

आरक्षण के संरक्षण को प्राथमिक से परे धकेलना स्तर अपंगों को अपंग रखने की बड़े लोगों की इच्छा को धोखा देता है

हमेशा के लिए। रवीन्द्र नाथ टैगोर का स्वतंत्र भारत का दृष्टिकोण

जब तक "ज्ञान मुक्त नहीं है" और "अथक नहीं है" तब तक पूर्ण नहीं हो सकता है। प्रयास अपनी बाहों को पूर्णता की ओर फैलाता है। लगभग ए

एक चौथाई सदी बाद भारत के लोगों ने दिया है

अपने लिए संविधान, मौलिक पर एक अध्याय कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया।

अनुच्छेद 51 ए में परिभाषित मौलिक कर्तव्य इस प्रकार नहीं हैं -

मौलिक अधिकारों की तरह ही न्यायालय के एक रिट द्वारा प्रवर्तनीय बनाया गया है, लेकिन इसे आंशिक रूप से उस 'कर्तव्यों' को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

आई. वी. ए.-अनुच्छेद 51 ए को एक ही शब्द से जोड़ा गया है। ' मौलिक 'जिसे संस्थापक पिताओं द्वारा जोड़ा गया था

भाग III में 'अधिकारों' के लिए संविधान। भारत का प्रत्येक नागरिक मौलिक रूप से वैज्ञानिक विकास के लिए बाध्य है।

स्वभाव और मानवतावाद। मौलिक रूप से उनका कर्तव्य है कि वे व्यक्ति और समाज के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करें।

सामूहिक गतिविधि ताकि राष्ट्र लगातार ऊपर की ओर बढ़े

प्रयास और उपलब्धियों के स्तर। राज्य है, सभी

नागरिकों को एक साथ रखा गया और इसलिए हालांकि अनुच्छेद 51 ए

राज्य पर स्पष्ट रूप से कोई मौलिक कर्तव्य नहीं डालता है,

तथ्य यह है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य राज्य का सामूहिक कर्तव्य है। इसके अलावा कोई भी आरक्षण

संवैधानिक आधार पर टिकाऊ होने के नाते, भी होना चाहिए अनुमेय होना उचित है। मूल्यांकन में

तर्कसंगतता उन कारकों में से एक है जिन पर विचार किया जाना चाहिए विचार यह होगा कि क्या चरित्र और

आरक्षण की मात्रा राष्ट्र को सक्षम बनाने वाले उत्कृष्टता के अंतिम लक्षय को प्राप्त करने में बाधा डालेगी या तेजी लाएगी

लगातार उच्च स्तर तक बढ़ रहा है। वैश्वीकरण के युग में,

जहाँ पूरे राष्ट्र को दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है

दुनिया के राष्ट्र ताकि जीवित रहें, उत्कृष्टता नहीं हो सकती

एक अनुचित प्रयास दिया गया है और निश्चित रूप से नहीं पूरी तरह से समझौता किया। मौलिक कर्तव्य, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय के एक रिट द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी एक मूल्यवान प्रदान करता है

संवैधानिक और कानूनी व्याख्या के लिए मार्गदर्शन और सहायता

मुद्दे। संदेह या पसंद के मामले में, लोगों की इच्छा

अनुच्छेद 51 ए के माध्यम से प्रकट, एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है केवल समस्या को हल करने के लिए बल्कि निर्माण या निर्माण के लिए भी

अदालतों द्वारा दी जाने वाली राहत को ढालना। संवैधानिक

मौलिक कर्तव्यों का अधिनियमन, यदि इसके लिए कोई होना आवश्यक है अर्थ, अदालतों द्वारा टैब करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, यहां तक कि एक

वर्जित, संवैधानिक से दूर जाने वाली राज्य की कार्रवाई पर

मूल्य "। 53. उत्तरदाताओं ने जोरदार तर्क दिया है कि

मलाईदार परत की अवधारणा के उद्देश्य के लिए प्रासंगिकता हो सकती है

अनुच्छेद 16 (4), लेकिन जहां तक अनुच्छेद 15 (4) का संबंध है, वास्तव में अप्रासंगिक है।

और 15 (5) संबंधित हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुच्छेद 16 (4) है

सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से संबंधित

और उस संदर्भ में सामाजिक और शैक्षिक रूप से अच्छा करना है

इस न्यायालय के निर्णयों को देखते हुए पिछड़े वर्गों को बाहर रखा जाना चाहिए। लेकिन यह तर्क वर्तमान विवाद पर लागू नहीं हो सकता है।

जो शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित है। इससे पहले

अपवर्जन की वांछनीयता के प्रश्न पर विचार करना

पर। इस अवधारणा पर विभिन्न मामलों में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ ध्यान देने की आवश्यकता है।

54. पृष्ठ 363 पर एन. एम. थॉमस के मामले (ऊपर) में, यह था

अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार देखा गया:

" 124. समाजशास्त्रीय सावधानी का एक शब्द। के प्रकाश में

अनुभव, यहाँ और कहीं और, का खतरा

" आरक्षण ", मुझे लगता है, तीन गुना है। इसके लाभ

और बड़े, की शीर्ष मलाईदार परत द्वारा छीन लिए जाते हैं

"पिछड़ी" जाति या वर्ग, इस प्रकार कमजोरों में से सबसे कमजोर को हमेशा कमजोर रखता है और भाग्यशाली को छोड़ देता है

पूरे केक को खाने के लिए परतें। दूसरा, लोकतंत्र में इस दावे को बड़े पैमाने पर और मुखर रूप से अतिरंजित किया जाता है

जिन समूहों पर पिछड़ेपन का बोझ रहा है

समय और उपायों के मार्च द्वारा काफी हद तक हल्का किया गया टोका कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

231

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

बेहतर शिक्षा और रोजगार के अधिक अवसर,

लेकिन एक साधन के रूप में "कमजोर खंड" लेबल पहनना चाहते हैं

उनके निकट-बराबर पर स्कोर औपचारिक रूप से के रूप में वर्गीकृत

ऊपरी कोष्ठक। अंत में, समस्या का एक स्थायी समाधान

सामाजिक वातावरण के सुधार से ही आता है,

अतिरिक्त शैक्षिक सुविधाएँ और अनुप्रस्थ निषेचन जातियों द्वारा अंतर-जाति और अंतर-वर्ग विवाह प्रायोजित

एक विशाल राज्य कार्यक्रम के रूप में, और यह समाधान है उच्च "पिछड़े" द्वारा दृश्य से छिपी हुई गणना

पिछड़ेपन के आलूबुखारे में निहित स्वार्थ वाले समूह।

लेकिन सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, न्यायिक प्रभाववाद नहीं,

केवल पूरी सच्चाई और एक निरंतर प्रक्रिया बताएगा

" आरक्षण को "उल्टा" कर दिया जाना चाहिए। भेदभाव "। प्रशासनिक रणनीति में नवाचार

वास्तव में अछूत, सबसे पिछड़े वर्गों की भी मदद करें

इस तरह के सामाजिक-कानूनी अध्ययनों और लेखापरीक्षा अभ्यासों से उभरकर,

अगर निष्पक्ष रूप से किया गया हो। वास्तव में, द्वारा किया गया शोध

ए. एन. सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना

हरिजनों के बीच एक दोहरे समाज का पता चला, एक छोटे से कुलीन गुट लाभ और गहरी परतों की सोने की दूरी बढ़ाएँ

विशेष रियायतों से दूर रहें। उनके लिए, अनुच्छेद 46

और 335 एक "महान रोमांस" बना हुआ है, बोनस जा रहा है

"उच्चतर" हरिजन। मैं वर्तमान मामले में इसका उल्लेख करता हूं।

क्योंकि निचले डिवीजन के क्लर्कों को आकर्षित किए जाने की संभावना है

हरिजन मानवता और संवर्धन का निम्नतम स्तर

कुछ समय के लिए वापस लेने की संभावनाओं में तेजी लाई जा रही है,

" इस श्रेणी के लिए "परीक्षण" योग्यताएँ शायद विस्तृत हो सकती हैं।

संरचना में कई हथियारों और नियम 13/एए का उपयोग करना पड़ता है। शायद एक है।

एक्सएक्स

XX

XX

139. यह निंदनीय संवैधानिक कानून है कि अनुच्छेद 14 -

16 गारंटीकृत समानता का एक सामान्य कोड है, पहला

व्यापक सिद्धांत को निर्धारित करते हुए, अन्य दो इसे लागू करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4

एस सी आर।

ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्रों के लिए

साम्प्रदायिकता और नौकरी के माहौल में विवादास्पद।

55. वसंत कुमार के मामले में (ऊपर) पृष्ठ 732 पर विचार

निम्नलिखित शब्दों में दोहराया:

" 24. श्री द्वारा दिए गए दृष्टिकोण की सराहना करने के लिए

देसाई जो मुझे अपने गहन अध्ययन के लिए दोनों से अपील करता है

समस्या, और इस परेशान समस्या पर एक नया दृष्टिकोण,

शुरुआत में मुझे भविष्य के दृष्टिकोण पर एक नज़र डालने दें

किसी भी संदेह में छोड़ दिया कि भविष्य का भारतीय समाज होना था जातिविहीन और वर्गहीन, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले

भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने

जाति और जनता की नींव को हिला दिया है शक्तिशाली रूप से प्रभावित हुआ। लेकिन इससे भी बड़ी शक्ति

गाँधी आधुनिक जीवन की स्थितियों पर काम कर रहे हैं-और यह

अंत में ऐसा लगता है कि यह पिछले समय की भद्दी और दृढ़ चाल है।

मरना पड़ता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा, " जैसा कि हम जानते हैं कि जाति व्यवस्था एक कालातीतता है। इसे होना ही चाहिए।

अगर हिंदू धर्म और भारत दोनों को जीना है और आगे बढ़ना है तो जाएं।

हर दिन "। इसे साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए

संवैधानिक लक्षय को नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा

जाति स्तरीकरण। अनुच्छेद 38 (2) राज्य को प्रयास करने का आदेश देता है।

आय में असमानता को कम करने और प्रयास करने के लिए

न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के समूहों के बीच भी व्यवसाय। अनुच्छेद 46 विशेष के साथ पदोन्नति करने के कर्तव्य का आदेश देता है।

लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जाति के लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की देखभाल करना।

जाति और अनुसूचित जनजाति, और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेंगे। जारी रखा। समाज के विभिन्न जातियों में विभाजन को बनाए रखने से स्थिति की असमानता पैदा होती है। और यह

स्थिति में असमानता काफी हद तक बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।

सुविधाओं और अवसरों में गुणवत्ता, अंततः परिणामस्वरूप

आर्थिक रूप से अवसादग्रस्त जोक्का कुमार ठाकुर बनाम को अस्तित्व में लाने में।

भारत और ओआरएस का संघ। 233

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

जाति संरचना और जाति बाधा को पार करने के लिए वर्ग।

इसलिए समाज को वर्गहीन जातिविहीन समाज बनना था।

इस तरह के समाज की स्थापना के लिए कदम उठाने होंगे

जाति संरचना को कमजोर करना और उत्तरोत्तर समाप्त करना।

दुर्भाग्य से, आंदोलन रिवर्स गियर में है। जाति

स्तरीकरण कुछ हद तक अधिक कठोर हो गया है, और

जहाँ रियायतें और पसंदीदा उपचार योजनाएं हैं

आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए शुरू किया गया,

जाति लेबल द्वारा पहचाने जाने योग्य, दुर्भाग्य से जाति संरचना जीवन का एक नया पट्टा प्राप्त किया। वास्तव में एक पागल भीड़ है

एक जाति से संबंधित होने के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए जो इसके द्वारा

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े होने के रूप में। जिस पर अपनी रिपोर्ट का प्रकाशन, गुजरात सरकार ने प्राप्त किया

उन जातियों के सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व जिन्होंने नहीं किया था

के लिए बख्शी आयोग को कोई प्रतिनिधित्व किया

उन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े के रूप में माना जाता है। इस घटना को मंडल आयोग ने तब देखा जब

यह देखा गया: " जबकि आयोग ने ओ. बी. सी. की राज्यवार सूचियों को यथासंभव व्यापक बनाने का प्रयास किया है।

यह काफी संभावना है कि सूचीबद्ध जातियों के कई पर्यायवाची शब्द

जैसा कि पीछे छोड़ दिया गया है। कुछ जातियाँ जानी जाती हैं।

कई समानार्थक शब्दों द्वारा जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होते हैं

दूसरा और उनका पूरा कवरेज लगभग है

यह अनुशंसा करते हुए कि यदि किसी विशेष जाति को सूचीबद्ध किया गया है जैसा कि इसके सभी समानार्थक शब्दों में उल्लेख किया गया है

राज्य सूचियाँ हों या न हों, उन्हें भी पिछड़ा माना जाना चाहिए। गुजरात सरकार को दूसरा नियुक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा

आयोग जिसे राणे आयोग के नाम से जाना जाता है। राणे

आयोग ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि एक सामाजिक रूप से माने जाने के लिए संगठित प्रयास और

शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियाँ। राणे आयोग बालाजी मामले में टिप्पणियों को याद किया कि "सामाजिक

पिछड़ेपन का अंतिम विश्लेषण [2008] 4 एस. सी. आर. का परिणाम है।

बहुत हद तक गरीबी "। आयोग ने गौर किया

कि कुछ जातियाँ सिर्फ होने के लिए

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े माने जाते हैं उन्होंने खुद को इस हद तक नीचा दिखाया कि उनके पास नहीं था

विभिन्न प्रकार के दोषों को श्रेय देने में हिचकिचाहट और पिछड़ेपन के संकेत देने वाले अन्य कारकों को जोड़ना,

उनकी जातियाँ। आयोग ने नोट किया कि अस्वस्थता

सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए आयोग ने,

सामाजिक रूप से निर्धारित करने के लिए एक विधि तैयार की और

जाति के संदर्भ के बिना शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग,

जाति की परवाह किए बिना सभी वर्गों के लोगों के लिए फायदेमंद

जिनसे वे संबंधित हैं। आयोग ने लिया फैसला

निर्विवाद निष्कर्ष यह है कि कुछ जातियों और समुदाय या लोगों का वर्ग, केवल निम्न आय समूह

इनमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग भी शामिल हैं।

हम यहाँ एन. एम. थॉमस के मामले में एक संक्षिप्त अवलोकन को याद कर सकते हैं जो (एस. सी. सी. pg.363 पैरा 124) के तहत पढ़ता है:

" समाजशास्त्रीय सावधानी का एक शब्द। के प्रकाश में

अनुभव, यहाँ और कहीं और, का खतरा
' मुझे लगता है कि 'आरक्षण' तीन गुना है। इसके फायदे,

बड़े पैमाने पर, 'पिछड़ी' जाति या वर्ग की शीर्ष मलाईदार परत द्वारा छीन लिए जाते हैं, इस प्रकार

कमजोरों में सबसे कमजोर हमेशा कमजोर और

भाग्यशाली परतों को पूरा उपभोग करने के लिए छोड़ दें
केक। दूसरा, इस दावे को अतिरंजित तरीके से पेश किया गया है

पिछड़ेपन का बोझ काफी बढ़ गया है
समय की प्रगति और बेहतर शिक्षा के उपायों और रोजगार के अधिक अवसरों से हल्का,

लेकिन एक साधन के रूप में 'कमजोर खंड' लेबल पहनना चाहते हैं

औपचारिक रूप से वर्गीकृत उनके निकट-बराबर पर स्कोर करने के लिए

ऊपरी कोष्ठक के रूप में "।

25. जाति को अस्वीकार करने के लिए कुछ अन्य पहलू

सामाजिक और शैक्षिक पहचान के लिए आधार

पिछड़ेपन को संक्षेप में नोट किया जा सकता है। यदि राज्य

पसंदीदा व्यवहार के लिए संरक्षण जाति को कुमार ठाकुर बनाम के रूप में स्वीकार करता है।

भारत और ओआरएस का संघ। 235

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

सामाजिक निर्धारण के लिए एकमात्र प्रतीक चिन्ह और

शैक्षिक पिछड़ेपन से बड़ा खतरा मंडरा रहा है

कि केवल यह दृष्टिकोण वैध होगा और

जाति व्यवस्था को कायम रखें। यह हमारे साथ अच्छा नहीं है

में प्रतिष्ठापित धर्मनिरपेक्ष चरित्र घोषित किया गया

संविधान की प्रस्तावना। यह धारणा कि

एक ही जाति के सभी सदस्य समान रूप से सामाजिक और

शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग अच्छी तरह से स्थापित नहीं हैं। इस तरह की

दृष्टिकोण एक का अति सरलीकरण प्रदान करता है

सामाजिक पहचान की जटिल समस्या और

शैक्षिक पिछड़ेपन। के अध्यक्ष 1953 में स्थापित पिछड़ा वर्ग आयोग

रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला कि "यह होगा

बेहतर होता अगर हम मानदंड निर्धारित कर पाते

जाति के अलावा अन्य सिद्धांतों पर पिछड़ेपन "। अंत में

यह असहमति के बिना माना जाता है कि जाति आधारित आरक्षण को आर्थिक रूप से हड़प लिया गया है

एक ही जाति में अच्छी तरह से रखा गया वर्ग। स्पष्ट करने के लिए,

यह इंगित किया जा सकता है कि कुछ साल पहले, मुझे निर्णय के खिलाफ विशेष छुट्टी के लिए एक याचिका मिली थी

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जिसमें

चिकित्सा में प्रवेश के लिए ढाई प्रतिशत आरक्षण

और इंजीनियरिंग कॉलेज माझाबी सिखों के पक्ष में

सिखों के बीच अनुसूचित जातियों के सदस्यों की ऊपरी परत द्वारा चुनौती दी गई थी

पंजाब में, यह साबित करते हुए कि लेबल किए गए कमजोर शोषण करते हैं

वास्तव में कमजोर। इसके अलावा, शोध के निष्कर्ष

समाजशास्त्रियों की सहायता के लिए योजना योजना मंडल आयोग ने कहा: जबकि

सामाजिक और शैक्षिक मानदंडों का निर्धारण

पिछड़ेपन को जुड़ा हुआ तत्व होना चाहिए, हालांकि जरूरी नहीं कि यह पूर्व से व्युत्पन्न हो। टीम ने अंततः यह निष्कर्ष निकाला गया कि "सामाजिक पिछड़ेपन का अर्थ है

निर्दिष्ट स्थिति के लिए, और यह सामाजिक माना जाता है

महत्वपूर्ण तत्व के रूप में पिछड़ेपन और सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हालांकि शैक्षिक पिछड़ेपन को जोड़ा जाएगा

व्युत्पन्न तत्व नहीं "। प्रयास सामाजिक रूप से पहचान करने का है।

और नागरिकों के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। द.

जाति, जैसा कि हिंदू समाज में समझा जाता है, अज्ञात है।

मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी आदि। जाति मानदंड एक विश्वसनीय पैमाना प्रदान नहीं करेगा

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समूह की पहचान करना

उपरोक्त समुदायों में हालांकि आर्थिक

पिछड़ेपन होगा।

28. किसी न किसी रूप में आरक्षण रहा है।

दशकों से। यदि सर्वेक्षण विभिन्न जातियों के परिवारों के संदर्भ में किया जाता है जिन्हें सामाजिक माना जाता है

और शैक्षिक रूप से पिछड़े, के लाभों के बारे में

पसंदीदा उपचार, यह स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि आरक्षण के लाभ छीन लिए जाते हैं

पिछड़ी जातियों की शीर्ष मलाईदार परत। यह

किसी भी कीमत पर इससे बचना चाहिए।

56. उल्लेखनीय रूप से इंद्र साहनी नंबर 1 में यह जोरदार था

डी इस प्रकार है:

" 520. समाज स्थिर नहीं रहता है। औद्योगीकरण और शहरीकरण जो अनिवार्य रूप से इसके बाद हुआ,

राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर प्रगति की गई

विशेष रूप से संविधान के प्रारंभ के बाद,

पिछले कई दशकों के सामाजिक सुधार आंदोलनों, शिक्षा का प्रसार और विशेष शिक्षा के लाभ

अब तक सुरक्षित किए गए आरक्षण सहित सभी प्रावधान हैं

निस्संदेह कम से कम कुछ व्यक्तियों और परिवारों को देखा है

पिछड़े वर्गों में, हालांकि संख्या में कम, प्राप्त कर रहे हैं

प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए पर्याप्त साधन

हर क्षेत्र में दूसरों के साथ। यह एक निर्विवाद तथ्य है। कानूनी तौर पर,

इसलिए, वे अब किसी भी रूप में बुलाए जाने के हकदार नहीं हैं

पिछड़े वर्गों का हिस्सा जो भी उनका मूल हो

पिछड़ा वर्ग, हमेशा एक पिछड़ा वर्ग। ऐसा होगा। 237 में बनाए गए विशेष प्रावधानों के उद्देश्य को विफल करना।

ओके कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

पिछड़े लोगों की उन्नति के लिए संविधान

वर्ग, और उन्हें और के स्तर पर आने में सक्षम बनाने के लिए

समान नागरिकों के रूप में अग्रगामी वर्गों के साथ प्रतिस्पर्धा करना।

दूसरी ओर, इस तरह के प्रदान करना जारी रखना पिछड़े वर्गों के उन्नत वर्ग विशेष

लाभ, समान रूप से असमान व्यवहार करने के बराबर होगा

संविधान के समानता प्रावधानों का उल्लंघन।

दूसरा, उन्हें बाकी पिछड़े लोगों के साथ श्रेणीबद्ध करना।

वर्ग समान रूप से समानता के अधिकार का उल्लंघन करेंगे

उन वर्गों में आराम करें, क्योंकि यह इलाज करने के बराबर होगा समान रूप से असमान। और क्या है, यह विकृत करने की ओर ले जाएगा

विशेष संवैधानिक प्रावधानों के उद्देश्य

इस प्रकार पिछड़े वर्गों के बीच आगे बढ़ेगा

बहिष्करण के लिए सभी विशेष लाभों को लेने में सक्षम

और उन वर्गों में बाकी की कीमत पर, इस प्रकार रखते हुए

बाकी निरंतर पिछड़ेपन में। का उद्देश्य

विशेष संवैधानिक प्रावधान कुछ का उत्थान करने के लिए नहीं हैं। पिछड़े वर्गों में व्यक्ति और परिवार लेकिन

पिछड़े वर्गों की उन्नति सुनिश्चित करना

पूरा। इसलिए, बीच से आगे निकालना

पिछड़े वर्ग न केवल अनुमेय हैं बल्कि अनिवार्य भी हैं

संविधान के तहत। हालांकि, यह जोड़ना आवश्यक है

कि पिछड़े समूहों के पिछड़ेपन के रूप में

की प्रगति के संदर्भ में मापा नहीं जा सकता है

आगे के समूह, इसलिए आगे की ओर भी

पिछड़े वर्गों के बीच को शब्दों में नहीं मापा जा सकता है उक्त के पिछड़े वर्गों के पिछड़ेपन का

कक्षाएँ। इसे सामाजिक आधार पर आंका जाना चाहिए।

फॉरवर्ड के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनके द्वारा प्राप्त क्षमताएँ

कक्षाएँ। जब तक व्यक्ति संबंधित हैं

पिछड़े वर्ग पर्याप्त क्षमताओं का विकास नहीं करते हैं

दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनके अपने, वे शायद ही हो सकता है

आगे के रूप में वर्गीकृत।

XX

XX

XX

629. अधिक पिछड़े और पिछड़े एक भ्रम है। नहीं।

इसके लिए संवैधानिक अभ्यास की आवश्यकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट की आवश्यकता है

[2008] 4

एस सी आर।

समस्या के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण। सामूहिकता या समूह पिछड़ा वर्ग हो सकता है लेकिन व्यक्तियों से

उस वर्ग ने सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति प्राप्त की होगी

समृद्धि। उन्हें आरक्षण का दावा करने से वंचित कर दें।

इसलिए, पिछड़े वर्गों के लिए पद आरक्षित करते हुए,

विभागों को एक शर्त रखनी चाहिए कि प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी वार्षिक आय का खुलासा करना चाहिए।

माता-पिता जिनके अलावा किसी को माना नहीं जा सकता था

पीछे की ओर। वह सीमा क्या होनी चाहिए जो निर्धारित की जा सकती है

उपयुक्त राज्य द्वारा। आय के अलावा प्रावधान होना चाहिए उन पिछड़े वर्गों के लोगों के वार्ड बनाए जाएँ

जिन्होंने समाज में एक विशेष दर्जा प्राप्त किया है

राजनीतिक या सामाजिक या आर्थिक या यदि उनके माता-पिता राज्य में हैं उच्च सेवाएँ तो ऐसे व्यक्तियों को बाहर रखा जाना चाहिए

के लिए आरक्षित सेवाओं के एकाधिकार से बचने के लिए

कुछ पिछड़े वर्ग। इस प्रकार, मलाईदार परत खड़ी होगी।

हटा दिया गया। और एक बार जब एक समूह या सामूहिकता स्वयं पाई जाती है

संवैधानिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तो यह होना चाहिए

पिछड़े वर्ग की सूची से बाहर रखा जाए। इसलिए,

(1) आर्थिक मानदंड पर कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।

(2) यह अनुच्छेद 16 (4) के तहत हो सकता है यदि ऐसा वर्ग संतुष्ट करता है

अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का परीक्षण।

ऐसे व्यक्तियों को हटाने के लिए विधायी या कार्यकारी कार्रवाई व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से संवैधानिक रूप से अमान्य नहीं हो सकता है।

एक्सएक्स

XX

XX

790. ' मतलब-इस चर्चा में 'परीक्षण' का अर्थ है थोपना। आय सीमा, व्यक्तियों को बाहर करने के उद्देश्य से

(पिछड़े वर्ग से) जिसकी आय से अधिक है

कहा सीमा। इस प्रस्तुति को अक्सर "मलाईदार परत" तर्क के रूप में संदर्भित किया जाता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कुछ नामित पिछड़े वर्गों के सदस्य उच्च हैं

सामाजिक के साथ-साथ आर्थिक और शैक्षिक रूप से उन्नत। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वे फॉरवर्ड ओ. के. ए. कुमार ठाकुर बनाम का गठन करते हैं।

भारत और ओआरएस का संघ। 239

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

उस विशेष पिछड़े वर्ग का अनुभाग-जितना आगे

कोई अन्य अग्रगामी वर्ग का सदस्य और वे हैं

इसके लिए आरक्षण के सभी लाभों को शामिल करना

वर्ग, लाभों को उस वर्ग के वास्तव में पिछड़े सदस्यों तक पहुंचने की अनुमति दिए बिना। ये लोग हैं

कोई मतलब नहीं है कि पिछड़े और उनके साथ एक वर्ग नहीं हो सकता है

पीछे माना जाता है। यह बताया गया है कि जयश्री के बाद से

लगभग हर निर्णय ने इसकी वैधता को स्वीकार किया है।

प्रस्तुत करना।

791. दूसरी ओर, राज्यों के लिए विद्वान वकील

बिहार, तमिलनाडु, केरल और उत्तरदाताओं के अन्य वकील इस तरह के किसी भी भेदभाव का कड़ा विरोध करते हैं। यह है।

प्रस्तुत किया कि एक बार एक वर्ग की पहचान पिछड़े के रूप में की जाती है

एक बार फिर मानदंड और पिछड़े वर्ग को दो उप-श्रेणियों में विभाजित करें। तमिलनाडु राज्य के लिए वकील उन्होंने आगे कहा कि एक स्तर पर (जुलाई 1979 में) राज्य ने

तमिलनाडु ने वास्तव में इस तरह की आय सीमा निर्धारित की थी, लेकिन व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए इसे हटाना पड़ा। सामना किया गया और अभ्यावेदनों को भी ध्यान में रखते हुए

प्राप्त हुआ। इस ओर से, विद्वान वकील ने हमें आमंत्रित किया

अध्याय 7-एच (पृष्ठ 60 से 62) पर ध्यान दें।

अंबाशंकर आयोग (तमिलनाडु दूसरा)

पिछड़ा वर्ग आयोग) रिपोर्ट। के अनुसार

उत्तरदाताओं का 'मलाईदार परत' का तर्क केवल एक चाल, एक चाल है, जो पिछड़े वर्गों को इससे वंचित करने के लिए है।

आरक्षण का लाभ। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई सदस्य नहीं

पिछड़ा वर्ग इस दलील के साथ आगे आया है और कि

इस मुद्दे को उठाने के लिए आगे के वर्गों के सदस्य नहीं बनते हैं। वसंत कुमार में चिन्नाप्पा रेड्डी, जे के अवलोकनों पर निम्नलिखित पर मजबूत निर्भरता रखी गई है:

प्रभाव (एससीसी p.763, पैरा 72)

" ..... हालाँकि, इस आलोचना के लिए एक चेतावनी दर्ज करनी चाहिए कि आरक्षण के लाभ अक्सर पिछड़े वर्ग या जाति की शीर्ष मलाईदार परत द्वारा छीने जाते हैं।

उनके बीच अधिक भाग्यशाली द्वारा छीन लिया जाता है यह कहने के लिए नहीं कि आरक्षण आवश्यक नहीं है। यह बाध्य है

हमारे जैसे प्रतिस्पर्धी समाज में ऐसा होना। क्या अनारक्षित सीटें और पद नहीं छीने गए हैं?

उसी तरह, समाज की शीर्ष मलाईदार परत से? सीटें

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित को हटा लिया जाता है

उनके बीच शीर्ष परतें योग्यता के उसी सिद्धांत पर हैं जिस पर अनारक्षित सीटें छीन ली जाती हैं

समाज के शीर्ष स्तर। यह कैसे बुरा हो सकता है अगर आरक्षित सीटों और पदों को मलाईदार परत द्वारा छीन लिया जाए

पिछड़े वर्गों का, यदि इस तरह से छीनना

समाज के शीर्ष मलाईदार स्तर द्वारा अनारक्षित पद

बुरा नहीं है? " 792. हमारी राय में, यह अनुमति का सवाल नहीं है या

इस तरह के परीक्षण की वांछनीयता लेकिन एक उचित और अधिक

एक वर्ग की उचित पहचान-एक पिछड़ा वर्ग।

वर्ग की अवधारणा ही कई व्यक्तियों को दर्शाती है।

कुछ सामान्य लक्षण हैं जो उन्हें अलग करते हैं

अन्य लोग। अनुच्छेद के खंड (4) के तहत पिछड़े वर्ग में

16 , अगर जोड़ने वाली कड़ी सामाजिक पिछड़ेपन है, तो यह

किसी दिए गए वर्ग में मोटे तौर पर समान होना चाहिए। यदि कुछ सदस्य सामाजिक रूप से बहुत अधिक उन्नत हैं (जो

संदर्भ का अर्थ अनिवार्य रूप से आर्थिक रूप से होता है और इसका अर्थ शैक्षिक रूप से भी हो सकता है) उनके बीच जोड़ने वाला धागा। और शेष वर्ग स्नैप करता है। वे गलत होंगे

वर्ग को। उन्हें अकेले बाहर करने के बाद, क्या वर्ग एक कॉम्पैक्ट वर्ग होगा। वास्तव में, इस तरह के बहिष्कार से वास्तव में लाभ होता है

पीछे की ओर। हालाँकि, कठिनाई वास्तव में चित्र बनाने में निहित है

रेखा-कैसे और कहाँ रेखा खींचनी है? के लिए, चित्र बनाते समय

रेखा, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसका परिणाम नहीं है जो एक हाथ से दिया जाता है उसे दूसरे हाथ से ले जाते हैं। द.

बहिष्करण का आधार केवल आर्थिक नहीं होना चाहिए, जब तक कि निश्चित रूप से आर्थिक प्रगति इतनी अधिक न हो कि

अनिवार्य रूप से सामाजिक उन्नति का अर्थ है। आइए हम समझाते हैं

बिन्दु। ओ. के. ए. कुमार ठाकुर बनाम के एक सदस्य का कहना है कि पिछड़े वर्ग का एक सदस्य।

बढ़ई जाति, मध्य पूर्व में जाता है और वहाँ काम करता है

एक बढ़ई। यदि आप उसकी वार्षिक आय को रुपये में लेते हैं, तो यह

यह भारतीय मानक से काफी ऊँचा होगा। क्या वह होना चाहिए?

पिछड़े वर्ग से बाहर? क्या उनके बच्चे हैं?

भारत को अनुच्छेद 16 (4) के लाभ से वंचित किया जाएगा? स्थिति.

हालाँकि, अलग हो सकता है, अगर वह आर्थिक रूप से इतना ऊपर उठ जाता है

स्वयं एक कारखाने का मालिक बनने के बारे में कहें। ऐसे में

स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति भी बढ़ती है। वह खुद होगा दूसरों को रोजगार प्रदान करने की स्थिति में। ऐसे में

उसकी आय केवल उसकी सामाजिक स्थिति का एक पैमाना है।

अन्यथा भी कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं।

आय की सीमा लागू करने में। उदाहरण के लिए, वार्षिक

Rs.36,000 की आय इस तरह के शहर में ज्यादा नहीं हो सकती है।

बॉम्बे, दिल्ली या कलकत्ता जबकि यह एक सुंदर जगह हो सकती है।

ग्रामीण भारत में कहीं भी आय। खींची जाने वाली रेखा अनिवार्य है

यथार्थवादी बनें। एक और सवाल यह होगा कि क्या ऐसा होना चाहिए?

एक रेखा पूरे देश या किसी दिए गए राज्य के लिए एक समान हो या क्या यह ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों आदि में भिन्न होना चाहिए। इसके अलावा,

कृषि से आय का आकलन करना मुश्किल हो सकता है और इसलिए, किसानों के मामले में, लाइन हो सकती है

धारण की सीमा के संदर्भ में खींचा जाना। जबकि

किसी व्यक्ति की आय को उसकी सामाजिक उन्नति के माप के रूप में लिया जा सकता है, निर्धारित की जाने वाली सीमा नहीं होनी चाहिए

ऐसा हो कि एक हाथ से क्या ले जा रहा है

दूसरे के साथ दिया। आय सीमा ऐसी होनी चाहिए कि -

मतलब और सामाजिक प्रगति को दर्शाता है। साथ ही,

यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि कुछ पद हैं, जिनमें रहने वालों को सामाजिक रूप से उन्नत माना जा सकता है।

बिना किसी और पूछताछ के। उदाहरण के लिए, यदि एक सदस्य

नामित पिछड़ा वर्ग आई. ए. एस. का सदस्य बना

या आई. पी. एस. या कोई अन्य अखिल भारतीय सेवा, उसका दर्जा समाज है।

(सामाजिक स्थिति) बढ़ती है; वह अब सामाजिक रूप से नहीं है

वंचित। उनके बच्चों को एहसास करने का पूरा मौका मिलता है। उनकी क्षमता। वे किसी भी तरह से विकलांग नहीं हैं

जीवन की दौड़। 793. इन सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए, हम सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों को निर्देशित करते हैं

[2008] 4

एस सी आर।

बहिष्करण का आधार निर्दिष्ट करने के लिए भारत सरकार

चाहे आय, स्वामित्व की सीमा के आधार पर हो या

अन्यथा-'मलाईदार परत' का। यह जल्द से जल्द किया जाएगा।

यथासंभव, लेकिन चार महीने से अधिक नहीं। ऐसे में

शासन अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य नहीं रहेंगे। वर्ग ('पिछड़े वर्ग' अभिव्यक्ति द्वारा कवर किए गए)

13 अगस्त, 1990 के कार्यालय ज्ञापन और 25 सितंबर, 1991 को केवल निम्नलिखित के अधीन लागू किया जाएगा:

इस तरह के विनिर्देशन और सामाजिक रूप से उन्नत का बहिष्कार

द्वारा विचार किए गए पिछड़े वर्गों के व्यक्ति

ओ. एम. ने कहा, दूसरे शब्दों में, चार महीने की समाप्ति के बाद आज से उक्त ओ. एम. का कार्यान्वयन होगा

के अनुसार 'मलाईदार परत' के बहिष्करण के अधीन

भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के साथ

और अन्यथा नहीं "। 57. इंद्र साहनी बनाम। भारत संघ (1996) 6 एस. सी. सी. 506

आयु 508) यह निम्नानुसार नोट किया गया था:

" 3. इसके बाद मामला फिर से अदालत के समक्ष आया।

20-3-1995 पर। यह पाते हुए कि केरल राज्य ने ऐसा नहीं किया है

कोई भी कदम उठाया, इस अदालत ने कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया

इसका पालन न करने पर कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए?

अदालत का आदेश। मामला फिर से 10-7-1995 पर सामने आया।

उस तारीख को भी अनुपालन की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।

न्यायालय को; इसके बजाय प्रमुख द्वारा शपथ लिया गया एक शपथ पत्र

राज्य के सचिव को यह समझाते हुए सौंपा गया कि

निर्णय के कार्यान्वयन की परिस्थितियाँ

देरी हुई।

XX

XX.

XX

5. परिस्थितियों में, पूरी तरह से थकावट और होने के कारण

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केरल अधिनियम की संवैधानिकता

16 1995 का इस न्यायालय के समक्ष निपटान लंबित है, हमारे पास है

"मलाईदार" के बारे में खुद जानकारी प्राप्त करने का फैसला किया

एक उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से एक स्तर का मुद्दा।

ओके कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

243

[डॉ. अरिजीत पासायत,। जे.]

6. तदनुसार, हम विद्वान मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं

केरल उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा

उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष होगा न्यायालय

केरल राज्य में "नामित अन्य पिछड़े वर्गों" के बीच "मलाईदार परत" की पहचान करने के लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मंडल मामले में इस न्यायालय के फैसले का प्रकाश और

रिपोर्ट को 3 महीने के भीतर इस अदालत को भेजें

इस आदेश की प्राप्ति की तिथि "। 58. इंद्र साहनी संख्या 2 में इसे इस प्रकार देखा गया था:

" 7. हमारा संविधान समानता की अवधारणा से जुड़ा हुआ है

केवल जाति के आधार पर भेदभाव न करना। सामाजिक और शैक्षिक रूप से लोगों के उत्थान के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं। पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिलाओं और बच्चों के लिए। अनुच्छेद 16 (4) सशक्त करता है

राज्यों में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने के लिए

किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियाँ या पद नागरिक जो, राज्य की राय में, पर्याप्त रूप से नहीं हैं

राज्य के अधीन सेवाओं में प्रतिनिधित्व। आरक्षण

अनुमेय है (i) नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में; और (ii) यदि इसमें पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है।

राज्य के अधीन सेवाएँ।

8. आरक्षण का आधार केवल जाति नहीं हो सकती।

आरक्षण किसी पिछड़े वर्ग के नागरिक के लिए हो सकता है

विशेष जाति। इसलिए, उस जाति से, मलाईदार परत और नागरिकों के गैर-पिछड़े वर्ग को होना चाहिए

बहिष्कृत। अगर जाति को ध्यान में रखना है तो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का पता लगाने के लिए जाति की मलाईदार परत को समाप्त करना होगा।

आरक्षण का लाभ देना, क्योंकि वह मलाईदार परत सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट है

एस सी आर।

इसे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा नहीं कहा जा सकता है।

इन प्रश्नों को नौ लोगों द्वारा पूरी तरह से निपटाया जाता है।

इंद्र साहनी बनाम में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ। संघ का

भारत और यह विशेष रूप से माना गया है कि "केवल जाति" नहीं हो सकती है।

आरक्षण का आधार बनें।

9. पिछड़े वर्गों की सूची में जातियों को शामिल करना यांत्रिक नहीं हो सकता है और पर्याप्त मात्रा के बिना नहीं किया जा सकता है।

प्रासंगिक डेटा। न ही इसे बाहरी कारणों से किया जा सकता है। इसी तरह, एक पिछड़े वर्ग की आवधिक परीक्षा हो सकती है

यदि यह सामाजिक रूप से पिछड़ा होना बंद कर देता है तो इसके बहिष्कार की ओर ले जाता है।

या यदि सेवाओं में इसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व किया जाता है। एक बार

पीछे, हमेशा पीछे स्वीकार्य नहीं है। जो भी हो,

"मलाईदार परत" का आरक्षण प्रणाली में कोई स्थान नहीं है।

10. यदि अग्रवर्ती वर्गों को यांत्रिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया जाता है या यदि उनमें क्रीमी परत शामिल है।

पिछड़े वर्गों को बाहर नहीं किया जाता है, तो आरक्षण का लाभ वास्तव में पिछड़े लोगों तक नहीं पहुंचेगा।

पिछड़े वर्ग। तब अधिकांश लाभ समाप्त हो जाएँगे।

आगे की जातियों और मलाईदार परत से दूर। वह होगा।

सही मायने में पीछे, हमेशा के लिए पीछे छोड़ दें।

XX

एक्सएक्सएक्स

XX

13. इंद्र साहनी में पिछड़े वर्गों से "मलाईदार परत" के बहिष्कार के सवाल पर कहा गया था,

नौ विद्वान न्यायाधीशों में से आठ के बीच समझौता

यह न्यायालय। इसमें पाँच अलग-अलग निर्णय थे।

जिसके लिए "मलाईदार परत" की पहचान करने की आवश्यकता थी

और बहिष्कृत।

XX

XX

XX

22. जैसा कि आठ में से छह के निर्णयों से पता चलता है

न्यायाधीश, अर्थात। जीवन रेड्डी (अपने और तीन अन्य लोगों के लिए),

सावंत और सहाय, जेजे। — (यानी नौ में से छह विद्वान न्यायाधीश)-वे विशेष रूप से उच्च सेवाओं में उन लोगों को संदर्भित करते हैं

जैसे आई. ए. एस., आई. पी. एस. और अखिल भारतीय सेवाएँ या लगभग ओ. के. ए. कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 245

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

वे व्यक्ति जो सामाजिक स्तर के उच्च स्तर पर पहुँच गए हैं उन्नति और आर्थिक स्थिति और इसलिए एक

कानून की बात है, ऐसे व्यक्तियों को घोषित किया जाता है कि वे होने के हकदार नहीं हैं

पीछे माना जाता है। इन्हें मलाईदार माना जाना चाहिए। परत "आगे की जांच के बिना"। इसी तरह, रहने वाले लोग

कृषि भूमि स्वामित्व या संपत्ति से आय प्राप्त करना, एक सीमा से परे, पिछड़े से बाहर रहना होगा

कक्षाएँ। यह, हमारी राय में, एक न्यायिक घोषणा है। इस न्यायालय द्वारा बनाया गया।

एक्सएक्स

XX

XX

27. जैसा कि पिछड़े वर्ग में "मलाईदार परत" होनी है आगे के वर्गों के साथ "बराबर" व्यवहार किया जाता है और नहीं किया जाता है

आरक्षण के लाभों के हकदार, यह स्पष्ट है कि यदि

" मलाईदार परत "को बाहर नहीं किया गया है, भेदभाव होगा

और समान रूप से अनुच्छेद 14 और 16 (1) का उल्लंघन

असमान व्यवहार किया जाए। पुनः, मलाई का गैर-अपवर्जन परत अनुच्छेद 14,16 (1) और 16 (4) का भी उल्लंघन करेगी।

भारत के संविधान का असमान होने के बाद से (क्रीमी)

परत) को बराबर नहीं माना जा सकता है, अर्थात, बराबर

बाकी पिछड़े वर्ग के लिए। इन दोहरे पहलुओं

फैसले में भेदभाव को विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है

सावंत, जे. जहाँ विद्वान न्यायाधीश ने निम्नानुसार कहाः (एस. सी. सी पी. 553, पैरा 520)

पिछड़े वर्ग का इलाज करने के बराबर होगा
समान रूप से असमान "।

इस प्रकार, कोई भी कार्यकारी या विधायी कार्रवाई जो बाहर करने से इनकार करती है

आरक्षण के लाभों से क्रीमी परत सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट होगी।

[2008] 4

एस सी आर।

यह अनुच्छेद 14 और 16 (1) और अनुच्छेद 16 (4) का भी उल्लंघन करता है।

हम धारा 3,4 और 6 की वैधता की जांच करेंगे।

उपरोक्त सिद्धांत का प्रकाश।

एक्सएक्स

एक्सएक्सएक्स

XX

64. भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोर दिया गया है

समानता का सिद्धांत हमारे संविधान के लिए बुनियादी है। केशवानंद भारती बनाम। केरल राज्य में यह शासन था कि

यहां तक कि संवैधानिक संशोधन जो मूल को आहत करते हैं

संरचना। सीकरी, सी. जे. ने बुनियादी विशेषताओं पर जोर दिया संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित और कहा गया है कि

कि अन्य बुनियादी विशेषताएं भी थीं जो हो सकती थीं

संवैधानिक योजना से एकत्र किया गया (पैरा 506-ए

एससीसी)। समानता उन बुनियादी विशेषताओं में से एक थी जिनका उल्लेख किया गया था

हमारे संविधान की प्रस्तावना में। शेलट और ग्रोवर,

जे जे। में निर्दिष्ट बुनियादी अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है

प्रस्तावना। उन्होंने विशेष रूप से समानता का उल्लेख किया (पैरा।

520 और 535-एस. सी. सी. का ए)। हेगड़े और शेलट, जे. जे. प्रस्तावना का भी उल्लेख किया गया है (पैरा 648,652)। रे, जे. (उनके रूप में)

तब था) ने भी ऐसा किया (पैरा 886)। जगमोहन रेड्डी, जे.

प्रस्तावना और समानता सिद्धांत का भी उल्लेख किया गया है

(पैरा 1159)। खन्ना, जे. ने इस पद को स्वीकार किया (पैरा।

1471) . मैथ्यू, जे. ने समानता को एक बुनियादी विशेषता के रूप में संदर्भित किया

(पैरा 1621)। द्विवेदी, जे. (पैरा 1882,1883) और चंद्रचूड़, जे. (जैसा कि वे उस समय थे) (पैरा 2086 देखें)

इस पद को स्वीकार किया। 65. हमारा कहना है कि संसद और

इस देश में विधायिका बुनियादी नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती।

संविधान की विशेषता, अर्थात्, अनुच्छेद 14 में निहित समानता का सिद्धांत, जिसका अनुच्छेद 16 (1) एक पहलू है। क्या मलाईदार परत को बाहर नहीं रखा गया है या क्या पिछड़ी जातियों को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया जाता है

, स्थिति वही होगी, अर्थात्, कि वहाँ होगा

न केवल अनुच्छेद 14 का बल्कि संविधान की मूल संरचना का भी उल्लंघन

संविधान। मलाईदार परत का गैर-अपवर्जन अशोक कुमार ठाकुर v.

भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

या पिछड़ी जातियों को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करना।

संवैधानिक द्वारा भी स्थायी होने की अनुमति दी गई
संशोधन। इसलिए केरल विधानमंडल इस तरह के अवैध भेदभाव को कायम रखने के लिए कम से कम सक्षम है।

संसद भी क्या नहीं कर सकती, केरल विधानमंडल

हासिल नहीं कर सकते। "

59. हालांकि एम. नागराज के मामले में (ऊपर) कुछ

जहाँ तक अनुसूचित जातियों के लिए सिद्धांतों की प्रयोज्यता है, सामान्य प्रकृति के अवलोकन किए गए हैं और

अनुसूचित जनजातियों का संबंध है, वास्तव में यह मामला संबंधित नहीं था

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ। ऐसा ही है

यहाँ स्थिति। एम. नागराज के मामले में पहचान परीक्षण पर ध्यान केंद्रित

(सुप्रा) असाधारण है। पैराग्राफ 80 और 110 में इसे इस प्रकार नोट किया गया था:

" 80. निष्कर्ष निकालने से पहले, हम निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं

एम. जी. बडप्पनवर में यह न्यायालय। उस मामले में तथ्य
वे इस प्रकार थे। अपीलकर्ता सामान्य उम्मीदवार थे। वे.

उन्होंने तर्क दिया कि जब वे और आरक्षित उम्मीदवार

स्तर-1 पर नियुक्त किए गए थे और कनिष्ठ आरक्षित उम्मीदवारों को पहले स्तर तक रोस्टर अंकों के आधार पर पदोन्नत किया गया था
2 और फिर से रोस्टर के माध्यम से-स्तर-3 पर अंक, और जब वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार स्तर-3 पर पदोन्नत हो गया,

तब सामान्य उम्मीदवार उससे वरिष्ठ हो जाएगा

' स्तर-3 पर आरक्षित उम्मीदवार। स्तर-3 पर, आरक्षित

उम्मीदवार के साथ विचार किया जाना चाहिए था

स्तर-4 तक पदोन्नति के लिए वरिष्ठ सामान्य उम्मीदवार। में।

अपने तर्क के समर्थन में, अपीलकर्ताओं ने इस पर भरोसा किया

अजीत सिंह (द्वितीय) मामले में संविधान पीठ का निर्णय। अपीलार्थियों द्वारा उठाई गई उपरोक्त दलीलों को खारिज कर दिया गया।

न्यायाधिकरण द्वारा। इसलिए, सामान्य उम्मीदवार आए

अपील में यह न्यायालय। इस न्यायालय ने तथ्यों पर पाया कि संबंधित सेवा नियम में गणना पर विचार नहीं किया गया था

रोस्टर पदोन्नति के संबंध में वरिष्ठता। निर्भरता स्थापित करना
अजीत सिंह (आई) और विरपाल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट में इस अदालत के फैसले पर

[2008] 4

एस सी आर।

सिंह, इस अदालत ने माना कि रोस्टर पदोन्नति का मतलब था केवल उचित प्रतिनिधित्व के सीमित उद्देश्य के लिए

सेवा के विभिन्न स्तरों पर पिछड़े वर्ग और,

इसलिए, इस तरह के रोस्टर पदोन्नति प्रदान नहीं किए गए

रोस्टर-पॉइंट प्रमोटर के लिए परिणामी वरिष्ठता। में।

अजीत सिंह (द्वितीय), परिपत्र जिसने वरिष्ठता दी

रोस्टर-पॉइंट पदोन्नति को अनुच्छेदों का उल्लंघन करने वाला माना गया

14 और 16. यह आगे एम. जी. बडप्पनवर में आयोजित किया गया था कि

समानता संविधान की मूल विशेषता है और कोई भी समानों के साथ असमान व्यवहार या किसी भी प्रकार का व्यवहार

बराबर के रूप में असमान ने मूल संरचना का उल्लंघन किया

संविधान। इस प्रस्ताव के लिए, इस न्यायालय ने रखा

धारण करते समय इंद्र साहनी में निर्णय पर निर्भरता

कि अगर पिछड़े वर्गों के बीच मलाईदार परत दी गई थी

पिछड़े वर्गों के रूप में कुछ लाभ, यह राशि होगी

असमान व्यवहार किए जाने के बराबर है। क्रीमी लेयर परीक्षण को लागू करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि यदि रोस्टर-पॉइंट पदोन्नति दी जाती है

परिणामी वरिष्ठता, यह समानता सिद्धांत का उल्लंघन करेगी

जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और

ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 16 (4ए) भी कोई मददगार नहीं हो सकता है।

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए। यही एकमात्र इस न्यायालय का निर्णय तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया

यह कहते हुए कि यदि रोस्टर-पॉइंट पदोन्नतियों को परिणामी वरिष्ठता का लाभ दिया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप समानता का उल्लंघन होगा

सिद्धांत जो मूल संरचना का हिस्सा है

संविधान। तदनुसार, न्यायाधिकरण का निर्णय था

एक तरफ रख दें।

XX

XX

XX

110. जैसा कि ऊपर बताया गया है, शक्ति की चौड़ाई की सीमाएँ, अर्थात्, 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा (संख्यात्मक सीमा)

बेंचमार्क), मलाईदार परत का सिद्धांत, सम्मोहक कारण, अर्थात्, पिछड़ेपन, अपर्याप्तता

प्रतिनिधित्व और समग्र प्रशासनिक दक्षता

विवादित संशोधनों से समाप्त नहीं होते हैं। जिसमे उचित समय, हमें कानून को अधिनियमित के रूप में विचार करना होगा

चुनौती दिए जाने पर आरक्षण प्रदान करने वाले विभिन्न राज्यों द्वारा।

जोका कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 249

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

उस समय हमें यह देखना होगा कि क्या सीमाएँ हैं

शक्ति के प्रयोग का उल्लंघन किया जाता है। राज्य व्यायाम करने के लिए स्वतंत्र है। के अधीन आरक्षण प्रदान करने का उसका विवेकाधिकार

सीमा, अर्थात्, कि बाध्यकारी कारण मौजूद होने चाहिए

समग्र प्रशासनिक को ध्यान में रखते हुए पद दक्षता। यह स्पष्ट किया जाता है कि भले ही राज्य के पास कारण हों

आरक्षण देने के लिए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, यदि विवादित कानून चौड़ाई पर उपरोक्त मूल सीमाओं में से किसी का उल्लंघन करता है

उसी शक्ति को अलग कर दिया जाएगा "।

60. एक लेखक का एक दिलचस्प लेख है

मैटिव एक्शन जो इस प्रकार है:

" 26 नवंबर 1949 को अपने बहुप्रचारित भाषण में,

डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि भारत अपनी मान्यता चाहता था

बंधुत्व का सिद्धांत। बंधुत्व का क्या अर्थ है?

भ्रातृत्व का अर्थ है सभी के बीच साझा भाईचारे की भावना। भारतीय-भारत के लोग एक हैं। स्वतंत्रता के गुण

अपने आप से बंधुत्व का निर्माण न करें। यही कारण है कि कई उदार सिद्धांतकार इस बारे में अनिश्चित हैं कि वे कहते हैं या नहीं।

हस्तक्षेप की अनुमति दी जानी चाहिए जब का मुद्दा

अभावों पर काबू पाने की चिंता है। केंद्रीय तब चिंता यह है कि 'सामान्य' की भावना कैसे पैदा की जाए

अलग-अलग इतिहास वाले लोगों के बीच भाईचारा और

जो आर्थिक और आर्थिक क्षेत्रों में काफी अलग-अलग पदों पर हैं।

समाज की सामाजिक संरचना।

इससे पहले कि हम विशिष्टताओं पर चर्चा करते रहें

भारत में जाति और आरक्षण यह दर्ज करने योग्य है कि

स्वतंत्रता और समानता कभी-कभी विरोधाभासी हो सकती है।

तैनात हैं। यही कारण है कि लोकतंत्र के लिए यह महत्वपूर्ण है

इन समुदाय-आधारित शिकायतों का निवारण

ऐसा ढांचा जो उदार सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता हो। जबकि व्यक्ति की रक्षा करने की आवश्यकता है, वहाँ व्यक्ति हैं

कुछ समूहों और समुदायों में जिन्हें सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है

और समर्थन भी। आखिरकार यह याद रखना चाहिए कि

समुदाय नागरिक नहीं बनाते हैं, बल्कि वे सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट बनाते हैं

एस सी आर।

समुदायों के भीतर नागरिक। इसके अलावा, जबकि यह बल्कि जोखिम भरा है कहते हैं कि समुदायों के अधिकार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है

कि उदार लोकतंत्रों के भीतर, व्यक्तियों के अधिकार हैं।

वास्तव में, इन अधिकारों को ऐतिहासिक रूप से सुरक्षित किया गया था ताकि व्यक्तियों को समुदाय द्वारा बोझ न डाला जाए और उन पर सम्मोहक दबाव।

सकारात्मक कार्रवाई के पीछे तर्क यह है कि

दबी हुई प्रतिभाओं को मुक्त करता है और सामाजिक विकास के पूल का विस्तार करता है

सामान्य भलाई के लिए समाज में परिसंपत्तियाँ। अगर आज हम इस तरह से सकारात्मक कार्रवाई के लिए एक औचित्य की तलाश में,

कई दशक पहले यह ठीक इसी तरह का विस्तार था समान व्यवहार की सिफारिश करने वाली प्रतिभाओं का सामाजिक पूल

महिलाओं के लिए। जैसा कि एल. टी. हॉबहाउस ने तब तर्क दिया था कि जब महिलाएं

दबाया जाता है तो सभी तत्वों का नुकसान होता है सामान्य स्टॉक जो महिला के दिमाग का स्वतंत्र खेल है

योगदान देंगे। अर्जित प्रतिभाओं का योग बढ़ाकर

समाज में व्यक्ति वास्तव में अधिक अंतर प्राप्त कर सकते हैं

उनके रोजमर्रा के जीवन में व्यक्तिपरकता। जैसा कि उनके बीच समानताओं का सेट अब इतना बड़ा है, वे

अभ्यास कर सकते हैं, रॉल को गति दे सकते हैं, नैतिक नियम

एक-दूसरे के भाग्य में भाग लेना। इस प्रक्रिया में, भ्रातृ

नागरिकता के मूल्यों से भौतिकता और पूर्ति प्राप्त होती है। इसे होना चाहिए।

नागरिकों के बीच समानताओं का एक बुनियादी समूह। यह समानता की अवधारणा नागरिकों के समान होने के बारे में है

संस्थागत सुविधाओं का लाभ उठाने में सक्षम जो उन्हें सुनिश्चित करती हैं

उन कौशलों का अधिग्रहण जिन्हें सामाजिक माना जाता है मूल्यवान है। दूसरे शब्दों में, व्यक्तिगत आत्म-विस्तार के लिए सामाजिक अवसर मौजूद हैं, और अब केवल व्यक्ति ही हैं।

जो खुद को अलग कर सकते हैं। अगर गरीबी को कुचलना ऐसे सामाजिक रूप से मूल्यवान कौशल प्राप्त करने के रास्ते में आता है, तो वे

विकासात्मक हस्तक्षेपों द्वारा खंडों को पूरा किया जाना चाहिए जैसे कि गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के रूप में। लेकिन किसी भी मामले में नहीं होना चाहिए

गरीबी उन्मूलन को पर्यायवाची बनाया जाए

आरक्षण। आरक्षण केवल उन लोगों के बीच आत्मविश्वास और गरिमा का एक पैमाना बनाने के लिए है जिन्होंने जोक कुमार ठाकुर बनाम नहीं किया।

भारत और ओआरएस का संघ। 251

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

एक वैकल्पिक जीवन का सपना देखने की हिम्मत करें। लेकिन अकेले ऐसा नहीं हो सकता।

संरचनात्मक स्थितियाँ बनाएँ जो मूल कारणों को संबोधित करती हैं गरीबी से।

यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक शिक्षा प्रदान करना

बोर्ड भर में मूल्यवान कौशल प्रदान किए जाते हैं

आरक्षण, फिर वह शिकायत का ध्यान रखेगा

सकारात्मक कार्रवाई काफी हद तक परिणामों की समानता के बारे में है।

निष्पक्षता के रूप में न्याय का रॉल्स का सिद्धांत केवल यह कहता है कि कार्यालय

सभी के लिए खुला होना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर लोग योग्य नहीं हैं

इन कार्यालयों की संभावनाएँ बनी हुई हैं

अपर्याप्त योग्यताओं के कारण अवास्तविक

गरीबी द्वारा मिश्रित भेदभाव के इतिहास से,

या, वास्तव में, उप-मानक शिक्षा के कारण? करता है? इसका मतलब है कि सकारात्मक भेदभाव के माध्यम से और

आरक्षण, उन्हें वैसे भी ये नौकरियां दी जानी चाहिए

संस्थाओं के कल्याण की परवाह किए बिना? इस संबंध में,

आंद्रे बेटिले की चेतावनी कि सकारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए

संस्थागत कल्याण के प्रति संवेदनशील होने को भी याद रखने की आवश्यकता है। बेटेली ने विभिन्न अनिवार्यताओं के बीच पड़ताल की

कि विभिन्न संगठनों को इसके तहत शामिल किया जाता है और

तदनुसार आरक्षण के सावधानीपूर्वक अंशांकन की सलाह दी गई

इस तरह से कि प्रदर्शन के ये प्रावधान नहीं करते हैं प्रदर्शन की दक्षता को कम करता है। समानताएँ

सकारात्मक कार्रवाई के संदर्भ में जिनकी वकालत की जा रही है, उनकी व्याख्या सजातीय के संदर्भ में नहीं की जानी चाहिए।

' समान '। समानता वह है जो मध्ययुगीन धार्मिक है

कट्टरपंथियों का लक्षय है। दूसरी ओर, का समूह

संवैधानिक लोकतंत्र में समानताएं बढ़ती हैं समानता और समानता नहीं समान प्रदान करके

सभी को आत्म-अभिव्यक्ति और विकास के अवसर। नागरिकता जीवन शैली या आय की समानता के बारे में नहीं है। मार्शल की नागरिकता की धारणा एक स्थिति के रूप में जो

समानता की ओर झुकाव की व्याख्या इस संदर्भ में की जानी चाहिए।

मार्शल के अनुसार, समानता कि नागरिकता

गारंटी वह आधार होना चाहिए जिस पर अन्य प्रकार के मतभेद विकसित हो सकते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि मतभेद मौजूद रहेंगे।

समानताओं का एक न्यूनतम सेट स्थापित होने के बाद भी। लेकिन ये अब दुर्घटनाओं के परिणाम नहीं होंगे

जन्म। जब विविधता पसंद के बाहर मौजूद होती है तो यह ऐसी स्थिति नहीं है जिससे एक लोकतांत्रिक समाज खुश हो सके।

में। सकारात्मक कार्रवाई का दायरा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है

भिन्नता और विविधता, लेकिन यह ऐसा करने में सफल होता है

सबसे पहले यह सुनिश्चित करना कि नागरिक सामाजिक रूप से हासिल करने की अपनी क्षमता में बहुत महत्वपूर्ण स्तर पर एक दूसरे से मिलते-जुलते हों।

मूल्यवान कौशल।

भारत में सकारात्मक कार्रवाई कुछ जटिल हो जाती है

जाति की राजनीति के कारण।

निर्विवाद रूप से भारत दुनिया का सबसे स्तरीकृत समाज है।

संसार। जाति भेदों के अलावा भी हैं

आय में भारी असमानता, धार्मिक और सामुदायिक मतभेद जो रोजमर्रा की सामाजिक स्थिति में गहराई से उत्कीर्ण हैं

संबंध। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जाति और समुदाय की प्रकृति

समय के साथ बातचीत बदल गई है, लेकिन विचार

वर्णनात्मक रेखाएँ अभी भी महत्वपूर्ण मार्कर बनी हुई हैं, दोनों

सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में।

न केवल अब हम पहचान के दावों का सामना कर रहे हैं

सांसारिक किसान जातियाँ, जिन्हें पहले निम्न श्रेणी में रखा गया था

शूद्र (या मेनिया), लेकिन उन लोगों के भी, जो हाल तक,

उन्हें अछूत कहा जाता था। अब हम यह भी जानते हैं कि कोई नहीं

इन जातियों ने कभी भी अपनी विचारधारा को स्वीकार किया था

अवक्रमित स्थिति। फिर भी वे अपना विनम्र जीवन चुपचाप बिताते थे।

विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को आहत करने के डर से पीढ़ियों के लिए।

अब हम उनकी मूल कहानियों के बारे में अधिक जानते हैं जो उन ऊंचे पदों का दावा करते हैं जो वे एक बार पहले रखते थे

जाति आंदोलनों और पहचान के दावों के लिए। अब कि मंडल की सिफारिशें लागू हैं, आरक्षण केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए नहीं है, बल्कि जोका कुमार ठाकुर बनाम के लिए है।

भारत और ओआरएस का संघ।

253

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

तथाकथित अन्य पिछड़ी जातियाँ भी। जबकि वहाँ

पिछड़ी के रूप में सूचीबद्ध बड़ी संख्या में जातियाँ हैं,

इस श्रेणी के लिए आरक्षण की मांग की गई है मालिक वर्ग के नेतृत्व में-कृषक, या किसान

मालिकों। इससे पहले कि हम मंडल सुधारों का आकलन करें

यह जानना उपयोगी होगा कि ये किसान जातियाँ कैसे उभरीं।

जमींदारी उन्मूलन लागू होने के बाद, वयस्क

मताधिकार और लैंड-टू-द-टिलर कार्यक्रम को एक साथ मजबूर किया गया

गाँव। हालाँकि, जल्द ही, पारंपरिक किसान जातियाँ जैसे कि अहिर, कुर्मी, कोइरी, लोध, राजपूत और जाटों के रूप में

उत्तर भारत के राजनीतिक क्षेत्र पर हावी होने लगा। में।

दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, वन्नियार और

तेवर मुखर हो गए हैं और कर्नाटक में उनका नियंत्रण है।

1950 के दशक के मध्य में पारंपरिक ग्रामीण क्षेत्र से लूटा गया था।

वोक्कालिगाओं द्वारा कांग्रेस पार्टी के भीतर अभिजात वर्ग और

लिनागयाट्स।

XX

XX

XX

संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसरण में,

कालेलकर आयोग की स्थापना 1955 में की गई थी लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका

किसे होना चाहिए, इसके बारे में किसी भी संतोषजनक निष्कर्ष पर पहुँचें

वैध रूप से ओ. बी. सी. माना जाता है। द मंडल

आयोग 1980 में अस्तित्व में आया और यह तुरंत 3, 743 पिछड़ी जातियों की एक लंबी सूची के साथ आया

सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का आधार। मंडल आयोग की सिफारिशें थीं -

इसे 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वी. पी. सिंह द्वारा लागू किया गया था।

इसका मतलब था कि शिक्षा में और 29 प्रतिशत सीटें

संस्थान और सरकारी नौकरियां अब आरक्षित होंगी।

ओ. बी. सी के लिए।

ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण का कार्यान्वयन शुरू हुआ

कुछ आत्महत्याओं सहित विरोध प्रदर्शनों का हंगामा, पूरे देश में

देश उन लोगों द्वारा जिन्हें सदस्य माना जाता है

अग्रगामी जातियाँ। कई लोगों ने महसूस किया कि ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण था

दो कारणों से आवश्यक नहीं है। सबसे पहले, यह भारत (2008) को 4 एस. सी. आर. बना देगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून द्वारा एक जाति समाज; और, दूसरा, क्योंकि कई

जिन्हें ओ. बी. सी. माना जाता है वे वास्तव में काफी अच्छे हैं।

ग्रामीण भारत में शक्तिशाली और प्रभावशाली। स्पष्ट संदर्भ

जाटों और यादवों के लिए था। अधिकांश सामाजिक मानवविज्ञानी मुख्य रूप से इन आधारों पर ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण के खिलाफ लिखा। आंद्रे बेटिले की मंडल की आलोचना

आयोग की सिफारिशों पर व्यापक रूप से टिप्पणी की गई। वह ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण में अंतर करते हैं।

मंडल की सिफारिशों और आरक्षण का पालन करना

जो पहले से ही अनुसूचित के लिए संविधान में दिए गए थे

जातियाँ और जनजातियाँ। जबकि अनुसूचित जातियों के लिए प्रावधान

और जनजातियाँ पहुँचने के इरादे से थीं अधिक समानता, ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण वास्तव में लाने के लिए थे

जाति की गणना पर शक्ति के संतुलन के बारे में। द. अछूतों से वंचित होने का प्रकार (अनुसूचित)

जातियों) और आदिवासियों (अनुसूचित जनजातियों) का सामना करना पड़ा

ओ. बी. सी. की स्थिति। इसके अलावा, कई ओ. बी. सी. काफी हैं। आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से ग्रामीण भारत में शक्तिशाली। में।

वास्तव में, मंडल आयोग की सिफारिशें वास्तव में एक शक्तिशाली ग्रामीण लॉबी को दे रही थीं जो वास्तव में नहीं थी

अवसरों की समानता की उतनी ही परवाह करें जितनी उन्होंने की

परिणामों की समानता।

XX

XX

XX

दो विचार हैं जो कई से बच जाते हैं

सकारात्मक कार्रवाई के गैर-महत्वपूर्ण अनुप्रयोग। सबसे पहले, सकारात्मक

कार्रवाई को किसी भी प्रवृत्ति का विरोध करना चाहिए जिससे इसके लाभार्थी

निहित स्वार्थ बन जाते हैं। और दूसरी बात, यह अंततः होना चाहिए

अपने स्वयं के विघटन की तलाश करें। जबकि दूसरा बहुत दूर हो सकता है, यह पहले मुद्दे पर ध्यान देने से है कि

सकारात्मक कार्रवाई के लिए अंततः खुद को नष्ट करना संभव है।

विरोधाभासी जैसा कि यह प्रतीत हो सकता है, लेकिन जब ऐसा होता है तो यह होता है

फिर वह सकारात्मक भेदभाव अंततः जीत गया है।

सकारात्मक कार्रवाई इस अंतिम गंतव्य तक पहुंचने में विफल रही

जब इसे असंगत रूप से लागू किया जाता है, या जब इसके लाभार्थी जोका कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 255

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

एक लोकतांत्रिक चुनाव के भीतर निहित स्वार्थ समूह का गठन करें केवल वर्णनात्मक पहचान के आधार पर प्रणाली। बाद वाला

एक मजबूत व्यावहारिक और बौद्धिक चुनौती प्रस्तुत करता है

सकारात्मक कार्रवाई की नीति। जब तक ऐतिहासिक

अभाव और आर्थिक पिछड़ेपन एक साथ चलते हैं। और उनके बीच संबंध सांख्यिकीय रूप से बहुत है

मजबूत, रंग या जाति की सदस्यता तैयार के रूप में कार्य कर सकती है

सकारात्मक कार्रवाई के लाभार्थियों को लक्षित करने के लिए गणना करने वाले।

हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इनमें सदस्यता

समुदायों को व्यक्तियों को हमेशा के लिए लाभ पहुंचाना चाहिए

एक बार जब वे न्यूनतम सेट विकसित करने में सक्षम हो जाते हैं

समानताएँ। इसलिए, जब और जब वे संबंधित हैं

सकारात्मक कार्रवाई हासिल करने के लिए लक्षित श्रेणियों के लिए सामाजिक रूप से उपयोगी प्रतिभाओं और विशेषताओं के लिए, उन्हें योगदान देना चाहिए

उन्हें समग्र रूप से समाज के लिए, और न केवल उन्हें नियोजित करें

विभागीय लाभों के लिए।

नतीजतन, जिन लोगों को इस नीति से लाभ होता है, वे अपनी नई अर्जित सामाजिक प्रतिभाओं को वापस लाने के लिए समाज के ऋणी हैं सामूहिक सामाजिक पूल में। इसका मतलब यह है कि वे

स्वत: सकारात्मक के दायरे से बाहर हो जाएगा

भविष्य में कार्य योजना। जाल अब नहीं रहेगा

उन्हें कवर करें क्योंकि उनके पास पहले से ही सामाजिक रूप से उपयोगी संपत्ति है।

वास्तव में समाज अधिक समृद्ध और बेहतर संपन्न होगा।

सकारात्मक कार्रवाई के लाभार्थियों के रूप में इसका लेखा अब प्रतिभाओं के सामाजिक पूल में योगदान करना शुरू करें। यह

सामाजिक और सामग्री दोनों को जारी करेगा और जोड़ देगा समानताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से नीति को जारी रखने के लिए आवश्यक संसाधन। नतीजतन, समाज

नीति के साथ उत्तरोत्तर उच्च हड़ताल दर प्राप्त करेंगे

उन लोगों तक पहुँच कर सकारात्मक कार्रवाई करना जो अब तक इसके दायरे से बाहर हो गए हैं। संख्या में वृद्धि करके

जिनके पास समानताओं का न्यूनतम सेट है,

समाज के पास अब पहले की तुलना में विभिन्न क्षेत्रों और विशिष्टताओं में प्रतिभाओं का एक बड़ा खजाना है। इस तरह सकारात्मक कार्रवाई, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक है

वंचित वर्ग, अंततः सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में बहुत सुधार करते हैं

एस सी आर।

समाज में सभी। यदि, दूसरी ओर, या तो रंग या

दौड़, जो केवल तैयार गणनाकर्ता हैं, स्थायी हो जाते हैं जीवनी को ध्यान में रखे बिना विचार

वास्तविक और संभावित लाभार्थियों की रूपरेखा, तब जो बंधुत्व को बाधित करेगी और स्थायी जीवन के बीज बोएगी

समाज में विभाजन।

सकारात्मक कार्रवाई परिसंपत्तियों को रखने से शुरू होती है

एक सामूहिक पूल में बेहतर, पुनर्वितरण के लिए नहीं, बल्कि

बुनियादी ढांचे का निर्माण करें जो बढ़ाने के लिए आवश्यक है

मूल के लिए आवश्यक समानताओं का न्यूनतम सेट

नागरिकता। इस राजधानी की मदद से, सामाजिक रूप से मूल्यवान

परिसंपत्तियाँ अब उन स्थानों पर बनाई जाती हैं जहाँ कोई नहीं थी। इस उपाय का एक मजबूत व्यावहारिक आयाम है

इस सामूहिक पूलिंग नई परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा रहा है। द.

ऐसी नई परिसंपत्तियों का निर्माण संभव है क्योंकि प्रारंभिक

विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की परिसंपत्तियों का पूलिंग अनुमति देता है

समाज के लिए किए गए खर्चों को अंडरराइट करने के लिए

समाज में कुछ आधारभूत समानताओं की स्थापना समग्र रूप से। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि

किसी का वर्णनात्मक बैज नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से निर्माण

मूल्यवान परिसंपत्तियाँ, यह उम्मीद की जाती है कि जो

योजना के लाभार्थी धीरे-धीरे योजना से बाहर हो जाएंगे।

नेट। वे सामूहिक पूल से प्राप्त करना बंद कर देंगे

नीति संबंधित है कि वे कुछ के लंबे सदस्य नहीं हैं निर्दिष्ट जातियाँ या समुदाय। वे अब बस हैं

नागरिक।

पारित करने में यह परिप्रेक्षय में रखने योग्य है कि

भारत में आरक्षण और सकारात्मक के बीच अंतर अमेरिका में कार्रवाई यह है कि पहला जाति के उन्मूलन के बारे में बात करता है जबकि दूसरा मुख्य रूप से रुचि रखता है

नस्लों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि उच्चारण प्रतिनिधित्व पर है तो

वर्णनात्मक कारक एक स्थायी बैज बन जाता है जिसे कभी भी दूर नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर, अमेरिकी नस्ल में विश्वास करते हैं

प्रतिनिधित्व, कोटा में नहीं, और त्याग नहीं करने में सामाजिक न्याय के लिए मानक। लेकिन आशा कुमार ठाकुर बनाम के बीच बहुत समानता है।

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

तरजीही नीति के दो रूप यह हैं कि दोनों ही मामलों में

क्या सार्वजनिक क्षेत्र है जहाँ सकारात्मक भेदभाव है

प्रभावी ढंग से महसूस किया। अमेरिका में, राज्य निजी क्षेत्र की इकाइयों को विभिन्न प्रकार के लोगों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित करता है
विभिन्न नस्लों के लिए कोटा निर्दिष्ट किए बिना पृष्ठभूमि।

अगर ये उद्यम एक उचित नस्लीय मिश्रण दिखा सकते हैं तो वे

सरकार से तरजीही अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं। द.

राज्य किसी भी निजी क्षेत्र की इकाई को लागू करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है।

सकारात्मक कार्रवाई। यह सद्भावना का एक संयोजन है और

पुरस्कार जो निजी तौर पर सकारात्मक कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं

अमेरिका का क्षेत्र। उदाहरण के लिए, बॉब जोन्स विश्वविद्यालय

कोई सार्वजनिक धन प्राप्त नहीं करता है और इसलिए, यह सकारात्मक कार्रवाई को स्वीकार करने से इनकार करता है, यहां तक कि सबसे मौन प्रकार की भी।

यह केवल तभी होता है जब संगठन राज्य के वित्त पोषण पर निर्भर होते हैं, या

जब वे राज्य द्वारा पुरस्कृत होना चाहते हैं, तो उस नीति का

सकारात्मक कार्रवाई जीवन में आती है।

61. इंद्र साहनी संख्या 2 (ऊपर) में यह सही देखा गया है कि क्या मलाईदार परत को बाहर नहीं रखा गया है या आगे की ओर।

पिछड़े वर्गों की सूची में वर्गों को बाहर रखा जा सकता है,

अनुच्छेद 14 लेकिन संविधान की मूल संरचना का। जैसा कि था। उक्त मामले में उचित रूप से देखा गया, क्रीमी का गैर-बहिष्कार

पिछड़े वर्ग की सूचियों में अगड़ी जातियों की परत या समावेश

कक्षाएं पूरी तरह से अवैध होंगी। अवैधता जड़ों को आहत करती है और

संविधान की नींव और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है

चिरस्थायी।

62. नायर सर्विस सोसाइटी के मामले में (ऊपर) यह न्यायालय

निम्नलिखित रूप में देखा गया:

" 54. इस प्रकार, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कानून निर्धारित किया है

क्रीमी परत का निर्धारण इसका एक हिस्सा है

संवैधानिक योजना "। 63.
हमारे विचार में, क्रीमी परत का गैर-बहिष्कार भी

शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के उद्देश्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह अकल्पनीय है कि एक व्यक्ति जो संबंधित है मलाईदार परत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई है।

पिछड़ेपन की स्थिति तब गायब हो जाती है जब कोई इसका हिस्सा बन जाता है

मलाईदार परत।

64. वसंत कुमार के मामले (ऊपर) में इसका उचित वर्णन किया गया था।

कि आरक्षण का लाभ शीर्ष द्वारा छीन लिया जाता है

पिछड़े वर्गों की मलाईदार परत और इससे बचना होगा

किसी भी कीमत पर। मलाईदार परत को शामिल करके या दूसरे शब्दों में जिन लोगों को जीवन का एक नया पट्टा देना चाहिए, उन्हें इसमें शामिल न करना

छोड़ दिया गया है। उनकी निरंतरता का मतलब होगा

कमजोरों में से सबसे कमजोर को हमेशा कमजोर रखना और छोड़ना

भाग्यशाली लोग जो लाभ का आनंद लेते हैं। अगर अंतिम लक्षय एक है

जातिविहीन और वर्गविहीन समाज के सपने के अनुरूप संविधान निर्माता जिन्हें चबाया जाना चाहिए। पिता के रूप में

राष्ट्र ने एक बार कहा था कि क्या जाति व्यवस्था जैसा कि हम जानते हैं

एंकरोनिज्म, तो यह जाना चाहिए। एक भावना है और यह नहीं हो सकता है

बिना किसी कारण के कहा कि आरक्षण इस विश्वास की जड़ पर प्रहार करता है और इसके उन्मूलन के बजाय निरंतरता देखी जा सकती है।

समय की एक छोटी अवधि लेकिन यह कमी का कोई जवाब नहीं है गुमनामी की मांग में गंभीरता।

65. इंद्र साहनी संख्या 1 (ऊपर) में निम्नलिखित

आरक्षण पर प्राथमिकता देने के सवाल पर टिप्पणियाँ

महत्वपूर्ण हैं। यह आयोजित किया गया था:

" 293. आरक्षण के बिना वरीयता को अपनाया जा सकता है
के लिए निर्धारित करके नागरिकों के चुने हुए वर्गों का पक्ष

उन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने या पुरस्कार देने के लिए एक लंबी अवधि होती है।

अतिरिक्त अंक या अन्य लाभ देना जैसे

आयु में छूट या अन्य न्यूनतम आवश्यकताएँ। (देखें।

केरल और अन्र राज्य में तरजीही उपचार। वी.

एन. एम. थॉमस और ओआरएस। (1976) 1 एससीआर 906)। इसके अलावा, यह राज्य के विवेक के भीतर होगा कि वह प्रदान करे

ऐसे व्यक्तियों को अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता,

छात्रवृत्ति, शुल्क रियायतें आदि। इस तरह की प्राथमिकताएं या लाभ अतिरिक्त के लिए अस्थायी बैसाखी की तरह हैं।

पिछड़े और अन्य सदस्यों को सक्षम बनाने के लिए समर्थन

वंचित वर्ग आगे बढ़ें और मुकाबला करें जोका कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 259

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

बाकी लोगों के साथ। इन वरीयताओं को बढ़ाया जाता है।

उनके लिए योग्यता के आधार पर खुले चयन में प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थता के कारण

लोक सेवा में पदों पर नियुक्ति और इस तरह या के लिए

शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के लिए चयन। इस तरह की प्राथमिकताएं हो सकती हैं

नागरिकों के सभी वंचित वर्गों तक विस्तारित, चाहे

या नहीं वे पूर्व भेदभाव के शिकार हैं। क्या योग्यता है

वरीयता के लिए व्यक्ति पिछड़ेपन या नुकसान है

किसी भी प्रकार का जो राज्य की जिम्मेदारी है

सुधार करें। अंधे और बहरे, गूंगे और

विकलांग, और अन्य विकलांग व्यक्ति योग्य हैं

वरीयता। इसलिए नागरिकों के अन्य सभी वर्ग जो किसी भी कारण से तुलनात्मक रूप से नुकसान में हैं, और

चाहे वे पूर्व भेदभाव के शिकार हों या नहीं। ये सभी व्यक्ति कम प्राथमिकता वाले लाभार्थी हो सकते हैं।

बाध्यकारी राज्य हित। 294. इस तरह की प्राथमिकताओं के अलावा, कोटा हो सकता है

सार्वजनिक सेवाओं में विशेष रूप से आरक्षित पद प्रदान किए गए या

पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सीटें ऐसी सुरक्षा के लिए। आरक्षण का उद्देश्य निवारण करना है

एक उच्च डिग्री का पिछड़ेपन। आरक्षण का पहला चरण

ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक स्वतंत्र और खुले चयन के बिल्कुल विपरीत है। यह.

नापसंद वर्गों का भेदभावपूर्ण बहिष्कार है

योग्य उम्मीदवार। एम. आर. बालाजी (ऊपर)। यह कोई मामला नहीं है

केवल एक लाभ या रियायत प्रदान करने का या

पिछड़े वर्गों और अन्य के पक्ष में वरीयता

वंचित समूह। यह एक बाधा भी नहीं है

अग्रगामी वर्गों को नुकसान पहुँचाना ताकि एक

के बीच गुणात्मक या सापेक्ष समानता का माप

दो समूह। आरक्षण जिसमें शामिल नहीं है

उन सभी व्यक्तियों पर विचार करें जो विशेष रूप से बाहर आते हैं

पसंदीदा समूह, गुण और योग्यता की परवाह किए बिना, बहुत अधिक सकारात्मक और कठोर भेदभाव है-हालांकि [2008] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गुणात्मक समानता के समान लक्षय को प्राप्त करने के लिए-लेकिन जब तक कि

सख्ती से और संकीर्ण रूप से एक सम्मोहक संवैधानिक के अनुरूप

अधिदेश, यह एक सौम्य भेदभाव के रूप में अर्हता प्राप्त करने की संभावना नहीं है। अन्य सकारात्मक कार्य कार्यक्रमों के विपरीत,

पिछड़ेपन अपने आप में पर्याप्त नहीं है

आरक्षण। आरक्षण के लिए जो योग्य है वह पिछड़ेपन है जो चिन्हित अतीत का परिणाम है।

भेदभाव और जो की तुलना में है

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। आरक्षण

एक उपचारात्मक कार्रवाई है जो विशेष रूप से दुष्प्रभावों को संबोधित करती है

ऐतिहासिक भेदभाव से उत्पन्न। इस महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज करना एक उपाय के रूप में पूर्व निर्धारित कोटा द्वारा आरक्षण और आरक्षण से कम सकारात्मक कार्रवाई के बीच अंतर

पिछली असमानताओं के लिए विशेष विशेषता को नजरअंदाज करना है

विशेष रूप से संबोधित शक्ति का संवैधानिक अनुदान संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त पिछड़ेपन।

XX

XX

XX

अनुसूचित जातियों के मामले में भेदभाव और अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों के अन्य वर्गों में

तुलनीय पद। अन्य सभी मामलों में, अधिमान्य

आरक्षण की कमी का उपचार अपनाया जा सकता है। ऐसा कोई भी

कार्रवाई, हालांकि कुछ मामलों में भेदभावपूर्ण है

तर्कसंगत रूप से सभी में समानता की प्राप्ति से संबंधित पहलू।

एक्सएक्स

XX

XX

323 (16) . अंतिम विश्लेषण में, गरीबी जो अंतिम है

असमानताओं का परिणाम और जो तत्काल कारण है और

पिछड़ेपन के प्रभाव को केवल उपरोक्त आरक्षण से ही नहीं, बल्कि मुफ्त चिकित्सा सहायता से भी समाप्त करना होगा।

और अन्य वित्तीय सहायता, मुफ्त आवास, स्व-रोजगार और निपटान योजनाएं, भूमि का प्रभावी कार्यान्वयन जोक्का कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

261

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

सुधार, कानून का सख्त और निष्पक्ष संचालन-प्रवर्तन मशीनरी, औद्योगीकरण, सड़कों, पुलों का निर्माण,

पुलिया, नहरें, बाजार, परिवहन की शुरुआत, मुफ्त

पानी, बिजली और अन्य सुधारात्मक उपायों की आपूर्ति

विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में

नागरिकों के वर्ग।

(जोर देने के लिए रेखांकित)

66. एम. आर. बालाजी बनाम में निम्नलिखित टिप्पणियाँ। की स्थिति

अयस्क (ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 649) भी प्रासंगिक हैं:

" इस संबंध में यह याद रखना आवश्यक है कि

यह सर्वविदित है कि जागृति के परिणामस्वरूप राजनीतिक स्वतंत्रता, नागरिकों के सभी वर्गों एक दिखा रहे हैं

अपने बच्चों को उच्च विश्वविद्यालय देने की बढ़ती इच्छा

शिक्षा और इसलिए, विश्वविद्यालयों को सामना करने के लिए कहा जाता है

इस बढ़ती मांग की चुनौती। जबकि यह आवश्यक है

कि उच्च शिक्षा की मांग जो इस प्रकार है

साल दर साल वृद्धि को पर्याप्त रूप से पूरा किया जाना चाहिए और

ठीक से चैनलाइज्ड, हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि

उच्च शिक्षा के मानकों की मांग को पूरा करना विश्वविद्यालयों को कम नहीं किया जाना चाहिए। बड़ी मांग

शिक्षा को बड़ी संख्या में शुरू करके पूरा किया जा सकता है

शैक्षणिक संस्थान व्यावसायिक विद्यालय और

पॉलिटेक्निक। लेकिन यह राष्ट्रीय हित के खिलाफ होगा।

हमारे योग्य विश्वविद्यालयों के पोर्टल से बाहर करने के लिए और इस आधार पर सक्षम छात्र कि सभी सीटें

विश्वविद्यालय कमजोर तत्वों के लिए आरक्षित हैं

समाज। जैसा कि विश्वविद्यालय शिक्षा द्वारा देखा गया है

कमीशन ", वह वास्तव में अंधा होना चाहिए जो नहीं देखता है

राजनीतिक परिवर्तन जितने शक्तिशाली हैं, उससे कहीं अधिक गहरे हैं। मौलिक प्रश्न जिनका निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा

विश्वविद्यालयों में होता है "(पी। 32)। अतः इसमें

के औचित्य के बारे में सवाल पर विचार करना विवादित आदेश द्वारा किया गया आरक्षण, हम खो नहीं सकते

इस तथ्य को देखते हुए कि आरक्षण [2008] 4 एस. सी. आर. के संबंध में किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा। तकनीशियनों की मांग,

देश की आगे की आर्थिक प्रगति के लिए वैज्ञानिक, डॉक्टर, अर्थशास्त्री, इंजीनियर और विशेषज्ञ

यदि योग्यता के विचारों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है तो ब्याज सभी तकनीकी, चिकित्सा या इंजीनियरिंग कॉलेजों या उस तरह के संस्थानों में सीटों का पूर्ण-बिक्री आरक्षण।

इसलिए, राष्ट्रीय हित के विचार और

समग्र रूप से समुदाय या समाज के हित नहीं हो सकते। इस प्रश्न का निर्धारण करने में उपेक्षा की जाए कि क्या

कला द्वारा परिकल्पित विशेष प्रावधान। 15 (4) विशेष हो सकता है

इस संबंध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने माना कि

पिछड़े समुदायों को सहायता की समस्या, यह पाया गया कि आरक्षण का प्रतिशत नहीं होगा

सीटों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक, और यह जोड़ा गया है कि आरक्षण के सिद्धांत को अपनाया जा सकता है

दस साल की अवधि के लिए। (पी। 53)।

हम पहले ही देख चुके हैं कि केंद्र सरकार

राज्य को उसके संचार ने सुझाव दिया है कि

पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण और

अनुसूचित जनजातियाँ सीमान्त के साथ 25 प्रतिशत तक हो सकती हैं अपवादात्मक मामलों में 10 प्रतिशत से अधिक समायोजन नहीं।

विद्वान महाधिवक्ता ने सुझाव दिया है कि

कमजोरों के लिए बड़ी संख्या में सीटों का आरक्षण

समाज के वर्ग गहराई को प्रभावित नहीं करेंगे या

छात्रवृत्ति की दक्षता, और इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया है

पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि उसे कोई शिकायत नहीं मिली

आरक्षित कोटे के लिए अन्य पिछड़े वर्ग कई दशकों से प्रचलन में हैं। समिति ने आगे कहा यह देखा गया कि उच्च वर्गों के प्रतिनिधियों ने भारत और ओआरएस के कार्यालयों में दक्षता की कमी के बारे में कोई शिकायत नहीं की।

263

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे। ;

आरक्षण द्वारा भर्ती (पृ. 135)। लेकिन यह राय,

जो अपरिहार्य होने के लिए बाध्य है, उसके साथ स्पष्ट रूप से असंगत है उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा में आरक्षण का परिणाम।

यदि व्यावसायिक और तकनीकी महाविद्यालयों में प्रवेश है अनुचित रूप से उदारीकृत यह तर्क देना बेकार होगा कि गुणवत्ता

हमारे स्नातकों को कोई नुकसान नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि

उस ओर से इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसे बाहर न किया जाए उच्च शिक्षा केंद्रों में योग्य और योग्य लोगों को प्रवेश

समाज के ऐसे वर्ग जो राज्यों पर पहला आरोप लगाते हैं और केंद्रों को हितों के साथ समायोजित करना होगा

समग्र रूप से समुदाय इनका समायोजन

प्रतिस्पर्धी दावे निस्संदेह एक कठिन मामला है, लेकिन अगर

एक विशेष प्रावधान बनाने की आड़ में, एक राज्य व्यावहारिक रूप से सभी कॉलेजों में उपलब्ध सभी सीटों को आरक्षित करता है,

यह स्पष्ट रूप से कला के उद्देश्य को नष्ट करना होगा। 15 (4) . इस मामले में फिर से, हम निश्चित रूप से क्या कहने के लिए अनिच्छुक हैं यह एक उचित प्रावधान होगा। आम तौर पर बोलना

और व्यापक रूप से एक विशेष प्रावधान कम होना चाहिए।

प्रत्येक मामले में प्रासंगिक प्रचलित परिस्थितियाँ। में। यह विशेष मामला उल्लेखनीय है कि जब राज्य ने 10 जुलाई, 1961 को अपना आदेश जारी किया, तो उसने दृढ़ता से व्यक्त किया

उनकी राय है कि नागन गौड़ा समिति द्वारा अनुशंसित 68 प्रतिशत आरक्षण राज्य के व्यापक हित में नहीं होगा। 10 जुलाई के बीच क्या हुआ,

1961 , और 31 जुलाई, 1962, अभिलेख पर नहीं आता है।

लेकिन राज्य ने अपना मन बदल लिया और अपनाया समिति की पहले की सिफारिशों को नजरअंदाज करते हुए

निर्णय कि उक्त सिफारिश इसके विपरीत थी

राज्य के व्यापक हित। हमारी राय में, जब [2008] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य कला में निर्दिष्ट समाज के कमजोर वर्गों की उन्नति के लिए एक विशेष प्रावधान करता है। 15 (4) यह

अपने कार्य को वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत रूप से करना है

तरीके से। निस्संदेह, इसे कमजोर लोगों की प्रगति में मदद करने के लिए उचित और उदार कदम उठाने होंगे

तत्व; समस्या का विस्तार भारित होना चाहिए,

बड़े पैमाने पर समुदाय की आवश्यकताओं को वहन किया जाना चाहिए

मन और एक सूत्र विकसित किया जाना चाहिए जो एक

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि दुर्बलताओं को ध्यान में रखते हुए विवादित आदेश में, उक्त आदेश जारी करने में राज्य की कार्रवाई संवैधानिक शक्ति के साथ धोखाधड़ी के बराबर है।

राज्य को कला द्वारा प्रदान किया गया। 15 (4) . यह तर्क ठीक है।

स्थापित किया गया, और इसे बनाए रखा जाना चाहिए। जब किसी कार्यकारी कार्रवाई के बारे में कहा जाता है कि यह संविधान के साथ धोखाधड़ी है, तो यह आवश्यक रूप से इसका मतलब यह नहीं है कि कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित है। एक कार्यकारी कार्रवाई जो स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से

प्रदत्त संवैधानिक प्राधिकरण की सीमाओं के बाहर

उस ओर से राज्य को अति होने के रूप में खारिज कर दिया जाता है

राज्य का अधिकार है। यदि, दूसरी ओर, कार्यकारी कार्रवाई स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से उल्लंघन नहीं करती है

संविधान द्वारा इसे प्रदत्त अधिकार, लेकिन

अतिक्रमण गुप्त या अव्यक्त है, उक्त कार्रवाई की जाती है

प्रासंगिक संवैधानिक शक्ति पर धोखाधड़ी के रूप में नीचे। यह इस संबंध में है कि अदालतें अक्सर विचार करती हैं

पदार्थ का पदार्थ और न कि उसका रूप और पदार्थ के पदार्थ, रूप या लबादा का पता लगाने में,

या कार्यकारी कार्रवाई के पर्दे की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है

और यदि यह प्रतीत होता है कि उपस्थिति के बावजूद, कार्यकारी कार्रवाई का लबादा या पर्दा, सार में और

वास्तव में संवैधानिक शक्ति का उल्लंघन किया गया है, विवादित कार्रवाई को धोखाधड़ी के रूप में खारिज कर दिया गया है

संविधान। हम पहले ही देख चुके हैं कि विवादित ओ. के. ए. कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 265

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

वर्तमान मामले में आदेश में पिछड़े वर्गों को जाति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जो हमारी राय में, कला द्वारा अनुमति नहीं है। 15 (4) ; और हमने यह भी माना है कि

विवादित आदेश द्वारा किया गया 68 प्रतिशत का आरक्षण है

विशेष की अवधारणा के साथ स्पष्ट रूप से असंगत

कला द्वारा प्राधिकृत प्रावधान। 15 (4) . अतः निम्नलिखित है -

कि विवादित आदेश संविधान के साथ धोखाधड़ी है

राज्य को कला द्वारा प्रदत्त शक्ति। 15 (4) . विद्वान।

महाधिवक्ता ने एक गंभीर और मजबूत दलील दी है

हमारे सामने कि हमें आदेश को निरस्त नहीं करना चाहिए, लेकिन

आदेश के केवल ऐसे भागों को निरस्त करना चाहिए जो हमें सिद्धांत पर असंवैधानिक प्रतीत होते हैं पृथकता। उन्होंने आग्रह किया है कि 1958 से राज्य ने

समस्या से निपटने के लिए पाँच आदेश देने पड़े

पिछड़े वर्गों और राज्य को आगे बढ़ाना

चिंतित है कि विवादित आदेश का कार्यान्वयन

इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित या रोका नहीं जाना चाहिए। हम करते हैं।

यह नहीं देखते कि अमान्य को अलग करना कैसे संभव होगा आक्षेपित आदेश के प्रावधान। यदि वर्गीकरण

पिछड़ा वर्ग अमान्य है, यह न्यायालय नहीं कर सकता है और

उक्त की गणना करने का प्रयास नहीं करेंगे

श्रेणियाँ; और यदि आरक्षण का प्रतिशत अनुचित है और कला से बाहर है। 15 (4) , यह न्यायालय रखने का प्रयास नहीं करेगा

निश्चित रूप से और एक लचीले तरीके से कि क्या यह आरक्षित करने के लिए उचित प्रतिशत होगा। इसमें

संबंध, यह एक तथ्य को संदर्भित करने के लिए प्रासंगिक हो सकता है जिस पर

याचिकाकर्ताओं ने दृढ़ता से भरोसा किया है। उनके लिए आग्रह किया जाता है

कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपनाई गई विधि

वित्तीय सहायता का खर्च उठाने और पैसे कमाने का फैसला किया उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को अनुदान जहां यह है

यह दर्शाता है कि उनके परिवारों की वार्षिक आय निर्धारित न्यूनतम से कम है। उक्त योजना हमारे सामने नहीं है।

और हमें इस पर कोई राय व्यक्त करने के लिए नहीं कहा जाता है। हालाँकि, हम देख सकते हैं कि यदि कोई राज्य इस तरह के उपाय को अपनाता है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट की प्रगति में सहायता कर सकता है।

एस सी आर।

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन अंततः और मुख्य रूप से गरीबी के कारण। नए और अधिक शैक्षणिक संस्थान, पॉलिटेक्निक शुरू करने का भी प्रयास किया जा सकता है।

व्यावसायिक संस्थान और यहाँ तक कि ग्रामीण विश्वविद्यालय और

जिससे उच्च शिक्षा के लिए अधिक अवसर पैदा होते हैं।

कमजोरी से उत्पन्न समस्या पर यह दोहरा हमला पिछड़े समुदाय आगे बढ़ने का दावा कर सकते हैं

तर्कसंगत, व्यापक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो सुसंगत है

धर्मनिरपेक्ष कल्याण के महान आदर्श के साथ और उसके प्रति सच्चे

इस देश के संविधान द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक राज्य।

यदि आवश्यक हो तो इस तरह के दृष्टिकोण को पूरक बनाया जा सकता है।

सहायता के लिए आरक्षण के माध्यम से विशेष प्रावधान प्रदान करना

पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ।

यह अच्छी तरह से हो सकता है कि अन्य तरीके और साधन हो सकते हैं

एक ही परिणाम प्राप्त करना। हमारे देश में जहाँ सामाजिक और

आर्थिक स्थितियाँ राज्य से राज्य में भिन्न होती हैं, यह होगी

दृष्टिकोण की पूर्ण एकरूपता की उम्मीद करने के लिए निष्क्रिय; लेकिन लेने में

कला की नीति को लागू करने के लिए कार्यकारी कार्रवाई। 15 (4) , राज्यों के लिए यह याद रखना आवश्यक है कि वह नीति जो लागू करने का इरादा वह नीति है जिसे कला द्वारा घोषित किया गया है। 46 और प्रस्तावना

संविधान। यह सामाजिक और आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए है

न्याय कला। 15 (4) विशेष बनाने के लिए अधिकृत करता है

वहाँ के समुदायों की उन्नति के लिए प्रावधान विचार किया गया भले ही ऐसे प्रावधान असंगत हों

कला के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के साथ। 15 या

29 (2) . इसलिए, संदर्भ में यह आवश्यक है कि राज्य द्वारा की गई कार्यकारी कार्रवाई एक उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए।

सभी बाहरी दबावों से मुक्त दृष्टिकोण। ने कहा कि

कार्रवाई का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय करना है और

इसे इस तरह से लिया जाना चाहिए कि न्याय हो और होना चाहिए

किया।

उस में कला के प्रावधानों को जोड़ना। 15 (4) के समान हैं कला के लोग। 16 (4) जिस पर ओ. के. ए. कुमार ठाकुर बनाम मामले में विचार किया जाना था।

भारत और ओआरएस का संघ। 267

(डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

महाप्रबंधक, दक्षिण रेलवे बनाम।

रंगचन (1962 (2) एससीआर 586)। इस मामले में, बहुमत

इस न्यायालय के निर्णय में कहा गया कि आरक्षण की शक्ति जो कला के तहत राज्य को प्रदान किया जाता है। 16 (4) हो सकता है

नियुक्तियों के आरक्षण का प्रावधान, लेकिन इसके द्वारा भी चयन पदों के आरक्षण का प्रावधान। यह निष्कर्ष

इस आधार पर पहुँचा गया था कि यह प्रभाव देने के लिए कार्य करता है

संविधान निर्माताओं का इरादा पर्याप्त बनाने के लिए

पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए सुरक्षा उपाय

और सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

निर्णय से पता चलता है कि एकमात्र मुद्दा जो उठाया गया था

उस मामले में इस न्यायालय के निर्णय के लिए क्या

किया गया आरक्षण कला से बाहर था। 16 (4) और वह प्रस्तुत किया

कला के निर्माण के बारे में नंगे सवाल। 16 (4) . द.

औचित्य, तर्कसंगतता या ज्ञान

विवादित आदेश पर सवाल नहीं उठाया गया क्योंकि यह नहीं था

प्रत्यर्थी का मामला कि यदि आदेश के तहत उचित था

कला. 16 (4) यह संविधान के साथ धोखाधड़ी थी। फिर भी यह

निर्णय में इंगित किया गया था कि दक्षता

प्रशासन इतना महत्वपूर्ण है कि यह

कोई भी करने के लिए मूर्खतापूर्ण और अस्वीकार्य होगा

प्रशासन की दक्षता की कीमत पर आरक्षण; कि,

यह कहा गया था, निस्संदेह कला का प्रभाव था। 335 . इसलिए, कला के संबंध में क्या सच है। 15 (4) समान है

कला के बारे में सच है। 16 (4) . इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि संविधान निर्माताओं ने यह मान लिया था कि वे इसके हकदार थे।

कि कला के तहत पर्याप्त आरक्षण करते हुए। 16 (4) ,

इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि अनुचित व्यवस्था न की जाए,

अत्यधिक या असाधारण आरक्षण, उसके लिए, एक बड़े क्षेत्र में सामान्य प्रतिस्पर्धा को समाप्त करके और

कर्मचारी, दक्षता को भौतिक रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए, कला के तहत अनुचित रूप से बनाए गए विशेष प्रावधान की तरह। 15 (4) , कला के तहत किया गया आरक्षण। 16 (4) अनुमेय और वैध सीमाओं से परे संविधान पर धोखाधड़ी के रूप में चुनौती दी जा सकती है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट आवश्यक है।

एस सी आर।

उस कला पर जोर देना। 15 (4) एक सक्षम प्रावधान है; यह

उपयुक्त लेने के लिए उपयुक्त सरकार का विवेकाधिकार यदि आवश्यक हो तो कार्रवाई करें।

67. इसी तरह का प्रभाव के. सी. वसंत में व्यक्त किया गया है।

पैरा 150 पर आर का मामला (ऊपर):

" इस स्तर पर यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यदि

यह निर्धारित करना कि कुछ जातियों या समुदायों को अनुच्छेद के लिए तैयार पिछड़े वर्गों की सूची से बाहर जाना होगा

15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) सरकार अभी भी आगे बढ़ सकती है।

कमजोर वर्गों के सुधार की नीति

निर्देश के अनुसार उनके बीच की जनसंख्या संविधान के अनुच्छेद 46 में निहित सिद्धांत। वहाँ

सभी जातियों और समुदायों में गरीब लोग हैं जो अगर वे पर्याप्त अवसर दिया जाता है और प्रशिक्षण सक्षम हो सकता है

अमीर लोगों के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करना

कक्षाएँ। सरकार उन्हें उदारता प्रदान कर सकती है।

छात्रवृत्ति का अनुदान, मुफ्त छात्रावस्था, मुफ्त भोजन और

रहने की सुविधा, मुफ्त वर्दी, मुफ्त मध्यान्ह भोजन आदि।

यह भी निम्नलिखित रूप में नोट किया गया है: " मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) में निहित सुरक्षात्मक भेदभाव का सिद्धांत और

अनुच्छेद 29 (2) को किसी विशेष सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। राज्य अपने लोगों की सेवा करने के लिए अस्तित्व में है। कुछ हैं।

सेवाएँ जहाँ विशेषज्ञता और कौशल महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, राज्य द्वारा संचालित एक अस्पताल बीमारों की सेवा करता है।

जनता के सदस्य जिन्हें चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। चिकित्सकीय सेवाएँ सीधे आशा कुमार ठाकुर बनाम के स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित करती हैं और उनसे निपटती हैं।

भारत और ओआरएस का संघ। 269

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

जनता को। ज्ञान से उत्पन्न व्यावसायिक विशेषज्ञता

और अनुभव, उच्च स्तर के तकनीकी ज्ञान का
पायलटों और विमानन के लिए संचालन कौशल की आवश्यकता होती है।

इंजीनियर। नागरिकों का जीवन ऐसे व्यक्तियों पर निर्भर करता है।

सरकारी गतिविधि के अन्य समान क्षेत्र हैं जहाँ
पेशेवर, तकनीकी, वैज्ञानिक या अन्य विशेष कौशल

बुलाया जाता है। संघ के अधीन ऐसी सेवाओं या पदों में या

राज्य, हम सोचते हैं कि कहाँ आरक्षण के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है

पद; केवल योग्यता ही एकमात्र और निर्णायक होनी चाहिए।

नियुक्तियों के लिए विचार "।

(जोर देने के लिए
रेखांकित)

68. के बारे में लंबे तर्क दिए गए हैं

पिछड़े वर्गों की पहचान करने में गंभीरता। इसके आधार पर

इंद्रा साहनी नं. 1 के निर्णय के अनुसार, भारत सरकार ने नियुक्तियों के आरक्षण के संबंध में आदेश जारी किए।

नागरिकों के पिछड़े वर्गों के पक्ष में भारत सरकार के तहत पद। यह चुनौती का विषय था

मनोरंजन और परीक्षण और अनुशंसा के लिए 15.3.1993 द्वारा नागरिकों के पिछड़े वर्गों की सूचियों में शामिल करने के लिए किए गए अनुरोधों या अति समावेशन की शिकायतों पर।

69. संविधान सभा की बहस 1951 में भी हुई है

विवाद के निर्णय के लिए प्रासंगिकता। निम्नलिखित भाग

निकालने की आवश्यकता है:

70. पैरा में संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट

36 , 37 और 46 निम्नानुसार पढ़े जाते हैं:

" 36. समिति ने नोट किया कि एक बड़ी सीमा है

आम तौर पर हमारी आबादी और विशेष रूप से ओ. बी. सी. के बारे में। भारत में जाति आधारित अंतिम जनगणना 1931 में की गई थी।

तदनुसार कोई आवधिक डेटा उपलब्ध नहीं है

ओ. बी. सी. का जनसांख्यिकीय प्रसार और उनकी पहुंच

सुविधाएँ। यहाँ तक कि मंडल आयोग ने भी [2008] 4 एस. सी. आर. का इस्तेमाल किया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1931 जनगणना के आंकड़े। जो भी सीमित डेटा उपलब्ध है,

1998-99 से एन. एस. एस. ओ. द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से संबंधित

इसके बाद, जो केवल 'नमूना सर्वेक्षण' हैं।

37. समिति ने पाया कि कोई स्वीकृत नहीं है

लोगों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए तंत्र/मानदंड। नतीजतन, पिछड़ी जातियों की मौजूदा सूची /

इसके अलावा, समीक्षा की कोई नियमित प्रक्रिया भी नहीं है। इस तरह की समीक्षा का तात्पर्य 'समावेश' और 'बहिष्करण' दोनों है। द.

समिति, इसलिए, लेने की आवश्यकता पर जोर देती है सभी की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए तत्काल उपाय/कदम

ऐसी खामियां और ऐसी सभी खामियों और समस्याओं को दूर करना।

इस उद्देश्य के लिए वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ तंत्र/मानक स्थापित करके।

XX

XX

XX

46. ओ. बी. सी. के बीच 'क्रीमी लेयर' के बहिष्कार के मुद्दे पर सुझाव/जवाबी-सुझाव दिए गए हैं।

प्रस्तावित कानून में। एक तरफ, यह तर्क दिया गया था

कि क्रीमी परत की अवधारणा मामले में लागू नहीं हुई

प्रवेश में आरक्षण। यह बताया गया कि मलाईदार परत के बहिष्कार पर बहस गलत थी उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के अनुसार

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर मलाईदार परत का अपवर्जन

आरक्षण का दायरा केवल सार्वजनिक रोजगार और पदोन्नति के लिए था। इस संबंध में दूसरा दृष्टिकोण यह था कि

आरक्षण में मलाईदार परत को शामिल करने से हार होगी

पिछड़े लोगों को आरक्षण देने का उद्देश्य ही

कक्षाएँ। यह भी कहा गया था कि मलाईदार परत का बहिष्कार यह सुनिश्चित करेगा कि इसके इच्छित लाभ

आरक्षण वास्तव में योग्य लोगों तक पहुँचता है

पिछड़े वर्ग। यह आगे कहा गया कि यह अपने आप में

पर्याप्त नहीं होगा और इसके द्वारा पूरक किया जाना चाहिए

पिछड़े वर्गों का उनके पिछड़ेपन की डिग्री के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण और आरक्षण का उचित प्रतिशत जोक्का कुमार ठाकुर बनाम को विभाजित करना।

भारत और ओआरएस का संघ। 271

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

प्रत्येक समूह। यह भी समिति के सामने लाया गया कि आंध्र प्रदेश, केरल राज्यों में इसी तरह के प्रयोग,

कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि ने वास्तव में,

समय की कसौटी पर खरा उतरा और वांछित परिणाम प्राप्त किए।

71. याचिकाकर्ताओं में से एक "यूथ फॉर इक्वेलिटी" ने एक याचिका दायर की थी

संसदीय समिति के समक्ष समर्पण

महत्वपूर्ण डेटा। प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैं:

" बिना आधार के शीर्ष पर

बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों की स्थिति प्राथमिक और माध्यमिक स्तर कुछ चिंता का विषय है और सरकार विशेष रूप से मानव संसाधन मंत्रालय और

विकास जिसने आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है,

"वास्तविक" के लिए इस क्षेत्र में सुधार की दिशा में काम करना चाहिए

सकारात्मक कार्रवाई। राष्ट्रीय संस्थान के अनुसार

राज्य में शैक्षिक योजना और प्रशासन (2003 में)

प्राथमिक स्तर पर कार्य निम्नानुसार थे:

(i) देश के 62,996 विद्यालयों में विद्यालय नहीं हैं।

भवन बना रहे हैं और तंबू में या पेड़ों के नीचे काम कर रहे हैं।

((ii) 70,739 प्राथमिक विद्यालयों में कोई कक्षा नहीं है। (iii) 95,003 प्राथमिक विद्यालयों में-एकल कक्षा कक्ष।

(iv) 8,269 प्राथमिक विद्यालयों में-कोई शिक्षक नहीं

(v) 1,15,267 प्राथमिक विद्यालयों में-एकल शिक्षक (vi) 60.000 से अधिक विद्यालयों में छात्र: शिक्षक अनुपात

100 से बड़ा है: 1 जबकि स्वीकार्य अनुपात कम है

40 से अधिक: 1 .

(viii) 100,000 से अधिक स्कूलों में बिजली नहीं है। उपरोक्त के अलावा, एन. सी. ई. आर. टी. (1998 में) के अनुसार, केवल सरकार का 34.6% है। स्कूलों में पीने का सुरक्षित पानी था।

13.2 % मूत्रालय था और 4.9 प्रतिशत में लड़कियों के लिए मूत्रालय था और केवल 6 प्रतिशत में शौचालय था। जबकि सरकार एक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट का वादा करती है

विकास के लिए सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6 प्रतिशत खर्च करना

इन वर्षों में सरकारी खर्च इस प्रकार था:

2000-2001

4.1 %

2001-2002

4.3 %

2002-2004

3.8 %

2004-2005

3.5 %

72. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम,

1993 (संक्षेप में 'पिछड़ा वर्ग अधिनियम') तदनुसार था

अधिनियमित किया। इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

73. धारा 2 (सी) सूचियों को निम्नानुसार परिभाषित करती है:
" सूचियों का अर्थ है भारत सरकार द्वारा तैयार की गई सूचियाँ।

समय-समय पर प्रावधान करने के उद्देश्यों के लिए

नागरिकों के पिछड़े वर्ग जो, उनकी राय में
सरकार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है

भारत सरकार के अधीन सेवाएँ और कोई स्थानीय या

भारत के क्षेत्र के भीतर या नियंत्रण में अन्य प्राधिकरण
भारत सरकार का "।

74. महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 9 और 10 हैं जो इस प्रकार हैं:

इस प्रकार है:

" 9. आयोग के कार्य (1) आयोग

नागरिकों के किसी भी वर्ग को शामिल करने के अनुरोधों की जांच करेगा।
ऐसी सूचियों में एक पिछड़े वर्ग के रूप में और की शिकायतें सुनें

किसी पिछड़े वर्ग का अति-समावेशन या उसके अंतर्गत समावेश

जैसा कि उचित लगता है। (2)
आयोग की सलाह आम तौर पर होगी -

केंद्र सरकार पर बाध्यकारी।

10. आयोग की शक्तियाँ-आयोग,

आशा कुमार ठाकुर बनाम की उप-धारा (1) के तहत अपने कार्यों को करते हुए।

भारत और ओआरएस का संघ। 273 [डॉ. अरिजीत पासायत; जे।]

धारा 9, के पास मुकदमे की सुनवाई करने वाले दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां हैं।

और विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के संबंध में,

अर्थात्:

(ख) किसी भी वस्तु की खोज और उत्पादन की आवश्यकता
दस्तावेज़;

(ग) शपथपत्रों पर साक्षय प्राप्त करना;

(ङ) गवाहों की जाँच के लिए आयोग जारी करना।
और दस्तावेज़; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

75. केंद्र द्वारा सूचियों का आवधिक संशोधन

सरकार एक वैधानिक अधिदेश है। याचिकाकर्ताओं ने प्रकाश डाला है

कि कोई बहिष्करण नहीं है और दूसरी ओर समावेश किया गया है। जातियों की गणना के सवाल पर यह है इस बात पर जोर दिया कि 1931 की जनगणना का आधार नहीं था

अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान। वास्तव में केंद्रीय ओ. बी. सी.

1931 की जनगणना के आधार पर सूची तैयार नहीं की गई है। प्रत्येक राज्य में पहचान के लिए अलग-अलग तरीके हैं। केवल उद्देश्य के लिए

जनसंख्या की मात्रा एक आधार प्रदान करती है।

76. इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि यदि अंततः और निर्विवाद रूप से

संवैधानिक लक्षय जातिविहीन और वर्गविहीन समाज है, पिछड़े वर्ग का अधिक प्रभावी कार्यान्वयन होना चाहिए

वर्ग अधिनियम। जिसके तहत आवश्यक अभ्यास किया जाना चाहिए

उक्त अधिनियम की धारा 11 का उद्देश्य नियमित अभ्यास करना नहीं है।

और निरर्थकता में एक अभ्यास भी नहीं। यह न केवल प्रभावी होना चाहिए बल्कि परिणाम उन्मुख भी होना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने कमी को उजागर किया है अभ्यास को पूरा करने में सरकार की गंभीरता। इस संबंध में बड़ी संख्या में आंकड़े दर्ज किए गए हैं।

आयोग की रिपोर्टों के संदर्भ में, सीखा गया

दूसरी ओर उत्तरदाताओं के वकील ने 274 पर जोर दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

इस तथ्य पर कि आयोग सभी के साथ काम कर रहा है

ईमानदारी और प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य के साथ

पिछड़ा वर्ग अधिनियम। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है।

पिछड़े वर्गों की संख्या के बारे में ठोस आंकड़े

ऐसा लगता है कि देश उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि प्रतिशत है

52 प्रतिशत नहीं जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा उजागर किया गया है।

77. अधिनियम की धारा 2 (जी) इस संबंध में प्रासंगिक है। वह पढ़ता है

इस प्रकार है:

" अन्य पिछड़े वर्गों का अर्थ है -

नागरिक जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, और

केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं।

78. इस मोड़ पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछड़े

पूरी तरह से कार्यात्मक अधिदेश होने के लिए वर्ग अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा पिछड़े लोगों का निर्धारण

कक्षाएँ। जिनके लिए क़ानून अभिप्रेत है। निर्विवाद रूप से, ऐसा दृढ़ संकल्प नहीं किया गया है। दलील यह है कि इससे अधिक के लिए

आधी सदी से लाभ के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है

प्रवेश के मामले में अन्य पिछड़े वर्गों के

उच्च शिक्षण संस्थान। यह कार्रवाई करने का आधार नहीं हो सकता।

जल्दबाजी में और अनिर्धारित आंकड़ों के साथ। यह सही हो सकता है

उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि प्रतिशत निश्चित रूप से 27 प्रतिशत से कम नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है।

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पृष्ठभूमि नागरिकों से। गरीबी कोई जाति नहीं जानती। गरीबों की कोई जाति नहीं होती। यह एक

दुर्भाग्यपूर्ण वर्ग। यह आम जानकारी की बात है कि

जाति की संस्था भारतीय संस्था की एक विशेषता है जब वहाँ

विद्वानों के बीच काफी विवाद है कि कैसे

जाति व्यवस्था की उत्पत्ति इसी देश में हुई थी। मूल रूप से, वहाँ थे

चार मुख्य जातियाँ जिन्हें वर्ण के नाम से जाना जाता है। लेकिन धीरे-धीरे जातियाँ और

उप-जातियाँ कई गुना बढ़ गईं जैसे-जैसे सामाजिक ताने-बाने का विस्तार हुआ

विभिन्न समूहों के लोगों का अवशोषण जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं

पंथ और विभिन्न धार्मिक विश्वासों का प्रचार करना। जाति व्यवस्था अपने प्रारंभिक चरण में काफी लोचदार थी लेकिन समय के साथ यह अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत संघ और ओ. आर. एस. 275

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

धीरे-धीरे आनुवंशिकता पर आधारित एक कठोर ढांचे में कठोर हो गया। अपरिहार्य परिणाम सामाजिक असमानता थी। एक समय व्यवसाय जातियों के निर्धारण की पृष्ठभूमि था।

हो सकता है, किसी समय यह आय पर निर्भर करता हो

व्यक्तिगत। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इसने विनाशकारी मोड़ ले लिया है

विभिन्न जातियों की स्थिति का अंतर। लेकिन समय के साथ प्रदर्शन कि व्यावसायिक लेबल ने अपना बहुत अधिक महत्व खो दिया है। लेकिन

उसी समय, गरीब और दलित जो संबंधित हैं

उनकी अपनी जाति गरीबों की संस्थापक थी। इंदर साहनी में

नं. 1 इस कारक पर ध्यान दिया गया।

79. ऐसा कहा जाता है कि जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, आज जाने दें।

अतीत को स्मरण के साथ और भविष्य को लालसा के साथ गले लगाएं।

80. दूर का रास्ता मत ढूंढो, रास्ता नीचे है।

आपके पैर।

81. जो बीत चुका है और जिसे रोका नहीं जा सकता, उसे नहीं होना चाहिए।

के लिए दुखी होना।

82. कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में जो

अन्य वर्गों की तुलना में "गरीब वर्गों" के पक्ष में वरीयता प्रदान करता है

पिछड़े वर्गों के सदस्यों, अभिव्यक्ति को उन लोगों के लिए संबंधित माना जाता था जो सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक हैं

पीछे की ओर। संदर्भ में 'गरीब' शब्द का उपयोग किया गया था

सामाजिक पिछड़ेपन का एक उपाय होना। इसलिए यह

यह स्पष्ट रूप से माना जाता है कि आर्थिक पिछड़ेपन एक

ऐसा कारक जिसे कभी भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। केवल दो हैं

दुनिया में परिवार; जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, मिकेल डी सर्वांतेस डॉन कुत्सोते डी ता मंचा ने कहा। टॉल्स्टॉय ने

जोर से कहा "हम गरीब आदमी के लिए कुछ भी करेंगे लेकिन उसकी पीठ मिल जाएगी" (हंटिंगटन फिलेंथ्रोफी में उद्धृत और

नैतिकता)।

83. विलियम कॉबेट ने कहा था कि वे गरीब और स्वतंत्र हैं।

पुरुषों ')। हम नेल्सन की नज़र गरीबों की ओर नहीं मोड़ सकते, जो "आर्थिक रूप से पिछड़े" सभी अभिव्यक्तियों से आच्छादित हैं। कक्षाएँ "।

84. क्या इस वर्ग के लोगों को इससे बाहर रखा जाना चाहिए?

सरकारी प्राथमिकताओं और नीतियों की मुख्यधारा क्योंकि

क्या वे किसी विशेष जाति के हैं? जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, गरीब

कोई जाति नहीं है। उच्च जाति के व्यक्ति को उसके पूर्वजों द्वारा किए गए कई कामों के लिए पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए। पीढ़ियाँ पीछे।

85. फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने 1940 में एक भाषण में कहा था "यह

क्या एक दुर्भाग्यपूर्ण मानव विफलता है जो अक्सर एक पूरी पॉकेट बुक होती है

खाली पेट की तुलना में अधिक जोर से कराहता है। " हैव्स एंड द सह-अस्तित्व नहीं होना चाहिए। यदि मलाईदार परत को बाहर करना है

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को शामिल करना होगा। यह सामाजिक संतुलन होगा और यह सही अर्थ देगा।

संविधान के उद्देश्य। सामाजिक सशक्तिकरण

शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। यह सामाजिक रूप से भी होना चाहिए और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। जब तक कि यह संतुलन, जो

बहुत नाजुक है, बनाए रखा जाता है प्रणाली अनिवार्य रूप से विकसित होगी

एक दरार और यह दरार एक निश्चित समय के बाद मुश्किल हो सकती है

शामिल होने के लिए। समाज को जातियों या वर्गों से अलग करने के बजाय यह अधिक बोझ हो जाएगा और एक समय आ सकता है

जब हम आगे बोझ नहीं उठा पाएंगे। समयोचित

इस संबंध में उठाए गए कदम भारतीय समाज और लोकतंत्र को बचाएंगे।

किसी चीज़ के कारण पतन की आपदा से जो

संविधान मिटाना चाहता है।

86. आरक्षण के लिए समय अवधि के सवाल पर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रदान की जाने वाली छलांग की अवधि इस पर निर्भर करती है

खाली जगह को भरना है। यह विद्वान वकील द्वारा उचित रूप से स्वीकार किया जाता है

उत्तरदाताओं का कहना है कि जब भी जातियां उच्च स्तर पर पहुंचती हैं तो उन्हें विचार के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए। यह आगे है

प्रस्तुत किया कि पारंपरिक व्यवसाय कुछ जातियों के व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है और यह प्रणाली अभी भी बनी हुई है

और टूट नहीं गया है। विकल्प के अभाव में

व्यवसाय जो आकर्षक नहीं हो सकता है, वे व्यक्ति जो पहले पारंपरिक व्यवसाय करते थे, उन्हें व्यवसाय करने में कठिनाई होती है। कोई अन्य व्यवसाय करें।

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 277

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

87. यह माना गया है कि कई प्रयासों के परिणामस्वरूप,

भारत ने वृद्धि के मामले में भारी प्रगति की है।

प्रारंभिक शिक्षा में संस्थान, शिक्षक और छात्र। लेकिन

तमाम प्रयासों के बावजूद देश में बच्चों की बड़ी आबादी अभी भी स्कूल से बाहर है।

88. विवाद में से एक यह है कि समय के साथ

लंबे समय तक आरक्षण अवैध हो जाता है। मोटर जनरल ट्रेडर्स में और एन. आर. वी. आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। (1984 (1) एससीसी

222) निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं:

" 16. एक संक्रमणकालीन के रूप में क्या आपत्तिजनक हो सकता है या

प्रारंभिक चरण में अस्थायी उपाय अभी भी हो सकता है

भेदभावपूर्ण और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन

संविधान यदि इसके बिना लंबे समय तक बना रहता है।

कोई भी औचित्य। इस न्यायालय के निर्णयों की प्रवृत्ति

उपरोक्त प्रश्न का पता इस प्रकार लगाया जा सकता है। भैयालाल शुक्ल में

वी. मध्य प्रदेश राज्य [1962] सप. 2 एस. सी. आर. 257

आग्रह किए गए तर्कों में से एक यह था कि उस क्षेत्र में बिक्री कर लगाया जाना जिसे पहले विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था
(एक भाग 'सी' राज्य) किसी कार्य में उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री पर

उस क्षेत्र के विलय के बाद अनुबंध भेदभावपूर्ण था

मध्य प्रदेश के नए राज्य में, जिसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1956 को किया गया था,

1956 एक कार्य अनुबंध में निर्माण सामग्री की बिक्री के रूप में

के किसी अन्य भाग में बिक्री कर के किसी भी लेवी के अधीन नहीं था
वही नया राज्य अर्थात् वह क्षेत्र जो पहले था

मध्य प्रदेश राज्य के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र का हिस्सा (

मध्य प्रांत और बरार क्षेत्र)। यह विवाद था
इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अस्वीकार कर दिया गया

पृष्ठ 274-275:

नए राज्य मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कानून अलग-अलग तरीकों से बनाए गए थे।

जब तक उचित द्वारा निरस्त या परिवर्तित नहीं किया जाता है
विधायिका। हम पहले ही मान चुके हैं कि बिक्री कर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट है

[2008] 4
एस सी आर।

इसकी वैधता को धारा 119 के तहत लाया गया
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जब यह इसका हिस्सा बना

मध्य प्रदेश राज्य। इसके बाद अलग-अलग

मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कानून हो सकते हैं
इस आधार पर कायम रहा कि भेदभाव उत्पन्न होता है

ऐतिहासिक कारणों से, और एक भौगोलिक

ऐतिहासिक कारणों पर आधारित वर्गीकरण किया गया है

एम. के. पृथ्वी राजजी बनाम में इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया। राजस्थान राज्य (1956 की सिविल अपील संख्या 327 ने निर्णय लिया

2 नवंबर, 1960 को) और फिर से राज्य में
मध्य प्रदेश बनाम. द ग्वालियर शुगर कंपनी लिमिटेड (सिविल)

अपील सं। 98 और 1957 के 99 ने फैसला किया कि

30 नवंबर, 1960)। बाद वाला मामला महत्वपूर्ण है,

क्योंकि पूर्व में लगाया गया गन्ना उपकर
ग्वालियर राज्य लेकिन मध्य भारत के बाकी हिस्सों में नहीं

जिसे इसने एक हिस्सा बनाया था, उसे यहाँ के समान आधार पर चुनौती दी गई थी, लेकिन इसके द्वारा प्रभावित नहीं होने के रूप में बरकरार रखा गया था

अनुच्छेद 14. इसलिए हम इस तर्क को खारिज करते हैं।

89. एन. एम. थॉमस के मामले में (ऊपर) के मापदंड

अनुच्छेद 16 के खंडों पर निम्नानुसार प्रकाश डाला गया:

" 37. अनुच्छेद 14 और 16 (1) के अंतर्गत समानता का नियम

किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया जाएगा जो समानता सुनिश्चित करेगा

गैर-प्रतिनिधित्व वाले वर्गों के लिए सेवाओं में प्रतिनिधित्व

दक्षता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के बाद

प्रशासन। अनुच्छेद 16 (2) कुछ आधार को खारिज करता है -

नस्ल, जाति, वंश, जन्म स्थान सहित वर्गीकरण आदि। अनुच्छेद 16 (4) स्पष्ट करता है और बताता है कि वर्गीकरण

पिछड़ेपन के आधार पर अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है

16 (2) और अनुच्छेद 16 (1) के प्रयोजनों के लिए वैध है।

यदि किसी विशेष को वरीयता दी जाएगी

पिछड़े वर्ग के अलावा अन्य समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है या अखिल भारतीय सेवा में कम प्रतिनिधित्व वाला राज्य ऐसा नियम

यह अनुच्छेद 16 (2) का उल्लंघन करेगा। एक समान नियम देना

कम प्रतिनिधित्व वाले पिछड़े समुदाय को वरीयता

यह वैध है और अनुच्छेद 14,16 (1) और 16 (2) का उल्लंघन नहीं करेगा।

ओके कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

279

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

अनुच्छेद 16 (4) इस संबंध में किसी भी संदेह को दूर करता है।

XX

XX

XX

44. हमारे संविधान का उद्देश्य स्थिति की समानता और

सामाजिक रूप से सक्षम लोगों सहित सभी नागरिकों के लिए अवसर,

आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े। के दावे पिछड़े वर्गों के सदस्यों को पर्याप्त आवश्यकता है

विधायी और कार्यकारी निकायों में प्रतिनिधित्व। अगर

अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य, जिन्हें कहा जाता है

इस न्यायालय द्वारा पिछड़े वर्ग होने के लिए, बनाए रख सकते हैं

न्यूनतम प्रशासनिक आवश्यकताएँ

दक्षता, न केवल प्रतिनिधित्व बल्कि वरीयता भी हो सकती है

उन्हें समानता लागू करने और समाप्त करने के लिए दिया जाए

असमानता। अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) स्थिति को सामने लाते हैं।

पिछड़े वर्गों को योग्यता समानता के लिए। विशेष प्रावधान

पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए बनाए जाते हैं और

नियुक्तियों और पदों का आरक्षण उन्हें सुरक्षित करने के लिए

पर्याप्त प्रतिनिधित्व। ये प्रावधान सामने लाएंगे

अनुच्छेद 14,15 (1) द्वारा गारंटीकृत समानता की सामग्री

और 16 (1)। समानता की मूल अवधारणा समानता है

नियुक्ति का अवसर। के लिए अधिमान्य उपचार पिछड़े वर्गों के सदस्य उचित सम्मान के साथ

अकेले प्रशासनिक दक्षता का अर्थ समानता हो सकता है

सभी नागरिकों के लिए अवसर। अनुच्छेद 16 के तहत समानता हो सकती है

अनुच्छेद 14 के तहत समानता से अलग सामग्री नहीं है। असमान लोगों के लिए अवसर की समानता का मतलब केवल यही हो सकता है

असमानता को बढ़ाना। अवसर की समानता स्वीकार की जाती है

कारण के साथ भेदभाव और भेदभाव को प्रतिबंधित करता है

बिना किसी कारण के। कारणों के साथ भेदभाव का अर्थ है तर्कसंगत

संवैधानिक रूप से अनुमेय वस्तु। वरीयता सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व

प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखने की अनुमति है।

वस्तु और पिछड़े वर्ग एक तर्कसंगत वर्गीकरण हैं। हमारे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त। इसलिए, विभेदक

चयन के मानकों में उपचार की अवधारणा के भीतर है

समानता

[2008] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

XX

XX

XX

56. अगर हम सभी के साथ एक ही तरह का व्यवहार किया जाए, तो यह इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को अपने साथ रखना चाहिए कि हम में से कोई भी परवरिश, शिक्षा में बेहतर या बदतर न हो,

किसी भी अन्य की तुलना में जो मानव के लिए एक अप्राप्य आदर्श है

जिस तरह के प्राणी हम अब देखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अवसर की समानता की अवधारणा एक

असंतोषजनक अवधारणा के लिए, इसका एक पूर्ण सूत्रीकरण

इसे मानव समाज के किसी भी रूप के साथ असंगत बनाता है। उदाहरण के लिए, अवसर की समानता का मामला लें

शिक्षा. यह समानता स्कूलों में शुरू नहीं हो सकती और इसलिए

असंभवता। इसे ठीक करने के लिए सभी बच्चों को लाया जा सकता है। राज्य नर्सरी में, लेकिन, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए,

क्या हम उन परिस्थितियों में भी युवाओं को अवसर की समानता की गारंटी दे सकते हैं? विचार अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है लास्की द्वारा:

' समानता का अर्थ है, दूसरे स्थान पर, कि पर्याप्त

अवसर सभी के लिए खुले हैं। पर्याप्त रूप से

एक भावना जो मूल अवसर की पहचान का तात्पर्य है। द.
पुरुषों के देशी दान किसी भी तरह से समान नहीं हैं।

ऐसे बच्चे जिनका पालन-पोषण ऐसे वातावरण में किया जाता है जहाँ

मन की चीजों को अत्यधिक गिना जाता है

लाभ बिना किसी कानून के जीवन की दौड़ शुरू करें

सुरक्षित कर सकते हैं। माता-पिता का चरित्र अनिवार्य रूप से प्रभावित करेगा
गहराई से बच्चों की समानता जिसे यह

स्पर्श करते हैं। इसलिए, जब तक परिवार टिकता है -

और उम्मीद करने या इच्छा करने का बहुत कम कारण लगता है

इसका गायब होना-अलग-अलग वातावरण जो यह होगा

समान अवसरों की धारणा बनाएँ
शानदार "।

XX

XX

XX

60. बर्नार्ड ए. ओ. विलियम्स ने अपने लेख 'द आइडिया ऑफ ओके कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 281

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।

समानता "(ऊपर) के काम करने का एक चित्रण देता है

अवसर की समानता का सिद्धांत:

योद्धा वर्ग की सदस्यता से जुड़े कर्तव्य
जिसके लिए बहुत अधिक शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। यह वर्ग

अतीत में कुछ अमीरों से भर्ती किया गया है

केवल परिवार, लेकिन समतावादी सुधारक एक हासिल करते हैं

नियमों में परिवर्तन, जिनके द्वारा योद्धाओं की भर्ती की जाती है

समाज के सभी वर्गों से, एक के परिणामस्वरूप

उपयुक्त प्रतिस्पर्धा। लेकिन इसका प्रभाव यह है कि

कि अमीर परिवार अभी भी लगभग सभी प्रदान करते हैं

योद्धा, क्योंकि बाकी आबादी इतनी है

गरीबी के कारण कुपोषित कि उनके

शारीरिक शक्ति अमीरों की तुलना में कम होती है और

अच्छे से पोषित। सुधारकों का विरोध है कि समानता

अवसर वास्तव में प्राप्त नहीं किया गया है; अमीर

जवाब दें कि वास्तव में यह है, और कि गरीबों के पास अब है

योद्धा बनने का अवसर-यह सिर्फ बुरा है

भाग्यशाली हैं कि उनकी विशेषताएँ ऐसी हैं जो वे करते हैं

परीक्षा पास नहीं करते-"हम नहीं हैं", वे कह सकते हैं,

" किसी को भी गरीब होने के कारण बाहर करना; हम लोगों को बाहर करते हैं कमजोर होने के लिए, और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो

गरीब भी कमजोर होते हैं।

XX

XX

XX

67. आज, राजनीतिक सिद्धांत जो स्वीकार करता है

संविधान के भाग IV के तहत सरकार का दायित्व

नौकरी, चिकित्सा देखभाल, वृद्धावस्था पेंशन आदि प्रदान करना।

मानवाधिकारों का विस्तार करता है और एक सकारात्मक लागू करता है

समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का दायित्व। की शक्ति कमजोर वर्गों की मदद करने के दायित्व वाले राज्य का विचार

ऐसा लगता है कि इसके सदस्यों का प्रभाव बढ़ रहा है

संवैधानिक कानून। विचार को एक संख्या में अभिव्यक्ति मिलती है।

प्रभावों की भरपाई करने के लिए राज्य की आवश्यकता वाले निर्णयों में भी परामर्श प्रदान करके गरीबी, अपील की प्रतिलिपि, विशेषज्ञ 282

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

गवाह आदि। आज यह भावना है कि सरकार

असमानताओं के उन्मूलन के लिए सकारात्मक जिम्मेदारी,

सामाजिक, आर्थिक या अन्यथा, प्रमुख में से एक है

संवैधानिक कानून में बल। जबकि विशेष रियायतें

वंचितों के लिए आसानी से अनुमति दी गई है, वे

परंपरागत रूप से इसकी आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रों में निर्णय

आपराधिक प्रक्रिया, मतदान अधिकार और शिक्षा

अमेरिका का सुझाव है कि पारंपरिक दृष्टिकोण नहीं हो सकता है पूरी तरह से पर्याप्त। इन क्षेत्रों में, जांच कि क्या

समानता को अब संख्यात्मक रूप से प्राप्त नहीं किया गया है

समानता; बल्कि समानता खंड को आवश्यक माना गया है

आनुपातिक समानता के एक मानक का सहारा लें जिसके लिए आवश्यक है

राज्य, कानून बनाने में, ध्यान में रखने के लिए

धन, शिक्षा और अन्य की निजी असमानताएँ
परिस्थितियाँ।

XX

XX

XX

89. समानता की मांग का अंतिम कारण

पिछड़े वर्गों के सदस्य एक नैतिक दृष्टिकोण हैं

जो सभी मनुष्यों के आंतरिक मूल्य की पुष्टि करता है और

एक ऐसे समाज का आह्वान करता है जो जीवन की इन शर्तों को प्रदान करे

जिसे पुरुषों को अपनी विविधता के विकास के लिए चाहिए

क्षमताएँ। यह इस अर्थ में मानव समानता का दावा है।

कि यह सभी की भलाई के लिए एक समान चिंता को प्रकट करता है

पुरुषों। एक तरफ इसमें हटाने की मांग शामिल है।
उन बाधाओं और बाधाओं में से जो

मानव क्षमताओं के विकास का तरीका, अर्थात, यह है

अनुचित असमानताओं के उन्मूलन का आह्वान। जिस पर

दूसरी ओर, मांग को ही अपनी समझ और नैतिकता मिलती है।

इस मान्यता से प्रेरक शक्ति कि "सबसे गरीब वह है जो

इंग्लैंड में रहने वाले के पास जीने के लिए एक जीवन है, सबसे महान के रूप में वह "।

90. ' समानता और उत्कृष्टता दो परस्पर विरोधी दावे हैं।

नागरिकों के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग जो स्पष्ट रूप से हैं सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए वांछनीय, हालांकि योग्यता की कीमत पर।

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 283

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

हालाँकि, संविधान 'संस्थागत' के लिए बिल्कुल भी प्रावधान नहीं करता है। आरक्षण। इसलिए, इसकी संवैधानिकता पर निर्णय लिया जाना है

अनुच्छेद 14 की कसौटी। इस क्षेत्र में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए संस्थागत वरीयता के संबंध में बड़ी संख्या में मामले सामने आए।

विशिष्टताएँ। न्यायपालिका आगे आई और विस्तृत रूप से निर्धारित किया

इस तरह की वरीयता की आवश्यकता को शामिल करने वाले सिद्धांत और सीमित करने के लिए योग्यता के महत्व को देखते हुए इस तरह के आरक्षण की सीमा

राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का संदर्भ

सुपर स्पेशिएलिटी में सार्वभौमिक उत्कृष्टता।

91. यह ध्यान देने योग्य है कि 27 प्रतिशत तय करने की नींव

ऐसा प्रतीत होता है कि 52 प्रतिशत आबादी

ओ बी सी। इस प्रस्ताव के लिए कोई समर्थन योग्य डेटा नहीं है। वास्तव में,

अलग-अलग समय पर अलग-अलग आयोग अलग-अलग होते हैं।

आंकड़े। यह उत्तरदाताओं का रुख है कि कोई आयोग नहीं

प्रतिशत को 52 प्रतिशत से नीचे रखा गया है और इसलिए 27 प्रतिशत पर प्रतिशत निर्धारित करने में कुछ भी गलत नहीं है। यह बात नहीं है

सही दृष्टिकोण। यह हो सकता है कि किसी भी मामले में ओ. बी. सी. से संबंधित व्यक्तियों का प्रतिशत 27 प्रतिशत से कम न हो, लेकिन मान लीजिए कि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वास्तविक प्रतिशत है

40 % 27 प्रतिशत से कम का आंकड़ा तय किया जाना चाहिए था। द.

बहिष्करण या समावेशन का दावा करने वाले लोग। यह वास्तविक नहीं था। की सीधी नियुक्ति के लिए इस न्यायालय के निर्णय का उद्देश्य

आयोग। इसका उद्देश्य ही वर्गों की पहचान करना था। यह

अभ्यास जो इसके अलावा किया जाना था

मामला हो सकता है। जैसा कि शुरुआत में स्वीकार किया गया है मामला सकारात्मक कार्रवाई चुनौती के अधीन नहीं है। सकारात्मक कार्रवाई

संवैधानिक व्यवस्था में यह और कुछ नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन साथ ही यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है। समानता जिसका यह एक हिस्सा है और/या अनुचित रूप से संयम या

अन्य मौलिक स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित करना और यह कि यह उल्लंघन नहीं करता है

संविधान की मूल संरचना।

92. इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि अनुच्छेद 15 (4), 15 (5) और

16 (4) अनुच्छेद 14 की आवश्यकताओं का पालन करना होगा और

अनुच्छेदों जैसे कई अन्य प्रावधानों में लगाया गया अनुशासन

15 (4) (ए) और 15 (4) (बी), हालांकि, वे समानता का एक हिस्सा हैं

अवधारणा, जिनमें से प्रत्येक हमारे संविधान में पाई जाती है।

93. यह कानून में एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता है

किसी वैधानिक प्रावधान में कुछ भी पढ़ें जो स्पष्ट और स्पष्ट हो। असंदिग्ध। कानून विधानमंडल का एक आदेश होता है। द.

कानून में प्रयुक्त भाषा विधायी इरादे का निर्धारक कारक है।

94. शब्द और वाक्यांश ऐसे प्रतीक हैं जो मानसिक रूप से आशोक कुमार ठाकुर को उत्तेजित करते हैं।

संदर्भों के संदर्भ। किसी कानून की व्याख्या करने का उद्देश्य इसे लागू करने वाले विधानमंडल के इरादे का पता लगाना है। (देखें।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान बनाम मेसर्स कीमत वाटरहाउस और एन. आर. (ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 74) की मंशा

विधानमंडल को मुख्य रूप से उपयोग की जाने वाली भाषा से एकत्र किया जाना है,

जिसका अर्थ है कि जो कहा गया है और जो नहीं कहा गया है, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। नतीजतन, ए

निर्माण जो इसके समर्थन, जोड़ या निर्माण के लिए आवश्यक है

शब्दों का प्रतिस्थापन या जिसके परिणामस्वरूप शब्दों को अस्वीकार कर दिया जाता है

अर्थहीन से बचना चाहिए। जैसा कि क्रॉफर्ड वी. में देखा गया है। स्पूनर (1846 (6) मूर पी. सी. 1), अदालतें, सहायता नहीं कर सकती हैं

किसी अधिनियम के विधानमंडलों के दोषपूर्ण वाक्यांश, हम जोड़ नहीं सकते हैं या सुधारें, और निर्माण द्वारा बची हुई कमियों को पूरा करें

वहाँ। (गुजरात राज्य और अन्य देखें। वी. दिलीपभाई

नाथजीभाई पटेल और आन्र। (जेटी 1998 (2) एससी 253)। यह इसके विपरीत है निर्माण के सभी नियमों को एक अधिनियम में शब्दों को पढ़ने के लिए जब तक कि ऐसा करना बिल्कुल आवश्यक न हो। (स्टॉक वी. देखें। फ्रैंक जोन्स

संसद के किसी अधिनियम में शब्दों को पढ़ें जब तक कि इसका स्पष्ट कारण न हो। यह अधिनियम के चारों कोनों के भीतर पाया जाना है। (प्रभु के अनुसार

लोरबर्न एल. सी. इन विकर्स संस एंड मैक्सिम लिमिटेड बनाम इवांस (1910) एसी 445 (एचएल), जामा में उद्धृत। मस्जिद, मरकारा बनाम।

कोडिमानियांद्र देवैया और अन्य। (ए. आई. आर 1962 एस. सी. 847)।

भारत और ओआरएस का संघ। 285

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।

वी. येनसावेज 218 एफआर 547)। इस दृश्य को यूनियन में दोहराया गया था। भारत और ओआरएस। वी. वेदेम वास्को डे के फिलिप टियागो डी गामा

गामा (ए. आई. आर 1990 एस. सी. 981)।

96. डी. आर. वेंकटचलम और अन्य में। आदि वी। डी. परिवहन

यह मत व्यक्त किया कि न्यायालयों को प्राथमिकता के खतरे से बचना चाहिए वैचारिक संरचना या योजना की अपनी पूर्व-परिकल्पित धारणाओं के आधार पर किसी प्रावधान के अर्थ का निर्धारण

जिसकी व्याख्या की जाने वाली व्यवस्था कुछ हद तक उपयुक्त है। वे.

भेष बदलकर विधायी कार्य को हड़पने के हकदार नहीं हैं व्याख्या।

97. किसी प्रावधान की व्याख्या करते समय न्यायालय केवल व्याख्या करता है

कानून है और इसे कानून नहीं बना सकते। यदि कानून के किसी प्रावधान का दुरुपयोग किया जाता है

यदि आवश्यक समझा जाए तो इसे संशोधित, संशोधित या निरस्त करने के लिए विधायिका। (बिक्री कर आयुक्त, एम. पी. बनाम. देखें। लोकप्रिय व्यापार कंपनी, उज्जैन (2000 (5) एससीसी 511)। विधायी मामला छूट न्यायिक व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती है।

98. निर्माण के दो सिद्धांत-एक केसस से संबंधित

समग्र रूप से क़ानून को पढ़ने के संबंध में ओमीसस और दूसरा

यह अच्छी तरह से व्यवस्थित प्रतीत होता है। प्रथम सिद्धांत के तहत न्यायालय द्वारा केसस ओमिसस की आपूर्ति नहीं की जा सकती है सिवाय इसके कि

आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए किसी क़ानून या धारा के सभी भागों का एक साथ अर्थ लगाया जाना चाहिए और किसी धारा के प्रत्येक खंड का अर्थ संदर्भ के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए। और उसके अन्य खंड ताकि एक पर निर्माण किया जाए

विशेष प्रावधान पूरे क़ानून का एक सुसंगत अधिनियमन करता है। यह अधिक होगा यदि किसी विशेष सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट का शाब्दिक निर्माण किया जाए।

खंड स्पष्ट रूप से बेतुके या विसंगत परिणामों की ओर ले जाता है जो विधानमंडल द्वारा इरादा नहीं किया जा सकता था। एक इरादा

एक अनुचित परिणाम उत्पन्न करने के लिए ", डैनैकवर्ट्स, एल. जे. ने कहा।

आर्टेमिउ वी। प्रोकोपियो (1966 1 क्यू. बी. 878) ", को आरोपित नहीं किया जाना चाहिए।

एक क़ानून के लिए यदि कोई अन्य निर्माण उपलब्ध है "। कहाँ? शब्दों को शाब्दिक रूप से लागू करने से "स्पष्ट इरादे को हरा दिया जाएगा

विधायिका और एक पूरी तरह से अनुचित परिणाम उत्पन्न "हम

"शब्दों के साथ कुछ हिंसा करनी चाहिए" और इसलिए इसे प्राप्त करें

स्पष्ट इरादा और एक तर्कसंगत निर्माण का उत्पादन करें। (प्रभु के अनुसार

देखा: " यह कोई नई समस्या नहीं है, हालांकि हमारे मानक प्रारूपण ऐसा होता है कि यह शायद ही कभी सामने आता है।

99. यह तब सच है कि "जब किसी कानून के शब्दों का विस्तार नहीं होता है

एक असुविधा के लिए शायद ही कभी हो रहा है, लेकिन उन लोगों के कारण जो

अक्सर ऐसा होता है, यह शब्दों को और तनाव न देने का अच्छा कारण है

जहाँ तक वे पहुँचते हैं, यह कहकर कि यह केसस ओमिसस है, और यह कि कानून

बार-बार उपयोग करने का इरादा।" " लेकिन ", दूसरी ओर,

" यह कोई कारण नहीं है, जब एक कानून के शब्द पर्याप्त होते हैं एक असुविधा शायद ही कभी हो रही है, जिसे उन्हें नहीं बढ़ाना चाहिए

इसके साथ-साथ अगर यह अधिक बार हुआ, क्योंकि ऐसा होता है

लेकिन शायद ही कभी "(फेंटन वी देखें। हैम्पटन (1858) XI मूर, पी. सी.

347) . एक केसस ओमिसस को व्याख्या द्वारा नहीं बनाया जाना चाहिए,

मजबूत आवश्यकता के कुछ मामलों में बचत करें। जहाँ, हालाँकि, एक कैसस ओमीसस वास्तव में होता है, या तो अनजाने में

विधायिका, या उस सिद्धांत पर जो अस्तित्व में है

प्रेटरंट लेजिस्लेटर (विधायक कहते हैं कि जिसे पारित करना है

केवल एक या दो बार होता है), नियम यह है कि विशेष मामला,

इस प्रकार बिना प्रदान किए छोड़ दिया गया है, के अनुसार निपटाया जाना चाहिए

कानून जैसा कि इस तरह के क़ानून से पहले मौजूद था-कैसस ओमिसस एट ओब्लिवियोनी कम्युनिस डिसपोजिशन न्यायशास्त्र त्याग; "एक केसस ओमिसस",

बुलर, जे. को जोन्स बनाम में देखा गया। स्मार्ट (1 टी. आर. 52) ", किसी भी मामले में कानून की अदालत द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए

कानून "

100. वसीयतों, क़ानूनों और, में अर्थ लगाने के लिए सुनहरा नियम

वास्तव में, सभी लिखित उपकरणों को इस प्रकार कहा गया है: द. शब्दों के व्याकरणिक और साधारण अर्थ का पालन किया जाना चाहिए अशोक कुमार ठाकुर v।

भारत और ओआरएस का संघ। 287

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

जब तक कि यह बाकी उपकरण के साथ कुछ बेतुकी या कुछ प्रतिकूलता या असंगतता का कारण न बने, इस मामले में शब्दों का व्याकरणिक और सामान्य अर्थ हो सकता है

संशोधित, ताकि उस बेतुकेपन और विसंगति से बचा जा सके, लेकिन आगे नहीं "(ग्रे वी देखें। पियर्सन (1857 (6) एच. एल. कैस। 61) . द.

हालाँकि, इस "सुनहरे नियम" के बाद के भाग को इसके साथ लागू किया जाना चाहिए

बहुत सावधानी बरतें। " अगर, "जर्विस, सी. जे. ने टिप्पणी की", सटीक शब्द

उपयोग किए गए हमारे निर्णय में स्पष्ट और स्पष्ट हैं, हम बाध्य हैं

उन्हें उनके सामान्य अर्थों में समझने के लिए, भले ही यह नेतृत्व करता है,

मामले के बारे में हमारा दृष्टिकोण, एक बेतुका या प्रकट अन्याय के लिए। शब्दों को संशोधित या विविध किया जा सकता है जहां उनका महत्व संदिग्ध है या अस्पष्ट। लेकिन हम विधायक के कार्यों को ग्रहण करते हैं जब हम

प्रयुक्त सटीक शब्दों के सामान्य अर्थ से हटकर,

केवल इसलिए कि हम देखते हैं, या कल्पना करते हैं, एक बेतुकी बात या उनके शाब्दिक अर्थ के पालन से प्रकट अन्याय "

(एबले वी. देखें। डेल 11, सी. बी. 378)।

101. लंबे समय में जातियों के आधार पर वर्गीकरण स्वाभाविक रूप से हानिकारक होने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए, तर्कसंगतता का परीक्षण लागू करना होगा। जब वस्तु है

लक्षय को प्राप्त करने के लिए जातियों का उन्मूलन और स्थायीकरण नहीं

जातिविहीन समाज और भेदभाव से मुक्त समाज

अनुमत सीमाओं के भीतर जातियों की न्यायिक समीक्षा पर निर्णय नहीं लिया जाता है। बाहर निकलें। लेकिन इसके साथ ही राज्य का हित भी बाध्यकारी हो सकता है।

पिछड़ेपन का आकलन करते समय विचार किया जाता है। का प्रभाव पिछड़ेपन पर गरीबी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आर्थिक मुक्ति और स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण हैं। नागराज के मामले में

(ऊपर) इसे अन्य बातों के साथ इस प्रकार मनाया गया:

रोजगार प्रत्येक मामले में मात्रात्मक आंकड़ों पर निर्भर करता है। कानून में समानता वास्तव में समानता से अलग है। जब हम

अनुच्छेद 16 (4) का अर्थ है, यह वास्तव में समानता है जो प्रमुख भूमिका निभाती है। पिछड़े वर्ग न्याय चाहते हैं। जनरल

सार्वजनिक रोजगार में वर्ग इक्विटी चाहता है। कठिनाई।

जब तीसरा चर आता है, अर्थात्,
सेवा में दक्षता। आरक्षण के मामले में हम सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिनिधि हैं

[2008] 4

एस सी आर।

न्याय के बीच एक स्थिर संतुलन खोजने के लिए कहा जाना

पीछे की ओर, आगे और दक्षता के लिए इक्विटी पूरे सिस्टम के लिए। उपरोक्त संदर्भ में समानता और न्याय

कठिन अवधारणाएँ हैं। हालाँकि, यदि आप इक्विटी में दक्षता जोड़ते हैं

और न्याय, समस्या के संदर्भ में उत्पन्न होती है

आरक्षण। इसलिए इस समस्या की जांच की जानी चाहिए।

प्रत्येक मामले के तथ्यों पर। इसलिए, अनुच्छेद 16 (4) को

संविधान के अनुच्छेद 335 के आलोक में समझा जाए।

प्रतिनिधित्व में अपर्याप्तता और पिछड़ेपन

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं -

ऐसी परिस्थितियाँ जो राज्य सरकार को कार्रवाई करने में सक्षम बनाती हैं

संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत। हालांकि, जैसा कि आयोजित किया गया है

इस न्यायालय द्वारा विवेकाधिकार पर सीमाएँ

अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण के मामले में सरकार

साथ ही अनुच्छेद 16 (4-ए) अनुच्छेद 335 के रूप में आता है। संविधान से।

एक्सएक्सएक्स

XX

46. हम जिस बिंदु पर जोर दे रहे हैं वह यह है कि अंततः

वर्तमान विवाद के अभ्यास के बारे में है

प्रत्येक मामले में तथ्य स्थिति के आधार पर राज्य सरकार द्वारा शक्ति। इसलिए, "शक्ति का निहित होना"

एक सक्षम प्रावधान द्वारा संवैधानिक रूप से मान्य हो सकता है और

फिर भी किसी मामले में राज्य द्वारा "शक्ति का प्रयोग" मनमाना हो सकता है, विशेष रूप से यदि राज्य पहचान करने में विफल रहता है

और पिछड़ेपन और अपर्याप्तता को मापते हुए

अनुच्छेद के तहत आवश्यकता के अनुसार सेवा की दक्षता का ध्यान रखें 335 .

XX

XX

48. यह "वास्तव में" समानता है जिसका निर्णय जमीनी हकीकत को देखते हुए किया जाना चाहिए। संतुलन कहाँ आता है

सवाल आरक्षण की सीमा से संबंधित है। यदि इसकी सीमा

विपरीत भेदभाव। भेदभाव विरोधी कानून में वास्तविक आरक्षण की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति है। इसलिए, एक संख्यात्मक बेंचमार्क निश्चित प्रतिरक्षा है ओकेए कुमार ठाकुर वी।

भारत संघ और ओ. आर. एस. 289

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

भेदभाव के आरोपों के खिलाफ।

49. जाति को पार करने के लिए आरक्षण आवश्यक है और

इसे कायम रखने के लिए नहीं। आरक्षण का उपयोग किया जाना चाहिए

सीमित अर्थ अन्यथा यह जातिवाद को कायम रखेगा देश। आरक्षण एक विशेष द्वारा लिखा जाता है

औचित्य। अनुच्छेद 16 (1) में समानता व्यक्तिगत-विशिष्ट है।

जबकि अनुच्छेद 16 (4) और अनुच्छेद 16 (4-ए) में आरक्षण है

सक्षम करें। हालाँकि, राज्य का विवेकाधिकार विषय है

"पिछड़ेपन" और "अपर्याप्तता" के अस्तित्व के लिए

सार्वजनिक रोजगार में प्रतिनिधित्व। पिछड़ेपन है

वस्तुनिष्ठ कारकों पर आधारित होना जबकि अपर्याप्तता

वास्तव में मौजूद होना चाहिए। यह वह जगह है जहाँ न्यायिक समीक्षा आती है

में। हालाँकि, क्या किसी दिए गए मामले में आरक्षण है

एक नीति के रूप में वांछनीय है या नहीं, यह हमें लंबे समय तक तय नहीं करना है।

अनुच्छेद 16 (4) और 16 (4) में उल्लिखित मापदंडों के रूप में

ए) बनाए रखा जाता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, समानता, न्याय और

योग्यता (अनुच्छेद 335)/दक्षता ऐसे चर हैं जो केवल कर सकते हैं

प्रत्येक मामले में एक प्रासंगिक मामला बनाया जाना चाहिए अलग-अलग परिस्थितियों के आधार पर जो मौजूद हो सकते हैं

राज्य-बुद्धिमान।

XX

XX

102. बुनियादी सिद्धांत के अनुप्रयोग के मामले में

संरचना, जुड़वां परीक्षणों को संतुष्ट करना होगा, अर्थात्, "चौड़ाई" "परीक्षण" और "पहचान" का परीक्षण। जैसा कि ऊपर बताया गया है,

अनुच्छेद 16 के खंड (1) और (4) में। वे नहीं हैं। संवैधानिक सीमाएँ। वे अवधारणाएँ हैं जिनसे व्युत्पन्न

सेवा न्यायशास्त्र। वे संवैधानिक नहीं हैं।

सिद्धांत। वे धर्मनिरपेक्षता जैसे स्वयंसिद्ध नहीं हैं,

संघवाद, आदि। इन अवधारणाओं का विस्मरण या सम्मिलन

इन अवधारणाओं में से समानता संहिता को नहीं बदलता है।

संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 द्वारा इंगित। अनुच्छेद 16 का खंड (1) राज्य को सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट से नहीं रोक सकता है।

[2008] 4

एस सी आर।

पिछड़े लोगों के मजबूर करने वाले हितों का संज्ञान लेना

समाज में वर्ग। अनुच्छेद 16 के खंड (1) और (4)

अनुच्छेद के तहत समानता के सिद्धांत के पुनर्कथन हैं

14. अनुच्छेद 16 का खंड (4) सकारात्मक कार्रवाई को संदर्भित करता है -

आरक्षण का तरीका। हालांकि, अनुच्छेद 16 के खंड (4) में कहा गया है

कि उपयुक्त सरकार प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है

उन मामलों में आरक्षण जहां इसे आधार पर संतुष्ट किया जाता है

मात्रात्मक आँकड़ा कि पिछड़ा वर्ग अपर्याप्त है

सेवाओं में प्रतिनिधित्व। इसलिए, हर मामले में जहाँ

राज्य वहाँ आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लेता है

दो परिस्थितियाँ मौजूद हैं, अर्थात्, "पिछड़ेपन" और

" प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता "। जैसा कि ऊपर कहा गया है, समानता, न्याय और दक्षता परिवर्तनशील कारक हैं। ये कारक हैं

प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ। ये हैं। द्वारा शक्ति के प्रयोग के तरीके पर सीमाएँ

राज्य। इनमें से कोई भी सीमा नहीं हटाई गई है

विवादित संशोधन। यदि संबंधित राज्य विफल रहता है

पिछड़ेपन, अपर्याप्तता की पहचान करें और मापें और

समग्र प्रशासनिक दक्षता तब उस घटना में आरक्षण का प्रावधान अमान्य होगा। ये

संशोधन अनुच्छेद 14,15 की संरचना को नहीं बदलते हैं।

और 16 (इक्विटी कोड)। लेख में उल्लिखित मापदंड

16 (4) रखे जाते हैं। खंड (4-ए) अनुच्छेद 16 के खंड (4) से लिया गया है। खंड (4-ए) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक ही सीमित है।

अकेले। इसलिए, वर्तमान मामला संविधान की पहचान को नहीं बदलता है। शब्द "संशोधन"

संकेत बदल जाते हैं। सवाल यह है कि क्या

संशोधन मूल संविधान को खारिज कर देते हैं। यह था। याचिकाकर्ताओं की ओर से जोरदार आग्रह किया गया कि

विवादित संशोधनों को जारी किया गया है संसद इस न्यायालय के निर्णयों को निरस्त करेगी। हम करते हैं।

इस तर्क में कोई दम नहीं है। के अनुच्छेद 141 के तहत

संविधान इस न्यायालय की घोषणा है

देश का कानून। विरपाल सिंह, इयोका कुमार ठाकुर बनाम में इस न्यायालय के निर्णय।

भारत और ओआरएस का संघ। 291

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

अजीत सिंह (प्रथम), अजीत सिंह (द्वितीय) और इंद्र साहनी इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय जिन्होंने

देश का कानून। यह वह कानून है जिसे बदलने की मांग की जाती है।

विवादित संवैधानिक संशोधनों द्वारा

विवादित संवैधानिक संशोधन सक्षम कर रहे हैं प्रकृति। वे आरक्षण प्रदान करने के लिए इसे राज्यों पर छोड़ देते हैं।

यह अच्छी तरह से तय है कि संसद एक कानून बनाते समय ऐसा करती है "सही" के लिए सामग्री प्रदान नहीं करते हैं। सामग्री प्रदान की जाती है

उच्चतम न्यायालय के निर्णयों द्वारा। यदि उचित हो। सरकार बिना आरक्षण के एक कानून बनाती है

अनुच्छेद 16 (4) और अनुच्छेद के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए

335 तब यह न्यायालय निश्चित रूप से अलग कर देगा और खारिज कर देगा

ऐसा कानून। "चौड़ाई परीक्षण" को लागू करते हुए, हम नहीं पाते हैं

किसी भी संवैधानिक सीमा का उन्मूलन। आवेदन करना

"पहचान" के परीक्षण में, हम कोई परिवर्तन नहीं पाते हैं

समानता संहिता की मौजूदा संरचना। जैसा कि ऊपर बताया गया है।

व्यापक सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है विवादित संवैधानिक संशोधन। समानता दो प्रकार की होती है

पहलू-"औपचारिक समानता" और "आनुपातिक समानता"

आनुपातिक समानता "वास्तव में" समानता है जबकि औपचारिक

समानता "कानून में समानता" है। औपचारिक समानता मौजूद है

कानून का शासन। आनुपातिक समानताक मामलामे राज्य अछि -

के पक्ष में सकारात्मक कदम उठाने की उम्मीद है

उदार लोकतंत्र। समतावादी समानता आनुपातिक है। समानता।

XX

XX

XX

107. इसकी प्रकृति को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है

संवैधानिक संशोधन। वे स्वभाव से उपचारात्मक हैं।

अनुच्छेद 16 (4) में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है।

सार्वजनिक रूप से अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के मामलों में वर्ग

रोजगार। अनुच्छेद 16 (4) के लिए एक उपाय के रूप में अधिनियमित किया गया है

एक सामाजिक वर्ग के खिलाफ पिछले ऐतिहासिक भेदभाव। द.

अनुच्छेदों जैसे सक्षम प्रावधानों को लागू करने में आपत्ति 16 (4) , 16 (4 - ए) और 16 (4-बी) यह है कि राज्य को सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट का अधिकार प्राप्त है।

[2008] 4

एस सी आर।

बाध्यकारी हितों की पहचान करना और उन्हें पहचानना। अगर

राज्य के पास पिछड़ेपन को दर्शाने के लिए मात्रात्मक आंकड़े हैं और अपर्याप्तता तब राज्य में आरक्षण कर सकता है

दक्षता के रखरखाव को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति जो एक संवैधानिक सीमा मानी जाती है

इंगित के अनुसार आरक्षण देने में राज्य का विवेकाधिकार

अनुच्छेद 335 द्वारा। जैसा कि ऊपर बताया गया है, दक्षता की अवधारणाएँ,

पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता की आवश्यकता है

पहचान और मापा जाना। यह अभ्यास इस पर निर्भर करता है कि

आंकड़ों की उपलब्धता। यह अभ्यास कई बातों पर निर्भर करता है।

कारक। यह इस कारण से है कि सक्षम प्रावधान हैं

किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि प्रत्येक प्रतिस्पर्धी दावा

कुछ लक्षयों को प्राप्त करना चाहते हैं। सबसे अच्छा कैसे होना चाहिए?

स्थानीय प्रचलित परिस्थितियों के संदर्भ में प्रशासन सार्वजनिक रोजगार में। यह काफी हद तक प्रदर्शित किया जाता है

इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर यहाँ ऊपर चर्चा की गई है।

इसलिए, समानता के बीच एक बुनियादी अंतर है।

कानून "और" वास्तव में समानता "(विलियम द्वारा सकारात्मक कार्रवाई देखें)

डार्टी)। यदि अनुच्छेद 16 (4-ए) और 16 (4-बी) अनुच्छेद से निकलते हैं।

16 (4) और यदि अनुच्छेद 16 (4) एक सक्षम प्रावधान है तो

अनुच्छेद 16 (4-ए) और 16 (4-बी) भी प्रावधानों को सक्षम कर रहे हैं। जब तक अनुच्छेद 16 (4) में उल्लिखित सीमाएँ हैं,

अर्थात्, पिछड़ेपन, अपर्याप्तता और दक्षता

प्रशासन को अनुच्छेद 16 (4-ए) और 16 (4 बी) में नियंत्रक कारकों के रूप में बनाए रखा गया है, हम संवैधानिक नहीं मान सकते हैं।

इन सक्षम प्रावधानों के लिए अयोग्यता। हालांकि, जब राज्य नियंत्रण कारकों की पहचान करने और उन्हें लागू करने में विफल रहा है

तब अति आती है, जिसका निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों पर किया जाना है। किसी मामले में, जहाँ

अत्यधिकता के परिणामस्वरूप विपरीत भेदभाव होता है, यह न्यायालय

अलग-अलग मामलों की जांच करनी होती है और मामले का फैसला करना होता है

कानून के अनुसार। यह "निर्देशित शक्ति" का सिद्धांत है। हम एक बार फिर दोहरा सकते हैं कि समानता का उल्लंघन नहीं किया जाता है

केवल शक्ति प्रदान करना लेकिन मनमाने तरीके से इसका उल्लंघन किया जाता है प्रदत्त शक्ति का प्रयोग "।

ओके कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 293

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

102. मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ (1980) 3 एससीसी

इसे इस प्रकार देखा गया:

" 57. यह केवल शब्दार्थ नहीं है। हमारी इमारत संविधान प्रस्तावना में स्पष्ट अवधारणाओं पर बनाया गया है। हमने खुद को एक में गठित करने का संकल्प लिया

समाजवादी राज्य जो अपने साथ हमारे लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का दायित्व रखता था। इसलिए, हम अपने संविधान में भाग IV डालते हैं जिसमें शामिल हैं -

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जो निर्दिष्ट करते हैं -

समाजवादी लक्षय को प्राप्त करना। हमने अपने लोगों से वादा किया था

एक लोकतांत्रिक राजनीति जो अपने साथ दायित्व वहन करती है - लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना,

आस्था और पूजा; स्थिति और अवसर की समानता और यह आश्वासन कि व्यक्ति की गरिमा बिल्कुल भी नहीं होगी

लागतों को सहेजा जाए। इसलिए हम भाग 2 को अपने लेख में शामिल करते हैं। संविधान लोगों को वे अधिकार प्रदान करता है। वे।

अधिकार अपने आप में एक अंत नहीं हैं बल्कि साधन हैं

भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकार उचित के अधीन हैं प्रतिबंध और संविधान प्रदान करता है कि प्रवर्तन

उनमें से कुछ, कथित असामान्य परिस्थितियों में,

निलंबित किया जाए। लेकिन जिस तरह भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकार एक रडार और एक कम्पास के बिना होंगे यदि वे नहीं थे

एक आदर्श के लिए तैयार, उसी तरह भाग IV में निर्धारित आदर्शों की प्राप्ति एक ढोंग बन जाएगी

अत्याचार यदि उस आदर्श को प्राप्त करने के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत

मानव स्वतंत्रताएँ। हमारे संस्थापकों के धर्मों में से एक

साधनों की शुद्धता थी। वास्तव में, हमारे कानून के तहत, यहां तक कि

हत्या करने वाले डकैत को मौत की सजा नहीं दी जा सकती भागने के बाद आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करना। सभ्यता का आग्रह इतना महान है

साधनों की शुद्धता पर कानून। भाग IV में निर्धारित लक्षय

इसलिए, निरस्त किए बिना प्राप्त किया जाना है

भाग III द्वारा उपबंधित साधन। इस अर्थ में यह

भाग III और IV एक साथ हमारे मूल का गठन करते हैं। संविधान और, अपनी अंतरात्मा बनाने के लिए गठबंधन करें। कुछ भी नहीं-294

जो दोनों भागों के बीच संतुलन को नष्ट कर देगा

.

वास्तव में मूल संरचना के एक आवश्यक तत्व को नष्ट कर देता है।

हमारे संविधान का "।

103. टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन में इस विचार की पुष्टि की गई थी और

ओआरएस। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। (2002 (8) एससीसी 481)

104. यह रेखांकित किया गया है कि अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5)

अपरिवर्तनीय हैं। यह इंगित किया गया है कि अनुच्छेद 30 का इरादा नहीं है

लोगों के किसी भी वर्ग को लाड़ प्यार करने के लिए, लेकिन आश्वस्त करने का इरादा है

स्थापना के अधिकार के संबंध में अल्पसंख्यक। इस मायने में, लेख

19 (1) (छ) लागू होता है। उक्त अधिकार एक अभेद्य है और

पवित्र सही। श्री वेणुगोपाल के अनुसार, अनुच्छेद 15 (5)

गैर-सहायता प्राप्त अधिकारों को बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 30 किसी से संबंधित नहीं है। बहुमत से सुरक्षा के लिए विशेष अधिकार और यह नहीं हो सकता है

इसे कोई भी उच्च अधिकार कहा जाता है और इसलिए, अनुच्छेद 19 (1) (जी)

प्रतिबंध नहीं है। इसका उद्देश्य असमानता पैदा करना नहीं है।

105. यह बताया गया है कि अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) दोनों

गैर-बाधा प्रावधान के साथ शुरू करें। अनुच्छेद 15 (5) बाद का है। परिचय। यह कहा गया है कि अनुच्छेद 15 (1) को प्रबल होना है

अनुच्छेद 15 (4) और कुछ वर्ग के लोगों को दिया गया अधिकार

अनुच्छेद 15 (5) के कारण अनुच्छेद 15 (4) समाप्त हो जाता है।

106. संविधान के प्रावधानों को पढ़ना होगा

सामंजस्यपूर्ण रूप से और किसी भी भाग को अनावश्यक नहीं माना जा सकता है। हमारे देश में

माना जाता है कि दोनों प्रावधान अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं।

हालांकि कुछ मात्रा में अतिव्यापी हो सकता है लेकिन यह करता है

किसी भी तरह से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचता है कि अनुच्छेद 15 (5) लेता है अनुच्छेद 15 (4) में जो प्रावधान किया गया है उसे हटा दें।

107. एक ऐसा निर्माण जो क़ानून को व्यर्थ कर देता है

इससे बचना चाहिए। कोई कानून या उसमें कोई अधिनियमन प्रावधान इसका इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि यह प्रभावी और प्रभावी हो।

सिद्धांत को मैक्सिम यूट रेस मैजिस वैलेट क्वाम में व्यक्त किया गया है पेरेट यानी एक उदार निर्माण को आशोक कुमार ठाकुर बनाम के रूप में लिखा जाना चाहिए।

भारत और ओआरएस का संघ। 295

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

उपकरण, ताकि यदि संभव हो तो उन्हें बनाए रखा जा सके और अंदर ले जाया जा सके

पक्षों के इरादे को प्रभावित करना। [ब्रूम्स लीगल मैक्सिम्स देखें। (10th Edn.), पी। 361 , क़ानूनों पर क्रेज़ (7 वीं संस्करण), पी। 95 और

क़ानूनों पर मैक्सवेल (11 वीं संस्करण)।

108. एक क़ानून व्यवहार्य होने के लिए बनाया गया है और

न्यायालय द्वारा इसकी व्याख्या उस उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए की जानी चाहिए।

जब तक कि महत्वपूर्ण चूक या स्पष्ट दिशा उस अंत को नहीं बनाती है

अप्राप्य। (व्हिटनी वी. देखें। आई. आर. सी. (1926 ए. सी. 37) पी. 52 संदर्भित

सी. आई. टी. वी. एस. तेजा सिंह (ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 352) और गुरसाहई

सहगल वी. सी. आई. टी. (ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1062)।

109. अदालतों को उस निर्माण को अस्वीकार करना होगा जो

यह विधायिका के स्पष्ट इरादे को विफल कर देगा, भले ही उपयोग की गई भाषा में कुछ अक्षमता हो। (सैल्मन देखें

वी. डनकोम्ब (1886) 11 एसी 627 पी। 634 , कर्टिस वी। स्टोविन (1889)

22 क्यू. बी. डी. 513) एस. तेजा सिंह मामले में संदर्भित।)

110. यदि चुनाव दो व्याख्याओं के बीच है, तो

जिसमें से संकीर्ण कानून के प्रकट उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहेगा, हमें एक ऐसे निर्माण से बचना चाहिए जो

कानून को निरर्थकता में कम करें, और इसके बजाय स्वीकार करना चाहिए

साहसिक निर्माण, इस दृष्टिकोण के आधार पर कि संसद केवल एक प्रभावी परिणाम लाने के उद्देश्य से कानून बनाएगी। (नोक्स वी. देखें। डोनकास्टर अमालगामेटेड कोलियरीज (1940 (3)

सभी ई. आर. 549) पाई वी. में संदर्भित हैं। एनएसडब्ल्यू के लिए भूमि मंत्री

(1954) 3 सभी ई. आर. 514। उक्त मामलों में बताए गए सिद्धांत

इस न्यायालय द्वारा मोहन कुमार सिंघानिया बनाम में दोहराया गया था। भारत संघ (1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 594)।

111. कानून को समग्र और एक प्रावधान के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

अधिनियम का अर्थ अन्य प्रावधानों के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए।

उसी अधिनियम में ताकि एक सुसंगत अधिनियम बनाया जा सके

पूरा क़ानून।

112. न्यायालय को विधायिका के इरादे का पता लगाने के लिए अपना ध्यान केवल उन खंडों की ओर नहीं केंद्रित करना चाहिए जो अर्थ लगाया गया लेकिन पूरे क़ानून के लिए; इसे खंड की तुलना करनी चाहिए

कानून के अन्य भागों और उस व्यवस्था के साथ जिसमें खंड 296 तक है

व्याख्या की जाती है। (आर. एस. रघुनाथ बनाम देखें। की स्थिति

कर्नाटक (1992) 1 एस. सी. सी. 335) इस तरह के निर्माण में योग्यता है।

किसी धारा के भीतर या दो अलग-अलग धाराओं या प्रावधानों के बीच किसी भी विसंगति या प्रतिकूलता से बचने के लिए एक ही कानून। एक ही अधिनियम की दो धाराओं के बीच टकराव से बचना अदालत का कर्तव्य है। (सुल्ताना बेगम बनाम देखें।

प्रेम चंद जैन 1997 (1) एस. सी. सी. 373.)

113. जब भी ऐसा करना संभव हो, यह किया जाना चाहिए

उन प्रावधानों का अर्थ लगाएं जो विरोधाभासी प्रतीत होते हैं ताकि वे

सामंजस्य स्थापित करें। यह हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए कि संसद ने

एक हाथ से दिया गया जो वह दूसरे हाथ से ले गया।

114. कानून के एक खंड के प्रावधान नहीं कर सकते हैं

दूसरे को हराने के लिए उपयोग किया जाए जब तक कि यह असंभव न हो

उनके बीच सुलह का प्रभाव। इस प्रकार एक निर्माण जो प्रावधानों में से एक को "बेकार लकड़ी" या "मृत" कर देता है।

अक्षर "एक सामंजस्यपूर्ण संरचना नहीं है। सामंजस्य स्थापित करना नहीं है

नष्ट करें।

115. भारत के संविधान का उद्देश्य स्थिर होना नहीं है।

यह अपने स्वभाव से गतिशील है। यह एक जीवित और जैविक चीज है। यह.

यह एक ऐसा उपकरण है जिसका अर्थ लगाया जाना सबसे अधिक मूल्यवान है। यू टी

रेस वालेट पोटियस क्वाम पेरेत "(निर्माण होना चाहिए

पसंदीदा जो मशीनरी को काम करने योग्य बनाता है)। हमारा संविधान उन लोगों की मान्यताओं और राजनीतिक आकांक्षाओं को दर्शाता है

जिसने इसे तैयार किया था। इसलिए यह वांछनीय है कि विचार करते समय

सवाल यह है कि क्या अन्य पिछड़े लोगों के लिए 27 प्रतिशत तय किया गया है

निश्चित आंकड़ों के बिना बनाए रखे जाने वाले वर्ग उन लोगों के अधिकार

जो अन्य आर्थिक पिछड़े वर्गों की दुर्भाग्यपूर्ण श्रेणियों से संबंधित हैं, वे चिंतित होने के योग्य हैं, अन्यथा

अन्य पिछड़े लोगों की संख्या का कोई निश्चित निर्धारण नहीं होना चाहिए

कक्षाएँ। मलाईदार परत के लिए माप तय करते समय यह नहीं होगा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मानदंड तय करना भी मुश्किल होगा, बल्कि बाद की कवायद को करना आसान होगा।

उपक्रम करें।

116. इंद्र साहनी की संख्या 1 में बहिष्कृत करने की वांछनीयता

आरक्षण क्षेत्र के कुछ पदों पर प्रकाश डाला गया था।

यह जोक कुमार ठाकुर बनाम था। भारत और ओआरएस का संघ। 297

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

इस बात पर जोर दिया कि आरक्षण की नीति की आवधिक समीक्षा

अनिवार्य है। इसे अन्य बातों के साथ इस प्रकार देखा गया:

" 838. जबकि अनुच्छेद 335 पर, हमारी राय है कि

कुछ सेवाएँ और पद हैं जहाँ या तो खाते में हैं

उनसे जुड़े कर्तव्यों की प्रकृति या स्तर (में

पदानुक्रम) जिस पर वे प्राप्त करते हैं, योग्यता जैसा कि समझाया गया है

यहाँ ऊपर, अकेले गिनती है। ऐसी स्थितियों में, यह नहीं हो सकता है आरक्षण की व्यवस्था करने की सलाह दी जाती है। उदाहरण के लिए

अनुसंधान और विकास में तकनीकी पद

विशिष्टताओं में संगठन/विभाग/संस्थान और

चिकित्सा, इंजीनियरिंग और इस तरह के अन्य क्षेत्रों में सुपर-स्पेशलिटी

रक्षा में भौतिक विज्ञान और गणित के पाठ्यक्रम

सेवाएँ और उससे जुड़े प्रतिष्ठान में।

इसी तरह, उच्च पदों के मामले में जैसे कि

प्रोफेसर (शिक्षा में), इंडियन एयरलाइंस और एयर में पायलट भारत, परमाणु और अंतरिक्ष में वैज्ञानिक और तकनीशियन

आवेदन, आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा सलाह दी जाती है।

XX

XX

840. हम यह इंगित कर सकते हैं कि सेवाओं/पदों की गणना की गई है

ऊपर, उनकी प्रकृति और कर्तव्यों के कारण, हैं

जैसे कि उच्चतम स्तर की बुद्धि, कौशल और उत्कृष्टता। इनमें से कुछ दूसरे और तीसरे स्तर के हैं।

आरोही क्रम में पद। अतः वे एक श्रेणी बनाते हैं

अलग-अलग। हो सकता है कि उसमें आरक्षण इसके अनुरूप न हो

" अनुच्छेद 335 द्वारा अनुध्यात प्रशासन की दक्षता।

XX

XX

XX

859. " हम विभिन्न प्रश्नों के अपने उत्तरों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं -

ऊपर दिए गए प्रश्नों और उनके उत्तर;

(1) (क) यह आवश्यक नहीं है कि अनुच्छेद के तहत 'प्रावधान'

16 (4) अनिवार्य रूप से संसद द्वारा किया जाना चाहिए /

विधायिका। ऐसा प्रावधान किया जा सकता है

कार्यपालक भी। स्थानीय निकाय, वैधानिक निगम
और उच्च न्यायालय रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाले राज्य के अन्य उपकरण

[2008] 4 एस सी
आर।

संविधान का अनुच्छेद 12 स्वयं है।

यदि ऐसी सलाह दी जाती है तो ऐसा प्रावधान करने के लिए सक्षम।

(ख) एक कार्यकारी आदेश जिसके तहत एक प्रावधान किया गया है

अनुच्छेद 16 (4) को बनाए जाने के साथ ही लागू किया जा सकता है।

और जारी किया गया।

(क) अनुच्छेद 16 का खंड (4) इसका अपवाद नहीं है -

खंड (1)। यह एक उदाहरण और एक चित्रण है

खंड (1) में निहित वर्गीकरण। (ख) अनुच्छेद 16 (4) इस विषय का संपूर्ण विवरण है -

पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में आरक्षण,

जैसा कि इस निर्णय में समझाया गया है।

(ग) अनुच्छेद 16 के खंड (1) के तहत भी आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। यह विस्तार तक सीमित नहीं है

केवल वरीयताएँ, रियायतें या छूट। ये आरक्षण, यदि कोई हों, खंड (1) के तहत किए गए हैं।

इसे इस तरह समायोजित और कार्यान्वित किया जाना चाहिए कि इसके लिए निर्धारित प्रतिनिधित्व के स्तर से अधिक न हो।

' नागरिकों का पिछड़ा वर्ग-जैसा कि इसमें समझाया गया है

निर्णय।

(क) एक जाति एक सामाजिक वर्ग हो सकती है और अक्सर होती है।

गैर-हिंदुओं में कई व्यावसायिक समूह, समूह और संप्रदाय हैं, जो ऐतिहासिक हैं। कारण सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। वे भी अनुच्छेद 16 (4) के प्रयोजनों के लिए पिछड़े, सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(ख) न तो संविधान और न ही कानून पिछड़े लोगों की पहचान की प्रक्रिया या विधि निर्धारित करता है।

कक्षाएँ। न ही न्यायालय के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया या विधि निर्धारित करना संभव या उचित है। इसे होना ही चाहिए।

पहचान करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी पर छोड़ दिया जाए। यह ऐसी विधि/प्रक्रिया अपना सकता है जो उसे सुविधाजनक लगे।

और जब तक इसका सर्वेक्षण पूरी आबादी को शामिल करता है, कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

299

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है। की पहचान

पिछड़े वर्गों को निश्चित रूप से किया जा सकता है

अन्य जातियों के बीच और साथ में जातियों का संदर्भ

व्यावसायिक समूह, वर्ग और लोगों के वर्ग।

इस प्रक्रिया को या तो व्यावसायिक रूप से शुरू किया जा सकता है।

समूहों के साथ या जातियों के साथ या कुछ अन्य समूहों के साथ।

इस प्रकार कोई भी जाति के साथ प्रक्रिया शुरू कर सकता है, कहीं भी।

वे पाए जाते हैं, मानदंड लागू करते हैं (के लिए विकसित)

मानदंडों को पूरा करें। यदि यह करता है-जो उभरता है वह एक है " नागरिकों का पिछड़ा वर्ग "के अर्थ के भीतर

समूह, समुदाय और वर्ग ताकि पूरी आबादी। केंद्रीय विचार और समग्र उद्देश्य

सभी उपलब्ध समूहों, अनुभागों पर विचार करना चाहिए और समाज में वर्ग क्योंकि जाति एक का प्रतिनिधित्व करती है

विद्यमान, पहचान योग्य सामाजिक समूह/वर्ग

एक भारी अल्पसंख्यक को शामिल करते हुए देश की आबादी, कोई भी इसके साथ अच्छी तरह से शुरू कर सकता है और

फिर अन्य समूहों, वर्गों और कक्षाओं में जाएँ।

(ग) यह कहना सही नहीं है कि पिछड़े वर्ग

अनुच्छेद 16 (4) में उल्लिखित नागरिक समान हैं -

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग

अनुच्छेद 15 (4) में संदर्भित। यह बहुत व्यापक है। द.

अनुच्छेद 16 (4) में सामाजिक पिछड़ेपन पर जोर दिया गया है। बेशक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक

भारत में पिछड़ेपन एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।

(घ) 'मलाईदार परत' हो सकती है और इसे बाहर रखा जाना चाहिए। (ई) एक वर्ग के रूप में नामित किया जाना आवश्यक नहीं है

एक पिछड़ा वर्ग जो इसके समान स्थित है

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति।

(च) किसी विशेष के प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता

राज्य के अधीन सेवाओं में वर्ग सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के अंतर्गत आता है।

एस सी आर।

उपयुक्त की व्यक्तिपरक संतुष्टि

सरकार। उस ओर से न्यायिक जांच व्यक्तिपरक के भीतर अन्य मामलों की तरह ही है। किसी प्राधिकारी की संतुष्टि।

(4) (क) पिछड़े वर्ग के नागरिकों की पहचान नहीं की जा सकती है।

केवल और विशेष रूप से आर्थिक संदर्भ में

मानदंड।

व्यवसाय सह आय के आधार पर, बिना
जाति का संदर्भ, यदि इसकी सलाह दी जाती है।

(5) पिछड़े वर्ग को वर्गीकृत करने के लिए कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है

नागरिकों के पिछड़े और अधिक वर्गों में।
पिछड़े वर्ग।

(6) (क) और (ख) खंड में अनुध्यात आरक्षण

(4) अनुच्छेद 16 का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। जबकि 50 प्रतिशत नियम होगा, इसे बाहर नहीं रखना आवश्यक है

कुछ अंतर्निहित असाधारण स्थिति पर विचार करें

इस देश और लोगों की महान विविधता में।

117. अनुच्छेद 2 (4) में वसंत कुमार के मामले (ऊपर) में, यह था

निम्नलिखित रूप में सेवा दी गई:

" 2 (4) . रोजगार, शिक्षा में आरक्षण की नीति

और विधायी संस्थानों की हर पाँच पर समीक्षा की जानी चाहिए।

कुछ साल या तो। वह तुरंत एक अवसर प्रदान करेगा (i)

आरक्षण नीति और (ii) लोगों के लिए, दोनों पिछड़े और गैर-पिछड़े, एक में अपने विचारों को हवा देने के लिए

नीति के व्यावहारिक प्रभाव पर सार्वजनिक बहस

आरक्षण "।

118. ए. पी. और ए. एन. आर. राज्य में वी. पी. सागर (1968 (3) एससीआर

पैरा 15 में इसे इस प्रकार देखा गया था:

" अनुच्छेद 15 पहले खंड द्वारा एक मौलिक गारंटी देता है आम तौर पर जनता के लिए दूरगामी महत्व का अधिकार।

बोका कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 301

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

कुछ परिभाषित सीमाओं के भीतर एक अपवाद है

सी. एल. में स्वतंत्रता की गारंटी पर उत्कीर्ण। (1) , लेकिन

एक अपवाद की प्रकृति में होने के नाते, परिस्थितियाँ जो

प्रस्थान के औचित्य को सख्ती से अस्तित्व में दिखाया जाना चाहिए। जब ए.

न्यायालय के समक्ष विवाद उठाया जाता है कि एक विशेष कानून जो भेदभाव के खिलाफ गारंटी के साथ असंगत है।

इस दलील पर वैध है कि इसकी अनुभाग (4) के तहत अनुमति है

कला. 15 राज्य का दावा है कि के अधिकारी

राज्य ने उन मानदंडों को ध्यान में रखा था जो

यह निर्धारित करने के लिए न्यायालयों द्वारा अपनाया गया कि कौन

समाज के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग

हैं, या कि अधिकारियों ने अच्छे विश्वास में काम किया था

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों का निर्धारण करना नागरिकों के वर्ग, बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे

दावे की वैधता। देश के न्यायालयों को उस कानून की वैधता निर्धारित करने की शक्ति दी जाती है जो

नागरिकों और अन्य लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और

जब कोई सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा कानून है जो प्रथम दृष्टया

एक गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है

अपवाद के रूप में, उस कानून की वैधता निर्धारित की जानी चाहिए

उस पर, और अपवाद के भीतर था, की अधिकारिता न्यायालयों को यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कानून बनाकर

मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है जिसे बाहर नहीं किया गया है।

119. कुमारी के. एस. अस्री और अन्र में महत्वपूर्ण अवलोकन किए गए थे। वी. केरल राज्य और ए. एन. आर. (1976 (3)

सी 730)। पैरा 22 में इसे इस प्रकार नोट किया गया था:

" यह निर्धारित करने की समस्या कि सामाजिक रूप से कौन हैं और

शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग निस्संदेह सरल नहीं हैं। इसके निर्धारण के लिए उचित मानदंड विकसित करने में समाजशास्त्रीय और आर्थिक विचार कार्य में आते हैं। यह वह है

राज्य का कार्य। अदालत का अधिकार क्षेत्र तय करना है क्या लागू किए गए परीक्षण वैध हैं। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि परीक्षण

लागू सामाजिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के वर्गीकरण के लिए उचित और मान्य हैं।

और परीक्षा के आधार पर शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को अनुच्छेद की आवश्यकताओं के अनुरूप होना होगा।

15 (4) . आयोग ने प्रासंगिक आवेदन करने पर पाया है

यह परीक्षण करता है कि समुदायों का निम्न आय समूह

रिपोर्ट के परिशिष्ट VIII में नामित सामाजिक रूप से

और शैक्षिक रूप से। पिछड़े वर्ग। से निपटने में

सवाल यह है कि क्या नागरिकों का कोई वर्ग सामाजिक है

पिछड़े हों या न हों, नागरिकों के उक्त समूह की जाति पर विचार करना अप्रासंगिक नहीं हो सकता है। यह आवश्यक है कि

याद रखें कि विशेष प्रावधान पर विचार किया गया है

और इसलिए हालांकि नागरिक समूह की जाति हो सकती है प्रासंगिक, इसके महत्व को अतिरंजित नहीं किया जाना चाहिए। अगर

वर्गीकरण पूरी तरह से नागरिक की जाति पर आधारित है।

तार्किक नहीं हो सकता है। सामाजिक पिछड़ेपन का परिणाम है बहुत हद तक गरीबी। जाति और गरीबी दोनों हैं।

पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक। लेकिन ऐसा भी नहीं

न केवल जाति और न ही केवल गरीबी निर्धारण करने वाली परीक्षा होगी।

जब आयोग ने एक वर्ग निर्धारित किया है सामाजिक और शैक्षिक रूप से यह आधार पर नहीं है

अकेले आय का, और निर्धारण इस पर आधारित है

न्यायालय द्वारा निर्धारित सुसंगत मानदंड। साक्षय और

सामग्री आयोग के समक्ष रखी जाती है। अनुच्छेद 15 (4)

जो नागरिकों के वर्गों के पिछड़ेपन की बात करता है

यह इंगित करता है कि उच्चारण नागरिकों के वर्गों पर है। अनुच्छेद 15 (4) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों की भी बात करता है।

जनजातियाँ। इसलिए, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े अनुच्छेद 15 (4) में नागरिकों के वर्गों की बराबरी नहीं की जा सकती है -

जातियाँ। आर. चित्रलेखा और अन्र में। वी. मैसूर राज्य और ओआरएस। (1964 (6) एस. सी. आर. 368) इस न्यायालय ने कहा कि

आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण शर्तें और व्यवसाय अनुच्छेद 15 (4) का उल्लंघन नहीं करते हैं।

120. इसके अलावा, माइनर ए. पीरियाकरुप्पन में, शोभा जोसेफ

तमिलनाडु का राज्य और अन्य। (1971 (1) एस. सी. सी. 38) पैरा 29 पर

जैसा कि निम्नलिखित रूप में देखा गया है:

" राजेंद्रन का मामला (1968 (2) एससीआर 786) अशोक कुमार ठाकुर बनाम के लिए एक प्राधिकरण है।

भारत और ओआरएस का संघ। 303

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

प्रस्ताव है कि पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण

जाति के आधार पर अनुच्छेद 15 (4) के दायरे में आता है।

अगर उन जातियों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से दिखाया जाता है

पीछे की ओर। हमारे सामने कोई और सामग्री नहीं रखी गई है।

यह दिखाने के लिए कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

जिसका हम यहाँ संबंध कर रहे हैं वह अनुरूप नहीं है

अनुच्छेद 15 (4)। इस तथ्य का कोई खंडन नहीं है कि वहाँ हैं

इस देश में कई जातियाँ हैं जो सामाजिक और

जीवन के तथ्यों को नजरअंदाज करें। इसलिए हम इसे बनाए रखने में असमर्थ हैं यह तर्क कि विवादित आरक्षण अनुरूप नहीं है

अनुच्छेद 15 (4) के साथ। लेकिन सरकार को ऐसा ही करना चाहिए।

इस आधार पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि एक बार एक वर्ग पर विचार किया जाए

एक पिछड़े वर्ग के रूप में यह पिछड़ा बना रहना चाहिए

सभी समय के लिए कक्षा। इस तरह का दृष्टिकोण आरक्षण के उद्देश्य को विफल कर देगा क्योंकि एक बार एक वर्ग

प्रगति के एक ऐसे चरण में पहुँच जाता है जो कुछ आधुनिक लेखकों के लिए

टेक ऑफ स्टेज के रूप में कॉल करें तो प्रतियोगिता आवश्यक है

उनकी भविष्य की प्रगति। सरकार को हमेशा रखना चाहिए

सीटों के आरक्षण के सवाल की समीक्षा के तहत और केवल वे वर्ग जो वास्तव में सामाजिक और शैक्षिक रूप से हैं

पिछड़े को लाभ होने दिया जाना चाहिए

आरक्षण। सीटों के आरक्षण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

निहित स्वार्थ बनने के लिए। तथ्य यह है कि उम्मीदवारों के

पिछड़े वर्गों को लगभग 50 प्रतिशत सीटें मिली हैं।

सामान्य पूल में दिखाता है कि समय आ गया है

प्रश्न की नए सिरे से व्यापक परीक्षा। यह.

यह याद रखना चाहिए कि सरकार का निर्णय

यह संबंध न्यायिक समीक्षा के लिए खुला है।

121. इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अधिनियम बनाया गया है

स्थापित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों पर लागू,

केंद्र सरकार द्वारा अनुरक्षित या सहायता प्राप्त। केंद्रीय

धारा 2 (घ) में शैक्षणिक संस्थानों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है -

निम्नलिखित है:

" 2 (घ) केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान "का अर्थ है 304

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

((i)

द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय
एक केंद्रीय अधिनियम;

((ii) किसी अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व की संस्था।

संसद का;

(iii) एक संस्थान, जिसके तहत एक मानद विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3,

1956 द्वारा अनुरक्षित या सहायता प्राप्त करना

केंद्र सरकार;

((iv) द्वारा अनुरक्षित या सहायता प्राप्त करने वाली संस्था

केंद्र सरकार, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से,

और खंड (i) में निर्दिष्ट संस्था से संबद्ध

या खंड (ii), या किसी संस्थान की घटक इकाई

खंड (iii) में निर्दिष्ट;

केंद्र द्वारा स्थापित एक शैक्षणिक संस्थान

(v)

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सरकार,
1860. "

122. यह बताया गया है कि कोई आरक्षण नहीं हो सकता है

सुपर स्पेशलिटी और संस्थान प्रदान करने के संबंध में

अत्यधिक जटिल विषयों की शिक्षा। अखिल भारतीय का उदाहरण

आयुर्विज्ञान संस्थान दिया गया है। यह बताया गया है

कि सुपर स्पेशलिटी के लिए एक संस्थान के रूप में इसका दर्जा दिया गया है

न्यायिक मान्यता प्राप्त। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि धारा के संदर्भ में

4 (ख) अधिनियम के कुछ शैक्षणिक संस्थानों को

अधिनियम के संचालन से बाहर रखा गया।

123. इस अधिनियम को उनके लिए लागू नहीं किया गया है। यह है कि

अधिनियम की अनुसूची में महत्व निर्दिष्ट किया गया है। परंतुक केंद्र सरकार को कब और कैसे अनुमति देता है अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक समझा गया। दूसरे शब्दों में, एक उपयुक्त मामले को पहले प्रस्तुत और स्थापित किया जा रहा है

केंद्र सरकार कि संस्थान उत्कृष्टता का है और /

या एक शोध संस्थान और/या राष्ट्रीय और रणनीतिक महत्व का एक संस्थान, केंद्र सरकार आशा कुमार ठाकुर बनाम में संशोधन कर सकती है।

भारत और ओआरएस का संघ।

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

अनुसूची बनाएँ और ऐसी संस्था को अनुसूची में शामिल करें। अन्य में

शब्दों में, यह याचिकाकर्ताओं और किसी और के लिए अनुमत है

एक को शामिल करने की वांछनीयता के बारे में सरकार को उजागर करें

अधिनियम की अनुसूची में संस्था।

124. श्री पी. पी. राव द्वारा रेखांकित प्रमुख मुद्दों में से एक

यह था कि कई मामलों में शिक्षा का मैट्रिक मानक मापने के लिए उपाय माना जाता था

पिछड़ेपन इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब किसी विशेष जाति से संबंधित कम से कम आधे लोग पहुँच गए हैं

शिक्षा का मैट्रिक स्तर, उन पर विचार नहीं किया जा सकता है अब शैक्षिक रूप से पिछड़े रहें। इसलिए प्रस्तुत किया जाता है

कि अगर इसे पिछड़ेपन को मापने के लिए एक मापदंड के रूप में लिया जाए

फिर तकनीकी शिक्षा या उच्चतर शिक्षा के लिए सीटों का आरक्षण

पढ़ाई जारी नहीं रखी जा सकती। यह भी बताया गया है कि

प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा से उच्च शिक्षा पर जोर देना

शिक्षा संवैधानिक जनादेश के खिलाफ है

लेकिन जब संवैधानिक जनादेश विचाराधीन है अंतर्निहित वस्तु को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में

संविधान के अनुच्छेद 46 का संदर्भ दिया गया है। इसमें यह है कि

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा बताई गई पृष्ठभूमि

कि जिस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है वह तथ्य है जो नींव है बुनियादी, प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा के लिए। शिक्षाविद्

पिछड़ेपन को तब मिटाया जा सकता है जब कम से कम आधा एक विशेष जाति के लोग एक तक आते हैं

मैट्रिक स्तर।

125. इस दलील में सार है। केवल यह नहीं है कि

योजनाओं का अस्तित्व लेकिन प्रभावी कार्यान्वयन योजनाएँ जो महत्वपूर्ण हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वित्तीय बाधा मौलिक अधिकारों को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती है और

योजनाओं के लिए प्रावधान और निधियों का उपयोग

प्रासंगिक कारक भी। ऐसा प्रतीत होता है कि निधि प्रदाता और उपयोगकर्ता के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। यह सुझाव दिया जाता है कि 303

कि मैट्रिक से स्थानांतरित करके कट ऑफ सीमा पर जोर देना

मापन के एक मानक के रूप में बारहवीं कक्षा स्तर की शिक्षा

निर्णय, उदाहरण के लिए, एम. आर. बालाजी का मामला (ऊपर), बलराम का मामला (ऊपर) और कुमारी के. एस. जयश्री का मामला (ऊपर)

माध्यमिक शिक्षा को मानदंड, आधार के रूप में लिया गया था

सीमित उपलब्धता के साथ वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है

नौकरियां और जनसंख्या में बढ़ती वृद्धि, माध्यमिक या

मैट्रिक परीक्षा को अब नहीं माना जा सकता है

एक उपयुक्त बेंच मार्क। यह अधिकतम स्नातक स्तर का होना चाहिए।

लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या तकनीकी शिक्षा हो सकती है

शैक्षिक पिछड़ेपन को मापने के लिए शिक्षा एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है, यह निश्चित रूप से 50 प्रतिशत मानदंडों का हिस्सा होगा। इस न्यायालय द्वारा तय किया गया। थोड़ा परिवर्तनीय प्लस या माइनस होगा

शैक्षिक पिछड़ेपन को मापने के लिए उपयुक्त मानक।

126. धूसर क्षेत्रों में से एक जिसे हाइलाइट किया गया है

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा यह है कि जाति एक नहीं है वर्ग के लिए स्थानापन्न और फिर भी दोनों शब्द पर्यायवाची नहीं हैं। इस संबंध में अधिकांश तर्क गोल केंद्रित हैं।

इंद्र साहनी सं. 1 (उपर्युक्त) के अनुच्छेद 782 और 783।

वही नीचे पढ़ा गया है:

" 782. पहचान के सवाल पर वापस आते हुए,

तथ्य यह है कि किसी को कहीं न कहीं से शुरुआत करनी होती है-किसी समूह, वर्ग या वर्ग के साथ। कोई सेट या मान्यता प्राप्त नहीं है

विधि। कार्यप्रणाली को निर्धारित करने वाला कोई कानून या अन्य वैधानिक साधन नहीं है। अंतिम विचार सर्वेक्षण करना है।

पूरी आबादी। यदि ऐसा है, तो जाति के साथ शुरुआत की जा सकती है।

जो स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं /

समूह, विशेष रूप से जब अनुच्छेद 16 (4) चाहता है
सामाजिक पिछड़ेपन को कम करना। क्या असंवैधानिक है

इसके साथ, विशेष रूप से जब जाति, व्यवसाय गरीबी और सामाजिक

हमारे समाज में पिछड़ेपन इतने निकटता से जुड़े हुए हैं? [अनुच्छेद 16 (4) के बाद से व्यक्तिगत सर्वेक्षण का सवाल ही नहीं है।

ओके कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 307

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

इसका मतलब यह नहीं है कि कोई प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है जातियों के साथ पहचान। जातियों के अलावा (चाहे

हिंदुओं या अन्य लोगों के बीच पाया जाता है) अन्य हो सकते हैं

समुदाय, समूह, वर्ग और संप्रदाय जो

नागरिकों के पिछड़े वर्ग के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी विशेष राज्य में, समग्र रूप से मुस्लिम समुदाय

सामाजिक रूप से पिछड़े पाए जाएँ। (वास्तव में वे हैं

केरल की उनकी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा)। इसी तरह, ईसाइयों के बीच कुछ वर्ग और संप्रदाय

केरल जो पिछड़े समुदायों में शामिल था त्रावणकोर की पूर्व रियासत में अब तक अधिसूचित

1935 में भी सर्वेक्षण किया जा सकता है और इसी तरह

आगे। पहचान करने का कार्य सौंपा गया कोई भी प्राधिकरण

पिछड़े वर्ग की शुरुआत जातियों से हो सकती है। यह हो सकता है।

जाति 'ए' लें, पिछड़ेपन के विकसित मानदंडों को लागू करें

इसके द्वारा उस जाति को दिया जाता है और यह निर्धारित किया जाता है कि वह पिछड़े वर्ग के रूप में योग्य है या नहीं। यदि यह योग्य है, तो जो उभरता है वह है

अनुच्छेद के खंड (4) के प्रयोजनों के लिए एक पिछड़ा वर्ग 16. इस संबंध में 'जाति' की अवधारणा इन तक सीमित नहीं है -

हिंदुओं के बीच जातियाँ। यह जातियों तक फैला हुआ है, जहाँ भी वे

एक तथ्य के रूप में प्राप्त करें, इसके लिए धार्मिक मंजूरी की परवाह किए बिना

अभ्यास करें। जातियों को समाप्त करना या एक साथ

इसके साथ, प्राधिकरण अन्य बातों पर विचार कर सकता है

व्यावसायिक समूह, समुदाय और वर्ग। के लिए

उदाहरण के लिए, यह मुस्लिम समुदाय को ले सकता है (उन वर्गों, जातियों और समूहों, यदि कोई हो, को बाहर करने के बाद, जो

पहले से ही विचार किया गया है) और पता करें कि क्या यह कर सकता है

उस राज्य में पिछड़े वर्ग के रूप में चिह्नित किया जाए या

क्षेत्र, जैसा भी मामला हो। यह दृष्टिकोण राज्य-दर-राज्य भिन्न हो सकता है क्योंकि प्रत्येक राज्य में स्थितियाँ भिन्न हो सकती हैं।

एक राज्य से दूसरे राज्य में क्योंकि प्रत्येक राज्य में स्थितियाँ हो सकती हैं अलग-अलग। नहीं, किसी राज्य के भीतर भी स्थितियाँ भिन्न हो सकती हैं।

क्षेत्र से क्षेत्र। इसी तरह, ईसाई भी हो सकते हैं

विचार किया। यदि केरल की तरह किसी स्थान पर कई मूल्यवर्ग, खंड या विभाग, इनमें से प्रत्येक [2008] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समूहों पर अलग से विचार किया जा सकता है। इस तरह से सभी

आबादी के बीच के वर्गों को शामिल किया जाएगा और वह

यह केंद्रीय विचार है। प्रयास सभी पर विचार करने का होना चाहिए समाज के उपलब्ध समूह, वर्ग और वर्ग

जो भी ऑर्डर आगे बढ़े। चूँकि जाति प्रतिनिधित्व करती है

एक मौजूदा, पहचान योग्य, सामाजिक समूह जो पूरे देश में फैला हुआ है

देश की अधिकांश आबादी को देखते हुए हम कहते हैं कि एक

अगर कोई चाहे तो जाति के साथ शुरुआत कर सकते हैं, और फिर

अन्य समूहों, वर्गों और कक्षाओं में जाएँ। हम कह सकते हैं कि

इस चरण में, कि हम व्यापक रूप से दृष्टिकोण की सराहना करते हैं और

न्यायमूर्ति ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली

इस संबंध में आयोग।

783. हमारा मतलब सुझाव देना नहीं है-हम दोहरा सकते हैं

कि यहाँ ऊपर दर्शाई गई प्रक्रिया ही एकमात्र है

अपनाई जाने वाली प्रक्रिया या विधि/दृष्टिकोण। वास्तव में,

मानक या मॉडल प्रक्रिया जैसी कोई चीज नहीं है /

ऐसा दृष्टिकोण और प्रक्रिया अपनाएँ जैसा वह सोचता है। उचित है, और जब तक इसके द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण है

निष्पक्ष और पर्याप्त, अदालत का इस मामले में कोई कहना नहीं है। द.

दूसरों के बीच व्यावसायिक समूह, यह उस द्वारा नहीं हो सकता है केवल कारण को ही संवैधानिक या कानूनी रूप से खराब कहा जा सकता है।

हमें यह भी कहना चाहिए कि कानून का कोई नियम नहीं है जो एक परीक्षण है

पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए आवेदन किया जाना चाहिए केवल एक और/या वर्दी। भारत जैसे विशाल देश में, यह व्यावहारिक नहीं है। यदि वास्तविक उद्देश्य खोज करना है और

पिछड़ेपन का पता लगाएँ, और यदि ऐसी पिछड़ेपन किसी जाति में पाई जाती है, तो इसे पिछड़े के रूप में माना जा सकता है; यदि यह किसी अन्य समूह, वर्ग या वर्ग में पाया जाता है, तो उन्हें भी माना जा सकता है। पीछे की ओर "।

127. पैराग्राफ को करीब से पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि कई धर्म ऐसा नहीं करते हैं।ई कोनो जाति। इसलिए, पैरा '782 का पहला वाक्य अशोक कुमार ठाकुर बनाम को प्रस्तुत करता है।

भारत और ओआरएस का संघ। 309

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

कहीं से शुरू करने पर जोर-किसी समूह, वर्ग या वर्ग के साथ

अनुभाग। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई निर्धारित या मान्यता प्राप्त विधि नहीं है और कोई कानून या अन्य वैधानिक साधन नहीं है जो निर्धारित करता है

कार्यप्रणाली। इस संदर्भ में यह भी कहा गया है कि एक

क्या वे उन जातियों से शुरू कर सकते हैं जो स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य हैं

सामाजिक वर्ग या समूह। फिर से पैराग्राफ 783 में, यह किया गया है कहा कि भारत जैसे विशाल देश में यह व्यावहारिक नहीं है

पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए परीक्षा तय करना। उस पृष्ठभूमि में

वास्तविक पिछड़ेपन और यदि ऐसा पिछड़ेपन किसी जाति में पाया जाता है इसे पिछड़ेपन माना जा सकता है। इसी तरह अगर यह पाया जाता है

किसी अन्य समूह, वर्ग या वर्ग को भी माना जा सकता है

पीछे की ओर। इसलिए इरादा स्पष्ट है कि अगर जाति पाई जाती है

पिछड़े होने के लिए इसे निश्चित रूप से पिछड़े माना जा सकता है। देने के लिए।

कोई अन्य अर्थ निर्णय में विशेष रूप से जो कहा गया है उसे जोड़ना या घटाना होगा।
128. इंद्र साहनी नं. 1 मामले (उपर्युक्त) में निर्दिष्ट कुछ पूर्व निर्णयों पर ध्यान देना भी प्रासंगिक है जो

इस मुद्दे पर प्रकाश डालें। वे इस प्रकार हैं:

1. एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य, 1963 सप्लीमेंट (1) एससीआर

439 .

" अनुच्छेद 15 (4) राज्य को विशेष अधिकार देने के लिए अधिकृत करता है। किसी भी सामाजिक और विकास के लिए प्रावधान

नागरिकों के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, जैसे

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति से अलग

जनजातियाँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नागरिकों की दोनों श्रेणियों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है, लेकिन श्रेणियों को निर्दिष्ट करने में, पहली श्रेणी को दूसरे से अलग किया जाता है। उप.

क्रमशः जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ, लेकिन कोई नहीं है
सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े को परिभाषित करने वाला खंड

नागरिकों के वर्ग, और इसलिए, इस प्रश्न का निर्धारण करने में कि क्या किसी विशेष प्रावधान को वैध रूप से सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट बनाया गया है

एस सी आर।

अनुच्छेद 15 (4) के तहत या नहीं, पहला सवाल जो निर्धारित किया जाना है वह यह है कि क्या राज्य ने वैध रूप से निर्धारित किया है।

जिन्हें इन पिछड़े वर्गों में शामिल किया जाना चाहिए। यह.

यह काफी स्पष्ट प्रतीत होता है कि नागरिकों के पिछड़े वर्ग

जिनके लिए विशेष प्रावधान किया जाना अधिकृत है, वे हैं - स्वयं अनुच्छेद 15 (4) द्वारा, के समान माना जाता है

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचत

जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ जिन्हें परिभाषित किया गया है

इसमें कोई संदेह नहीं था कि इसके लिए विशेष प्रावधान किया जाना था उनकी प्रगति। यह महसूस किया गया कि भारतीय समाज में

नागरिकों के अन्य वर्ग थे जो समान थे, या

अनुसूचित की तुलना में कुछ कम, पिछड़े हो सकते हैं

जातियाँ और जनजातियाँ और यह सोचा जाता था कि कुछ विशेष

उनके लिए भी प्रावधान किया जाना चाहिए।

आइये पहले सामाजिक पिछड़ेपन के सवाल को लेते हैं। के द्वारा

यह किस परीक्षा में तय किया जाना चाहिए कि क्या कोई विशेष वर्ग है

सामाजिक रूप से पिछड़े हैं या नहीं? नागरिकों का समूह जिनके लिए

अनुच्छेद 15 (4) लागू होता है जिसे "नागरिकों के वर्गों" के रूप में वर्णित किया गया है।

अर्थात्, स्थिति के अनुसार समाज के विभाजन को दर्शाता है, पद या जाति। हिंदू सामाजिक संरचना में, जाति

दुर्भाग्य से निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

नागरिक की स्थिति। हालांकि समाजशास्त्रियों और

वैदिक विद्वानों, जाति व्यवस्था मूल रूप से व्यावसायिक या कार्यात्मक आधार पर शुरू हुई होगी, समय के साथ, यह

कठोरता। इस कृत्रिम विकास ने अनिवार्य रूप से श्रेष्ठता और हीनता की भावना पैदा की, और संकीर्णता को बढ़ावा दिया। जाति निष्ठाएँ। इसलिए, प्रश्न से निपटने में

नागरिकों का कोई भी वर्ग सामाजिक रूप से पिछड़ा है या नहीं, इस पर जोक कुमार ठाकुर बनाम की जाति पर विचार करना अप्रासंगिक नहीं हो सकता है।

भारत और ओआरएस का संघ। 311

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

नागरिकों के समूह ने कहा। तथापि, इस संबंध में,

यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि विशेष प्रावधान है

नागरिकों के वर्गों के लिए विचार किया गया है न कि व्यक्तियों के लिए

जैसे नागरिक, और इसलिए, हालांकि समूह की जाति

नागरिक प्रासंगिक हो सकते हैं, इसका महत्व नहीं होना चाहिए

अतिशयोक्तिपूर्ण। यदि पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण

नागरिक पूरी तरह से नागरिक की जाति पर आधारित थे,

हमेशा तार्किक नहीं हो सकता है और शायद इसमें शामिल हो सकता है

जातियों को स्वयं चिरस्थायी बनाने की बुराई।

XX

XX

XX

इसके अलावा, अगर नागरिकों के समूह की जाति थी

उक्त समूह का पिछड़ेपन, वह परीक्षण अनिवार्य रूप से होगा भारतीय समाज के कई वर्गों के संबंध में टूटना

जो पारंपरिक अर्थों में जातियों को मान्यता नहीं देते हैं

हिंदू समाज में जाना जाता है। कोई कैसे तय करेगा कि मुसलमान, ईसाई या जैन, या यहाँ तक कि लिंगायत भी

सामाजिक रूप से पिछड़े हैं या नहीं? जातियों की परीक्षा होगी

उन समूहों के लिए लागू नहीं है, लेकिन यह शायद ही उचित होगा

के संचालन से कुल मिलाकर इन समूहों का बहिष्कार

अनुच्छेद 15 (4)। यह संभावना नहीं है कि कुछ राज्यों में

मुसलमान या ईसाई या जैन समूह बना सकते हैं

सामाजिक रूप से पिछड़े। यही कारण है कि हम सोचते हैं कि हालांकि जातियाँ

हिंदुओं के संबंध में विचार करने के लिए एक प्रासंगिक कारक हो सकता है

समूहों के सामाजिक पिछड़ेपन का निर्धारण करने में या

नागरिकों के वर्ग, इसे एकमात्र या नहीं बनाया जा सकता है

उस ओर से प्रमुख परीक्षण। सामाजिक पिछड़ेपन जारी है।

अंतिम विश्लेषण गरीबी का परिणाम बहुत बड़े पैमाने पर

हद तक। नागरिकों के वर्ग जो अत्यंत गरीब हैं

अपने आप सामाजिक रूप से पिछड़े हो जाते हैं। उन्हें मजा नहीं आता। समाज में एक स्थिति और इसलिए, संतुष्ट होना है

पीछे की सीट पर बैठें। यह सच है कि सामाजिक पिछड़ेपन जिसके परिणामस्वरूप गरीबी बढ़ने की संभावना है

जाति के विचार जिन पर गरीब नागरिक विचार कर सकते हैं

संबंधित हैं, लेकिन यह केवल दोनों जातियों की प्रासंगिकता को दर्शाता है

और नागरिकों के पिछड़ेपन को निर्धारित करने में गरीबी।

2. आर. चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य ए. आई. आर 1964 एस. सी. 1823

न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने एम. आर. में टिप्पणियों का उल्लेख किया।

बालाजी बनाम. मैसूर राज्य और अवलोकन किया:

" 15. उक्त से दो सिद्धांत प्रमुखता से सामने आते हैं टिप्पणियाँ, अर्थात् (i) नागरिकों के एक समूह की जाति

उनकी सामाजिक स्थिति का पता लगाने में एक प्रासंगिक परिस्थिति हो सकती है।

उच्च न्यायालय के फैसले में निकाली गई टिप्पणियाँ इस न्यायालय की टिप्पणियों के साथ आचरण में प्रतीत होता है।

जबकि इस न्यायालय ने कहा कि जाति केवल एक प्रासंगिक बात है

परिस्थिति और यह कि यह प्रमुख परीक्षण नहीं हो सकता है नागरिकों के एक वर्ग के पिछड़ेपन का पता लगाते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण आधार है

पिछड़े हिंदुओं का वर्ग और सरकार

जाति को एक परीक्षा के रूप में अपनाया जाना चाहिए था। जिस तरह से उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से संबंधित प्राधिकारी के मन में कुछ भ्रम पैदा हो सकता है

जिसे निर्धारित करने का कर्तव्य सौंपा जा सकता है

वर्गों के पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए नियम

कला के अर्थ के भीतर नागरिक। 15 (4) संविधान का,

हम जल्दबाजी में यह स्पष्ट करेंगे कि जाति केवल एक प्रासंगिक मुद्दा है।

एक वर्ग के पिछड़ेपन का पता लगाने में परिस्थिति और इस न्यायालय के निर्णय में ऐसा कुछ भी नहीं है जो

नागरिकों के एक समूह का सामाजिक पिछड़ेपन यदि वह ऐसा कर सकता है जाति के संदर्भ के बिना। जबकि इस न्यायालय ने नहीं किया है

एक के पिछड़ेपन का पता लगाने से जाति को बाहर रखा गया नागरिकों का वर्ग, इसने इसे सम्मोहक नहीं बनाया है

एक वर्ग का पिछड़ेपन। इसे अलग तरह से रखने के लिए, प्राधिकरण संबंधित जाति को ध्यान में रख सकते हैं

व्यक्तियों के एक समूह के पिछड़ेपन का पता लगाना; लेकिन, यदि ऐसा नहीं होता है, तो इसका क्रम उस कारण से खराब नहीं होगा, यदि यह व्यक्तियों के एक समूह के पिछड़ेपन का पता लगा सकता है, ठीक है कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 313

(डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

अन्य प्रासंगिक मानदंडों के आधार पर। 19 ..... कला में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण कारक। 15 (4) है।

कि यह जातियों की बात नहीं करता, बल्कि केवल की बात करता है

कक्षाएँ। यदि संविधान निर्माता लेने का इरादा रखते हैं

सामाजिक और शैक्षिक इकाइयों के रूप में भी जातियाँ

पिछड़ेपन, उन्होंने ऐसा कहा होगा जैसा कि उन्होंने कहा है

जनजातियाँ। हालांकि यह सुझाव दिया जा सकता है कि व्यापक अभिव्यक्ति "वर्ग" का उपयोग कला के खंड (4) में किया जाता है। 15 के रूप में

वहाँ जातियों के बिना समुदाय हैं, अगर इरादा था

जातियों के साथ वर्गों की बराबरी करने के लिए, कुछ भी नहीं रोका

अभिव्यक्ति का उपयोग करने से संविधान के निर्माता

" पिछड़े वर्ग या जातियाँ "। "पिछड़े वर्ग" और "अनुसूचित जाति" अभिव्यक्ति का संयोजन

कला में। 15 (4) यह भी एक उचित निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि

अभिव्यक्ति "वर्ग" जातियों का पर्याय नहीं है। यह.

ऐसा हो सकता है कि यह पता लगाने के लिए कि कोई विशेष नागरिक या नागरिकों का एक समूह पिछड़े वर्ग से संबंधित है या नहीं, उसका

या उनकी जाति की कुछ प्रासंगिकता हो सकती है, लेकिन यह नहीं हो सकता है सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र या प्रमुख मानदंड

वह वर्ग जिससे वे संबंधित हैं।

20. यह व्याख्या के इरादे को पूरा करेगी

उपरोक्त अनुच्छेदों में व्यक्त संविधान। इससे मदद मिलती है।

वास्तव में पिछड़े वर्गों को बढ़ावा देने के बजाय

व्यक्तियों या समूहों के हित जो, हालांकि वे संबंधित हैं

एक विशेष जाति के लिए जिसका बहुमत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े, वास्तव में एक ऐसे वर्ग से संबंधित हैं जो

किसी ऐसे राज्य में जाति जो संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ा हो। यह. हो सकता है कि उस जाति के अधिकांश लोग

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, एक प्रभावी

अल्पसंख्यक सामाजिक और शैक्षिक रूप से कहीं अधिक हो सकते हैं।

"जातियों" के रूप में अभिव्यक्ति "वर्ग", का उद्देश्य संविधान हतोत्साहित होगा और जो लोग अदालत की रिपोर्ट का समर्थन नहीं करेंगे

किसी भी साहसिक सहायता के लायक होने के कारण इसे बहिष्कृत किया जा सकता है

जो वास्तव में योग्य हैं। यह विसंगति उत्पन्न नहीं होगी यदि,

जाति को वर्ग के साथ तुलना किए बिना, जाति को केवल माना जाता है

यह पता लगाने के लिए विचार में से एक कि क्या कोई व्यक्ति

पिछड़े वर्ग से संबंधित है या नहीं। दूसरी ओर, यदि पूरी उप-जाति, मोटे तौर पर, पिछड़ी हुई है, तो यह हो सकता है

संविधान द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया।

21. हम इसके लिए कोई कठोर नियम निर्धारित करने का इरादा नहीं रखते हैं

सरकार पालन करे। के लिए मानदंड निर्धारित करना

एक वर्ग के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का पता लगाना एक जटिल समस्या है जो कई वर्गों पर निर्भर करती है।

परिस्थितियाँ जो राज्य से राज्य में भिन्न हो सकती हैं और यहाँ तक कि

किसी राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर। लेकिन हम जिस पर जोर देना चाहते हैं वह यह है कि किसी भी परिस्थिति में एक "वर्ग" की बराबरी नहीं की जा सकती है

" जाति ", हालांकि किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह की जाति

रखने में अन्य प्रासंगिक कारकों के साथ विचार किया जा सकता है वह एक विशेष वर्ग में है। हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि

कि यदि किसी दी गई स्थिति में जाति को एक का पता लगाने में बाहर रखा जाता है

कला के अर्थ के भीतर वर्ग। 15 (4) संविधान के अनुसार, यह

यदि यह अन्य परीक्षणों को संतुष्ट करता है तो वर्गीकरण को दूषित न करें।

एससीआर 787)

" पहली चुनौती आर है। 5 इस आधार पर कि यह उल्लंघन करता है

कला. 15 संविधान से। अनुच्छेद 15 भेदभाव की मनाही करता है।

किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर। साथ ही कला. 15 (4) अन्य बातों के साथ-साथ राज्य को कोई विशेष कार्य करने की अनुमति देता है।

किसी भी सामाजिक और विकास के लिए प्रावधान नागरिकों के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। विवाद

यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों की सूची है जिन वर्गों के लिए आर के तहत आरक्षण किया जाता है। 5 कुछ भी नहीं है

लेकिन कुछ जातियों की सूची। इसलिए, पक्ष में आरक्षण केवल जाति के आधार पर कुछ जातियों का

कला का उल्लंघन करता है। 15 (1) , जो ओ. के. ए. कुमार ठाकुर बनाम पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

भारत और ओआरएस का संघ। 315

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे.)

केवल जाति के आधार पर। अब अगर आरक्षण का सवाल है

केवल जाति पर आधारित था और इसमें नहीं लिया गया था

सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए

विचाराधीन जाति, यह कला का उल्लंघन होगा। 15 (1) . लेकिन यह

यह नहीं भूलना चाहिए कि जाति भी नागरिकों का एक वर्ग है

और अगर पूरी जाति सामाजिक और शैक्षिक रूप से है

पिछड़े आरक्षण को ऐसे पक्ष में बनाया जा सकता है

जाति इस आधार पर कि यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से

कला के अर्थ में नागरिकों का पिछड़ा वर्ग। 15 (4) .

इस संबंध में संदर्भ दिया जा सकता है

एम. आर. बालाजी बनाम में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ। मैसूर राज्य ([1963] पूरक। 1 एस. सी. आर. 439 पी. 459-460) प्रभाव के लिए कि किसी वर्ग की जाति पर विचार करना अप्रासंगिक नहीं था

अपने सामाजिक और शैक्षिक निर्धारण में नागरिकों का पिछड़ेपन। यह आगे देखा गया कि हालांकि

नागरिकों के एक वर्ग की जाति प्रासंगिक हो सकती है, इसका महत्व

अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होना चाहिए, और यदि वर्गीकरण

नागरिकों के पिछड़े वर्ग पूरी तरह से आधारित थे नागरिक की जाति, आपत्ति के लिए खुली हो सकती है। यह सच है।

कि वर्तमान मामलों में सामाजिक और

शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट किया गया है

जाति। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जाति ही एकमात्र विचार था और इन लोगों से संबंधित व्यक्ति

पिछड़े नागरिक। अपने जवाब में मद्रास राज्य ने कहा है कि इतिहास को देखते हुए कि पिछड़े वर्गों की यह सूची कैसे बनाई गई

वर्ष 1906 से शुरू हुई थी और कैसे सूची बनाई गई थी

अद्यतन रखा गया है और आवश्यक संशोधन किए गए हैं

उसमें। यह भी कहा गया है कि मुख्य मानदंड

व्यवसायों के आधार पर जाति के पिछड़ेपन का पीछा किया गया इन जातियों द्वारा। क्योंकि जाति के सदस्य एक के रूप में

सभी को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पाया गया

पीछे, उन्हें सूची में डाल दिया गया। अंत में हुआ मामला

संविधान लागू होने के बाद जांच की गई

कला में निहित प्रावधानों का प्रकाश। 15 (4) . जैसा कि था। यह पाया गया कि इन जातियों के सदस्य समग्र रूप से सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट थे

[2008] 4

एस सी आर।

मद्रास राज्य यह है कि सूची में शामिल जातियाँ हैं - लोगों के वर्ग का केवल एक समग्र संकेत

उन जातियों और इन वर्गों के लोगों को रखा गया था

कला के उद्देश्य के लिए सूची में। 15 (4) क्योंकि उनके पास सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े पाए गए।

यह स्थिति है जैसा कि दाखिल किए गए शपथ पत्र में समझाया गया है

मद्रास राज्य की ओर से। दूसरी ओर, याचिकाओं में केवल यह कहा गया है कि सूची आधारित है

केवल जाति के आधार पर यह कला का उल्लंघन है। 15 (1) . लेकिन इसे ध्यान में रखते हुए

मद्रास राज्य द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के बारे में, जिसमें

किसी उत्तरदाता द्वारा विवादित नहीं किया गया है, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए

कि हालांकि सूची कुछ जातियों को दर्शाती है, के सदस्य

ये जातियाँ वास्तव में शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े नागरिकों के वर्ग हैं। की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया

याचिकाकर्ताओं/अपीलार्थी को यह दिखाने के लिए कि इसमें उल्लिखित कोई भी जाति

यह सूची शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी नहीं थी। नहीं।

उनके समर्थन में शपथ पत्र में ऐसा कथन किया गया था न ही मामले को पार करने का कोई प्रयास किया गया था

मद्रास राज्य की ओर से एक प्रत्युत्तर दाखिल करके आगे बढ़ें

यह दिखाने के लिए शपथ पत्र कि इसमें शामिल जातियों में से एक भी

यह सूची शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी नहीं थी। में।

दलीलों की इस स्थिति में, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि हालांकि सूची जाति-वार तैयार की गई है, जातियाँ

4) आंध्र प्रदेश राज्य बनाम पी. सागर (1968 (3) एससीआर 595)

" जिस संदर्भ में यह अभिव्यक्ति "वर्ग" होती है

इसका अर्थ है लोगों का एक सजातीय वर्ग

कुछ समानताओं या सामान्य लक्षणों के कारण एक साथ

और जिन्हें कुछ सामान्य विशेषताओं जैसे जोक्का कुमार ठाकुर बनाम द्वारा पहचाना जा सकता है।

भारत और ओ. आर. एस. का संघ

3 * 7

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

स्थिति, पद, व्यवसाय, एक इलाके में निवास, जाति के रूप में,

धर्म और इसी तरह। यह निर्धारित करने में कि क्या एक विशेष

वर्ग एक वर्ग बनाता है, जाति को पूरी तरह से बाहर नहीं किया जा सकता है।

लेकिन एक वर्ग के निर्धारण में एक परीक्षण पूरी तरह से आधारित है

जाति या समुदाय को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। के द्वारा

सी. एल. (1) कला. 15 राज्य को भेदभाव करने से रोकता है केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी नागरिक,

जन्म स्थान या उनमें से कोई भी। सीएल द्वारा। (3) कला की। 15 राज्य

महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति और बच्चे। सीएल द्वारा। (4) उन्नति के लिए एक विशेष प्रावधान

किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के

नागरिक या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए

सी. एल. के दायरे से बाहर है। (1) . लेकिन सी. एल. (4) एक अपवाद है

सी. एल. तक। (1) . अपवाद होने के कारण इसका विस्तार नहीं किया जा सकता है। वास्तव में सी. एल. की गारंटी को नष्ट करने के लिए। (1) . संसद

सी. एल. को लागू करके है। (4) इसके विपरीत संतुलन बनाने का प्रयास किया

नागरिकों की समानता का अधिकार-विशेष आवश्यकताएँ

लोगों के कमजोर वर्गों को एक प्रावधान की अनुमति देकर

उनकी उन्नति के लिए बनाया जाए। ताकि यह प्रभाव पड़ सके कि

सी. एल. को दिया जाए। (4) , ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि लाभार्थियों

विशेष प्रावधान ऐसे वर्ग हैं जो पिछड़े हैं सामाजिक और शैक्षिक रूप से और वे अन्य हैं कि

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और कि

किया गया प्रावधान उनकी उन्नति के लिए है।

5. माइनर ए. पीरियाकरुप्पन (फिनोर) बनाम। स्टेट ऑफ टी.,

(1971) 1 एससीसी 38:

" 25. एक जाति को हमेशा एक वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है। में। "महामहिम के वर्ग" अभिव्यक्ति का अर्थ

भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए में पाया गया विषय,

नारायण वासुदेव बनाम में जे. वासूदेव का अवलोकन किया गया है। सम्राट

एयर 1940 बम 379

" मेरी राय में, अभिव्यक्ति 'उनके वर्ग'

संहिता की धारा 153-ए में महामहिम के विषय हैं

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों के संग्रह को दर्शाने के रूप में प्रतिबंधात्मक अर्थों में उपयोग किया जाता है

[2008] 4

एस सी आर।

व्यक्तियों या समूहों को एक आम और
अनन्य पदनाम और आम भी रखने वाले

और विशिष्ट विशेषताएँ जो हो सकती हैं
उनकी उत्पत्ति, नस्ल या धर्म से संबंधित, और वह

उस खंड के भीतर 'वर्ग' शब्द अपने साथ रखता है

संख्यात्मक शक्ति का विचार इतना बड़ा हो सकता है

एकल सजातीय समुदाय में समूहीकृत "।

26. पिछड़े वर्गों के पैरा 10, अध्याय 5 में आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है:

" हमने जाति से बचने की कोशिश की लेकिन हमें यह मुश्किल लगता है
वर्तमान परिस्थितियों में जाति की उपेक्षा करें। हम.

काश जाति को सामाजिक से अलग करना आसान होता

वर्तमान समय में पिछड़ेपन। आधुनिक काल में

समय कोई भी किसी भी पेशे में ले सकता है। द.

ब्रह्मन सिलाई का काम करता है, दर्जी नहीं बनता

जाति के आधार पर, न ही उनकी सामाजिक स्थिति को कम किया जाता है

ब्राह्मण। एक ब्राह्मण जूते बेचने वाला हो सकता है और

जूते, और फिर भी उनकी सामाजिक स्थिति कम नहीं हुई है

जिससे। इसलिए, सामाजिक पिछड़ेपन आज किसी व्यक्ति के विशेष पेशे के कारण नहीं है, बल्कि हम

सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जाति से बच नहीं सकते

भारत में पिछड़ेपन।

उस रिपोर्ट के पैरा 11 में कहा गया है:

" यह मान लेना गलत नहीं है कि सामाजिक पिछड़ेपन

शिक्षा में काफी योगदान दिया है

बड़ी संख्या में सामाजिक समूहों का पिछड़ेपन "।

27. अंत में पैरा 13 में समिति इस प्रकार समाप्त होती है -

निम्नलिखित टिप्पणियाँ:

" यह सब साबित करता है कि सामाजिक पिछड़ेपन

मुख्य रूप से नस्लीय, आदिवासी, जाति और
संप्रदायगत अंतर "।

28. पिछड़े वर्गों की विवादित सूची की वैधता

राजेन्द्रन 319 में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया

ओके कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

मामला और यह वही है जो इस न्यायालय ने उसमें देखा था।

" विवाद यह है कि सामाजिकता की सूची और

शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जिनके लिए आरक्षण

जातियाँ। इसलिए, कुछ के पक्ष में आरक्षण
केवल जाति संबंधी विचारों पर आधारित जातियाँ उल्लंघन करती हैं

अनुच्छेद 15 (1), जो भेदभाव को प्रतिबंधित करता है

केवल जाति का आधार। अब अगर आरक्षण में
सवाल केवल जाति पर आधारित था और नहीं था

सामाजिक और शैक्षिक ध्यान में रखते हुए

विचाराधीन न्याय का पिछड़ेपन, यह होगा

अनुच्छेद 15 (1) का उल्लंघन। लेकिन इसे नहीं भूलना चाहिए।
कि एक जाति भी नागरिकों का एक वर्ग है और यदि जाति

ऐसी जाति के पक्ष में आरक्षण दिया जा सकता है।
इस आधार पर कि यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से

के अर्थ में नागरिकों का पिछड़ा वर्ग

अनुच्छेद 15 (4) "।

29. राजेन्द्रन मामला इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि

के आधार पर पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण

जातियाँ अनुच्छेद 15 (4) के दायरे में आती हैं यदि वे जातियाँ इन्हें सामाजिक और
शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए दिखाया गया है। नहीं।

यह दिखाने के लिए हमारे सामने और सामग्री रखी गई है कि

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जिसके साथ हम हैं

यहाँ संबंधित अनुच्छेद 15 (4) के अनुसार नहीं है।

पीछे की ओर। उनके अस्तित्व को नजरअंदाज करना तथ्यों को नजरअंदाज करना है।
जीवन से। इसलिए हम इस तर्क को कायम रखने में असमर्थ हैं कि

विवादित आरक्षण अनुच्छेद के अनुसार नहीं है

15 (4) . लेकिन फिर भी सरकार को आगे नहीं बढ़ना चाहिए।

इस आधार पर कि एक बार एक वर्ग के रूप में माना जाता है पिछड़े वर्ग को पिछड़ा वर्ग बना रहना चाहिए

हर समय के लिए। इस तरह का दृष्टिकोण बहुत को हरा देगा

आरक्षण का उद्देश्य क्योंकि एक बार जब कोई वर्ग पहुँच जाता है

प्रगति का एक चरण जिसे कुछ आधुनिक लेखक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट कहते हैं

एस सी आर।

पिछड़े को लाभ होने दिया जाना चाहिए आरक्षण। सीटों के आरक्षण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

निहित स्वार्थ बनने के लिए। तथ्य यह है कि उम्मीदवारों के

पिछड़े वर्गों को लगभग 50 प्रतिशत सीटें मिली हैं। सामान्य पूल में दिखाता है कि समय आ गया है

प्रश्न की नए सिरे से व्यापक परीक्षा। यह.

यह याद रखना चाहिए कि सरकार का निर्णय

यह संबंध न्यायिक समीक्षा के लिए खुला है।

6. ए. पी. बनाम राज्य यू. एस. वी. बलराम, (1972) 1 एस. सी. सी. 660,

पृष्ठ 685:

" 82 ..... के रूप में समूहीकृत किए जाने वाले वर्ग के निर्धारण में

पिछड़े, पूरी तरह से जाति या समुदाय पर आधारित एक परीक्षा वैध के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारी राय में, हालांकि

अनुच्छेद 46 में निहित निर्देशक सिद्धांत नहीं हो सकते हैं -

अदालतों द्वारा लागू किया गया। अनुच्छेद 15 (4) को लागू करना होगा।

नागरिकों के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए, जैसे - राज्य पर इस तरह के कर्तव्य का आरोप लगाया गया है। कोई शक नहीं,

हम जानते हैं कि इस खंड के तहत किया गया कोई भी प्रावधान

अच्छी तरह से परिभाषित सीमाओं के भीतर होना चाहिए और चालू नहीं होना चाहिए

केवल जाति का आधार। लेकिन इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कि एक जाति भी नागरिकों का एक वर्ग है और इस तरह की जाति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हो सकती है। अगर इसके बाद

आवश्यक डेटा एकत्र करते हुए, यह पाया जाता है कि जाति के रूप में

एक समग्र सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, हमारे देश में

राय, ऐसे व्यक्तियों के आरक्षण को इस तथ्य के बावजूद बरकरार रखना होगा कि कुछ व्यक्तियों में

सामान्य औसत। इस तथ्य का कोई खंडन नहीं है कि देश में कई जातियाँ हैं, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई हैं और इसलिए एक उपयुक्त जाति है।

राज्य द्वारा प्रावधान किया जाना चाहिए, जैसा कि प्रभारित है उनके हितों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 15 (4) में "।

ओके कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

321

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

XX

XX

XX

94. अंत में, हालांकि प्राथमिक रूप से पिछड़े लोगों की सूची का सामना करना पड़ता है जिन वर्गों पर हमारे सामने हमला हो रहा है वे हो सकते हैं

जाति के आधार पर माना जाता है, एक करीब

जाँच स्पष्ट रूप से बताएगी कि यह केवल एक विवरण है

विशेष व्यवसायों का पालन करने वाला समूह या

आयोग द्वारा संपूर्ण रूप से निर्दिष्ट व्यवसाय।

यहां तक कि इस धारणा पर भी कि सूची विशेष रूप से आधारित है जाति पर, यह पहले की सामग्री से स्पष्ट है

आयोग और उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट में दिए गए कारण कि

पूरी जाति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई है।

अनुच्छेद 15 (4) द्वारा समर्थनीय है। उसमें उल्लिखित समूह पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किए गए हैं

वे विभिन्न परीक्षणों को संतुष्ट करते हैं, जो निर्धारित किए गए हैं

इस न्यायालय द्वारा सामाजिक और शैक्षिक निर्धारण के लिए

एक वर्ग का पिछड़ेपन "।

7. जानकी प्रसाद परिमू बनाम। जम्मू-कश्मीर राज्य (1973) 1 एस. सी. सी.

420 , पृष्ठ 432 पर:

" 22. अनुच्छेद 15 (4) "सामाजिक और शैक्षिक रूप से" के बारे में बात करता है

केवल "किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिक" के लिए। लेकिन अब यह यह तय किया कि अभिव्यक्ति "नागरिकों का पिछड़ा वर्ग"

अनुच्छेद 16 (4) का अर्थ अभिव्यक्ति के समान है।

" नागरिकों का कोई भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग "

अनुच्छेद 15 (4) में। ए कहल जाए के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए

" पिछड़े वर्ग का नागरिक "वह सामाजिक रूप से एक सदस्य होना चाहिए और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। यह सामाजिक और

एक वर्ग का शैक्षिक पिछड़ेपन जिसके लिए सामग्री है

दोनों अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) के उद्देश्य।"

XX

XX

XX

सामाजिक पिछड़ेपन जो नागरिकों का एक वर्ग बनाता है पिछड़े; ऊपर के रूप में एक वर्ग के रूप में पहचाने गए वर्ग को [2008] 4 एस. सी. आर. होना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े रहें। भारत में सामाजिक

और शैक्षिक पिछड़ेपन आगे आर्थिक पिछड़ेपन से जुड़ा हुआ है और यह बालाजी मामले में देखा गया है।

ऊपर उस पिछड़ेपन का उल्लेख किया गया है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, यह अंततः और मुख्य रूप से प्रोवर्टी के कारण होता है।

लेकिन अगर प्रोवर्टी एक अनन्य परीक्षा है, तो एक बहुत बड़ा अनुपात है

भारत की जनसंख्या के रूप में माना जाना चाहिए

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े, और यदि आरक्षण केवल आर्थिक विचारों के आधार पर किए जाते हैं,

एक असहनीय स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन क्षेत्रों में भी जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से उन्नत के रूप में मान्यता प्राप्त हैं

गरीबी के बड़े क्षेत्र हैं। इस देश को छोड़कर

आबादी के एक छोटे से प्रतिशत के लिए लोग हैं

आम तौर पर गरीब-कुछ अधिक गरीब हैं, अन्य कम गरीब हैं।

इसलिए, जब एक सामाजिक अन्वेषक पहचानने की कोशिश करता है

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, वे कर सकते हैं यह विश्वास के साथ कि वे गरीब होने के लिए बाध्य हैं। इसलिए, उनकी मुख्य चिंता यह निर्धारित करना है कि क्या वर्ग या

समूह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है। हालांकि

"सामाजिक" और "शैक्षिक" दो शब्दों का उपयोग किया जाता है।

कुल मिलाकर पिछड़े वर्ग का वर्णन करने के उद्देश्य से, यह पाया जा सकता है कि यदि एक वर्ग समग्र रूप से है

शैक्षणिक रूप से यह आम तौर पर सामाजिक रूप से भी उन्नत है।

केवल कई परतों या स्तरों वाले सापेक्ष शब्द "उन्नत" और "पिछड़े" के बीच मंडराते हुए वर्ग,

और मुश्किल काम यह है कि किस वर्ग को पहचाना जा सकता है सामाजिक और शैक्षिक रूप से इन कई स्तरों में से

शिक्षा के लिए उत्साह विशेष उपचार के बिना जारी रह सकता है, बाद वाले को राज्य द्वारा सकारात्मक प्रयासों द्वारा सामाजिक धारा में लाने की आवश्यकता है। इसका हिसाब है बालाजी के मामले ओके कुमार ठाकुर बनाम में बताए गए सिद्धांत का कारण।

भारत और ओआरएस का संघ। 323

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

जिसने इंगित किया कि पिछड़े वर्ग जिनके लिए

सुधार विशेष प्रावधान पर विचार किया गया था

अनुच्छेद 15 (4) की तुलना अनुसूचित जातियों से की जानी चाहिए।

और अनुसूचित जनजातियाँ जो इसके उदाहरण हैं

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन। अगर वे

उदाहरणों को निरंतर मन के सामने रखा जाता है-कठिनाई

यह निर्धारित करने में कि किन अन्य वर्गों को श्रेणीबद्ध किया जाना चाहिए

पिछड़े वर्गों को काफी राहत दी जाएगी।

8. केरल राज्य बनाम। एन. एम. थॉमस, (1976) 2 एस. सी. सी 310,

पृष्ठ 367 पर: " 135. हम अनुच्छेद 16 (2) के अवरोध को हटा सकते हैं क्योंकि यह उत्पन्न होता है।

में जाति के बारे में भ्रम से। की शब्दावली

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। यह बाद वाला

अभिव्यक्ति को अनुच्छेद 341 और 342 में परिभाषित किया गया है। ए.

नंगे पढ़ने से यह सर्वोपरि अवधारणा सामने आती है कि वे हिंदू धर्म में कोई जाति नहीं हैं, बल्कि एक

जातियों, नस्लों, समूहों, जनजातियों, समुदायों का एकीकरण

या जाँच में पाए गए उसके कुछ हिस्से सबसे कम हैं

और बड़े पैमाने पर राज्य सहायता की आवश्यकता है और इसके द्वारा अधिसूचित

राष्ट्रपति। इस पिछड़े समाज को भ्रमित करने के लिए

जातियों के साथ संयोजन एक संवैधानिक त्रुटि करना है, जिसे एक असाधारण अपील द्वारा गुमराह किया जाता है। ताकि, रक्षा करने के लिए

हरिजन किसी जाति के प्रति पूर्वाग्रह रखने के लिए नहीं है, बल्कि नागरिक को बढ़ावा देने के लिए है

एकजुटता। अनुच्छेद 16 (2) मार्ग से बाहर है और इसका विस्तार किया जाना है। चार गुटों से बाहर की जनजातियों, नस्लों, समूहों, समुदायों और गैर-जातियों के इस मिश्रित समूह के प्रति सुरक्षात्मक भेदभाव

हिंदू विभाजन को त्वरण के साथ समझौता नहीं करना है

उप-लेख में निहित जातिहीनता। द. आम तौर पर भारतीय कॉर्पस ज्यूरिस की विवेकपूर्ण समझ है

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को माना जाता है, न कि जाति लेकिन सामाजिक योग्यता के योग्य एक बड़े पिछड़े समूह के रूप में

करुणा।

9. यू. पी. राज्य बनाम प्रदीप टंडन, (1975) 1 एस. सी. सी. 267

पृष्ठ 273:

" 14. अनुच्छेद 15 (4) सामाजिक और शैक्षिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट की बात करता है।

[2008] 4

एस सी आर।

नागरिकों के पिछड़े वर्ग। राज्य ने ग्रामीण, पहाड़ी और उत्तराखंड क्षेत्रों को सामाजिक और

शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र। संविधान राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से लाने में सक्षम नहीं बनाता है। अनुच्छेद 15 (4) के संरक्षण के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्र। द.

महान्यायवादी ने हालांकि कहा कि हलफनामा

साक्षय ने ग्रामीण, पहाड़ी और उत्तराखंड क्षेत्रों को स्थापित किया

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए

नागरिक। अनुच्छेद के तहत विचार की गई पिछड़ेपन

15 (4) सामाजिक और शैक्षिक दोनों है। अनुच्छेद 15 (4) बताता है

अनुच्छेद 15 (4) में नागरिकों के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग जातियों के साथ तुलना नहीं की जा सकती थी। एम. आर. बालाजी बनाम राज्य

मैसूर और ए. पी. राज्य बनाम सागर इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जाति के आधार पर पिछड़ेपन का वर्गीकरण अनुच्छेद 15 (1) और 15 (4) दोनों का उल्लंघन करेगा।

15. मोटे तौर पर कहा जाए तो, न तो जाति, न नस्ल और न ही धर्म को वर्गीकरण का आधार बनाया जा सकता है।

सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का निर्धारण करना

अनुच्छेद 15 (4) का अर्थ। जब अनुच्छेद 15 (1) मना करता है

केवल धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर भेदभाव,

जाति को निर्धारित करने के मानदंडों में से एक नहीं बनाया जा सकता है

सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन। यदि जाति या धर्म को सामाजिक और शैक्षिक मानदंड के रूप में मान्यता दी गई है।

अनुच्छेद 15 (4) अनुच्छेद 15 (1) को कमजोर कर देगा। यह है।

यह सच है कि अनुच्छेद 15 (1) केवल धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर भेदभाव को मना करता है, लेकिन जब एक वर्गीकरण

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के निर्धारण में एक मानदंड के रूप में जाति का सहारा लेता है

एकर एकर एकर

अनुच्छेद 15 (4) में वर्गों को बालाजी मामले में समझाया गया था

अनुसूचित जाति और अनुसूचित के साथ तुलनीय होना

जनजातियाँ इसका कारण यह है कि अनुसूचित जातियाँ और

सामाजिक और शैक्षिक निर्णय लेने में निर्धारक कारक पिछड़ेपन।

17. अभिव्यक्ति "नागरिकों के वर्ग" एक इंगित करता है लोगों का सजातीय वर्ग जो समूहीकृत हैं

कुछ समानताओं और सामान्य लक्षणों के कारण एक साथ

और जिन्हें कुछ सामान्य विशेषताओं द्वारा पहचाना जा सकता है। द.

नागरिकों के वर्ग की एकरूपता सामाजिक और

शैक्षिक पिछड़ेपन। न जाति, न धर्म और न ही

जन्म स्थान सामान्य का समान तत्व होगा।

उन्हें नागरिकों का एक वर्ग बनाने के लिए विशेषताएँ।

10. के. एस. जयश्री (कुमारी) बनाम। केरल राज्य, (1976)

3 पृष्ठ 733 पर एस. सी. सी. 730: " 13. पिछड़े वर्ग जिनके सुधार के लिए विशेष

अनुच्छेद 15 (4) द्वारा उपबंधों पर विचार किया गया है -

अनुसूचित की तुलना में उनके पिछड़ेपन का मामला

जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ। इस अदालत ने जोर दिया है

नागरिकों के एक वर्ग का पिछड़ेपन, एक नागरिक की जाति यह एकमात्र या प्रमुख परीक्षा नहीं हो सकती है। जैसे जाति नहीं है

एकमात्र या प्रमुख परीक्षा, इसी तरह गरीबी नहीं है

सामाजिक पिछड़ेपन का निर्णायक और निर्धारक कारक।

XX

XX

21. किसी वर्ग के सामाजिक पिछड़ेपन का पता लगाने में

नागरिकों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट की जाति पर विचार करना अप्रासंगिक नहीं हो सकता है

[2008] 4

एस सी आर।

नागरिकों का समूह। जाति को हालांकि नहीं बनाया जा सकता है

एकमात्र या प्रमुख परीक्षण। सामाजिक पिछड़ेपन में है काफी हद तक गरीबी के परिणाम का अंतिम विश्लेषण। गरीबी के परिणामस्वरूप सामाजिक पिछड़ेपन की संभावना है

उनकी जाति के विचारों से उत्तेजित होना। यह

जाति और गरीबी दोनों की प्रासंगिकता को दर्शाता है

नागरिकों के पिछड़ेपन का निर्धारण करना। गरीबी अपने आप में

सामाजिक पिछड़ेपन का निर्धारक कारक नहीं है।

गरीबी सामाजिक पिछड़ेपन के संदर्भ में प्रासंगिक है। आयोग ने पाया कि निम्न आय समूह

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों का गठन करता है।

के आधार पर निर्धारित शैक्षिक पिछड़ेपन प्रासंगिक मानदंड। यदि पिछड़े वर्गों का कोई वर्गीकरण

नागरिकों की संख्या पूरी तरह से नागरिक की जाति पर आधारित है

जाति व्यवस्था की बुराई को कायम रखें। एक बार फिर अगर

समाज लोगों के उत्थान के लिए कदम उठा रहा है। ऐसे में एक कार्य समूह या वर्ग जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से हैं

समाज द्वारा पिछड़े लोगों की सहायता की जाती है। यही दर्शन है।

हमारा संविधान। इस संदर्भ में सामाजिक पिछड़ेपन जो गरीबी के परिणामस्वरूप होने की संभावना है

जाति संबंधी विचारों द्वारा बड़ा किया गया। व्यवसाय, स्थान

निवास का निर्धारण करने में प्रासंगिक कारक भी हो सकते हैं

जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं।

सामाजिक और आर्थिक विचार अमल में आते हैं। समस्या को हल करने और उचित मानदंड विकसित करने में

यह निर्धारित करना कि कौन से वर्ग सामाजिक और शैक्षिक रूप से हैं

पीछे की ओर। यही कारण है कि हमारे संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर भी विचार करना। यह केवल समाज और राज्य को निर्देश देने के लिए है

वे सामाजिक और शैक्षिक उत्थान के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। यह उस संदर्भ में है कि आयोग ने वर्तमान मामले में पाया कि वर्गों की आय

परिशिष्ट VIII में उल्लिखित नागरिक उनके सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने में एक प्रासंगिक कारक थे। अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 327

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

129. चित्रलेखा के मामले में (ऊपर) यह कहा गया था कि

जाति प्रारंभिक बिंदु है। यह निश्चित रूप से विषय है

मानकों कि यदि जाति स्वयं की परीक्षा को संतुष्ट करती है

पिछड़ेपन जो अंतर्निहित और अंतर्निहित है जैसा कि पैरा में उल्लेख किया गया है

782 इंद्र साहनी नं. 1 (ऊपर)। उस स्थिति में जाति बन जाती है

प्रासंगिक कारक। चित्रलेखा के मामले में व्यक्त विचार

(उपर्युक्त) को इंद्र साहनी संख्या 1 (उपर्युक्त) से असहमति नहीं थी।

वास्तव में न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी ने इंद्र मामले में बहुमत के फैसले में

साहनी नंबर 1 (ऊपर) ने चित्रलेखा के मामले (ऊपर) को संदर्भित किया

पैरा 704 पर। जैसा कि इंद्र साहनी के पैरा 782 में ऊपर उल्लेख किया गया है। नं. 1 (ऊपर) यह नहीं माना गया है कि जाति वर्ग है। उक्त में

पैराग्राफ में यह कहा गया है कि व्यक्तिगत सर्वेक्षण से बाहर है

क्योंकि अनुच्छेद 16 (4) वर्ग संरक्षण की बात करता है और नहीं

व्यक्तिगत सुरक्षा। इस संदर्भ में यह भी कहा गया है कि इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी पहचान की प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है

जातियों के लिए। उक्त में भी इस पर जोर दिया गया है

अनुच्छेद जो जातियों को समाप्त कर चुका है या एक साथ

इसके साथ, प्राधिकरण अन्य बातों पर विचार कर सकता है

व्यावसायिक समूह, समुदाय और वर्ग। अगर जाति एक है

वर्ग के लिए विकल्प, किसी भी एक साथ का प्रश्न दूसरों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए, न्यायालय ने

यह देखा गया कि अगर कोई चाहे तो जाति के साथ शुरुआत कर सकता है और फिर अन्य समूहों, वर्गों और कक्षाओं में जाएँ। यदि न्यायालय का उद्देश्य जाति शब्द को वर्ग के साथ प्रतिस्थापित करना था, तो

दूसरी कक्षाओं में जाने का सवाल ही नहीं उठेगा।

130. अखिल भारतीय का भी उल्लेख किया जा सकता है।

शोषित कर्मचारी संघ (रेलवे) बनाम। भारत संघ (यू. ओ. आई.)

और ओआरएस। (1981 (1) एस. सी. सी. 246) जहाँ पैरा 22 में इसे इस रूप में नोट किया गया था

निम्नलिखित है:

" यह केवल सामंजस्यपूर्ण वैधानिक निर्माण नहीं है

अनुच्छेद 16 (1) और (4) लेकिन हमारे बारे में अंतर्दृष्टिपूर्ण धारणा

संवैधानिक संस्कृति, पुनरुत्थानशील भारत के वर्तमान को दर्शाती है, जो असमानता और गरीबी के एक बीमार और स्तरीकृत समाज से एक बहादुर नया भारत बनाने पर आमादा है। अगर आज़ादी है,

न्याय और अपने आप को उजागर करने का समान अवसर

व्यक्तित्व, भंगी और ब्राह्मण के समान हैं, राजकुमार 328

और निर्धन, यदि पंचमा सर्वहारा वर्ग को सामाजिक परिवर्तन के अनुच्छेद 16 (4) के वादों को महसूस करना है, तो राज्य को लागू करना होगा।

और इस तरह प्रॉप्स की आवश्यकता धीरे-धीरे कम हो जाती है।
अनुच्छेद 16 (4) के तहत राज्य की कार्रवाई की सफलता में शामिल हैं:

एक अपवाद का स्थायी संचालन [अनुच्छेद 16 (4)] जैसे कि
यह सभी को पिछड़े रहने का एक अति-मौलिक अधिकार था।

समय की। आरक्षण नीति को अमरता देना है

इसके कारण को पराजित करें; इस प्रावधान का राजनीतिकरण करने के लिए

अनुच्छेद 16 (1) का उपक्रम, 'आरक्षण' को भी जातिबद्ध करने के लिए
पिछड़े-अधिकांश लोगों के निराशाजनक समूहों से परे,

सौम्योक्ति के रूप में एससी और एसटी के रूप में वर्णित, एक कब्र चलाने के लिए है

संवैधानिक जोखिम। जाति, वास्तव में, एक वर्ग में नहीं है

धर्मनिरपेक्ष राज्य "।

131. इस शब्द के उपयोग पर बहुत जोर दिया गया है।

' केवल '। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जबकि उत्तरदाताओं का तर्क है कि

जहाँ यह प्रदर्शित किया जाता है कि जाति ही एकमात्र विचार नहीं है

अनुमेय प्रावधान काम करेगा। संदर्भ दिया गया था

वेंकटरमण का मामला (ऊपर)। जैसा कि सही कहा गया है

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा शब्द का वास्तविक प्रभाव ' केवल 'को निर्णय में ही स्पष्ट किया गया है।

132. यह निर्णय लेना अनावश्यक है क्योंकि यह तर्क दिया गया है

याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा क्या की अवधारणा

सख्त जांच न्यायिक जांच का एक उपाय है जैसा कि प्रकाश डाला गया है

भारत में स्थितियाँ। यह प्रस्तुत किया जाता है कि लेबल प्रासंगिक नहीं है।

133. अंतिम उद्देश्य जातियों का उन्मूलन है और

यही आरक्षण की नींव है। इस पर विचार करते हुए

प्रक्रिया को अपनाकर उन्मूलन के लिए अपनाई गई विधि आरक्षण अप्रत्यक्ष रूप से कड़ी जांच का पहलू आता है। सख्त जांच परीक्षण अनुच्छेद 19 की पृष्ठभूमि में लागू किया गया था।

राज्य की अनिवार्य आवश्यकताओं की दृष्टि से। इस सिद्धांत को मान्यता दी गई थी

चिंतामन राव बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (1950 एससीआर ओ. के. ए. कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 329

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

1. इसे अन्य बातों के साथ इस प्रकार उद्धृत किया गया था:

" निर्णय के लिए सवाल यह है कि क्या क़ानून के तहत

सार्वजनिक हितों की रक्षा करने की आड़ में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप करता है

निजी व्यवसाय के साथ और अनुचित लागू करता है और

व्यवसाय; दूसरे शब्दों में, क्या बीड़ियों के निर्माण के व्यवसाय को चलाने का पूर्ण निषेध कृषि का मौसम एक उचित प्रतिबंध है।

के अनुच्छेद 19 (1) (छ) में उल्लिखित मौलिक अधिकारों पर

संविधान। जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि एक है

अधिनियम के प्रावधानों का उचित संबंध

इससे व्यवसाय पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। वाक्यांश "उचित प्रतिबंध" का अर्थ है कि

अधिकार का आनंद लेने वाले व्यक्ति पर लगाई गई सीमा मनमाना या अत्यधिक प्रकृति का नहीं होना चाहिए

जनता के हित में क्या आवश्यक है। वह शब्द।

" उचित "का अर्थ है बुद्धिमान देखभाल और विचार-विमर्श, कि

अर्थात, एक पाठ्यक्रम का चयन जो कारण निर्धारित करता है।

कानून जो मनमाने ढंग से या अत्यधिक रूप से आक्रमण करता है

यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिकार में गुणवत्ता शामिल है

तर्कसंगतता और जब तक कि यह एक उचित संतुलन नहीं बनाता है

अनुच्छेद 19 (1) (छ) में गारंटीकृत स्वतंत्रता और

अनुच्छेद 19 के खंड (6) द्वारा अनुमत सामाजिक नियंत्रण, यह

इसे उस गुण में अभाव माना जाना चाहिए "। 134. फिर से मद्रास राज्य बनाम। वी. जी. रो (ए. आई. आर. 1952 एस. सी.

इसे इस प्रकार देखा गया:

" 13. इस प्रश्न पर विचार करने से पहले हम सोचते हैं कि

यह इंगित करना सही है, जिसे कभी-कभी अनदेखा किया जाता है, कि हमारे संविधान में न्यायपालिका के लिए स्पष्ट प्रावधान हैं संविधान के अनुरूप विधान की समीक्षा

अमेरिका के विपरीत जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने

विधायी अधिनियमों की समीक्षा करने की व्यापक शक्ति ग्रहण की व्यापक रूप से व्याख्या की गई "उचित प्रक्रिया" खंड के आवरण के तहत

पाँचवाँ और चौदहवाँ संशोधन। यदि, तब, अदालत की सर्वोच्च अदालत की रिपोर्टें

330

[2008] 4 एस सी आर।

इस देश में इतने महत्वपूर्ण का सामना करना पड़ता है और कोई भी नहीं आसान काम, यह विधायी झुकाव की किसी भी इच्छा से नहीं है

एक योद्धा की भावना में अधिकार, लेकिन एक कर्तव्य के निर्वहन में

संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से उन पर रखा गया है। यह विशेष रूप से

यह उन "मौलिक अधिकारों" के संबंध में सच है जिनके बारे में इस न्यायालय को एक प्रहरी की भूमिका सौंपी गई है।

जीवंत। जबकि न्यायालय स्वाभाविक रूप से बहुत महत्व देता है

विधायी निर्णय, यह अंततः एक विवादित की संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए अपने स्वयं के कर्तव्य को कम नहीं कर सकता है

कानून। हम इन स्पष्ट टिप्पणियों पर आगे बढ़े हैं। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ में इसका सुझाव दिया गया है

क्वार्टर कि नई व्यवस्था में अदालतें देश में विधानसभाओं के साथ टकराव की मांग करने के लिए बाहर हैं "।

135. प्रारम्भ में यह इंगित किया जा सकता है कि

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चयन में प्राथमिक विचार

उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए उम्मीदवार

योग्यता होनी चाहिए। किसी भी नियम का उद्देश्य, जिसके लिए बनाया जा सकता है

अत: ऐसे संस्थानों में प्रवेश को विनियमित करना होगा - सर्वश्रेष्ठ और सबसे मेधावी छात्रों को सुरक्षित करें। राष्ट्रीय हित और सार्वभौमिक उत्कृष्टता की मांग भी हो सकती है

कमजोर वर्गों के हितों पर हावी होना। इस संदर्भ में, कृष्ण लायर जे ने उचित रूप से कहा:

" कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति रखने के लिए

घटिया उम्मीदवारों का चयन, समाज को दंडित करने के लिए है समग्र रूप से उत्कृष्टता की संभावना को नकारते हुए, कहें,

अस्पताल सेवा। यहाँ तक कि सबसे गरीब भी, जब गंभीर रूप से पीड़ित होते हैं बीमारी, सुपर-कुशल विशेषज्ञों के ध्यान की आवश्यकता नहीं है

नमद्रम सेकंड रेट्स "।

136. इस प्रकार, किसी भी व्यक्ति, वर्ग या क्षेत्र का हित नहीं हो सकता है

राष्ट्र से ऊँचा होना। अवसर की समानता के माध्यम से सार्वभौमिक उत्कृष्टता का दर्शन और व्यावहारिकता

देश भर में शिक्षा और उन्नति संवैधानिक पंथ का हिस्सा है। इसलिए यह सबसे अच्छा और सबसे योग्य है।

तकनीकी में प्रवेश के लिए जिन छात्रों का चयन किया जाना चाहिए

संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों और किसी भी नागरिक को आशा कुमार ठाकुर बनाम नहीं माना जा सकता है।

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

संवैधानिक व्यवस्था में बाहरी व्यक्ति के रूप में-बिना किसी गंभीर नुकसान के

राष्ट्र की 'एकता और अखंडता' के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है निर्धारित किया कि अब तक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के रूप में

जैसे कि एम. एस., एम. डी. और इसी तरह का संबंध है, यह होगा आसन्न रूप से वांछनीय है कि किसी भी आधार पर आरक्षण का प्रावधान न किया जाए

निवास या संस्थागत वरीयता पर। हालांकि, एक निश्चित

सीटों के प्रतिशत को जमीन पर आरक्षित करने की अनुमति है संस्थागत वरीयता। लेकिन इस संबंध में भी, अब तक सुपर

न्यूरोसर्जरी और कार्डियोलॉजी जैसी विशिष्टताओं का संबंध है।

के आधार पर भी कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए

संस्थागत वरीयता और प्रवेश विशुद्ध रूप से दिए जाने चाहिए।

अखिल भारतीय आधार पर। इसके अलावा, अति-विशिष्टताओं के आधार पर किया गया वर्गीकरण राष्ट्र के हितों की बेहतर सेवा कर सकता है।

यद्यपि अलग-अलग राज्यों के हित कुछ हद तक हो सकते हैं,

प्रभावित हुए।

137. किसी क्षेत्र या संस्था की आवश्यकता प्रबल नहीं हो सकती है

विशेषज्ञता का उच्चतम स्तर जहां सबसे अच्छा कौशल या प्रतिभा होनी चाहिए

उन्हें क्षमता के अनुसार चुनकर हाथ से चुना जाए। पी. एच. डी., एम. डी. या उच्च प्रवीणता के स्तर पर जहाँ

निर्माण में वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् एक राष्ट्रीय नुकसान है, जिन विचारों को हमने महत्वपूर्ण के रूप में विस्तारित किया है, वे अपने विचार खो देते हैं सामर्थ्य।

138. अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि विवादित क़ानून

पहचान योग्य ओ. बी. सी. से मलाईदार परत को अलग करने के बाद ही सक्रिय हो सकता है। कक्षाओं की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए।

जिसे क़ानून द्वारा कवर किया जा सकता है। आवधिकता होनी चाहिए

पाँच साल। संवैधानिक संतुलन बनाने की आवश्यकता है -

निर्धारित 27 प्रतिशत में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उपयुक्त प्रतिशत का प्रावधान करना।

139. संक्षेप में, निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

(1) विवादित क़ानून क्रीमी के कार्यान्वयन के लिए

परत को बाहर रखा जाना चाहिए।

(2) वांछनीयता [2008] 4 एस. सी. आर. के बारे में समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून के निरंतर संचालन के लिए। यह होगा

हर पाँच साल में एक बार किया जाता है।

(3) केंद्र सरकार इस बारे में जाँच करेगी कि

के संबंध में कट ऑफ अंक तय करने की वांछनीयता

अन्य पिछड़े वर्गों (ओ. बी. सी.) से संबंधित उम्मीदवार। चित्रण के माध्यम से यह संकेत दिया जा सकता है कि

ऐसे उम्मीदवारों को पांच अंकों की छूट दी जा सकती है।

सामान्य के लिए निर्धारित न्यूनतम पात्रता अंकों से नीचे

छात्रों की श्रेणियाँ। यह गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा और योग्यता प्रभावित नहीं होगी। यदि कोई सीट खाली रहती है

ऐसे मानदंडों को अपनाने के बाद उन्हें भरा जाएगा -

सामान्य श्रेणियों के उम्मीदवार।

(4) जहाँ तक पिछड़े वर्गों के निर्धारण की बात है

संबंधित, एक अधिसूचना जारी की जानी चाहिए

भारत संघ। यह बहिष्करण के बाद ही किया जा सकता है।

मलाईदार परत जिसके लिए आवश्यक डेटा होना चाहिए

केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त किया जाना

राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश। इस तरह की अधिसूचना इस आधार पर चुनौती के लिए खुली है कि

गलत बहिष्कार या समावेशन। नियम तय किए जाने चाहिए।

विभिन्न विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश।

(5) अन्य की उचित पहचान होनी चाहिए।

पिछड़े वर्ग (ओ. बी. सी.)। पहचान के लिए
पिछड़े वर्गों के अनुसार आयोग का गठन किया गया

इंद्र साहनी सं. 1 में इस न्यायालय के निर्देशों पर

अधिक प्रभावी ढंग से काम करना होगा और न कि केवल जातियों के समावेश या बहिष्कार के लिए आवेदनों पर निर्णय लेना होगा।
पिछड़ेपन का निर्धारण करते समय, स्नातक (नहीं

तकनीकी स्नातक) या पेशेवर होगा

पिछड़ेपन को मापने के लिए मानक परीक्षण मापदंड।

(6) संवैधानिक संतुलन बनाने के लिए यह आवश्यक है

और एक निश्चित प्रतिशत सीटों को चिह्नित करना वांछनीय है।

सामाजिक और सामाजिक रूप से 27 प्रतिशत की अनुमेय सीमा में से

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग।

[डॉ. अरिजीत पासायत, जे।]

(7) संविधान में दोनों अनुच्छेदों के प्रयोजनों के लिए

15 और 16, जाति वर्ग का पर्याय नहीं है और यह

इंद्र के अनुच्छेद 782 और 783 से स्पष्ट है।

साहनी नं. 1। हालांकि, जब मलाईदार परत है

जाति से बाहर, वही एक बन जाता है

अनुच्छेद 15 के प्रयोजन के लिए पहचान योग्य वर्ग और

16 .

(8) प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए।

ताकि उच्च शिक्षा के लिए उचित नींव रखी जा सके
प्रभावी ढंग से स्थापित किया जाए।

(9) जहाँ तक संवैधानिक संशोधनों का संबंध है

चिंतित हैं: (1) अनुच्छेद 16 (1)
और 16 (4) को होना चाहिए

सामंजस्यपूर्ण रूप से समझाया गया। वह एक नहीं है

दूसरे के लिए अपवाद।

((ii) अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं।

मैदान। अनुच्छेद 15 (5) अनुच्छेद 15 (4) का अनुवाद नहीं करता है।

निष्क्रिय या निष्क्रिय।

(10) संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए,

विदेशी निर्णय बहुत निर्णायक नहीं होते हैं।

मूल्य। वे निर्णय लेने के लिए सामग्री प्रदान कर सकते हैं

संवैधानिकता के बारे में प्रश्न। इस मायने में,

संवैधानिकता तय करने के लिए जांच की जानी चाहिए
या अन्यथा, एक क़ानून का।

(11) यदि केंद्र सरकार को सामग्री दिखाई जाती है कि

संस्थान इसमें शामिल होने का हकदार है

अनुसूची, केंद्र सरकार को एक लेना चाहिए

रखी गई सामग्री के आधार पर उचित निर्णय

और संबंधित मुद्दों की जांच करने पर कि क्या

संस्थान अनुसूची में शामिल होने का हकदार है।

(12) निजी यू. आर.-सहायता प्राप्त शिक्षा से संबंधित चुनौती

संस्थानों की जांच नहीं की गई है क्योंकि ऐसे 334 हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

संस्थान ने कोई भी चुनौती रखी है। यह ध्यान देने योग्य है कि

कि याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुतियाँ दी हैं

चुनौती हम इसे आवश्यक मानने का प्रस्ताव नहीं करते हैं
प्रश्न पर कोई राय व्यक्त करना या निर्णय लेना।

140. उपर्युक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, रिट

डब्ल्यू. पी. में याचिकाएं और अवमानना याचिका (सिविल) No.112/2007

(ग) No.265/2006 का निपटान किया जाता है।

दलवीर भंडारी, जे. 1. 93 वाँ संशोधन

संविधान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाखों नागरिकों को प्रभावित करता है

इस देश को। इसे कई रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई है। इस न्यायालय ने इन याचिकाओं पर बीच-बीच में सुनवाई की

कई महीनों से। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित होना और उत्तरदाताओं, देश के बेहतरीन कानूनी दिमागों ने हमारी सहायता की।

2. इन रिटों में जो मौलिक प्रश्न उत्पन्न होता है

याचिकाएँ इस प्रकार हैं: क्या अनुच्छेद 15 (5), 93 वें द्वारा जोड़ा गया है

संशोधन, के अन्य प्रावधानों के अनुरूप है

संविधान या क्या इसका प्रभाव इसके विपरीत है

जातिविहीन और वर्गविहीन को प्राप्त करने का संवैधानिक उद्देश्य

समाज?

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एफ. एस.

नरीमन ने स्पष्ट रूप से तर्क दिया कि यदि अनुच्छेद 15 (5) की अनुमति है

बल में रहें, फिर, एक जातिविहीन के लक्षय को प्राप्त करने के बजाय और वर्गहीन समाज, भारत को एक जाति में बदल दिया जाएगा

रूखा समाज। देश हमेशा बंटा रहेगा जाति रेखाएँ। सरकार ने इसे खारिज करने की कोशिश की है।

तर्क। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं का तर्क हमारे संविधान के मूल निर्माताओं की गंभीर चिंता को प्रतिध्वनित करता है।

4. संविधान सभा और संसदीय बहसों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर, एक बात स्पष्ट है: हमारे नेता

हमेशा और सर्वसम्मति से एक आवाज के साथ घोषणा की है कि

हमारा संवैधानिक लक्षय जातिविहीन और वर्गहीन की स्थापना करना है। समाज। महात्मा गाँधी ने कहा था: जाति व्यवस्था जैसा कि हम जानते हैं अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ

[दलवीर भंडारी, जे।]

एक अनाक्रोनिज्म है। अगर हिंदू धर्म और भारत दोनों को दिन-प्रतिदिन जीना है और विकास करना है तो यह जाना ही होगा। प्रथम प्रधानमंत्री। पं.

जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि "किसी को भी इस बात में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए कि भविष्य का भारतीय समाज जातिविहीन और वर्गहीन होने वाला है।"

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने जाति को "राष्ट्र-विरोधी" कहा।

5. स्वतंत्रता के लगभग चार दशकों के बाद, जबकि

मंडल मुद्दे पर संसदीय बहस में भाग लेते हुए,

6 सितंबर, 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी

राष्ट्र जितनी जल्दी हो सके जातियों से छुटकारा पाए "। 93 वें अधिनियम की वैधता की जांच करना हमारा परम कर्तव्य और दायित्व है। प्रस्तावना के पिछले हिस्से में संशोधन और अंतिम लक्षय जो संविधान के पृष्ठों से गुजरता है।

6. एक समतावादी समाज प्राप्त करने के लिए, हमें तत्काल काम करना होगा

सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करें। याचिकाकर्ताओं के सभी विद्वान वकीलों ने जोर देकर कहा कि हमें इसके लाभ देने चाहिए आरक्षण केवल उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो वास्तव में इसके हकदार हैं। यह तभी किया जा सकता है जब हम मलाईदार परत को हटा दें। के लिए सीखा परामर्श

भारत संघ और अन्य उत्तरदाताओं ने इस दावे का विरोध किया। मलाईदार परत का सिद्धांत व्यापक सिद्धांत से निकलता है।

अपने आप में समानता। जब तक मलाईदार परत को हटा नहीं दिया जाता है प्रवेश और सेवा आरक्षण, लाभ नहीं पहुंचेंगे

वह समूह जिसके नाम पर विवादित कानून पारित किया गया था

- गरीब से गरीब। इसलिए, मलाईदार परत को शामिल करना स्वाभाविक रूप से अन्यायपूर्ण होगा।

7. क्रीमी परत बहिष्करण, हालांकि, कई में से सिर्फ एक है

दलों द्वारा उठाए गए मुद्दे। मुझे 93 वें संशोधन की वैधता तय करने के लिए इस मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच करने की आवश्यकता है।

और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (में आरक्षण)

प्रवेश) विधेयक, 2006 (2007 के अधिनियम 5 के रूप में पारित) (इसके बाद "आरक्षण अधिनियम" कहा जाता है)। मैं अपने विश्लेषण को निम्नलिखित मुद्दों पर केंद्रित करूँगा:

1 ए. क्या मलाईदार परत को सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट से बाहर रखा गया है

[2008] 4

एस सी आर।

93 पहला संशोधन (आरक्षण अधिनियम)?

1 बी. मलाईदार परत के लिए क्या मापदंड हैं?

बहिष्करण?

1 सी. क्या क्रीमी लेयर बहिष्करण एससी/एसटी पर लागू होता है?

क्या अनुच्छेद 21 ए के तहत मौलिक अधिकार हो सकता है?

2 .

बहुत जोर दिए बिना पूरा किया जाए

प्राथमिक शिक्षा?
क्या 93 वां संशोधन बुनियादी नियमों का उल्लंघन करता है?

3 .

लागू करके संविधान की संरचना

गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में आरक्षण?

क्या एस. ई. बी. सी. की पहचान करने के लिए जाति का उपयोग चलता है

4 .

जातिविहीन/वर्गविहीन समाज में

धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन।
अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) परस्पर हैं।

5 .

विरोधाभासी, जैसे कि 15 (5) है

असंवैधानिक?

क्या अनुच्छेद 15 (5) में अल्पसंख्यकों को छूट दी गई है?

6 .

आरक्षण के दायरे से संस्थान

संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन?
क्या समीक्षा के मानक निर्धारित किए गए हैं

7 .

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय हमारी समीक्षा पर लागू होता है

अनुच्छेद 15 (5) और इसी तरह के तहत सकारात्मक कार्रवाई
प्रावधान?

ओ. बी. सी. पहचान के संबंध में, था

8 .

आरक्षण अधिनियम की शक्ति का प्रत्यायोजन
केंद्र सरकार अत्यधिक?

क्या विवादित कानून अमान्य है क्योंकि यह विफल रहता है

9 .

से: जाति-आधारित आरक्षण के लिए कोई समय-सीमा?

एक छात्र अब किस बिंदु पर नहीं है

.)

शैक्षिक रूप से पिछड़े और इस प्रकार अब नहीं

एल। 15 (5) के तहत विशेष प्रावधानों के लिए?

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

[दलवीर भंडारी, जे।]

11. क्या ओ. बी. सी. को संतुलित करना उचित होगा?

सामाजिक हितों के साथ आरक्षण की स्थापना
ओ. बी. सी. कट-ऑफ अंक जो उससे थोड़े कम हैं।

सामान्य श्रेणी का?

8. मैंने पाइडिंग्स की सावधानीपूर्वक जांच की है और लिखा है

विस्तार से प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतियाँ। मान लीजिए, के प्रावधान

संविधान और प्रस्तावना अप्रतिरोध्य का नेतृत्व करते हैं

यह निष्कर्ष निकालना कि राष्ट्र हमेशा एक लक्षय प्राप्त करना चाहता है जातिविहीन
और वर्गविहीन समाज। अगर हम इसकी अनुमति देते हैं

कानून लागू किया जाना है, मुझे डर है, जातिविहीन के बजाय

और वर्गहीन भारत, हम एक जाति-ग्रस्त समाज के साथ रह जाएंगे

9. जाति को मिटाने का पहला स्थान है -

कक्षा कक्ष। यह सब शिक्षा से शुरू होता है। दूसरे शब्दों में, यदि आप हैं

एक निचली जाति के लिए लेकिन योग्य हैं, शायद ही किसी को परवाह होगी

अपनी जाति के बारे में। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अब एक

अनुच्छेद 21 ए के तहत मौलिक अधिकार। राज्य का कर्तव्य है कि

इस अनुच्छेद को प्राथमिकता के आधार पर लागू करें। इसके कार्यान्वयन में भारी ढिलाई बरती गई है। यह शिथिलता लगभग प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।

जीवन का हर कदम। मेरी राय में। कुछ भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं है

इस महत्वपूर्ण अनुच्छेद को लागू करने के लिए भारत संघ।

10. मैं भारत संघ को एक समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश देता हूं जिसके भीतर इस अनुच्छेद को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। इस बार

समय-सीमा तय करने में विफल रहता है, तो शायद इस काम को भी करना होगा न्यायालय द्वारा किया जाए।

11. भारत संघ को उचित रूप से सराहना करनी चाहिए

संभावित है कि सामाजिक और शैक्षिक का मूल कारण

पिछड़ेपन गरीबी है। इस मौलिक समस्या को समाप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए जब तक कि मलाईदार परत न हो। हटा दिया गया लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा जिन्हें इसकी आवश्यकता है

आरक्षण गलत संदेश देता है। हर कोई उत्सुक है

अगर हम वास्तव में चाहते हैं तो पिछड़े वर्ग के दर्जे का लाभ प्राप्त करें

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की सहायता करें। हमें ईमानदारी से ध्यान केंद्रित करने या लागू करने की आवश्यकता है

21 ए. हमें दा, [2008] 4 एस. सी. आर. से शैक्षिक अवसर प्रदान करना चाहिए।

तभी जातिविहीन/वर्गविहीन समाज हमारी पकड़ में होगा। एक बार जब बच्चे कॉलेज जाने की उम्र के हो जाते हैं, तो बहुत देर हो जाती है।

आरक्षण का बहुत प्रभाव पड़ेगा। समस्या यह है कि आरक्षण अधिनियम यह है कि अधिकांश लाभार्थी इसके होंगे -

केवल गैर-क्रीमी लेयर ओ. बी. सी. कॉलेज में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। प्रवेश, और एक बार जब वे कॉलेज से स्नातक हो जाते हैं तो उन्हें

अब स्नातकोत्तर आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे। 27 % ओ. बी. सी. आरक्षण के लिए ऊपरी सीमा है। सरकार को इसकी आवश्यकता नहीं है हमेशा अधिकतम सीमा प्रदान करें। उचित कट ऑफ निशान

इसे स्थापित किया जाना चाहिए ताकि उत्कृष्टता के मानक बहुत अधिक प्रभावी हो सकें। द.

खाली सीटों को सामान्य श्रेणी में वापस लाया जाना चाहिए।

12. ये मुद्दे सबसे पहले विवादित के पाठ से उत्पन्न होते हैं।

संशोधन। सामाजिक और शैक्षिक रूप से आरक्षण नागरिकों के पिछड़े वर्ग (एस. ई. बी. सी.) को 93 वें संशोधन द्वारा पेश किया गया था। अनुच्छेद 15 (5) में कहा गया है:

" इस अनुच्छेद में या के खंड (1) के उपखंड (छ) में कुछ भी नहीं अनुच्छेद 19 राज्य को कोई विशेष कार्य करने से रोकेगा।

कानून द्वारा, किसी भी सामाजिक और सामाजिक उन्नति के लिए प्रावधान

नागरिकों के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए या

जहाँ तक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति

ऐसे विशेष प्रावधान उनके प्रवेश से संबंधित हैं निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थान

खंड में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अलावा राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त संस्थान

(1) अनुच्छेद 30 "।

क्रीमी परत को प्राप्त करने से अलग करना

विशेष लाभ:

13. मूल को समाप्त करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई का उपयोग किया जाता है

अवसर प्रदान करके सामाजिक और आर्थिक असमानता

जो अन्यथा प्रवेश या रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

अनुच्छेद 14,15 और 16 सकारात्मक कार्रवाई की अनुमति देते हैं। बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 14 समतावादी समानता, राज्य नागरिकों को समूहों में वर्गीकृत कर सकता है, जिससे एक दूसरे को वरीयता दी जा सकती है।

जब यह वर्गीकृत होता है, तो राज्य को उन लोगों को रखना चाहिए जो असमान हैं-अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 339

[दलवीर भंडारी, जे।]

समानतावादी के संवैधानिक लक्षय को प्राप्त करने के लिए एक ही समूह से बाहर

समाज।

के संबंध में भारत संघ के तर्क
मलाईदार परत:

14. श्री जी. ई. वाहनवती, विद्वान महान्यायवादी और वीर

के. परासरन, सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता

तर्क दें कि मलाईदार परत का बहिष्कार एक खराब नीति है। वे तर्क देते हैं कि यदि आप मलाईदार परत को बाहर करते हैं, तो एक कमी होगी

ऐसे उम्मीदवार जो उच्च शिक्षा के लिए भुगतान कर सकते हैं। यह

तर्क सरकार की मदद करने के बजाय नुकसान पहुंचाता है। यह नहीं हो सकता।

गंभीर रूप से विवादित है कि अधिकांश कॉलेज जाने वाले ओ. बी. सी. संबंधित हैं।

क्रीमी परत के लिए जिनके लिए आरक्षण अनावश्यक हैं; वे

अच्छे स्कूलों, ट्यूशन और कोचिंग में जाने के लिए पैसे हैं।

प्रवेश परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम। स्वाभाविक रूप से, इन लाभों का परिणाम है गैर-मलाईदार परत वाले ओ. बी. सी. की तुलना में उच्च परीक्षण अंकों में। द.

परिणाम यह है कि क्रीमी ओ. बी. सी. ओ. बी. सी. कोटे के बड़े हिस्से को भरेंगे,

गैर-मलाईदार को पहले की तुलना में बेहतर नहीं छोड़ना। अगर मलाईदार

सबसे अधिक लाभ प्राप्त करें, सबसे पहले आरक्षण क्यों है?

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री हरीश साल्वे, यह तर्क देने में उचित हैं कि संवैधानिक संशोधनों को लागू करने से पहले भारत संघ को स्पष्ट रूप से अपने

लाभार्थी। उन्होंने ठीक ही कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कानून पहले और उसके बाद कानून के लाभार्थियों को लक्षित करता है। विफलता

मलाईदार परत को बाहर करना इसका एक उदाहरण है। समस्या।

15. सरकार ने आगे कहा कि मलाईदार परत

ओ. बी. सी. के लिए आरक्षित 27 प्रतिशत सीटें भरें। निरीक्षण समिति असहमत थी। समिति ने कर्नाटक के आंकड़ों पर भरोसा किया इस तर्क को खारिज करें कि क्रीमी होने पर सीटें खाली हो जाती हैं

बाहर रखा गया है: * ..... आशंका है कि सीटें नहीं भरी जाएंगी

यदि मलाईदार परत को बाहर रखा गया है तो व्यापक रूप से निराधार दिखाया गया है। [देखिए: निरीक्षण समिति, खंड। 1 , सितम्बर।

2006. पी 69, पैरा 1.71 हम बाद में निगरानी की समीक्षा करेंगे।

अधिक विस्तार से समिति की राय।

किन कारणों से मलाईदार परत होनी चाहिए

बहिष्कृत किया जाए:

16. शुरुआत में, मैं ध्यान देता हूं कि संसद ने खारिज कर दिया

आरक्षण अधिनियम का हिंदी संस्करण। का हिंदी संस्करण आरक्षण अधिनियम ने स्पष्ट रूप से मलाईदार परत को बाहर कर दिया होगा।

[देखिए: प्रो. संसद में रासा सिंह रावत की टिप्पणी

आरक्षण अधिनियम, 14 दिसंबर 2006 पर बहस]

17. संसद ने अंततः अंग्रेजी संस्करण को पारित कर दिया।

जिसमें मलाईदार परत का उल्लेख नहीं है, अपना इरादा बनाते हुए

साफ है। यह मलाईदार परत को शामिल करना चाहता था। सभी व्यावहारिक के लिए उद्देश्य, उसने ऐसा किया। इसलिए, मैं इसे शामिल मानूंगा। वकील

भारत संघ ने तर्क दिया कि यह अभी भी सैद्धांतिक रूप से संभव है कार्यकारी के लिए मलाईदार परत को बाहर करने के लिए। बहुत कुछ संभव है।

सिद्धांत रूप में। अधिनियम पारित होने के बाद से कार्यपालिका की कार्रवाई करने में विफलता को देखते हुए, मुझे यह तर्क अपरिहार्य लगता है।

18. संसद के इरादे को ध्यान में रखते हुए, मैं इस पर विचार करूंगा।

क्रीमी परत को क्यों होना चाहिए, इसके कारणों के साथ कुछ विवरण

आरक्षण से बहिष्कृत किया जाए। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ

इस बात पर जोर दें कि मलाईदार परत को कभी भी किसी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए

सकारात्मक कार्रवाई कानून। मूल निर्माताओं और निर्माताओं के इरादे को इकट्ठा करना भी अनिवार्य हो जाता है। द.

शुरू में, हम मूल फ्रेमर्स के बीच एक अंतर को पहचानते हैं।

और निर्माता, अर्थात प्रथम संसद के सदस्य। संविधान सभा और प्रथम संसद के सदस्य

एक ही थे। लेकिन अंतर आवश्यक है

इस हद तक कि पहली संसद अपने संवैधानिक दर्शन से भटक गई। अनुच्छेद 15 (4) पर बहस की जाँच करके, मैं कर सकता हूँ

पता लगाएँ कि क्या फ्रेमर्स मलाई को बाहर करना चाहते थे

लेवर

19. प्रथम संसद का मानना था कि "आर्थिक" था

"सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े" के "सामाजिक" भाग में शामिल। प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा:

" सामने रखे गए मुख्य संशोधनों या विचारों में से एक है

"आर्थिक" शब्द को जोड़ने के संबंध में।

सच कहें तो, होका कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 341

[दलवीर भंडारी, जे।]

तर्क को थोड़ा बदलाव के साथ आगे रखा गया है, मैं करूँगा

स्वीकार करें, लेकिन मेरी मुश्किल यह है कि जब हमने उन्हें चुना

वहाँ विशेष शब्द, "किसी भी सामाजिक प्रगति के लिए"

और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग ", हमने उन्हें चुना क्योंकि वे अनुच्छेद 340 में आते हैं और हम लाना चाहते थे

उन्हें वहाँ से शारीरिक रूप से। नहीं तो मैं नहीं होता

"आर्थिक रूप से" जोड़ने के लिए थोड़ी सी भी आपत्ति। लेकिन अगर मैं जोड़ दूं

" आर्थिक रूप से "मैं एक ही समय में इसे एक दयालु नहीं बनाऊंगा

संचयी चीज़ का लेकिन कहेंगे कि एक व्यक्ति जो है

इनमें से किसी भी चीज की कमी की मदद की जानी चाहिए। सामाजिक रूप से "

एक बहुत व्यापक शब्द है जिसमें कई चीजें शामिल हैं और निश्चित रूप से

आर्थिक रूप से भी। इसलिए, मैंने महसूस किया कि "सामाजिक और

शैक्षिक रूप से "वास्तव में जमीन को कवर करता है और उसी समय

जब आप किसी अन्य भाग में उपयोग किए गए वाक्यांश को बाहर लाते हैं

संविधान थोड़े समान संदर्भ में "। (देखिए: द.

प्रथम संशोधन विधेयक पर संसदीय बहस, 1 जून

1951 , पी। 9830.)

यदि प्रारूपण में समरूपता प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती,

कोनॉमिक रूप से "शामिल किया गया होगा। अगर ऐसा किया जाता,

मलाईदार परत को शुरुआत से ही बाहर रखा गया होगा।

20. 15 (4) बहस में, श्री एम. ए. अय्यंगार चाहते थे कि

डी "आर्थिक" यह सुनिश्चित करने के लिए कि अमीर एस. ई. बी. सी. को प्राप्त न हो

विशिष्ट प्रावधान।

" मैंने सोचा कि "आर्थिक" जोड़ा जा सकता है ताकि अमीर लोग

इस प्रावधान का लाभ नहीं उठा सकते हैं। मेरे हिस्से में

देश में नाट्टुकोट्टई चेट्टियार हैं जो नहीं करते हैं

अंग्रेजी शिक्षा की परवाह करते हैं, लेकिन वे सबसे अमीर हैं

क्या उनके लिए विशेष आरक्षण होना चाहिए? "

(देखिए: प्रथम संशोधन पर संसदीय बहस

विधेयक, 1 जून 1951, पी। 9817.)

(जोर दिया गया)।

इस हिचकिचाहट से एक तरफ, श्री एम. ए. अय्यंगार संतुष्ट थे

"आर्थिक" शब्द को "सामाजिक" शब्द में शामिल किया गया था। द.

सुपर कोर्ट रिपोर्ट के तहत होने के बावजूद, मेर्स मलाईदार परत के समावेश के बारे में चिंतित थे।

एक अलग नाम। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि "सबसे अमीर" [पिछड़े] लॉट "को विशेष प्रावधानों से लाभ नहीं होगा। के साथ

हमारे पक्ष में उनकी भावना, हम और भी अधिक आश्वस्त हैं कि हम

उस दिशा में प्रहार करना चाहिए जो उन कानूनों को निरस्त करता है जिनमें मलाईदार परत शामिल है।

मलाईदार परत को शामिल करने का मतलब है कि असमान हैं

अधिकार के उल्लंघन में बराबर के रूप में माना जाता है
अनुच्छेद 14,15 और 16 के तहत समानता।

21. वर्तमान मामले में, डॉ. राजीव धवन, विद्वान

वरिष्ठ वकील और श्री एस. के. जैन, विद्वान वकील

याचिकाकर्ताओं की ओर से जोरदार तर्क दिया गया कि यह ठीक है

क्योंकि समानता मुद्दा है कि मलाईदार परत होनी चाहिए

हटा दिया गया। मलाईदार परत एक विषय रहा है इस न्यायालय के प्रसिद्ध निर्णयों की संख्या। सात न्यायाधीशों में

केरल राज्य में पीठ और एक अन्य बनाम। एन. एम. थॉमस और अन्य

(1976) 2 एस. सी. सी. 310, न्यायमूर्ति मैथ्यू, अपने सहमत निर्णय में,
समानता के अधिकार पर निम्नलिखित शब्दों में चर्चा की गई:

" 66. कानून या समान के समक्ष समानता की गारंटी

इसका तात्पर्य उन व्यक्तियों के साथ विभेदक व्यवहार से है जो
असमान। इसलिए समतावादी सिद्धांत ने वृद्धि की है

यह विश्वास बढ़ रहा है कि सरकार का एक सकारात्मक कर्तव्य है

असमानताओं को दूर करना और अवसर प्रदान करना

मानवाधिकारों और दावों का प्रयोग।

(जोर दिया
गया)

22. इंद्र साहनी और अन्य बनाम। भारत संघ और

अन्य (1992) पूरक (3) एस. सी. सी. 217, (इसके बाद के रूप में संदर्भित)

साहनी I), इस न्यायालय ने उचित रूप से कहा है कि आरक्षण

पिछड़े वर्गों को तब तक दिया जाता है जब तक कि वे पिछड़े नहीं रह जाते,

और अनिश्चित काल के लिए नहीं। इस न्यायालय ने पैरा 520 (सावंत, जे.) में कहा है कि
जैसा कि नीचे बताया गया है:

" समाज स्थिर नहीं रहता है। औद्योगीकरण और

शहरीकरण जो अनिवार्य रूप से इसके बाद हुआ, अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 343

[दलवीर भंडारी, जे।]

राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर प्रगति की गई

विशेष रूप से संविधान के प्रारंभ के बाद,

पिछले कई दशकों के सामाजिक सुधार आंदोलनों,
शिक्षा का प्रसार और विशेष शिक्षा के लाभ

अब तक सुरक्षित किए गए आरक्षण सहित सभी प्रावधान हैं

निस्संदेह कम से कम कुछ व्यक्तियों और परिवारों को देखा है

पिछड़े वर्गों में, हालांकि संख्या में कम, प्राप्त कर रहे हैं
प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए पर्याप्त साधन

हर क्षेत्र में दूसरों के साथ। यह एक निर्विवाद तथ्य है।

इसलिए, कानूनी रूप से, वे अब और होने के हकदार नहीं हैं।
पिछड़े वर्गों के हिस्से के रूप में कहा जाता है जो भी उनके

मूल जन्म चिन्ह। यह आगे शायद ही तर्क दिया जा सकता है कि
एक बार पिछड़े वर्ग, हमेशा पिछड़े वर्ग। कि

विशेष प्रावधानों के उद्देश्य को विफल कर देगा

की प्रगति के लिए संविधान में बनाया गया
पिछड़े वर्ग, और उन्हें आने में सक्षम बनाने के लिए

का स्तर और आगे के वर्गों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, बराबर के रूप में

नागरिक "।

(जोर दिया गया)।

23. हमारे उद्देश्यों के लिए, मलाईदार परत वाले ओ. बी. सी. और गैर-मलाईदार

जब सामाजिक स्तर को ऊपर ले जाने की बात आती है तो स्तर ओ. बी. सी. बराबर नहीं होते हैं।

शैक्षिक अवसर के माध्यम से आर्थिक सीढ़ी। विफलता।

मलाईदार परत को हटाने के लिए मलाईदार परत ओ. बी. सी. और गैर का इलाज करता है

मलाईदार परत ओ. बी. सी. बराबर के रूप में। उसी अनुच्छेद में, न्याय

सावंत ने कहा कि
"..... .....

समान रूप से। "संविधान के समानता प्रावधानों का उल्लंघन।

24. केरल विधानमंडल के अनुसार, कोई नहीं था

केरल में मलाईदार परत। इस कानून को इंद्र में चुनौती दी गई थी।

साहनी वी। भारत संघ और अन्य (2000) 1 एस. सी. सी. 168,

(इसके बाद साहनी द्वितीय के रूप में संदर्भित)। अदालत ने कहा कि दो प्रावधान जो मलाईदार परत के बहिष्कार को रोकते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं

कि मलाईदार परत का गैर-समावेशन और आगे का समावेश

आरक्षण में जातियाँ अनुच्छेद के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं

14 और मूल संरचना।

25. साहनी द्वितीय में पैरा 65 पर, न्यायालय ने

यह देखने की सीमा कि संसद भी नहीं, द्वारा संवैधानिक संशोधन, मूल संरचना को ध्वस्त कर सकता है

आरक्षण में मलाईदार परत को शामिल करके:

" हमारा कहना है कि संसद और
इस देश में विधायिका बुनियादी नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती।

संविधान की विशेषता, अर्थात् समानता का सिद्धांत

अनुच्छेद 14 में निहित है जिसका अनुच्छेद 16 (1) एक पहलू है।

क्या मलाईदार परत को बाहर नहीं रखा गया है या क्या

पिछड़ी जातियों को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया जाता है,

स्थिति वही होगी, अर्थात्, कि वहाँ एक होगा

यह न केवल अनुच्छेद 14 का बल्कि संविधान की मूल संरचना का भी उल्लंघन है। मलाईदार परत का गैर-बहिष्करण

भारत के संविधान की जड़ को आहत नहीं किया जा सकता है
संवैधानिक द्वारा भी स्थायी होने की अनुमति दी गई

संशोधन "। 26. परिभाषा
के अनुसार, मलाईदार और गैर-मलाईदार असमान हैं।

जब पढ़ाई की बात आती है। उनके गैर-मलाईदार के संबंध में

आरक्षित श्रेणी में प्रवेश पाने का अवसर, यह समानता केवल नाम में है। क्या किसी मंत्री की ओ. बी. सी. बेटी,

उसका गैर-मलाईदार प्रतिरूप? हां. क्या वह निजी टचूशन में जाएगी? उसके गैर-मलाईदार समकक्ष के लिए असहनीय? निश्चित रूप से। और

वह सर्व-निर्णायक प्रवेश परीक्षाओं के लिए कहाँ जमा होगी? कोचिंग सेंटर में? बेशक। क्या वह स्कूल से घर आएगी? इंतज़ार कर रहे परिवार के किसी सदस्य को खोजने के लिए? शायद। और जब वह अपने माता-पिता से मदद मांगती है, तो क्या वे शिक्षित और देने में सक्षम होते हैं?

स्कूल के काम में बेहतर सहायता? सबसे अधिक संभावना है।

27. मैं इन उपाख्यानों का न्यायिक संज्ञान लेता हूं, क्योंकि वे मांस हैं।

एक साधारण तथ्य: उसके पास वे सभी संसाधन हैं जिनकी उसके गैर-मलाईदार समकक्ष के पास कमी है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह आशा कुमार ठाकुर बनाम से बेहतर प्रदर्शन करेंगी।

भारत और ओआरएस का संघ। 345

[दलवीर भंडारी, जे।]

गैर-मलाईदार। औसतन, उनका हिस्सा आरक्षित सीटें लेगा।

28. मैं ओ. बी. सी. मंत्री की बेटी और गैर-मलाईदार ओ. बी. सी. को उनकी संभावनाओं के मामले में बराबर नहीं मान सकता।

विश्वविद्यालय की सीट अर्जित करना; और न ही मैं उन्हें इलाज की अनुमति दे सकता हूं

समान रूप से। उन्हें एक ही श्रेणी में जोड़ना अनुचित है।

वर्गीकरण। समान सीटों के लिए उन्हें आमने-सामने की प्रतिस्पर्धा में रखना अनुच्छेद 14,15 में समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है और

16 .

29. पैरा 122 में अपने समापन में, एम. नागराज और अन्य बनाम

भारत संघ और अन्य (2006) 8 एस. सी. सी. 212, एक संविधान

इस न्यायालय की पीठ ने अनुच्छेद 16 (4 ए) और 16 (4 बी) पर विचार करते हुए

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में निम्नानुसार देखा गया:

" हम दोहराते हैं कि 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा, की अवधारणा
मलाईदार परत और सम्मोहक कारण, अर्थात्,

पिछड़ेपन, प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता और समग्रता

प्रशासनिक दक्षता सभी संवैधानिक आवश्यकताएँ हैं जिनके बिना अवसर की समानता की संरचना

अनुच्छेद 16 ध्वस्त हो जाएगा।

यह तर्क दिया गया था कि क्रीमी के संबंध में नागराज आज्ञाकारी है

परत बहिष्करण। नागराज के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण

एससी/एसटी के लिए मलाईदार परत के बहिष्कार पर आकस्मिक है। (पैरा

122 , 123 और 124)। भारत संघ का तर्क नहीं हो सकता है स्वीकार किया जाए। मलाईदार परत के बारे में चर्चा बहुत दूर है।

ओबिटर इन नागराज। यदि राज्य एससी/एसटी मलाईदार परत को बाहर करने में विफल रहता है, तो आरक्षण गिरना चाहिए। इस आकस्मिकता को निष्कर्ष में रखने से मलाईदार परत की चर्चा का हिस्सा बन जाता है

अनुपात।

30. कुल मिलाकर, मलाईदार परत समावेशन के अधिकार का उल्लंघन करता है

समानता। अर्थात् क्रीमी लेयर का गैर-बहिष्कार और आरक्षण में अगड़ी जातियों को शामिल करना आरक्षण में समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

अनुच्छेद 14. 15 और 16 के साथ-साथ इसकी मूल संरचना

संविधान।

यदि आप मलाईदार परत से संबंधित हैं, तो आप नहीं हैं

एस. ई. बी. सी.

346

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

31. रिट में उठाए गए प्रमुख प्रश्नों में से एक

याचिका यह है कि क्या क्रीमी लेयर ओ. बी. सी. पर विचार किया जाना चाहिए

अनुच्छेद 15 (5) के प्रावधानों के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े। इस प्रावधान की व्याख्या करते समय, एक बुनियादी शब्दांश

हमारे निर्णय को नियंत्रित करना चाहिए। यदि आप मलाईदार परत से संबंधित हैं, तो आप सामाजिक रूप से उन्नत हैं और उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जा सकता है

आरक्षण। (देखिए: साहनी I)।

32. एक बार जब कोई सामाजिक रूप से उन्नत हो जाता है, तो वह सामाजिक रूप से उन्नत नहीं हो सकता है।

और शैक्षिक रूप से पिछड़े। जो सामाजिक रूप से आगे है, उसकी संभावना है।

शैक्षिक रूप से भी आगे बढ़ना। यदि कोई भी स्थिति (सामाजिक या

शैक्षिक) अपूर्ण हो जाता है, कोई भी लाभ के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर सकता है एसईबीसी के रूप में आरक्षण। सामाजिक रूप से उन्नत होने के कारण, मलाईदार परत

संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) के अनुसार सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं हैं।

संविधान।

33. यहां तक कि अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) के पाठ में भी प्रावधान है -

मलाईदार परत बहिष्करण। इस अर्थ में यह कहा जा सकता है कि

"मलाईदार परत" शब्द "गैर-एस. ई. बी. सी". का पर्याय है।

34. इसी तरह की व्याख्या "पिछड़े वर्गों" के लिए भी दी गई है।

अनुच्छेद 16 (4) के तहत। संसद उचित रूप से नहीं बना सकी गैर-पिछड़े के लिए आरक्षण। इसके सामने ऐसा एक विधेयक होगा

संविधान का उल्लंघन करता है। साहनी प्रथम में, भारत सरकार

एस. ई. बी. सी. में सरकारी पद। बहुमत के लिए लिखना, पैरा में 792 पृष्ठ 724 में, न्यायमूर्ति रेड्डी ने समझाया कि मलाईदार परत

एस. ई. बी. सी. नहीं था।

" एक वर्ग की अवधारणा कुछ सामान्य लक्षणों वाले कई व्यक्तियों को दर्शाती है जो उन्हें एक वर्ग से अलग करते हैं।

अन्य लोग। अनुच्छेद 16 के खंड (4) के तहत एक पिछड़े वर्ग में, यदि जोड़ने वाली कड़ी सामाजिक पिछड़ेपन है, तो यह

किसी दिए गए वर्ग में मोटे तौर पर समान होना चाहिए। अगर कुछ

सदस्य सामाजिक रूप से बहुत अधिक उन्नत हैं (जिसमें

संदर्भ का अर्थ अनिवार्य रूप से आर्थिक रूप से होता है और इसका अर्थ शैक्षिक रूप से भी हो सकता है) उनके बीच जोड़ने वाला धागा।

और शेष वर्ग स्नैप करता है। वे गलत होंगे

वर्ग को। उन्हें अकेले बाहर करने के बाद, क्या कक्षा अशोक कुमार ठाकुर बनाम होगी?

[दलवीर भंडारी, जे।]

एक कॉम्पैक्ट वर्ग। वास्तव में, इस तरह के बहिष्कार से वास्तव में लाभ होता है पीछे की ओर "

भले ही ओ. एम. क्रीमी के मुद्दे पर चुप थे

ओ. एम. तब तक प्रभावी नहीं हो सका जब तक कि मलाईदार परत नहीं हो गई। बहिष्कृत। [पैरा 861 (बी)]। बहिष्करण केवल ओ. बी. सी. के संबंध में था;

चर्चा केवल अन्य पिछड़े वर्गों तक ही सीमित थी इसी तरह, तत्काल मामले में, पूरी चर्चा सीमित थी

केवल अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। इसलिए, मैं कोई राय व्यक्त नहीं करता।

मलाईदार परत के अपवर्जन की प्रयोज्यता के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति।

क्रीमी लेयर ओ. बी. सी. शैक्षिक रूप से नहीं हैं।

पीछे की ओर

35. सामाजिक पिछड़ेपन के अलावा, 15 (5) का पाठ

यह मांग की जाती है कि प्राप्तकर्ता भी शैक्षिक रूप से पिछड़े हों। भले ही मलाईदार परत की स्थिति सामाजिक रूप से उन्नत है

तरजीही उपचार के लिए उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए पर्याप्त, मलाईदार

किसी भी समुदाय की परत आमतौर पर शिक्षित होती है और वह चाहेगी कि

सफलता मिलती है। अधिकांश के लिए, यह उन्हें बना दिया। इस समूह के लोग आरक्षण की आवश्यकता नहीं है।

मलाईदार परत समावेशन गरीबों को लुभाता है और

अमीरों को देते हैं:

36. कई निर्णयों में यह विचार लिया गया है

कि मलाईदार परत का समावेश गरीबों से लेता है और अमीरों को देता है।

37. निम्नलिखित मामलों में हमारे न्यायालयों ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया था। [देखिए: एन. एम. थॉमस (ऊपर), पैरा 124 (सात-न्यायाधीश पीठ);

के. सी. वसंत कुमार और एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, 1985

(पूरक) एस. सी. सी. 714. पैरा 2,24 और 28 (पाँच-न्यायाधीश पीठ);

साहनी I., पैरा 520,793 और 859 (3) (डी) (नौ-न्यायाधीश पीठ); अशोक कुमार ठाकुर बनाम। बिहार राज्य और अन्य (1995) 5

एस. सी. सी. 403, पैरा 3,17 और 18 (दो-न्यायाधीश पीठ); साहनी सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(उपर्युक्त), पैरा, 120-124 (पाँच-न्यायाधीश पीठ); नायर सेवा

सोसायटी वी। केरल राज्य, (2007) 4 एस. सी. सी. 1; पैरा 31 और 49

54 (दो-न्यायाधीश पीठ)]।

38. अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ में

(रेलवे) वी. भारत संघ और अन्य (1981) 1 एस. सी. सी. 246, न्यायमूर्ति लायर ने मलाईदार परत के बारे में यह कहा था:

" 92. ..... शायद, पीछे की कुछ आगे की रेखाएँ

वर्गों के पास दुनिया और उनके दोनों में से सबसे अच्छा है
चुनावी बाहुबल और जाति कट्टरपंथियों को भी डराती है

पार्टियाँ उनसे धर्मनिरपेक्षता की बात करती हैं। हम उस संदिग्ध ब्रांड से चिंतित नहीं हैं। लंबे समय में,

पिछड़ेपन का कारण पिछड़ी जातियों में निहित स्वार्थ पैदा करना नहीं है, बल्कि विकलांगों, सामाजिक समस्याओं का उन्मूलन है।

और आर्थिक, रचनात्मक परियोजनाओं द्वारा। यह सब दूसरे में है

सड़क और हमें अब उस तरफ चलने की जरूरत नहीं है।

94. न ही विशिष्ट दलील देता है कि क्योंकि कुछ

हरिजन बेहतर होते हैं, इसलिए, निचले हिस्से में थोक

कोई जैक-अप प्रावधान जांच के योग्य नहीं है। एक खरपतवार गर्मी नहीं होती है। शायद, राज्य कब

सामाजिक स्थितियाँ न्यायसंगत रूप से हरिजन लाभों को प्रतिबंधित करती हैं

हरिजनों के बीच हरिजनों को और उच्चतर को मना करें

नीच भाइयों को लूटने से हरिजन "।

39. मलाईदार परत समावेशन एक प्रहार करने के लिए पर्याप्त नहीं था

इस मामले में पूरा प्रावधान। वह सुझाव देते हैं कि मलाईदार परत

बहिष्करण एक ऐसा मुद्दा है जिससे बाद में निपटा जाएगा।

" 98. यह तर्क कि अमीर और प्रभावशाली हरिजन हैं जो सभी विशेषाधिकारों को लूटते हैं और दास स्तर के पीड़ितों को हमेशा की तरह दबा दिया जाता है। प्रशासन अच्छी तरह से कर सकता है

अनुसूचित जातियों की मलाईदार परत को हटाने के लिए नवाचार करें और वर्गीकृत करें /

एसटीएस लेकिन अदालत राज्य को उस ओर से मजबूर नहीं कर सकती है।

इस प्रकार, जस्टिस लायर क्रीमी लेयर को अनिवार्य नहीं करता है।

बहिष्करण; बल्कि, वह सवाल राज्य पर छोड़ देता है।

[दलवीर भंडारी, जे।]

40. न्यायिक घोषणाओं के अलावा, निगरानी

समिति ने सुझाव दिया कि मलाईदार परत को बाहर करने में विफलता

अनुचित परिणाम की ओर ले जाएगा। समिति सतर्क थी कि

किसी निष्कर्ष पर पहुँचें।

41. अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि ". लिया गया निर्णय था

ध्यान में रखते हुए इस मामले को भारत सरकार पर छोड़ देना।

तथ्य यह है कि 'मलाईदार परत' आरक्षण में शामिल नहीं है

अधिनियम, 2006 "। (देखू: निरीक्षण समिति, खण्ड। 1, पृ. 33 और 4.2)।

42. मामला सरकार पर "छोड़ने" से पहले,

फिर भी समिति ने अपनी सिफारिश की: यदि 'मलाईदार परत' को बाहर नहीं करने का निर्णय लिया जाता है, तो सबसे गरीब

ओ. बी. सी. के बीच एक नुकसान में रखा जाएगा। (जोर देना

जोड़ा गया)। (देखिए। परिशिष्ट I में निरीक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट में पी। 70, पैरा 1.13)। खंड के पृष्ठ 69 पर। I अपनी रिपोर्ट में,

समिति ने इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए डेटा की पेशकश की:

" 1.6 : परिशिष्ट-2 सामाजिक स्थिति की विस्तार से जांच करता है।

ऐसे मापदंडों के संबंध में अन्य पिछड़ा वर्ग का आर्थिक विकास गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, कार्यबल से संबंधित

भागीदारी, भूमि स्वामित्व आदि। एन. एस. एस. आंकड़ों का विश्लेषण

यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि क्रीमी लेयर को शामिल करने के परिणामस्वरूप आरक्षित सीटें ओ. बी. सी. द्वारा गरीब आय की कीमत पर शीर्ष दो पदों से पहले ही खाली कर दी जाएंगी।

ओ. बी. सी. इस प्रकार लगभग सभी ग्रामीण ओ. बी. सी. और शहरी ओ. बी. सी.

भारत के उत्तरी, मध्य और पूर्वी क्षेत्र होंगे

आरक्षण के इच्छित लाभों से वंचित।

[जोर दिया गया]

1.7 : दूसरी ओर, यह तर्क दिया गया था कि यदि मलाईदार

शिक्षा परियों में ओ. बी. सी. की परत को आरक्षण से वंचित किया जाता है

रोजगार के मामले में लागू सिद्धांत के साथ, आरक्षित सीटें फिर से नहीं भरी जा सकती हैं ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण लाने का उद्देश्य। एक केस स्टडी में

कर्नाटक से (अनुलग्नक X में शामिल), यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि ओ. बी. सी. कोटा का उपयोग बिना किसी प्रावधान के किया गया है।

[2008] 4 एस. सी. आर. की स्थिति में अकादमिक उत्कृष्टता के साथ समझौता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

350

मलाईदार परत को बाहर रखा गया है। आशंका है कि सीटें

यदि मलाईदार परत को बाहर रखा गया है तो इसे भरा नहीं जाएगा

व्यापक रूप से निराधार दिखाया गया है। केस स्टडी से पता चलता है

कि मलाईदार परत के नीचे से छात्रों का प्रदर्शन है

उत्कृष्ट और सामान्य श्रेणी के छात्रों की तुलना में बहुत बेहतर।

43. समिति इसे सुरक्षित रूप से खेल सकती थी। इसके बावजूद

कुछ विरोध, समिति ने अपनी राय शामिल की

बात है। और यह राय स्पष्ट है: मलाईदार होना चाहिए

बहिष्कृत।

44. जो कथित तौर पर गरीबों के लिए है वह अमीरों के पास जाता है। क्या ऐसा है?

उचित? संसद द्वारा ".....

दलितों का मनोबल "और". अन्य पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की सही दिशा में "। और

" उन कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। ", अनुच्छेद

15 (5) उन लोगों को धोखा देता है जिन्हें वास्तव में तरजीही उपचार की आवश्यकता होती है।

(देखिए: प्रो. बासुदेब बर्मन, एम. पी., संसदीय बहस, पी। 531 , 21 दिसंबर, 2005; प्रो. एम. रामदास, एम. पी., पी.

510 ; और श्री सी. के. चंद्रप्पन, एम. पी., पी. 494 क्रमशः)।

गरीब से गरीब के लिए कॉलेज में आरक्षण खाली है।

वादा करते हैं। कुछ आर्थिक रूप से गरीब ओ. बी. सी. हाई स्कूल जाते हैं, कॉलेज की तो बात ही छोड़िए। 93 वां संशोधन (अनुच्छेद 15 (5)) पूर्ण करने वालों को पुरस्कृत करने के बजाय एक और बाधा उत्पन्न करता है: वे

आरक्षित सीटों के लिए मलाईदार परत के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी।

45. जैसा कि समझाया गया है, गरीबों के पास प्रतिस्पर्धा करने के लिए संसाधनों की कमी है

मलाईदार के साथ, जो उन सीटों को "छीन लेता है"। { एन एम थॉमस

(उपर्युक्त), पैरा 124 (लायर, जे.)}। मलाई को बाहर रखने के साथ, खराब

ओ. बी. सी. गरीब ओ. बी. सी. के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे-खेल का मैदान समतल।

जैसा कि यह है, संशोधन और अधिनियम एक उद्देश्य को पूरा करते हैं: वे

ओ. बी. सी. अमीर और गरीब ओ. बी. सी. को एक इकाई के रूप में वर्गीकृत करना अनुचित है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, यह अनुच्छेद 14 के अधिकार का उल्लंघन करता है समानता।

46. जब तक मलाईदार परत को नहीं हटाया जाता, तब तक ओ. बी. सी. अपने समूह अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते। भारत संघ और अन्य

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि मलाईदार परत का बहिष्कार गलत है अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत संघ और ओ. आर. एस. 351

[दलवीर भंडारी, जे।]

क्योंकि 93 वें संशोधन का पाठ एक लाभ प्रदान करता है

" वर्ग ", व्यक्तियों को नहीं। जबकि यह एक समूह अधिकार है, समूह इसमें केवल वे व्यक्ति शामिल होने चाहिए जो समूह से संबंधित हैं। आई.

सबसे पहले मलाईदार और गैर मलाईदार परत वाले ओ. बी. सी. की पूरी खेप लें। 1

फिर व्यक्तिगत आधार पर मलाईदार परत को हटा दें उनकी आय, संपत्ति। व्यवसाय आदि। क्या बचा है।

एक समूह जो संवैधानिक समूह को पूरा करता है। यह एक समूह अधिकार है कि

यह भी व्यक्तियों से संबंधित होना चाहिए, यदि कोई अधिकार है

अर्थ। यदि एक ओ. बी. सी. उम्मीदवार को विशेष प्रावधानों से वंचित कर दिया जाता है कि उसे कानून द्वारा प्राप्त होना चाहिए था, यह समूह का नहीं है

दावा करने की जिम्मेदारी। वह ऐसा करने वाला होगा। उसे उस फैसले को चुनौती देने का अधिकार है जिसमें उसे शामिल नहीं किया गया था

ओ. बी. सी. को दिए गए विशेष प्रावधानों से। इस मायने में उन्होंने

एक व्यक्तिगत अधिकार है। समूह और व्यक्तिगत अधिकारों की आवश्यकता नहीं है

पारस्परिक रूप से अनन्य। इस मामले में, यह एक या दूसरा नहीं बल्कि दोनों है

जो विवादित कानून पर लागू होता है

क्या क्रीमी परत बाहर मौजूद है

भारत? :

47. एक दिलचस्प सवाल उठता है: की अवधारणा है

भारत के बाहर मलाईदार परत मौजूद है? 2003 में किया गया एक अध्ययन

संयुक्त राज्य अमेरिका का सुझाव है कि यह करता है। विलियम का अध्ययन

प्रिंसटन विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष बोवेन ने पाया कि जब आप समान शैक्षिक योग्यता परीक्षण (एसएटी) वाले छात्रों को देखते हैं

अंक, कुछ समूहों में भर्ती होने की बेहतर संभावना होती है कॉलेज के लिए। " नई सकारात्मक कार्रवाई "। डेविड लियोनहार्ड्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, 30 सितंबर 2007, पी। 3. सब कुछ होता है

समान रूप से, किसी के प्रवेश प्राप्त करने की संभावना को बढ़ाया जाता है

पसंदीदा समूहों में से एक से संबंधित। संबंधित व्यक्ति

इन समूहों को उन लोगों पर वरीयता दी जाती है जो

नहीं करते हैं।

48 अध्ययन से पता चला कि काले, लैटिनो और मूल निवासी

श्वेत या एशियाई के समान एस. ए. टी. स्कोर वाले अमेरिकी

जिन छात्रों के माता-पिता ने भाग लिया, वे प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं कॉलेज को उन लोगों की तुलना में 20 प्रतिशत लाभ था जिनके माता-पिता सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट देते हैं।

नहीं किया; और गरीबों को अमीरों पर कोई लाभ नहीं मिला। (देखिए: न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख, पी। 3.)

49. आँकड़े इंगित करते हैं कि बाहर करने में विफलता

छात्रों को बाहर रखा गया है। जब हम भारतीय परिदृश्य पर लौटते हैं, जब तक सरकार कुछ समूहों को हैंडआउट देती है,

उसमें क्रीमी परत उन्हें "लैप" करेगी। एक योजना जिसमें गरीबों को प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ को मलाईदार परत को छोड़कर ठीक नहीं किया जा सकता है।

50. यहाँ तक कि मंडल आयोग, जिसकी स्थापना की गई थी

1979 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पहचान करने के लिए एक जनादेश के साथ

पीछे की ओर, स्वीकार किया कि मलाईदार परत लूट रही थी

आरक्षण के ओ. बी. सी.। तमिलनाडु के संदर्भ में, इसने कहा: वास्तव में

संचालन, आरक्षण के लाभ मुख्य रूप से चले गए हैं

अधिसूचित पिछड़े वर्गों में अपेक्षाकृत अधिक उन्नत जातियाँ

कक्षाएँ "। (देखिए: पिछड़े लोगों की रिपोर्ट का पृ. 37,8.13

वर्ग आयोग, प्रथम भाग, वोल। 1-2 , 1980) . यह भी कहा गया है

कि - " इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके प्रमुख लाभ

आरक्षण. अधिक उन्नत द्वारा घेर लिया जाएगा अनुभाग. "लेकिन तर्क दिया कि यह स्वीकार्य था क्योंकि

51. एन. एम. थॉमस एंड अदर्स केस (उपरोक्त) में, जे. कृष्णा लायर ने पैरा 124 में अपने सहमति वाले फैसले में उल्लेख किया कि शोध ए. एन. सिन्हा इंस्टीटचूट ऑफ सोशल स्टडीज, पटना द्वारा संचालित, हरिजनों के बीच एक दोहरे समाज का खुलासा किया गया था जिसमें एक छोटा अभिजात वर्ग लाभों को हड़प लेता है।

मलाईदार परत को अलग करना

52. तकनीकी रूप से, मैं निहित को अलग कर रहा हूँ

मलाईदार परत को शामिल करना। यह दो कारणों से अलग किया जा सकता है। सबसे पहले, साहनी प्रथम में नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने इसी तरह के एक मामले को अलग कर दिया। प्रावधान जिसमें क्रीमी परत को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया था, ओ. एम. की शेष आरक्षण योजना को बरकरार रखते हुए।

दूसरा, अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

[दलवीर भंडारी, जे।]

क्योंकि संसद को पता होना चाहिए कि साहनी प्रथम के पास था

मलाईदार परत को छोड़ दिया, यह संभावना है कि संसद

यह भी महसूस किया कि यह न्यायालय भी ऐसा ही कर सकता है। एक सरसरी समीक्षा?

अनुच्छेद 15 (5) के संबंध में संसदीय बहसों में स्पष्ट रूप से

यह बताता है कि संसद ने साहनी निर्णय पर विस्तार से चर्चा की। (देखिए: उदाहरण के लिए, श्री मोहनल द्वारा की गई टिप्पणियां सिंह, p.474 और श्री देवेंद्र प्रसाद, पृष्ठ 478-479 21 दिसंबर 2005 को)। क्या संसद ने मलाई पर जोर दिया था

परत समावेशन, यह 15 (5) के पाठ में उतना ही कह सकता था। इसके बजाय, संसद ने इस मुद्दे पर 15 (5) के पाठ को चुप छोड़ दिया, जिसमें ओ. बी. सी. पहचान के मुद्दे को कार्यपालिका को सौंप दिया गया।

आरक्षण अधिनियम की धारा 2 (जी)।

53. पृथकता के लिए परीक्षण एक व्यक्तिपरक प्रश्न पूछता है।

अगर संसद को पता होता कि उसका प्रावधान रद्द कर दिया जाएगा तो क्या वह

क्या आपने अभी भी बाकी कानून पारित कर लिए हैं? (आर. देखें। डी.

चमरबागवाला और एक अन्य बनाम। भारत संघ और एक अन्य, ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 628 पैरा 23 पर पृष्ठ 637 पर)। यह कभी भी आसान नहीं है

बता दें कि संसद ने क्या किया होता अगर उसे पता होता कि उसके संशोधन का हिस्सा काट दिया जाएगा। फिर भी, मुझे यह कल्पना करना मुश्किल लगता है कि संसद ने कहा होगा, "अगर मलाईदार

बाहर रखा गया है, बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण से वंचित किया जाना चाहिए

शिक्षा में "। यह संभावना नहीं लगती है कि यह सब कुछ होता-या

संसद के लिए कुछ भी प्रस्ताव नहीं, जब का बहुत लक्षय

ओ. बी. सी. शिक्षा को बढ़ावा देने का विवादित कानून

उन्नति मलाईदार परत समावेशन पर निर्भर नहीं करती है। के लिए

इन कारणों से, 1 मलाईदार परत के निहित समावेश को अलग या बाहर कर दें।

क्रीमी परत की पहचान

54. मलाईदार परत बहिष्करण के लिए मानदंड के रूप में आय अपर्याप्त है और साहनी I के बराबर है। (पृष्ठ 724 पर देखें)

पैरा 792)। क्रीमी लेयर की पहचान न्यायिक निर्देश के अधीन सरकार पर छोड़ दी गई है और इसे छोड़ दिया जाना चाहिए। ए के लिए

मलाईदार परत बहिष्करण की वैध विधि, सरकार कर सकती है

एक टेम्पलेट के रूप में इसके पोस्ट-साहनी I मानदंड का उपयोग करें। (देखिए: अशोक सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित 8 9-1993, पैरा 2 (सी)/कॉलम 3 का ओ. एम.

कुमार ठाकुर (ऊपर), पैरा 10)। यह अनुसूची एक है

क्रीमी लेयर को बाहर करने का व्यापक प्रयास जिसमें आय, सरकारी पद, व्यवसाय और भूमि स्वामित्व शामिल हैं।

ध्यान में रखा गया। कार्यालय ज्ञापन को पुनः प्रस्तुत किया गया है

इसके नीचे:

" सं. 36012/22/93-एस्टेट (एससीटी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 8 सितंबर, 1993

कार्यालय स्मारक

विषय: सिविल में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

भारत सरकार के अधीन पद और सेवाएँ-संबंधित।

अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति को निर्देश दिया जाता है कि वह इस विभाग के ओ. एम. No.36012/31/90-एस्ट (एस. सी. टी.) दिनांक 13 अगस्त, 1990 का उल्लेख करे और

25 सितंबर, 1991 सामाजिक और सामाजिक आरक्षण के संबंध में

सिविल पदों और सेवाओं में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग

भारत सरकार के अधीन और यह कहना कि निम्नलिखित इंद्र साहनी बनाम में उच्चतम न्यायालय का निर्णय। भारत संघ

& अन्य (1990 की लिखित याचिका (सिविल) No.930) सरकार

भारत सरकार ने सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की

सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों के बहिष्कार के लिए मानदंड

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लाभों से भारत सरकार के तहत सिविल पद और सेवाएँ।

2. विशेषज्ञ के विचार के परिणामस्वरूप

समिति की सिफारिश इस विभाग का कार्यालय

ज्ञापन No.36012/31/90-प्राक्कलन। (एस. सी. टी.), दिनांक 13.8.1990 जिसे ऊपर पैरा (1) में संदर्भित किया गया है, को इस प्रकार प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया है -

निम्नलिखित है:

(क) रिक्तियों का 27 प्रतिशत (सत्ताईस प्रतिशत)

भारत को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा
अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किया जाए।

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत संघ और ओ. आर. एस. 355

[दलवीर भंडारी, जे।]

प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत निर्देश

आरक्षण लागू करने के लिए पालन किया जाएगा

अलग से।

(ख) आधार पर भर्ती किए गए ओ. बी. सी. से संबंधित उम्मीदवार

उसी पर एक खुली प्रतियोगिता में योग्यता

सामान्य उम्मीदवारों के लिए निर्धारित मानक

आरक्षण कोटे के खिलाफ समायोजित नहीं किया जाएगा

27 प्रतिशत।

(ग) (i)

उपरोक्त आरक्षण इन पर लागू नहीं होगा

स्तम्भ 3 में उल्लिखित व्यक्ति/अनुभाग

इस कार्यालय ज्ञापन के लिए अनुसूची

((ii) बहिष्करण का नियम व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।

कारीगरों के रूप में काम करना या वंशानुगत कार्यों में लगे रहना

व्यवसाय, कॉल। इस तरह की सूची

कल्याण मंत्रालय द्वारा व्यवसाय, नियुक्ति अलग से जारी किए जाएंगे।

(घ) उपरोक्त उद्देश्यों के लिए ओ. बी. सी.

आरक्षण में, पहले चरण में,

जातियाँ और समुदाय जो दोनों के लिए समान हैं

मंडल आयोग की रिपोर्ट में सूचियाँ और
राज्य सरकार की सूची। ऐसी जातियों की सूची

और समुदायों को अलग से जारी किया जा रहा है

कल्याण मंत्रालय।

(ङ) उपरोक्त आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

हालाँकि, यह उन रिक्तियों पर लागू नहीं होगा जहाँ

भर्ती प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है।

इस आदेश को जारी करने के लिए।

3. सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में इसी तरह के निर्देश

सार्वजनिक क्षेत्र सहित उपक्रम और वित्तीय संस्थान

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा बैंक जारी किए जाएंगे।

और इस तारीख से क्रमशः वित्त मंत्रालय द्वारा

कार्यालय ज्ञापन।

356

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

अनुसूची

इसका वर्णन

जिनके लिए बहिष्करण का नियम

लागू होगा।

श्रेणी संवैधानिक

आई.

के पुत्र और पुत्री

पोस्ट्स

((क) भारत के राष्ट्रपति;

((ख) भारत के उपराष्ट्रपति;

((c) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों का;

((घ) के अध्यक्ष और सदस्य

यूपीएससी और राज्य की जनता सेवा आयोग; प्रमुख

चुनाव आयुक्त;

के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत;

(ई) धारण करने वाले व्यक्ति

इस तरह के संवैधानिक पद

प्रकृति।

II. सेवा

के पुत्र और पुत्री

श्रेणी

((a) माता-पिता दोनों

ए. समूह ए/वर्ग 1

सभी के अधिकारी

प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं;

(ख) माता-पिता, जिनमें से कोई भी

भारत मध्य और

राज्य सेवाएँ

प्रथम श्रेणी का अधिकारी है;

(प्रत्यक्ष भर्ती)

((c) माता-पिता दोनों

प्रथम श्रेणी के अधिकारी, लेकिन उनमें से एक

मर जाता है या स्थायी रूप से पीड़ित

होता है
अक्षमता।

((घ) माता-पिता, जिनमें से कोई एक

वर्ग अधिकारी और ऐसे अभिभावक 357

आई. आर. वी. भारत और ओआरएस का संघ। : भंडारी, जे।]

मृत्यु या ऐसी अक्षमता है

में रोजगार का लाभ था

कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन

टायट

एक के लिए संयुक्त राष्ट्र, आईएमएफ, विश्व बैंक, आदि

अवधि 5 वर्ष से कम नहीं।

(ई) माता-पिता, जो दोनों हैं

कक्षा 1 के अधिकारी मर जाते हैं या पीड़ित होते हैं

स्थायी अक्षमता और

ऐसी मृत्यु या दोनों की ऐसी असमर्थता से पहले, या तो

उन्हें लाभ हुआ है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय में रोजगार

संयुक्त राष्ट्र, आई. एम. एफ., विश्व जैसे संगठन

कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए बैंक आदि।

(च) बशर्ते कि का नियम

में अपवर्जन लागू नहीं होगा

निम्नलिखित मामले:

(क) माता-पिता के बेटे और बेटियाँ

वर्ग-1 अधिकारी हैं और ऐसे हैं माता-पिता की मृत्यु/मृत्यु या पीड़ा

स्थायी अक्षमता।

(ख) ओ. बी. सी. से संबंधित एक महिला

प्रथम श्रेणी के अधिकारी, और स्वयं भी नौकरी के लिए आवेदन करना पसंद करते हैं।

11 वीं कक्षा के अधिकारी हैं। (ख) जिनके माता-पिता केवल 358 हैं

पति द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हैं और वह पहली कक्षा में प्रवेश करता है

40 या उससे पहले।

((c) माता-पिता दोनों
द्वितीय श्रेणी के अधिकारी और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है या स्थायी रूप से पीड़ित हो जाता है

असमर्थता और दोनों में से एक

उन्हें लाभ हुआ है

किसी भी अंतर्राष्ट्रीय में रोजगार

संयुक्त राष्ट्र, आई. एम. एफ., विश्व
जैसे संगठन

कम अवधि के लिए बैंक आदि

ऐसी मृत्यु से 5 साल पहले या

स्थायी अक्षमता;

((घ) माता-पिता, जिनका पति

प्रथम श्रेणी का अधिकारी है (सीधी
भर्ती)

या पूर्व-चालीस पदोन्नत) और

पत्नी द्वितीय श्रेणी की अधिकारी है और

पत्नी की मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी
रूप से पीड़ित रहती है।

अक्षमता; और

(ई) माता-पिता, जिनकी पत्नी एक है

पूर्व-चालीस पदोन्नत) और
पति द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हैं और

पति मर जाता है या पीड़ित होता है

स्थायी अक्षमता।

बशर्ते कि बहिष्करण का नियम

निम्नलिखित में लागू नहीं होगा:

मामले:

के बेटे और बेटियाँ

((a) माता-पिता दोनों
द्वितीय श्रेणी के अधिकारी और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है या स्थायी रूप से पीड़ित हो जाता है

अक्षमता।

इयोका कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 359

[दलवीर भंडारी, जे।]

मरना या स्थायी रूप से पीड़ित होना
असमर्थता, भले ही

उन्हें लाभ हुआ है

किसी भी अंतर्राष्ट्रीय में रोजगार

कम अवधि के लिए बैंक आदि
उनकी मृत्यु से 5 साल पहले या

स्थायी अक्षमता।
ए और बी में सूचीबद्ध मानदंड

कर्मचारियों में

ऊपर इस श्रेणी में लागू होगा

सार्वजनिक क्षेत्र

हिरासत में लिए गए अधिकारियों के लिए
उत्परिवर्तन

उपक्रम आदि।

समतुल्य या तुलनीय पद

पीएसयू, बैंक, बीमा

संगठन, विश्वविद्यालय आदि।

और समतुल्य या

तुलनीय पद और पद

निजी रोजगार के तहत,

मूल्यांकन की प्रतीक्षा

समकक्ष पद या

इनमें तुलनीय आधार

संस्थान, निर्दिष्ट मानदंड

नीचे दी गई श्रेणी VI में लागू होगा

इन संस्थानों के अधिकारी।

के पुत्र और पुत्री

सशस्त्र बल

माता-पिता

या तो या दोनों जिनमें हैं या हैं

सम्मिलित करें

पैरामिलिटरी

कर्नल और उससे ऊपर का पद

सेना और समकक्ष पदों के लिए

बल

नौसेना और वायु सेना में और

(धारण करने वाले व्यक्ति

अर्धसैनिक बल;

सिविल पद नहीं हैं शामिल)

बशर्ते कि:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

360

[2008] 4 एस सी आर।

बल (अर्थात, के तहत श्रेणी)

विचार) बहिष्करण का नियम

वह तभी आवेदन करेगी जब वह खुद

कर्नल के पद तक पहुँच गया है;

((ii) सेवाओं की श्रेणी नीचे दी गई है।

पति और पत्नी के कर्नल

एक साथ नहीं जोड़ा जाए:

((ग) यदि किसी अधिकारी की पत्नी

सशस्त्र बल नागरिक में हैं

रोजगार, यह नहीं लिया जाएगा

नियम लागू करने के लिए

बहिष्करण का जब तक कि इसमें नहीं

आता है

मद सं. के अंतर्गत सेवा श्रेणी। ! !

किस मामले में मानदंड और

उसमें उल्लिखित शर्तें होंगी

उसे स्वतंत्र रूप से लागू करें।

IV. पेशेवर

वर्ग और

ये एंगान व्यापार में
जी. ई. डी. और

उद्योग

लोग

(1)

व्यस्तता

में

पेशे के रूप में

डॉक्टर, वकील,

चार्टर्ड

लेखाकार,

आय-कर

सलाहकार,

वित्तीय

या

प्रबंधन

सलाहकार, दंत चिकित्सक इयोका कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 361

[दलवीर भंडारी, जे।]

सर्जन, इंजीनियर,

वास्तुकार, कंप्यूटर

विशेषज्ञ,

फिल्म

लेखक, नाटककार, खेलकूद

व्यक्ति,

खेल पेशेवर,

मीडिया पेशेवर या कोई अन्य कार्य

समान स्थिति।

मानदंड निर्दिष्ट छठम श्रेणी के विरुद्ध

लागू होगा:

कार्य में लगे लोग

इसके विरुद्ध निर्दिष्ट मानदंड

श्रेणी VI लागू होगी:

व्यापार, व्यवसाय और उद्योग

व्याख्या:

द्वितीय श्रेणी या निम्न श्रेणी

रोजगार, आय/धन

परीक्षण केवल इस आधार पर लागू होगा कि

पति की आय।

((ii) यदि पत्नी किसी पेशे में है और पति नौकरी में है।

द्वितीय श्रेणी या निम्न श्रेणी के पद पर,

फिर आय/धन मानदंड

केवल के आधार पर लागू होगा

पत्नी और पति की आय

आय को इसके साथ नहीं जोड़ा जाएगा

यह।

संपत्ति

362 के पुत्र और पुत्री

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

मालिकों

एक परिवार के लोग

अ. कृषि

(पिता, माता और छोटे बच्चे)

होल्डिंग्स

जिसका मालिक है

((a) केवल सिंचित भूमि जो

वैधानिक अधिकतम सीमा क्षेत्र, या

((b) सिंचित और असिंचित दोनों

भूमि इस प्रकार है:

(i) अपवर्जन का नियम लागू होगा।

सिंचित क्षेत्र (किया गया है

सामान्य भाजक) 40 प्रतिशत या

को छोड़कर गणना की गई

40 प्रतिशत से कम की स्थिति नहीं

सिंचित भूमि नहीं ली जाएगी।

असिंचित भूमि को परिवर्तित करना

प्रकार। सिंचित क्षेत्र तो

कुल क्षेत्र को एक साथ जोड़ना

जहाँ पूर्व शर्त मौजूद है कि

ए के तहत एक ही प्रकार में लाया गया

सिंचित भूमि के लिए (यह है,

असिंचित भाग)। अगर इससे पहले

मौजूद है, तो केवल का क्षेत्र

खाता। यह किया जाएगा

रूपांतरण का आधार

फॉर्मूला मौजूदा, सिंचित में

असिंचित भूमि से गणना की गई

वास्तविक क्षेत्र में जोड़ा जाएगा

सिंचित भूमि का और यदि उसके बाद

सिंचित भूमि की अवधि 80 प्रतिशत है या

वैधानिक सीमा से अधिक

सिंचित भूमि के लिए, फिर का नियम

अपवर्जन लागू होगा और

अधिकार प्राप्त होगा।

((ii) बहिष्करण का नियम नहीं होगा।

लागू करें यदि किसी परिवार के पास भूमि है

यह विशेष रूप से सिंचित नहीं है।

बागानों कॉफी, चाय,

आय/धन के मानदंड

नीचे श्रेणी VI में निर्दिष्ट किया गया है

रबड़ आदि।

आवेदन करें।

आम, साइट्रस, सेब

कृषि के रूप में माना जाता है

वृक्षारोपण आदि।

और इसलिए ऊपर ए पर मानदंड

इस श्रेणी के तहत लागू होगा।

श्रेणी VI में निर्दिष्ट मानदंड

खाली भूमि और/या

शहरों में इमारतें

नीचे लागू होगा।

क्षेत्र या शहरी

व्याख्या: इमारत हो सकती है

एकत्रीकरण

आवासीय, औद्योगिक या

वाणिज्यिक उद्देश्य और इसी तरह

दो या अधिक ऐसे उद्देश्य।

आय /

के पुत्र और पुत्री

वेल्थ टेस्ट

((a) सकल आय वाले व्यक्ति

1 लाख रुपये या उससे अधिक या

धन से ऊपर होना

में निर्धारित छूट सीमा

की अवधि के लिए धन कर अधिनियम

(ख) श्रेणी I, II, II में व्यक्ति)

और वी. ए. जो अपात्र नहीं हैं

आरक्षण का लाभ लेकिन है

अन्य स्रोतों से आय

धन जो उन्हें अपने भीतर लाएगा

आय/धन मानदंड

ऊपर (क) में उल्लिखित है।

व्याख्या:

((i) वेतन से आय या

कृषि भूमि नहीं होगी

क्लब किया गया;

रुपये में बदलाव किया जाएगा।

इसके मूल्य में परिवर्तन को ध्यान में रखें

हर तीन साल में। अगर स्थिति ऐसी है,

हालांकि, इसलिए मांग करता है,

अंतराल कम हो सकता है।

व्याख्या: कहीं भी।

द.

अभिव्यक्ति

" स्थायी इन्कापा

उद्धरण "इस में होता है

असमर्थता जो लगाने में परिणाम

सेवा से बाहर अधिकारी।

श्रीमती.

सरिता प्रसाद

भारत सरकार के संयुक्त सचिव "।

55. संक्षेप में, अनुसूची में उन बच्चों को शामिल नहीं किया गया है

जो संवैधानिक पदों पर हैं, उदाहरण के लिए, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, अध्यक्ष और सदस्यों के बच्चे।

यूपीएससी और अन्य को बाहर रखा गया है। क्लास 1 ऑफिसर्स के बच्चे हैं

ओ. बी. सी. भत्तों के लिए भी पात्र नहीं हैं। जब माता-पिता दोनों प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते हैं, तो उनके बच्चों को बाहर रखा जाता है। वही मानदंड जो

कक्षा-I और II के अधिकारी माता-पिता के बच्चों के लिए आवेदन करते हैं जो

निजी क्षेत्र के भीतर उच्च स्तर पर काम करें। कृषि मालिकों को तब बाहर रखा जाता है जब उनकी सिंचित भूमि उनसे अधिक या बराबर होती है।

वैधानिक सीमा का 85 प्रतिशत। ओ. एम. में उन व्यक्तियों को भी शामिल नहीं किया गया है जिनकी सकल वार्षिक आय रु। ढाई लाख या उससे अधिक। द.

सरकार ने आय सीमा को 1 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। 2. 50 लाख 09.03.2004 ओ. एम. 36033/3/2004.

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 365

[दलवीर भंडारी, जे।]

56. ओ. एम. दिनांकित 8.9.93 की मलाईदार परत अनुसूची,

मेरी राय में, यह व्यापक नहीं है। इसे संशोधित किया जाना चाहिए। समय-समय पर- अधिमानत: हर 5 साल में एक बार, सुनिश्चित करने के लिए

वह मलाईदार परत मानदंड बदलती परिस्थितियों में ले जाता है

खाता।

57. उन लोगों के अलावा जिन्हें बाहर कर दिया गया है

कार्यालय ज्ञापन, मैं सरकार से इसे और अधिक बनाने का आग्रह करता हूं

व्यापक। सरकार को इसे बाहर करने पर विचार करना चाहिए

वर्तमान और पूर्व संसद सदस्यों (एम. पी.) के बच्चे और

विधानसभाओं के सदस्य (एम. एल. ए.) विशेष से

लाभ होता है। यदि संवैधानिक अधिकारियों को बाहर रखा गया है

उनकी स्थिति या संसाधनों के कारण लाभ, वही होना चाहिए

यह पूर्व और वर्तमान सांसदों और विधायकों के बच्चों पर लागू होता है। मुझे उम्मीद है।

न्यायपालिका को इस मामले में खुद को शामिल नहीं करना होगा।

2. आरक्षण अधिनियम के अनुच्छेद 21 ए को लागू करना

58. 18 दिसंबर 2006 को राज्यसभा की बहस में

आरक्षण अधिनियम पर, संसद सदस्य और पूर्व

गवर्नर डॉ. पी. सी. अलेक्जेंडर ने संक्षेप में बताया कि क्या होगा

याचिकाकर्ताओं के तर्कों में से एक। क्या Rs.17,000 करोड़ होना चाहिए उच्च शिक्षा के लिए आरक्षण अधिनियम को लागू करने पर खर्च किया गया

प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा कब इतनी खराब स्थिति में है?

डॉ. अलेक्जेंडर ने कहा:

" महोदय, यह खर्च 1,000 करोड़ रुपये या जो भी राशि हो।

इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें जोड़ने के लिए आवश्यक है,

आई. आई. एम. और आई. आई. टी. हमारी प्राथमिकताओं को उलट रहे हैं। अगर आपके पास शिक्षा के लिए पैसा, स्कूलों पर खर्च करें। इस पर खर्च करें

प्राथमिक विद्यालयों के लिए ग्रामीण क्षेत्र; इसे विद्यालयों पर खर्च करें,

जो शहरी क्षेत्रों में बुरी तरह से भूखे हैं। ऐसा करने के बजाय, आप इसे संख्याओं में जोड़कर खर्च करते हैं क्योंकि

आप उच्च जातियों के तथाकथित गरीब वर्गों को खुश करना चाहते हैं। इसलिए, हमने आपकी देखभाल की है और आप पिछड़े वर्गों को बताते हैं कि हम आप सभी की देखभाल कर रहे हैं।

यही वह जगह है जहाँ हम खुद को मुसीबत में डालते हैं। हमारे पास नकदी है।

संसाधन। उन्हें वहाँ खर्च किया जाना चाहिए जहाँ प्राथमिकताएँ 366 निर्धारित की गई हैं।

[2008] 4 एस सी आर।

स्पष्ट रूप से हमारी नज़रों में और हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं।
निम्न शिक्षा की कीमत पर अधिक खर्च करना

यह अनुच्छेद 21 ए के साथ टकराव की आशंका को बढ़ाता है। 86 वें तक

हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 ए का संशोधन किया गया था। लेख

21 ए इस प्रकार है:

छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चे
जिस तरह से राज्य कानून द्वारा निर्धारित करे।

59. अनुच्छेद 21 ए के तहत, यह एक अनिवार्य दायित्व है -

राज्य सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा

छह से चौदह वर्ष की आयु। इस संवैधानिक लक्षय को प्राप्त करने के लिए

अधिदेश, राज्य को बहुत अधिक जोर देना होगा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए अधिक धन आवंटित करना।

उच्चतर के लिए कोई संबंधित संवैधानिक अधिकार नहीं है। शिक्षा. पूरे देश की प्रगति वस्तुत: इस पर निर्भर करती है

अनुच्छेद 21 ए का उचित और प्रभावी कार्यान्वयन।

60. यह न्यायालय उन्नी कृष्णन, जे. पी. और अन्य बनाम राज्य

आंध्र प्रदेश और अन्य (1993) 1 एस. सी. सी. 645 पैरा 166

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया:

एम शिक्षा का अधिकार निहित है और दक्षिण से प्रवाहित होता है

अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन के लिए। कि शिक्षा के अधिकार को दिव्य महत्व के रूप में माना गया है

एक व्यक्ति के जीवन [और] को न केवल मान्यता दी गई है

हजारों वर्षों से इस देश में, लेकिन पूरे देश में

संसार। ..... इस देश के नागरिकों को शिक्षा प्रदान किए बिना, प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्य

संविधान को हासिल नहीं किया जा सकता है। संविधान होगा

असफल "।

इस अवलोकन ने संसद को सम्मिलित करने के लिए प्रोत्साहित किया

संविधान में अनुच्छेद 21 ए।

61. उन्नी कृष्णन (ऊपर) में, न्यायमूर्ति रेड्डी ने टिप्पणी की

कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता आशा कुमार ठाकुर बनाम थी।

भारत और ओआरएस का संघ। 367

[दलवीर भंडारी, जे।]

बेहद गरीब और यह कि स्कूल बेहद अपर्याप्त थे बच्चों की जरूरतों के लिए। उन्होंने कहा कि कई देश खर्च करते हैं

6 % शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 8 प्रतिशत। हमारा

शिक्षा पर खर्च सकल घरेलू उत्पाद का केवल 4 प्रतिशत है।

62. हालांकि पिछले प्रदर्शन की तुलना में सुधार,

समग्र शिक्षा की तस्वीर वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ती है। बुरी बात।

खबर बहुत बुरी है। जहाँ भी हमने सुधार देखा है,

असफलता अभी भी है। एन. जी. ओ. प्रथम द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है ग्रामीण विद्यालयों में गंभीर समस्याएं पाई जाती हैं। (देखिए: एएसईआर 2007 -

2007 के लिए शिक्षा की ग्रामीण वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, प्रकाशित

16 जनवरी, 2008)। सर्वेक्षण में 16,000 गाँवों को शामिल किया गया। के रूप में

प्रथम इंगित करता है कि अनुमानित 140 मिलियन बच्चे हैं

लाख लोग पढ़ नहीं सकते, 40 लाख लोग कुछ वर्णमालाओं को पहचान सकते हैं, 40 लाखों लोग कुछ शब्दों को पढ़ सकते हैं, और 3 करोड़ लोग पढ़ सकते हैं।

चार साल का स्कूल, अंततः अनपढ़ों को जोड़ता है भारत की जनसंख्या। राष्ट्रीय साक्षरता दर 65 प्रतिशत है।

63. 24 50, 000 से अधिक स्कूली बच्चों वाले जिले

इसका मतलब है कि हम 24 बार असफल रहे हैं। 71 जिन जिलों में प्रति शिक्षक 60 छात्र हैं, वे उतने ही खराब हैं, यदि बदतर नहीं हैं। के अनुसार

प्रथम तक (और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के छह महीने के अनुरूप)

समीक्षा), स्कूल से बाहर के बच्चों की संख्या चारों ओर घूम रही है 7,50,000 . [पृष्ठ 6]। इसके अलावा, यह बिना कहे चला जाता है कि

बच्चों को उचित सुविधाओं की आवश्यकता होती है। आज केवल 59 प्रतिशत स्कूलों में ही उपयोग करने योग्य शौचालय है। [पृष्ठ 49)।

64. शिक्षा की गुणवत्ता भी उतनी ही चिंताजनक है। के लिए

कक्षा I और II, सर्वेक्षण किए गए छात्रों में से केवल 78.3% ही कर सकते हैं

अक्षरों को पहचानें और उनकी अपनी भाषा में शब्द या अधिक पढ़ें।

[पृष्ठ 47]। 2006 में, यह और भी बदतर था-केवल 73.1% ही ऐसा कर सकता था।

मानकों III से V तक के आंकड़ों पर गौर करना निराशाजनक है।

जहाँ केवल 66.4% मानक I पाठ या उससे अधिक पढ़ सकता था।

2007 में अपनी भाषा। [पृष्ठ 47]। जैसा कि प्रथम ने कहा था पृष्ठ 7:

" लेकिन जो बात अधिक चिंताजनक होनी चाहिए, वह यह है कि

कक्षा 2, केवल 9 प्रतिशत बच्चे पाठ पढ़ सकते हैं

10 और 99 "के बीच की संख्याओं को पहचानें।

65. तीसरी से पांचवीं कक्षा में 40 प्रतिशत छात्रों का सर्वेक्षण किया गया

मानक छात्र। [पृष्ठ 32]। 2005 और 2007 दोनों में, केवल 74.1 % नामांकित बच्चे उपस्थित थे। [पृष्ठ 49]।

66. विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री वाहनवती ने प्रस्तुत किया

कि सरकार ने अब इस पर पर्याप्त जोर दिया है

प्राथमिक शिक्षा। 2001-2002 में, सरकार ने शुरुआत की

शिक्षा पर सरकारी खर्च। महान्यायवादी के रूप में समझाया, यह इस विचार पर आधारित था कि उन लोगों के लिए शिक्षा

छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच एक मौलिक अधिकार है। में।

इस तरह, एसएसए सरकार के दायित्व को पूरा करना चाहता है

अनुच्छेद 21 ए इसके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है।

आयु वर्ग। एसएसए की कुछ उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं।

67. मार्च 2007 तक, 2,03,577 शौचालयों का निर्माण हो चुका था।

या निर्माणाधीन थे, लक्षय के 87 प्रतिशत को कवर करते हुए; लक्षय का 96 प्रतिशत-छह करोड़ मुफ्त पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति की गई थी।

1,93,220 नए स्कूल पूरे हो चुके थे या उनके अधीन थे।

निर्माण, अर्थात वांछित चिह्न का 80 प्रतिशत। विद्वान वकील जनरल ने आगे प्रावधान किया कि 2004 में सभी जिलों के लिए नामांकन

05 कक्षा I-V के लिए 11,82,96,540 था। 2005-06 में, संख्या

कक्षा VI-VII/VIII: 3,77,17,490 से 4,36,67,786 तक। कुल शिक्षकों की संख्या 2003-04 में 36,67,637 से बढ़कर

46,90,176 2005-06 में।

68. यह विद्वान सॉलिसिटर जनरल का तर्क है कि ऊपर बताए गए कई लाभों के लिए एसएसए जिम्मेदार था। इसमें शामिल हैं - स्कूल से बाहर छात्र-शिक्षक अनुपात पर बेहतर आँकड़े, आशा कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 369

[दलवीर भंडारी, जे।]

बच्चों और लड़कियों के लिए नामांकन दर।

69. जबकि सरकार इस संबंध में सही रास्ते पर है

हमारी प्रणाली के बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए, और

इमारतें केवल इतनी दूर तक जाती हैं। वे आवश्यक हैं लेकिन पर्याप्त नहीं हैं।

(1) बच्चों को स्कूल में रखने के अंतिम लक्षयों को प्राप्त करने के लिए,

(2) यह सुनिश्चित करना कि वे आलोचनात्मक रूप से सोचना सीखें और (3) यह सुनिश्चित करना कि कैसे

कि वे ऐसे कौशल सीखते हैं जो उन्हें लाभप्रद बनाने में मदद करेंगे

रोजगार। अधिकांश लोगों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता प्राथमिक विद्यालयों का बुरा हाल है। इसलिए मुझे यह आवश्यक लगता है कि

शिक्षा पर सरकारी खर्च की समीक्षा करें-विशेष रूप से

प्राथमिक/माध्यमिक स्तर।

70. निस्संदेह, सरकार ने अधिक धन आवंटित किया है

शिक्षा के लिए देर से, लेकिन हमें कहीं अधिक आवंटन करने की आवश्यकता है

धन और मुफ्त और अनिवार्य पर बहुत अधिक जोर

शिक्षा. इससे कम कुछ भी अनुच्छेद 21 ए के जनादेश का उल्लंघन करेगा। एच. आर. डी. की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत संघ के साथ पढ़ा गया

बजट 2008-09 पर हम लगभग सात गुना अधिक खर्च करते हैं।

व्यक्तिगत प्राथमिक की तुलना में व्यक्तिगत कॉलेज छात्र या

माध्यमिक छात्र।

प्रति छात्र खर्च: तुलना करना जो है

प्रत्येक प्राथमिक/माध्यमिक छात्र बनाम प्रत्येक उच्च शिक्षा छात्र पर खर्च किया गया

व्यय

कुल रु.

वर्ष और

अनुमानित #

आवंटित * *

प्रति छात्र

का स्तर

नामांकन का

स्कूली शिक्षा

रुपये में।

विद्यार्थी *

2006-2007

स्कूली शिक्षा/219083879

168970000000

771

साक्षरता

2006-2007

तृतीयक शिक्षा 11777296

69120900000

5868

2007-2008

स्कूली शिक्षा /

219083879

231913500000

साक्षरता

1059 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

370

2007-2008

तृतीयक शिक्षा 11777296 63973600000

5432

2008-2009

स्कूली शिक्षा /

219083879 278500000000 .

1271

साक्षरता

2008-2009

तृतीयक शिक्षा 11777296

108528700000

9215

* = प्राथमिक/माध्यमिक स्तर के लिए छात्रों की अनुमानित संख्या से ली गई है

2004-2005 वार्षिक रिपोर्ट, पी। 250 एचटीटीपी पर: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. शिक्षा. ठीक है। में/ए. आर. /

ए. आर. 0607-एन. पीडीएफ। इसी वार्षिक रिपोर्ट में, 11777296 छात्र थे

2004-2005 अनुमानों का उपयोग किया है। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि यह बताता है कि एक के लिए नामांकन दूसरे से काफी आगे निकल गया है।

= भारत सरकार, व्यय बजट खंड। 1 , 2008-2009 , पी। 6 , कुल

मंत्रालयों/विभागों का व्यय (स्कूली शिक्षा/साक्षरता और

उच्च शिक्षा को जोड़ा गया है)।

71. एक ऐसे देश में जहां केवल 18 प्रतिशत संबंधित हैं

आयु वर्ग उच्च शिक्षा में प्रवेश करता है, यह अविश्वसनीय है। देखें। एनएसएसओ 1999-2000। यह सुझाव नहीं दिया जाता है कि उच्च शिक्षा

उपेक्षा करने की आवश्यकता है या कि उच्च शिक्षा नहीं होनी चाहिए

प्राथमिक शिक्षा पर। हमारी प्राथमिकताओं को बदलना होगा। वास्तव में पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है।

अनुच्छेद 21 ए के साथ। आबादी का एक बड़ा हिस्सा कैसे हो सकता है?

विकास के लाभों को महसूस करने से वंचित रहें

जब लगभग हर कोई स्वीकार करता है कि बच्चे हमारा भविष्य हैं?

72. चौदह वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा

मुक्त होना चाहिए। शिक्षा पर कोठारी आयोग की सिफारिशों में भी यह सुझाव दिया गया है।

1966. देश की व्याप्त गरीबी को ध्यान में रखते हुए, मुक्त

14 वर्ष की आयु तक शिक्षा अनिवार्य है। गरीबों के लिए इससे बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है।

संकट।

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 371

[दलवीर भंडारी, जे।]

73. श्री पी. पी. राव, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, सही हैं।

प्रस्तुत किया कि जब आपके पास स्कूल की इमारत, शिक्षकों, पुस्तकों और उचित सुविधाओं की कमी है, तो आपकी स्कूली शिक्षा "मुफ्त" हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं है।

किसी भी उचित अर्थ में "शिक्षा"। स्कूलों की पर्याप्त संख्या

बिना आगे के उचित बुनियादी ढांचे के साथ स्थापित किया जाना चाहिए

विलम्ब। स्वतंत्र होने के संवैधानिक लक्षय को प्राप्त करने के लिए और

अनिवार्य शिक्षा, हमें जमीनी हकीकत की सराहना करनी होगी। देश का एक बड़ा हिस्सा अभी भी इतना गरीब है कि

कई माता-पिता अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर हैं। द.

राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए नवीन नीतियां बनानी चाहिए कि माता-पिता

अपने बच्चों को स्कूल भेजें। मध्यान्ह भोजन योजना

इस लक्षय को प्राप्त करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करें। लेकिन, मिड-डे के अलावा

भोजन, सरकार को अत्यधिक वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए

गरीब माता-पिता।

74. मुफ्त शिक्षा और/या अन्य वित्तीय

सहायता, उन्हें किताबें, वर्दी और कोई भी चीज़ दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा है कि राज्य वित्तीय अक्षमताओं के आधार पर अपने संवैधानिक दायित्व से बच नहीं सकता है। (देखिए: हुसैनारा खातून और अन्य (III) v. गृह सचिव, राज्य बिहार का, पटना (1980) 1 एस. सी. सी. 98,107 पैरा 10 पर)।

75. अनुच्छेद 150 में वसंत कुमार (ऊपर) में, न्यायमूर्ति

वेंकटरमैया ने सुझाव दिया कि राज्य वरीयता प्रदान करे

टचूशन, छात्रवृत्ति, मुफ्त बोर्डिंग जैसे उपचार और

आवास, आदि। यूनेस्को के सभी के लिए शिक्षा के अनुसार, वैश्विक

निगरानी रिपोर्ट (2008) के 115 वें पृष्ठ पर कम से कम चौदह देशों में नकद हस्तांतरण कार्यक्रम हैं जो स्कूली उम्र के बच्चों वाले गरीब परिवारों को लक्षित करते हैं। सबसे बड़ा कार्यक्रम

ब्राजील में है, जहाँ 4 करोड़ 60 लाख लोगों को शिक्षा हस्तांतरण प्राप्त होता है

16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ अत्यधिक गरीबी में प्रति परिवार प्रति माह $44 अमरीकी डालर तक। रिपोर्ट के अनुसार,

कार्यक्रम ने अपने हाल के चरण में लाभार्थियों के बीच स्कूल छोड़ने की दर में 75 प्रतिशत तक की कमी की है।

76. इस तरह का कार्यक्रम भारत के लिए विदेशी नहीं है। 372 के अनुसार

यूनिसेफ के लिए, गुजरात राज्य ने वित्तीय का विचार रखा

युवाओं को कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहन:

" आंकड़े बताते हैं कि विद्यालय में नामांकन अभियान

विद्यालक्ष्मी जैसे प्रोत्साहनों द्वारा समर्थित राज्य सरकार

प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाली प्रत्येक लड़की को 1,000 रुपये का बांड दिया जाता है। आदिवासी लड़कियों के लिए शिक्षा और 60 किलो गेहूं

विद्यालय को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। सरकार द्वारा विभिन्न प्रोत्साहनों के अलावा, कई कॉर्पोरेट

घर और समुदाय भी प्रेरित करने के लिए आगे आए हैं

स्टेशनरी आदि। नतीजतन, ड्रॉप-आउट दर आ गई है। 35.31% से 1997-1998 में 3.24% से 2006-2007 में नीचे

कक्षा 1-5 में। लड़कियों में यह दर 38.95% से गिर गई है।

इसी अवधि में 5.97 तक।

77. जनवरी 2008 में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपिंदर

सिंह हुड्डा ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की जिसमें छात्रों को इसके अलावा एक बार का भुगतान भी मिलेगा।

स्कूल जाने के लिए मासिक वजीफा। (देखिए: " प्रोत्साहन

स्कूल छोड़ने की दर पर अंकुश लगाने की घोषणा की ", द ट्रिब्यून, 5 जनवरी 2008)।

संबंधित भाग का उल्लेख नीचे किया गया है:

" शिक्षा सचिव राजन गुप्ता ने एक बार कहा था - अनुसूचित जाति को Rs.740 से लेकर 1,450 रुपये तक का भत्ता दिया जाएगा।

और छठी से आठवीं कक्षा की लड़कियां Rs.150 और Rs.200। इसी तरह, नौवीं से बारहवीं कक्षा के लड़कों और लड़कियों को Rs.200 दिया जाएगा और

Rs.300, क्रमशः, और विज्ञान का अध्ययन करने वाले लड़के और लड़कियां

कक्षा XI और XII में विषय Rs.300 और Rs.400,

क्रमशः। ..... छात्रों को यह मासिक प्रोत्साहन

रखरखाव के लिए उनके बैंक खातों में जमा किया जाए

उन्होंने कहा कि योजना में पारदर्शिता।

78. पारदर्शिता के नाम पर, छात्रों की उपस्थिति रिकॉर्ड प्रशासकों और माता-पिता को उपलब्ध कराया जा सकता है।

छात्रों को स्कूल जाने के लिए भुगतान किया जाएगा।

उन्हें एक आशोक कुमार ठाकुर बनाम प्राप्त होगा। भारत और ओआरएस का संघ। 373

[दलवीर भंडारी, जे।]

स्कूल के प्रत्येक दिन के लिए राशि जिसमें वे भाग लेते थे। यदि आप केवल उपस्थित होते हैं 7 10 स्कूल के दिनों की कटौती, आपको केवल 70 प्रतिशत प्राप्त होगा

वजीफा।

79. अंततः, यह अनुच्छेद 21 ए को लागू करने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, इसके लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए।

विद्यालय। सजा से अधिक, रचनात्मक प्रोत्साहन कार्यक्रम मौलिक अधिकार के कार्यान्वयन में एक लंबा रास्ता तय करेंगे

अनुच्छेद 21 ए के तहत निहित।

अनिवार्य शिक्षा पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण:

80. लगभग दो शताब्दी पहले, चार्टर का खंड 43

1813 के अधिनियम ने शिक्षा को राज्य की जिम्मेदारी बना दिया। [देखिए: " निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा: उत्पत्ति और निष्पादन

संवैधानिक दर्शन ", डॉ. पी. एल. मेहता और राखी पूंगा,

डीप एंड डीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली (1997)]। [पृष्ठ 42

47] . हंटर कमीशन (1882-83) सबसे पहले था

भारत में सार्वभौमिक शिक्षा की सिफारिश करें। इसके बाद, पटेल

विधेयक, 1917 पहला अनिवार्य शिक्षा कानून था। यह.

6 से 11 वर्ष की आयु तक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव।

81. भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने प्रावधान किया कि

" दोनों लड़कों के लिए शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

और लड़कियाँ। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को और बढ़ावा मिला जब ज़ाकिर हुसैन आयोग ने सिफारिश की कि राज्य को इसे प्रदान करना चाहिए। 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट दृढ़ता से

आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की गई

छह से चौदह। 1947 तक प्राथमिक शिक्षा दी जा चुकी थी।

152 शहरी क्षेत्रों और 4995 ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य।

82. राज्य कुछ प्रयास कर रहा है कि

अनिवार्य शिक्षा अच्छी तरह से स्थापित थी। असली सवाल बहस में यह था कि क्या मूल निर्माता ऐसा करेंगे

मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा न्यायसंगत है या नहीं।

उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों को दोलन किया

विकल्पों के बीच, पहले इसे मौलिक अधिकारों में रखना

और बाद में इसे राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों की ओर ले जाया गया

संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत।

83. 50 से अधिक वर्षों के बाद, संसद ने इस विषय पर पुनर्विचार किया। अनुच्छेद 21 ए पर संसदीय बहस एक झलक प्रस्तुत करती है

अन्य देशों में अनिवार्य शिक्षा का इतिहास। उस समय

मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. एम. एम. जोशी,

श्री गोपाल कृष्ण गोखले के भाषण का उल्लेख किया गया

अनिवार्य शिक्षा। शाही में एक विधेयक पर बहस करते हुए

1911 में विधान परिषद में श्री गोखले ने कहा था कि अधिकांश देश:

" ..... प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और नि:शुल्क दोनों है, और
कुछ में, हालांकि मजबूरी का सिद्धांत सख्ती से नहीं है

लागू किया गया है या पेश नहीं किया गया है यह या तो पूरी तरह से है या

अधिकांश भाग के लिए संतोषजनक, अकेले भारत में यह न तो है

अनिवार्य और न ही मुफ़्त। इस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड में,

कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान में यह अनिवार्य और मुफ़्त है। ..... स्पेन,
पुर्तगाल, ग्रीस, बुल्गारिया, सर्विया और
रुमानिया, यह मुफ़्त है, और सिद्धांत रूप में, अनिवार्य है, हालांकि

मजबूरी को सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। [लोकसभा बहस, 28 नवंबर, 2001,
Vol.20, पृष्ठ 476]। 84. 1948
में संयुक्त राष्ट्र ने अपना खुद का गठन किया।

अनिवार्य शिक्षा पर घोषणा। संविधान का अनुच्छेद 26 (1)

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा स्वतंत्र और

अनिवार्य शिक्षा एक उच्च लक्षय है, यदि लागू करने योग्य नहीं है। जबकि कई राज्य
इसे संयुक्त राज्य की आधिकारिक व्याख्या मानते हैं।

राष्ट्र चार्टर, घोषणा एक संधि नहीं है और नहीं है कानूनी रूप से बाध्यकारी होने का
इरादा। अनुच्छेद 26 (1) में कहा गया है:

" शिक्षा का अधिकार सभी को है। शिक्षा होगी
मुक्त, कम से कम प्राथमिक और मौलिक चरणों में।

प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य होगी। तकनीकी और
व्यावसायिक शिक्षा आम तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी।

और आशा कुमार ठाकुर बनाम पर उच्च शिक्षा सभी के लिए समान रूप से सुलभ
होगी।

भारत संघ और ओ. आर. एस. 375

[दलवीर भंडारी, जे. जे.

योग्यता का आधार "।

85. हमारे मूल फ्रेमर्स ने इस पर समान जोर दिया

निर्देश में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को शामिल करना

सिद्धांत। असंशोधित अनुच्छेद 45 में प्रावधान किया गया है कि:

" राज्य इस संविधान के प्रारंभ से दस साल की अवधि के भीतर,

सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जब तक कि वे

चौदह वर्ष की आयु पूरी करें।

86. इस मोड़ पर, मैं इसका उल्लेख करना उचित समझता हूं

स्वतंत्र और अनिवार्य के पहलू पर संसदीय बहस

शिक्षा. 28 नवंबर 2001 की लोकसभा की बहस में खण्ड. 20 , श्री मूर्ति ने पृष्ठ 499 पर कहा:

" जब तक सरकार प्राथमिक शिक्षा नहीं देती

अनिवार्य रूप से कोई भी गाँव विकसित नहीं हो सकता। अगर मैं कहता हूँ कि वे क्या हैं

आंध्र प्रदेश में करते हुए, कुछ सदस्य फिर से रो सकते हैं

फाउल। आंध्र प्रदेश में हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं

गाँव में जाएँ और कारण पता करें कि वे क्यों
छोड़ दिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है "।

अनिवार्य शिक्षा पर सिफारिशें। फिर भी, उस समय की परिस्थितियों ने उसे अपने सुझावों को नरम करने के लिए मजबूर किया

राष्ट्र अपेक्षाकृत गरीब था और शिक्षा खर्च में भारी वृद्धि नहीं कर सकता था। इस रिपोर्ट के कुछ अंश निम्नलिखित रूप में पुनः प्रस्तुत किए जाते हैं:

उपलब्ध और आंशिक रूप से सामाजिक और राजनीतिक दर्शन पर
लोगों से। गरीब और पारंपरिक समाज असमर्थ हैं

सार्वभौमिक प्राथमिक का एक कार्यक्रम भी विकसित करें
शिक्षा. लेकिन समृद्ध और औद्योगिक समाज प्रदान करते हैं

सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा और विस्तार और व्यापक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

उच्च और वयस्क शिक्षा के आधारित कार्यक्रम। सामंती
और कुलीन समाज कुछ लोगों के लिए शिक्षा पर जोर देते हैं।

लेकिन लोकतांत्रिक और समाजवादी समाज जनसमूह पर जोर देते हैं

शिक्षा और शैक्षिक अवसरों का समानीकरण।
विकास में सामने आने वाली प्रमुख समस्या

मानव संसाधन, इसलिए, ठीक यही है: कैसे हो सकता है?

उपलब्ध संसाधनों को सबसे अधिक सुरक्षित करने के लिए सबसे अच्छा तैनात किया जाना चाहिए शैक्षिक विकास का
लाभकारी रूप? कितना?

शिक्षा, किस प्रकार या गुणवत्ता के स्तर की होनी चाहिए, समाज को
प्रदान करने का प्रयास करें और किसके लिए?

5.03 नागरिकों के शैक्षिक स्तर को बढ़ाना। में

अगले दो दशकों में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। औसत नागरिक। इस तरह के कार्यक्रम आवश्यक हैं

लोकतंत्र को व्यवहार्य बनाने के लिए सामाजिक न्याय के आधार और कृषि और उद्योग में औसत श्रमिक की उत्पादकता में सुधार के लिए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण

अनुच्छेद 45 द्वारा निर्देशित कार्यक्रमों को प्रदान करना है

संविधान, अच्छी गुणवत्ता की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा

14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए। इसे ध्यान में रखते हुए

तथापि, अपार मानव और भौतिक संसाधनों की आवश्यकता है।

इस कार्यक्रम को लागू करना होगा

समय की अवधि में चरणबद्ध "।

88. जब अनुच्छेद 21 ए पेश किया गया था, तो कुछ सदस्य

संसद ने तर्क दिया कि आर्थिक रूप से गरीब माता-पिता जो भेजने में विफल रहते हैं

उनके बच्चों को स्कूल जाने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए और इस अनुच्छेद में "मजबूरी" शब्द को लागू करने के लिए समझा जाना चाहिए।

केवल राज्य के लिए।

89. आइए मैं इस तर्क की जांच करता हूं। 86 वाँ संशोधन

संविधान में तीन बदलाव किए। इसमें अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया।

और 51 ए (के) और अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया। मैं अपना ध्यान अनुच्छेद 51 ए (के) पर केंद्रित करता हूं। एक संशोधन को अस्वीकार करने के अलावा जो होगा

अनिवार्य शिक्षा को निष्प्रभावी बना दिया, संसद ने एक सकारात्मक कदम उठाया

इशारा। हालांकि इसने कभी भी लागू करने की मांग करने वाला कानून पारित नहीं किया

अनिवार्य शिक्षा ने इस विषय को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया था।

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 377

[दलवीर भंडारी, जे।]

अनुच्छेद 51 ए (के) से यह स्पष्ट हो जाता है कि माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जिम्मेदार होंगे। अनुच्छेद 51 ए पढ़ा गया

51 ए (के) के साथ निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" शिक्षा के अवसर प्रदान करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा-जो माता-पिता या अभिभावक हैं।

उसके बच्चे को या, जैसा भी मामला हो, उम्र के बीच के वार्ड को

छह और चौदह वर्षों का "।

90. जिस तरह अनुच्छेद 51 ए (ए) अनादर को दंडित नहीं करता है

राष्ट्रीय ध्वज, अनुच्छेद 51 ए (के) बच्चों को स्कूल भेजने में विफल रहने के लिए माता-पिता/अभिभावक को दंडित नहीं करता है। वहाँ से,

बेशक, कानून जो अनुच्छेद 51 ए (ए) को मजबूती देता है। (देखिए:

राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971, धारा 3 ए)।

91. अनुच्छेद 51 ए (के) इंगित करता है कि यह माता-पिता हैं, न कि राज्य।

जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि बच्चे समय पर जागें

और स्कूल पहुँचते हैं। इस प्रकार, अनुच्छेद 21 ए को अनुच्छेद 51 ए (के) के साथ पढ़ा जाता है

राज्य और माता-पिता के बीच एक दायित्व वितरित करता है: द. राज्य मुफ्त शिक्षा से संबंधित है, जिसमें माता-पिता अनिवार्य हैं।

माता-पिता के कर्तव्य के बावजूद, राज्य की भी भूमिका है

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनिवार्य शिक्षा व्यवहार्य है-एक विषय जिसे मैं नीचे शामिल करूंगी।

92. केंद्र सरकार ने इसे पूरा करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं

"मुफ्त शिक्षा" के संबंध में अनुच्छेद 21 ए के तहत इसका दायित्व।

सर्व शिक्षा अभियान ऐसा ही एक उदाहरण है। जब बात आती है

" अनिवार्य शिक्षा ", केंद्र सरकार ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया है। संसद ने कोई कानून पारित नहीं किया है। द.

कार्यपालिका ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। हमारे पास जो है वह एक पैचवर्क है

विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कानून। इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (और एन. सी. आर.) में शामिल हैं:

असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा,

गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर,

कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,

उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश

प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, अंडमान और निकोबार सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

द्वीप समूह।

93. अधिकांश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शुल्क लगाते हैं

माता-पिता पर बहुत कम जुर्माना। मैं ध्यान देता हूं कि ये कानून लागू नहीं होते हैं।

माता-पिता, उन्हें समस्या का समाधान करने के लिए समय दें। बेशक, प्रवर्तन लगभग हमेशा एक अलग कहानी होती है।

94. उपरोक्त अपेक्षाकृत प्रकाश के विपरीत

वाक्य, अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2006 में पेश किया गया

राज्यसभा छह महीने के कारावास का प्रावधान करेगी

उन लोगों के लिए जुर्माना जो बच्चों को स्कूल जाने से रोकते हैं। यदि यह विधेयक कानून बन जाता है, तो धारा 7 निम्नलिखित को निर्देशित करेगी:

लड़का या लड़की स्कूल जाने से या बाधा डालता है

या किसी भी तरह से बाधा डालने पर, वह कारावास से दंडनीय होगा, जो छह महीने तक बढ़ सकता है।

95. ऐसा लगता है कि विधेयक एक साथ लक्षय रखता है

नियोक्ता और माता-पिता। नियोक्ताओं को दंडित किया जाएगा जब

वे एक बच्चे को बहुत अधिक काम करने के लिए या स्कूल के घंटों के दौरान काम पर रखते हैं।

इसी तरह, माता-पिता को भी इसकी अनुमति देने के लिए दंडित किया जाएगा होता है। इस विधेयक में छात्रवृत्ति, मुफ्त छात्रावास का भी प्रावधान होगा।

सुविधाएं और अन्य प्रोत्साहन, "जब भी आवश्यक हो" और "जब भी आवश्यक हो"

निर्धारित किया जा सकता है "।

96. बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम। भारत संघ और

अन्य, (1997) 10 एस. सी. सी. 549 पैरा 11 में पृष्ठ 557 पर, न्यायालय ने समझाया कि शिक्षा अनिवार्य क्यों होनी चाहिए। वास्तव में, ए

नागरिक तभी स्वतंत्र होता है जब वह एक सार्थक चुनौती दे सकता है

उसके साथी नागरिक या सरकार का उसके प्राकृतिक रूप को कम करने का प्रयास

स्वतंत्रता। ऐसा होने के लिए, उसे एक निश्चित डिग्री की आवश्यकता होती है

शिक्षा. यही कारण है कि अनुच्छेद 21 ए सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है

मौलिक अधिकार। इसके बिना, एक नागरिक को कभी पता नहीं चल सकता है

अपने अन्य अधिकारों के बारे में; न ही उनके पास उन्हें पर्याप्त रूप से लागू करने के लिए संसाधन होंगे। पैरा 11 का प्रासंगिक परिच्छेद इस प्रकार है:

" एक स्वतंत्र शिक्षित नागरिक सार्थक रूप से अपना काम कर सकता है।

राजनीतिक अधिकार, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन, आशा कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 379

[दलवीर भंडारी, जे।]

संतोषजनक रूप से और सहिष्णुता और सुधार की भावना विकसित करें।

इसलिए शिक्षा अनिवार्य है। प्राथमिक शिक्षा के लिए

विशेष रूप से गरीब, कमजोर वर्गों, दलितों और जनजातियों और अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए यह अनिवार्य है।

बुनियादी शिक्षा और रोजगार उन्मुख व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि लोगों को सशक्त बनाया जा सके।

समाज के इन वर्गों के बच्चों को गरीबी से बाहर निकालना और इस प्रकार बुनियादी क्षमताओं का विकास करना।

सार्थक जीवन जीएँ। इसलिए इन बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा एक प्रमुख साधन और प्राथमिक है।

लोकतंत्र की स्थिरता के लिए राज्य का कर्तव्य, सामाजिक

एकीकरण और सामाजिक तनावों को समाप्त करने के लिए।

97. अनुच्छेद 51 ए (के) के विपरीत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

अनुच्छेद 21 ए के संबंध में कानून और संसदीय इरादे, मुक्ति मोर्चा में न्यायालय यह सुझाव देने के लिए इच्छुक था, न कि अभिनिर्धारित करने के लिए कि

अनिवार्य शिक्षा के लिए राज्य विशेष रूप से जिम्मेदार था। इसने एम. सी. मेहता बनाम की पुष्टि की। तमिलनाडु राज्य और

अन्य (बाल श्रम मामला) (1996) 6 एस. सी. सी. 756। उस मामले में,

शिवकाशी में पटाखा कारखाने में एक दुर्घटना के बारे में पता चलने पर न्यायालय ने खतरनाक खेतों में बाल श्रम के मुद्दे को उठाया।

98. पैरा 28 में उक्त मामले ने बाल श्रम के मूल कारण के रूप में गरीबी की पहचान की:

" उपरोक्त कारणों में से, हमें ऐसा लगता है कि. गरीबी मूल कारण है जो बच्चे के माता-पिता को मजबूर करता है, इसके बावजूद

उनकी अनिच्छा, इसे नियोजित करने के लिए। श्रम मंत्रालय (ऊपर) की सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी ऐसा कहा गया था।

अन्यथा, कोई भी माता-पिता, विशेष रूप से कोई भी माँ, यह नहीं चाहेगी कि एक कोमल उम्र का बच्चा कठिन परिस्थिति में कारखाने में मेहनत करे।

स्थिति, घर पर अपने बचपन का आनंद लेने के बजाय

पितृ दृष्टि के नीचे "।

99. दूसरे शब्दों में, माता-पिता बच्चों को काम पर भेजते हैं क्योंकि माता-पिता के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। भोजन सबसे पहले आता है। यदि राज्य अतिरिक्त आय प्रदान नहीं करता है ताकि भेजने के लिए प्रोत्साहन को हटाया जा सके बच्चों को काम करने के लिए, यह केवल इशारे पर अपना समय बर्बाद कर रहा है। न्यायालय ने पैरा 29 में निष्कर्ष निकाला कि कार्रवाई की जानी चाहिए:

" यह हो सकता है कि [बाल श्रम] का ध्यान रखा जाएगा
कुछ हद तक अनिवार्य शिक्षा पर जोर देकर। वास्तव में, नीरा [बर्न्स] सोचती है कि अगर इसके लिए कोई खाका है

बाल श्रम की समस्या से निपटना शिक्षा है। यहाँ तक कि

अगर ऐसा होता, तो एक गरीब माता-पिता का बच्चा ऐसा नहीं करता

शिक्षा प्राप्त करें, यदि प्रति बल इसे बनाने के लिए अर्जित करना है

परिवार दोनों उद्देश्यों को पूरा करता है। इसलिए, जब तक कि परिवार

लगभग अनदेखा रह गया। लेकिन हमारा मानना है कि
जब तक परिवार को वैकल्पिक आय का आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक

बाल श्रम के उन्मूलन का सवाल वास्तव में बना रहेगा।

विल-ओ '-द-विस्प'। (जोर दिया गया)।

100. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि अनिवार्य शिक्षा है

विभिन्न देशों में किसी न किसी रूप में पेश किया गया।

इन राष्ट्रों के ऐतिहासिक अनुभव से हम सीखते हैं कि

अनिवार्य शिक्षा से संबंधित कानून ने काम किया है

शैक्षणिक परिणामों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका।

संयुक्त राष्ट्र में अनिवार्य शिक्षा की जड़ें
राज्यों

101. बाहर अनिवार्य शिक्षा का एक लंबा इतिहास रहा है।

भारत से। 1852 में, मैसाचुसेट्स राज्य ने पहला अधिनियम लागू किया

संयुक्त राज्य अमेरिका में अनिवार्य उपस्थिति कानून; हालाँकि

कई राज्यों में अनिवार्य शिक्षा कानून बहुत पहले से मौजूद थे।

पहला मैसाचुसेट्स में 1642 में हुआ था। क्या अनिवार्य उपस्थिति और बाल श्रम कानून प्रभावी थे? (देखिए:

1915 से 1939 तक का एक विश्लेषण। (2001) पी पर। 2. प्रो. एड्रियाना

लेलेरस-प्रिंसटन विश्वविद्यालय के मुनि।)

अनिवार्य शिक्षा को लागू करने के लिए विदेश से कारण:

102. प्रो. लेलेरस-मुनि बताते हैं कि अनिवार्य शिक्षा की वकालत करने वालों का मानना था कि सार्वभौमिक

लोकतंत्र को बढ़ावा देने और एक आम अमेरिकी संस्कृति की गारंटी के लिए शिक्षा आवश्यक थी। (पृष्ठ 11)।

अशोक कुमार ठाकुर बनाम के आगमन को देखते हुए। भारत और ओआरएस का संघ। 381

[दलवीर भंडारी, जे।]

अप्रवासी, जिनमें से कुछ अलोकतांत्रिक देशों से आए थे

कानून के कई समर्थकों ने अनिवार्य शिक्षा को देखा

आत्मसात करने के लिए एक उपकरण के रूप में।

103. अनिवार्य शिक्षा द्वारा उद्धृत अन्य कारण

संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रस्तावकों में अपराध में कमी शामिल थी,

नस्लवाद और असमानता। प्रो. विश्वविद्यालय के ओरियोपोलोस टोरंटो उन स्रोतों का हवाला देता है जो इसे ऐसा प्रतीत करते हैं जैसे

कनाडा में अनिवार्य शिक्षा को अपनाने के कारण प्रतिबिंबित हुए

संयुक्त राज्य अमेरिका में जिनका उल्लेख किया गया है: अच्छे पर जोर दिया गया था

नागरिकता और आर्थिक विकास:

" ओंटारियो के एक शिक्षक आर्चीबाल्ड मैकलम ने संक्षेप में बताया

1875 की एक रिपोर्ट में जोरदार तरीके से बाद वाला तर्क

कनाडा में अनिवार्य स्कूली शिक्षा की शुरुआत:

' समाज ने अज्ञानता से इतनी क्रूरता से पीड़ित किया है कि

मुक्ति एक आवश्यकता की बात है, और सार्वभौमिक द्वारा

केवल ज्ञान का प्रसार ही अज्ञानता और अपराध हो सकता है।

हमारे बीच से निष्कासित; किसी अन्य तरीके से सबसे अच्छा नहीं हो सकता है

इस एक उपाय की तुलना में समाज के हितों का संरक्षण और सुधार किया जाए-इसे अनिवार्य रूप से लागू करना।

महान वरदान-प्रत्येक कनाडाई बच्चे का वह शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार जो उसे एक अच्छा, वफादार विषय बनाएगा,

विभिन्न सामाजिक कार्यों में अपने देश की सेवा करने के लिए तैयार रहना, जिन्हें उन्हें अपने जीवनकाल में पूरा करने के लिए बुलाया जा सकता है; और तैयारी करना।

उसे, अनुग्रह के माध्यम से, आने वाले जीवन के लिए '(वार्षिक रिपोर्ट

ओंटारियो शिक्षक संघ, 1875, जैसा कि में उद्धृत किया गया है

प्रेंटिस और ह्यूस्टन 1975,175-6)। (देखिए: द कैनेडियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, वॉल्यूम। 39 , नंबर 1, फरवरी (2006) "द
अनिवार्य स्कूली शिक्षा के सम्मोहक प्रभाव: सबूत

कनाडा से, "प्रो. ओरेओपोलोस, पृष्ठ 23 पर) "।

अनुभवजन्य डेटा इंगित करता है कि अनिवार्य
शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है:

104. प्रो. ओरेओपोलोस डेटा प्रदान करता है जो फल दिखाता है

नागरिकों पर शिक्षा थोपना। अपराध कम हो सकता है, स्वास्थ्य

सुधार हुआ और नागरिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। अनिवार्य शिक्षा

व्यक्तियों की आय में भी पर्याप्त वृद्धि हो सकती है।

इसके अलावा, अनिवार्य शिक्षा, यदि यह कारण नहीं है, तो हो सकता है

द्विभाषिकता और रोजगार में वृद्धि में कम से कम योगदान

और गरीबी में कमी। प्रासंगिक भाग को पुन: प्रस्तुत किया गया है इसके नीचे:

" (पृष्ठ 24)। अन्य पत्रों में सामाजिक लाभ के प्रमाण मिलते हैं,

लेकिन गैर-आर्थिक परिणामों के लिए। लोच्नर और मोरेट्टी

(2002) , उदाहरण के लिए, देखें कि अनिवार्य स्कूली शिक्षा कम हो जाती है

अपराध, जबकि लेलेरस-मुनि (2002) के साथ एक संबंध पाता है

किंगडम, डी (2003) और मिलिगन, मोरेट्टी और
ओरियोपोलोस (2003) का अनुमान है कि इस पर सख्त प्रतिबंध

स्कूल जल्दी छोड़ना बढ़े हुए स्तरों के अनुरूप है
नागरिक गतिविधि (जैसे मतदान और राजनीति पर चर्चा)। ..... मेरा।

विश्लेषण बताता है कि छात्रों को पूरा करने के लिए मजबूर किया जाता है

स्कूल के एक अतिरिक्त ग्रेड ने ऐतिहासिक रूप से वार्षिक आय में 9-15% की औसत वृद्धि का अनुभव किया है।

(पृष्ठ 48)। मुझे लगता है कि सख्त प्रांतीय की शुरुआत

1920 और 1990 के बीच स्कूल छोड़ने पर प्रतिबंध

औसत श्रेणी प्राप्ति और आय में वृद्धि। विद्यार्थीगण

द्विभाषिकता से लेकर परिणाम उपाय,
रोजगार और गरीबी की स्थिति। ये परिणाम बने रहते हैं

कई विनिर्देशों की जाँच के खिलाफ और पूरी तरह से हैं

पिछले अध्ययनों के अनुरूप।] " }

105. आय में वृद्धि के अलावा, प्रो. लेलेरस-मुनि ने पाया कि कानूनी रूप से एक बच्चे को एक और बच्चे के लिए स्कूल जाने की आवश्यकता है।

वर्ष में शैक्षिक प्राप्ति में लगभग पाँच प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई। (पृष्ठ 8)। शैक्षिक प्राप्ति से तात्पर्य है -

स्कूल में बिताया समय।

अनिवार्य शिक्षा कानूनों के उदाहरण

106. कम नामांकन, उच्च ड्रॉप-आउट दर और आशा कुमार ठाकुर बनाम के कारण।

भारत और ओआरएस का संघ।

[दलवीर भंडारी, जे।]

यू. एस. और भारत में बार-बार होने वाली चोरी अलग-अलग होती है, लेकिन इसके परिणाम अलग-अलग नहीं होते हैं। दोनों ही मामलों में, जिन नागरिकों के पास शिक्षा की कमी है, वे अत्यधिक नुकसान में हैं। भारत में गरीबी की पहचान की गई है

कम नामांकन और उपस्थिति के अंतिम कारण के रूप में

दरें। बच्चे काम करने के लिए मजबूर हैं। विकसित देशों में

संयुक्त राज्य या कनाडा की तरह, बच्चे शायद ही कभी भाग लेने में विफल रहते हैं।

आर्थिक बाधाओं के कारण विद्यालय। इसके बजाय कई

छोड़ सकते हैं ". क्योंकि वे स्कूल से नफरत करते हैं, प्रेरणा की कमी है, या स्नातक से बहुत कम इनाम की उम्मीद करें। (देखिए: कनाडाई

जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, "अनिवार्य के सम्मोहक प्रभाव"

स्कूली शिक्षा: कनाडा से साक्षय, "प्रो. ओरियोपोलोस, पी।

23 , (एक्स्टीन, ज्वी और केनेथ आई. वोल्पिन (1999) से उद्धृत " युवा हाई स्कूल क्यों छोड़ देते हैं: वरीयताओं का प्रभाव,

अवसर, और क्षमताएँ, "इकोनोमेट्रिका 67,1295-339)।

107. जैसा कि मैं नीचे विस्तार से बता रहा हूं, संयुक्त राज्य में छात्र और अभिभावक

जब छात्र उपस्थित नहीं होते हैं तो राज्यों को अक्सर समान जुर्माने का सामना करना पड़ता है विद्यालय। छात्रों के लिए जुर्माना अधिक सार्थक होता है जब स्वयं को कम किया जाता है

नियंत्रण ही कारण है कि वे स्कूल जाने में विफल रहते हैं। जिसमे

साथ ही, जिन भारतीय छात्रों के पास काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, उन्हें दंडित करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसी सजा नहीं दी जानी चाहिए।

108. संयुक्त राज्य अमेरिका में कई क्षेत्राधिकारों में, उपस्थिति अधिकारी अनुपालन को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। उसके क्षेत्र या स्कूल के लिए उपस्थिति कानून। जबरदस्त को देखते हुए

भारत में उप-बराबर नामांकन और उपस्थिति की समस्या, हमें संदेह है कि एक स्कूल अधिकारी निरीक्षण का काम पर्याप्त रूप से कर सकता है

उपस्थिति कानूनों का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए रोजगार के स्थान।

109. वास्तव में, भारत में मौजूदा कानून में पहले से ही परिकल्पना की गई है

उपस्थिति अधिकारियों की नियुक्ति। दिल्ली प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1960, धारा. 7. फिर भी, सुझाव देने के लिए कुछ नहीं है

कि इन कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार से पर्याप्त रूप से निपटा है। के रूप में

उल्लिखित, यह, आंशिक रूप से, आर्थिक स्थितियों के कारण है

जिसे कई माता-पिता खुद पाते हैं। वित्तीय सहायता या सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तभी सरकार सक्रिय हो सकती है अनिवार्य उपस्थिति कानून लागू करें।

110. हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यह केवल बच्चा नहीं है

जो उपस्थित होने में विफल रहता है, लेकिन वह बच्चा भी जो नामांकन करने में विफल रहता है उपस्थिति कानून का उल्लंघन किया।

111. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के साथ मुद्दा उठाने से पहले

अनिवार्य शिक्षा कानून, मैं ध्यान देता हूँ कि शिक्षा है

परंपरागत रूप से राज्यों के लिए आरक्षित किया गया था। केवल 1976 में, संविधान के 42 वें संशोधन के माध्यम से, शिक्षा एक महत्वपूर्ण शिक्षा बन गई।

अनुसूची 7 की समवर्ती सूची का हिस्सा। अपनी 165 वीं रिपोर्ट में,

भारतीय विधि आयोग ने भी अधिनियम बनाने की सिफारिश की है।

इस संबंध में केंद्रीय विधान। शिक्षा को समवर्ती सूची में डालना एक सकारात्मक विकास साबित होता है।

प्रभावी विधान प्रदान करने में राज्यों की विफलता।

112. राज्यों के कानून दो कारणों से विफल हो जाते हैं। सबसे पहले, वे एक निवारक प्रभाव के लिए बहुत उदार हैं। दूसरा, कानून है

पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया गया, आंशिक रूप से, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है

पुलिस अधिकारी काम करें। अगर हम पारित कानून का विश्लेषण करते हैं

विभिन्न राज्यों द्वारा एक और निष्कर्ष स्पष्ट हो जाता है: नहीं। राज्य ने एक पर्याप्त सजा का प्रावधान किया है जिसका प्रभाव

नागरिकों को उल्लंघन करने से रोकना होगा।

113. विभिन्न में से कुछ को पुनः उत्पन्न करना आवश्यक है।

राज्यों के अनिवार्य शिक्षा कानून।

114. तमिलनाडु अनिवार्य की धारा 7 के तहत

प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम, 1994:

धारा 4 [माता-पिता का कर्तव्य] के तहत अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहता है बच्चे को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए] जुर्माने से दंडनीय होगा जो एक सौ तक हो सकता है।

रुपये।

115. दिल्ली प्राथमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 18 (1),

1960 कहते हैं:

" यदि कोई अभिभावक उपस्थिति आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो
अशोक कुमार ठाकुर v.

भारत और ओआरएस का संघ। 385

[दलवीर भंडारी, जे।]

धारा 13 के तहत पारित, वह जुर्माने से दंडनीय होगा

दो रुपये से अधिक नहीं, और, जारी रखने के मामले में

प्रत्येक दिन के लिए पचास पैसे से अधिक के अतिरिक्त जुर्माने के साथ, जिसके
दौरान इस तरह का उल्लंघन किया जाता है

इस तरह के पहले उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के बाद जारी है। बशर्ते कि किसी एक
व्यक्ति द्वारा देय जुर्माने की राशि
किसी भी एक वर्ष में किसी भी बच्चे के संबंध में इससे अधिक नहीं होगा

पचास रुपये "।

116. इन राज्य कानूनों के विश्लेषण से पता चलता है कि वे कमजोर हैं

चरित्र में और शायद कभी लागू नहीं किया गया है। यदि हम इन कानूनों की तुलना संयुक्त
राज्य अमेरिका में उनके सहयोगी कानूनों से करते हैं,

हम महसूस करते हैं कि अमेरिकी कानून कहीं अधिक मजबूत हैं।

117. विस्कॉन्सिन में, माता-पिता जो अपने बच्चों को भेजने में विफल रहते हैं

स्कूल जाने पर 500 डॉलर से अधिक का जुर्माना नहीं देना पड़ सकता है या उसका सामना
करना पड़ सकता है।

30 दिन से अधिक का कारावास या दोनों। [विस्कॉन्सिन क़ानून की धाराएँ
118.15 (1) (a) और 118.15 (5) (a) 1. a]। ए के लिए

दूसरा या बाद का अपराध, उन्हें अधिक जुर्माना नहीं देना पड़ सकता है

$1,000 से अधिक या 90 दिनों से अधिक के लिए कारावास या दोनों। [विस्कॉन्सिन
क़ानून धारा 118.15 (1) (a) और 118.15 (5) (a) 1. b)।

वैकल्पिक रूप से, उन्हें सामुदायिक सेवा करने की सजा दी जा सकती है। [विस्कॉन्सिन क़ानून अनुभाग 118.15 (1) (a) और

118.15 (5) (क) 2]।

विस्कॉन्सिन के विपरीत, तमिलनाडु और दिल्ली के कानूनों में कोई प्रावधान नहीं है।

दाँत।

118. दूसरी मुख्य समस्या इन कानूनों का कार्यान्वयन है। न तो राज्य सरकारें और न ही उनकी पुलिस एजेंसियां

इन अनिवार्य कानूनों को लागू करने के बारे में गंभीर हैं।

ऐसा शायद ही कोई मामला हो जहाँ जुर्माना भी लगाया गया हो। थोपा गया। अनिवार्य शिक्षा का कुछ रूप चलन में रहा है।

सार्वभौमिक साक्षरता जबकि हमारी 35 प्रतिशत आबादी निरक्षर है। जबकि एक मजबूत वित्तीय प्रोत्साहन कार्यक्रम नहीं हो सकता है 1917 में संभव है, यह आज है। अगर हम आगे विकास करना चाहते हैं तो हम

छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक नागरिक को सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के बारे में शिक्षित करना चाहिए

119. अनुच्छेद 21 ए के तहत संवैधानिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए, यह अनिवार्य है कि केंद्र सरकार इसे पारित करे

उपयुक्त विधान। जुर्माने को उचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। कारावास सजा सुनाने का विकल्प भी होना चाहिए। वर्तमान में

अनिवार्य शिक्षा पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के कानून का पैचवर्क अपर्याप्त है। छोटे मौद्रिक जुर्माने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं अनुच्छेद 21 ए का कार्यान्वयन।

120. इन सिफारिशों के साथ एक अस्वीकरण संलग्न है।

गाजर छड़ी से पहले आनी चाहिए। अगर कोई वित्तीय स्थिति नहीं है प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत सरकार गरीब से गरीब व्यक्ति से अपने बच्चों को स्कूल भेजने की उम्मीद नहीं कर सकती है।

121. संसद को उन्हें आपराधिक रूप से दंडित करना चाहिए

माता-पिता जो वित्तीय लाभ प्राप्त करते हैं और इसके बावजूद

भुगतान, अपने बच्चों को काम पर भेजना और उन नियोक्ताओं को दंडित करना जो बच्चों को स्कूल जाने से रोकते हैं या गृहकार्य पूरा करना। यह आवश्यक हो गया है कि

सरकार ने एक यथार्थवादी लक्षय निर्धारित किया है जिसके भीतर उसे पूरी तरह से होना चाहिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के संबंध में अनुच्छेद 21 ए को लागू करें।

पूरे देश के लिए। सरकार को उचित रूप से संशोधन करना चाहिए

सही है। सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार अनुच्छेद हो सकता है। 21 ए, जिसे राष्ट्र के व्यापक हित में पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 21 ए के बिना, अन्य मौलिक अधिकार

प्रभावी रूप से अर्थहीन बना दिए जाते हैं। शिक्षा सबसे ऊपर है। अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने की क्षमता के रूप में अन्य अधिकार

किसी की शिक्षा से प्रवाहित होता है। यही कारण है कि अंततः न्यायपालिका

मुफ्त और अनिवार्य पर सरकारी खर्च की निगरानी करनी चाहिए

शिक्षा. 122. साथ ही, खर्च एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें न्यायपालिका को अपने संवैधानिक जनादेश से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। शक्ति।

पर्स का हिस्सा संविधान के भाग 5, अध्याय 2 में पाया गया है, जो संसद को समर्पित है। (देखिए:

अनुच्छेद 109 और अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत संघ और ओ. आर. एस. 387

[दलवीर भंडारी, जे।]

117 "मनी बिल" के लिए।) फिर भी, यह सुनिश्चित करना न्यायपालिका के दायरे में है कि इसके तहत मौलिक अधिकार

भाग III के अनुच्छेद 21 ए को बरकरार रखा गया है। एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (वाहन प्रदूषण) (1998) 6 एस. सी. सी. 63, इस न्यायालय ने नजरअंदाज नहीं किया

अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है जब प्रदूषण के घातक स्तर

सही दांव पर। न ही यह न्यायालय शिक्षा के अनुच्छेद 21 ए के अधिकार की अनदेखी करेगा, जब गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा की कमी इसे खतरे में डाल देगी। सरकार के शिक्षा कार्यक्रम और व्यय, कई मायनों में अभाव, अतीत की तुलना में एक सुधार है

प्रदर्शन। वे संवैधानिक निशान से लगभग कम हैं।

प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में खराब प्रदर्शन के कारण

आंशिक रूप से क्योंकि सरकार कॉलेज के छात्रों को उच्च स्तर पर रखती है पीठ। पैसा हमारी सभी शिक्षा समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, लेकिन एक

संविधान के अधिदेश के अनुसार प्राथमिकताओं में सुधार

यह एक लंबा रास्ता तय करेगा।

अनिवार्य शिक्षा का विरोध

123. " अनिवार्य "प्रवर्तन को दर्शाता है। संसद

एक संशोधन को अस्वीकार कर दिया जो माता-पिता को इससे बचा सकता था दंडात्मक दंड। अगर शिक्षा अनिवार्य नहीं थी, तो कौन जाँच करता है

उन माता-पिता के साथ जिन्होंने अपने बच्चों को काम पर भेजा है? अगर नहीं। अधिकारी पूछताछ करते हैं, संदेश स्पष्ट है: हम, राज्य, परवाह नहीं करते कि आपका बच्चा स्कूल जाता है या नहीं। इसके विपरीत विचार रखते हुए, श्री जी. एम. बनटवाला यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि माता-पिता ऐसा न करें।

सजा:

इस शब्द 'मजबूरी' को ठीक से परिभाषित करने की आवश्यकता है।

'मजबूरी' शब्द का संबंध छात्र से नहीं होना चाहिए।
या माता-पिता। माता-पिता को भी दंडित नहीं किया जा सकता है

गरीब अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। शब्द।

' राज्य के संबंध में 'मजबूरी' को समझना होगा।
और मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य का दायित्व।

पी। 523. " (देखिए: अनुच्छेद 21 ए पर संसदीय बहस, पी। 523 , 28 नवंबर 2001 में वॉल्यूम। 20 , नं. 6-10)

124. संसद के पास ऐसा स्वीकार करने का अवसर था

"अनिवार्य" की परिभाषा। लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। संशोधन

नंबर चार, श्री जी. एम. बनटवाला द्वारा पी.

548 , सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में कहा गया है

388

[2008] 4 एस सी आर।

कि -

" बशर्ते कि कोई भी कानून बनाने में मुफ्त और
इस अनुच्छेद के तहत अनिवार्य शिक्षा, राज्य

नहीं. (ख) माता-पिता पर कोई दंडात्मक प्रतिबंध लागू करना या

रक्षक "।

125. सर्वोच्च महत्व का यह संशोधन था

" नकारात्मक "। [पी. देखें। 548] . जो लोग सुरक्षित पनाह चाहते थे माता-पिता के लिए दंडात्मक मंजूरी खो गई। इस वोट से हम जानते हैं कि

संसद ने भविष्य के विधान की अनुमति देने का इरादा किया जो

अनुच्छेद 21 ए के तहत कानून के उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रतिबंध लागू करना।

नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर निष्कर्ष

126. यह देखते हुए कि इतने सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं या अनुपस्थित रहते हैं

चौदह साल के होने से पहले स्कूल से, अकेले "मुफ्त शिक्षा"

समस्या का समाधान नहीं कर सकते। कानूनों का वर्तमान पैचवर्क

अनिवार्य शिक्षा अपर्याप्त है। मौद्रिक जुर्माना नहीं जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए काफी है कि अनुच्छेद 21 ए को बरकरार रखा जाए।

127. गाजर और छड़ी का प्रयोग सबसे अच्छा प्रतीत होता है।

अनुच्छेद 21 ए को लागू करने का तरीका। वित्तीय प्रोत्साहन कार्यक्रम

अन्य देशों में अच्छा काम किया है। हमें उनके नेतृत्व का पालन करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, सरकार को सख्ती से लागू करना चाहिए

प्रभावी अनिवार्य शिक्षा कानून। इस तरह की नीति का लाभ मिलना तय है।

संक्षेप में, केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए।

कि -

(क) कम आय वाले माता-पिता/अभिभावकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

प्रोत्साहन इस तरह से कि वे उन्हें भेजने का खर्च उठा सकें

बच्चे स्कूल जाते हैं;

(ख) वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों को आपराधिक दंड देता है।

प्रोत्साहन और इस तरह के भुगतान के बावजूद उन्हें भेजें

बच्चे काम करने के लिए;

(ग) उन नियोक्ताओं को दंडित करता है जो बच्चों को आशा कुमार ठाकुर बनाम से रोकते हैं।

भारत और ओआरएस का संघ। 389

[दलवीर भंडारी, जे।]

स्कूल जाना या गृहकार्य पूरा करना;

((घ) दण्ड में कारावास शामिल होना चाहिए;

उपरोक्त विधेयक एक उदाहरण के रूप में काम करेगा। द.

अनुच्छेद 21 ए के तहत राज्य इसे लागू करने के लिए बाध्य है।

पूर्णतया नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा;

(ई) जब तक हम स्वतंत्र के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं और

अनिवार्य शिक्षा, सरकार को चाहिए
शिक्षा बजट को बढ़ाना जारी रखें;

(च) संसद को एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए कि किस समय तक

मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पहुंच गई होगी।
हर बच्चा। यह छह महीने के भीतर किया जाना चाहिए।

128. (क) के संबंध में, राज्य बजट का उल्लेख नहीं कर सकता है।

विफल होने के लिए एक बहाने के रूप में बाधाओं या संसाधनों की कमी गरीब माता-पिता को वित्तीय सहायता/प्रोत्साहन प्रदान करना। पृष्ठ 107, पैरा 10 पर हुसैनारा खातून (ऊपर) देखें।

129. अनुच्छेद 21 ए के "शिक्षा" के संदर्भ का अर्थ होना चाहिए

कुछ। इस निष्कर्ष को संसद के अनुच्छेद 21 ए के उद्देश्यों और कारणों के बयान से बल मिलता है:

" भारत का संविधान एक निदेशक सिद्धांत में निहित है
अनुच्छेद 45 में, मुफ्त और अनिवार्य के लिए एक प्रावधान किया गया है

चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा

संविधान की घोषणा के दस वर्षों के भीतर। गोद लेने के 50 साल बाद भी हम इस लक्षय को हासिल नहीं कर सके

इस आयु वर्ग के बच्चों ने गति प्राप्त की
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन. पी. ई.) 1986 में घोषित की गई थी। भारत सरकार के साथ साझेदारी में

राज्य सरकारों ने इस जनादेश को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किए हैं और हालांकि इसमें महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं।

विभिन्न शैक्षिक संकेतकों में देखा गया, अंतिम लक्षय

सार्वभौमिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना अभी भी अधूरा है। इस लक्षय को पूरा करने के लिए, यह महसूस किया जाता है कि एक स्पष्ट

संबंधित भाग में प्रावधान किया जाना चाहिए -

संविधान के मौलिक अधिकार।

1. स्वतंत्र और अनिवार्य अधिकार बनाने की दृष्टि से

शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, संविधान (अस्सी)

तीसरा संशोधन) विधेयक, 1997 में पेश किया गया था

संसद एक नया अनुच्छेद, अर्थात् अनुच्छेद 21 ए, शामिल करेगी
6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को पुरस्कार प्रदान करना।

नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। उक्त बिल

मानव संसाधन विकास पर संसद की स्थायी समिति द्वारा जांच की गई थी और विषय था

विधि आयोग द्वारा अपनी 165 वीं रिपोर्ट में भी इस पर विचार किया गया है।

भारत से।

2. कानून की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद

3. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है "
130. लेख "अंतिम लक्षय" की शुरुआत करना चाहता है।

सार्वभौमिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। (जोर दिया गया)। "शिक्षा" के भीतर निहित विचार यह है कि इसमें गुणवत्ता होगी।

प्रकृति। वर्तमान प्रदर्शन इंगित करता है कि बहुत सुधार हुआ है

इससे पहले कि हम "शिक्षा" को "गुणवत्ता" के साथ अर्हता प्राप्त करें, यह करने की आवश्यकता है। बेशक, उन बच्चों के लिए जो स्कूल से बाहर हैं, यहां तक कि सबसे अच्छे शिक्षा अप्रासंगिक होगी। यह बिना कहे चला जाता है कि सभी

छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल और शिक्षा में भाग लेना चाहिए।

प्रकृति में गुणवत्ता होनी चाहिए। इन दोनों लक्षयों को पूरा करने पर ही हम कह सकते हैं कि हमने इन लक्षयों का पूर्ण अनुपालन किया है। अनुच्छेद 21 ए।

131. हालांकि प्रगति हुई है, संसद की

अनुच्छेद 21 ए पारित होने पर अवलोकन अभी भी लागू होता है: सार्वभौमिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्षय अभी भी बना हुआ है।

अपूर्ण "।

क्या 93 वां संशोधन बुनियादी नियमों का उल्लंघन करता है?

3 .

लागू करके संविधान की संरचना
यू. आर. ए. डी. संस्थानों पर आरक्षण?

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 391

[दलवीर भंडारी, जे।]

132. गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों पर आरक्षण लागू करना उल्लंघन है

नागरिकों के 19 (1) (छ) व्यवसाय करने के अधिकार को समाप्त करके मूल संरचना। गैर-सहायता प्राप्त संस्थाएं, चाहे वे शैक्षिक हों

संस्थानों या निजी निगमों को विनियमित नहीं किया जा सकता है

गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए 93 वें संशोधन का संदर्भ आवश्यक है तोड़ दिया जाए।

133. इस मामले में किसी भी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान ने रिट याचिका दायर नहीं की।

यदि इस न्यायालय या प्रत्यर्थियों में से किसी को कोई आपत्ति होती, तो वे कर सकते थे

कार्यवाही के दौरान किसी भी समय इसे उठाया है। हम सुन रहे थे।

महीनों तक पार्टियों के लिए। हमें भारी मात्रा में लिखा गया

पक्षों से प्रस्तुतियाँ, फिर भी इस तथ्य के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गई कि किसी भी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान ने रिट दायर नहीं की थी

याचिका। जबकि हम आम तौर पर एक पक्ष को शामिल करते हैं यदि हमें लगता है कि विवाद के समाधान के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक थी,

इस मामले के तथ्य विचित्र हैं। देश के सर्वश्रेष्ठ वकील

संस्थान ने बहुत कुछ नहीं जोड़ा होगा यदि कुछ भी तर्कों का सार। सरकार संभवतः लक्षय बनाएगी

भविष्य में गैर-सहायता प्राप्त संस्थान। उस समय, इस न्यायालय के पास होगा

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या सहायता प्राप्त नहीं है, इस पूरे अभ्यास से गुजरने के लिए

संस्थान आरक्षण के अधीन होने चाहिए। इस तरह की कवायद

अनावश्यक रूप से और देरी होगी। लाखों की किस्मत

छात्रों और हजारों संस्थानों में बने रहेंगे

हवा। (देखिए: मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और

अन्य (1980) 3 एससीसी 625)। इसलिए, देखने के लिए

असाधारण तथ्य, मैंने इस पहलू के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है

व्यापक लोक हित में मामला।

वास्तव में मूल संरचना का उल्लंघन करता है, न्यायालय को प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है संभावित उल्लंघन वास्तविक हो सकता है। यह शुरू से ही पूरे संशोधन पर प्रहार कर सकता है। संभावित चौड़ाई का प्रश्न 392 था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

यह स्वीकार किया कि यह आम तौर पर संवैधानिक मुद्दों के उत्पन्न होने से पहले उनका अनुमान नहीं लगाता है, लेकिन यह माना गया कि परिस्थितियों की आवश्यकता है इसके तहत असंवैधानिक प्रावधानों को पारित किए जाने से पहले कार्य करना

असंवैधानिक संशोधन का अधिकार।

" 38. लेकिन, हमें प्रारंभिक स्थिति को बनाए रखना मुश्किल लगता है

आपत्ति क्योंकि, याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया प्रश्न संविधान की धारा 4 और 55 की संवैधानिकता के संबंध में

42 दूसरा संशोधन कोई अकादमिक या काल्पनिक नहीं है।

सवाल करते हैं। 42 वां संशोधन किसी के लिए भी है

संविधान के अनुच्छेद 31-सी और 368 में बनाया गया। अ. याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आदेश पारित किया गया है

उद्योगों की धारा 18-ए (विकास और विकास) विनियमन) अधिनियम, 1951, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता हैं

दुखी हैं "। " 39. इसके अलावा दो अन्य प्रासंगिक विचार हैं।

जिनसे निपटते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए

प्रारंभिक आपत्ति। कोई संवैधानिक या वैधानिक नहीं है

उनके सामने प्रश्नों के निर्णय के खिलाफ अवरोध

वास्तव में विचार के लिए उत्पन्न होता है। महत्व को देखते हुए

उठाए गए प्रश्न का और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि

कई याचिकाओं में यह सवाल उठाया गया है कि

सत्य का निपटारा करने के लिए न्याय के हित में समीचीन
स्थिति. दूसरा, हम जिसके साथ काम कर रहे हैं वह एक नहीं है

साधारण विधि जिसे पारित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है ताकि

यह कहा जा सकता है कि हमारे अधिकार क्षेत्र को लागू किया जा रहा है
काल्पनिक विचार जिसमें एक कानून पारित किया जा सकता है

भविष्य जो याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को नुकसान पहुंचाएगा। हम हैं।

एक संवैधानिक संशोधन से निपटना जो किया गया है

संचालन में लाया गया जो, अपने बल से, अनुमति देता है

पारित कानूनों के माध्यम से कुछ स्वतंत्रताओं का उल्लंघन
कुछ उद्देश्य। हम, इसलिए, प्रारंभिक को खारिज करते हैं

आपत्ति करें और द्वारा उठाए गए बिंदु को निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ें

याचिकाकर्ताओं "।

[जोर दिया गया] अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ

[दलवीर भंडारी, जे।]

चौड़ाई परीक्षण की एक सटीक परिभाषा नहीं है,

हालांकि। परीक्षण पूछता है कि क्या कोई संशोधन इतना व्यापक है कि प्रभावी रूप से

(वास्तविक या संभावित), यह संसद की संशोधन शक्ति से परे है। केशवानंद, पैरा 531-532: " लेकिन यह सच है।

चौड़ाई का आकलन करते समय परिणामों को ध्यान में रखा जा सकता है

शक्ति का निर्धारण हो जाता है। न्यायालय उन परिणामों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है जिनके कारण एक विशेष निर्माण हो सकता है।

केवल सामान्य कानून से विकसित लोगों के विपरीत। (देखिए: नागराज, पैरा 103)।

135. प्रारंभिक मामले के रूप में, उन मामलों की ओर मुड़ें जिनके द्वारा

मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया गया है। यह हो चुका है

इंदिरा गांधी चुनाव मामले ने इसे बरकरार रखा था, और मिनर्वा इसे पत्थर पर उत्कीर्ण किया। (देखिए: ग्रैनविल ऑस्टिन, "एक लोकतांत्रिक संविधान पर काम करना", पृष्ठ 506 पर]।

136. केशवानंद और उनकी संतानों का कहना है कि

संविधान में संशोधन से संविधान की मूल संरचना में बदलाव नहीं होना चाहिए। मूल संरचना के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुँचना

चुनौती, मैं निम्नलिखित सामान्य मानक का उपयोग करता हूँ: एक संशोधन मूल संरचना को बदल देता है यदि यह वास्तविक या संभावित है।

प्रभाव मूल संरचना के एक पहलू को इस हद तक नुकसान पहुंचाना होगा कि पहलू की मूल पहचान से समझौता किया जाए।

137. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कानून संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करता है और इस प्रकार अमान्य है, हम दो-चरणीय प्रभाव परीक्षण का उपयोग करते हैं। (प्रभाव या अधिकार परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है)। पहले चरण के लिए हमें आवश्यकता है

पहले यह पूछना कि क्या कानून मूल संरचना के किसी पहलू को प्रभावित करता है।

यदि ऐसा होता है, तो दूसरे चरण में हम पूछते हैं कि क्या संरचना के पहलू पर प्रभाव इस हद तक है कि पहलू मूल है।

पहचान बदल दी गई है। प्रभाव परीक्षण को लागू करना एक और तरीका है।

यह कहना कि संशोधन का रूप अप्रासंगिक है; यह है इसका परिणाम महत्वपूर्ण है। (देखिए: पैरा 532 में केशवंद और आई. आर. कोएल्हो बनाम। तमिलनाडु राज्य (2007) 2 एस. सी. सी. 1 निष्कर्ष पर (ii) पृष्ठ 111 पर)।

138. "एब्रिज" और "निरस्त" शब्द दिए गए हैं।

इस न्यायालय द्वारा स्वीकार्य और के बीच अंतर करने के लिए नियोजित

अस्वीकार्य कानून। चाहे कानून कम हो या निरस्त करना डिग्री का सवाल है। इन शब्दों का उपयोग करना एक और बात है

यह पूछने का तरीका कि क्या कानून का ऐसा प्रभाव था कि यह

संविधान की मूल संरचना को बदल दिया। यदि कानून

संशोधन करके मौलिक अधिकारों को छीन या नष्ट कर सकता है संविधान, बशर्ते कि मूल संरचना में बदलाव नहीं किया गया हो।

139. यदि यह मूल संरचना को निरस्त कर देता है, तो संरचना और इस प्रकार संविधान अपनी पहचान खो देता है। कानून बनना चाहिए।

गिरा दिया जाए। यह मामला-दर-मामला आधार पर निर्धारित किया जाता है - प्रभाव परीक्षण (प्रभाव/अधिकार परीक्षण) को लागू करना। (देखू: कोहलो)। आई.

आगे ध्यान दें कि मौलिक अधिकारों का कुल अभाव, यहां तक कि

एक सीमित क्षेत्र में, बुनियादी को निरस्त करने के बराबर हो सकता है संरचना। (देखिए: मिनर्वा मिल्स, पैरा 59)।

पहला कदम: क्या अनुच्छेद 15 (5) किसी पहलू को प्रभावित करता है? बुनियादी संरचना?

140. तत्काल मामले में, अनुच्छेद 15 (5) स्पष्ट रूप से निषेध करता है।

अनुच्छेद 19 (1) (छ) का अनुप्रयोग। जब भी आरक्षण होता है

अनुच्छेद 15 (5) के तहत लागू, नागरिकों से उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं

अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत मौलिक अधिकार। अनुच्छेद को हटाकर

19 (1) (छ), अनुच्छेद 15 (5) स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 19 (1) (छ) को प्रभावित करता है, एक पहलू

संविधान की मूल संरचना। इसलिए पहला कदम है

साफ कर दिया। इसके अलावा, अनुच्छेद 19 (1) (जी) स्वर्ण त्रिकोण से संबंधित है-अनुच्छेद 14,19 और 21 तीन मौलिक अधिकार हैं।

जो बाकी से ऊपर है। मिनर्वा मिल्स में बहुमत के लिए लिखते हुए, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ स्वर्ण त्रिकोण को हमले से बचाने के लिए एक स्पष्ट औचित्य प्रदान करते हैं। अधिक प्राप्त करने के लिए

समतावादी समाज, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए:

" मिनर्वा मिल्स का पैरा 74: हमारे तीन लेख

संविधान, और केवल तीन, स्वर्ग के बीच खड़े हैं

स्वतंत्रता जिसमें टैगोर चाहते थे कि उनका देश जागृत हो

और अनियंत्रित शक्ति का रसातल।

वे हैं लेख अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 395

[दलवीर भंडारी, जे।]

14 , 19 और 21. अनुच्छेद 31 सी ने इसके दो पक्षों को हटा दिया है।

मूल अधिकारों के अनुशासन के माध्यम से एक समतावादी युग की शुरुआत करके प्रस्तावना का प्रदर्शन किया जाएगा, अर्थात,
स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों के उन्मूलन के बिना

जो अकेले ही देश की गरिमा को बनाए रखने में मदद कर सकता है।

व्यक्तिगत "।

141. स्वर्णिम त्रिभुज का महत्व स्पष्ट हो जाता है

जब हम विचार करते हैं कि सरकार अनुच्छेद 14 को निलंबित कर सकती है और

19 आपात स्थिति को लागू करने के अधिकार। (देखिए: लेख 358 और 359) (44 वें संशोधन से पहले, सभी भाग I अधिकार

आपातकाल के दौरान कम किया जा सकता है; यह संशोधन रोकता है

आपातकाल के दौरान नागरिकों को अनुच्छेद 20 और 21 से वंचित करने से राज्य)। एक मायने में लोकतंत्र तभी बहाल होता है जब

त्रिभुज नागरिकों को वापस कर दिया जाता है। त्रिभुज के बिना, लोकतंत्र असंभव है:

" पैरा 63. प्रत्येक राज्य लक्षय उन्मुख है और इसका दावा करता है -

अपने लोगों के कल्याण को सुरक्षित करने का प्रयास करें। यह अंतर सरकार के विभिन्न रूपों में शामिल हैं -

कि एक वास्तविक लोकतंत्र मौलिक स्वतंत्रताओं के अनुशासन के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा

जैसे अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त। वे हैं।

लोकतंत्र असंभव है और इसलिए जो होना चाहिए हर कीमत पर सुरक्षित रहें। इसके अलावा, जैसा कि ब्रांडीज, जे. द्वारा देखा गया है, स्वतंत्रता की रक्षा करने की आवश्यकता सबसे बड़ी है।

जब सरकार के उद्देश्य लाभकारी हों। अगर

अनुच्छेद 14 का अनुशासन वापस ले लिया गया है और यदि इससे प्रतिरक्षा है

उस अनुच्छेद का संचालन प्रदान किया जाता है, न केवल

संसद द्वारा पारित कानून लेकिन राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों पर भी, राजनीतिक दबाव

संख्यात्मक रूप से बड़े समूहों द्वारा प्रयोग देश को चीर सकता है
इसे चुनने और चुनने के लिए विधायिका पर छोड़ते हुए

वरीयता के लिए पसंदीदा क्षेत्र और पसंदीदा वर्ग
इलाज। "396

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

142. संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ब्रांडेस का शब्द

सावधानी आज के विवाद के लिए प्रासंगिक है जिसमें सरकार

हमारे जवाब के रूप में उच्च शिक्षा में आरक्षण गरीबी और जाति की उम्र-पुरानी
समस्याएं। पहली नज़र में यह शर्मनाक लगता है।

मानो उच्च शिक्षा में आरक्षण से पिछड़े लोगों को मदद मिलेगी। स्वयं की सहायता करें।
शिक्षा से गरीबी से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त होता है।

हालाँकि, "शैतान विवरण है"। प्राथमिक स्वतंत्रता के साथ

लाइन, मुझे उन विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए।

143. अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार लंबे समय से है

एक प्राकृतिक और अविभाज्य अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है जो सभी का है

मुख्य न्यायाधीश सीकरी केशवानंद में निम्नलिखित अंश का हवाला देते हैं - पैरा
300 में:

" वह अनुच्छेद (अनुच्छेद 19) कुछ स्वतंत्रताओं की गणना करता है।

"स्वतंत्रता का अधिकार" शीर्षक के तहत और उन लोगों से संबंधित है

महान और बुनियादी अधिकार जो मान्यता प्राप्त हैं और

की स्थिति में निहित प्राकृतिक अधिकारों के रूप में गारंटीकृत

एक स्वतंत्र देश का नागरिक "। (पतंजलि शास्त्री, सी. जे., के अनुसार

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। सुबोध गोपाल बोस [1954] एस. सी. आर.

587 , 596) . "

144. खतरे में मौलिक अधिकारों के साथ, मैं समीक्षा करूँगा

अदालतों को समीक्षा करने से रोक दिया कि क्या अनुच्छेद के तहत कोई कानून है
39 (ख) या (ग) उस नीति को बढ़ावा दिया जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया था। यह

मूल संरचना का उल्लंघन किया। अनुच्छेद 31 सी द्वारा प्रस्तुत किया गया था
25 संशोधन।

145. इंदिरा नेहरू गाँधी बनाम। राज नारायण और एक अन्य

(1975) मान लीजिए कि एस. सी. सी. 1, न्यायालय ने अनुच्छेद 329 ए (4) को
उल्लंघनकारी करार दिया।

मूल संरचना। इस प्रावधान ने न्यायपालिका पर अतिक्रमण करते हुए चुनाव कानूनों पर
निर्णय लेने की अदालत की शक्ति को विनियोजित किया।

शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन।

न्यायमूर्ति मैथ्यू का अशोक कुमार ठाकुर बनाम देखें। भारत और ओआरएस का संघ

[दलवीर भंडारी, जे।]

पैरा 325 पर राय। इसे 39 वें संशोधन द्वारा पेश किया गया था।

मिनर्वा मिल्स में, न्यायालय ने 42 वीं की धारा 4 और 55 का निर्णय लिया।

मूल संरचना के उल्लंघन में संशोधन। धारा 4 में 31 सी का विस्तार करने की मांग की गई ताकि
निर्देश को प्रभावी बनाने वाले सभी कानून लागू किए जा सकें।

सिद्धांत, न केवल वे जो अनुच्छेद 39 (बी) को बढ़ावा देना चाहते हैं या

(ग), अनुच्छेद 14 या 19 की चुनौती से मुक्त होगा। अनुभाग

55 संवैधानिक न्यायिक समीक्षा पर रोक लगा दी होगी

संशोधन।

146. पी. संबमूर्ति बनाम। एपी राज्य (1987) 1 एससीसी

362 , न्यायालय ने अनुच्छेद 371-डी (5) को अमान्य कर दिया, यह पाते हुए कि संसद ने कानून के शासन का उल्लंघन किया था और इसके परिणामस्वरूप

बुनियादी संरचना, उच्च न्यायालय से न्यायिक समीक्षा को हटाकर

और इसे एक पक्ष के हाथों में रखना-राज्य

सरकार। एल. चंद्र कुमार बनाम। भारत संघ (1997) 3

एस. सी. सी. 261, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 323 ए-2 डी और 323 बी-3 डी

उन्होंने मूल संरचना का उल्लंघन किया कि उन्होंने न्यायिक समीक्षा को हटा दिया

क्रमशः अनुच्छेद 226/227 और 32 के अधीन उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के। इन लेखों को 42 वें द्वारा पेश किया गया था

संसद या राज्य को सशक्त बनाने के लिए संशोधन

विभिन्न मूल क्षेत्रों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए विधानमंडल

कानून के बारे में: कर, श्रम, अपराधी आदि।

147. इन मामलों से दो व्यापक विषय सामने आते हैं। कब

न्यायिक समीक्षा वर्जित है, लोकतंत्र वाष्पित हो जाता है। और कहाँ?

मौलिक अधिकार दांव पर हैं, उनके साथ सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए।

निदेशक सिद्धांतों के अधीन नहीं किया गया। 42 वें संशोधन की धारा 4 और 55 विशेष रूप से घोर उल्लंघन थे।

मूल संरचना। अगर धारा 4 को बरकरार रखा जाता, तो नागरिकों के मौलिक अधिकार एक निकाय की दया पर होते। सरकार का "। अगर सरकारों पर हमेशा भरोसा किया जा सकता होता, तो मौलिक अधिकारों की कोई आवश्यकता नहीं होती। श्री.

पालखीवाला केशवानंद में मौखिक बहस में विद्वान श्री एच. एम. सीरवई का हवाला देते हुए, जो उस में वकील का विरोध कर रहे थे

मामला। श्री पालखीवाला सीरवई, एच. एम. से पढ़ रहे थे, "मौलिक अधिकार: ए बेसिक इश्यू ", तीन भागों में प्रकाशित

टाइम्स ऑफ इंडिया में किश्तें, 14,15,16 फरवरी 1955

(देखिए: ग्रैनविल ऑस्टिन "वर्किंग ए 398" में पृष्ठों 263-264 पर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

लोकतांत्रिक संविधान ")

148. सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता; यही कारण है कि

हम इसकी शक्तियों को अलग-अलग अंगों में विभाजित करते हैं। यदि इस पर भरोसा किया जा सकता है, तो सह-समान शाखाओं की कोई आवश्यकता नहीं होगी जिसमें शक्ति हो।

साझा किया जाता है। शक्तियों का पृथक्करण लोकतंत्र का एक स्वयंसिद्ध सिद्धांत है।

149. यदि 42 वें संशोधन की धारा 55 को बरकरार रखा गया होता,

संविधान की मूल संरचना को नष्ट किया जा सकता था

एक एकल कट द्वारा। भविष्य में संवैधानिक संशोधन नहीं होंगे।

समीक्षा की गई है। विवादित संशोधन बल्कि दिखता है

42 वें संशोधन द्वारा किए गए नुकसान की तुलना में हल्का। विवादित कानून एक को सीमित करता है एक सीमित परिस्थिति में मौलिक अधिकार। फिर भी एक संशोधन 42 वें संशोधन की तरह निंदनीय होने की आवश्यकता नहीं है।

हमारे लिए इसे अमान्य करने के लिए। यदि मानक इतने उच्च थे, तो संशोधन करें।

मूल संरचना या सार को नष्ट कर सकता है

संविधान में एक हजार कटौती।

150. केशवानंद के समय से, कई संशोधन किए गए हैं

पारित किया गया है और बुनियादी के तहत कई चुनौतियों

संरचना बनाई गई है। इस न्यायालय ने सावधानी बरती है और

सिद्धांत का उपयोग करने से परहेज किया है, भले ही यह हो सकता है

उचित ठहराया गया। उदाहरण के लिए, किहोतो में मूल संरचना के उल्लंघन के रूप में पूरी 10 वीं अनुसूची पर प्रहार करने के लिए आधार थे।

होल्लोहन बनाम ज़चिल्लू और अन्य 1992 पूरक (2) एस. सी. सी. 651।

बुनियादी संरचना का सहारा लेने के बजाय, इस न्यायालय ने एक प्रक्रियात्मक आधार पर संकीर्ण निर्णय। (देखिए: एस पी साठे, न्यायिक

भारत में सक्रियता: सीमाओं का उल्लंघन और सीमाओं को लागू करना,

2 एन. डी. ई. एन. , 2002 (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस) पृष्ठ 92-93)। न्यायालय ने 10 वीं अनुसूची को बरकरार रखा, केवल उसी से एक पैराग्राफ को अलग किया। मैं इस बात से सहमत हूं कि बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।

मूल संरचना सिद्धांत को लागू करने से पहले लिया गया। द.

उल्लंघन को वास्तव में मूल संरचना को निरस्त करना चाहिए। कुछ भी छोटा

इस मानक को बरकरार रखा जाना चाहिए-लोगों की इच्छा, के माध्यम से

उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों ने सुना।

151. इस तरह का निर्धारण करने से पहले, दो ऐतिहासिक मामलों के फैसलों पर संक्षिप्त रूप से पुनर्विचार करना विवेकपूर्ण है:

पी. ए. इनामदार अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 399

[दलवीर भंडारी, जे।]

& अन्य वी। महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2005) 6 एस. सी. सी.

537 ; टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य

& अन्य (2002) 8 एससीसी 481। इनामदार (ऊपर) में, पैरा 26

27 (सात-न्यायाधीश पीठ), गैर-सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक) पेशेवर संस्थानों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करने के लिए याचिकाएं दायर की हैं,

क्या राज्य गैर-सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक) लोगों पर आरक्षण लागू कर सकता है

और गैर-अल्पसंख्यक) संस्थान। सात न्यायाधीशों की एक पीठ थी इसका गठन इस तरह से किया गया कि इस्लामी अकादमी ने पाई का स्पष्टीकरण दिया

समीक्षा की जा सकती है। इस्लामी अकादमी पाँच न्यायाधीशों की पीठ थी। यह देखते हुए कि पाई ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ थी, इनामदार कर सकते थे

स्पष्ट करें लेकिन पाई को खारिज न करें।

152. पैरा 124 में इनामदार ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता।

गैर-सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक) पर आरक्षण लागू करना। संस्थाएं। ऐसा करने से पाई के विपरीत सीटों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा।

(देखें पैरा 125 पर इनामदार)। उक्ति में, पाई ने सुझाव दिया कि

राज्य गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों को एक उचित स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकता है

आरक्षण के माध्यम से छात्रों का प्रतिशत। (पाई, पैरा 68)। इनामदार

इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि पाई को इस अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए कि

राज्य और गैर-सहायता प्राप्त संस्थान सहमति में प्रवेश कर सकते हैं

आरक्षण के संबंध में समझौता। (देखिए: पैरा 126 पर इनामदार)। गैर-सहायता प्राप्त संस्थान (अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक) के रूप में प्रवेश कर सकते हैं

वे चुनते हैं, बशर्ते उनकी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी, गैर -

शोषणकारी और योग्यता-आधारित। इनामदार ने कहा:

" 124 : जहाँ तक राज्य द्वारा आरक्षण के विनियोग और उसकी आरक्षण नीति के प्रवर्तन का संबंध है, हम ऐसा करते हैं।

गैर-अल्पसंख्यक और के बीच बहुत अंतर नहीं देखते हैं

अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान। हम याचिकाकर्ताओं की ओर से किए गए निवेदन में बहुत ताकत पाते हैं।

कि राज्यों के पास सीट बंटवारे पर जोर देने की कोई शक्ति नहीं है
प्रबंधन और प्रबंधन के बीच सीटों का कोटा तय करके गैर-सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान

राज्य। राज्य निजी पर जोर नहीं दे सकता है।

ऐसे शैक्षणिक संस्थान जिन्हें कोई सहायता नहीं मिलती है

राज्य कम प्रतिशत अंकों पर प्रवेश देने के लिए आरक्षण पर राज्य की नीति को लागू करेगा,

अर्थात योग्यता को छोड़कर किसी भी मानदंड पर।

125. हमारी समझ के अनुसार, न ही के निर्णय में

केरल शिक्षा विधेयक, जिसे पाई ने मंजूरी दी थी
नींव, कुछ भी है जो राज्य को अनुमति देगा

गैर-सहायता प्राप्त में प्रवेश को विनियमित या नियंत्रित करना
व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान ताकि उन्हें मजबूर किया जा सके

उपलब्ध सीटों का एक हिस्सा उम्मीदवारों को देना।

राज्य द्वारा चुना गया, जैसे कि यह उपलब्ध सीटों को भर रहा हो

ऐसे निजी संस्थानों में अपने विवेकाधिकार पर भरा जाना।

यह सीटों के राष्ट्रीयकरण के बराबर होगा जो
पाई फाउंडेशन में विशेष रूप से अस्वीकृत किया गया है।

निजी व्यावसायिक शिक्षा की स्वायत्तता
संस्थाएं।

सीटों का ऐसा विनियोग भी नहीं किया जा सकता है

अनुच्छेद 30 (1) के अर्थ के भीतर या एक उचित
अनुच्छेद 19 (6) के अर्थ के भीतर प्रतिबंध

जो शैक्षणिक संस्थान बेहतर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का इरादा रखते हैं, उन्हें राज्य द्वारा मजबूर नहीं किया जा सकता है
कम मेधावी उम्मीदवारों को आरक्षण नीति के आधार पर प्रवेश उपलब्ध कराना। बिना सहायता के।

संस्थान, क्योंकि वे कोई सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं
यदि निष्पक्ष, पारदर्शी, गैर-शोषक और योग्यता के आधार पर हो तो राज्य निधियों के अपने प्रवेश हो सकते हैं।

इस हद तक कि इस्लामी अकादमी ने गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में कोटा को मंजूरी दी थी, एक ऐसी योजना जिसमें राज्य प्रबंधन और के बीच सीट बंटवारे के लिए कोटा तय कर सकता है

राज्य, इस्लामी को खारिज कर दिया गया था। [पैरा 130 पर इनामदार]

153. टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर) पैरा 2 (ग्यारह) में

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 401

[दलवीर भंडारी, जे।]

न्यायाधीश पीठ), निजी शैक्षणिक संस्थान, सहायता प्राप्त और

उनके अधिकारों को बाधित करने वाले नियमों को चुनौती देने के लिए गैर-सहायता प्राप्त, दायर रिट याचिकाएं। वे स्थापना और प्रशासन करना चाहते थे।

शैक्षणिक संस्थान, सरकारी हस्तक्षेप से अछूते।

[पैरा 2]। अनुच्छेद 29 (2) और 30 (1) को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ते हुए, छह

न्यायाधीशों के बहुमत ने माना कि (1) गैर-सहायता प्राप्त संस्थान स्वीकार कर सकते हैं छात्र सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त, जब तक कि उनके

प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी और योग्यता आधारित थी; (2)

अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त संस्थान अभी भी अपने छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं,

गैर-अल्पसंख्यकों की एक उचित संख्या को स्वीकार करने पर आकस्मिक राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रतिशत के अनुसार छात्र।

154. हमारे उद्देश्यों के लिए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शिक्षा

19 (1) (छ) के अंतर्गत "व्यवसाय" के अर्थ के अंतर्गत आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इस रूप में कार्यरत हैं

शिक्षक और प्रशासनिक कर्मचारी। उनके लिए शिक्षा एक

पेशा। पाई ने कहा:

" 20 : " अनुच्छेद 19 (1) (जी) में चार अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है, अर्थात्।, पेशा, पेशा, व्यापार और व्यवसाय। उनके क्षेत्र ओवरलैप हो सकते हैं, लेकिन उनमें से प्रत्येक में इसकी सामग्री होती है

अपने आप में। शिक्षा को स्वयं एक ऐसी गतिविधि माना जाता है जो

चमरबागवाला, अब तक शिक्षा नहीं मिली है।
इसे एक ऐसे व्यापार या व्यवसाय के रूप में माना जाता है जिसका उद्देश्य लाभ है।

भले ही इस बारे में कोई संदेह हो कि क्या शिक्षा एक है

पेशा हो या न हो, ऐसा लगता है कि शिक्षा गिर जाएगी।

"व्यवसाय" अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर। अनुच्छेद 19 (1) (जी) चार अभिव्यक्तियों का उपयोग करता है ताकि सभी को शामिल किया जा सके।
एक नागरिक की गतिविधियाँ जिनके संबंध में आय या लाभ उत्पन्न होता है, और जिन्हें परिणामस्वरूप विनियमित किया जा सकता है

अनुच्छेद 19 (6) के तहत।

25 एक शैक्षिक संस्थान की स्थापना और संचालन
संस्थान जहाँ बड़ी संख्या में लोग कार्यरत हैं

शिक्षकों या प्रशासनिक कर्मचारियों के रूप में, और एक गतिविधि है

उस परिणाम पर ज्ञान प्रदान करने के लिए

छात्रों को अनिवार्य रूप से एक सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट माना जाना चाहिए।

402

[2008] 4 एस सी आर।

व्यवसाय, भले ही लाभ का कोई तत्व न हो

पीढ़ी। यह समझना मुश्किल है कि शिक्षा,

प्रति से, में चार अभिव्यक्तियों में से किसी के तहत नहीं आएगा

अनुच्छेद 19 (1) (जी) "। व्यवसाय "एक गतिविधि होगी

आजीविका के साधन या एक मिशन के रूप में लिया गया व्यक्ति
जीवन में। ..... "

[जोर दिया गया]

155. निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों से उनका अधिकार छीनना

चयनित छात्र अनुचित होंगे:

" पैरा 40: छात्र चयन की कोई भी प्रणाली होगी

यदि यह निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान को वंचित करता है तो अनुचित है
तर्कसंगत चयन के अधिकार का, जिसे उसने अपने लिए तैयार किया था,

न्यूनतम योग्यता के अधीन जो हो सकती है

विभिन्न प्रकार की योग्यताओं के बीच समानता, जैसे
एक सामान्य प्रवेश परीक्षा। चयन की ऐसी प्रणाली कर सकती है

चयन के लिए लिखित और मौखिक दोनों परीक्षण शामिल हैं, जिनके आधार पर
निष्पक्षता का सिद्धांत "।

156. तत्काल मामले में अनुच्छेद 15 (5) की तरह, उन्नी कृष्णन

प्रभावी रूप से राष्ट्रीयकृत शिक्षा। पाई ने उन्नी को पलट दिया

कृष्णन। (देखिए: पैरा 45)।

" 38 : उन्नी कृष्णन के मामले में योजना का प्रभाव पड़ता है
महत्वपूर्ण विषयों में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण

विशेषताएँ, अर्थात। , एक निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान का अधिकार

प्रवेश दें और शुल्क तय करें। इस योजना को तैयार करके,

जिसके कारण राज्य सरकारों ने कानून बनाया है

इस योजना के अनुरूप निजी संस्थान हैं

सरकारी संस्थानों से अप्रभेद्य;

अधिकार की सभी आवश्यक विशेषताओं को कम करना

निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन
इसे न तो उचित और न ही उचित कहा जा सकता है।

157. पाई ने संस्थानों की स्वायत्तता का पता लगाया

चित्रलेखा और राजेंद्रन। प्रस्ताव सरल है: वह जो

संस्थान को धन देना या चलाना छात्रों का चयन करने का अधिकार रखता है।

[दलवीर भंडारी, जे।]

राज्य इन संस्थानों से इस अधिकार को कम करने के लिए नहीं कह सकता है।

संबद्धता/मान्यता के लिए मांग। प्रासंगिक परिच्छेद हैं -

यहाँ नीचे प्रस्तुत किया गया है:

" 36 : निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान प्रदान करते हैं

शिक्षा, और यह छीनने का कारण नहीं हो सकता है

अन्य बातों के साथ-साथ छात्रों के चयन के मामलों में उनकी पसंद

और शुल्क का निर्धारण। प्रत्येक संस्थान के लिए संबद्धता और मान्यता उपलब्ध होनी चाहिए जो शर्तों को पूरा करती है

ऐसी संबद्धता और मान्यता का अनुदान। निजी

संस्थान यह प्रस्तुत करने में सही हैं कि वे इसके लिए खुले नहीं हैं

न्यायालय इस बात पर जोर देता है कि सांविधिक प्राधिकरणों को लागू करना चाहिए

अनुदान के लिए एक शर्त के रूप में योजना की शर्तें

संबद्धता या मान्यता; यह पूरी तरह से नष्ट कर देता है

संस्थागत स्वायत्तता और इसका उद्देश्य संस्थान की स्थापना।

42. आर. चित्रलेखा और अन्र में। वी. मैसूर राज्य और

ओआरएस। [उद्धरण हटा दिया गया], एक की वैधता पर विचार करते हुए

सरकारी चिकित्सा में प्रवेश के लिए वाइवा-वॉयस टेस्ट

कॉलेज, यह पृष्ठ 380 पर देखा गया था कि कॉलेज द्वारा संचालित

सरकार, वित्तीय प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए

और अन्य प्रासंगिक विचार, केवल एक स्वीकार करेंगे छात्रों की विशिष्ट संख्या। इसने एक विधि तैयार की थी

प्रवेश के लिए आवेदकों की जांच करना। सँभालते समय

इस प्रकार जारी आदेश में यह देखा गया कि "एक बार यह

स्वीकार किया, और यह हमारे सामने विवादित नहीं है, कि राज्य

सरकार मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज चला सकती है,

ऐसे योग्य को स्वीकार करने की शक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है। छात्र इसके द्वारा निर्धारित उचित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं।

यह एक ऐसी शक्ति है जो एक कॉलेज के प्रत्येक निजी मालिक के पास होगी, और सरकार जो अपने स्वयं के कॉलेज चलाती है

उस शक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है।" (पाई द्वारा जोड़े गए इटैलिक; अंडरस्कोर मेरा है)। 43. पुनः, माइनर पी. राजेंद्रन बनाम। मद्रास राज्य और अन्य, पृष्ठ 795 पर यह देखा गया था कि "जहां तक प्रवेश का संबंध है, यह उन लोगों द्वारा किया जाना चाहिए जो न्यायालय की रिपोर्ट को सर्वोच्च करते हैं।

महाविद्यालयों के नियंत्रण में हैं, और इस मामले में
सरकार, क्योंकि मेडिकल कॉलेज हैं

विश्वविद्यालय से संबद्ध सरकारी महाविद्यालय। इनमें

परिस्थितियों में, सरकार को व्यवस्था करने का अधिकार था

इसके द्वारा नियंत्रित मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नियम
पात्रता के रूप में विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन और

योग्यताएँ "। उपरोक्त टिप्पणियाँ स्पष्ट रूप से

महाविद्यालयों के लिए नियम बनाने के अधिकार को रेखांकित करना
प्रवेश और छात्रों को प्रवेश देना। एकमात्र आवश्यकता या

नियंत्रण यह है कि प्रवेश के लिए नियम इसके अधीन होने चाहिए

पात्रता के बारे में विश्वविद्यालय के नियम और

योग्यताएँ। अदालत ने यह नहीं कहा कि विश्वविद्यालय

जिस तरह से छात्रों को होना था वह प्रदान कर सकता था

चुना गया।

61. गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के मामले में, अधिकतम
नियुक्ति के अधिकार सहित प्रशासन के संबंध में स्वायत्तता प्रबंधन के पास होनी चाहिए।

अनुशासनात्मक शक्तियाँ, छात्रों का प्रवेश और शुल्क

आरोप लगाने के लिए "।

158. गैर-सहायता प्राप्त संस्थान अपने छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं

चयन, एक उद्देश्यपूर्ण और तर्कसंगत प्रक्रिया के अधीन

समाज के कमजोर वर्गों को अनुदान देकर अनुभाग फ्रीशिप या छात्रवृत्ति, यदि द्वारा
प्रदान नहीं की जाती है

सरकार। [देखिए: पैरा 53 पर पाई]। पारदर्शी और

उचित चयन प्रक्रिया, इसे परिभाषित करना संस्थान पर निर्भर करता है " योग्यता
"अपने स्वयं के मूल्यों के अनुसार। पाई ने कहा:

इसकी स्थापना इसके संकाय और छात्रों की गुणवत्ता और कॉलेजों को दी जाने वाली
शैक्षिक और अन्य सुविधाओं द्वारा की गई है।
प्रस्ताव दें। निजी शैक्षणिक संस्थानों का अपना एक व्यक्तित्व होता है, और उन्हें बनाए रखने के
लिए

माहौल और परंपराएं, यह आवश्यक है कि उन्हें छात्रों को चुनने और चुनने का
अधिकार होना चाहिए

जिन्हें उनके अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जा सकता है।

यदि अशोक कुमार ठाकुर बनाम के लिए है। भारत और ओआरएस का संघ। 405

[दलवीर भंडारी, जे।]

यही कारण है कि सेंट स्टीफन कॉलेज मामले में, इस न्यायालय ने उस योजना को बरकरार रखा जिसके तहत एक कट-ऑफ प्रतिशत था।
प्रवेश के लिए तय किया गया था, जिसके बाद छात्र थे

साक्षात्कार लिया गया और उसके बाद चुना गया। जबकि एक शिक्षाविद संस्थान अपनी सनक पर प्रवेश नहीं दे सकता है,

और कुछ पहचान योग्य या उचित का पालन करना चाहिए

उन उम्मीदवारों को अस्वीकार करें जो अन्यथा योग्य हो सकते हैं
एक प्रवेश परीक्षा में उनके प्रदर्शन के अनुसार,

अनुच्छेद 19 (6) के तहत एक अनुचित प्रतिबंध होगा,

हालांकि उचित दिशानिर्देश/तौर-तरीके हो सकते हैं
प्रवेश परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से आयोजित करने के लिए निर्धारित।

यहां तक कि जब छात्रों का चयन करने की आवश्यकता होती है

योग्यता के आधार पर, प्रवेश देने का अंतिम निर्णय

जो छात्र अन्यथा अनुदान के लिए अर्हता प्राप्त कर चुके हैं

प्रवेश शैक्षणिक संस्थान पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

चिंतित हैं। हालांकि, जब संस्थान इस तरह से अस्वीकार करता है

छात्रों, इस तरह की अस्वीकृति सनकी या के लिए नहीं होनी चाहिए

बाहरी कारण "।

159. न्यायालय उचित और उचित के बीच अंतर करता है

किसी संस्थान की स्वायत्तता का केंद्र। नियम जो हड़ताल करते हैंस्वायत्तता का मूल अनुचित है।
उदाहरण के लिए, निर्धारित करना

शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता एक उचित विनियमन है;

वास्तव में शिक्षकों का चयन करना नहीं है।

* 55 . लेकिन एक निजी शैक्षणिक संस्थान का सार है

स्वायत्तता जो संस्था के पास होनी चाहिए

प्रबंधन और प्रशासन। वहाँ, अनिवार्य रूप से, निजी गैर-सहायता प्राप्त प्रशासन में अंतर होना चाहिए।

संस्थान और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान।

जबकि बाद के मामले में, सरकार के पास होगा

प्रशासन में अधिक कहना, प्रवेश सहित
और निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों के मामले में शुल्क का निर्धारण,

दैनिक प्रशासन में अधिकतम स्वायत्तता निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों के पास होनी चाहिए। नौकरशाही या 406

ऐसी संस्था के प्रशासन में सरकारी हस्तक्षेप इसकी स्वतंत्रता को कमजोर कर देगा। जबकि एक शैक्षणिक संस्थान एक
व्यवसाय नहीं है, ताकि

किसी भी निजी संस्था की तरह किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान को दी जा सकने वाली स्वतंत्रता की डिग्री की जांच करें।

जो सरकार से सहायता या सहायता नहीं मांगता है,

और जो इसके द्वारा उत्पन्न निधियों के आधार पर मौजूद है,

इसके ऋण या उधार सहित, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रबंधन के आवश्यक तत्व

निजी संस्थान में भर्ती करने वाले छात्र और कर्मचारी शामिल हैं।

और शुल्क की मात्रा जो ली जानी है।

160. एक ही तर्क को समान शब्दों में तैयार किया गया था

सेंट स्टीफन कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय, 1992 (1) एससीसी 558. उस मामले में, न्यायालय ने इन आधार पर नियमों को अलग किया -

चाहे वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रबंधन को प्रभावित करते हों। वे। कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित प्रबंधन उचित था; जो

संस्थान के प्रबंधन पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ा। [पाई।

पैरा 125 पर]।

161. सेंट स्टीफंस में, इस न्यायालय ने पहले का उल्लेख किया

निर्णय, और पृष्ठ 596, पैराग्राफ 54 पर देखे गए अनुच्छेद 30 (1) के संबंध में, निम्नानुसार:

लेकिन शिक्षा के मानक इसका हिस्सा नहीं हैं

प्रबंधन इस तरह से। मानक शरीर से संबंधित है।

राजनीतिक और के विचारों द्वारा शासित है
देश और उसके लोगों की प्रगति। इस तरह

संबद्ध मामले "। 162.
एक बार जब कोई निजी संस्थान (गैर-अल्पसंख्यक) सहायता लेता है, तो यह

(1) आरक्षण और (2) प्रशासन के विनियमन के अधीन है। और संस्था का रखरखाव। पाई ने कहा:

" 71 : " पेशेवर संस्थानों को सहायता देते समय, यह
आशा कुमार ठाकुर बनाम द्वारा विहित करने के लिए सहायता देने वाले प्राधिकारी के लिए अनुज्ञेय होगा।

भारत और ओआरएस का संघ।

407

[दलवीर भंडारी, जे।]

नियम या विनियम, जिनके आधार पर शर्तें

विभिन्न सहायता प्राप्त कॉलेजों में प्रवेश दिया जाएगा

योग्यता के आधार पर, आरक्षण नीति के साथ

राज्य,।

प्रशासन के मामले में स्वतंत्रता और
संस्थान का प्रबंधन। राज्य, जो सहायता देता है

एक शैक्षणिक संस्थान के लिए, ऐसी शर्तें लागू कर सकते हैं

उच्च के उचित रखरखाव के लिए आवश्यक हैं
वित्तीय बोझ के रूप में शिक्षा के मानकों को साझा किया जाता है

राज्य द्वारा। ..... "

163. अब मैं पूछता हूं कि क्या संसद अनुच्छेद को विषय बना सकती है।

19 (1) (छ) अनुच्छेद 15 (5) तक, जब इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि आरक्षण

गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में एक अनुचित प्रतिबंध है जिसे अनुच्छेद 19 (6) द्वारा बचाया नहीं जा सकता है।

164. मैं इस सवाल का जवाब हां में देता हूं। संरचना

हमारा संविधान मौलिक अधिकारों की अनुमति देता है, और यहाँ तक कि

अनुच्छेद 14,19 और 21 के स्वर्ण त्रिकोण को संक्षिप्त किया जाएगा

सीमित परिस्थितियाँ। यह कहना कि अनुच्छेद 19 (1) (छ) विषयगत है। 15 (5)
मूल संरचना का उल्लंघन करता है प्रति स्वयं को अनदेखा करना है

ऐसे उदाहरण जिनमें सबसे बुनियादी अधिकार सीमित हैं।

अनुच्छेद 16 (4) 16 (1) में औपचारिक समानता के अधिकार को स्पष्ट रूप से सीमित करता है।

अनुच्छेद 14 का एक विशिष्ट पहलू। इस संदर्भ में, अनुच्छेद 16 (4) निहित रूप से

अनुच्छेद 14 में औपचारिक समानता के सामान्य अधिकार को सीमित करता है। अधिकार।
समानता को 15 (1) में नकारात्मक रूप में व्यक्त किया गया है: राज्य करेगा

धर्म, नस्ल, जाति आदि के आधार पर भेदभाव न करें। अन्य में

शब्दों में, राज्य विभिन्न धर्मों, जातियों के नागरिकों के साथ व्यवहार करेगा

और जातियाँ समान रूप से। अनुच्छेद 16 (4) की तरह, अनुच्छेद 15 (4) 15 (1) को सीमित करता है।

अनुच्छेद 14 का एक अन्य पहलू औपचारिक समानता-जैसे कि

समतावादी समानता को आगे बढ़ाया जा सकता है। आम तौर पर,

अनुच्छेद 15 (3) और (4) और 16 (4) राज्य को लागू करने की अनुमति देते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र पर सकारात्मक कार्य कार्यक्रम। ऐसे प्रावधान औपचारिक समानता के अधिकार को अनिवार्य रूप से सीमित करें। यदि समानता का अधिकार, 408

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

कुछ लोगों द्वारा संविधान के एक बुनियादी अभिधारणा के रूप में माना जाता है, जिसे सीमित किया गया है, इसलिए अनुच्छेद 19 (1) (जी) भी हो सकता है।

165. इन तर्ज पर, मैं आगे के समर्थन के लिए अनुच्छेद 31 ए, 31 बी और 31 सी की ओर रुख कर सकता हूं। वे लेख चुनौतियों को बाहर करते हैं

अनुच्छेद 14 और 19 के तहत। डॉ. धवन के साथ सहमति में

प्रस्तुत करते हुए, मैं अनुच्छेद 31 ए, 31 बी और 31 सी पर भरोसा करने से इनकार करता हूं।

समर्थन करें। जैसा कि मिनर्वा मिल्स में समझाया गया है, न्यायालय ने पहले कहा था

टकटकी लगाने के निर्णय की चिंता के कारण अनुच्छेद 31 ए को बरकरार रखा गया। अदालत ने

अनुच्छेद 14 और 19 के अपवर्जन को कभी अनुमोदित नहीं किया गया

सैद्धांतिक आधार। न ही इसने इस बारे में कोई निर्णय लिया कि क्या

बहिष्करण ने मूल संरचना का उल्लंघन किया। (देखिए: का पैरा 71-72

मिनर्वा मिल्स। वामन राव, (1981) 2 एस. सी. सी. 362 का पैरा 43 भी देखें।

166. एक बुनियादी संरचना चुनौती एक मुद्दा बन जाता है

संस्थागत योग्यता। क्या यह विधायिका को तय करना है कि क्या

क्या 19 (1) (जी) के तहत 19 (6) के साथ पढ़ा जाने वाला एक उचित प्रतिबंध है? या

क्या यह न्यायपालिका के लिए है? यह अच्छी तरह से स्थापित है कि संसद,

लोगों की इच्छा व्यक्त करते हुए, इसमें संशोधन कर सकते हैं -

इस न्यायालय के निर्णय को निरस्त करें। पहली संसद ने जोड़ा

मद्रास राज्य को निरस्त करने के लिए संविधान का अनुच्छेद 15 (4) v.

चंपकम दोराईराजन, ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 226। अन्य उदाहरणों में 77 वां संशोधन शामिल है, जिसने साहनी प्रथम को खारिज कर दिया।

अनुच्छेद 16 (4-ए) जोड़कर; 81 वें संशोधन ने अनुच्छेद 16 (4-बी) जोड़कर साहनी I को और खारिज कर दिया; 82 वां संशोधन

एस. विनोद कुमार और एक अन्य बनाम को खारिज कर दिया। भारत संघ और

एक और (1996) 6 अनुच्छेद 335 में संशोधन करके एस. सी. सी. 580; और 85 वें संशोधन ने विरपाल सिंह चौहान और अजीत को खारिज कर दिया।

सिंह प्रथम ने अनुच्छेद 16 (4-ए), (1995) 6 एस. सी. सी. 684 और (1996) 2 क्रमशः एस. सी. सी. 715। फिर भी, हमारे मौलिक अधिकारों की सामग्री की व्याख्या करने का कर्तव्य छोड़ दिया गया है

अदालतें "। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि सामग्री

न्यायालय द्वारा किसी अधिकार को परिभाषित किया जाता है। सामग्री पर अंतिम शब्द

अधिकार इस न्यायालय का है। (नागराज पैरा 21 पर)। (जोर देना

जोड़ा गया)। जबकि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, यह

संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकते। (देखिए: केशवानंद, इंदिरा नेहरू गांधी (चुनाव मामला), आशा कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 409

[दलवीर भंडारी, जे।]

मिनर्वा मिल्स, संबमूर्ति, एल. चंद्र कुमार और

कोएल्हो)।

दूसरा चरण: क्या अनुच्छेद 15 (5) अनुच्छेद को प्रभावित करता है? 19 (1) (छ) इस हद तक कि अनुच्छेद 19 (1) (छ)

क्या मूल पहचान बदल दी गई है?

167. दूसरे शब्दों में, क्या अनुच्छेद 15 (5) प्रभावी रूप से केवल संक्षिप्त है?

या अनुच्छेद 19 (1) (जी) को पूरी तरह से निरस्त कर दें। यदि पूर्व, 15 (5) खड़े हैं। यदि बाद वाला है, तो यह गिर जाता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कोएल्हो मुझे यह निर्धारित करने के लिए प्रभाव/अधिकार परीक्षण लागू करने का निर्देश देता है कि क्या बुनियादी

टूट का उल्लंघन किया गया है। [कोएलो एट कन्क्लूजन (ii) एट देखें

पृष्ठ 111]। इस प्रकार, मेरा प्रश्न यह है कि क्या इसके प्रभाव पर विचार किया जाए

पूरे संवैधानिक ढांचे, या पर प्रभाव की जांच करने के लिए

नागरिक एक व्यवसाय के रूप में गैर-सहायता प्राप्त शिक्षा में लगे हुए हैं। मुझे लगता है। यह अंतिम है। मुझे यहाँ सहायता प्राप्त संस्थानों में शिक्षा में लगे लोगों से कोई सरोकार नहीं है। एक स्वाभाविक रूप से अधिक के अधीन है

इनामदार)। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वतंत्रता, जैसा कि द्वारा संरक्षित गोल्डन ट्राइएंगल, उन लोगों के लिए अधिक भारी होना चाहिए जो अपने दम पर निकलते हैं और सरकारी धन से इनकार करते हैं।

168. यह मुझे इस सवाल पर लाता है कि मुझे कितना बड़ा होना चाहिए।

जब मैं पूछता हूँ कि आरक्षण से कौन प्रभावित है तो वृत्त बनाएँ

गैर-सहायता प्राप्त संस्थान। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने प्रावधान किया है कि "[ए] कुल

मौलिक अधिकार को आंशिक रूप से निरस्त करने के बराबर हर क्षेत्र में अभाव हो सकता है। (देखिए: मिनर्वा मिल्स, पैरा 59)।

169. अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता व्यक्ति की है।

नागरिक। अनुच्छेद 19 (1) (जी) में प्रावधान है कि "सभी नागरिकों के पास होगा

किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को जारी रखने का अधिकार। "सभी नागरिकों" के संदर्भ का अर्थ है कि

प्रत्येक नागरिक के पास अनुच्छेद 19 के अधिकार हैं। विवादित कानून के गिरने के लिए, इसे समाज के हर क्षेत्र को छूने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक भी व्यक्ति की स्वतंत्रता रही है

सीमित किए जाने पर, यह न्यायालय उसके दावे पर विचार करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। यह वह है जिसके पास अनुच्छेद 19 (1) (जी) को जारी रखने का अधिकार है।

एक पेशा।

170. यदि 15 (5) को लागू किया गया था, तो शिक्षक बिना किसी सहायता के

शब्द के व्यापक अर्थ में और शिक्षकों को शामिल करते हुए, प्रोफेसर, व्याख्याता, संकाय, कर्मचारी, प्रशासक और वे जो

वित्तीय संस्थान। उपरोक्त में से किसी एक के बिना, संस्थान ठीक से काम नहीं कर सकता है।

171. हालांकि आरक्षण से प्रभावित, शिक्षक अभी भी है

एक नौकरी। उनका व्यवसाय बरकरार है। विद्यार्थी आते हैं।

कक्षाएं शुरू होंगी। अंक वितरित किए जाएंगे। सबसे महान।

शिक्षक पर प्रभाव यह है कि न तो वह और न ही उसकी संस्था चुनें कि किसे पढ़ाना है।

172. लगभग आधे समय (49.5%), राज्य निर्णय लेगा

उनके लिए। छात्रों या कर्मचारियों का चयन दिल में जाता है

एक संगठन की स्वायत्तता। एक गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान का सार अपने मामलों को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता है।

पैराग्राफ 55 में पाई के अनुसार। यही है, ". आवश्यक है। निजी संस्थान के प्रबंधन के घटकों में शामिल हैं -

छात्रों और कर्मचारियों की भर्ती.. " यही तर्क सेंट स्टीफंस में समान शब्दों (पैरा 54 पर) में तैयार किया गया था।

महाविद्यालय (शिक्षा के मानकों को लागू करने वाले विनियमों को बरकरार रखा गया, क्योंकि वे सीधे प्रबंधन पर लागू नहीं होते हैं। हालाँकि वे अप्रत्यक्ष रूप से इसे प्रभावित कर सकते हैं। ") इस अदालत ने कहा है कि

पाई में जैसा कि इनामदार द्वारा स्पष्ट किया गया है कि गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों को अधीन करना यह एक अनुचित प्रतिबंध है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 19 (6) प्रदान करता है

आरक्षण के लिए कोई सुरक्षित आश्रय नहीं है।

173. सरकार ने छात्रों का चयन लागू किया

गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए इसके व्यापक परिणाम हैं और

उनके शिक्षक। मुझे विवादित संशोधन के प्रभाव की जांच करने की आवश्यकता है। कम से कम चार समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है:

(1) शैक्षणिक मानकों को नुकसान होता है;

(2)

अच्छे संकाय को आकर्षित करना और बनाए रखना अधिक हो जाता है

मुश्किल;

(3) प्रथम श्रेणी के गैर-सहायता प्राप्त संस्थान की स्थापना के लिए प्रोत्साहन

कम किया गया है; अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 411

[दलवीर भंडारी, जे।]

(4) और अंततः हमारी गैर-सहायता प्राप्त की वैश्विक प्रतिष्ठा

संस्थानों से गंभीर रूप से समझौता किया जाता है।

174. सबसे पहले, जब राज्य उन्हें बताए कि किसे पढ़ाना है,

उत्कृष्टता के मानकों को नुकसान होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि संस्थान अब उच्चतम अंक प्राप्त करने वालों को प्रवेश नहीं दे पाएंगे।

विद्यार्थी। हमारे कुछ संस्थान जितने अच्छे हैं, वे उतने अच्छे नहीं हैं

खाली स्लेट सिखाएँ। सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय सबसे अच्छे हैं, कुछ हद तक,

क्योंकि वे सर्वश्रेष्ठ छात्रों को आकर्षित करते हैं। ऐसा ही कहा जा सकता है

लगभग किसी भी संगठन के लिए। उच्च शिक्षा के मामले में,

जो विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ को प्रवेश देते हैं, वे संभवतः सर्वश्रेष्ठ का मंथन करेंगे। द.

किस हद तक विश्वविद्यालय ने सर्वश्रेष्ठ को इतना अच्छा बनाया

योग्य नहीं हो सकते। मुद्दा यह है कि अकेले विश्वविद्यालय योग्य नौकरी के उम्मीदवार पैदा नहीं कर सकते हैं। छात्रों को प्रवेश देने के लिए मजबूर किया गया

कम अंकों पर, विश्वविद्यालय का अंतिम उत्पाद उतना मजबूत नहीं होगा।

एक बार क्रीमी को बाहर करने के बाद, गैर-क्रीमी परत के लिए 27 प्रतिशत कोटा को भरने के लिए कट-ऑफ अंक काफी कम हो जाएंगे।

ओ. बी. सी. जब मलाईदार परत को नहीं हटाया जाता है, जैसे कि

तमिलनाडु, सामान्य के लिए कट ऑफ अंकों में अंतर और पिछड़े वर्ग महत्वहीन हो सकते हैं। (का पैरा 408 देखें।

साहनी I)। बेशक, उत्कृष्टता के मानकों को किस हद तक नुकसान होगा, यह संस्थान के अनुसार अलग-अलग होगा। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है

नीचे, I 1 सरकार से आग्रह करता है कि ओ. बी. सी. कट ऑफ अंक सामान्य श्रेणी के 10 अंकों से कम न हो। हालाँकि, यह केवल एक सिफारिश है। इसे कभी अपनाया नहीं जा सकता है। 175. दूसरा, आरक्षण गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन को कमजोर करता है: यदि राज्य का अधिकार छीन लिया जाए

छात्रों का चयन करें, क्या कोई अभी भी समय और पैसा खर्च करेगा

एक गैर-सहायता प्राप्त संस्थान स्थापित करना? सवाल यह है कि आज के लिए प्रासंगिक। याचिकाकर्ताओं के वकील का मानना है कि कल

ज्ञान अर्थव्यवस्था के लिए एक सुशिक्षित आबादी की आवश्यकता होती है। सुशिक्षित "का अर्थ कर लगाने वाले संस्थानों से कम की डिग्री की एक श्रृंखला नहीं है। बल्कि, इसका मतलब है कि एक के पास होगा

विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए कौशल, ज्ञान और रचनात्मकता। हमारा

गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों को उन स्थानों पर बने रहना चाहिए जहां ये लक्षण हैं।

परिष्कृत।

176. तीसरा, जो प्रतिभाशाली छात्रों को पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं

निजी क्षेत्र की नौकरियों को छोड़ने का और भी कम कारण है

शिक्षण पेशा या सबसे पहले पेशे में शामिल होना।

" सबसे चमकीला "एक तारांकन चिह्न के साथ आएगा। वे होंगे

सरकार की आरक्षण योजना के तहत सबसे उज्ज्वल उपलब्ध है।

ये संभावित शिक्षक खुद से पूछ सकते हैं: मैं कैसे सिखाऊंगा?

एक ऐसी कक्षा जिसमें आधे छात्र दूसरे आधे के सापेक्ष उन्नत हैं? कई संस्थानों में उच्च श्रेणी के शिक्षकों की कमी है

केवल बदतर हो जाएगा। चौथा, आरक्षण नकारात्मक हो सकता है।

तेजी से बढ़ रहे रोजगार की तलाश करने वाले छात्रों पर प्रभाव

ज्ञान अर्थव्यवस्था। भर्ती करने वालों ने आना शुरू कर दिया है

कैम्पस। वे घरेलू के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय भी हैं।

संस्थाएं, और वे भी गैर-सहायता प्राप्त में आरक्षण पर ध्यान दे सकते हैं

संस्थाएं। ऊपर से नीचे तक शिक्षकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

महसूस किया जाता है। उनके लिए, व्यवसाय की एक झलक से थोड़ा अधिक

रहेगा।

177. आरक्षण के नाटकीय प्रभाव को देखते हुए

शिक्षाविदों पर, गैर-सहायता प्राप्त संस्थान जिनमें वे पढ़ाते हैं और, नतीजतन, समग्र रूप से समाज, अनुच्छेद 19 (1) (जी) अधिक रहा है।

संक्षिप्त की तुलना में। जब शिक्षा का प्रभावी रूप से राष्ट्रीयकरण किया जाता है,

स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। संविधान की पहचान है

जब अनुचित प्रतिबंध एक मौलिक अधिकार को अर्थहीन बना देते हैं तो इसे बदल दिया जाता है। 93 वाँ संशोधन लागू किया गया

गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों पर आरक्षण ने अनुच्छेद को निरस्त कर दिया है

19 (1) (छ) संविधान की एक मूल विशेषता, जो हमारे संविधान का उल्लंघन करती है।

संविधान की मूल संरचना। इसलिए आई.

"गैर-सहायता प्राप्त" के लिए 93 वें संशोधन के संदर्भ को तोड़ें

संस्थान संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

178. पृथकता पर मामला कानून निम्नलिखित प्रश्न पूछता है: यदि संसद को पता होता कि इसका प्रावधान होगा

क्या यह अभी भी शेष कानून को पारित कर देता?

(देखिए: आर. एम. डी. चमरबागवाला (ऊपर))।

179. आर. एम. डी. चमरबागवाला (ऊपर) के पृष्ठ 943 पर,

न्यायालय ने आंशिक रूप से द स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड अदर वी. पर भरोसा किया।

एफ. एन. बलसारा (1951) एस. सी. आर. 682, जहां मुद्दे पर प्रश्न आयोका कुमार ठाकुर बनाम था।

भारत और ओआरएस का संघ।

413

[दलवीर भंडारी, जे।]

बॉम्बे निषेध अधिनियम वैध था:

अधिनियम की धारा 12 और 13 ने प्रतिबंध लगाए

मादक पदार्थ जो प्रांतीय सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किया जा सकता है कि

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शराब "। कुछ औषधीय और

शौचालय की तैयारी को अधिसूचना द्वारा शराब घोषित किया गया था।

एस के तहत सरकार द्वारा जारी किया गया। 2 (24) (बी)। यह अधिनियम था

संरक्षित अधिकारों के उल्लंघन के रूप में पूरी तरह से हमला किया गया

कला द्वारा। 19 (1) (च)। लेकिन इस न्यायालय ने माना कि

प्रावधान अनुचित थे और इसलिए अब तक शून्य थे।

" जैसा कि कानून एक को लागू करने के लिए अधिकृत करता है पर्याप्त व्यापक भाषा में मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध

सीमा के भीतर और बिना दोनों प्रतिबंधों को शामिल करने के लिए

इस प्रकार को प्रभावित करने वाली संवैधानिक रूप से अनुमेय विधायी कार्रवाई

ठीक है, इसे बनाए रखना संभव नहीं है जहाँ तक यह हो सकता है संवैधानिक सीमाओं के भीतर लागू किया जाता है, क्योंकि यह नहीं है

अलग किया जा सकता है "। इस तर्क को अस्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहा:

' इन वस्तुओं को इस प्रकार अलग से उपचारित किया जा रहा है

विधायिका स्वयं और विच्छेदनीय होने के कारण, और यह नहीं है

निर्देशात्मक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवाद किया जा रहा है

निषेध के संबंध में राज्य की नीति, कि

अधिकार रखने के अधिकार पर लगाए गए प्रतिबंध या

उन श्रेणियों को बेचें या खरीदें या उपभोग करें या उनका उपयोग करें

जहाँ तक इन श्रेणियों को वैध माना जाना चाहिए चिंतित हैं। '

यह निर्णय स्पष्ट अधिकार है कि सिद्धांत

पृथकता तब भी लागू होती है जब अधिनियम की अयोग्यता हो।

संवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होता है

सीमाएँ "।

180. पृष्ठ 944 पर, आर. एम. डी. चमरबागवाला में अदालत

पृथकता पर अमेरिकी मामला कानून से मार्गदर्शन मांगा:

" एक पृथकता खंड के प्रभाव पर चर्चा करते हुए, ब्रांडीज़,

जे. डॉर्ची वी में देखा गया। कान्सास राज्य (1924) 264

यू. एस. 286 कि यह "निर्माण का एक नियम प्रदान करता है, जो हो सकता है

कभी-कभी उस इरादे को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। लेकिन यह एक सहायता है।

कानून में बनाए गए विषयों के वर्गीकरण से जुड़ा हुआ
हमारी राय में, स्वयं एक पृथकता खंड से बड़ा नहीं हो सकता है।

181. आर. एम. डी. चम्बरबागवाला में अदालत चली।

बॉम्बे राज्य में पतंजलि शास्त्री, सी. जे. का हवाला देते हुए और

एक अन्य वी। यूनाइटेड मोटर्स (इंडिया) लिमिटेड और अन्य (1953)

एससीआर 1069:

" इस तर्क से निपटना कि एक कानून जो अधिकृत करता है

बिक्री पर कर लगाने को पूरी तरह से घोषित किया जाना चाहिए

शून्य क्योंकि यह आंशिक रूप से उल्लंघन के रूप में बुरा था

संवैधानिक सीमाओं का पालन किया गया:

' यह शामिल करने के लिए पृथकता का विस्तार करने के लिए एक ठोस नियम है

ऐसे मामलों में प्रवर्तन में पृथकता, और हम हैं
राय है कि सिद्धांत के साथ व्यवहार में लागू किया जाना चाहिए

इस देश में कानूनों पर कर लगाना। '

182. यहाँ, मुझे लगता है कि संसद चली गई होगी।

बिना सहायता प्राप्त संस्थानों के आगे बढ़ें। जबकि कुछ सदस्य

संसद ने संसद के पाई और इनामदार को रद्द करने की मांग की।

क्रियाएं अपने शब्दों से अधिक जोर से बोलती हैं। एक बार यह अनुच्छेद पारित हो गया था

15 (5) , इसने सहायता प्राप्त लोगों पर अधिक आरक्षण लागू करने तक खुद को सीमित कर लिया

संस्थाएं। गैर-सहायता प्राप्त संस्थान संसद के थे प्राथमिकता, यह उन्हें आरक्षण अधिनियम में शामिल कर सकता था। यह.

ऐसा लगता है कि संसद का इरादा अधिक से अधिक आरक्षण पारित करना है। यह बताएगा कि यह आगे क्यों बढ़ा है 27 % कम से कम 27 प्रतिशत की पुष्टि किए बिना ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण

आबादी का एक हिस्सा ओ. बी. सी. है। इन कारणों से, मैं निष्कर्ष निकालता हूं कि 415

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

[दलवीर भंडारी, जे।]

यदि संसद को पता होता कि गैर-सहायता प्राप्त संस्थान टूटने वाले हैं, तो भी उसने अपना काम पूरा किया होता।

सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए आरक्षण योजना।

4. जातिविहीन और वर्गविहीन समाज बनाम

जाति आधारित आरक्षण:

183. जाति व्यवस्था इस देश के लिए विशिष्ट है। शायद

पूरा समाज जाति के आधार पर विभाजित हो गया है। यह

सामाजिक समस्या की तुलना कुछ हद तक इसके साथ की जा सकती है अमेरिकी समाज। अमेरिका में, नस्लीय समस्या

सदियों से भेदभाव रहा है। सकारात्मक मामले

संयुक्त राज्य अमेरिका में तय की गई कार्रवाई प्रासंगिक है। वे हमें दिखाते हैं।

उस समाज ने नस्लीय समस्या से कैसे निपटा है

भेदभाव। शुरुआत में, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि

विदेशों के निर्णय भारतीय न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं हैं। भारतीय न्यायालयों ने समीक्षा के अमेरिकी मानकों को नहीं अपनाया है।

लेकिन सकारात्मक कार्रवाई पर अमेरिकी अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय

इसका बहुत प्रेरक मूल्य है और वे व्यापक दिशानिर्देश प्रदान कर सकते हैं कि हमें अपनी मौजूदा स्थिति से कैसे निपटना चाहिए।

भारत और अमेरिका को बड़ी संख्या में अंग्रेजी कानून विरासत में मिले हैं। अंग्रेजी और अमेरिकी मामलों को अक्सर उद्धृत किया जाता है।

हमारी अदालतों द्वारा। हमें अपनी खिड़की खुली रखनी होगी और अनुमति लेनी होगी।

किसी भी स्रोत से प्रवेश करने के लिए ज्ञान का प्रकाश। इस प्रकाश में, मैं

यह कुछ अमेरिकी निर्णयों को संदर्भित करेगा।

सकारात्मक कार्रवाई के मामले और समीक्षा के मानक

अमेरिका से:

184. 1978 में, रीजेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बनाम।

(असंवैधानिक माने जाने वाले मेडिकल स्कूल में अल्पसंख्यकों के लिए 100 में से 16 सीटें आरक्षित करना)। (438 यू. एस. 265) जस्टिस पॉवेल सहमत निर्णय को मामले में प्रमुख राय माना जाता है।

185. न्यायमूर्ति पॉवेल ने निष्कर्ष निकाला कि विविधता एक

बाध्यकारी राज्य हित जो सख्त जांच का सामना कर सकता है। बक्के पर भरोसा करते हुए, अदालत ने बाद में विविधता सुनिश्चित करने के साधन के रूप में कॉलेज प्रवेश में तरजीही व्यवहार की पुष्टि की 416

[2008] 4 एस सी आर।

कक्षा में-नस्लीय विविधता कई में से सिर्फ एक है

विविधता के प्रकार (व्यक्तिगत प्रतिकूलता और परिवार पर काबू पाना)

"कठिनाई" विविधता का एक और रूप था), (देखिए: ग्रुटर वी. बोलिंगर, 539 यू. एस. 306,338 (2003)। द ग्रुटर केस

जोर देकर कहा कि विश्वविद्यालय प्रवेश चाहने वाले छात्र का व्यक्तिगत मूल्यांकन करते हैं, न कि यांत्रिक रूप से।

नस्ल के आधार पर छात्रों को स्वीकार या अस्वीकार कर दिया गया। (337 पर ग्रुटर)। इस तरह के मूल्यांकन से यह सुनिश्चित होगा कि दौड़ केवल

एक प्रकार की विविधता के रूप में माना जाता है, बजाय एक बहाने के

नस्लीय संतुलन प्राप्त करना। कोटा को गुप्त रूप से स्थापित नहीं किया जा सका

विविधता के नाम पर। इस तर्क के कारण अदालत हड़ताल पर चली गई एक प्रवेश योजना जो स्वचालित रूप से अधिक निर्दिष्ट करती है

राज्य के निवासियों की तुलना में अल्पसंख्यक छात्रों की ओर इशारा करते हैं या

उदाहरण के लिए, खिलाड़ी। (ग्रेट्ज़ वी. बोलिंगर, 539 यू. एस. 244,270)।

186. ग्रुटर में बहुमत के लिए न्यायमूर्ति ओ 'कॉनर आए

एक साधन के रूप में कुछ जातियों के लिए अधिमान्य उपचार पर सीमा विविधता को बढ़ावा देना। न्यायमूर्ति ओ 'कॉनर ने कहा: हम उम्मीद करते हैं कि

25 अब से वर्षों बाद, नस्लीय प्राथमिकताओं का उपयोग अब नहीं होगा

आज स्वीकृत ब्याज को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होगा।

187. सामुदायिक विद्यालयों में शामिल माता-पिता बनाम सिएटल स्कूल जिला संख्या 1 और अन्य, 168 वकीलों में रिपोर्ट किए गए

एड। 2 डी 508 और 517 (2007) में, स्कूल जिलों ने उस छात्र को जिले के भीतर एक विशेष स्कूल में नियुक्त करने के लिए एक छात्र की दौड़ का उपयोग किया। में।

सिएटल, यह नस्लीय संतुलन प्राप्त करने के लिए किया गया था

ज़िले के स्कूल। एक स्कूल अत्यधिक नहीं होना चाहिए।

सफेद, दूसरा सभी गैर-सफेद। में अनुमोदित प्रणाली के विपरीत

वास्तव में, दौड़ कई प्रकार की विविधताओं में से एक नहीं थी जिसे जिले द्वारा छात्रों को नियुक्त करने में माना जाता था। सिएटल 525 पर। इसके बजाय, यह कभी-कभी निर्णायक कारक था। अदालत ने इन कार्यक्रमों को असंवैधानिक करार दिया। मुख्य न्यायाधीश रॉबर्ट्स

नस्लीय वर्गीकरण पर बहुलता के दृष्टिकोण को संक्षेप में प्रस्तुत किया "

नस्ल के आधार पर भेदभाव को रोकने का तरीका है इसे रोकना

नस्ल के आधार पर भेदभाव करना। } }

188. यह बहुलता के लिए एक पूर्ण जीत से बहुत दूर था।

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 417 [दलवीर भंडारी, जे।]

अपनी सहमत राय में, न्यायमूर्ति कैनेडी ने पाया कि कार्यक्रम असंवैधानिक हैं। हालांकि, वह इतनी दूर नहीं जाएगा

जहाँ तक सभी नस्लीय संतुलन को असंवैधानिक मानना है। वह.

बहुलता राय को प्रतिनिधित्व करने के लिए माना जाता है ". एक बहुत ही अडिग आग्रह कि जाति उदाहरणों में एक कारक नहीं हो सकती है, जब [उनके] विचार में, इसे ध्यान में रखा जा सकता है।" (सिएटल में

565) .

189. न्यायमूर्ति कैनेडी ने पाया कि स्कूलों में एक सम्मोहक क्षमता है

♦

नस्लीय अलगाव को रोकने या एक विविध छात्र प्राप्त करने के लिए रुचि जनसंख्या। (सिएटल 572 पर)। जस्टिस पॉवेल की सहमति की तरह

बक्के में राय, न्यायमूर्ति कैनेडी की सहमति वाली राय स्कूल में प्रवेश में तथाकथित सौम्य उद्देश्यों के लिए नस्लीय वर्गीकरण के आगे उपयोग के लिए द्वार खुला छोड़ती है।

190. किसी भी एक मामले से अधिक महत्वपूर्ण वे मानक हैं जिनके द्वारा न्यायालय भेदभावपूर्ण कानून की जांच करता है। में से

बेशक, भारतीय अदालतों ने संकीर्ण सिलाई और सख्त जांच के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया है। फिर भी, हमें करना चाहिए किसी भी कोने से मार्गदर्शन लें और किसी भी कोने से प्रकाश की अनुमति दें।

चौथाई।

191. जब भी कानून को चुनौती दी जाती है

असंवैधानिक, अदालतों को खुद से पूछना चाहिए कि कितना

वे विधायिका को सम्मान देंगे। इसका उत्तर यह है कि

यह विवादित कानून की प्रकृति पर निर्भर करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने समीक्षा के तीन मानक विकसित किए हैं

सरकारी कार्रवाई के लिए जो अलग-अलग लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार करती है। द.

पहला तर्कसंगत आधार मानक है। जब वर्गीकरण किया जाता है किसी भी वैध सरकारी उद्देश्य से तर्कसंगत रूप से संबंधित,

न्यायालय राज्य को टाल देता है और वर्गीकरण को बरकरार रखता है। यह तीनों मानकों में से सबसे अधिक अव्यावहारिक है। दूसरा मानक

मध्यवर्ती जांच है, जो सरकार के लिए कम अव्यावहारिक है। यहाँ, अदालत पूछती है कि क्या वर्गीकरण काफी हद तक है

किसी भी महत्वपूर्ण सरकारी उद्देश्य से संबंधित। समीक्षा के तीसरे और उच्चतम स्तर को सख्त जांच के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत अदालत को आवश्यकता होती है कि वर्गीकरण को संकीर्ण रूप से तैयार किया जाए। बाध्यकारी राज्य हित। सख्त जांच परीक्षण सबसे कम 418 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट है।

सरकार के लिए अवमूल्यन।

192. जिन वर्गीकरणों पर मामला कानून है, उनमें से

जाति वह है जो जाति से सबसे अधिक मिलती-जुलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों अपरिवर्तनीय लक्षण हैं। वे शक्तिशाली द्वारा उपयोग किए जाते हैं, या

जो सत्ता चाहते हैं, उत्पीड़न को सही ठहराने के लिए। जातिवाद और जातिवाद

दोनों राष्ट्रों को लंबे समय से परेशान किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, नस्ल बढ़ जाती है

लाल झंडे। इसकी अक्सर, हालांकि हमेशा नहीं, कड़ी जांच के तहत समीक्षा की जाती है: " लोगों को नस्ल के आधार पर विभाजित करने की सरकारी कार्रवाई

स्वाभाविक रूप से संदिग्ध क्योंकि इस तरह के वर्गीकरण बढ़ावा देते हैं

' नस्लीय हीनता की धारणाएँ और नस्लीय शत्रुता की राजनीति की ओर ले जाती हैं, '

(102 एल. एड. पर क्रॉसन। 2 डी 854) और "नस्लीय वर्गीकरण हैं बस किसी भी लेकिन सबसे सटीक संबंध की अनुमति देने के लिए बहुत हानिकारक है

औचित्य और वर्गीकरण के बीच।" (ग्रेट्ज़ वी. बोलिंगर, 539 यू. एस. 244,270 (में जे. स्टीवंस की असहमति का हवाला देते हुए)

फुलिलव वी। क्लुट्ज़निक, 448 यू. एस. 448,537))।

193. विधान जिसका पाठ इसके आधार पर वर्गीकृत नहीं करता है -

नस्ल को चेहरे से तटस्थ माना जाता है। जब चेहरा तटस्थ होता है

कानून का एक विशेष जाति पर असमान प्रभाव पड़ता है,

अमेरिकी अदालतों ने पूछा कि क्या यह एक इरादे के साथ पारित किया गया था

लागू होता है। [देखिए: हर्नांडेज़ बनाम न्यूयॉर्क, 500 यू. एस. 352 (1991) (आर्लिंगटन हाइट्स बनाम से उद्धृत करते हुए। महानगर आवास

विकास निगम।, 429 यू. एस. 252,264-265 (1977)]:

" इस मुद्दे को संबोधित करने वाली अदालत को ध्यान में रखना चाहिए

मौलिक सिद्धांत कि "आधिकारिक कार्रवाई नहीं की जाएगी"

असंवैधानिक केवल इसलिए क्योंकि इसके परिणामस्वरूप एक नस्लीय

असमान प्रभाव। . . . नस्लीय भेदभावपूर्ण इरादे या उद्देश्य का प्रमाण उल्लंघन दिखाने के लिए आवश्यक है

समान संरक्षण खंड "।

वाशिंगटन बनाम भी देखें। डेविस 426 यू. एस. 229,239 (1976)।

इस नियम का अपवाद यक वो वी है। हॉपकिंस, 118 यू. एस. 356 (1886), जहां अत्यधिक असमान प्रभाव की आवश्यकता थी

अधिक जांच। जहाँ असमान प्रभाव पड़ता है और

भेदभावपूर्ण इरादा, फिर यहां तक कि चेहरे से तटस्थ कानून भी सख्त जांच को ट्रिगर करता है। हालांकि, इस ढांचे में, सकारात्मक अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 419

[दलवीर भंडारी, जे।]

कार्रवाई कानून के चेहरे पर वर्गीकृत होती है और स्वचालित रूप से प्राप्त होती है सख्त जांच उपचार।

194. जैसा कि मैंने देखा है, अमेरिकी अदालतें नस्लीय वर्गीकरण की सावधानीपूर्वक समीक्षा करती हैं। यह देखते हुए कि इसके चेहरे पर 93 वां संशोधन

इसकी सावधानीपूर्वक जाँच की जाती है। अनुच्छेद 14 औपचारिक समानता का अधिकार का हकदार है। उतना ही। यदि सरकारी नौकरी के लिए साहनी I में जाति आधारित आरक्षण को बरकरार रखा गया था, तो यह इस प्रकार है कि 49.5%

सहायता प्राप्त शिक्षा में जाति आधारित आरक्षण की अनुमति है।

संस्थाएं। जबकि मैंने साहनी प्रथम द्वारा मजबूर किया कि

विवादित कानून के संबंध में सावधानीपूर्वक जांच की जाती है

सहायता प्राप्त संस्थानों में आरक्षण, इसका कार्यान्वयन आकस्मिक है इस राय में दिए गए निर्देशों पर।

फ्रेमर्स का अंतिम लक्षय: वर्गहीन और

जातिविहीन समाज:

195. क्या मूल निर्माताओं का जाति प्रदान करने का इरादा था

संविधान के प्रथम संशोधन के माध्यम से। ऐसा करते हुए, वे अपने लक्षय से भटक कर-- जातिविहीन समाज ने

इंतजार करने के लिए। साहनी प्रथम में, न्यायालय ने इस निर्णय को बरकरार रखा और बाध्य किया

हम इस बिंदु पर कुछ हद तक। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है

उस विवादित कानून को बनाए रखें जिसके द्वारा सरकार अभी भी जाति का उपयोग करके आंशिक रूप से एस. ई. बी. सी. की पहचान कर सकती है।

196. जाति आधारित आरक्षण शुरू में अस्थायी था।

उपाय जो केवल दस साल तक चलने वाला था। मूल निर्माता जाति-आधारित आरक्षण को एक आवश्यक बुराई मानते थे। इस प्रकार वे

इसे समय पर सीमित करें। इस समय सीमा का विस्तार केवल बढ़ा है जातिवाद।

197. संसदीय बहस स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि

आरक्षण का अंतिम उद्देश्य जातिविहीन और वर्गविहीन होना था। भारत के लिए समाज। इसके लिए आरक्षण केवल 420 दिया जाना चाहिए।

एक निश्चित अवधि के लिए। यदि इन आरक्षणों या लाभों को निरंतर जारी रखना है, तो इसे प्राप्त करने का मूल लक्षय है

जातिविहीन और वर्गविहीन समाज कभी पूरा नहीं होगा।

198. जाति आधारित आरक्षण की आवश्यकता "समाप्त" हो गई है।

समय के साथ। इस प्रस्ताव का प्रमाण कि जाति अब एक नहीं है

समाज में आगे बढ़ने की किसी की क्षमता का वैध निर्धारक मजबूत है।

जिस तरह से समाज आपको जाति के आधार पर आंकता है, उससे कहीं अधिक

प्रासंगिक सवाल यह है कि क्या जाति आपको बढ़ने से रोकती है। अगर जाति नहीं करती है, तो क्या करती है? इसका उत्तर सरल है: पैसा।

199. आय शिक्षा का एक बेहतर निर्धारक है।

जाति की तुलना में उपलब्धि। नीचे दी गई तालिका से लिया गया था प्रजनन बाल और स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2002-2004 (600,000 घरों का सर्वेक्षण)।

स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष:

एससी ओ. बी. सी. उच्च जाति हिंदू

सबसे गरीब ग्रामीण क्विंटाइल 1.6

1.7

2.2

सबसे अमीर ग्रामीण क्विंटाइल 5.1 5.5

6.1

उच्च जाति के लिए, जाति मुश्किल से मदद करती है। ये संख्याएँ

इंगित करें कि यह किसी की आय है, न कि जाति, जो एक वास्तविक आय बनाता है। यह निर्धारित करने में अंतर कि कोई व्यक्ति कितनी स्कूली शिक्षा पूरी करता है।

इसलिए, यदि आय शिक्षा के लिए बाधा है, तो आर्थिक मानदंड

वह साधन होना चाहिए जिसके द्वारा हम लाभार्थियों की पहचान करते हैं अनुच्छेद 15 (5) के तहत विशेष प्रावधान।

जाति आधारित आरक्षण प्रदान करने का कोई मूल इरादा नहीं है

शिक्षा के क्षेत्र में:

200. ड्राफ्टर के रूप में, मूल फ्रेमर्स विपुल थे। उन्होंने हमारे संविधान को दुनिया का सबसे लंबा संविधान बना दिया-जितना हो सके उतना संविधान हटा दिया।

यथासंभव संदेह और इस तरह से न्यायालय की भूमिका को सीमित करना। द.

संविधान में कई अनुच्छेद हैं जो सीटें आरक्षित करते हैं।

विभिन्न समूहों के लिए। हालांकि, मूल फ्रेमर्स ने लागू किया

आरक्षण पर विभिन्न सीमाएँ। ये सीमाएँ औपचारिक अशोक कुमार ठाकुर बनाम के बीच मूल फ्रेमर्स के समझौते में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।

भारत और ओआरएस का संघ। 421

[दलवीर भंडारी, जे।]

और सारवान/समतावादी

समानता।

201. आरक्षण केवल कुछ समूहों के लिए प्रदान किया जाता है (एससी,

अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग) सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में। (देखिए: अनुच्छेद 16 (4) (सरकारी सेवा में पदों का आरक्षण)

पिछड़े वर्गों के लिए), अनुच्छेद 330 (अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण)

और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति) और अनुच्छेद 332 (सीटों का आरक्षण)

राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए))।

202. डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि "अल्पसंख्यकों की रिपोर्ट"

समिति ने प्रावधान किया कि सभी अल्पसंख्यकों को दो लाभ होने चाहिए

या विशेषाधिकार, अर्थात् विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व और

सेवाओं में प्रतिनिधित्व "। (जोर जोड़ा गया) (देखिए: सीएडी,

26 अगस्त 1949, वॉल्यूम। 9 , पी। 702) . इस सीमा को देखते हुए, हमें जोड़ने की संवैधानिकता की समीक्षा करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।

अतिरिक्त लाभ।

203. अनुच्छेद 334 ने विधायिका के लिए 10 साल की समय सीमा तय की है।

अनुच्छेद 330 और 332 में दिए गए आरक्षण। चर्चा में

अनुच्छेद 292 के मसौदे के बारे में सरदार हुकुम सिंह ने कहा, "हम (विधायी निकायों में) सीटों के इस आरक्षण को स्वीकार कर रहे हैं। वर्तमान के लिए अपरिहार्य बुराई, सोचा कि यह केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए है। (देखिए: पी। 645 ,

संविधान सभा वाद-विवाद, खंड। 9 , 24 अगस्त 1949)।

204. श्री सिंह की टिप्पणी विधायी आरक्षण की सीमाओं को दर्शाती है। ओ. बी. सी./एस. ई. बी. सी. को बाहर रखा गया था और

आरक्षण समय पर सीमित थे। विधायी के विपरीत आरक्षण, अनुच्छेद 16 (4) में कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। हालाँकि, यह राज्य को आरक्षण देने से रोकता है।

सरकारी सेवा यदि पिछड़े वर्ग पर्याप्त रूप से सक्षम हैं प्रतिनिधित्व किया। विचार यह है कि, किसी समय,

पिछड़े वर्गों को अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।

205. प्रारूप अनुच्छेद 10 (अनुच्छेद 16 (4)) पर चर्चा करते हुए

संविधान), पंडित हीर्दय नाथ कुंजरू ने कहा:

" हम सभी इस बात से अवगत हैं कि जब सदन द्वारा अल्पसंख्यक समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया था, तो पूरे सदन ने

सदन इस बात को लेकर चिंतित था कि किसी भी तरह की सर्वोच्च अदालत की रिपोर्ट में आरक्षण हो

[2008] 4 एस सी आर।

इसे जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। .....

जो भी सुरक्षा अब आवश्यक मानी जा सकती है,

समुदाय या वर्ग विशेष दावा करने के लिए लुभाया जा सकता है
अपने लिए लाभ "। (सीएडी Vol.7 दिनांक 30 नवंबर

1948 , पी। 681) "

(जोर दिया
गया)

आरक्षण हटाने की ओर बढ़ने के बजाय संसद ने

समय सीमा बढ़ा कर और लाभार्थियों को जोड़कर यह दूसरी तरफ चला गया है। अनुच्छेद 15 (5) इसका नवीनतम उदाहरण है।

206. जबकि मूल फ्रेमर्स अपने रास्ते से बाहर चले गए

संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्गों को रखा, उन्होंने आरक्षण नहीं दिया

कक्षा में एक सीट। इसके बजाय, अनुच्छेद 29 (2) ने प्रवेश में जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित किया, और अनुच्छेद 15 (2) ने निषिद्ध किया। सामान्य रूप से जाति-आधारित भेदभाव। शिक्षा बनी रहेगी।

आरक्षण-नि:शुल्क।

207. जब इस संबंध में अधिमान्य उपचार दिया गया था

शिक्षा, यह शैक्षिक अनुदान तक सीमित थी। वहाँ कोई नहीं था।

विशेष समूहों के लिए आरक्षण देने का सवाल। लेख 337 एंग्लो-इंडियन स्कूलों को शैक्षिक अनुदान प्रदान किया

निर्माताओं ने उन अनुदानों की अनुमति दी जो पहले से ही उन लोगों को जा रहे थे स्कूल 10 साल तक जारी रहेंगे। (देखिए: संविधान का पी 936-941

विधानसभा वाद-विवाद, खंड। 8 1949) .

208. आरक्षण की वकालत करने के बजाय, मूल

निर्माताओं ने मुफ्त/अनिवार्य शिक्षा और छात्रवृत्ति को प्राथमिकता दी।

अनुच्छेद 295 के मसौदे पर बहस में श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने कहा कि

कि विधायी निकायों में आरक्षण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्थान में विफल रहेगा।

इसके बजाय, उन्होंने सुझाव दिया कि:

" यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए कि

उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ..... [और] के लिए
आशा कुमार ठाकुर बनाम में आदिवासियों और हरिजनों के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

भारत और ओआरएस का संघ। 423

[दलवीर भंडारी, जे।]

संविधान कि मुफ्त कृषि भूमि दी जानी चाहिए

उन्हें। अगर हम इनमें से कोई भी नहीं दे सकते हैं, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं।

मेरे अपने मन में कि उन्हें यहाँ कुछ सीटें देकर और

वहाँ, उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी शैक्षिक स्थिति
किसी भी तरह से स्तर में सुधार नहीं होगा। (सीएडी, वॉल्यूम। 9 , 24 अगस्त

1948 , पृष्ठ 663-664) "

(जोर दिया गया)

209. श्री प्रसाद की टिप्पणियां प्रासंगिक हैं क्योंकि उन्होंने

आरक्षण के सीमित प्रभाव को पहचानता है। आरक्षित रखने के बजाय

कुछ सीटों के लिए, उन्होंने सभी के लिए मुफ्त शिक्षा की वकालत की।

210. संविधान के अनुच्छेद 15 के बारे में बहस में,

सैयद अब्दुर रउफ ने प्रावधान का सार प्रस्तुत किया: द.

इस लेख का उद्देश्य भेदभाव को प्रतिबंधित करना है।

नागरिक "। (देखिए: पी। 650 सी. ए. डी., Vol.7,29 नवंबर 1948)। यह

इरादा केवल महिलाओं और बच्चों के लिए योग्य था। वास्तव में,

मूल फ्रेमर्स ने एक संशोधन को अस्वीकार कर दिया जो होगा

भेदभाव के खिलाफ अनुच्छेद 15 के निषेध को कम कर दिया।

प्रो. के. टी. शाह ने एससी/एसटी के लिए विशेष सुरक्षा की मांग की। वह चाहता था।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुच्छेद 15 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को लाभान्वित करने की अनुमति देगा

सकारात्मक कार्रवाई। इसके लिए, उन्होंने एक संशोधन पेश किया जो 15 (3) को निम्नानुसार पढ़ने के लिए बदल देता: इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। महिलाओं और बच्चों के लिए या अनुसूचित जातियों के लिए या

पिछड़ी जनजातियाँ, उनके लाभ, सुरक्षा या बेहतरी के लिए। (इटैलिक में शाह संशोधन)। प्रो. शाह ने प्रस्ताव रखा

संशोधन:

" ..... ताकि उनके पक्ष में कोई विशेष भेदभाव हो

देश में सभी वर्गों के नागरिकों के लिए समानता। वे.
आवश्यकता है और आने वाले कुछ समय के लिए दिया जाना चाहिए

शिक्षा के संबंध में दर, विशेष उपचार,

रोजगार के लिए अवसर, और कई अन्य मामलों में

जहाँ उनकी वर्तमान असमानता, वर्तमान पिछड़ेपन

यह देश के तेजी से विकास में केवल एक बाधा है।

समानता केवल नाम की समानता या कागज पर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए।

केवल, लेकिन तथ्य की समानता। [पृष्ठ 655-656 CAD, वॉल्यूम। 7 , 29 नवंबर 1948] "।

(जोर दिया गया)

211. तत्काल मामले के लिए प्रासंगिक, वह बताता है कि उसका संशोधन राज्य को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को विशेष सुविधा प्रदान करने की अनुमति देगा।

शिक्षा के संबंध में उपचार। दूसरे शब्दों में, प्रो. शाह।

प्रभावी रूप से 15 (4) और 15 (5) के बराबर चाहते थे लेकिन नहीं किया इसे प्राप्त करें। उनके संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया था। (पी। 664 संविधान का विधानसभा वाद-विवाद, खंड। 7 , 29 नवंबर, 1948)।

212. डॉ. अम्बेडकर प्रो. अम्बेडकर से असहमत थे। शाह के बारे में सीमित आधार कि इसने राज्यों को हरी झंडी दे दी होगी एससी/एसटी को सामान्य श्रेणी के छात्रों से अलग करना:

" हम सभी के मन में जो उद्देश्य है वह यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को नहीं होना चाहिए जातियाँ '। मेरे विचार से वे सुरक्षित रूप से ऐसा कह सकते हैं अनुच्छेद के तहत आश्रय यदि इसे तरीके से संशोधित किया जाता है प्रोफेसर यह चाहते हैं। " [पृष्ठ 661, सी. ए. डी., खंड। 7 , 29 नवंबर

1948] .

213. डॉ. अम्बेडकर ने शाह संशोधन को अस्वीकार नहीं किया।

क्योंकि इसने राज्यों को लागू करने की अनुमति दी होगी शिक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सकारात्मक कार्रवाई। वह चिंतित था।

कि विशेष प्रावधान नकारात्मक भेदभाव का कारण बनेंगे

सकारात्मक कार्रवाई की आड़ में कार्रवाई। यह होगा या नहीं

क्या हुआ है यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसकी चिंता अच्छी तरह से रखी गई है। इसी तरह की समस्या आज भी उत्पन्न होती है, जब सामान्य वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की योग्यता को कमतर देखता है या उन पर सवाल उठाता है

पेशेवरों। हालाँकि व्यक्ति ने कमाई की होगी केवल अंकों पर प्रवेश, अन्य लोग यह मान सकते हैं कि आरक्षण एक कारक था। इस तरह का विश्वास, सच्चाई की परवाह किए बिना, अशोक कुमार ठाकुर बनाम को संकेत नहीं दे सकता है।

भारत और ओआरएस का संघ। 425

[दलवीर भंडारी, जे।]

एससी/एसटी/एसईबीसी की कैरियर संभावनाओं के लिए अच्छी तरह से। चाहे जो भी हो शाह संशोधन को अस्वीकार किए जाने का कारण,

मूल निर्माताओं ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधानों पर विचार किया

इसमें शिक्षा भी शामिल होगी। दिन के अंत में वे

निर्णय लिया कि केवल महिलाओं और बच्चों को लाभ होना चाहिए भेदभावपूर्ण प्रावधान।

214. अनुच्छेद 15 (4) और शाह संशोधन में केवल अंतर है -

कि अनुच्छेद 15 (4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को विशेष प्रावधान प्रदान करता है और

एस. ई. बी. सी., जबकि शाह ने केवल एस. सी./एस. टी. को वही दिया। बेशक, अगर

मूल निर्माताओं ने एससी/एसटी के लिए विशेष प्रावधानों को खारिज कर दिया, वे

एस. ई. बी. सी./एस. सी./एस. टी. के संबंध में भी यही किया होगा। कुल मिलाकर,

अनुच्छेद 15 (3) को महिलाओं और बच्चों तक सीमित करके और एक

मूल निर्माताओं के अनुच्छेद 15 (4) के समतुल्य संशोधन

इरादा स्पष्ट था: पिछड़े वर्गों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं

(शिक्षा में एस. ई. बी. सी./एस. सी./एस. टी.) को अनुच्छेद 15 (1) को कमजोर करना था।

जाति के आधार पर भेदभाव के खिलाफ निषेध।

215. तत्काल मामले में, भारत संघ ने तर्क दिया कि

अनुच्छेद 15 (4), संविधान का पहला संशोधन, दर्शाता है

मूल निर्माताओं का इरादा क्योंकि यह उन्हीं सदस्यों द्वारा पारित किया गया था जिन्होंने मूल संविधान का मसौदा तैयार किया था। में

मूल संविधान ने अपनी अस्वीकृति को नहीं छिपाया चंपकम दोराईराजन (ऊपर)। अनुच्छेद 15 (4) को उलटना था

उस फैसले को। अनुच्छेद 15 (4) को उचित ठहराने के लिए, जो एक

अनुच्छेद 15 (2) में परिकल्पित समानता से नाटकीय विचलन,

(3) और 29 (2), पंडित नेहरू ने कहा कि अनुच्छेद 15 (4) "वास्तव में क्या इरादा था या क्या इरादा होना चाहिए" को प्रभावी बनाएगा। फिर भी, मूल निर्माताओं का, जैसा कि ऊपर बताया गया है, शिक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करने का कोई इरादा नहीं था (और

अगर उनके लिए नहीं, और न ही एस. ई. बी. सी. के लिए)। क्या "इरादा होना चाहिए"

अस्वीकार कर दिया। यह इस प्रकार है कि अनुच्छेद 15 (4) मूल से विचलित है। फ्रेमर्स का मूल इरादा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आरक्षण की सीमाओं को देखा जाना चाहिए

जातिविहीन समाज प्रदान करने का प्रकाश:

216. जाति द्वारा पैदा की गई बुराई को दूर करने की कोशिश में,

मूल निर्माता समाज सुधारक थे। सामाजिक क्रांति

(भारत) को जन्म के आधार पर मध्ययुगीनता से बाहर निकालने के लिए,

धर्म, रीति-रिवाज और समुदाय और उसके सामाजिक पुनर्निर्माण

कानून की आधुनिक नींव पर संरचना, व्यक्तिगत योग्यता और

सदस्य) पत्रिका खंड में, द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली, 8 सितंबर 1946)।

217. भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने आश्वासन दिया कि

राष्ट्र कि सभा और सरकार का उद्देश्य "समाप्त करना" था

गरीबी और गंदगी. भेदभाव और शोषण को समाप्त करने और जीवन की सभ्य स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए। [पृष्ठ पर आधारशिला

27 , एफ. एन. 5 (सी. ए. डी. वी. में प्रसाद से उद्धृत करते हुए, 1,2)]। मूल

फ़्रेमरों ने जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए कदम उठाए। के लिए

अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष सभी समान व्यवहार निषिद्ध है। 15 (1) और 29 (2) में जाति के आधार पर भेदभाव और चयनित

अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों पर संयुक्त। विधायी आरक्षण के लिए

एससी/एसटी एक बनाने के व्यापक लक्षय के लिए एक अपवाद थे जातिविहीन समाज; यही कारण है कि वे 1960 में समाप्त होने वाले थे।

निर्वाचक मंडल के संबंध में, ग्रैनविल ऑस्टिन बताते हैं:

" सबसे बढ़कर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की इच्छा रखने वाले सदस्य

संविधान सभा ने इन उपकरणों को खारिज कर दिया

संयुक्त के पक्ष में अलग-अलग निर्वाचक मंडल को अस्वीकार करके
निर्वाचक मंडल और अनुसूचित को छोड़कर समाप्त करके

जाति और जनजाति. आरक्षित सीटें। सभा

जेनिंग के शब्दों में उनका मानना था कि 'सांप्रदायिकता को पहचानना'
दावे करते हैं। . . सांप्रदायिकता को मजबूत करना है '। [देखू: ऑस्टिन,

पी। 323 कॉर्नरस्टोन।] "

(जोर दिया
गया)

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 427

[दलवीर भंडारी, जे।]

आज भी यही कहा जा सकता है। जाति के आधार पर आरक्षण

एक सीट से वंचित, लाभ प्राप्त करने वाली निचली जातियों के खिलाफ दुर्भावना रखता है
प्रवेश (चाहे वह योग्यता से हो या नहीं)।

218. ये भावनाएँ भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आधार हैं। 16 सितंबर 2006 को, द हिंदू ने
बताया: " जबकि चिकित्सा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के छात्र

जातिगत भेदभाव की शिकायत की है, अब डॉक्टर

गुरु तेग बहादुर अस्पताल (जी. टी. बी. एच.) में आरक्षित श्रेणी

उन्होंने भी आरक्षित वर्ग के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैये के बारे में लिखा है

श्रेणी कनिष्ठ निवासी '।

219. भेदभाव ही एकमात्र समस्या नहीं है जो आरक्षण से बढ़ जाती है। यह देखते हुए कि आरक्षित श्रेणी के छात्रों को लाभ होता है कम अंकों के साथ प्रवेश, यह भी कारण है कि वे

सामान्य श्रेणी के खिलाफ खड़े होने पर वे अपनी पढ़ाई में कम आत्मविश्वास प्रदर्शित करेंगे। अनचाहे पर उनके काम में

कॉलेज में अल्पसंख्यकों के लिए तरजीही व्यवहार के परिणाम संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश, मैरी गिरफोन, एक नीति विश्लेषक

केटो संस्थान (वाशिंगटन, डी. सी.) के लिए लिखते हैं:

..... हाल के शोध से पता चलता है कि सकारात्मक कार्रवाई बाधा डालती है

अल्पसंख्यक छात्रों को कमजोर करके अकादमिक उपलब्धि '

आत्मविश्वास। .....

वरीयताएँ छात्रों की आत्म-छवि को नुकसान पहुँचाती हैं, और यह नुकसान

दरें। दोनों अध्ययन स्टैनफोर्ड के पहले के काम पर आधारित हैं।
विश्वविद्यालय के समाजशास्त्री क्लाउड स्टील, जिन्होंने यह शब्द गढ़ा था

" रूढ़िवादी खतरा "उन समूहों के सदस्यों द्वारा प्रदर्शन में गिरावट को संदर्भित करने के लिए जो डर जाते हैं

नकारात्मक समूह रूढ़िवादिता की पुष्टि करना। स्टील ने उसका परीक्षण किया

श्वेतों के समूहों को मानकीकृत परीक्षा देकर सिद्धांत

और स्टैनफोर्ड में अफ्रीकी-अमेरिकी स्नातक

विश्वविद्यालय।

परीक्षकों ने कुछ समूहों को बताया कि परीक्षा ने सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट का मूल्यांकन किया

[2008] 4 एस सी आर।

परीक्षण से संबंधित मनोवैज्ञानिक कारक, और यह कि यह नहीं था

क्षमता का एक पैमाना। उन्होंने अन्य समूहों को बताया कि परीक्षा

उनकी बौद्धिक क्षमताओं को मापा, और कुछ मामलों में

क्या उन्होंने परीक्षा में अपनी दौड़ का संकेत दिया था। अफ्रीकी

अमेरिकी छात्र जिन्हें अप्रत्यक्ष रूप से "धमकी" दी गई थी
अल्पसंख्यक शैक्षणिक हीनता के रूढ़िवादिता के साथ

परीक्षा में काले छात्रों की तुलना में स्पष्ट रूप से बदतर

अन्य समूह।

यहां तक कि अल्पसंख्यक छात्र जिन्हें वरीयताओं की आवश्यकता नहीं है

रिश्तेदार द्वारा विशेषता वाले वातावरण का जवाब दें

चिंता करके अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक कमजोरी

एक नकारात्मक रूढ़िवादिता की पुष्टि करना। [शोधकर्ताओं] ने यह भी निर्धारित किया कि क्लाउड स्टील के रूढ़िवादिता के लिए भेद्यता

खतरा अल्पसंख्यकों द्वारा अर्जित निम्न ग्रेड से संबंधित है

छात्रों "। (देखिए: पी। 9-10 (आंतरिक उद्धरणों को हटा दिया गया),

कार्यकारी सारांश, सं. 540,6 अप्रैल, 2005

सकारात्मक कार्रवाई मिथक "।)

मुद्दा यह है कि सकारात्मक कार्रवाई परिणाम देती है।

जो इसके अनुमानित लाभों से अधिक हो सकता है।

220. आरक्षण और जातिवाद जैसे इसके अनपेक्षित परिणामों से छुटकारा पाने के लिए, हमें अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए

प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को मजबूत बनाना। तभी हम मूल जातिविहीन/वर्गविहीन समाज को प्राप्त कर पाएंगे।

फ्रेमर्स की परिकल्पना की गई। और तभी आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त करने का कारण होगा।

221. 15 (4) के संबंध में संसद में अपने भाषणों में,

प्रधानमंत्री नेहरू इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकते थे: " आखिरकार संविधान का पूरा उद्देश्य, जैसा कि संविधान में घोषित किया गया है

निर्देशक सिद्धांत उस दिशा में आगे बढ़ना है जो मैं कह सकता हूं जातिविहीन और वर्गविहीन समाज ". और एक समतावादी समाज प्राप्त करने के प्रयास में". हम उन सभी को समाप्त करना चाहते हैं।

हमारे सामाजिक जीवन में जो अनंत विभाजन उत्पन्न हुए हैं, मैं उनका उल्लेख कर रहा हूं।

जाति व्यवस्था और अन्य धार्मिक विभाजनों के लिए, आप उन्हें जो भी नाम से बुलाते हैं। (जोर दिया गया)। [संसदीय

क्रमश: 13 जून, 1951 और 29 मई, 1951 को बहस]।

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 429

[दलवीर भंडारी, जे।]

अगर आरक्षण की अनुमति है, तो कैसे

जातिविहीन समाज को अभी भी साकार किया जाना है?

222. इससे यह मुद्दा उठता है कि विशेष प्रावधानों के लाभार्थियों को कैसे वर्गीकृत किया जाए। जैसा कि ऊपर बताया गया है, श्री साल्वे

और याचिकाकर्ताओं के लिए अन्य विद्वान वकील ने अनुरोध किया कि सरकार आरक्षण अधिनियम के साथ आगे नहीं बढ़ सकती है जब वह

अभी तक अपने लाभार्थियों की पहचान नहीं की है। कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि जनसंख्या का कितना प्रतिशत ओ. बी. सी. है, फिर भी सरकार

ओ. बी. सी. को विश्वविद्यालयों में 27 प्रतिशत सीटें देने से संतुष्ट हैं।

हम नहीं जानते कि जनसंख्या का कितना अनुपात ओ. बी. सी. है।

क्योंकि जनगणना में ओ. बी. सी. की गिनती नहीं की जाती है। यह केंद्रीय रहा है

इससे बचने के लिए स्वतंत्रता के बाद से व्यावहारिक रूप से सरकारी नीति

सवाल करते हैं। प्रख्यात अमेरिकी प्रोफेसर मार्क गैलांटर लिखते हैं

कि जाति के आंकड़ों की अनुपस्थिति जानबूझकर की नीति थी

सरदार पटेल 1950 तक गृह मंत्री रहे। श्री पटेल ने अस्वीकार कर दिया

ब्रिटिश सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए एक उपकरण के रूप में जाति सारणीकरण

भारत एक जाति-ग्रस्त देश था और जाति पर निर्भर प्रशासनिक उपायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक समीचीन देश था।

विभाजन "(देखू: प्रोफेसर मार्क गैलांटर, (1978) "कौन हैं?

ओ. बी. सी. एस.? एक संवैधानिक पहेली का परिचय। 13

सम्मेलन)। ओ. बी. सी. जनगणना करना भयावह है क्योंकि यह सरकार को जाति के आधार पर नीति बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसा करना केवल जाति-विभाजन को आगे बढ़ाता है, हमारे विपरीत

संवैधानिक उद्देश्य। यह 1950 से मान्यता प्राप्त है। अगर

केंद्र सरकार लगातार ओ. बी. सी. जनगणना को खारिज करती रही है। क्योंकि इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए यह केंद्र सरकार उसी आधार पर आरक्षण कैसे दे सकती है? वह एक है।

एक नागरिक से उसकी जाति पूछना, देना या अस्वीकार करना और भी बुरा है

उस आधार पर उनका कॉलेज आवेदन। सरकार यह है कि एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच। उपयोग करने का एकमात्र तरीका है

यह सुनिश्चित करते हुए कि आरक्षण जाति-आधारित जनगणना में जाता है गरीब, वह समूह जिसके लिए आरक्षण अधिनियम कथित रूप से था

पास हो गया। संसद ने अंततः राज्यों की सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट को सक्षम बनाने पर सहमति व्यक्त की

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए प्रावधान प्रदान करना।

कक्षाएँ "। अनुच्छेद 15 (4)। इस न्यायालय ने "पिछड़े" की व्याख्या की है। वर्गीकरण के मानदंडों में से एक के रूप में जाति को शामिल करने के लिए वर्ग

अनुच्छेद 16 (4) के तहत। साहनी I, पैरा 859 (3) (बी)। अन्य में

शब्द, सवहेनी I के अनुसार जाति वर्ग के अंतर्गत आती है, पैरा

859 (3) (ए)।

आर्थिक मानदंड पर आरक्षण की अनुमति है

जाति के अलावा अन्य आधार:

223. जातिविहीन समाज के लक्षय के बावजूद,

संसद ने जाति आधारित आरक्षण की अनुमति दी और,

नतीजतन, जाति-आधारित भेदभाव। अंतत: वे

अनुच्छेद 29 (2) और अनुच्छेद 15 को अनुच्छेद 15 (4) के अधीन किया गया। डॉ.

यह कहते हुए कि "यदि आप उस चीज़ के पक्ष में आरक्षण करते हैं जिसे कहा जाता है पिछड़े वर्ग जो कुछ और नहीं बल्कि कुछ निश्चित वर्गों का संग्रह हैं

जातियाँ, जिन्हें बाहर रखा गया है वे ऐसे व्यक्ति हैं जो संबंधित हैं

कुछ जातियाँ। इसलिए, इस देश की परिस्थितियों में,

कुछ को हटाए बिना आरक्षण से बचना असंभव है।

जिन लोगों की एक जाति है "।

224. अनुच्छेद 10 के मसौदे में डॉ. अम्बेडकर ने समझौता करने की कोशिश की

अवसर की समानता के पक्ष में लोगों का दृष्टिकोण

कुछ समुदायों की मांग जो उपेक्षित रहे

और जो प्रशासन में हिस्सा लेना चाहते थे। करने में।

इसलिए, वे स्पष्ट थे कि समानता की अवधारणा, जो लोकतंत्र का आधार है, का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। उसका एक हिस्सा समझौते का मतलब था कि आरक्षण उचित बना रहना चाहिए।

इस मामले पर अपने विचार बताते हुए उन्होंने कहा:

उन समुदायों की मांग जो अब तक सार्वजनिक सेवाओं में पूरी तरह से कार्यरत नहीं हैं, क्या वास्तव में ऐसा होगा, हम पूरी तरह से नष्ट कर रहे होंगे

पहला प्रस्ताव जिस पर हम सभी सहमत हैं, अर्थात्,

कि अवसर की समानता होगी। मुझे देने दो।

एक उदाहरण। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आरक्षण थे

एक समुदाय या समुदायों के संग्रह के लिए बनाया गया, आशा कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 431

[दलवीर भंडारी, जे।]

जिनका कुल 70 प्रतिशत कुछ ऐसा आया

राज्य के तहत कुल पद और केवल 30 प्रतिशत बनाए रखे गए हैं।

अनारक्षित के रूप में। क्या कोई कह सकता है कि आरक्षण

30 प्रतिशत के रूप में सामान्य प्रतिस्पर्धा के लिए खुला होगा

प्रभाव देने के दृष्टिकोण से संतोषजनक

पहला सिद्धांत, अर्थात्, कि समानता होगी

मौका? यह मेरे निर्णय में नहीं हो सकता है। इसलिए यह

यदि आरक्षण सुसंगत होना है तो सीटें आरक्षित की जाएंगी।

अनुच्छेद 10 के उपखंड (1) के साथ, एक तक सीमित होना चाहिए

सीटों की कमी। (सीएडी, Vol.7,30 नवंबर, 1948 देखें।

pp 701-02) "। 225.
17 नवंबर, 1949 को संविधान सभा ने

संविधान विधेयक का तीसरा वाचन शुरू हुआ। जवाब देते हुए

बहस के दौरान डॉ. अम्बेडकर ने कहा:

" यह चिंता इस तथ्य के अहसास से गहरी हो जाती है कि
जातियों के रूप में हमारे पुराने दुश्मनों के अलावा और

हमारे पास कई राजनीतिक दल होने जा रहे हैं

विविध और विरोधी राजनीतिक पंथ। क्या भारतीय जगह लेंगे?

देश अपने पंथ से ऊपर है या वे पंथ को रखेंगे

देश से ऊपर? में नहीं जानता। लेकिन इतना निश्चित है कि
अगर दल पंथ को देश से ऊपर रखते हैं, तो हमारी स्वतंत्रता

दूसरी बार खतरे में डाला जाएगा और शायद खो दिया जाएगा

हमेशा के लिए। इस संभावना से हम सभी को दृढ़ता से बचना चाहिए।

हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए।

हमारे खून की आखिरी बूंद। (देखिए: 25 नवंबर को सीएडी,

1949 पीपी 977-978) "

(जोर दिया गया)।

226. सुरंग दृष्टि का प्रदर्शन करते हुए, हमारी पहली संसद विफल रही

जाति से परे देखें। एक और विकल्प उपलब्ध था, एक विकल्प कि

मूल फ्रेमर्स के आदर्शों का पालन किया। इसके विपरीत डॉ।

अम्बेडकर का विचार था कि आरक्षण प्रदान करना संभव था

जाति के आधार पर भेदभाव किए बिना पिछड़े वर्ग।

आर्थिक मानदंड गरीब से गरीब व्यक्ति को लक्षित करते हैं, चाहे कोई भी हो

जाति। जैसा कि उल्लेख किया गया है, ये मानदंड एक साथ सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट को भी हटा देते हैं

मलाईदार परत।

227. आरक्षण के अन्य प्रमुख अधिवक्ताओं में से एक

बाद में एहसास हुआ कि नीति अच्छे से ज्यादा नुकसान करती है। प्राइम मंत्री नेहरू ने 27 जून, 1961 को मुख्यमंत्रियों को निम्नलिखित पत्र लिखा:

" मैंने ऊपर दक्षता और हमारे बाहर निकलने का उल्लेख किया है।

हमारे पारंपरिक रूट्स से। इससे आरक्षण और विशेष विशेषाधिकारों की पुरानी आदत से बाहर निकलने की आवश्यकता है।

इस जाति या उस समूह को दिया जा रहा है। हाल ही में हुई बैठक हम यहाँ आयोजित करते थे, जिस पर मुख्यमंत्री मौजूद थे

राष्ट्रीय एकीकरण पर विचार करें, यह निर्धारित किया गया है कि सहायता चाहिए

आर्थिक आधार पर दी जानी चाहिए न कि जाति के आधार पर। यह.

अनुसूचित जातियों और जनजातियों की मदद करने के बारे में सम्मेलन।
वे मदद के लायक हैं, लेकिन फिर भी, मुझे किसी भी तरह की मदद पसंद नहीं है।

आरक्षण, विशेष रूप से सेवा में। मैं जोरदार प्रतिक्रिया देता हूँ।

किसी भी चीज के खिलाफ जो अक्षमता की ओर ले जाती है और दूसरा

दर मानक। मैं चाहता हूं कि मेरा देश प्रथम श्रेणी का देश बने

हर चीज में। जिस क्षण हम दूसरे दर को प्रोत्साहित करते हैं,

हम खो गए हैं।

पिछड़े समूह की मदद करने का एकमात्र वास्तविक तरीका है देना।

अच्छी शिक्षा के अवसर। इसमें शामिल हैं -
तकनीकी शिक्षा, जो अधिकाधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। बाकी सब कुछ किसी प्रकार का प्रावधान है

बैसाखी जो शक्ति या स्वास्थ्य में वृद्धि नहीं करती है

शरीर को। हमने हाल ही में दो निर्णय लिए हैं जो

बहुत महत्वपूर्ण हैं: एक है, सार्वभौमिक मुक्त प्राथमिक

शिक्षा, यही आधार है; और दूसरा है

प्रत्येक श्रेणी में बहुत व्यापक पैमाने पर छात्रवृत्ति
होनहार लड़कों और लड़कियों को शिक्षा, और यह लागू नहीं होता है

केवल साहित्यिक शिक्षा के लिए, लेकिन उससे भी अधिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए। मैं चमक पर जोर देता हूँ और

सक्षम लड़के और लड़कियां। मुझे कोई संदेह नहीं है कि एक विशाल है
इस देश में संभावित प्रतिभा का भंडार अगर केवल हम कर सकते हैं

उसे मौका दें।

[दलवीर भंडारी, जे।]

लेकिन अगर हम सांप्रदायिक और जाति के आधार पर आरक्षण के लिए जाते हैं, तो हम उज्ज्वल और सक्षम लोगों को दलदल में डाल देते हैं और बने रहते हैं।

दूसरा-दर या तीसरा-दर। मुझे यह जानकर दुख होता है कि मैं कितनी दूर हूं।

आरक्षण का यह व्यवसाय सांप्रदायिक आधार पर चला गया है।

विचार करें। यह जानकर मुझे आश्चर्य हुआ है कि
पदोन्नति कभी-कभी सांप्रदायिक और जाति पर आधारित होती है।

विचार करें। यह तरीका न केवल मूर्खता है, बल्कि आपदा भी है। आइए पिछड़े समूहों की हर तरह से मदद करें, लेकिन कभी नहीं

दक्षता की कीमत पर। हम अपना निर्माण कैसे करेंगे?

सार्वजनिक क्षेत्र या वास्तव में दूसरा दर वाला कोई भी क्षेत्र

लोग? "

ओ. बी. सी. की पहचान करना केवल आर्थिक होना चाहिए।
प्रकृति क्योंकि हमारा अंतिम उद्देश्य एक जातिविहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना करना है

228. आर्थिक मानदंड प्रस्तावित करने वाला मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ।

एस. ई. बी. सी. की पहचान करने का विशेष साधन। वसंत कुमार में

मामले में, वकील ने एससी/एसटी के लिए रोजगार और शिक्षा में आरक्षण के संबंध में अदालत से राय मांगी और ओ. बी. सी. यह राय आरक्षण को लागू करने में कर्नाटक सरकार का मार्गदर्शन करेगी। [पैरा 1]। यह हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करता है

पहचान के मुद्दे के उनके गहन विश्लेषण की समीक्षा करें।

229. वसंत कुमार के मामले में न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

“ 24. ..... किसी को कोई संदेह नहीं है कि भविष्य का भारतीय
समाज को जातिविहीन और वर्गविहीन होना था। पंडित

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि
कि महात्मा गाँधी ने नींव हिला दी है

(पंडित नेहरू द्वारा भारत की खोज, अध्याय VI, पृष्ठ 234) राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा, "जाति व्यवस्था। जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक कालातीतता है। अगर हिंदू धर्म और भारत दोनों को दिन-प्रतिदिन जीना है और विकास करना है तो यह जाना ही होगा।

अपनी सर्वोच्च अदालत की रिपोर्टों में

[2008] 4

एस सी आर।

संवैधानिक लक्षय को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना,

जाति स्तरीकरण को नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। अनुच्छेद 38 (2) राज्य को न्यूनतम करने का प्रयास करने का आदेश देता है

आय में असमानता और उसे दूर करने का प्रयास

व्यक्तियों के बीच लेकिन लोगों के समूहों के बीच भी विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए। अनुच्छेद 46 विशेष के साथ पदोन्नति करने के कर्तव्य का आदेश देता है।

कमजोर लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना।

लोगों के वर्ग, और विशेष रूप से, अनुसूचित

जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ, और उनसे उनकी रक्षा करेंगी सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण। जारी रखा।

समाज के विभिन्न जातियों में विभाजन को बनाए रखना

साथ ही स्थिति की असमानता का परिचय देता है। और यह

आर्थिक रूप से अवसादग्रस्त व्यक्ति को अस्तित्व में लाने में वर्ग जाति संरचना और जाति बाधा से परे है।

समाज। इस तरह के समाज की स्थापना के लिए कदम उठाने होंगे जाति को कमजोर और उत्तरोत्तर समाप्त करने के लिए लिया गया

संरचना। दुर्भाग्य से आंदोलन उल्टा है।

गियर। जाति स्तरीकरण कुछ लोगों के लिए अधिक कठोर हो गया है। सीमा, और जहाँ रियायतें और पसंदीदा उपचार

जाति जिसे इसके नामकरण द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया जाएगा। ..... राणे आयोग ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों के रूप में माने जाने के लिए एक संगठित प्रयास किया गया था। राणे आयोग

बालाजी मामले में टिप्पणियों को याद किया [(1963) सप्लीमेंट (1)

एस. सी. आर. 439] कि "सामाजिक पिछड़ेपन चरम पर है।

बहुत हद तक गरीबी के परिणाम का विश्लेषण करें। ..... द. आयोग एक निर्विवाद निष्कर्ष पर पहुंचा कि अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 435

[दलवीर भंडारी, जे।]

कुछ जातियों और समुदायों या वर्गों के बीच

लोग, उनमें से केवल निम्न आय समूह हैं

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े। ..... "

230. इस निर्णय में, इस न्यायालय ने आगे कहा कि यदि

पसंदीदा व्यवहार के लिए राज्य संरक्षण सामाजिक और शैक्षिक निर्धारण के लिए जाति को एकमात्र प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार करता है। पिछड़ेपन, खतरा बहुत बड़ा है कि केवल यही दृष्टिकोण है

जाति व्यवस्था को वैध और स्थायी बनाएगा। जाति-आधारित

आरक्षण हमारे धर्मनिरपेक्ष चरित्र के साथ ठीक नहीं है क्योंकि

संविधान की प्रस्तावना में निहित।

231. उस ने कहा, साहनी प्रथम में बहुमत ने बाद में पक्ष लिया

न्यायमूर्ति चिन्नाप्पा रेड्डी का विचार: जाति एक कारक हो सकती है

एस. ई. बी. सी. की पहचान करना। यह दृश्य हमेशा के लिए नहीं रहना चाहिए। आखिरकार, न्यायमूर्ति देसाई के शब्दों को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए।

232. जस्टिस देसाई एक के साथ दो लक्षय हासिल करना चाहते थे।

कलम की झपकी से गिर पड़ा। अगर उनकी राय प्रबल होती (1) तो मलाईदार परत को यह सुनिश्चित करते हुए हटा दिया जाता कि वास्तव में योग्य

लाभ प्राप्त करें और (2) जातिविहीन समाज

आगे बढ़े। इन उद्देश्यों के लिए, उन्होंने मलाईदार परत को हटाने और साथ ही छुटकारा पाने के लिए आर्थिक मानदंड लागू किए होंगे।

जाति का आरक्षण।

233. उन्होंने समझाया कि गरीबी भारतीयों के लिए अभिशाप है

समाज। व्यापक गरीबी को देखते हुए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि "... बैंक संतुलन, संपत्ति धारण और धन शक्ति।

व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करना और इसकी गारंटी देना शीर्ष स्तर तक पहुँचने के अवसर "। [वसंत कुमार

पैरा 27]। नतीजतन, धन अर्जित करने का तरीका खो गया है।

महत्व "। और "उच्च जाति को यह दर्जा प्राप्त नहीं है या

सम्मान. ग्रामीण क्षेत्रों में भी अत्यधिक पश्चिमीकृत शहरी समाज के बारे में क्या कहा जाए। अंत में, उनके प्रभु ने माना कि मलाईदार परत का बहिष्कार स्वाभाविक रूप से पहचान से जुड़ा हुआ है

आर्थिक मानदंडों के आधार पर, अर्थात "व्यवसाय, आय और भूमि" होल्डिंग्स ":

" 30. ..... यदि प्रतिपूरक 436 के लिए आर्थिक मानदंड

[2008] 4 एस सी आर।

भेदभाव या सकारात्मक कार्रवाई स्वीकार की जाती है, यह

सामाजिक और शिक्षा के मूल उद्देश्य पर हड़ताल करें

पिछड़ेपन, और साथ ही एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए

जाति संरचना के विनाश की दिशा जो बदले में

राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को आगे बढ़ाएंगे। यह

दृष्टिकोण वास्तविकता में जुड़वां का अनुवाद करना चाहता है

संवैधानिक लक्षय: एक, की निरंतरता पर हमला करने के लिए

भारतीय समाज का जाति स्तरीकरण ताकि गिरफ्तारी की जा सके

अवसर देकर गरीबी हटाएँ
समाज के वंचित वर्गों को उनके उत्थान के लिए

पद और जीवन की मुख्यधारा का हिस्सा बनें जिसका अर्थ है

गरीबी उन्मूलन "।

234. आर्थिक मानदंडों में व्यवसाय और भूमि शामिल होनी चाहिए।

होल्डिंग्स क्योंकि अकेले आय अपर्याप्त है। इसे कम करने के लिए

संभावना है कि अयोग्य पहचान से बचने के लिए, यह बुद्धिमानी है एक से अधिक
मानदंडों का उपयोग करें।

235. वसंत कुमार में, न्यायमूर्ति चिन्नाप्पा रेड्डी

न्यायमूर्ति देसाई के आर्थिक मानदंडों के उपयोग से अलग पहचान का एकमात्र साधन।
फिर भी, वह स्वीकार करता है कि "

..... आर्थिक समानता प्राप्त करना अंतिम और एकमात्र समाधान है।

परेशान करने वाली समस्याओं के लिए "। न्यायमूर्ति चिन्नाप्पा रेड्डी में

राय, जाति के आधार पर वर्गीकृत करना आर्थिक की तुलना में आसान है मानदंड:

" 80 : वर्ग गरीबी, व्यक्तिगत गरीबी नहीं, इसलिए है
प्राथमिक परीक्षण। अन्य सहायक परीक्षण जीवन का तरीका हैं,

जीवन स्तर, सामाजिक पदानुक्रम में स्थान,

आदतें और रीति-रिवाज आदि। व्यक्तिगत अपवादों के बावजूद,

सामाजिक रूप से पहचान करना संभव और आसान हो सकता है।

जाति के संदर्भ में, निवास के संदर्भ में, व्यवसाय या किसी अन्य के संदर्भ में पिछड़ेपन

और उप-क्षेत्रवाद, ये जीवन के तथ्य हैं जो नहीं कर सकते
दूर जाना चाहते हैं। यदि वे गरीबी को दर्शाते हैं जो प्राथमिक अशोक कुमार ठाकुर बनाम है।

भारत और ओआरएस का संघ। 437

[दलवीर भंडारी, जे।]

वे अन्य कम के साथ क्या हैं, इसके लिए पहचाने जाएँ
प्राथमिक स्रोत "।

यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई "वर्ग" को कैसे परिभाषित करता है। एक बार आर्थिक

और समुदाय), एक "वर्ग" बना रहेगा। यह "वर्ग" ज्ञात है "गरीबों" के रूप में। जाति की परवाह किए बिना वर्ग एक ही विशेषता साझा करेगा। उन सभी के पास पैसे की कमी होगी।

236. इस न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि

जाति संबंधी संवैधानिक दर्शन। कई पर

अवसरों पर, इस न्यायालय ने घोषणा की है कि पोषित लक्षय

राष्ट्र को एक जातिविहीन समाज का एहसास करना है। श्री वी. वी. गिरि बनाम.

दिप्पाला सूरी डोरा और अन्य (1960) 1 एससीआर 426 442 पर,

न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

44 ..... पिछली शताब्दी के सामाजिक सुधार का इतिहास और

और अधिक ने दिखाया है कि तोड़ना या यहाँ तक कि आराम करना कितना मुश्किल है

के लचीले और अनन्य चरित्र की कठोरता

जाति व्यवस्था। यह आशा की जानी चाहिए कि यह स्थिति बदल जाएगी, और समय के साथ जातिविहीन का पोषित आदर्श बदल जाएगा।

वास्तव में सामाजिक समानता पर आधारित समाज को प्राप्त किया जाएगा

संविधान द्वारा घोषित सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांत का शक्तिशाली प्रभाव

संबंधित कानूनों द्वारा लागू किया गया और इसके परिणामस्वरूप

धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का प्रसार और तर्कसंगत शिक्षा का विकास
दृष्टिकोण और सामाजिक मूल्यों की उचित भावना; लेकिन वर्तमान में

दलित जनजाति या जाति के किसी सदस्य को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें नजरअंदाज करना अवास्तविक और काल्पनिक होगा।

अपने सह-धर्मवादियों के बीच एक उच्च स्थिति का दावा करने में सामना करें।

इसी पृष्ठभूमि के आलोक में वैकल्पिक याचिका दायर की गई है।

अपीलार्थी पर विचार किया जाना चाहिए।

237. एन. एम. थॉमस (ऊपर) में, सात न्यायाधीशों की पीठ

निम्नलिखित रूप में देखा गया:

" यह समाप्ति तभी पूरी होती है जब पूरी तरह से अवसादग्रस्त समूह होते हैं। सार्वजनिक जीवन और सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट में उचित हिस्सेदारी का दावा कर सकते हैं

या जब एक वर्गहीन और जातिविहीन समाज खिलता है
सकारात्मक राज्य कार्रवाई का परिणाम "।

238. अपनी असहमत राय में, न्यायमूर्ति कुलदिप सिंह ने साहनी प्रथम मामले में कहा:

" 339. धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज की मूल विशेषता है।

संविधान। इसमें एकजुट, एकीकृत और जातिविहीन होने की परिकल्पना की गई है।
समाज। ..... जाति के आधार पर निषेध कुल है,

जनादेश यह है कि इस देश में जाति फिर कभी अपना सिर नहीं उठाएगी। यहां तक कि
जमीन पर दुकानों तक पहुंच

जाति निषिद्ध है। भारत की प्रगति हुई है
सामंतवाद से स्वतंत्रता तक जातिवाद और समतावाद।

340. जाति व्यवस्था जिसे कब्र में डाल दिया गया है

संविधान के निर्माता इसकी बदतमीजी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं

विभिन्न रूपों में सिर। जाति के लिए एक गंभीर खतरा है

धर्मनिरपेक्षता और इसकी अखंडता के परिणामस्वरूप

देश। जो इतिहास की घटनाओं से नहीं सीखते हैं
वे फिर से पीड़ित होने के लिए अभिशप्त हैं।

239. अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ में

(रेलवे) (ऊपर), यह निम्नानुसार देखा गया था: :

" 14. इन ताकतों ने हमारे संविधान की जड़ों को पोषित किया

जिन मूल्यों में लड़ाई का विश्वास पाया जाना चाहिए

जातिविहीन समाज, लेबल को मिटाकर नहीं बल्कि
पिछड़े की उन्नति।

240. न्यायाधीशों में से एक, वसंत कुमार के पास लौटना

रेड्डी के तर्क आवश्यक प्रयास के स्तर से संबंधित हैं

खर्च किए गए प्रयास की तुलना में गरीबों की पहचान करें जाति की पहचान करना। वर्तमान संदर्भ में, एस. ई. बी. सी. की स्थिति निर्धारित करने के लिए आर्थिक सहित कई कारकों को मापा जाता है।

(देखिए: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग '

समावेशन के लिए अनुरोधों पर विचार करने के लिए दिशानिर्देश और

अन्य की केंद्रीय सूची में कम-समावेशन की शिकायतें पिछड़े वर्ग)।

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 439

[दलवीर भंडारी, जे।]

241. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

एक तरफ, मैंने अंततः एक प्रणाली स्थापित करने के लिए निर्धारित किया है जो केवल लेता है आर्थिक मानदंडों का संज्ञान। विशुद्ध रूप से आर्थिक मानदंडों का उपयोग करना

पहचान भार को हल्का करेगा, क्योंकि जाति का पता लगाने से

आर्थिक मानदंडों के अनन्य उपयोग के खिलाफ आलोचना। सबसे अधिक देश का गरीब है।

242. इस प्रकार, बहुत से लोग पात्र होंगे

लाभ होता है। यह केवल एक समस्या है यदि आप आरक्षण देते हैं

समूह की कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। इस तरह

एक आरक्षण अत्यधिक अनुचित होगा और होगा

संभवतः 50 प्रतिशत की बालाजी सीमा का उल्लंघन करता है [एम. आर. बालाजी और अन्य देखें। वी.

मैसूर राज्य [(1963) पूरक (1) एससीआर 439]। अगर आर्थिक

आरक्षण एक उचित संख्या तक सीमित था, यह हो सकता है

बरक़रार रखा।

243. बहुत अधिक लोगों को लाभ देने की समस्या के अलावा, जे. रेड्डी दान देने के विचार पर विचार नहीं कर सकते।

आर्थिक रूप से गरीब ब्राह्मण को आरक्षण "। यह विचार कि

गरीब ब्राह्मण भी लेखों के लाभ के पात्र हो सकते हैं।

15 (4) और 16 (4) बहुत विचित्र है जिस पर विचार भी नहीं किया जा सकता है। वह.

उनका कहना है कि वे "सामाजिक रूप से पिछड़े" नहीं हैं, इसलिए उन्हें लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन क्या कोई ब्राह्मण सफाईकर्मी को बुला सकता है,

पेशे से गरीब, सामाजिक रूप से आगे? ऐसा करने के लिए एक

खिंचाव।

244. साहनी I में बहुमत न्याय को दोहराता है

वसंत कुमार में चिन्नाप्पा रेड्डी का संदेश। वे. मलाई को बाहर करने के लिए आर्थिक मानदंडों के एकमात्र उपयोग को अस्वीकार कर दिया

परत, इसे केवल उन्नति का एक उपाय मानते हुए। न्याय

जीवन रेड्डी ने उस भावना को कुछ हद तक योग्य बनाया। अगर आमदनी

बहुत अधिक थे, यह एकमात्र कारक हो सकता है। ऐसे मामले में केवल आय ही यह सुनिश्चित करेगी कि व्यक्ति सामाजिक रूप से आगे बढ़े।

न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी आश्वस्त थे कि जाति अधिक मायने रखती है।

पैसे की तुलना में-विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। वह अपनी बात कहता है पैरा 792 में उदाहरण का तरीका है:

जाति, मध्य पूर्व में जाता है और वहाँ बढ़ई के रूप में काम करता है।
यदि आप उसकी वार्षिक आय को रुपये में लेते हैं, तो यह उचित होगा।

भारतीय मानक से उच्च। क्या उसे बाहर रखा जाना चाहिए?

पिछड़ा वर्ग? क्या उनके बच्चे भारत में हैं?

अनुच्छेद 16 (4) के लाभ से वंचित?
245. जब तक कि बढ़ई कारखाने का मालिक नहीं बन जाता, जहाँ

उनकी आय उनकी स्थिति का प्रतिबिंब होगी, जस्टिस रेड्डी

अपने ही सवाल का जवाब नकारात्मक में देंगे। यह वह जगह है जहाँ हम अलग हो जाते हैं। आज एनआरआई बढ़ई के बच्चों के होने की संभावना है

सबसे अच्छे स्कूलों, ट्यूशन और कोचिंग कक्षाओं में भाग लिया जो

पैसे से खरीद सकते हैं। इन बच्चों को विशेष प्रावधानों की आवश्यकता नहीं है।

यही कारण है कि मैं मलाईदार परत को हटा रहा हूं, समय मांग रहा हूं

जाति आधारित आरक्षण को सीमित करना और सरकार से आग्रह करना कि

विशेष प्रावधानों का लाभ उठाने वाले ओ. बी. सी. की पहचान करने के लिए विशेष रूप से आर्थिक मानदंडों का उपयोग करें।

246. संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऐसा ही लिया है।

सकारात्मक कार्रवाई। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जस्टिस सैंड्रा डे ओ 'कॉनर ने राय दी कि प्रचार करने के लिए एक समय-सीमा हो सकती है

कुछ जातियों के लिए तरजीही उपचार के माध्यम से विविधता: हम उम्मीद करते हैं।

कि अब से 25 साल बाद, नस्लीय प्राथमिकताओं का उपयोग नहीं होगा

आज स्वीकृत ब्याज को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता होगी।

(देखें 343 पर ग्रुटर)।

247. हमारे संदर्भ में, किसी को संसद के अतीत को देखने की आवश्यकता नहीं है।

आरक्षण पर समय-सीमा बढ़ाने के साथ संबंध यह देखने के लिए कि केवल न्यायपालिका ही जाति-आधारित आरक्षण को रोक सकती है। लेख

334 मूल रूप से कहा गया था कि एससी/एसटी/एंग्लो-भारतीयों के लिए आरक्षण

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि समाप्त हो जाएगी

संविधान के दसवें जन्मदिन पर। संसद ने बाद में

45 वें संशोधन द्वारा "तीस वर्षों" के लिए "दस" को प्रतिस्थापित किया गया।

जब वह समाप्त होने वाला था, तो संसद ने इसे दूसरे के लिए बढ़ा दिया।

62 वें संशोधन के दस साल। जब वह समाप्त होने वाला था, तो उसने 79 वें संशोधन के माध्यम से इसे और दस साल के लिए बढ़ा दिया।

इतिहास बताता है कि अशोक कुमार ठाकुर बनाम के लिए यह राजनीतिक रूप से संभव नहीं है।

भारत और ओआरएस का संघ। 441

[दलवीर भंडारी, जे।]

संसद आरक्षण को "नहीं" कहेगी-विशेष रूप से जब जाति है

शामिल हैं।

248. फिर भी, मैंने नोट किया है कि साहनी I अस्वीकार करते हैं

विशुद्ध रूप से आर्थिक मानदंड (व्यवसाय/आय/संपत्ति स्वामित्व / या आर्थिक शक्ति के समान उपाय) के संबंध में

16 (4) के तहत वर्गीकरण। [पैरा 859,4 (ए)]। साहनी मैं नौ साल का हूँ। जज होल्डिंग हमें विवादित व्यक्ति को मारने से रोकता है

कानून इस हद तक कि इसने अभी तक उपयोग से इनकार नहीं किया है

एक निश्चित तिथि तक जाति आधारित आरक्षण। इसे प्राप्त करने के लिए एक जातिविहीन और वर्गविहीन समाज, दस साल के अंतराल के बाद,

विशेष वरीयता या आरक्षण केवल इस पर दिया जाना चाहिए

आर्थिक मानदंड का आधार जब तक कि गंभीर असमानता और असमानता बनी हुई है।

धर्मनिरपेक्षता मूल संरचना का हिस्सा है

249. स्पष्ट रूप से, लक्षय से उत्पन्न होने वाला कोई दावा नहीं है

जातिविहीन समाज को बढ़ावा देना। कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार।

कार्रवाई धर्मनिरपेक्षता में पाई जाती है। हालांकि स्पष्ट रूप से नहीं पाया गया

गैर-संशोधित संविधान, मूल निर्माताओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बनना था। भेदभाव आधारित

अनुच्छेद 14,15 (1) और 15 (2), 16 (1) द्वारा धर्म पर प्रतिबंध है।

और 16 (2), 29 (2) और 325। मूल फ्रेमर्स उनके बाहर चले गए

यह सुनिश्चित करने का तरीका कि अल्पसंख्यक अपने अधिकारों को बनाए रखने में सक्षम होंगे

पहचान। (देखें अनुच्छेद 28,29 और 30)। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि

राज्य एक राज्य धर्म को अपनाने से रोकता है, जबकि अनुच्छेद 25 नागरिकों को धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार देता है।

अधिकारों के साथ-साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। उनमें से एक लेख में पाया जाता है।

51 ए (3), जो नागरिकों को सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए निर्देश देता है और

सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना. धार्मिक विविधताओं से परे।

250. इन प्रावधानों के आधार पर, बोम्मई (1994) 3 एस. सी. सी.

1 अनुच्छेद 304 में धर्मनिरपेक्षता को एक संवैधानिक लक्षय और संविधान की एक बुनियादी विशेषता घोषित किया गया है, जैसा कि केशवानंद सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में पुष्टि की गई है।

भारती और इंदिरा एन. गांधी बनाम राज नारायण। कोई भी कदम इस संवैधानिक नीति के साथ असंगत, सीधे शब्दों में,

असंवैधानिक "। न्यायालय ने तर्क दिया कि मूल फ्रेमर्स

धर्मनिरपेक्षता को आगे बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 25,26 और 27 को अपनाया गया। (देखिए:

बोम्मई पैरा 28 (अहमदी, जे.) पर। धर्मनिरपेक्षता उनके संवैधानिक दर्शन में बहुत अंतर्निहित थी। [पैरा 29]। इस दौरान

संविधान सभा की बहस, पंडित लक्ष्मीकांत मित्रा

(जैसा कि बोम्मई के पैरा 28 में उद्धृत किया गया है):

" धर्मनिरपेक्ष राज्य द्वारा, जैसा कि मैं इसे समझता हूं, इसका मतलब है कि

इस आधार पर कि उन्होंने एक विशेष रूप का दावा किया
धर्म "।

यह आज भी प्रासंगिक है क्योंकि कोटा राज्य है।

उन लोगों के खिलाफ प्रायोजित भेदभाव जो नहीं माने जाते हैं

एस. ई. बी. सी.-जाति धर्म का एक उप-उत्पाद है। हालांकि सकारात्मक

कार्रवाई की अनुमति है, एक बिंदु है जिस पर यह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है।

अंत में, मैं ध्यान देता हूं कि 42 वां संशोधन, जिसे औपचारिक रूप से शामिल किया गया था

प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, केवल वही बनाई गई जो पहले से ही थी अंतर्निहित स्पष्ट। (बोम्मई को पैरा 29 में देखें)।

- जातिविहीन समाज पर निष्कर्ष

251. अंत में, प्रथम संसद, अनुच्छेद लागू करके

15 (5) , मूल फ्रेमर्स के इरादे से विचलित। वे गुजर गए।

एक संशोधन जो जातिवाद को कमजोर करने के बजाय मजबूत करता है।

अगर शिक्षा में जाति आधारित आरक्षण बने रहना है, तो उन्हें रहना चाहिए।
धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत का पालन करना: उन्हें जाति नहीं लेनी चाहिए

हिसाब में। इसके बजाय, विशेष रूप से आर्थिक मानदंड होना चाहिए

उपयोग किया जाता है। दस साल की अवधि के लिए, आय जैसे अन्य कारक,

व्यवसाय और संपत्ति आदि, जाति सहित, हो सकता है

ध्यान में रखा गया और उसके बाद केवल आर्थिक मानदंड

प्रबल होना चाहिए। साहनी मैंने अपने हाथ बांध लिए हैं। फिर भी मैं

उनका मानना है कि जाति मायने रखती है और यह तब तक मायने रखती रहेगी जब तक कि

भारत और ओआरएस का संघ। 443

दलवीर भंडारी, जे।]

हम समाज को जाति के आधार पर विभाजित करते हैं। जाति आधारित भेदभाव

रह जाता है। जातियों के बीच हिंसा होती है। जाति की राजनीति गरमा रही है

पर। जहाँ जातिवाद मौजूद है, वहाँ जातिविहीन को प्राप्त करने का लक्षय है।

समाज को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसके विपरीत कोई भी कानून

त्याग दिया जाना चाहिए।

5. अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) परस्पर हैं।

विरोधाभासी, जैसे कि 15 (5) है

असंवैधानिक?

252. विरोधाभासी होने के बावजूद, मैं उन्हें पढ़ने में सक्षम हूं

सामंजस्यपूर्ण रूप से। याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील श्री के. के.

वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 15 (5) और 15 (4) असंगत हैं।

इस हद तक कि 15 (5) अल्पसंख्यक संस्थानों को छूट देता है

आरक्षण और 15 (4) में सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान शामिल हैं।

आरक्षण योजना में। क्योंकि दोनों प्रावधानों में शामिल हैं

" गैर-अस्थाई खंड ", वे एक दूसरे को शून्य बना देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि

प्रस्तुत किया कि न्यायालय चुनने की स्थिति में है

इस विसंगति के संबंध में उनके बीच। उन्होंने तीन प्रदान किए

वैधानिक व्याख्या के परीक्षण जो हमें इस तरह के संघर्ष को हल करने में मार्गदर्शन देते हैं।

253. पहला, यदि न्यायालय दोनों प्रावधानों का सामंजस्य नहीं बना सकता है,

इसे उस उद्देश्य को अमान्य करना चाहिए जो दूसरे के उद्देश्य को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। सरवन सिंह और एक अन्य बनाम कस्तुरी लाल (1977) 1

एससीसी 750, पृष्ठ 760-761, पैरा 20 पर)। तत्काल मामले में, एक

15 (5) के स्पष्ट उद्देश्यों में से अल्पसंख्यक को छूट देना था।

संस्थान और इस प्रकार अनुच्छेद 30 (1) के साथ टकराव से बचें। यह पाया जाता है

अनुच्छेद 15 (5) के पाठ में ही।

254. हमारा मार्गदर्शन करने के लिए 15 (4) के पाठ में कुछ भी नहीं होने के कारण, हम

इसके उद्देश्यों और कारणों का विवरण:

यह अधिनियम अनुच्छेद 15 (3) को भी बढ़ाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

" कि कोई

विशेष प्रावधान जिसके लिए राज्य बना सके

किसी भी राज्य की शैक्षिक, आर्थिक या सामाजिक प्रगति

पिछड़े वर्ग के नागरिकों को चुनौती नहीं दी जा सकती है

भेदभावपूर्ण होने का आधार "। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

444

255. इस प्रकार, अनुच्छेद 15 (4) को स्पष्ट रूप से पारित नहीं किया गया था। अल्पसंख्यक संस्थानों को शामिल करने का इरादा; न ही यह एक से उत्पन्न हुआ मामला जिसमें अल्पसंख्यक संस्थान एक पक्ष थे। फिर एक बार फिर शुरू से ही अल्पसंख्यक संस्थानों को बाहर करने के लिए पहली संसद के लिए खुला था। अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) के उद्देश्य इस प्रकार नहीं हैं - अनिवार्य रूप से संघर्ष। मुझे पहला परीक्षण अनिर्णायक लगता है और इस तरह बदल जाता है दूसरों के लिए। दूसरा परीक्षण पूछता है कि कौन सा प्रावधान आया बाद की तारीख में प्रभावी (यानी, "बाद में समय में?")) ? वह जो बाद में प्रबल होगा। यहाँ, 15 (5) को बाद में अधिनियमित किया गया था। में। जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कं. लिमिटेड बनाम राज्य उत्तर प्रदेश और अन्य का ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1170 पृष्ठ पर 1174 , पैरा 9, मुझे तीसरा परीक्षण मिलता है; यह प्रदान करता है कि विशिष्ट खंड को जनरल को पछाड़ना चाहिए। अनुच्छेद 15 (5) में विनिर्दिष्ट है कि यह विशेष प्रावधानों को संदर्भित करता है जो प्रवेश से संबंधित हैं शैक्षणिक संस्थान, जबकि 15 (4) ऐसा नहीं करते हैं। उस प्रकार की इकाई का संदर्भ जिस पर विशेष प्रावधानों का आनंद लिया जाना है।

256. क्योंकि 15 (5) समय में बाद में और विशिष्ट है प्रस्तुत प्रश्न के संबंध में, इसे 15 (4) को बेअसर करना चाहिए

शिक्षा में आरक्षण। श्री के. परासरन, विद्वान वरिष्ठ

उत्तरदाताओं के वकील ने सही ढंग से बताया कि संवैधानिक अनुच्छेदों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, न कि

अलगाव। (देखिए: पृष्ठ 582, पैरा 148 पर टी. एम. ए. पाई (ऊपर)। हमारा

व्याख्या सामंजस्यपूर्ण है क्योंकि अनुच्छेद 15 (4) अभी भी लागू होता है।

अन्य क्षेत्रों में जहाँ आरक्षण पारित किया जा सकता है।

6. क्या अनुच्छेद 15 (5) में अल्पसंख्यकों को छूट दी गई है?

आरक्षण के दायरे से संस्थान

संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन?

257. अनुच्छेद 29 (2) और 30 (1) के बीच अंतर्निहित तनाव को देखते हुए, मैं पाता हूं कि अनुच्छेद 29 (2) और अनुच्छेद 30 (1) को साकार करने का प्रमुख संवैधानिक लक्षय

जातिविहीन/वर्गविहीन समाज को बंधन तोड़ने का काम करना चाहिए। अगर हम अल्पसंख्यक होते हैं तो हम गलत दिशा में कदम उठाएंगे।

संस्थान (यहां तक कि जो सहायता प्राप्त हैं) आरक्षण के लिए।

258. अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त संस्थान सीमित आशा कुमार ठाकुर बनाम के अधीन थे।

भारत और ओआरएस का संघ। 445

[दलवीर भंडारी, जे. जे.

आरक्षण का रूप। अल्पसंख्यक चरित्र को संरक्षित करने के लिए

संस्थान का, आरक्षण केवल एक को लगाया जा सकता था

उचित सीमा। अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त संस्थान अपना चयन कर सकते हैं अपने छात्रों को, एक उचित संख्या में प्रवेश देने पर निर्भर

द्वारा प्रदत्त प्रतिशत के अनुसार गैर-अल्पसंख्यक छात्रों का

राज्य सरकार। यह निष्कर्ष दो से लिया गया था परस्पर विरोधी संवैधानिक अनुच्छेद। बेशक, मैं केवल चिंतित हूँ

अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त संस्थानों के साथ क्योंकि मैं पहले से ही

यह निर्धारित किया गया है कि राज्य आरक्षण लागू नहीं करेगा

गैर-सहायता प्राप्त संस्थान (अल्पसंख्यक या गैर-अल्पसंख्यक)।

259. अनुच्छेद 30 (1) में प्रावधान है कि "सभी अल्पसंख्यक, चाहे

धर्म या भाषा के आधार पर, स्थापित करने का अधिकार होगा और अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों का प्रशासन करते हैं। लेख

29 (2) इसमें कहा गया है कि "किसी भी नागरिक को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

केवल धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर राज्य के धन से, भाषा या उनमें से कोई भी "।

260. दूसरे शब्दों में, 30 (1) स्वयं अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त संस्थानों को सभी गैर-अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की अनुमति देगा, और 29 (2)

संविधान को बाधित करते हुए, इस न्यायालय ने एक समझौता किया और दोनों को बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्रावधान को कमजोर किया। लेख पढ़ना

30 (1) और 29 (2) सामंजस्यपूर्ण रूप से, केरल शिक्षा विधेयक प्रदान किया गया

कि एक बार जब अल्पसंख्यक संस्थानों को सहायता मिलती है, तो

बाहरी लोगों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। 261. " छिड़काव ने यह सुनिश्चित किया कि संस्थान का अल्पसंख्यक चरित्र नष्ट नहीं होगा। "छिड़के गए" सीटों के संबंध में,

अल्पसंख्यक संस्थान धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते।

अनुच्छेद 29 (2) का उल्लंघन। साथ ही, यदि राज्य सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों को बहुत अधिक गैर-अल्पसंख्यक लेने के लिए मजबूर करता है

छात्रों, संस्थान केवल नाम में "अल्पसंख्यक" होगा। लेकिन

"बहुत अधिक" का क्या अर्थ है? क्या "छिड़काव" की मात्रा निर्धारित की जा सकती है?

अस्पष्टता को दूर करते हुए, सेंट स्टीफंस ने माना कि अल्पसंख्यक

संस्थानों को अपनी 50 प्रतिशत सीटें बाहरी लोगों को उपलब्ध करानी चाहिए 446

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और अन्य 50 प्रतिशत (अपने समुदाय) के लिए प्रवेश अनिवार्य है।

योग्यता के आधार पर किया जाए। पाई ने बाद में इससे जुड़ी कठोरता को खारिज कर दिया।

निश्चित प्रतिशत। इन पंक्तियों के साथ, पाई एक और अधिक पर लौट आए
लचीला मानक, केरल शिक्षा में "छिड़काव" के समान

बिल: जिस क्षण कोई अल्पसंख्यक संस्थान सहायता लेता है, उसे स्वीकार करना पड़ता है

गैर-अल्पसंख्यक छात्र एक उचित सीमा तक, जिसके द्वारा

संस्था के चरित्र को बनाए रखा गया और फिर भी नागरिक '

अनुच्छेद 29 (2) के अधिकारों को बाधित नहीं किया गया था। (यह भी देखे: पैरा में पाई

149) .

इस प्रकार, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यकों के लिए दो प्रवेश पूल बनाए गए

संस्थान: अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक पूल में, योग्यता

गौर किया जाना था। गैर-अल्पसंख्यक पूल से, आरक्षण

कमजोर वर्गों के लिए बनाई जा सकती है जबकि शेष सीटें,

यदि कोई हो, तो योग्यता के आधार पर गैर-अल्पसंख्यकों को वितरित किया जाएगा।

विद्यार्थी।

एच. यह राज्य के अधिकारियों के लिए खुला होगा कि वे इस पर जोर दें

समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों को सीटों का एक निश्चित प्रतिशत
आवंटित करना, गैर में से

अल्पसंख्यक सीटें "। [पैरा 152 पर पाई]।

262. आरक्षण के प्रतिशत के संबंध में, राज्य

सरकारों को गैर-अल्पसंख्यक का प्रतिशत निर्धारित करना था।

उस राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार सीटें। प्रशंसा के रूप में

आरक्षण, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान भी इसके अधीन थे

प्रशासन और प्रबंधन का विनियमन। पाई ने पैरा 72 में घोषित किया जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है:

" एक बार सहायता एक निजी पेशेवर शैक्षिक को प्रदान की जाती है

संस्था, सरकार या राज्य एजेंसी, एक के रूप में

सहायता अनुदान की शर्त, प्रशासन और प्रबंधन के मामले में स्वतंत्रता पर बंधन लगा सकती है संस्था। राज्य, जो एक शैक्षिक को सहायता प्रदान करता है

संस्था, उच्च मानकों के उचित रखरखाव के लिए आवश्यक शर्तों को लागू कर सकती है

वित्तीय बोझ के रूप में शिक्षा राज्य द्वारा साझा की जाती है।

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 447

[दलवीर भंडारी, जे।]

263. शर्तों को लागू करने की सामान्य शक्ति के अलावा

जो उच्च मानकों या उत्कृष्टता को बनाए रखना चाहते हैं

शिक्षा ", राज्य एक संबंधित के तहत इसे लागू कर सकता है

लेकिन अलग तर्क। अर्थात् उक्त विनियमों को बरकरार रखा जा सकता है।

राष्ट्रीय हित के नाम पर। [पैरा 107 पर पाई]। फिर भी

सरकार अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट नहीं कर सकी

संस्था। [पैरा 107]। न ही यह मिटा सका अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना या प्रशासन। [पैरा

107] . (ए) बनाए रखने के बीच एक संतुलन बनाया जाना था

शैक्षणिक गुणवत्ता और (बी) अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना/प्रशासन। नियम जो

इन दोनों उद्देश्यों को स्वीकार करना उचित माना गया।

[पैरा 122 पर पाई]।

264. बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या अनुच्छेद 30 था

अल्पसंख्यकों को गैर की तुलना में समान या उच्च स्तर पर रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है

अल्पसंख्यक। यह सवाल दोनों के बीच हुई बहस में विस्तार से सामने आया। इस्लामिक अकादमी में खरे, सी. जे. और न्यायमूर्ति सिन्हा। लिखने के लिए

बहुमत से, मुख्य न्यायाधीश खरे पाई के साथ मुद्दा उठाते हैं। मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि पाई ने अल्पसंख्यक अधिकारों को गलत तरीके से वर्गीकृत किया है

गैर-अल्पसंख्यक के बराबर। उसकी एक बात है। अल्पसंख्यकों

अपने समुदायों के लिए संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 के अनुसार; गैर-अल्पसंख्यक ऐसा नहीं कर सकते। उनके प्रभुपाद ने कहा: (पैरा 9 पृष्ठ 723)

" ..... हम इन अनुच्छेदों को इस अर्थ में नहीं पढ़ते हैं कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को समान अधिकार होंगे।

जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को प्रदान किए गए हैं। गैर-अल्पसंख्यक

30. इस प्रकार, कुछ मामलों में वे खड़े नहीं हो सकते और न ही खड़े हो सकते हैं। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के समान आधार पर।

भले ही अनुच्छेद 30 के पीछे का सिद्धांत यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा की जाए और उन्हें समान अधिकार दिए जाएं।

इलाज फिर भी अनुच्छेद 30 के तहत दिया गया विशेष अधिकार करता है

उन्हें कुछ लाभ दें। सेंट
जेवियर के मामले (1975) 1 एस. सी. आर. 173 पर भरोसा करते हुए।

पाई सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

448

[2008] 4 एस सी आर।

निष्कर्ष निकाला कि अनुच्छेद 30 का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को सुनिश्चित करना था
समान व्यवहार और कुछ नहीं।

265. यह सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज मामले में पृष्ठ पर देखा गया था।
192 , कि "अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान करने का पूरा उद्देश्य
अनुच्छेद 30 के तहत यह सुनिश्चित करना है कि दोनों के बीच समानता होगी।
बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। यदि अल्पसंख्यकों के पास ऐसा नहीं है
विशेष संरक्षण, उन्हें समानता से वंचित कर दिया जाएगा। अल्पसंख्यक
संस्थाओं को वही करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो गैर-अल्पसंख्यक करते हैं।
संस्थानों को ऐसा करने की अनुमति है। [पैरा 138 पर पाई]।

266. इस्लामी में बहुमत के विपरीत, न्यायमूर्ति सिन्हा
निष्कर्ष यह है कि अनुच्छेद 30 (1) अल्पसंख्यकों को एक समान मंच पर उठाता है
और अधिक नहीं। प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

अल्पसंख्यकों को उसी मंच पर लाना जिसके
स्थापित करने के अधिकार के संबंध में गैर-अल्पसंख्यक और

के उद्देश्य से एक शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन करना

अपने समुदाय के सदस्यों को शिक्षा प्रदान करना

चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो। [देखू: इस्लामी

पैरा 105 पर अकादमी] "।

267. न्यायमूर्ति सिन्हा संरक्षण की आड़ में गैर-अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करना संवैधानिक रूप से अनैतिक मानते हैं।

अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार। [देखिए: इस्लामी अकादमी

पैरा 118 पर]। यहां तक कि उन लेखों के बावजूद जो वरीयता प्रदान करते हैं

अल्पसंख्यक या कमजोर वर्गों के साथ व्यवहार, जैसे, 30 (1), 15 (4) और

16 (4) , समानता के अधिकार का कुछ अर्थ होना चाहिए।

268. न्यायमूर्ति खरे, जैसा कि वे तब थे, निष्कर्ष निकालते हैं कि मूल निर्माताओं ने आशा कुमार ठाकुर बनाम को स्थापित करने के लिए अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 (1) प्रदान किया था।

भारत और ओआरएस का संघ। 449

[दलवीर भंडारी, जे।]

उनमें आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना। [पैरा 229 पर पृष्ठ 615 पर पाई]। शिक्षा की स्थापना और प्रशासन का उनका अधिकार संस्थाओं को केवल विधान द्वारा हड़पा नहीं जा सकता था। खरे, जे।

पैरा 229 पी में कहा गया है। 615 :

" इस प्रकार, गैर-भेदभाव के नियम को बनाए रखते हुए
अनुच्छेद 29 (2) द्वारा परिकल्पित, अल्पसंख्यकों को भी होना चाहिए

अपने छात्रों को वरीयता देने का अधिकार

समुदाय अपने स्वयं के प्रवेश के मामले में

संस्था। अन्यथा, कोई अर्थ नहीं होगा

संविधान में अनुच्छेद 30 (1) का उद्देश्य। सच है, रसीद
राज्य सहायता इसे अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए अनिवार्य बनाती है

संस्थान को गैर-अल्पसंख्यक लोगों के लिए खुला रखने के लिए संस्था

निर्दिष्ट आधारों पर भेदभाव के बिना छात्र।

लेकिन, यह मानने के लिए कि राज्य सहायता की प्राप्ति पूरी तरह से

अल्पसंख्यक शिक्षा के प्रबंधन को अक्षम करता है

अपने समुदाय के छात्रों को प्रवेश देने से संस्थान
किसी भी हद तक अनुच्छेद 30 के सार को अस्वीकार करना होगा

संविधान। इसलिए यह आवश्यक है कि अल्पसंख्यक

अपने स्वयं के छात्रों को प्रवेश देने के लिए तरजीही अधिकार दिए जाएँ

संविधान में अनुच्छेद 30 "।

269. -अल्पसंख्यकों के पास एक अधिकार या विशेषाधिकार है जो

अल्पसंख्यक नहीं करते हैं: संस्थानों की स्थापना और प्रशासन

उनका समुदाय। सहायता प्राप्त संस्थानों में अपने छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार

अल्पसंख्यक संस्थान एक उचित स्वीकार करने के अधीन थे

आरक्षण अधिनियम से संस्थानों को लाभ होगा: इसके बजाय उचित संख्या में बाहरी
लोगों को स्वीकार करने के लिए वे

आरक्षण से छूट दी जाए। लेकिन उनके गैर-अल्पसंख्यक समकक्ष ऐसा नहीं करेंगे। क्या इससे उनकी हैसियत बढ़ती है? जबकि यह

संवैधानिक लक्षय और दर्शन को ध्यान में रखें। वर्गहीन/जातिविहीन समाज को आगे बढ़ाने के अंतिम लक्षय को देखते हुए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है एक अंग पर बाहर जाना और उन्हें संशोधन में फिर से लिखना। ऐसा मैं।

एक निर्णय जाति-आधारित और भी अधिक संस्थानों के अधीन होगा आरक्षण। यह राष्ट्र के लिए एक कदम पीछे होगा

जाति विभाजन। मैं उस दिशा में जाने से इनकार करता हूं।

क्या समीक्षा के मानक निर्धारित किए गए हैं

7 .

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय हमारी समीक्षा पर लागू होता है

अनुच्छेद 15 (5) और इसी तरह के तहत सकारात्मक कार्रवाई प्रावधान?

270. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अमेरिकी कानून निश्चित रूप से बाध्यकारी नहीं है।

लेकिन इसका बहुत अधिक प्रेरक मूल्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके

नस्ल की समस्या हमारी जाति की समस्या के समान है। जहाँ अन्य इसी तरह के मुद्दों की बहुत विस्तार से समीक्षा की है, यह हमें शोभा देता है

उनकी गलतियों के साथ-साथ उपलब्धियों से भी सीखें।

श्री आर. वेंकटरमन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति

प्रख्यात संवैधानिक विशेषज्ञ डॉ. एल. एम. सिंघवी की पुस्तक "लोकतंत्र और कानून का शासन: फाउंडेशन और

फ्रंटियर्स ने उचित रूप से अवलोकन किया है जो नीचे दिया गया है:

" समाज विचारों के आदान-प्रदान से ही आगे बढ़ता है और

विचार। सोचिए दुनिया की क्या दयनीय स्थिति होगी।

सभी कोनों में विचार और विचार नहीं फैले थे दुनिया से। पूरे इतिहास में, दार्शनिकों, सुधारकों,

विचारकों और विद्वानों ने अपने विचारों को दर्ज किया है,

चाहे उन्हें स्वीकार किया गया हो या नहीं

समय, और इस प्रकार की प्रगति में योगदान दिया

मानव जाति। भारत इस सेमीफाइनल को शामिल करने वाला पहला देश था।

वैश्विक विचार। ऋग्वेद में कहा गया है:
एनो भद्राह कृत्तावो यंतु विश्वाता

हर तरफ से महान विचार हमारे पास आने दें।

8. ओ. बी. सी. पहचान के संबंध में, था

आरक्षण अधिनियम की शक्ति का प्रत्यायोजन
केंद्र सरकार अत्यधिक?

271. यह कोई अत्यधिक प्रतिनिधित्व नहीं है। मैं सहमत हूँ कि

अपने फैसले के पैरा 185 पर मुख्य न्यायाधीश का तर्क।

अशोक कुमार ठाकुर बनाम। भारत और ओआरएस का संघ। 451

[दलवीर भंडारी, जे।

क्या विवादित कानून अमान्य है क्योंकि यह विफल रहता है

9 .

जाति-आधारित आरक्षण के लिए एक समय-सीमा निर्धारित करें?

272. यह अमान्य नहीं है क्योंकि यह समय-सीमा निर्धारित करने में विफल रहता है। दिया गया है।

संसद का समय बढ़ाने का इतिहास-अन्य पर सीमाएँ आरक्षण योजनाएं, इस तर्क के लिए बहुत बल है कि

संसद हमेशा आरक्षण का विस्तार करती रहेगी। के रूप में

ऊपर उल्लेख किया गया है, यह हमारे संवैधानिक लक्षय के अनुरूप है

एक वर्गहीन/जातिविहीन समाज की प्राप्ति के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाए।

उनका मानना है कि एस. ई. बी. सी. की पहचान करने के लिए केवल आर्थिक मानदंडों का उपयोग किया जा सकता है और यह कि यह एक निश्चित तिथि तक किया जाना चाहिए।

10. एक छात्र अब किस बिंदु पर नहीं है

शैक्षिक रूप से पिछड़े और इस प्रकार अब नहीं

15 (5) के तहत विशेष प्रावधानों के लिए पात्र हैं?

273. एक बार जब कोई उम्मीदवार किसी विश्वविद्यालय से स्नातक हो जाता है, तो उसे

शैक्षिक रूप से आगे माना जाए। के लिए वरिष्ठ वकील याचिकाकर्ता श्री पी. पी. राव ने तर्क दिया कि जिनके पास है

प्लस 2 पूरा करने वाले को शैक्षिक रूप से आगे माना जाना चाहिए।

दूसरे शब्दों में, वे अब आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे

. विश्वविद्यालय या स्नातकोत्तर अध्ययन में। कुछ बल है

यह तर्क जहां प्रासंगिक आयु वर्ग में केवल 18 प्रतिशत के पास है

प्लस 2 पूरा किया। इस सुविधाजनक बिंदु से, इसका मतलब है कि वे

वे शैक्षिक रूप से कुलीन हैं। लेकिन कानून में अधिकांश प्रश्नों का उत्तर

यह इतना सरल नहीं है। जवाब अक्सर इस पर निर्भर करता है कि

मुद्दे के आसपास की परिस्थितियाँ। बाजार में, ए उम्मीदवार जिसने उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की हो

इसे "आगे" नहीं माना जा सकता है। उच्चतर का वास्तविक मूल्य माध्यमिक डिग्री यह है कि यह कॉलेज के लिए एक पूर्व शर्त है।

प्रवेश। प्लस तक दी जाने वाली शिक्षा की सामान्य गुणवत्ता

कुछ प्रवेश स्तर के सरकारी पद केवल कॉलेज को स्वीकार करते हैं। स्नातक। एक उम्मीदवार तक शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है।

एक विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। एक बार हो जाने के बाद, वह अब नहीं रहेगा।

आरक्षण का लाभ उठाएँ।

फिर उसे सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिनिधि माना जाता है।

[2008] 4 एस सी आर।

452

शैक्षिक रूप से आगे। मास्टर में प्रवेश के लिए

मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ लॉ, मास्टर ऑफ आर्ट्स आदि जैसे कार्यक्रमों में से कोई भी विशेष पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं होगा।

स्नातकोत्तर या आगे की पढ़ाई में प्रवेश के लिए लाभ

इसके बाद।

11. क्या ओ. बी. सी. को संतुलित करना उचित होगा?

सामाजिक हितों के साथ आरक्षण की स्थापना
ओ. बी. सी. कट-ऑफ अंक जो उससे थोड़े कम हैं।

सामान्य श्रेणी का?

274. बालाजी (ऊपर) ने निष्कर्ष निकाला कि आरक्षण होना चाहिए

उचित है। निरीक्षण समिति ने एक

ऐसी सिफारिश जो इसे सुनिश्चित करेगी। के पृष्ठ 34 पर निगरानी समिति ने अपनी रिपोर्ट के प्रथम खंड की सिफारिश की

कि उत्कृष्टता संस्थान अपने स्वयं के कट ऑफ अंक इस तरह निर्धारित करते हैं उस गुणवत्ता से पूरी तरह से समझौता नहीं किया जाता है। कट ऑफ या

निरीक्षण समिति द्वारा सुझाए गए प्रवेश सीमा

पुनरुत्पादित किए जाते हैं:

" 4.4. 2 समिति मानती है कि वे

उच्च शिक्षा के संस्थान 'जिन्होंने एक

वैश्विक प्रतिष्ठा (जैसे आई. आई. टी., आई. आई. एम., आई. आई. एस. सी., एम्स और अन्य)
असाधारण गुणवत्ता वाले संस्थान), केवल तभी बनाए रख सकते हैं जब

संकाय और छात्रों दोनों में उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है।

इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि सीमा
प्रवेश के लिए संबंधित द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए

अकेले संस्थान, जैसा कि आज किया जाता है, ताकि इसके स्तर

उत्कृष्टता से कोई समझौता नहीं किया जाता है।

4.4. 3 इसके अलावा अन्य संस्थानों में 'कट-ऑफ' के संबंध में

जिन्हें पैरा 7 में उल्लिखित किया गया है, उन्हें रखा जा सकता है

एससी/एसटी और उनके बीच कहीं बीच में

अनारक्षित श्रेणी, सावधानीपूर्वक कैलिब्रेट की गई है ताकि समानता और उत्कृष्टता दोनों के सिद्धांतों को समझा जा सके
बनाए रखा।

4.4. 4 समिति दृढ़ता से महसूस करती है कि छात्र

जो वर्तमान में बाहर हो जाते हैं, उन्हें प्रत्येक अशोक कुमार ठाकुर बनाम दिया जाना चाहिए।

भारत और ओआरएस का संघ। 453

[दलवीर भंडारी, जे।]

अपनी उपलब्धि के स्तर को बढ़ाने का एकल अवसर,
ताकि वे अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुँच सकें। सरकार ने

शक्तिशाली, अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए निर्माण में भारी निवेश करना चाहिए

और प्राप्त करने के लिए उपचारात्मक प्रारंभिक उपायों को निष्पादित किया

यह उद्देश्य पूरी तरह से "।

275. उत्कृष्टता के मानक हालांकि सीमित नहीं होने चाहिए।

सर्वोत्तम सहायता प्राप्त संस्थानों को। राष्ट्र चाहता है कि उसके नागरिक

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना। पूरा समाज खड़ा है

तर्कसंगत आरक्षण योजना से लाभ उठाएँ।

276. शैक्षणिक संस्थानों में 68 प्रतिशत आरक्षण का पता लगाना

कि आरक्षण अन्य के खिलाफ उचित और संतुलित होना चाहिए सामाजिक हित। राज्यों को उचित और समान रूप से लेना होगा।

कमजोर तत्वों की प्रगति में मदद करने के लिए उदार कदम;

समस्या की सीमा को महत्व दिया जाना चाहिए, बड़े पैमाने पर समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए और एक सूत्र होना चाहिए।

विकसित किया जाना चाहिए जो एक उचित संतुलन बनाएगा। कई प्रासंगिक विचारों के बीच। ऐसा प्रहार करने के लिए

शेष, बालाजी ने विवादित आरक्षण को 68 से घटाकर

50 प्रतिशत से कम।

277. बालाजी इस प्रकार एक उदाहरण के रूप में कार्य करता है जिसमें यह न्यायालय

यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि आरक्षण उचित रहेगा। हम.

इस उदाहरण पर ध्यान दें। ऐसा कोई मामला नहीं होना चाहिए जिसमें ओ. बी. सी. और सामान्य श्रेणी के छात्रों के बीच कट ऑफ अंकों का अंतर हो।

बहुत बड़ा। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए, ओ. बी. सी. के लिए कट ऑफ अंक

सामान्य से कम 10 अंक निर्धारित किए जाने चाहिए। श्रेणी।

278. इसके लिए सरकार एक समिति का गठन करेगी।

ओ. बी. सी. कट ऑफ निर्धारित करने के सवाल पर गौर करने के लिए

सामान्य श्रेणी से 10 अंक कम। इस तरह के योजना, जब भी गैर-मलाईदार परत वाले ओ. बी. सी. भरने में विफल रहते हैं

27 % आरक्षण, शेष सीटें सामान्य श्रेणी के छात्रों को वापस कर दी जाएंगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

454

[2008] 4 एस सी आर।

निष्कर्षों का सारांश

1 ए. क्या क्रीमी लेयर को 93 वें संशोधन (आरक्षण अधिनियम) से बाहर रखा जाए?

हाँ, यह होना ही चाहिए। 93 वां संशोधन अधिकार से परे होगा और

यदि मलाईदार परत को बाहर नहीं रखा गया है तो अमान्य है।

पैरा 22,25,27,30,34,35,43,44 देखिए।

1 बी. मलाईदार परत के लिए क्या मापदंड हैं?

बहिष्करण?

मलाईदार परत बहिष्करण की एक वैध विधि के लिए,

सरकार अपने पद-साहनी I मानदंड का उपयोग एक टेम्पलेट के रूप में कर सकती है। (देखिए: कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8-9-1993, पैरा 2 (c)/कॉलम

3) . मैं सरकार से समय-समय पर ओ. एम. में संशोधन करने का आग्रह करता हूं ताकि

हमारे संवैधानिक लक्षय को ध्यान में रखते हुए बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखा जा सकता है।

मैं सरकार से बच्चों को बाहर करने का आग्रह करता हूं।

संसद के पूर्व और वर्तमान सदस्य और सदस्य

विधान सभाओं और उक्त ओ. एम. में संशोधन किया जाए।

तदनुसार

पैरास 55-57 देखें।

1 सी. क्या क्रीमी लेयर बहिष्करण एससी/एसटी पर लागू होता है?

इंद्र साहनी-एल में, मलाईदार परत का बहिष्करण केवल इन में था

ओ. बी. सी. के बारे में। न्यायमूर्ति रेड्डी पैरा में बहुमत के लिए बोल रहे हैं

792 उन्होंने कहा कि "यह चर्चा अन्य पिछड़े लोगों तक ही सीमित है

केवल वर्ग और अनुसूचित के मामले में कोई प्रासंगिकता नहीं है

जनजातियाँ और अनुसूचित जातियाँ "। इसी तरह, तत्काल मामले में,

पूरी चर्चा केवल अन्य पिछड़े लोगों तक ही सीमित थी

कक्षाएँ। इसलिए, मैं इस संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं करता हूं

अनुसूचित पर मलाईदार परत के अपवर्जन की प्रयोज्यता

जाति और अनुसूचित जनजाति।

पैरा 34 देखें।

2. क्या अनुच्छेद 21 ए के तहत मौलिक अधिकार अशोक कुमार ठाकुर बनाम हो सकता है?

भारत और ओआरएस का संघ। 455

[दलवीर भंडारी, जे।]

बहुत जोर दिए बिना पूरा किया जाए
प्राथमिक शिक्षा?

नहीं, यह नहीं हो सकता।

उच्च और प्राथमिक के बीच प्राथमिकताओं में एक व्युत्क्रम /

माध्यमिक शिक्षा अनुच्छेद 21 ए का अनुपालन करेगी।

बेहद मुश्किल। यह सुझाव नहीं दिया जाता है कि उच्च शिक्षा

प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है या उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं है।

अधिक धन प्राप्त करें, लेकिन बहुत अधिक होना चाहिए प्राथमिक शिक्षा पर जोर। हमारी प्राथमिकताएँ होनी चाहिए

बदल गया। वास्तव में कुल सुनिश्चित करने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है।

अनुच्छेद 21 ए का अनुपालन। पूर्ण अनुपालन का मतलब अच्छा है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है और छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चे नियमित रूप से स्कूलों में जाते हैं। मैं सरकार से निम्नलिखित को लागू करने का आग्रह करता हूं:

अनिवार्य शिक्षा पर कानूनों का वर्तमान पैचवर्क है

अपर्याप्त। मौद्रिक जुर्माना यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि

अनुच्छेद 21 ए लागू किया गया है। केंद्र सरकार को करना चाहिए

कानून बनाएँ कि:

(क) कम आय वाले माता-पिता/अभिभावकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

प्रोत्साहन इस तरह से कि वे उन्हें भेजने का खर्च उठा सकें बच्चे स्कूल जाते हैं;

(ख) वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों को आपराधिक दंड देता है।

प्रोत्साहन और इस तरह के भुगतान के बावजूद उन्हें भेजें बच्चे काम करने के लिए;

(ग) उन नियोक्ताओं को दंडित करता है जो बच्चों को प्रतिबंधित करते हैं

विद्यालयों में उपस्थित होना;

((घ) दण्ड में कारावास शामिल होना चाहिए;

उपरोक्त विधेयक एक उदाहरण के रूप में काम करेगा। द. अनुच्छेद 21 ए के तहत राज्य इसे लागू करने के लिए बाध्य है।

पूर्णत: नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा।

(ई) जब तक हम छह से लेकर छह साल तक के बच्चों के लिए काम पूरा नहीं कर लेते

चौदह वर्ष मुक्त और अनिवार्य का उद्देश्य 456

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

शिक्षा, सरकार को जारी रखना चाहिए

शिक्षा बजट बढ़ाएँ और गंभीरता से काम लें

यह सुनिश्चित करने के प्रयास कि बच्चे स्कूल जाएं और

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें;

(च) संसद को एक समय सीमा तय करनी चाहिए कि किस समय तक

मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शायद है
सभी मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण। के लिए

शिक्षा के बिना, यह बहुत मुश्किल हो जाता है

अन्य मौलिक अधिकारों का प्रयोग करें।

पैरास 126-131 देखें।

क्या 93 वां संशोधन बुनियादी नियमों का उल्लंघन करता है?

3 .

लागू करके संविधान की संरचना
गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में आरक्षण?

हाँ, यह करता है। गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों पर आरक्षण लागू करना

अपने नागरिकों को अलग करके मूल संरचना का उल्लंघन करता है

अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत मौलिक अधिकार

पेशा। टी. एम. ए. पाई और इनामदार ने पुष्टि की कि शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और संचालन इसके अंतर्गत आता है।

व्यवसाय का अधिकार। छात्रों के चयन का अधिकार

योग्यता का आधार स्थापित करने के अधिकार की एक अनिवार्य विशेषता है।

और एक गैर-सहायता प्राप्त संस्थान चलाएँ। आरक्षण अनुचित है।

प्रतिबंध जो एक गैर-सहायता प्राप्त संस्थान की स्वायत्तता और सार को नष्ट करके इस अधिकार का उल्लंघन करता है। 93 वें का प्रभाव

संशोधन ऐसा है कि अनुच्छेद 19 को निरस्त कर दिया जाता है,

बुनियादी संरचना में बदलाव किया गया है। बुनियादी संरचना को बहाल करने के लिए, मैं 93 वें संशोधन के "गैर-सहायता प्राप्त" संस्थानों के संदर्भ को तोड़ता हूं।

पैरास 132-182 देखें।

4. क्या एस. ई. बी. सी. की पहचान करने के लिए जाति का उपयोग चलता है

जातिविहीन/वर्गविहीन समाज में

धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन।

साहनी मैं मुझे यह निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर करता हूं कि जाति का उपयोग आशा कुमार ठाकुर बनाम है।

भारत और ओआरएस का संघ। 457

[दलवीर भंडारी, जे।]

वैध है। ऐसा कहा जाता है कि अगर शिक्षा में आरक्षण बने रहना है, तो इसे होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत का पालन करना: इसे जाति नहीं लेनी चाहिए।

उपयोग किया जाता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि दस साल की अवधि के लिए जाति और अन्य कारक जैसे कि व्यवसाय/आय/संपत्ति या आर्थिक शक्ति के समान उपायों को

ध्यान में रखा जा सकता है और उसके बाद केवल आर्थिक मानदंडों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

प्रबल; अन्यथा हम अपने लक्षय को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे जातिविहीन और वर्गविहीन भारत का संवैधानिक लक्षय।

पैरा 194,195,231,248,251 देखें।

5. अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) परस्पर हैं।

विरोधाभासी, जैसे कि 15 (5) है

असंवैधानिक?

मैं उन्हें सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ सकता हूं।

पैरास 252-256 देखें।

6. क्या अनुच्छेद 15 (5) में अल्पसंख्यकों को छूट दी गई है?

आरक्षण के दायरे से संस्थान

संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन?

अनुच्छेद 29 (2) और के बीच अंतर्निहित तनाव को देखते हुए

30 (1) , मुझे लगता है कि एक को साकार करने का प्रमुख संवैधानिक लक्षय

जातिविहीन/वर्गविहीन समाज को बंधन तोड़ने का काम करना चाहिए। हम.

गलत दिशा में कदम उठाएंगे अगर अल्पसंख्यक संस्थान (यहां तक कि जो सहायता प्राप्त हैं) आरक्षण के अधीन हैं।

पैरास 268-269 देखें।

7 .

क्या समीक्षा के मानक निर्धारित किए गए हैं

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय हमारी समीक्षा पर लागू होता है

अनुच्छेद 15 (5) और इसी तरह के तहत सकारात्मक कार्रवाई

प्रावधान?

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत,

जैसे "। संदिग्ध कानून "संकीर्ण सिलाई" "कड़ी जांच"

और "राज्य की आवश्यकता को मजबूर करना" [2008] 4 एस. सी. आर. के लिए सख्ती से लागू नहीं हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

458

विवादित कानून को चुनौती देना।

अन्य देशों द्वारा तय किए गए मामले बाध्यकारी नहीं हैं लेकिन करते हैं

बहुत प्रेरक मूल्य है। हमारे संविधान का रास्ता बनने दीजिए।

किसी भी हिस्से से ज्ञान। ऋग्वेद के शब्दों में, महान होने दो। विचार हर तरफ से हमारे पास आते हैं।

पैरा 183 देखें।

8 .

ओ. बी. सी. पहचान के संबंध में, था

आरक्षण अधिनियम की शक्ति का प्रत्यायोजन

केंद्र सरकार अत्यधिक?

यह कोई अत्यधिक प्रतिनिधित्व नहीं है। इस मुद्दे पर,

मैं अपने फैसले में मुख्य न्यायाधीश के तर्क से सहमत हूं।

क्या विवादित कानून अमान्य है क्योंकि यह विफल रहता है

9 .

जाति-आधारित आरक्षण के लिए एक समय-सीमा निर्धारित करें?

पैरा 272 देखें। 10. एक छात्र अब किस बिंदु पर नहीं है

शैक्षिक रूप से पिछड़े और इस प्रकार अब नहीं

15 (5) के तहत विशेष प्रावधानों के लिए पात्र हैं?

एक बार एक उम्मीदवार एक विश्वविद्यालय से स्नातक हो जाता है, उक्त

स्नातकोत्तर के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 (5) के तहत लाभ और उसके बाद कोई और अध्ययन।

पैरा 273 देखिए। 11. क्या ओ. बी. सी. को संतुलित करना उचित होगा?

सामाजिक हितों के साथ आरक्षण की स्थापना

ओ. बी. सी. कट-ऑफ अंक जो उससे थोड़े कम हैं।

सामान्य श्रेणी का?

अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ आरक्षण को संतुलित करना उचित है।

रुचियाँ। उत्कृष्टता के मानकों को बनाए रखने के लिए, आशा कुमार ठाकुर बनाम के लिए कट ऑफ अंक।

भारत और ओआरएस का संघ। 459

[आर. वी. रवींद्रन जे.]

ओ. बी. सी. को सामान्य श्रेणी से नीचे 100 में से 10 अंकों से अधिक निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए।

पैरास 274-278 देखें।

ये रिट याचिकाएँ और अवमानना याचिकाएँ हैं -

तदनुसार निपटाया गया। तथ्यों और परिस्थितियों में,

दलों को अपना खर्च खुद वहन करना होता है।

आर. वी. रवींद्रन जे. पढ़ना मेरा सौभाग्य रहा है।

विद्वान प्रमुख द्वारा प्रस्तावित निर्णयों के मसौदे

जस्टिस, विद्वान भाई पसायत जे. और भंडारी जे. I

नीचे बताए गए अनुसार सम्मानपूर्वक उनसे सहमत हैं:

A. संविधान के 93 वें संशोधन की वैधता

भारत।

मैं विद्वान मुख्य न्यायाधीश और जे. पसायत से सहमत हूँ कि

अनुच्छेद 15 का खंड (5) बनाए गए राज्य के संदर्भ में मान्य है। शैक्षणिक संस्थान और सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान; और

कि यह सवाल कि क्या अनुच्छेद 15 (5) असंवैधानिक होगा

इस आधार पर कि यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है

निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में आरक्षण लागू करके खुला छोड़ दिया जाता है।

मैंने अस्वीकार करने का एक अतिरिक्त कारण बताया है

अनुच्छेद 15 (5) को इस आधार पर चुनौती दें कि यह अनुच्छेद को प्रस्तुत करता है

15 (4) निष्क्रिय/अप्रभावी।

B. केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों की वैधता

(प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006-अधिनियम संख्या 5

2007 का:

1 मैं विद्वान मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति पसायत से सहमत हूं कि

(i) केवल जाति के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान असंवैधानिक होगी; (ii) 'क्रीमी' को बाहर करने में विफलता।

आरक्षण के लाभों से 'परत' प्रदान करेगी

2007 के अधिनियम 5 के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण असंवैधानिक; और (iii) आरक्षण का प्रावधान करने वाला 2007 का अधिनियम 5

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए हालांकि मान्य होगा यदि परिभाषा 460 है।

[2008] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

'अन्य पिछड़े वर्गों' के बारे में इस आशय से स्पष्ट किया जाता है कि यदि

अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान किसी भी संदर्भ में है

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति मानी जाती है, ' ऐसी जाति की मलाईदार परत को बाहर रखा जाना चाहिए। मैंने इसके लिए अपने कारणों को संक्षेप में बताया है।

| विद्वान मुख्य न्यायाधीश के निर्णय से सहमत हैं कि

अधिनियम केवल इसलिए अमान्य नहीं है क्योंकि इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।

जाति आधारित आरक्षण, लेकिन अधिमानत: इसकी समीक्षा होनी चाहिए दस साल बाद परिस्थितियों के परिवर्तन पर ध्यान देना। ए.

आरक्षण का वास्तविक उपाय चुनौती के लिए खुला नहीं हो सकता है

जब बनाया जाता है। लेकिन एक समय अवधि के दौरान, यदि आरक्षण है

आरक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के बावजूद जारी रखा, कानून

जो बनाए जाने पर वैध था, अमान्य हो सकता है।

ग. निर्धारित करने के लिए क्या मापदंड होने चाहिए

ओ. बी. सी. एस. के संबंध में मलाईदार परत?

मैं विद्वान मुख्य न्यायाधीश से सहमत हूं कि ओम ने तारीख दी थी

8.9.1993 इसके लिए भारत सरकार से आवेदन किया जा सकता है। दृढ़ संकल्प।

घ. क्या 27 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण के संबंध में

2007 के अधिनियम 5 के तहत अन्य पिछड़े वर्ग के लिए क्या वैध है?

मैं विद्वान मुख्य न्यायाधीश के फैसले से सहमत हूं कि

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत का आरक्षण अवैध नहीं है।

हालांकि मैं इस सवाल को खुला छोड़ दूंगा कि क्या

अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित सदस्य जिन्हें

उनके आधार पर खुले प्रतियोगिता क्षेत्र में चुना गया

27 प्रतिशत आरक्षित कोटा के विरुद्ध अपनी योग्यता को गिना जाना चाहिए।

द्वारा सक्षम अधिनियम के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के लिए

संविधान के अनुच्छेद 15 (5) में विचार के लिए

उपयुक्त मामला।

2. अब मैं इनमें से दो पर कुछ शब्द जोड़ता हूँ।

सवाल करते हैं।

क्या अनुच्छेद 15 (5) अनुच्छेद 15 (4) को अप्रभावी बनाता है?

[आर. वी. रवींद्रन जे.]

3. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 15 का खंड (4) न तो है

अनुच्छेद 15 के खंड (1) का कोई अपवाद और न ही कोई परंतुक। खंड

(4) वर्गीकरण का एक उदाहरण माना गया है

खंड (1) में निहित और इसका जोरदार पुनर्कथन

अनुच्छेद 15 के खंड (1) में निहित सिद्धांत (केरल राज्य देखें)

वी. एन. एम. थॉमस-1976 (2) एस. सी. सी. 310, के. सी. वसंत कुमार बनाम।

कर्नाटक राज्य-1985 सप. एस. सी. सी. 714 और इंद्र साहनी

वी. भारत संघ-1992 सप. (3) एससीसी 217)। खंड (1) और

(2) अनुच्छेद 15 भेदभाव पर रोक लगाता है। खंड (1) में एक

निषेध है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा

केवल धर्म, जाति, पंथ, लिंग या जन्म के आधार पर। खंड (2) घोषणा करता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म के आधार पर,

जाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से कोई भी किसी के अधीन होगा।

दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर मनोरंजन, या कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों का उपयोग

और सार्वजनिक रिसॉर्ट के स्थान पूरी तरह से या आंशिक रूप से राज्य निधि से बनाए रखे जाते हैं या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित होते हैं। खंड

(3) (5) राज्य को विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाना। निर्दिष्ट क्षेत्र। जबकि खंड (3) अनुच्छेद का एक भाग है

मूल रूप से बनाए गए खंड (4) को संविधान (प्रथम) द्वारा जोड़ा गया था।

संशोधन) अधिनियम, 1951। संविधान द्वारा खंड (5) जोड़ा गया था।

(नब्बेवां संशोधन) अधिनियम, 2005। इन तीनों में से प्रत्येक

सक्षम प्रावधान एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। द. इनमें से प्रत्येक में आने वाले शुरुआती शब्द 'इस लेख में कुछ भी नहीं'

खंड (3), (4) और (5) स्पष्ट रूप से खंड (1) और (2) का उल्लेख करते हैं।

कला. 15 और अन्य सक्षम खंडों के लिए नहीं। खंड (3), (4)

और अनुच्छेद 15 के (5) के साथ टकराव के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए

एक-दूसरे पर, या एक-दूसरे पर हावी, लेकिन पढ़ा जाना है

सामंजस्यपूर्ण रूप से।

मलाईदार परत को हटाने की आवश्यकता।

4. 2007 के अधिनियम 5 की धारा 3 सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करती है।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में

27 प्रतिशत की सीमा। 'अन्य पिछड़े वर्ग' शब्द को परिभाषित किया गया है। जिसका अर्थ है नागरिकों का वर्ग या वर्ग जो सामाजिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट हैं।

462

[2008] 4 एस सी आर।

और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, और इस तरह से निर्धारित किए जाते हैं केंद्र सरकार। अधिनियम 'सामाजिक रूप से' शब्द को परिभाषित नहीं करता है।

और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग ', और न ही इसमें कोई शामिल है

केंद्र सरकार को कैसे करना चाहिए, इसके बारे में मानदंड या दिशानिर्देश

किसी भी वर्ग या वर्ग को सामाजिक और शैक्षिक रूप से निर्धारित करें

पिछड़े, ताकि उन्हें आरक्षण का लाभ मिले अधिनियम के तहत। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अधिनियम निर्देशित नहीं है

कार्यपालिका में मनमाने ढंग से कुछ चुनने और चुनने की शक्ति

आरक्षण के लाभ के लिए कक्षाएं। केंद्र सरकार हालाँकि यह संकेत दिया है कि यह आधार पर आगे बढ़ने का इरादा रखता है

जिन जातियों की पहचान पहले ही लाभ के लिए की जा चुकी है

मंडल आयोग द्वारा अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण

राष्ट्रीय आयोग द्वारा उसमें किए गए परिवर्धन

पिछड़े वर्गों पर समय-समय पर विचार किया जाएगा, क्योंकि

वर्तमान, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों का गठन करने के लिए

27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठाने के उद्देश्य से कक्षाएं अधिनियम के तहत। इसे फिर से याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई है

इस आधार पर कि अनुच्छेद 16 (4) के उद्देश्य से नागरिकों के किसी भी वर्ग की पहचान को 'पिछड़े' के रूप में नहीं माना जा सकता है

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान अनुच्छेद 15 (5) के तहत नागरिकों का। यह तर्क दिया जाता है कि शब्द

और नागरिकों के शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग अनुच्छेद 15 के खंड (4) और (5)।

5. अनुच्छेद 15 (4) में प्रावधान है कि उस अनुच्छेद में या उसमें कुछ भी नहीं है।

अनुच्छेद 29 का खंड (2) राज्य को ऐसा करने से रोकेगा कि

नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति के लिए उन्नति के लिए विशेष प्रावधान।

जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुच्छेद 29 (2) में प्रावधान है कि नहीं

नागरिक को राज्य द्वारा प्रबंधित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा।

केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या उनमें से किसी के आधार पर।

दूसरी ओर, अनुच्छेद 15 के खंड (5) में यह प्रावधान है कि उस अनुच्छेद या अनुच्छेद में कुछ भी निहित होने के बावजूद

19 (1) (छ) राज्य उन्नति के लिए एक विशेष प्रावधान कर सकता है।

नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए या आशा कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 463

[आर. वी. रवींद्रन जे.]

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान करके

या तो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या बिना सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यकों के अलावा अनुच्छेद 30 (1) में निर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थान। इसे प्रस्तुत किया जाता है।

कि अनुच्छेद 15 के खंड (5) के रूप में ओवरराइड या बहिष्कृत नहीं करता है

अनुच्छेद 29 (2), अनुच्छेद के तहत शक्ति के प्रयोग में बनाया गया कोई भी कानून

15 (5) अनुच्छेद 29 (2) के अधीन होगा, और परिणामस्वरूप वहाँ

पर आरक्षण के माध्यम से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती है केवल जाति का आधार।

6. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि उद्देश्य

संविधान का उद्देश्य एक समतावादी समाज का निर्माण करना है और

के आधार पर नागरिकों या समाज को विभाजित करने का प्रयास

नस्ल, धर्म या जाति को तुरंत खारिज कर दिया जाना चाहिए। यह है।

आगे प्रस्तुत किया कि संविधान कहीं भी मान्यता नहीं देता है या

नकारात्मक भावना, अर्थात 'जाति' के आधार पर किसी भी भेदभाव या सकारात्मक कार्रवाई को प्रतिबंधित करना-[अनुच्छेद 15 (1) के अनुसार और (2), 16 (2) और 29 (2)] और जब संविधान प्रतिबंध लगाता है

शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में भेदभाव केवल जाति के आधार पर, यह आश्चर्य की बात है कि जाति को विशेष बनाने के उद्देश्यों के लिए राज्य द्वारा मानदंड बनाने की मांग की जाती है

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान

इस तरह के प्रवेश को ध्यान में रखते हुए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वहाँ नहीं हो सकता है

नागरिकों के किसी भी समूह के लिए कोई विशेष प्रावधान

इस आधार पर कि वे किसी विशेष जाति या समुदाय से संबंधित हैं (अनुसूचित जातियों और जनजातियों को छोड़कर जिनका अलग से उल्लेख किया गया है)

अनुच्छेद 15 (4), 15 (5), 16 (4), 335,341 और 342 आदि)।

7. से शुरू होने वाले निर्णयों की एक श्रृंखला में यह न्यायालय

एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य [1963 सप. (1) एससीआर 439],

आर. चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य [1964 (6) एस. सी. आर. 368], आंध्र प्रदेश राज्य बनाम। P.Sagar (1968 (3) SCR 595], जानकी 464

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2008] 4 एस सी आर।

प्रसाद परिमू बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य [1973 (1)]

एस. सी. सी. 420], केरल राज्य बनाम। एन. एम. थॉमस [1976 (2) एस. सी. सी 310]

और के. सी. वसंत कुमार बनाम कर्नाटक राज्य [1985 सप.

एस. सी. सी. 714] ने समझाया है कि सामाजिक और शैक्षिक क्या है

पिछड़ेपन। इन सभी निर्णयों ने सिद्धांत निर्धारित किया है

कि पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए जाति को एकमात्र या प्रमुख परीक्षा नहीं बनाया जा सकता है, और कोई भी वर्गीकरण निर्धारित करता है

केवल जाति के संदर्भ में पिछड़ेपन अमान्य होगा।

इन फैसलों ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि जाति समान नहीं है।

वर्ग और सभी पिछड़ेपन, चाहे वे सामाजिक हों या शैक्षिक,

अंततः और मुख्य रूप से गरीबी या आर्थिक कारण है

शर्तें।

8. हालाँकि, माइनर P.Rajendran v में। मद्रास राज्य

[1968 (2) एस. सी. आर. 786], यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि एक जाति, समग्र रूप से, है

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े तब आरक्षण हो सकता है

15 (4) . निर्णय बालाजी के बाद आया और इसलिए आगे बढ़ा। इस आधार पर कि जहां विचाराधीन जाति के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की सीमा लगभग समान है

अनुसूचित जातियों का सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन

और अनुसूचित जनजातियों को इस आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है

स्वयं जाति से। उस मामले में, यह तथ्य का सवाल पाया गया था

कि समग्र रूप से कुछ जातियों के सदस्य सामाजिक और

शैक्षिक रूप से पिछड़े, और इसलिए यह माना गया कि

जाति के आधार पर आरक्षण की अनुमति थी

उन जातियों। A.Periakaruppan v में। शोभा जोसेफ [1971 (1)]

एस. सी. सी. 38], इस न्यायालय ने बालाजी से शुरू होने वाले मामलों को संदर्भित किया

राजेंद्रन। इसने राजेंद्रन में बताए गए सिद्धांत को दोहराया कि यदि एक जाति समग्र रूप से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई है,

ऐसी जाति के पक्ष में आरक्षण इस आधार पर दिया जा सकता है कि यह नागरिकों का सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग है

अनुच्छेद 15 (4) के अर्थ के भीतर। यह भी चेताया कि

सरकार को इस आधार पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि एक बार जब किसी वर्ग को पिछड़ा वर्ग माना जाता है, तो यह जारी रहेगा। सभी समय के लिए पिछड़े वर्ग। वसंत कुमार (ऊपर) ने माना कि अशोक कुमार ठाकुर बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ। 465

[आर. वी. रवींद्रन जे.]

केवल अनुसूचित जातियों की तुलनीय जाति और

पिछड़ेपन के मामले में अनुसूचित जनजातियाँ, हो सकती हैं सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जाता है

जिसके आधार पर आरक्षण किया जा सकता है जाति। इसलिए वसंत कुमार ने बालाजी को दोहराया।

9. जिस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह न तो राजेंद्रन है और न ही

पेरियाकरुप्पम और न ही वसंत कुमार वास्तव में या से चले गए।

बालाजी में निर्धारित सिद्धांत को कमजोर किया। दूसरी ओर,

बालाजी में निर्धारित सिद्धांत को दोहराया गया। राजेन्द्रन और पेरियाकरुप्पम केवल यह दर्शाता है कि चरम मामलों में यह कहाँ है

यह पाया गया कि विचाराधीन जाति, समग्र रूप से, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई थी, और इसलिए एक

अनुसूचित जाति, जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है अकेले।

10. फिर इंद्र में नौ न्यायाधीशों के निर्णय पर आया

साहनी वी। भारत संघ [1992 सप. (3) एससीसी 217]। यह

अदालत ने माना कि अनुच्छेद 16 (4) में 'वर्ग' शब्द का उपयोग संदर्भित करता है

सामाजिक वर्ग के लिए, और अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण में है पिछड़े वर्ग का पक्ष लेना, जाति का नहीं। यह माना जाता है कि 'पिछड़े'

अनुच्छेद 16 (4) में उल्लिखित नागरिकों का वर्ग समान नहीं है। 'सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों' के रूप में संदर्भित

अनुच्छेद 15 (4), लेकिन बहुत व्यापक है। यह माना गया कि कोई कारण नहीं था 'पिछड़े वर्ग' अभिव्यक्ति के अर्थ को अर्हता प्राप्त करें या सीमित करें

नागरिकों का यह कहते हुए कि इसका मतलब केवल उन अन्य पिछड़े लोगों से है

ऐसे वर्ग जो अनुसूचित जातियों के समान स्थित हैं और/या अनुसूचित जनजाति (पैरा 795)। इस न्यायालय ने कहा:

" यदि वर्ग का कोई समूह अनुसूचित जातियों के समान स्थित है, तो उनके पास उस वर्ग में शामिल करने का मामला हो सकता है।
लेकिन ऐसा लगता है कि वास्तव में या सिद्धांत रूप में कोई आधार नहीं है

यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि अन्य वर्गों/समूहों को पिछड़े वर्गों के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए उनके समान स्थित होना चाहिए। वहाँ।

इस तरह की किसी भी प्राथमिक धारणा को आयात करने का कोई वारंट नहीं है अन्य पिछड़े वर्गों की अवधारणा। साथ ही,

हम यह स्पष्ट करना उचित समझते हैं कि पिछड़ेपन

एक सापेक्ष शब्द, संदर्भ में सामान्य सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट द्वारा आंका जाना चाहिए

देश की पूरी आबादी की प्रगति का स्तर

या राज्य, जैसा भी मामला हो। इससे भी अधिक, यह है

कहना मुश्किल है "।
अनुच्छेद 16 (4) के संदर्भ में इस न्यायालय ने यह भी कहा कि

एक जाति भारत में एक सामाजिक वर्ग हो सकती है और अक्सर होती है और यदि

सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो यह एक 'पिछड़ा वर्ग' होगा

अनुच्छेद 16 (4) के उद्देश्य। इसने माना कि अनुच्छेद 16 (4) में उच्चारण सामाजिक पिछड़ेपन पर है, जबकि अनुच्छेद 15 (4) में जोर दिया गया है

यह 'सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन' पर है। अंत में यह

अदालत ने कहा:

न तो संविधान और न ही कानून निर्धारित करता है

पिछड़े की पहचान की प्रक्रिया या विधि

कक्षाएँ। न ही अदालत के लिए यह संभव या उचित है कि
ऐसी कोई भी प्रक्रिया या विधि निर्धारित करें। इसे छोड़ देना चाहिए।

पहचान करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी को। इसे अपनाया जा सकता है

विधि/प्रक्रिया जैसा कि यह सुविधाजनक समझता है और जब तक

इसके सर्वेक्षण में पूरी आबादी शामिल है, इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है।
पिछड़े वर्गों की पहचान कर सकते हैं

निश्चित रूप से जातियों के संदर्भ में किया जाना चाहिए, और

साथ में, अन्य व्यावसायिक समूह, वर्ग और

लोगों के वर्ग। अदालत ने
हालांकि यह स्पष्ट कर दिया कि एक जाति हो सकती है

'नागरिकों के पिछड़े वर्ग' के निर्धारण के लिए प्रारंभिक बिंदु यह एक मौजूदा, पहचान
योग्य सामाजिक समूह/वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है; और

कि यदि किसी जाति को पिछड़े वर्ग के रूप में नामित किया जाना चाहिए तो ऐसी जाति से
मलाईदार परत को बाहर रखा जाना चाहिए। यह

न्यायालय ने टिप्पणी की:

" अनुच्छेद 16 के खंड (4) के तहत पिछड़े वर्ग में, यदि जोड़ने वाली कड़ी सामाजिक
पिछड़ेपन है, तो उसे ऐसा करना चाहिए

सदस्य सामाजिक रूप से बहुत अधिक उन्नत हैं (जिसमें
संदर्भ का अर्थ अनिवार्य रूप से आर्थिक रूप से होता है और इसका अर्थ शैक्षिक रूप से भी हो
सकता है) उनके बीच जोड़ने वाला धागा।

और शेष वर्ग स्नैप करता है। वे आशा कुमार ठाकुर बनाम में अनुपयुक्त होंगे।

आर. वी. रवींद्रन जे.]

वर्ग को। उन्हें अकेले बाहर करने के बाद, क्या कक्षा होगी

एक कॉम्पैक्ट वर्ग। जबकि हम सहमत हैं कि खंड (4) का उद्देश्य है

सामाजिक रूप से उन्नत सदस्य 'वर्ग' को सही मायने में एक आदर्श वर्ग बना देंगे। पिछड़े वर्ग और अधिक उचित रूप से सेवा करेंगे

खंड (4) का उद्देश्य और उद्देश्य

12. इस प्रकार यह देखा जाता है कि इंद्र साहनी ने निश्चित रूप से एक कदम आगे बढ़ाया।

बालाजी और अन्य मामलों से आगे यह अभिनिर्धारित करने में कि एक जाति कर सकती है पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए प्रारंभिक बिंदु बनें। लेकिन यह

इस निर्णय से स्पष्ट है कि जाति ही अंतिम नहीं है

लक्षय, अर्थात, अपने आप में एक जाति, का निर्धारण नहीं किया जा सकता है

सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन। जाति की पहचान की जा सकती है।

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े होने के लिए, केवल तभी जब जाति से मलाईदार परत को हटा दिया जाता है और एक कॉम्पैक्ट वर्ग उभरता है जिसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में पहचाना जा सकता है। इस प्रकार निर्णय पहले किसी जाति की पहचान करके नहीं किया जाता है।

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में और उसके बाद, दान देने के उद्देश्य से मलाईदार परत को हटा दें या बाहर कर दें। ऐसे वर्ग को मिलने वाले लाभ। दूसरी ओर, जब तक और

जब तक क्रीमी लेयर को किसी जाति से नहीं हटाया जाता है, तब तक कोई भी सघन वर्ग नहीं है जिसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग कहा जा सके। इस प्रकार, जबकि पहचान करने की प्रक्रिया

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जाति के साथ, हटा दें

उससे मलाईदार परत के परिणामस्वरूप कॉम्पैक्ट वर्ग का उदय होता है जिसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से एक श्रेणी के रूप में जाना जा सकता है।

पिछड़े वर्ग। इस अर्थ में यह कहा जा सकता है कि इंद्र साहनी

केवल बालाजी में निर्धारित सिद्धांतों का विकास है, आर. चित्रलेखा और वसंत कुमार, जिन्होंने इंगित किया कि एक पिछड़ी जाति का उन्नत वर्ग क्रीमी का गठन करता है

परत लगभग फॉरवर्ड क्लास के समान है। यदि मलाईदार परत को बाहर नहीं किया जाता है तो आरक्षण का लाभ ऐसे उन्नत वर्गों द्वारा विनियोजित किया जाएगा। इस पहलू का उल्लेख करते हुए, इंद्र साहनी (ऊपर) ने कहा:

" ऐसी उन्नत धाराओं को जारी रखने के लिए, 468

विशेष लाभ, समान व्यवहार करने के बराबर होगा

असमान रूप से। दूसरा, उन्हें बाकी पिछड़े वर्गों के साथ श्रेणीबद्ध करना असमान लोगों के साथ व्यवहार करने के बराबर होगा।

समान रूप से "।

मलाईदार परत के बहिष्करण की आवश्यकता को दोहराया गया है

अशोक कुमार ठाकुर बनाम मामले में इस न्यायालय के बाद के निर्णय।

बिहार राज्य-1995 (5) एस. सी. सी. 403, इंद्र साहनी बनाम। संघ का

भारत (II)-1996 (6) SCC 506, M.Nagaraj v. भारत संघ

2006 (8) एससीसी 212। जब इंद्र साहनी ने उस मलाई को पकड़ रखा था

अनुच्छेद 16 (4) के प्रयोजनों के लिए परत को बाहर रखा जाना चाहिए।

'पिछड़े वर्ग' के साथ जो 'सामाजिक और

अनुच्छेद 15 (4) और (5) में आने वाला शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग,

यह बिना कहे चला जाता है कि मलाईदार परत को हटाए बिना

सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग नहीं हो सकता है।

इसलिए जब किसी जाति की पहचान सामाजिक रूप से की जाती है और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जाति, यह एक 'सामाजिक और

शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग 'केवल तभी जब वह अपनी क्रीमी खो देता है

परत।

13. जाति ने सदियों से इस देश को विभाजित किया है। इसमें है।

इसके विकास में बाधा डाली। एक जातिविहीन समाज होगा

एक महान सपने की प्राप्ति। शुरू में, आरक्षण का प्रभाव जाति को कायम रखने के लिए प्रतीत हो सकता है। जाति का तत्काल प्रभाव

आधारित आरक्षण काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। पूर्व में

आरक्षण युग के लोग पिछड़ेपन से छुटकारा पाना चाहते थे -

चाहे सामाजिक हो या आर्थिक। लेकिन आरक्षण के बाद, एक है

उन लोगों में भी प्रवृत्ति जिन्हें 'आगे' माना जाता है, के लाभों का आनंद लेने की उम्मीद में 'पिछड़े' टैग की तलाश करने के लिए

' देश 'प्रगति' के बजाय 'पिछड़ेपन' में ही स्थिर हो जाता है। जो भी हो सकता है। एक सकारात्मक कार्रवाई के रूप में आरक्षण सामाजिक रूप से आगे लाने के लिए केवल एक सीमित अवधि के लिए आवश्यक है

और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को एक सौम्य सहायक प्रोत्साहन देकर। लेकिन अगर कोई उचित समीक्षा के बाद कोई समीक्षा नहीं है

अवधि और यदि आरक्षण जारी रहता है, तो देश बन जाएगा

समाज को स्थायी रूप से विभाजित करने वाली जाति। अशोक कुमार ठाकुर बनाम को विकसित करने के बजाय।

विविधता के साथ एकजुट समाज, हम एक-दूसरे पर हमेशा संदेह करने वाले खंडित समाज के रूप में समाप्त हो जाएंगे। सकारात्मक होते हुए भी भेदभाव समानता का मार्ग है, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सड़क एक रट नहीं बन जाती है जिसमें प्रगति का वाहन फंसा हुआ और अटक जाता है। आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान है अस्थायी बैसाखी। अनावश्यक लंबे समय तक उपयोग से ऐसी बैसाखी, स्थायी दायित्व नहीं बनना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि

संविधान विशेष रूप से जातिविहीन समाज का निर्धारण नहीं करता है।

न ही जाति को समाप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन में भेदभाव को रोककर

जाति का नाम और सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान करके संविधान

जाति के आधार पर स्थिति में अंतर को दूर करने का प्रयास करता है।

जब जातियों के बीच स्थिति में मतभेद दूर हो जाते हैं, तो सभी

जातियाँ बराबर हो जाएंगी। यह एक जातिविहीन व्यक्ति के लिए एक शुरुआत होगी।

समतावादी समाज।

14. मैं सहमत हूँ कि याचिकाओं का निपटारा किया जाएगा

विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा बताए गए तरीके।

न्यायालय 1 द्वारा निर्णय। संविधान 93 वां

संशोधन अधिनियम, 2005 वैध है और "मूल" का उल्लंघन नहीं करता है।

संविधान की संरचना "जहाँ तक यह राज्य से संबंधित है संस्थानों और सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को बनाए रखा। सवाल यह है कि क्या संविधान (नब्बेवां संशोधन)

अधिनियम, 2005 संवैधानिक रूप से मान्य होगा या नहीं " निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान चिंतित हैं, नहीं हैं

उचित में निर्णय लेने के लिए माना जाता है और खुला छोड़ दिया जाता है मामला।

न्यायमूर्ति भंडारी ने हालांकि अपनी राय में इस पर विचार किया है।

मुद्दा और यह माना गया है कि संविधान (नब्बे तिहाई)

संशोधन) अधिनियम, 2005 जहां तक संवैधानिक रूप से मान्य नहीं है

निजी गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान चिंतित हैं।

2. 2007 का अधिनियम 5 संवैधानिक रूप से मान्य है संविधान की धारा 2 (जी) में 'अन्य पिछड़े वर्गों' की परिभाषा2007 के अधिनियम 5 को निम्नानुसार स्पष्ट किया जा रहा है: यदि संकल्प ' केंद्र सरकार द्वारा 'अन्य पिछड़े वर्ग' एक जाति के संदर्भ में है, यह [2008] 4 एस. सी. आर. के बीच 'मलाईदार परत' को बाहर करेगा।

ऐसी जाति।अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की मात्राअधिनियम में प्रदान किए गए शैक्षणिक संस्थानों में कक्षाएं नहीं हैं

अवैध है। 2007 का अधिनियम 5 इस कारण से अमान्य नहीं है कि इसके संचालन के लिए निर्धारित समय सीमा लेकिन अधिकांश न्यायाधीश उनका विचार है कि 5 वर्षों के अंत में आरक्षण को जारी रखने की आवश्यकता के बारे में समीक्षा की जानी चाहिए।

रिट याचिकाओं का निपटारा बहुमत के आधार पर किया जाता है। निर्णय। हालाँकि, अवमानना याचिका No.112/2007 में डब्ल्यू. पी. (ग) No.265/2006, किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।

याचिकाओं का निपटारा किया गया।

जीएन.